जदीद एडीशन

मुकम्मल

दीन की बातें

बहिश्ती ज़ेवर

कुतुब ख़ाना हमीदिया
दिल्ली

मुकम्मल

दीन की बातें

(बहिश्ती ज़ेवर)

रचयिता

मौलाना अशरफ़ अली थानवी

नाशिर

कुतुबख़ाना हमीदिया

324, गली गढ़ीया, जामा मस्जिद, दिल्ली-6

फोन 23261834 (S), 23264113 (R)

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

मुकम्मल

दीन की बातें

(बहिश्ती ज़ेवर)

किताब का नाम	:	मुकम्मल दीन की बातें (बहिश्ती ज़ेवर)
लेखक	:	मौलाना अशरफ़ अली थानवी
पृष्ट	:	416
प्रकाशन वर्ष	:	
संख्या	:	1100
मूल्य	:	100 रूपये
प्रकाशक	:	कुतुबख़ाना हमीदिया 324, गली गढ़ीया, जामा मस्जिद, दिल्ली-6 फोन . 23261834 (S), 23264113 (R)

विषय सूची

1. तहारत (स्वच्छता)

१	१ वुज़ू (बदन के अंगों का पाक करना)	1
२.	२ वुज़ू तोड़ने वाली बातें	7
३.	३ मजबूरियां	12
४.	४ गुस्ल (स्नान करना)	14
५.	५ गुस्ल कैसे वाजिब होता है ?	17
६.	६ गुस्ल कब फ़र्ज़ नहीं होता ?	19
७.	७ जब गुस्ल करना सुन्नत होता है	20
८.	८ गुस्ल कब मुस्तहब होता है ?	21
९.	९ वुज़ू और गुस्ल का पानी	22
१०.	१० पानी का इस्तेमाल कब और कैसे ?	26
११.	११ कुआँ	27
१२.	१२ वुज़ू न होने पर	30
१३.	१३ सोते में नापाक हो जाना	31
१४	१४ जानवरों का जूठन	31
१५.	१५ तयम्मुम	33
१६.	१६ मोज़ों का मसह	39
१७.	१७ हैज़ और इस्तिहाज़ा	43
१८.	१८ हैज़ की पाबन्दियां	45
१९.	१९ निफास	48
२०.	२० हैज़ और निफास का ब्यान	50
२१.	२१ निजासत कैसे पाक की जाए?	52
२२.	२२ पाकी और नापाकी	57
२३.	२३ इस्तिंजा	60
२४.	२४ पेशाब-पाख़ाने के वक़्त की एहतियातें	63
२५	२५ चीज़ें जिन से इस्तिंजा नहीं होता	63
२६	२६ चीज़ें जिन से इस्तिंजा किया जाए	64

2. सलात (नमाज़)

२७	१ नमाज़ क्या है ?	65
२८	२ नमाज़ का वक़्त	65

२९.	३ अज़ान	69
३०.	४ अज़ान व तकबीर	72
३१.	५ अज़ान, तकबीर की सुन्नतें व मुस्तहब	74
३२.	६ नमाज़ की शर्तें	78
३३.	७ जवान होना	82
३४.	८ किब्ले की तरफ मुंह करना	83
३५.	९ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना	84
३६.	१० कुरआन शरीफ़ पढ़ने का तरीक़ा	93
३७.	११ जमाअ़त	94
३८.	१२ जमाअ़त की बड़ाई और ताकीद	95
३९.	१३ जमाअ़त के वाजिब होने की शर्त	96
४०	१४ जमाअ़त का सही होना	97
४१.	१५ जमाअत के अहकाम	105
४२.	१६ मुकतदी और इमाम	106
४३	१७ जमाअत में शामिल हो सकना	113
४४.	१८ नीयत के मसायल	116
४५.	१९ नमाज़ के ख़ास मसायल	117
४६.	२० फ़र्ज़ और वाजिब के मसायल	119
४७.	२१ नमाज़ की सुन्नतें	121
४८	२२ नमाज़ टूट जाना	122
४९.	२३ नमाज़ का फासिद हो जाना	125
५०.	२४ नमाज़ मकरूह करने वाली बातें	127
५१	२५ नमाज़ तोड़ देना	131
५२	२६ नमाज़ में गंदगी हो जाना	133
५३.	२७ वित्र नमाज़	135
५४.	२८ सुन्नत और नफ़िल नमाज़ें	137
५५	२९ तरावीह की नमाज़	145
५६.	३० भूल का सज्दा	147
५७	३१ तिलावत का सज्दा	155
५८	३२ बीमारी की नमाज़	160
५९	३३ सफ़र की हालत में नमाज़	163
६०	३४ कज़ा नमाज़ें	169
६१	३५ इस्तख़ारा	172
६२	३६ डर की नमाज़	174

६३.	३७ कत्ल और तौबा की नमाज़ें	174
६४.	३८ इस्तिस्क़ा की नमाज़	175
६५.	३९ कुसूफ़ और खुसूफ़ नमाज़े	176
६६.	४० जुमे की नमाज़	177
६७.	४१ जुमे के दिन किए जाने वाले काम	178
६८.	४२ जुमे की नमाज़ का सवाब	179
६९.	४३ जुमे की नमाज़ कब वाजिब होती है ?	179
७०.	४४ जुमे की नमाज़ की शर्तें	180
७१.	४५ खुत्बे के मसायल	181
७२.	४६ नबी सल्ल० का जुमे वाला खुत्बा	183
७३.	४७ जुमा की नमाज़ के मसायल	188
७४.	४८ ईदैन की नमाज़ें	189
७५.	४९ कअ़बे में नमाज़ पढ़ना	193

3. जनाज़ा (अन्त्येष्टि)

७६.	१ मर जाने पर क्या करें?	195
७७.	२ नहलाना	197
७८.	३ कफ़न	200
७९.	४ जनाज़े की नमाज़	204
८०	५ मैयत का दफ़नाना	211
८१.	६ शहीद की मौत	218
८२.	७ मस्जिद के अहकाम	220

4. रोज़ा

८३.	१ रोज़ा	223
८४.	२ रमज़ान शरीफ़ के रोज़े	224
८५.	३ चांद देखना	226
८६.	४ सहरी और इफ़्तार	228
८७.	५ कज़ा रोज़े रखना	230
८८.	६ नज़र का रोज़ा	231
८९.	७ नफ़्ली रोज़ा	232
९०.	८ रोज़े की कज़ा और कफ़्फ़ारा	234
९१.	९ रोज़ा तोड़ना	242

९२.	१० फ़िदया	245
९३.	११ एतकाफ़	247

5. ज़कात

९४	१ ज़कात क्या है ?	253
९५.	२ पैदावार की ज़कात	258
९६.	३ ज़कात किस पर जायज़ है?	260
९७.	४ जानवरों की ज़कात	264
९८.	५ ऊंट की ज़कात	265
९९	६ गाय और भैंस का हिसाब	265
१००	७ बकरी और भेड़ की ज़कात	266
१०१.	८ ज़कात के ख़ास मसायल	266
१०२	९ सदक़ा-ए-फ़ित्र क्या है	267
१०३	१० क़ुर्बानी	269
१०४	११ अक़ीक़ा	277

6. हज

१०५	१ हज क्या है ?	280
१०६	२ हज करने का तरीक़ा	286
१०७	३ हज्जे बदल	293
१०८	४ औरतें हज में क्या करें ?	294
१०९	५ हज करने से रुक जाना	295
११०	६ जज़ा और कफ़्फ़ारा	296
१११.	७ मदीने की ज़ियारत	299

7. निकाह

११२.	१ निकाह का मतलब	300
११३	२ जिन लोगों से निकाह हराम है	301
११४.	३ वली या मालिक	305
११५	४ मेल और बेमेल आदमी	309
११६	५ महर	310
११७	६ महर मिस्ल	314
११८.	७ काफ़िरों का निकाह	314
११९.	८ बीवियों में बराबरी करना	315

१२०	९ दूध पीना और पिलाना	316
१२१	१० तलाक	319
१२२	११ रुख़सती से पहले तलाक	322
१२३	१२ तीन बार तलाक़ देना	323
१२४	१३ बीमार आदमी का तलाक़ देना	326
१२५	१४ तलाक के बाद बीवी को रोक लेना	327
१२६	१५ बीवी के पास न जाने की कसम	330
१२७	१६ बीवी को मां के बराबर कह देना	331
१२८	१७ कफ्फारा अदा करना	334
१२९	१८ बीवी को बदचलन कहना	335
१३०	१९ महर को बदले तलाक़ देना	336
१३१	२० शौहर का लापता हो जाना	338
१३२	२१ इद्दत	338
१३३	२२ मौत की इद्दत	340
१३४	२३ सोग करना	341
१३५	२४ रोटी कपड़ा	342
१३६	२५ रहने का घर	344
१३७	२६ हलाली लड़का	345
१३८	२७ औलाद का पालना	346
१३९	२८ कसम खाना	347
१४०	२९ दीन से फिर जाना	348
१४१	३० ज़िब्ह करना	350
१४२	३१ हलाल और हराम चीज़ें	350
१४३	३२ नशे की चीज़ें	351
१४४	३३ चांदी सोने के बर्तन	352
१४५	३४ लिबास और पर्दा	352
१४६	३५ खुदा के लिए देना	358
१४७	३६ बदन के बाल	359

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

1. तहारत (स्वच्छता)

1. वुज़ू (बदन के अंगों का पाक करना)

वुज़ू करने वाले को चाहिए कि वुज़ू करते वक्त किबले की तरफ़ मुंह करके किसी ऊंची जगह बैठे और वुज़ू शुरू करते ही "बिस्मिल्लाह" (शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से) कहे। सबसे पहले तीन बार पहुंचों तक हाथ धोए। फिर तीन बार कुल्ली करे और मिस्वाक करे अगर मिस्वाक (दातून) न हो तो उंगली से अपने दांत साफ़ कर ले और अगर रोज़ादार हो तो ग़रारा न करे। फिर तीन बार नाक में पानी डाले और बाएं हाथ से नाक साफ़ करे लेकिन जिसका रोज़ा हो, वह जितनी दूर तक नर्म गोश्त है, उससे ऊपर पानी न ले जाए। फिर तीन बार मुंह धोए कि सर के बालों से लेकर ठोढ़ी के नीचे तक और इस कान की लौ से उस कान की लौ तक सब जगह पानी बह जाए फिर तीन बार दाहिना (सीधा) हाथ कोहनी समेत धोए। फिर बायां (उल्टा) हाथ कोहनी समेत तीन बार धोए और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर खिलाल (दांत, दाढ़ या मसूढ़ों में लगी खाने की कोई चीज़ साफ करना, कुरेदनी) करे और अंगूठी व छल्ला जो कुछ पहने हुए हो, हिला ले। फिर एक बार पूरे सर का मसह (हाथ फेरना) करे, फिर कान का मसह करे। कान के अन्दर

की तरफ कलमे की उंगली (हाथ के अंगूठे के बराबर वाली पहली उंगली) से और कान के ऊपर की तरफ का अंगूठों से मसह करे लेकिन गले का मसह न करे।

कान के मसह के लिए नया पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। सर के मसह से जो बचा हुआ पानी हाथ में लगा है वही काफी है। और तीन बार दाहिना (सीधा) पांव टख़ने समेत धोए, फिर बायां (उल्टा) पांव टख़ने समेत तीन बार धोए। बायें हाथ की उंगलियों से पैर की उंगलियों का ख़िलाल करे। पैर की दाहिनी उंगलियों से शुरू करे और बाईं उंगलियों पर ख़त्म करे। यह वुज़ू का मसनून (विधिवत रूप से बताया हुआ) तरीका है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें फर्ज़ (अत्यावश्यक) हैं; कुछ सुन्नत (रसूले ख़ुदा हज़रत मुहम्मद सल्ल० का कार्य) और कुछ मुस्तहब (अच्छा, वह आदत जिसका अदा करना बेहतर हो)।

मस'ला १– (प्रश्न, समस्या, धार्मिक आदेश) १– वुज़ू में फ़र्ज़ कुल चार बातें हैं– एक बार पूरा मुंह धोना, एक बार कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, एक बार चौथाई सर का मसह करना, एक बार टख़नों समेत दोनों पांव धोना। बस फर्क इतना ही है, इनमें से अगर एक भी चीज़ छूट जाएगी या कोई (जगह) बाल बराबर भी सूखी रह जायेगी तो वुज़ू न होगा।

मस'ला २– पहले पहुंचों तक दोनों हाथ धोना, बिस्मिल्लाह कहना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मिस्वाक करना, सारे सर का मसह करना, बदन के हर हिस्से को तीन-तीन बार धोना कानों का मसह करना हाथों और पैरों की उंगलियों का ख़िलाल करना। ये सब बातें सुन्नत हैं और इनके सिवा और जो बातें हैं वे सब मुस्तहब हैं।

मस'ला ३– जब चार हिस्से जिनका धोना फर्ज़ है, धुल जायेंगे तो वुज़ू हो जाएगा, चाहे वुज़ू का क़स्द (इरादा) हो या न हो। जैसे: कोई नहाते वक़्त सारे जिस्म (शरीर) पर पानी बहाए और वुज़ू न करे या हौज़ में गिर पड़े या पानी बरसते में बाहर खड़ा हो जाए और वुज़ू

के हिस्से धुल जायें तो वुज़ू पूरा हो जाएगा, लेकिन वुज़ू का सवाब (नेक बदला) न मिलेगा।

मस'ला ४– सुन्नत यह है कि उसी तरह वुज़ू करे, जिस तरह ऊपर बताया गया है। अगर कोई उल्टा वुज़ू करे जैसे पहले पांव धो डाले, फिर मसह करे, फिर दोनों हाथ धोए; फिर मुंह धो डाले या और किसी तरह उलट-पलट कर वुज़ू करे, तब भी वुज़ू तो हो जाता है लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं होता और गुनाह हो जाने का डर है।

मस'ला ५– इसी तरह अगर बायां हाथ या बायां पांव पहले धोया तब भी वुज़ू हो गया लेकिन यह मुस्तहब के ख़िलाफ़ (विरुद्ध) है।

मस'ला ६– एक हिस्से को धोकर दूसरे हिस्से को धोने में इतनी देर न लगाए कि पहला हिस्सा खुश्क हो जाए बल्कि उसके खुश्क होने से पहले-पहले दूसरा हिस्सा धो डाले।

मस'ला ७– हर हिस्से को धोते वक़्त यह भी सुन्नत है कि उस पर हाथ फेर ले ताकि कोई जगह सूखी न रहे।

मस'ला ८– मुंह धोने के बाद दाढ़ी का और तीन बार ख़िलाल करे।

मस'ला ९– जो जगह रुख़सार (गाल, कपोल) और कान के बीच में है, उसका धोना फ़र्ज़ है।

मस'ला १०– ठोढ़ी का धोना फ़र्ज़ है, बशर्ते कि दाढ़ी के बाल उस पर न हों या हों तो इतने कम कि खाल नज़र आए।

मस'ला ११– होंठों का जो हिस्सा होंठ बन्द होने के बाद दिखाई देता है, उसका धोना फ़र्ज़ है।

मस'ला १२– दाढ़ी या मूंछ या भवें अगर इतनी घनी हों कि खाल नज़र न आए तो उस खाल का धोना जो छुपी हुई है, फ़र्ज़ नहीं है बल्कि बालों पर से ही पानी बहा देना काफी है।

मस'ला १३— भौवें, दाढ़ी या मूंछ इतनी घनी हों कि उसके नीचे की जिल्द (चर्म, खाल) छुप जाए और नज़र न आए तो ऐसी सूरत में इतने बालों का धोना वाजिब (ज़रूरी, जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्ल0 ने ताकीद फ़रमाई) है जो चेहरे की हद के अन्दर हो। बाकी जो बाल बताई हुई हद से आगे बढ़ गए हों उनका धोना वाजिब नहीं है।

मस'ला १४— वक़्त से पहले ही वुज़ू करना मुस्तहब है।

मस'ला १५— जब तक कोई मजबूरी न हो खुद अपने हाथ से वुज़ू करे यानी किसी और से पानी न डलवाए और वुज़ू करने में दुनिया की कोई बातचीत न करे। पानी चाहे फ़राग़त (बहुतायत) का क्यों न हो, चाहे दरिया के किनारे पर हो, लेकिन तब भी पानी ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च न करे और न पानी में बहुत कमी करे ताकि अच्छी तरह धोने (वुज़ू करने) में दिक़्क़त (परेशानी, कठिनाई) न हो। न किसी हिस्से को तीन बार से ज़्यादा धोए और मुंह धोते वक़्त पानी का छींटा ज़ोर से मुंह पर न मारे न फुंकार मार कर छींट उड़ाए और न अपने मुंह और आंखों को बहुत ज़ोर से बन्द करे (क्योंकि) ये सब बातें मकरूह (नापसन्दीदा, घिनौनी) और मना (वर्जित) हैं।

मस'ला १६— किसी औरत की अंगूठी छल्ले, चूड़ी, कंगन, नाक की कील (जैसी चीजें) ढीली हों कि बग़ैर हिलाए भी उनके नीचे पानी पहुंच जाए तब भी उनका हिला लेना मुस्तहब है और (वे) ऐसी तंग हों कि बग़ैर हिलाए पानी न पहुंचने का गुमान (शक, सन्देह) हो तो उनको हिला कर अच्छी तरह पानी पहुंचा देना ज़रूरी और वाजिब है।

मस'ला १७— अगर किसी के नाख़ून के ऊपर आटा लग कर सूख गया और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो वुज़ू नहीं हुआ। जब भी याद आए और आटा देखे तो छुटा कर पानी डाल ले और अगर कोई नमाज़ पढ़ ली तो उसको फिर से पढ़े।

मस'ला १८— जब वुज़ू कर चुके तो क़ुरआन शरीफ की सूरः 'इन्ना अन्ज़लना' पढ़कर यह नीचे वाली दुआ पढ़े :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ط

अल्लाहुम्मज्अल्नी मिनत्तव्वाबीन वज्अलनी मिनल् मु त-तह हिरीन वज्अल्नी मिन् इबादिकस्सालिहीन वज्अल्नी मिनल्लज़ी न ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून0

ऐ अल्लाह! कर दे मुझे तौबा करने वालों में से और कर दे मुझको गुनाहों से पाक होने वाले लोगों में से। कर दे मुझको नेक बन्दों में से और कर दे मुझे उन लोगों में से जिनको दोनों जहानों में कुछ डर नहीं।

मस'ला १९– जब वुज़ू कर चुके तो दो रकअ़त नमाज़ (तहीय्यतुल वुज़ू) पढ़े। हदीस शरीफ़ में इसका बड़ा सवाब आया है।

मस'ला २०– अगर एक नमाज़ के लिए वुज़ू किया और दूसरी नमाज़ का वक़्त आ गया और वुज़ू नहीं टूटा तो दूसरी नमाज़ पढ़ना जायज़ है। अगर ताज़ा वुज़ू करे तो बहुत सवाब मिलता है।

मस'ला २१– जब एक बार वुज़ू कर लिया और वह नहीं टूटा तो जब तक उस वुज़ू से कोई इबादत न करे, उस वक़्त तक दूसरा वुज़ू करना मकरूह और मना है।

मस'ला २२– अगर किसी के हाथ या पांव फट गए हों और उसने उन में मोम, रौग़न (तेल) या और कोई दवा (औषधि) भर ली और उस के निकालने (पोंछने) से नुक़सान होगा तो उसे बिला निकाले ऊपर पानी बहा दिया तो वुज़ू ठीक है।

मस'ला २३– वुज़ू करते वक़्त ऐड़ी या बदन के किसी और हिस्से पर पानी नहीं पहुंचा और वुज़ू कर चुकने पर मालूम हुआ कि कोई

ख़ास जगह सूखी रह गई तो वहां पर हाथ फेर लेना काफी नहीं है बल्कि पानी बहाना ज़रूरी है।

मस'ला २४— अगर हाथ पैर में कोई फोड़ा या फुंसी है या और कोई ऐसी बीमारी है कि उस पर पानी डालने से नुक़सान होता है तो पानी न डाले, बल्कि भीगा हुआ हाथ फेर ले — यह मसह कहलाता है। अगर इससे भी नुकसान हो तो हाथ भी न फेरे। और उतनी जगह बग़ैर धोए छोड़ दे।

मस'ला २५— अगर ज़ख़्म (घाव) पर पट्टी बंधी हो और पट्टी खोल कर ज़ख़्म पर मसह करने से नुकसान हो या पट्टी खोलने-बांधने में बड़ी दिक़्क़त हो तो पट्टी के ऊपर मसह कर लेना ठीक है।

मस'ला २६— हड्डी के टूट जाने के वक़्त बांस की खपचियां रख कर टकठी बनाकर बांध ली जाती है। उसके लिए भी यह हुक्म (आदेश) है यानी जब तक टकठी न खुले, उसके ऊपर ही हाथ फेर लिया करे। फ़स्द (रग खोलना, गन्दा ख़ून निकालना) की पट्टी के लिए भी यह हुक्म है।

मस'ला २७— टकठी या पट्टी (दोनों में) अच्छा तो यह है कि पूरी टकठी पर मसह किया जाए। अगर पूरी टकठी पर मसह न करे बल्कि आधे से ज़्यादा पर करे तब भी जायज़ है, लेकिन आधी टकठी या उस से कम पर मसह करना जायज़ नहीं।

मस'ला २८— टकठी या पट्टी अगर खुल कर गिर पड़े और ज़ख़्म अच्छा नहीं हुआ तो उसे फिर बांध ले। अगर पहला मसह बाक़ी है तो दोबारा मसह करने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़ख़्म अच्छा हो गया और बांधने की ज़रूरत नहीं है तो मसह टूट गया। अब उतनी जगह धो कर नमाज़ पढ़े, मगर दोबारा वुज़ू करना ज़रूरी नहीं।

मस'ला २९— मस्जिद के फ़र्श पर वुज़ू करना ठीक नहीं है।

2. वुज़ू तोड़ने वाली बातें

मस'ला १– पेशाब, पाख़ाने और पेट की हवा निकलने से वुज़ू टूट जाता है। अगर आगे (पेशाब करने की इन्द्रियां) से कोई कीड़ा जैसे केंचुआ कंकरी वग़ैरा निकले तब भी वुज़ू टूट जाता है।

मस'ला २– अगर किसी के ज़ख़्म में से कोई कीड़ा निकले, या कान या जख़्म में से गोश्त का कोई हिस्सा कटकर गिरा मगर ख़ून नहीं निकला तो इससे वुज़ू नहीं टूटता।

मस'ला ३– अगर किसी ने फ़स्द ली। नक्सीर फूटी या चोट लगी और ख़ून व पीप निकले तो वुज़ू टूट गया। लेकिन अगर ख़ून या पीप ज़ख़्म के मुंह पर ही दिखाई दे और आगे न बढ़े तो वुज़ू ठीक रहा। अगर किसी के सूई चुभ गई और उस जगह से ख़ून निकला मगर बहा नहीं तो वुज़ू नहीं टूटा लेकिन अगर थोड़ा-सा भी अपनी जगह से यह बढ़ा तो वुज़ू टूट गया।

मस'ला ४– अगर किसी ने अपनी नाक में उंगली डाली और उसे बाहर निकालने पर उंगली में ख़ून का धब्बा मालूम हुआ लेकिन वह ख़ून बस इतना ही है कि उंगली में थोड़ा-सा लगा, बहा नहीं तो वुज़ू नहीं टूटा।

मस'ला ५– किसी की आंख के अन्दर कोई दाना फूट गया और उस का पानी या पीप आंख में फैल गया, मगर बाहर नहीं निकल सका तो वुज़ू नहीं टूटा। लेकिन अगर आंख से बाहर पानी या पीप निकल पड़ा तो वुज़ू टूट गया। इसी तरह अगर कान के अन्दर कोई दाना है और वह फट गया तो जब तक ख़ून या पीप उस जगह तक सूराख़ के अन्दर रहे जहां नहाते वक़्त पानी पहुंचाना फ़र्ज़ नहीं है, तब तक वुज़ू नहीं टूटता। लेकिन अगर ख़ून पीप बह कर ऐसी जगह आ जाये जहां पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है तो वुज़ू टूट जाएगा।

मस'ला ६– अगर किसी ने अपने फोड़े या छाले के ऊपर का

छिलका नोच डाला और उसके नीचे ख़ून या पीप दिखाई देने लगा लेकिन किसी तरफ़ निकलकर बह न सका तो वुज़ू ठीक रहा। लेकिन यह बह पड़ा तो वुज़ू टूट जाएगा।

मस'ला ७– किसी के फोड़े में बड़ा गहरा घाव हो गया तो जब तक ख़ून व पीप ज़ख़्म के सुराख़ के अन्दर ही अन्दर रहे, बाहर निकलकर बदन पर न आए तो वुज़ू नहीं टूटता।

मस'ला ८– अगर फोड़े-फुन्सी का ख़ून अपने आप नहीं निकला बल्कि उसे दबा कर निकाला गया और बहने लगा तब भी वुज़ू टूट जाएगा।

मस'ला ९– किसी के घाव से थोड़ा-थोड़ा पीप और ख़ून निकलने लगा और उसने उसे कपड़े से साफ़ कर लिया। थोड़ी देर बाद फिर निकला और फिर उसने साफ़ कर लिया। इस तरह कई बार ऐसा हुआ तो दिल में सोचे कि अगर ऐसा मालूम हो कि साफ़ न किया जाता तो बह पड़ता तब वुज़ू टूट जाएगा, लेकिन अगर ऐसा मालूम हो कि साफ़ न किया जाता तब भी न बहता तो वुज़ू न टूटेगा।

मस'ला १०– अगर किसी के थूक में ख़ून मालूम हुआ और थूक सफ़ेद या पीले रंग का है तो वुज़ू नहीं टूटा। लेकिन अगर थूक में ख़ून ज़्यादा निकला और उसकी रंगत सुर्ख़ है तो वुज़ू टूट गया।

मस'ला ११– अगर दांत से कोई चीज़ काटने पर ख़ून का धब्बा मालूम हुआ या दांत या दाढ़ कुरेदा और ख़िलाल (दांत कुरेदने की सींक या पतली नोकदार सलाई जिससे दांतों या दाढ़ों में फंसा कचरा निकाला जाए) में सुर्ख़ी दिखाई दी लेकिन थूक में ख़ून का रंग बिल्कुल भी मालूम नहीं हुआ तो वुज़ू नहीं टूटता।

मस'ला १२– मच्छर या खटमल के ख़ून पी लेने से वुज़ू नहीं टूटता।

मस'ला १३– अगर किसी के कान में दर्द होता है और पानी निकलता है तो यह पानी नजिस (नापाक) है। उसके निकलने से वुज़ू

टूट जाएगा। जब पानी कान के सुराख़ में से निकल कर उस जगह ख़ून आ जाए जिसका नहाते वक़्त धोना फ़र्ज़ है या अगर आंखें दुखती या खटकती हैं तब भी पानी या आंसू बहने से वुज़ू टूट जाता है। लेकिन अगर आंखें न दुखें और न उनमें कुछ खटक हो तो आंसू निकलने से वुज़ू नहीं टूटता।

मस'ला १४— अगर औरत की छाती से पानी निकलता है और दर्द भी होता है तो वह भी नापाक है, उससे वुज़ू जाता रहेगा।

मस'ला १५— अगर क़य (मतली) हुई और उसमें खाना या पानी या पित्त (कड़वा पदार्थ) निकला तो अगर मुंह भर के क़य हुई तो वुज़ू टूट गया। अगर मुंह भर क़य नहीं हुई तो वुज़ू नहीं टूटा। मुंह भरकर मतली होने का यह मतलब है कि पेट की गंदगी मुश्किल से मुंह में रुके। अगर मतली में निरा बल्ग़म निकला तो वुज़ू नहीं गया चाहे वह कितना ही हो। अगर मतली में ख़ून निकले और वह पतला हो और बहता हुआ हो तो वुज़ू टूट जाएगा। अगर जमा हुआ टुकड़ा गिरे और मुंह भर कर हो तो भी वुज़ू टूट जाएगा लेकिन अगर कम हो तो न टूटेगा।

मस'ला १६— अगर थोड़ी-थोड़ी मतली कई बार हो लेकिन कुल मिलाकर इतनी हो कि अगर एक बार होती तो मुंह भर जाता तो अगर एक ही मतली बराबर बाकी रही तो वुज़ू टूट गया। और अगर एक ही मतली बराबर नहीं रही तो वुज़ू नहीं टूटता।

मस'ला १७— अगर किसी की लेटे-लेटे आंख लग गई या किसी चीज़ से टेक लगाकर बैठे-बैठे नींद आ गई और ग़फ़लत हो गई कि अगर वह टेक न होती तो गिर पड़ता तो वुज़ू जाता रहा और अगर नमाज़ में बैठे-बैठे या खड़े-खड़े सो गया तो वुज़ू नहीं गया, अगर सज्दे में सोजाए तो वुज़ू टूट जाएगा

मस'ला १८— अगर कोई नमाज़ से बाहर बैठे-बैठे सोए और अपना चूतड़ एड़ी से दबा ले लेकिन दीवार या किसी चीज़ से टेक न लगाए तो वुज़ू नहीं टूटता।

मस'ला १९— बैठे-बैठे नींद का ऐसा झोंका आया कि गिर पड़ा तो अगर गिर कर उसी वक़्त आंख खुल गई तो वुज़ू नहीं गया। लेकिन गिरने के थोड़ी देर बाद आंख खुली तो वुज़ू जाता रहा। अगर बैठा-बैठा झूमता रहा, गिरा नहीं, तब भी वुज़ू नहीं गया।

मस'ला २०— अगर बेहोशी हो गई या जुनून (पागलपन) से अक़्ल (बुद्धि, मति) जाती रही तो वुज़ू टूट गया, चाहे बेहोशी और जुनून थोड़ी ही देर रहे। ऐसे ही अगर तम्बाकू या कोई नशीली चीज़ खा ली और इतना नशा हो गया कि अच्छी तरह चला नहीं गया और क़दम-क़दम पर इधर-उधर भटका व डगमगाया तब भी वुज़ू जाता रहा।

मस'ला २१— अगर नमाज़ में इतने ज़ोर से हंसी निकली कि ख़ुद उसने और आस-पास वालों ने भी सुन ली, उससे भी वुज़ू टूट गया और नमाज़ भी टूट गई लेकिन अगर ऐसा हो कि हँसी की आवाज़ ख़ुद सुन ले, पास वाले सब न सुन सकें, मगर बहुत ही पास वाला कोई सुन ले तो नमाज़ टूट जाएगी वुज़ू नहीं टूटेगा। अगर हँसी में दांत खुले, आवाज़ न निकली तो न वुज़ू टूटा और न नमाज़ ही गई।

मस'ला २२— हाथ लगाने या ख़्याल करने से आगे की जगह (लिंग) से पानी आ जाए तो वुज़ू टूट जाता है। उस पानी को 'वदी' कहते हैं।

मस'ला २३— अगर बीमारी की वजह से आगे की तरफ़ से जो लेसदार पानी आता है, नापाक है तो उसके निकलने से वुज़ू टूट जाता है।

मस'ला २४— पेशाब या 'वदी' का क़तरा सुराख़ से बाहर निकला, लेकिन अभी ऊपर वाली खाल में ही है, तब भी वुज़ू नहीं गया।

मस'ला २५— मर्द की पेशाब की जगह (लिंग) से जब औरत की पेशाब की जगह मिल जाए और कोई कपड़ा आड़ में न हो तो वुज़ू टूट जाता है। ऐसे ही अगर दो औरतें आपस में अपनी शर्मगाहें मिलायें तब भी वुज़ू टूट जाता है।

मस'ला २६— मनी (वीर्य) अगर बग़ैर शहवत (उत्तेजना) ख़ारिज हो तो वुज़ू टूट जाएगा। जैसे किसी ऊंची जगह से गिरे और मनी निकल पड़े।

मस'ला २७— वुज़ू के बाद नाख़ुन कटाए या घाव के ऊपर की मुर्दा खाल नोच डाली तो वुज़ू नहीं टूटा।

मस'ला २८— वुज़ू के बाद किसी का सतर (छुपा हुआ भाग) देख लिया या अपना सतर खुल गया या नंगे होकर नहाया और नंगे ही नंगे वुज़ू किया तो उसका वुज़ू ठीक है, दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है।

मस'ला २९— जिस चीज के निकलने से वुज़ू टूट जाता है, वह नापाक होती है और जिससे वुज़ू नहीं टूटता वह नापाक नहीं। तो अगर ज़रा-सा ख़ून निकला कि ज़ख़्म के मुंह से बहा नहीं या ज़रा-सी मतली हुई, मुंह भरकर नहीं हुई तो यह ख़ून और मतली नापाक नहीं है अगर यह कपड़े या बदन में लग जाए तो इसका धोना वाजिब नहीं लेकिन अगर मुंह भर कर मतली हुई या ख़ून घाव से बह गया तो वह नापाक है। उसका धोना वाजिब है अगर इतनी मतली करके कटोरे या लोटे को मुंह लगा कर कुल्ली के लिए पानी लिया तो वह बर्तन नापाक हो जाएगा, इसलिए चुल्लू से पानी लेना चाहिए।

मस'ला ३०— छोटा लड़का जो दूध डालता है उसके लिए भी यह हुक्म है। अगर मुंह भरकर न हो तो यह नापाक नहीं हैं, मगर जब मुंह भरकर हो तो नापाक है। अगर औरत उसके धोए बग़ैर नमाज़ पढ़े तो नमाज़ नहीं होगी।

मस'ला ३१— अगर वुज़ू करना याद है, लेकिन वुज़ू टूटना अच्छी तरह याद नहीं तो वुज़ू बाक़ी समझा जाएगा। इससे नमाज़ ठीक है, लेकिन दोबारा वुज़ू कर लेना अच्छा है।

मस'ला ३२— किसी को वुज़ू करने में शक हुआ है कि कोई हिस्सा धोया या नहीं तो वह हिस्सा फिर धो लेना चाहिए। अगर वुज़ू

कर चुकने के बाद शक हुआ तो कुछ परवाह न करे; वुज़ू हो गया। लेकिन अगर यह यक़ीन हो जाए कि कोई चीज़ धुलने से रह गई तो वुज़ू नहीं है, उसे कर ले।

मस'ला ३३– जनाज़े की नमाज़ और तिलावत (कुरआन शरीफ़ पढ़ना) के सज्दे में कहकहा लगाने से वुज़ू नहीं जाता – चाहे बालिग़ हो या नाबालिग।

मस'ला ३४– बिना वुज़ू किए क़ुरआन मजीद का छूना ठीक नहीं है। हां अगर ऐसे कपड़े से छूए जो बदन से अलग है तो ठीक है। कुर्ते के दामन से जब कि उसे पहने हुए हो छूना ठीक नहीं। अगर कलाम मजीद खुला हुआ रखा है और उसे देख-देखकर पढ़ा मगर हाथ न लगाया तो यह भी ठीक है। इसी तरह बग़ैर वुज़ू ऐसे तावीज़ और तश्तरी का छूना भी ठीक नहीं है, जिसमें क़ुरआन की आयतें लिखी हों।

3. मजबूरियां

जिस किसी को ऐसी नक्सीर फूटी कि किसी तरह बन्द नहीं हुई या कोई ऐसा घाव है कि वह बराबर रिसता रहा या किसी को पेशाब की बीमारी है तो ऐसे आदमी को मा'ज़ूर कहते हैं। उसके लिए यह हुक्म है कि वह हर नमाज़ के वक़्त वुज़ू किया करे जब तक वक़्त रहेगा तब तब उसका वुज़ू बाकी रहेगा। इसकी मिसाल यह है कि किसी की ऐसी नक्सीर फूटी कि किसी तरह बन्द नहीं होती और उसने ज़ुह्र (दोपहर के बाद वाली नमाज) के वक़्त वुज़ू कर लिया तो जब तक ज़ुह्र का वक़्त रहेगा, उसका वुज़ू न टूटेगा। जब यह वक़्त चला गया और दूसरी नमाज़ का वक़्त आ गया तो अब दूसरे वक़्त दूसरा वुज़ू करना चाहिए। इसी तरह हर नमाज़ के वक़्त वुज़ू कर लिया करे और उस वुज़ू से फ़र्ज़, नफ़्ल जो भी नमाज़ चाहे पढ़ी जा सकती है।

मस'ला १– अगर फज्र (सुबह प्रातःकाल) के वक़्त वुज़ू किया तो आफ़ताब (सूर्य) निकलने के बाद उस वुज़ू से नमाज़ नहीं पढ़ सकता। दूसरा वुज़ू करना चाहिए और जब सूर्य निक़लने के बाद वुज़ू से ज़ुह्र की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त (ठीक) है, तब नया वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। जब अस्र (तीसरा पहर) का वक़्त आयेगा तब नया वुज़ू करना पड़ेगा।

मस'ला २– किसी को ऐसा ज़ख़्म था जो हर वक़्त बहता रहता था उसने वुज़ू किया फिर दूसरा घाव पैदा हो गया और बहने लगा तो वुज़ू टूट गया अब फिर से वुज़ू करना चाहिए।

मस'ला ३– आदमी उस वक़्त मा'ज़ूर बनता है और यह हुक्म उस वक़्त लगता है जब पूरी एक नमाज़ का वक़्त इसी तरह गुज़र जाए कि खून बराबर बहा करे और इतना भी वक़्त न मिले कि उस वक़्त की नमाज़ पाकी से पढ़ सके। अगर इतना वक़्त मिल गया कि उसमें तहारत (पाकी, पवित्रता) से नमाज़ पढ़ सकता है तो उसे मा'ज़ूर न कहा जाएगा। हां, जब पूरा एक वक़्त इसी तरह गुज़र गया। इसके लिए वही हुक्म है कि हर वक़्त नया वुज़ू किया करे फिर जब दूसरा वक़्त आये तो उसमें हर वक़्त ख़ून बहना शर्त नहीं है बल्कि पूरे वक़्त में अगर एक बार भी ख़ून आ जाया करे और सारे वक़्त बन्द रहे तब भी मा'ज़ूर रहेगा। हां, इसके बाद अगर एक पूरा वक़्त ऐसा गुज़र जाये जिसमें ख़ून बिल्कुल न आये तो अब मा'ज़ूर नहीं रहा। अब उसके लिए यह हुक्म है कि जितनी बार ख़ून निकले, वुज़ू टूट जायेगा।

मस'ला ४– ज़ुह्र का कुछ वक़्त हुआ था कि घाव का ख़ून बहने लगा तो आख़िर वक़्त तक इन्तज़ार करे, अगर बन्द हो जाए तो ठीक नहीं तो वुज़ू करके नमाज़ पढ़ ले। फिर अगर अस्र के पूरे वक़्त में इसी तरह ख़ून बहा कि नमाज़ पढ़ने की मोहलत नहीं मिली तो अब अस्र का वक़्त गुज़रने के बाद मा'ज़ूर होने का हुक्म लग जायेगा। और अगर अस्र के वक़्त में पढ़ी जा चुकी, वे दुरुस्त नहीं रहीं; उन्हें फिर से पढ़ना चाहिए।

मस'ला ५— ऐसे मा'ज़ूर ने पेशाब या पाख़ाने की वजह से वुज़ू किया और जिस वक़्त वुज़ू किया, उस वक़्त ख़ून बन्द था, मगर जब वुज़ू कर चुका तो ख़ून आया तो उस ख़ून के निकलने से वुज़ू टूट जायेगा, लेकिन जो वुज़ू नक्सीर के सबब से किया है, ख़ास वह वुज़ू नक्सीर की वजह से नहीं टूटा।

मस'ला ६— अगर नक्सीर का ख़ून कपड़े में लग जाये तो इसमें यह देखना चाहिए कि अगर वह नमाज़ ख़त्म करने से पहले ही लग जाये तो उसका धोना वाजिब नहीं है लेकिन अगर यह मालूम हो कि इतनी जल्द न भरेगा बल्कि नमाज़ तहारत से अदा हो जाएगी तो धो डालना वाजिब है। अगर वह ख़ून एक रुपये से बढ़ जाये तो बिना धोये नमाज़ नहीं हो सकती।

4. गुस्ल (स्नान करना)

मस'ला १— गुस्ल करने वाले को चाहिए कि वह पहले पहुचों तक दोनों हाथ धोये फिर इस्तिंजे की जगह धोये। फिर जहां बदन पर नेजासत (गन्दगी) लगी हो पाक करे, फिर वुज़ू करे। अगर किसी चौकी या पत्थर पर गुस्ल करता हो तो वुज़ू करते वक़्त पैर भी धो ले। और अगर ऐसी जगह हो कि पैर भर जायेंगे और नहाने के बाद फिर धोने पड़ेंगे तो पूरा वुज़ू करे मगर पैर न धोये। फिर वुज़ू के बाद अपने सर पर इस तरह पानी डाले कि पूरे बदन पर पानी बह जाये। फिर उस जगह से हटकर पाक जगह में आये फिर पैर धोये। अगर वुज़ू के वक़्त पैर धो लिए हों तो अब धोने की हाजत (आवश्यकता) नहीं।

मस'ला २— पहले सारे बदन पर अच्छी तरह हाथ फेर ले, तब पानी बहाए ताकि सब जगह पानी अच्छी तरह पहुंच जाये कि कहीं सूखा न रहे।

मस'ला ३— गुस्ल करते वक़्त किबले की तरफ मुंह न करे और

पानी बहुत ज़्यादा न बहाये। न बहुत कम ले कि अच्छी तरह गुस्ल भी न कर सके और ऐसी जगह गुस्ल करे कि उसे कोई न देखे और गुस्ल करते वक़्त बातें न करे। गुस्ल के बाद किसी कपड़े से अपना बदन साफ़ कर डाले और बदन ढकने में बहुत जल्दी न करे।

मस'ला ४– गुस्ल का जो तरीक़ा यहां ब्यान किया गया है, यह सुन्नत के हिसाब से है। इसमें कुछ बातें फ़र्ज़ हैं और कुछ सुन्नत हैं। फ़र्ज़ कुल तीन बात हैं : १ कुल्ली इस तरह करना कि पूरे मुंह में पानी पहुंच जाये, २ नाक में पानी डालना जहां तक नाक नर्म है, ३ पूरे बदन पर पानी पहुंचाना।

मस'ला ५– अगर अकेली जगह हो जहां कोई देख न पाये तो नंगे होकर नहाना भी ठीक है – चाहे खड़े होकर नहाया जाये, या बैठकर। चाहे गुस्लखाने की छत बन्द हो या खुली हुई, लेकिन बैठकर नहाना बेहतर है। नाफ़ से घुटने के नीचे तक किसी के सामने बदन खोलना गुनाह है। अक्सर औरतें दूसरी औरत के सामने बिल्कुल नंगी हो कर नहाती हैं यह बड़ी बुरी और बेशर्मी की बात है।

मस'ला ६– जब पूरे बदन पर पानी पड़ जाये और कुल्ली करे और नाक में पानी डाल ले तो गुस्ल हो जाएगा – चाहे गुस्ल करने का इरादा हो या न हो। अगर पानी बरसने में ठंढ की वजह से खड़ा हो गया, या हौज़ वग़ैरा में गिर पड़ा और सब बदन भीग गया और कुल्ली भी कर ली और नाक में पानी भी डाल लिया तो गुस्ल हो गया। नहाते वक़्त कलिमा या और कोई दुआ न पढ़ना अच्छा है।

मस'ला ७– अगर बदन में बाल बराबर भी सूखी कोई जगह रह गई तो गुस्ल न होगा। इसी तरह अगर गुस्ल करते वक़्त कुल्ली करना भूल गया या नाक में पानी नहीं डाला तब भी गुस्ल नहीं हुआ।

मस'ला ८– अगर गुस्ल के बाद याद आये कि कोई जगह सूखी रह गई थी तो दोबारा नहाना वाजिब नहीं बल्कि जहां सूखा रह गया था, उस को धो ले और अगर कुल्ली करना भूल गया हो तो अब कर ले। अगर नाक में पानी न डाला हो तो अब डाल ले। ग़र्ज़ यह है कि

जो चीज़ रह गई हो अब उसे पूरा कर ले, नये सिरे से गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं।

मस'ला ९— अगर किसी औरत को बीमारी की वजह से सर पर पानी डालने से नुक़सान हो और वह सर को छोड़ कर पूरा बदन धो ले तो उसका गुस्ल हो गया, लेकिन जब वह अच्छी हो जाए तो अपना सर धो ले दोबारा नहाने की ज़रूरत नहीं है।

मस'ला १0— पेशाब की जगह आगे की खाल के अन्दर पानी पहुंचाना गुस्ल में फ़र्ज़ है। अगर पानी न पहुंचा तो गुस्ल न होगा।

मस'ला ११— अगर औरत के सर के बाल गुंथे हुए न हों तो सब बाल भिगोना और सारी जड़ों में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, अगर एक भी बाल सूखा रह गया या एक बाल की जड़ में पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल न होगा। अगर बाल गुथे हुए हैं तो बाल का भिगोना माफ़ है, मगर सब जड़ों में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, यहां तक कि एक जड़ भी सूखी न रहे। अगर बाल बिना खोले सब जड़ों में पानी न पहुंच सके तो खोल दिया जाये, और बालों को भिगो दिया जाये।

मस'ला १२— औरत को चाहिए कि नथ, बालियों और अंगूठी छल्लों को खूब हिला ले ताकि पानी सुराख़ों में पहुंच जाये। अगर बालियां न पहनी हों तब भी सुराख़ों में पानी ज़रूर डाला जाये। ऐसा न हो कि पानी न पहुंचे और गुस्ल ठीक न हो।

मस'ला १३— अगर नाख़ुन में आटा लग कर सूख गया और उसके नीचे पानी न पहुंचा तो गुस्ल नहीं हुआ। जब याद आये और आटा देखे तो छुटा कर पानी डाल ले और अगर उससे पहले कोई नमाज़ पढ़ ली तो उसे फिर पढ़े।

मस'ला १४— अगर हाथ-पैर फट गये और उनमें मोम, रौग़न या कोई और दवा भर ली तो उसके ऊपर से पानी बहाना ठीक है।

मस'ला १५— कान और नाक में भी ज़रूरी तौर पर पानी पहुंचाना चाहिए, अगर पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल न होगा।

मस'ला १६— अगर नहाते वक़्त कुल्ली न की लेकिन मुंह भर कर इस तरह पानी लिया कि वह सारे मुंह में पहुंच गया, तब भी गुस्ल हो गया। अगर इस तरह पानी पिये कि पानी पूरे मुंह में न पहुंचे तो यह पीना काफ़ी नहीं। कुल्ली कर लेनी चाहिए।

मस'ला १७— अगर सर के बालों या हाथ-पैरों में तेल लगा हुआ है और बदन पर पानी अच्छी तरह नहीं ठहरता बल्कि पड़ते ही ढलक जाता है तो इसकी कोई बात नहीं है, गुस्ल हो जायेगा।

मस'ला १८— माथे पर अफ्शां चुनी है या बालों में इतना गोंद लगा है कि बाल अच्छी तरह न भीग सके तो गोंद छुड़ा दे और अफ्शां पोंछ डाले। अगर गोंद के नीचे पानी न पहुंचा और ऊपर ही ऊपर बह गया तो गुस्ल न होगा।

मस'ला १९— अगर किसी औरत ने दांतों में मिस्सी की धड़ी जमाई है तो उसे छुड़ा कर कुल्ली करे, वरना गुस्ल न होगा।

मस'ला २०— किसी की आंखों के दुखने से ख़ूब कीचड़ निकली और वह इस तरह सूख गयी कि अगर उसे न छुड़ाया तो उसके नीचे आंख के कोए पर पानी न पहुंचेगा तो उसका छुड़ाना वाजिब है और उसे छुड़ाए बग़ैर न वुज़ू दुरुस्त है और न गुस्ल।

मस'ला २१— जिस किसी पर नहाना वाजिब है, अगर वह नहाने से पहले कुछ खाना-पीना चाहे तो पहले अपने हाथ और मुंह धो ले और कुल्ली कर ले, तब खाये।

5. ग़ुस्ल कैसे वाजिब होता है ?

मस'ला १— सोते या जागते जब जवानी के जोश में मनी निकल पड़े तो ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे वह किसी तरह निकले।

मस'ला २— जब मर्द के पेशाब की जगह की सुपारी औरत के

पेशाब की जगह में चली जाये और छुप जाये तब भी ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है चाहे मनी निकले या न निकले। अगर सुपारी आगे की जगह में गई हो या पीछे की जगह में गई तब भी ग़ुस्ल वाजिब है लेकिन मर्द और औरत – किसी की पीछे की जगह में करना या कराना बड़ा गुनाह है।

मस'ला ३– अगर आँख खुली और कपड़े या बदन पर मनी लगी देखी तो ग़ुस्ल करना वाजिब है। चाहे सोते में कोई ख़्वाब देखा हो या न देखा हो, लेकिन मज़ी निकलने से ग़ुस्ल वाजिब नहीं होता वुज़ू टूट जाता है।

मस'ला ४– जब हैज़ (मासिक धर्म) का ख़ून बन्द हो जाये तो ग़ुस्ल करना वाजिब है और निफ़ास (औरत की ज़च्चागिरी का ख़ून) बन्द होने पर भी ग़ुस्ल करना वाजिब है। मतलब यह है कि चार बातों से ग़ुस्ल वाजिब होता है (१) जोश से मनी निकलना, (२) सुपारी का अन्दर चला जाना, (३) हैज़ (४) निफ़ास के ख़ून का बन्द हो जाना।

मस'ला ५– अगर किसी मर्द ने नाबालिग़ (कम उम्र) लड़की से सोहबत (सम्भोग) की तो उस पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं लेकिन आदत डालने के लिए उस लड़की से ग़ुस्ल कराना चाहिए।

मस'ला ६– नींद में सोहबत करने का ख़्वाब देखा और मज़ा भी आया लेकिन आंख खुलने पर देखा तो मनी नहीं निकली तो उस पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं है, लेकिन अगर मनी निकल गई तो ग़ुस्ल वाजिब है अगर बदन या कपड़े पर कुछ भीगा मालूम हो तब भी ग़ुस्ल करना वाजिब है।

मस'ला ७– बीमारी या किसी और वजह से आप ही आप मनी निकल आई मगर जोश और ख़्वाहिश बिल्कुल नहीं थीं तो ग़ुस्ल वाजिब नहीं हुआ मगर वुज़ू ज़रूर टूट जायेगा।

मस'ला ८– मियां-बीवी दोनों एक पलंग पर सोये और जब उठे तो चादर पर मनी का धब्बा देखा। मगर सोते हुए ख़्वाब का देखना

न मर्द को याद रहा और न औरत को। ऐसी हालत में दोनों को नहा लेना चाहिए।

मस'ला ९– अगर किसी का ख़तना (मुसलमानी) न हुआ हो और उसकी मनी उसकी पेशाब की जगह से बाहर निकल कर उसकी उस खाल के अन्दर रह जाये जो ख़तना में काट दी जाती है तो उस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा।

मस'ला १०– अगर कोई मर्द अपनी पेशाब की जगह को कपड़े से लपेट कर औरत की पेशाब की जगह में दाखिल करे तो अगर जिस्म को हरारत (गर्मी) महसूस हो तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जायेगा।

मस'ला ११– अगर कोई काफ़िर इस्लाम लाये और उससे पहले उसे एहतलाम (स्वप्न दोष) हुआ हो उस पर मुसलमान हो जाने पर नहाना वाजिब है।

मस'ला १२– अगर कोई १५ बरस की उम्र से पहले ही बालिग़ हो जाये और उसे पहली बार एहतलाम हो तो उस पर ग़ुस्ल वाजिब है। उसके बाद जो एहतलाम हो या १५ बरस की उम्र के बाद एहतलाम हो तो उस पर भी ग़ुस्ल वाजिब है।

मस'ला १३ – मुसलमान मर्द की लाश को नहलाना मुसलमानों पर बहुत ही ज़रूरी है।

6. ग़ुस्ल कब फ़र्ज़ नहीं होता ?

मस'ला १– मनी अगर अपनी जगह से शहवत से सबब जुदा न हो लेकिन बाहर निकल आए तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा, जैसे कोई ऊंचाई से गिर पड़ा और उस झटके से उसकी मनी बग़ैर शहवत के निकल आई तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं।

मस'ला २— अगर कोई मर्द किसी कम्सिन (कम उम्र) औरत के साथ हम बिस्तरी (सम्भोग) करे और मनी न गिरे तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा।

मस'ला ३— अगर कोई मर्द अपने पेशाब की जगह की सुपारी के अगले हिस्से से भी कम उम्र औरत के पेशाब की जगह में दाख़िल करे तब भी ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा।

मस'ला ४— मज़ी और वदी के निकलने से ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता।

मस'ला ५— इस्तिहाज़ा (औरत के मासिक धर्म से निवृत होने के बाद ख़ून का धब्बा आना) से ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता।

मस'ला ६— अगर किसी को मनी निकलते रहने का रोग हो तो उस मनी के निकलने से ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा।

मस'ला ७— हकना (सम्भोग-क्रिया) के मिले-जुले हिस्से में दाख़िल होने से ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता।

मस'ला ८— अगर कोई मर्द अपने पेशाब की जगह किसी औरत या मर्द की नाफ़ (पेट, नाभि) में दाख़िल करे और मनी न निकले तो उस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा।

मस'ला ९— कोई शख़्स ख़्वाब में अपनी मनी गिरते देखे और उसके गिरने से लज़्ज़त (मज़ा) महसूस हो मगर कपड़ों पर तरी (भीगापन) और असर (लक्षण) मालूम न हो तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा।

7. जब ग़ुस्ल करना सुन्नत होता है

(रसूलुल्लाह सल्ल० जो काम किया करते थे उसे सुन्नत कहा जाता है)

मस'ला १– जुमे के दिन फज्र की नमाज़ के बाद से जुमे तक उन लोगों को ग़ुस्ल करना सुन्नत है, जिन पर जुमे की नमाज़ पढ़ना वाजिब है।

मस'ला २– ईद (ईदुल फित्र) और बकरईद (ईदुज़्ज़ुहा) के दिन फज्र के बाद उन लोगों का गुस्ल करना सुन्नत है जिन पर दोनों ईदों की नमाज़ पढ़ना वाजिब है।

मस'ला ३– हज या उमरा (साल के किसी भी हिस्से) में काबे का तवाफ़ (चक्कर) कर के एहराम (बग़ैर सिला कपड़ा, चादर) के लिए गुस्ल करना सुन्नत है।

मस'ला ४– हज करने वाले को अरफ़ा (हज का दिन) के दिन ज़वाल (घटना कम होना, बारह बजे के बाद सूर्य की अवस्था) के बाद गुस्ल करना सुन्नत है।

8. ग़ुस्ल कब मुस्तहब होता है ?

मस'ला १– इस्लाम लाने के लिए ग़ुस्ल करना मुस्तहब है, मगर वह एहतलाम (हदसे अकबर) से पाक हो।

मस'ला २– कोई मर्द या औरत जब पन्द्रहवें बरस की उम्र को पहुंचे और उस वक़्त तक जवानी की कोई निशानी न पाई जाए तो उसे गुस्ल करना मुस्तहब है।

मस'ला ३– मुर्दे को नहलाने के बाद उसे नहलाने वाले आदमी का नहाना मुस्तहब है।

मस'ला ४– शबे बरात यानी शा'बान के महीने की १५ वीं रात को ग़ुस्ल करना मुस्तहब है।

मस'ला ५– मदीना मुनव्वरा में दाख़िल होने के लिए ग़ुस्ल करना

मुस्तहब है।

मस'ला ६– मुज़दल्फ़ा (मक्का मुअज़्ज़मा का एक स्थान) में ठहरने के लिए १0 वीं तारीख की सुबह (ईदुल अज़हा) को सूरज निकलने से पहले गुस्ल करना मुस्तहब है।

मस'ला ७– रसूलुल्लाह सल्ल0 की ज़ियारत (मुलाकात, साक्षात्कार) के तवाफ (चक्कर काटना) के लिए गुस्ल मुस्तहब है।

मस'ला ८– हज में कंकरी फेंकने के वक़्त गुस्ल करना मुस्तहब है।

मस'ला ९– नमाज़े कुसूफ (सूर्य ग्रहण के वक़्त की नमाज) खुसूफ (चन्द्र ग्रहण के वक़्त की नमाज़) और इस्तिस्का (वर्षा के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज़) के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है।

मस'ला १0– खौफ और मुसीबत की नमाज़ के लिए गुस्ल मुस्तहब है।

मस'ला ११– सफर से वापस आने के बाद गुस्ल मुस्तहब है।

मस'ला १२– किसी मज्लिस में जाने और नए कपड़े पहनने के लिए गुस्ल मुस्तहब है।

मस'ला १३– जिस किसी पर नहाना वाजिब है, अगर वह नहाने से पहले कुछ खाना-पीना चाहे तो पहले अपने हाथ और मुंह धो ले, फिर कुल्ली करे तब खाए-पीए। अगर बिना हाथ मुंह धोए खाया-पीया तब भी कोई गुनाह नहीं है।

9. वुज़ू और ग़ुस्ल का पानी

मस'ला १– आसमान से बरसे हुए पानी, नदी, नाले, चश्मे, कुंए, तालाब और दरियाओं के पानी से वुज़ू और गुस्ल करना दुरुस्त

है, चाहे वह पानी मीठा हो या खारा हो।

मस'ला २– किसी पेड़, फल या पत्तों से निचोड़े हुए अर्क से वुज़ू करना ठीक नहीं। इसी तरह तरबूज़ के पानी और गन्ने के रस से वुज़ू ठीक नहीं है।

मस'ला ३– जिस पानी में कोई चीज़ मिल गई या पानी में कुछ पकाया गया और वह पानी न होकर और कुछ हो गया तो उससे वुज़ू और गुस्ल ठीक नहीं है। जैसे: शर्बत, शीरा, शराब, सिरका, गुलाब व अर्क़ गावज़बां।

मस'ला ४– जिस पानी में कोई पाक चीज़ पड़ गई और पानी के मज़े या रंग में कुछ फ़र्क आ गया, लेकिन वह चीज़ पानी में पकाई न गई, न पानी के पतलेपन में कोई फ़र्क आया जैसे बहते हुए पानी में कुछ रेत मिली होती है या पानी में जाफ़रान पड़ गया और उसका बहुत हल्का-सा रंग आ गया या उसमें साबुन पड़ गया तो वुज़ू और गुस्ल दोनों दुरुस्त हैं।

मस'ला ५– अगर कोई चीज़ पानी में डालकर पकाई गई, मगर उससे रंग या मज़ा नहीं बदलता तो उस पानी से वुज़ू नहीं करना चाहिए – हां! अगर कोई ऐसी चीज़ पकाई गई जिससे मैल-कुचैल ख़ूब साफ़ हो जाता है और उसके पकाने से पानी गाढ़ा न हुआ हो तो उससे वुज़ू ठीक है। जैसे: मुर्दे को नहलाने के लिए बेरी के पत्ते पकाए जाते हैं तो इसमें कुछ हर्ज नहीं अलबत्ता अगर इतने ज़्यादा डाल दें कि पानी गाढ़ा हो जाए तो वुज़ू और गुस्ल ठीक नहीं।

मस'ला ६– कपड़ा रंगने के लिए जाफ़रान या पुड़िया घोले गए तो उस पानी से वुज़ू ठीक नहीं है।

मस'ला ७– अगर पानी में दूध मिल गया और दूध का रंग पानी में अच्छी तरह आ गया तो वुज़ू ठीक नहीं। लेकिन अगर दूध कम था तो वुज़ू कर लेना चाहिए।

मस'ला ८– अगर जंगल में कहीं थोड़ा-सा पानी मिला तो जब

तक उसकी .नेजासत का यक़ीन न हो जाए तब तक उससे वुज़ू करे और इस ख़्याल से न छोड़ दे कि शायद वह नजिस है। मगर उसके होते हुए तयम्मुम (पानी के बजाय मिट्टी का प्रयोग करना) न होगा।

मस'ला ९– किसी कुंए या तालाब में पेड़ के पत्ते गिर पड़ें और पानी में बदबू आने लगी, साथ ही रंग और मज़ा भी बदल गया तब भी उससे वुज़ू ठीक है यहां तक कि पानी उसी तरह पतला बाक़ी रहे।

मस'ला १0– जिस पानी में .नेजासत पड़ जाए उससे वुज़ू और ग़ुस्ल ठीक नहीं। चाहे वह गन्दगी थोड़ी हो या बहुत हो। हां! अगर यह बहता हुआ पानी हो तो वह नेजासत के पड़ने से नापाक नहीं होता जब तक उसके रंग, मज़े या बू में फ़र्क़ न आए। अगर फ़र्क़ आ गया तो बहता हुआ पानी भी नापाक हो जाएगा। जो पानी घास, तिनके पत्ते वग़ैरा को बहा ले जाए वही बहता हुआ पानी है, चाहे वह कितनी ही आहिस्ता-आहिस्ता क्यों न बहता हो।

मस'ला ११– बड़ा भारी हौज़ जो दस हाथ लम्बा, दस हाथ चौड़ा और इतना गहरा हो कि अगर चुल्लू से पानी उठायें तो ज़मीन न खुले वह भी बहते हुए पानी की तरह है। ऐसे हौज़ को दहदर्दह (दस हाथ लम्बा, दस हाथ चौड़ा, दस हाथ गहरा) कहा जाता है। मगर इसमें ऐसी कोई नेजासत पड़ जाए जो दिखाई न दे, जैसे पेशाब, ख़ून या शराब, तो चारों तरफ़ वुज़ू करना ठीक है, लेकिन अगर नेजासत दिखाई देती है तो जिधर वह दिखाई दे, उधर वुज़ू न करे। हां अगर इतने बड़े हौज़ में इतनी गंदगी पड़ जाए कि पानी का रंग या मज़ा बदल जाए या उसमें बू आने लगे तो वह नापाक हो जायेगा।

मस'ला १२– अगर बीस हाथ लम्बा, पांच हाथ चौड़ा या पच्चीस हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ा हो तो ऐसा हौज़ भी दहदर्दह की तरह है।

मस'ला १३– अगर पानी धीरे-धीरे बहता हो तो बहुत जल्दी वुज़ू

न करे ताकि जो धोवन गिरता है वही हाथ में न आ जाए।

मस'ला १४— दहदर्दह हौज़ में जहां पर धोवन गिरा है, अगर वहीं से पानी फिर उठा ले तो जायज़ है।

मस'ला १५— अगर कोई काफिर लड़का या बच्चा पानी में हाथ डाल दे तो पानी नापाक नहीं होता। लेकिन अगर यह मालूम हो जाये कि उसके हाथ में नजासत लगी थी तो नापाक हो जायेगा। चूँकि छोटे बच्चों का एतबार (विश्वास) नहीं इसलिए उनके हाथ डाले हुए पानी से वुज़ू न करना ही अच्छा है।

मस'ला १६— जिस पानी में मच्छर, मक्खी, भिड़, ततैया, बिच्छू, शहद की मक्खी या ऐसा जानवर जिसके बहता हुआ ख़ून नहीं होता या वह बाहर मर कर पानी में गिर पड़े तो इस तरह पानी नापाक नहीं होता।

मस'ला १७— जिसकी पैदाइश (उत्पत्ति) पानी की हो और वह हर दम पानी में ही रहे तो उसके मर जाने से भी पानी ख़राब नहीं होता जैसे मछली, मेंढक, कछुआ, केकड़ा।

मस'ला १८— जो जानवर पानी में रहे मगर उनकी पैदाइश पानी से बाहर की हो तो उनके मर जाने से पानी ख़राब व नापाक हो जाता है।

मस'ला १९— धूप में गर्म हुए पानी से सफ़ेद दाग़ हो जाने का डर रहता है। इसलिए ऐसे पानी से वुज़ू और ग़ुस्ल नहीं करना चाहिए।

मस'ला २०— मुर्दार की खाल को जब धूप में सुखा लिया जाए या कुछ दवा मसाला लगाकर ठीक कर लिया जाये तो वह पाक हो जाती है। उस पर नमाज़ पढ़ना ठीक है और उसी की मशक बनाकर पानी भी रखना ठीक है। लेकिन सूअर की खाल कभी भी पाक नहीं होती और आदमी की खाल से काम लेना और उसे बरतना बहुत गुनाह है।

मस'ला २१— कुत्ता, बन्दर, बिल्ली, शेर जैसे जानवरों की खाल बनाने से पाक हो जाती है। बिस्मिल्लाह कहकर ज़बह करने से भी खाल पाक हो जाती है — चाहे वह बनाई हुई हो या न बनाई हुई हो। लेकिन ज़बह करने से उसका गोश्त पाक नहीं हो जाता उसे खाना ठीक नहीं।

मस'ला २२— मुर्दार के बाल, सींग, हड्डी और दांत — सब चीज़ें पाक हैं अगर ये पानी में पड़ जायें तो पानी नापाक नहीं होता लेकिन अगर हड्डी और दांत पर कुछ चिकनाई या गोश्त लगा हो तो वह नापाक है और उससे पानी भी नापाक हो जायेगा।

मस'ला २३— आदमी की भी हड्डी और बाल पाक हैं लेकिन उन्हें बरतना और काम में लाना जायज़ नहीं बल्कि किसी जगह उन्हें दफन कर देना चाहिए।

10. पानी का इस्तेमाल कब और कैसे ?

ऐसे नापाक पानी का बरतना जिसकी तीनों ख़ूबियां — मज़ा, बू और रंग गन्दगी की वजह से बदल गई हों किसी भी तरह ठीक नहीं। न उसे जानवरों को ही पिलाना चाहिए, न मिट्टी में डालकर गारा ही बनाया जाए।

मस'ला १— दरिया, नदी और वह तालाब जो किसी की ज़मीन में न हो और जिसे बनाने के बाद वक़्फ कर दिया गया हो तो उस पानी से सब लोग फायदा उठा सकते हैं।

मस'ला २— किसी आदमी की निजी ज़मीन में कुआँ, चश्मा, हौज़ या नहर हो तो दूसरे लोगों को पानी पीने या जानवरों को पिलाने, वुज़ू गुस्ल या कपड़े धोने के लिये पानी लेने या घड़े भरकर

अपने पेड़ या क्यारी में पानी देने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि पानी पर सबका हक़ (अधिकार) है। अलबत्ता अगर जानवरों की ज़्यादती की वजह से पानी ख़त्म होने या नहर वग़ैरा के ख़राब होने का डर है तो रोकने का एख़्तियार है, लेकिन अपने खेत या बाग़ को बिला इजाज़त लिए पानी देना जायज़ नहीं। यही हुक्म अपने आप उगने वाली घास और जितने भी पेड़-पौधे हैं सब के लिए हैं। लेकिन तने वाले पेड़ ज़मीन वाले की मिल्कियत में आते हैं।

मस'ला ३— दरिया, तालाब, कुंए वग़ैरा से जो आदमी अपने बर्तन में पानी भरे तो वही उस पानी का मालिक हो जायेगा, उस पानी को बिना उसकी इजाज़त के किसी को बरतना ठीक नहीं।

मस'ला ४— लोगों के पीने के लिए जो पानी रखा हो (जैसे गर्मियों में रास्ते पर पानी रख देते हैं) उससे वुज़ू ठीक नहीं। हां, अगर वह ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं। जो पानी वुज़ू करने के लिए रखा हो, उसे पीना ठीक है।

मस'ला ५— अगर कुंए में बकरे की दो मेंगनियां गिर जायें और वे बिना घुले निकल जायें तो कुंआ नापाक नहीं होता, चाहे वह कुँआँ जंगल, बस्ती का हो और उस पर मन हो या न हो।

11. कुआँ

मस'ला १— जब कुएँ में कुछ गन्दगी गिर पड़े तो कुआँ नापाक हो जाता है, लेकिन पानी खींच डालने से वह पाक हो जाता है — चाहे गन्दगी थोड़ी गिरी हो या बहुत। जब सब पानी निकल जाएगा तो गन्दगी से पाक हो जायेगा। कुंए के अन्दर कंकर व दीवारें धोने की ज़रूरत नहीं — वे सब आप-ही-आप पाक हो जाते हैं। इसी तरह रस्सी डोल जिन से पानी निकाला गया, कुंए के पाक होने से ही पाक हो जायेंगे।

मस'ला २– कुएँ का सब पानी निकालने का यह मतलब है कि वह इतना निकले कि पानी टूट जाये और आधा डोल भी न भरे।

मस'ला ३– कुएँ में कबूतर या चिड़िया की बीट पड़ी तो वह नापाक नहीं हुआ लेकिन अगर उसमें मुर्ग़ी या बत्तख़ की बीट गिर पड़े तो नापाक हो जायेगा और सारा पानी निकालना चाहिये।

मस'ला ४– अगर कुएँ में आदमी, कुत्ता, बकरी या इनमें से किसी के भी बराबर कोई जानवर गिर पड़े और मर जाये तब सारा पानी निकाला जाये। अगर वह बाहर मरे और बाद में कुएँ में गिरे तब भी यही हुक्म है।

मस'ला ५– अगर कोई जानदार चीज़ कुएँ में मर जाये, फूल जाये या फट जाए तब भी सब पानी निकाला जाए—चाहे जानवर छोटा हो या बड़ा।

मस'ला ६– अगर चूहा, चिड़िया या इनके बराबर कोई जानवर गिरकर मर गया, लेकिन फूला व फटा नहीं तो बीस डोल निकालना वाजिब है। अगर तीस डोल निकाले जायें तो और अच्छा है। लेकिन पहले मरा हुआ जानवर निकाले और तब पानी निकालना शुरू करे।

मस'ला ७– बड़ी छिपकली जिसमें बहता ख़ून हो, उसके लिए भी यही हुक्म है। अगर जिसमें बहता हुआ ख़ून न हो तो उसके मरने से कुआँ नापाक नहीं होता।

मस'ला ८– अगर कबूतर, मुर्ग़ी या बिल्ली या इनके बराबर कोई जानवर गिर कर मर जाये और फूले व फटे नहीं तो चालीस डोल पानी निकाल देना अच्छा है, लेकिन साठ डोल निकाल देना बहुत अच्छा है।

मस'ला ९– जिस कुएँ पर जो भी डोल पड़ा रहता है उसी हिसाब से पानी निकालना चाहिये। अगर पानी इतने बड़े डोल से निकाला जिसमें बहुत पानी आता हो, तो उसका हिसाब लगा लेना चाहिये।

मस'ला १०– अगर कुंए में इतना बड़ा स्रोत है कि सब पानी नहीं निकाला जा सकता और जैसे-जैसे पानी निकाला जाता है, वैसे-वैसे उसमें और निकलता है तो जितना पानी कुंए में उस वक़्त मौजूद है, अन्दाज़ा करके उतना ही निकाले, वरना तीन सौ डोल निकाला जाये।

मस'ला ११– कुएँ में मरा हुआ चूहा या कोई और जानवर निकला मगर यह मालूम नहीं कि वह कब से गिरा है और वह फूला या फटा भी नहीं तो जिन लोगों ने उस कुएँ से वुज़ू किया है, वे एक दिन व एक रात की नमाज़ दोहरायें और उस पानी से जो कपड़े धो लिये हैं, उनको फिर पाक पानी से धोना चाहिए। अगर जानवर फूल गया व फट गया है कि जिस वक़्त कुंए का नापाक होना मालूम हुआ है, उसे उसी वक़्त से नापाक समझें और उससे पहले की सब नमाज़ें व वुज़ू ठीक हैं।

मस'ला १२– जिसे नहाने की ज़रूरत है वह डोल ढूंढने के लिये कुएँ में उतरा और उसके बदन पर गंदगी न हो, तब कुंआ पाक रहेगा, अलबत्ता अगर गंदगी लगी हो तो कुंआ नापाक हो जायेगा और सब पानी निकालना पड़ेगा।

मस'ला १३– कुएँ में बकरा गिरा या चूहा, और ज़िन्दा निकल आया तो पानी पाक है।

मस'ला १४– चूहे को बिल्ली ने पकड़ा और उसके दांत लगने से ज़ख्मी हो गया फिर उससे छूटकर उसी तरह खून से भरा हुआ कुंए में गिर पड़ा तो कुँएँ का सब पानी निकाला जाएगा।

मस'ला १५– चूहा गन्दी नाली में से निकलकर भागा और उसमें गंदगी भर गई। फिर वह कुंए में गिर पड़ा तो सब पानी निकाला जायेगा चाहे चूहा कुंए में मर जाए या ज़िन्दा निकल आये।

मस'ला १६– चूहे की दुम कट कर गिर पड़ी तो सारा पानी निकाला जाये। इसी तरह वह छिपकली जिसमें बहता हुआ ख़ून हो उसकी दुम गिरने से भी सब पानी निकाला जाये।

मस'ला १७— जिस जानदार या चीज़ के गिरने से कुआँ नापाक है, अगर वह कोशिश के बाद भी न निकल सके तो देखना चाहिये कि वह क्या है। अगर ऐसी है कि ख़ुद तो पाक होती मगर नापाकी लगने से नापाक हो गई है। जैसे: नापाक कपड़ा, गेंद, जूता तो उसका न निकालना माफ़ है। वैसे ही पानी निकाल दिया जाये। अगर गन्दी चीज़ ऐसी है कि ख़ुद नापाक है। जैसे: मुर्दा चूहा जैसा जानवर, तो जब तक यह यक़ीन न हो जाये कि वह बिल्कुल गल सड़कर ख़त्म हो गया तो उस वक़्त तक कुआँ पाक नहीं हो सकता। जब यह यक़ीन हो जाये उसी वक़्त सब पानी निकाल दें तो कुआँ पाक हो जायेगा।

मस'ला १८— कुएँ में से जितना पानी निकालना ज़रूरी हो चाहे एकदम से निकालें या थोड़ा करके कई बार निकालें हर तरह कुआँ पाक हो जायेगा।

12. वुज़ू न होने पर

मस'ला १— कुरआन मजीद और सिपारों के पूरे काग़ज़ को छूना हराम होने की वजह से नापसंदीदा है, चाहे उस जगह को छुएं जिसमें आयत लिखी है या उस जगह को जो सादा है। अगर कुरआन न हो बल्कि किसी काग़ज़, कपड़े या झिल्ली पर कुरआन शरीफ़ की एक पूरी आयत लिखी हुई हो, बाकी हिस्सा सादा हो तो उसे छूना जायज़ है, मगर आयत पर हाथ न लगे।

मस'ला २— एक आयत से कम का लिखना मकरूह नहीं। अगर किताब या काग़ज़ में लिखे, मगर कुरआन शरीफ़ में एक आयत से कम का लिखना भी जायज़ नहीं।

मस'ला ३— नाबालिग़ बच्चों को उनके पेशाब करने की जगह से गन्दगी आने की हालत में भी कुरआन मजीद छूना मकरूह नहीं।

13. सोते में नापाक हो जाना

मस'ला १– जिस पर नहाना फ़र्ज़ हो उसे मस्जिद में जाना हराम है। लेकिन अगर कोई सख़्त ज़रूरत है तो तयम्मुम करके जायज़ है।

मस'ला २– ईदगाह, मदरसा और दरगाह में जाना जायज़ है।

मस'ला ३– माहवारी (मासिक धर्म) व निफ़ास (बच्चा होने के चालीस दिन तक औरत को गन्दा ख़ून आता है) की हालत में औरत की नाफ और ज़ानू (रान) को देखना या उस से अपने ज़िस्म को मिलाना जब कि कोई कपड़ा बीच में न हो और सोहबत करना हराम है।

मस'ला ४– माहवारी और निफ़ास की हालत में औरत का प्यार लेना और उसका झूठा पानी पीना, उससे लिपट कर सोना और उसकी नाफ़ के ऊपर और ज़ानू व ज़ानू के नीचे के जिस्म से अपने जिस्म को मिलाना अगर्चे कपड़ा बीच में न हो और नाफ़ व ज़ानू के दर्मियान कपड़े के साथ मिलाना जायज़ है, बल्कि औरत की माहवारी की वजह से अलग होकर सोना या उसके मिलाप से बचना मकरूह है।

14. जानवरों का जूठन

मस'ला १– आदमी का जूठा पाक है चाहे वह बेदीन हो, नापाक हो या औरत माहवारी से हो – जूठन हर हाल में पाक है इसी तरह सबका परीना भी पाक है।

मस'ला २– कुत्ते का जूठा नापाक है। अगर वह किसी बर्तन में

मुंह डाल दे तो बर्तन तीन बार धोने से पाक हो जाता है – चाहे वह तांबे का हो या मिट्टी का लेकिन अच्छा यह है कि उसे सात बार धोए एक बार मिट्टी लगाकर मांझ भी डाले ताकि ख़ूब साफ हो जाए।

मस'ला ३– सूअर का जूठा नजिस है। इसी तरह शेर, भेड़िया, बन्दर, गीदड़ वग़ैरह चीर-फाड़ करने वाले जानवर हैं, इन सबका जूठा नजिस है।

मस'ला ४– बिल्ली का जूठा पाक तो है लेकिन मकरूह है (मकरूह उसे कहते हैं जिसका खाना पाक है पर जिसे आम तौर पर पसंद नहीं किया जाए)। पानी होते हुए उससे वुज़ू न करे, अगर और पानी न हो तो उसी से कर ले।

मस'ला ५– दूध या सालन में बिल्ली ने मुंह डाल दिया तो अगर अल्लाह ने सब कुछ दिया हो तो उसे न खाये और अगर ग़रीब आदमी हो तो खा ले फिर उसमें कुछ हर्ज और गुनाह नहीं और न ही वह मकरूह है।

मस'ला ६– बिल्ली ने चूहा खाया और तुरन्त आकर बर्तन में मुंह डाल दिया तो वह नापाक हो जाएगा। अगर वह थोड़ी देर ठहर कर मुंह डाले कि अपना मुंह ज़बान से चाट चुकी हो तो नजिस न होगा बल्कि मकरूह रहेगा।

मस'ला ७– खुली हुई मुर्ग़ी जो इधर-उधर गन्दी और पलीद चीज़ें खाती फिरे उसका जूठा मकरूह है। मगर जो मुर्ग़ी बन्द रहती हो उसका जूठन मकरूह नहीं बल्कि पाक है।

मस'ला ८– शिकार करने वाले परिन्दे जैसे शिकारी, बाज़ का जूठा मकरूह है। लेकिन जो पालतू परिन्दे हों और मुरदार न खायें न उनकी चोंच में गन्दगी का शक हो, उनका जूठा पाक है।

मस'ला ९– हलाल (खाई जाने वाली चीजें) जानवर जैसे मेंढा, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, हिरनी और हलाल चिड़ियां जैसे तोता, मैना, फ़ाख़्ता गोरैया का जूठा पाक है। इसी तरह घोड़े का जूठा भी पाक है।

मस'ला १०— जो चीज़ें घरों में रहती हैं, जैसे सांप, बिच्छू, चूहा, छिपकली का जूठा मकरूह है बल्कि जानलेवा भी है।

मस'ला ११— गधे और ख़च्चर का जूठा पाक तो है, लेकिन वुज़ू होने में शक है। अगर कहीं सिर्फ गधे और ख़च्चर का जूठा पानी मिले और इसके सिवा और पानी न मिले तो वुज़ू भी करे और तयम्मुम भी।

मस'ला १२— अगर चूहा रोटी कुतर कर खा ले तो अच्छा यही है कि उस जगह से ज़रा-सा हिस्सा तोड़ डाले, तब खाए।

मस'ला १३— जिन जानवरों का जूठा नजिस है उनका पसीना भी नजिस है और जिनका जूठा पाक है उनका पसीना भी पाक है। जिनका जूठा मकरूह है उनका पसीना भी मकरूह है। गधे और ख़च्चर का पसीना पाक है। अगर यह बदन और कपड़े पर लग जाए तो धो डालना वाजिब नहीं है लेकिन धो डाला जाए तो अच्छा है।

मस'ला १४— किसी ने बिल्ली पाली और वह पास आकर बैठे, हाथ पांव चाटे तो जहां चाटे या उसका थूक लगे उसे धो डालना चाहिए। अगर उसे धोया न गया और ऐसे ही रहने दिया तो मकरूह और बुरा है।

मस'ला १५— औरत के लिए ग़ैर मर्द का जूठा खाना और पानी पीना मकरूह है। लेकिन अगर उसे कुछ पता न चले तो मकरूह भी नहीं है।

15. तयम्मुम

मस'ला १— अगर कोई जंगल में है और उसे पता नहीं कि पानी कहां है, न वहां कोई ऐसा आदमी ही है, जिससे यह मालूम किया जाए तो उस वक़्त तयम्मुम कर ले। अगर कोई सच्चा आदमी मिल

गया और उस ने इस्लामी क़ानून के मुताबिक़ एक मील के अन्दर-अन्दर पानी का पता दिया या किसी निशानी से खुद उसके दिल ने कहा कि वहां एक मील अन्दर पानी ज़रूर है तो पानी इस क़दर तलाश करे कि उसे और उसके साथियों को किसी तरह की तकलीफ़ और हर्ज न हो तो तलाश किये बग़ैर तयम्मुम करना ठीक नहीं है। अगर खूब यक़ीन है कि पानी एक मील के अन्दर है तो पानी लाना वाजिब है। इस्लामी कानून से एक मील नौ फरलांग के बराबर होता है।

मस'ला २— अगर पानी का पता चल गया और वह एक मील से दूर है तो वहां जाकर पानी मांगने पर न मिले तो तयम्मुम ठीक है।

मस'ला ३— अगर कोई आबादी से एक मील के फ़ासले पर हो और एक मील के क़रीब कहीं पानी न मिले तब भी तयम्मुम कर लेना चाहिए—चाहे मुसाफ़िर हो या न हो।

मस'ला ४— अगर राह में कुआँ मिल गया मगर लोटा और रस्सी नहीं है इसलिए कुएँ से पानी नहीं निकाला जा सकता तो तयम्मुम ही दुरुस्त है।

मस'ला ५— अगर कहीं पानी मिल गया लेकिन वह बहुत-थोड़ा है, तो अगर इतना थोड़ा है कि एक बार मुंह और दोनों हाथ और दोनों पैर धो सके तो तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि एक-एक बार इन हिस्सों को धो ले और सर का मसह कर ले और अगर इतना भी न हो तो तयम्मुम कर ले।

मस'ला ६— अगर बीमारी की वजह से पानी नुक़सान करता हो कि अगर वुज़ू या गुस्ल करेगा तो बीमारी बढ़ जायेगी या देर में अच्छा होगा तब भी तयम्मुम दुरुस्त है। लेकिन अगर ठंढा पानी नुक़सान करता हो और गर्म पानी नुक़सान न करे तो गर्म पानी से वुज़ू या गुस्ल करना वाजिब है। अलबत्ता अगर ऐसी जगह है कि गर्म पानी नहीं मिल सकता तो तयम्मुम करना दुरुस्त है।

मस'ला ७— अगर पानी क़रीब है तो औरत को मर्दों से शर्म की

वजह से पानी लेने न जाना और तयम्मुम कर लेना दुरुस्त नहीं। ऐसा पर्दा जिसमें शरीअ़त (इस्लामी क़ानून) का कोई हुक्म छूट जाये नाजायज़ और हराम है, अलबत्ता लोगों के सामने हाथ मुंह न खोले।

मस'ला ८– जब तक पानी से वुजू न कर सके बराबर तयम्मुम करता रहे चाहे जितने दिन भी क्यों न गुज़र जायें, दिल में कुछ ख़्याल या वसवसा (शंका) न करे। जितनी पाकी वुज़ू और गुस्ल करने से होती है उतनी ही पाकी तयम्मुम से भी हो सकती है।

मस'ला ९– अगर पानी मोल बिकता है तो अगर उसके पास पैसे हों और ज़रूरत से ज़्यादा भी हों तो ख़रीदना वाजिब है। अगर पानी बहुत महंगा है तो ख़रीदना वाजिब नहीं, तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है।

मस'ला १०– अगर कहीं इतनी सर्दी पड़ती हो कि नहाने से मर जाने या बीमार हो जाने का डर हो और रज़ाई, लिहाफ़-जैसी चीज़ भी नहीं कि नहा कर उसमें गर्म हो जाये तो उस वक़्त तयम्मुम कर लेना ठीक है।

मस'ला ११– अगर किसी मैदान में तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले और पानी वहां से करीब था, लेकिन उसे खबर न थी तो तयम्मुम और नमाज़ दोनों दुरुस्त है, दोहराना दुरुस्त नहीं।

मस'ला १२– अगर किसी के आधे से ज़्यादा बदन पर ज़ख़्म हों। चेचक निकली हो तो नहाना वाजिब नहीं बल्कि तयम्मुम कर ले।

मस'ला १३– अगर ज़मज़म (पवित्र चश्मा, एक बार जब हज़रत इस्माईल अलै० ने बचपन में रोते-रोते प्यास की तेज़ी से एड़ियां रगड़ीं तो पानी जारी हो गया था) का पानी ज़मज़मी में भरा हुआ है तो तयम्मुम करना ठीक नहीं। ज़मज़मियों को खोलकर उस पानी से नहाना और वुज़ू करना वाजिब है।

मस'ला १४– किसी के पास पानी है लेकिन रास्ता ख़राब है कि कहीं पानी नहीं मिल सकता इसलिए राह में प्यास के मारे तकलीफ़

और मर जाने का डर है तो वुज़ू न करे बस तयम्मुम कर लेना ठीक है।

मस'ला १५— अगर गुस्ल करना नुक़सान करता हो और वुज़ू नुक़सान न करे तो गुस्ल की जगह तयम्मुम कर ले। फिर अगर गुस्ल के तयम्मुम के बाद वुज़ू टूट जाये तो वुज़ू के लिए तयम्मुम न करे बल्कि वुज़ू करना चाहिए।

मस'ला १६— तयम्मुम करने का तरीका यह है कि दोनों हाथ पाक ज़मीन पर मारे और पूरे मुंह को मल ले। फिर दूसरी बार ज़मीन पर दोनों हाथ मारे और दोनों हाथों को कोहनी समेत मले। तयम्मुम हो गया। औरत चूड़ियों, कंगन वग़ैरह के दर्मियान अच्छी तरह मले। अगर नाख़ून बराबर भी कोई जगह छूट जायेगी तो तयम्मुम न होगा और उंगलियों में ख़िलाल भी कर ले।

मस'ला १७— मिट्टी पर हाथ मार कर हाथ झाड़ डाले ताकि बाहों और मुंह पर भबूत न लग जाये और सूरत न बिगड़े।

मस'ला १८— ज़मीन के सिवा और जो चीज़ मिट्टी की किस्म से हो, उस पर भी तयम्मुम दुरुस्त है। जैसे: रेत, मिट्टी पत्थर, गच, चूना, सुर्मा, गेरू और जो चीज़ मिट्टी की किस्म से न हो, उससे तयम्मुम दुरुस्त नहीं। जैसे: सोना, चांदी, रांगा, गेहूं, लकड़ी, कपड़ा काग़ज़ और अनाज।

मस'ला १९— जो चीज़ न आग में जले और न गले, वह चीज़ मिट्टी की किस्म से है, उस पर तयम्मुम दुरुस्त है और जो चीज़ जलकर राख हो जाए या गल जाए उस पर तयम्मुम दुरुस्त नहीं।

मस'ला २०— अगर ज़मीन पर पेशाब-जैसी कोई निजासत पड़ गई और धूप से सूख गई और बदबू भी जाती रही तो वह ज़मीन पाक हो गई। उस पर नमाज़ दुरुस्त है। लेकिन उस ज़मीन पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं, जब मालूम हो कि वह ज़मीन ऐसी है। अगर न मालूम हो तो वहम न करे।

मस'ला २१— तांबे के बर्तन, तकिये, गन्दे कपड़े पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं। मिट्टी के घड़े, बधने पर तयम्मुम दुरुस्त है—चाहे उसमें पानी भरा हुआ हो या न हो, लेकिन अगर रोग़न फिरा हो तो तयम्मुम दुरुस्त नहीं।

मस'ला २२— तयम्मुम के लिए तयम्मुम का इरादा होना ज़रूरी है। तयम्मुम करते वक़्त अपने दिल में बस इतना इरादा कर ले कि मैं पाक होने के लिए तयम्मुम करता हूं या नमाज़ पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूं तो तयम्मुम हो जाएगा।

मस'ला २३— अगर एक नमाज़ के लिए तयम्मुम किया तो दूसरे वक़्त की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। क़ुरआन मजीद का छूना भी उस तयम्मुम से दुरुस्त है।

मस'ला २४— किसी को नहाने की ज़रूरत है और उसे वुज़ू भी करना है तो एक ही तयम्मुम करे। अलग-अलग तयम्मुम करना ठीक नहीं है।

मस'ला २५— अगर पानी एक मील से दूर नहीं लेकिन वक़्त बहुत तंग है कि अगर पानी लेने जाएगा तो वक़्त जाता रहेगा तब भी तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। पानी लाकर वुज़ू करे और कज़ा नमाज़ पढ़े।

मस'ला २६— किसी ने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली, फिर पानी मिल गया तो नमाज़ का दोहराना वाजिब नहीं, वही नमाज़ दुरुस्त हो गई।

मस'ला २७— अगर आगे चलकर पानी मिलने की उम्मीद हो तो अच्छा है कि अव्वल वक़्त नमाज़ न पढ़े बल्कि पानी का इन्तज़ार करे लेकिन इतनी देर न लगाए कि वक़्त मकरूह हो जाए।

मस'ला २८— अगर पानी पास है लेकिन डर यह है कि रेल से उतरेगा तो रेल चल देगी। तब भी तयम्मुम दुरुस्त है या सांप वग़ैरह कोई जानवर पानी के पास है जिससे पानी नहीं मिल सकता तब भी तयम्मुम ठीक है।

मस'ला २९— सामान के साथ पानी बंधा था लेकिन याद न रहा और तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली। फिर याद आया तो अब नमाज़ का दोहराना वाजिब नहीं।

मस'ला ३०— अगर वुज़ू का तयम्मुम है तो वुज़ू करने के लिए जितना पानी मिलेगा, तब तयम्मुम टूटेगा। अगर पानी कम मिला तो तयम्मुम नहीं टूटा।

मस'ला ३१— अगर रास्ते में पानी मिला लेकिन उसे पानी की कुछ ख़बर न हुई कि कहां है तब भी तयम्मुम नहीं टूटा। इसी तरह अगर रास्ते में पानी मिला और मालूम भी हो गया लेकिन रेल से न उतर सका तो भी तयम्मुम नहीं टूटा।

मस'ला ३२— अगर बीमारी की वजह से तयम्मुम किया तो जब बीमारी जाती रहे तो तयम्मुम टूट जाएगा। अब वुज़ू और गुस्ल करना वाजिब है।

मस'ला ३३— पानी नहीं मिला इसलिए तयम्मुम कर लिया। फिर ऐसी बीमारी हो गई जिससे पानी नुकसान करता है। मगर जब पानी मिल गया तो अब वह तयम्मुम बाक़ी नहीं रहा जो पानी न मिलने की वजह से किया था, अब फिर से तयम्मुम करे।

मस'ला ३४— अगर नहाने की ज़रूरत थी इसलिए गुस्ल किया लेकिन ज़रा-सा बदन सूखा रह गया और पानी ख़त्म हो गया तो अभी वह पाक नहीं हुआ। उसे तयम्मुम कर लेना चाहिए। जब कहीं पानी मिले तो उतनी सूखी जगह धो ले, दोबारा नहाने की ज़रूरत नहीं है।

मस'ला ३५— किसी का कपड़ा या बदन नजिस है और उसे वुज़ू की भी ज़रूरत है, मगर पानी थोड़ा है तो बदन और कपड़ा धो ले और वुज़ू के बदले तयम्मुम कर ले।

मस'ला ३६— कुएँ से पानी निकालने की कोई चीज़ न हो और पानी मटके या घड़े में हो और उसे झुका कर पानी भी न लिया जा सके कि हाथ नापाक है और कोई शख़्स ऐसा न हो जो उसके हाथ

धुला सके तो ऐसी हालत में तयम्मुम दुरुस्त है।

मस'ला ३७– जिस वजह से तयम्मुम किया गया है, अगर वह आदमियों की पैदा की हुई पाबंदी से हो तो जब वह दूर हो जाए तो जितनी भी नमाज़ें उसने तयम्मुम से पढ़ी हैं, सब दोबारा पढ़नी चाहिए जैसे: कोई आदमी जेलखाने में हो और जेल के मुलाज़िम उसे पानी न दें या कोई उससे कहे कि अगर वह वुज़ू करेगा तो जान से मार दिया जाएगा, तो उस तयम्मुम से जो नमाज़ पढ़ी उसे दोहराना पड़ेगा।

मस'ला ३८– एक जगह से और एक ढेले से कुछ आदमी आगे-पीछे तयम्मुम करें तो दुरुस्त है।

मस'ला ३९– जो शख़्स पानी और मिट्टी–दोनों के इस्तेमाल की ताक़त न रखता हो चाहे पानी और मिट्टी न होने की या बीमारी की वजह से, तो उसे चाहिए कि नमाज़ बिना पाक हुए पढ़ ले। फिर उसे तहारत से लौटा ले। जैसे: कोई आदमी रेल में हो और नमाज़ का वक़्त आ जाये और पानी, मिट्टी और मिट्टी के बर्तन या धूल मिट्टी न हो और नमाज़ का वक़्त जाने वाला हो तो ऐसी हालत में बिना पाक हुए नमाज़ पढ़ ले।

मस'ला ४०– जिस शख़्स को आख़िर वक़्त तक पानी मिलने का यक़ीन हो उसको नमाज़ के आख़िर मुस्तहब वक़्त तक पानी का इन्तज़ार करना मुस्तहब है। जैसे: कोई आदमी रेल पर सवार हो और उसे यह अन्दाज़ा हो कि आख़िर वक़्त तक रेल ऐसे स्टेशन पर पहुंच जाएगी जहां पानी मिल सकता है तो इन्तज़ार मुस्तहब है।

16 . मोज़ों का मसह

मस'ला १– अगर चमड़े के मोज़े वुज़ू कर के पहन ले और फिर वुज़ू टूट जाये तो दूसरा वुज़ू करते वक़्त मोज़ों पर मसह कर लेना ठीक है और अगर मोज़ा उतारकर पैर धो लिया करे तो यह सबसे बेहतर है।

मस'ला २– अगर मोज़ा इतना छोटा है कि टख़ने मोज़े के अन्दर छुपे हुए न हों तो उस पर मसह ठीक नहीं। इसी तरह अगर बग़ैर वुज़ू किए मोज़ा पहन लिया तो यह मसह दुरुस्त नहीं। मोज़ा उतार कर पैरों को धोना चाहिए।

मस'ला ३– सफ़र में तीन दिन और तीन रात तक मोज़ों पर मसह करना ठीक है और सफ़र में न हो तो उसे एक दिन और एक रात तक और जिस वक़्त वुज़ू टूटा है, उस वक़्त से एक दिन या तीन रात का हिसाब किया जाएगा। जिस वक़्त मोज़ा पहना है उसका भरोसा न करेंगे। जैसे किसी ने ज़ुह्र के वक़्त वुज़ू करके मोज़ा पहना, फिर सूरज डूबने के वक़्त वुज़ू टूटा तो अगले दिन का सूरज डूबने तक मसह करना दुरुस्त है और सफ़र में तीसरे दिन के सूरज डूबने तक। जब सूरज डूब गया तो अब मसह करना ठीक नहीं।

मस'ला ४– अगर कोई ऐसी बात हो गई जिससे गुस्ल करना वाजिब हो गया तो मोज़े उतारकर नहाए। गुस्ल के साथ मोज़ों पर मसह करना दुरुस्त नहीं।

मस'ला ५– मोज़ों पर मसह करने का तरीका यह है कि हाथ की पूरी उंगलियां तर करके आगे की तरफ़ मोज़ों पर रख दे और हथेली मोज़े से अलग रखे फिर उनको खींचकर टख़ने की तरफ़ ले जाए।

मस'ला ६– अगर कोई उल्टा मसह करे यानी टख़नों की तरफ़ से खींचकर उंगलियों की तरफ़ लाए तो भी जायज़ है। लेकिन यह मुस्तहब नहीं है ऐसे ही अगर लम्बाई में मसह न करे बल्कि मोज़े की चौड़ाई में करे तब भी ठीक है लेकिन मुस्तहब नहीं है।

मस'ला ७– अगर तल्वों की तरफ़ से या एड़ियों के अग़ल-बग़ल मसह किया तो यह ठीक नहीं।

मस'ला ८– अगर पूरी उंगलियों का सिरा मोज़े पर नहीं रखा बल्कि सिर्फ़ उंगलियों का सिरा मोज़ें पर रख दिया और उंगलियां खड़ी रखीं तो यह मसह ठीक नहीं हुआ।

मस'ला ९— मसह में मुस्तहब तो यह है कि हथेली की तरफ़ से मसह करे और अगर कोई हथेली के ऊपर की तरफ़ से मसह करे तब भी दुरुस्त है।

मस'ला १०— अगर किसी ने मोज़ों पर मसह नहीं किया लेकिन पानी बरसते वक़्त बाहर निकला या भीगी घास में चला जिस से मोज़ा भीग गया तो मसह हो गया।

मस'ला ११— हाथ की तीनों उंगलियों भर हर मोज़े पर मसह फ़र्ज़ है इससे कम में मसह दुरुस्त न होगा।

मस'ला १२— जो चीज़ वुज़ू तोड़ देती है, उससे मसह भी टूट जाता है। मोज़ों के उतार देने से भी मसह टूट जाता है। जैसे किसी का वुज़ू न टूटा हो लेकिन उसने मोज़े उतार डाले तो मसह जाता रहा। अब वह दोनों पैर धो ले। वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं।

मस'ला १३— अगर एक मोज़ा उतार डाला तो दूसरा मोज़ा भी उतारकर दोनों पांव धोना वाजिब है।

मस'ला १४— अगर मसह की मुद्दत पूरी हो गई तब भी मसह जाता रहा। अगर वुज़ू न टूटा तो मोज़े उतारकर दोनों पांव धो ले। पूरे वुज़ू का दोहराना वाजिब नहीं है। अगर वुज़ू टूट गया हो तो मोज़े उतारकर पूरा वुज़ू करे।

मस'ला १५— मोज़े पर मसह करने के बाद कहीं पानी में पैर पड़ गया और मोज़ा ढीला था इसलिए उसके अन्दर पानी चला गया और पूरा या आधे से ज़्यादा पांव भीग गया तब भी मसह जाता रहा। अब दूसरा मोज़ा भी उतार दे और दोनों पैर अच्छी तरह धोये।

मस'ला १६— जो मोज़ा इतना फट गया हो कि चलने में पैर की तीन छोटी उंगलियों के बराबर खुल जाता है तो उस पर मसह करना दुरुस्त नहीं और अगर इससे कम खुलता है तो मसह दुरुस्त है।

मस'ला १७— अगर एक मोज़े में दो उंगलियों के बराबर पैर खुल

जाता है और दूसरे मोज़े में एक उंगली के बराबर तो कुछ हरज नहीं। मसह जायज़ है। अगर एक ही मोज़ा कई जगह से फटा है और सब मिलाकर तीन उंगलियों के बराबर खुल जाता है तो मसह जायज़ नहीं। और अगर सब मिलाकर भी पूरी तीन उंगलियों के बराबर नहीं होता तो मसह दुरुस्त है।

मस'ला १८– किसी ने मोज़े पर मसह करना शुरू किया और अभी एक दिन रात गुज़रने न पाया था कि मुसाफ़िर हो गया तो तीन दिन तीन रात तक मसह करता रहे।

मस'ला १९– जुराबों पर मसह करना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अगर उन पर चमड़ा चढ़ा दिया हो या सारे मोज़े पर चमड़ा न चढ़ाया हो बल्कि मर्दाना जूते की शक्ल पर लगा दिया गया हो या बहुत संगीन और सख़्त हों कि बग़ैर किसी चीज़ के बांधे हुए आप-ही-आप ठहरे रहते हों और उनको पहन कर तीन-चार मील रास्ता भी चल सकता हो तो इन सब सूरतों में जुराबों पर भी मसह दुरुस्त है।

मस'ला २०– बुर्क़ा और दास्तानों का मसह दुरुस्त नहीं।

मस'ला २१– बूट या जूते पर मसह करना जायज़ है बशर्ते कि पूरे पैर को टख़नों समेत छुपाये और उसका चाक तस्मों से इस तरह बंधा हो कि पैर की इस कदर खाल नज़र न आए जो मसह में रुकावट डाले।

मस'ला २२– किसी ने तयम्मुम की हालत में मोज़े पहने हों तो जब वुज़ू करे तो उन मोज़ों पर मसह नहीं कर सकता क्योंकि तयम्मुम पूरी पाकी नहीं है।

मस'ला २३– गुस्ल करने वाले को मसह जायज़ नहीं ख़्वाह गुस्ल फ़र्ज़ हो या सुन्नत। यानी इस तरह से कि पैरों को ऊंचा रखकर खुद बैठे और बाक़ी जिस्म को धोए मगर पैरों पर मसह करे, यह दुरुस्त नहीं है।

मस'ला २४– जैसे मजबूरी में वुज़ू नमाज़ का वक़्त जाने से टूट

जाता है वैसे ही उसका मसह भी ख़त्म हो जाता है और उस को मोज़े उतार कर धोना वाजिब है।

17. हैज़ और इस्तिहाज़ा

हर महीने औरत की पेशाब की जगह थोड़ा बहुत ख़ून बहता है उसे हैज़ कहते हैं। अगर ख़ून न बहे बल्कि उसका धब्बा ही आ जाए तो वह इस्तिहाज़ा है।

मस'ला १— हैज़ की कम-से-कम मुद्दत तीन दिन और तीन रात और ज़्यादा-से-ज़्यादा दस दिन और दस रात है। अगर किसी को तीन दिन व तीन रात से कम ख़ून आया तो वह हैज़ नहीं इस्तिहाज़ा है।

मस'ला २— अगर तीन दिन और तीन रात ज़रा भी कम हो वह हैज़ नहीं है। जैसे: जुमे के दिन सूरज निकलते वक़्त ख़ून आया और दोशम्बा (पीर, सोमवार) को सूरज निकलने से ज़रा पहले बन्द हो गया तो वह हैज़ नहीं इस्तिहाज़ा है।

मस'ला ३— हैज़ की मुद्दत के अन्दर सुर्ख़, ज़र्द, सब्ज़, ख़ाकी यानी मटियाला स्याह जिस रंग का ख़ून आए सब हैज़ है, जब तक गुद्दी बिल्कुल सफ़ेद दिखाई न दे, मगर जब बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे जैसी कि रखी गई थी तो औरत हैज़ से पाक हो गई।

मस'ला ४— नौ बरस से पहले और पचपन बरस के बाद किसी औरत को हैज़ नहीं आता, इसलिए नौ बरस से छोटी लड़की को जो ख़ून आए वह हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। अगर पचपन बरस के बाद ख़ून निकले और ख़ून ख़ूब सुर्ख़ या स्याह हो तो हैज़ है। मगर औरत को इस उम्र से पहले भी ज़र्द, सब्ज़ या ख़ाकी रंग आता हो तो पचपन बरस के बाद भी ये रंग हैज़ के ही समझे जायेंगे।

मस'ला ५— किसी को हमेशा तीन-चार दिन ख़ून आता था मगर

किसी महीने ज़्यादा आ गया और दस दिन से ज़्यादा नहीं आया तो वह सब हैज़ है और अगर दस दिन से भी बढ़ गया तो जितने दिन पहले से आदत के हैं उतना तो हैज़ और बाकी सब इस्तिहाज़ा है। उन दिनों की नमाज़ों की कज़ा पढ़ना वाजिब है।

मस'ला ६— किसी को हमेशा चार दिन हैज़ आता था मगर एक महीने में पांच दिन ख़ून आया। उसके बाद दूसरे महीने में पन्द्रह दिन ख़ून आया तो इन पन्द्रह दिनों में पांच दिन हैज़ के हैं और दस दिन इस्तिहाज़ा के हैं।

मस'ला ७— किसी लड़की ने पहले पहले ख़ून देखा तो अगर दस दिन से ज़्यादा आए तो पूरे दस दिन हैज़ के और जितना ज़्यादा हो वह सब इस्तिहाज़ा है।

मस'ला ८— एक औरत है जिसके हैज़ का कोई एक वक़्त नहीं है कभी सात दिन आता है कभी दस दिन भी आता है तो यह सब हैज़ है।। ऐसी औरत को कभी दस दिन रात से ज़्यादा ख़ून आए तो यह देखना चाहिए कि उससे पहले कितने दिन हैज़ आया था। बस उतने ही दिन हैज़ के हैं और बाकी सब इस्तिहाज़ा है।

ममस'ला ९— दोनों हैज़ों के दर्मियान पाक रहने की मुद्दत कम से कम पन्द्रह दिन है और ज़्यादा की कोई हद नहीं। सो अगर किसी वजह से किसी औरत को हैज़ आना बन्द हो जाए तो जितने महीने तक ख़ून न आएगा पाक रहेगी।

मस'ला १०— अगर किसी को तीन दिन रात ख़ून आया। और पन्द्रह दिन पाक रही। फिर तीन दिन रात ख़ून आया तो तीन दिन पहले के और तीन वे जो पन्द्रह दिन के बाद के हैं, हैज़ के हैं। बीच में पन्द्रह दिन पाकी का ज़माना है।

मस'ला ११— अगर किसी को एक या दो दिन ख़ून आया फिर पन्द्रह दिन से कम पाक रही। एक या दो दिन ख़ून आया तो बीच में पन्द्रह दिन तो पाकी का ही ज़माना है। इधर एक दो दिन ख़ून आया

वह भी हैज़ नहीं इस्तिहाज़ा है।

मस'ला १२– अगर एक दिन या कई दिन ख़ून आया। फिर पन्द्रह दिन से कम पाक रही है। इसका कुछ एतबार नहीं बल्कि यूँ समझा जायेगा कि जैसे शुरू से आख़िर तक बराबर ख़ून जारी रहा तब जितने दिन हैज़ के आने की आदत हो उतने दिन तो हैज़ के हैं बाक़ी सब इस्तिहाज़ा है। इसकी मिसाल यह है कि किसी को हर महीने की पहली, दूसरी और तीसरी तारीखों को हैज़ आने की आदत है मगर किसी महीने में ऐसा हुआ कि पहली तारीख़ को ख़ून आया। और चौदह दिन पाक रही, फिर एक दिन ख़ून आया तो ऐसा समझेंगे कि जैसे सोलह दिन बराबर ख़ून आता रहा सो उसमें तीन दिन शुरू के तो हैज़ के हैं और तेरह दिन इस्तिहाज़ा हैं। और अगर उसकी कुछ आदत न हो बल्कि पहले-पहले ख़ून आया हो तो दस दिन हैज़ के और छ: दिन इस्तिहाज़ा के हैं।

मस'ला १३– हमल (गर्भावस्था) के दौरान जो ख़ून आए वह भी हैज़ नहीं है। चाहे जितने दिन आए।

मस'ला १४– बच्चा पैदा होने के वक़्त बच्चा निकलने से पहले जो ख़ून आए वह भी इस्तिहाज़ा है बल्कि जब तक आधे से ज़्यादा बच्चा न निकल आये तब तक जो ख़ून आएगा उसे इस्तिहाज़ा ही कहेंगे।

18 . हैज़ की पाबन्दियां

मस'ला १– हैज़ के ज़माने में नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना ठीक नहीं इस दौरान नमाज़ तो बिल्कुल माफ़ हो जाती है और पाक होने के बाद भी उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं होती लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं होता पाक होने के बाद क़ज़ा रखना पड़ेगा।

मस'ला २– अगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने में हैज़ आ गया तो वह नमाज़ भी माफ़ हो गई पाक होने के बाद उसकी क़ज़ा न पढ़े। और

जबकि रोज़े में हैज़ आया तो वह रोज़ा टूट गया। जब पाक हो तो कज़ा रखे। अगर नफ्ली रोज़े में हैज़ आ जाये तो उसकी भी कज़ा रखे।

मस'ला ३– अगर नमाज़ के आख़िर वक़्त में हैज़ आया और तभी नमाज़ नहीं पढ़ी तब भी वह माफ़ हो गई।

मस'ला ४– हैज़ के ज़माने में मर्द के पास रहना यानी सोहबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। सोहबत के सिवा और सब बातें दुरुस्त हैं, यानी साथ खाना-पीना, लेटना वग़ैरा दुरुस्त है।

मस'ला ५– किसी की आदत पांच दिन या नौ दिन की थी। सो जितने दिन की आदत थी उतने ही दिन ख़ून आया। फिर बन्द हो गया तो जब तक नहा न ले, तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं। अगर गुस्ल न करे तो जब तक नमाज़ का वक़्त गुज़र न जाए यानी एक नमाज़ की कज़ा उसके ज़िम्मे वाजिब न हो जाये, तब तक सोहबत दुरुस्त है इससे पहले दुरुस्त नहीं।

मस'ला ६– अगर आदत पांच दिन की थी और ख़ून चार दिन आकर ही बन्द हो गया तो गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना वाजिब है, लेकिन जब तक पांच दिन पूरे न हो लें तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं चाहे नहा चुकी हो या अभी न नहाई हो।

मस'ला ७– अगर पूरे दस दिन रात हैज़ आया तो जब से ख़ून बन्द हुआ है उसी वक़्त से सोहबत करना दुरुस्त है चाहे नहा चुकी हो या अभी न नहाई हो।

मस'ला ८– अगर एक या दो दिन ख़ून आकर बन्द हो गया तो नहाना वाजिब नहीं। वुज़ू करके नमाज़ पढ़े। लेकिन अभी सोहबत करना ठीक नहीं। अगर पन्द्रह दिन गुज़रने से पहले ख़ून आ जाएगा तब मालूम होगा कि वह हैज़ का ज़माना था। हिसाब से हैज़ के जितने दिन हों उन को हैज़ समझे और अब गुस्ल करके नमाज़ पढ़े और अगर पूरे पन्द्रह दिन बीच में गुजर गए और ख़ून नहीं आया तो मालूम

हुआ कि इस्तिहाज़ा था सो एक या दो दिन खून आने की वजह से जो नमाज़ें नहीं पढ़ीं अब उनको क़ज़ा पढ़ना चाहिए।

मस'ला ९– तीन दिन हैज़ आने की आदत है लेकिन किसी महीने ऐसा हुआ कि तीन दिन पूरे हो चुके और अभी ख़ून बन्द नहीं हुआ तो अभी गुस्ल न करे, न नमाज़ पढ़े। अगर पूरे दस दिन रात पर या इससे कम में ख़ून बन्द हो जाए तो उन सब दिनों की नमाज़ें माफ़ हैं। कुछ क़ज़ा न पढ़नी पड़ेगी और यह कहा जाएगा कि आदत बदल गई इसलिए ये सब दिन हैज़ के ही होंगे। और अगर ग्यारहवें दिन भी ख़ून आया तो अब मालूम हुआ कि हैज़ के कुल तीन ही दिन थे बाक़ी सब इस्तिहाज़ा हैं। इसलिए ग्यारहवें दिन नहाए और सात दिन की नमाज़ें क़ज़ा पढ़े और आगे नमाज़ न छोड़े।

मस'ला १०– अगर दस दिन से कम हैज़ आया और ऐसे वक़्त ख़ून बन्द हुआ जब नमाज़ का वक़्त बिल्कुल तंग है कि जल्दी से नहा धो डाले तो नहाने के बाद बिल्कुल ज़रा-सा वक़्त बचेगा। जिसमें बस एक बार अल्लाहु अकबर कहकर नीयत बांधी जा सकती है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकती तब भी उस वक़्त की नमाज़ वाजिब हो जायेगी और क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी। अगर इससे भी कम वक़्त हो तो नमाज़ माफ़ है। उसकी क़ज़ा पढ़ना वाजिब नहीं।

मस'ला ११– अगर पूरे दस दिन रात हैज़ आया और ख़ून ऐसे वक़्त बन्द हुआ जब कुल इतना वक़्त है कि एक दफ़ा अल्लाहु अकबर कह सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती और गुस्ल करने की कोई गुंजाइश नहीं तब भी नमाज़ वाजिब हो जाती है। उसको क़ज़ा पढ़नी चाहिए।

मस'ला १२– अगर रमज़ान शरीफ़ में दिन को पाक हुई तो अब पाक होने के बाद कुछ खाना-पीना ठीक नहीं है। शाम तक रोज़ादारों की तरह रहना वाजिब है, लेकिन वह दिन रोज़े में नहीं गिना जाएगा बल्कि उसकी भी क़ज़ा रखनी पड़ेगी।

मस'ला १३– अगर रात को पाक हुई और पूरे दस दिन रात हैज़

आया है तो अगर इतनी रात बाकी है कि फुर्ती से गुस्ल कर सकती है तो भी सुबह का रोज़ा वाजिब है। अगर इतनी रात तो न थी लेकिन गुस्ल नहीं किया तो रोज़ा न तोड़े बल्कि रोज़े की नीयत कर ले और सुबह को नहा ले और जो इससे भी कम रात हो यानी गुस्ल भी न कर सके तो सुबह का रोज़ा जायज़ नहीं है, लेकिन दिन को कुछ खाना-पीना भी ठीक नहीं बल्कि सारा दिन रोज़ेदारों की तरह रहे, फिर उसकी कज़ा रखे।

मस'ला १४— पाक औरत ने रात को अपनी शर्मगाह में गद्दी रख ली। जब सुबह हुई तो उस पर ख़ून का धब्बा देखा तो जिस वक़्त से धब्बा देखा है उसी वक़्त से हैज़ माना जाएगा।

मस'ला १५— इस्तिहाज़ा का ऐसा हुक्म है जैसे किसी को नक्सीर फूटे और बन्द न हो। ऐसी औरत नमाज़ भी पढ़े, रोज़ा भी रखे, कज़ा नहीं करना चाहिए और उससे सोहबत करना भी ठीक है।

19. निफ़ास

बच्चा पैदा होने के बाद आगे की राह से जो ख़ून आता है उसे निफ़ास कहते हैं। निफ़ास की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दिन है और कमी की तो कोई हद नहीं। अगर किसी को एक-आध घड़ी ख़ून आकर बन्द हो जाए तो वह भी निफ़ास है।

मस'ला १— अगर बच्चा पैदा होने के बाद किसी को बिल्कुल ख़ून न आए तब भी जनने के बाद नहाना वाजिब है।

मस'ला २— आधे से ज़्यादा बच्चा निकल आया लेकिन अभी पूरी तरह नहीं निकला उस वक़्त जो ख़ून आयेगा वह भी निफ़ास है।

मस'ला ३— किसी औरत का हमल गिर गया तो अगर बच्चे का एक आधा हिस्सा बन गया तो गिरने के बाद जो ख़ून आयेगा वह भी निफ़ास है और अगर बिल्कुल नहीं बना, बस गोश्त का लोथड़ा है तो

वह निफास नहीं है। इसलिए अगर वह खून हैज़ बन सके तो हैज़ है और अगर हैज़ भी न बन सके जैसे तीन दिन से कम आए या पाकी का ज़माना अभी पूरे पन्द्रह दिन नहीं हुआ तो वह इस्तिहाज़ा है।

मस'ला ४– अगर खून चालीस दिन से बढ़ गया तो अगर पहली बार वही बच्चा हुआ तो चालीस दिन निफास के हैं और जितना ज़्यादा आया है, वह इस्तिहाज़ा है। इसलिए चालीस दिन के बाद नहा डाले और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, खून बन्द होने का इन्तज़ार न करे। और अगर वह पहला बच्चा नहीं बल्कि उससे पहले भी जना है और उसकी आदत मालूम है कि इतने दिन निफास आता है तो जितने दिन निफास की आदत हो, उतने दिन निफास के हैं और जो इससे ज़्यादा है वह इस्तिहाज़ा है।

मस'ला ५– किसी को तीस दिन निफास आता है, लेकिन तीस दिन गुज़र गए और खून भी बन्द नहीं हुआ तो अभी न नहाए। अगर पूरे चालीसवें दिन खून बन्द हो गया तो यह सब निफास है। अगर चालीस दिन से ज़्यादा हो जायें तो निफास के कुल तीस दिन हैं और बाकी सब इस्तिहाज़ा है। इसलिए वह जल्दी से गुस्ल कर ले और उस दिन की नमाज़ की कज़ा पढ़े।

मस'ला ६– अगर चालीस दिन से पहले निफास बन्द हो जाए तो उसी वक्त गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। और अगर गुस्ल नुक्सान करे तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। कभी कोई नमाज़ कज़ा न होने दे।

मस'ला ७– निफास में भी नमाज़ बिल्कुल माफ है और रोज़ा नमाज़ और सोहबत करने के बाद यहां वही मसले हैं जो ब्यान किए जा चुके हैं।

मस'ला ८– अगर छः महीने के अन्दर-अन्दर आगे-पीछे दो बच्चे हों तो निफास की मुद्दत पहले बच्चे से मानी जाएगी। अगर दूसरा बच्चा दस-बीस दिन या एक-दो महीने बाद हुआ तो दूसरे बच्चे से हिसाब न होगा।

20. हैज़ और निफ़ास का ब्यान

मस'ला १— जो औरत हैज़ या निफ़ास से हो और जिस पर नहाना वाजिब हो उसे मस्जिद में जाना, का'बा शरीफ़ का तवाफ़ करना और कलाम मजीद का छूना व पढ़ना ठीक नहीं अलबत्ता अगर कलाम मजीद जुज़दान (ग़िलाफ़) में लिपटा हो या उस पर कपड़े की चोली चढ़ी हो और जिल्द के साथ सिली हुई न हो बल्कि अलग होकर उतर सके तो इस हालत में कुरआन मजीद का छूना और उठाना ठीक है।

मस'ला २— जिस रुपये, पैसे, तश्तरी, तावीज़ या किसी और चीज़ में कुरआन शरीफ़ की कोई आयत लिखी हो उसे भी छूना उसके लिए ठीक नहीं। हां, अगर थैली या बर्तन वग़ैरा में रखे हों तो उस थैली और बर्तन को छूना और उठाना ठीक है।

मस'ला ३— कुर्ते के दामन और दुपट्टे के आंचल से भी कुरआन मजीद को पकड़ना और उठाना ठीक नहीं अलबत्ता अगर बदन से अलग कोई कपड़ा हो जैसे रूमाल, तौलिया से पकड़ कर उठाना जायज़ है।

मस'ला ४— अगर पूरी आयत न पढ़े बल्कि आयत का एक लफ़्ज़ या आधी आयत पढ़े तो ठीक है लेकिन आयत इतनी बड़ी न हो कि किसी छोटी आयत के बराबर हो जाए।

मस'ला ५— अगर 'अलहम्दु' की पहली सूरत दुआ की नीयत से पढ़े या दुआएं जो कुरआन मजीद में आई हैं उन्हें दुआ की नीयत से पढ़े, तिलावत के इरादे से न पढ़े तो ठीक है। इसमें कुछ गुनाह नहीं जैसे यह दुआ—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَّفِی الْاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह–स–नतौं व फ़िल आख़िरति ह–स–नतौं व क़िना अज़ाबन्नार0

(ऐ ख़ुदा हमें दुनिया में भलाई दे, आख़िरत में भलाई दे और क़ब्र के अज़ाब से बचा)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا

और यह दुआ:–

रब्बना ला तुआख़िज़्ना इन्नसीना औ अख़्तअ्ना

(ऐ ख़ुदा! अगर हम भूल जाएं तो हम से पूछताछ न कर।)

आख़िर तक जो सूर: बक़र: के आख़िर में लिखा है या और कोई दुआ जो क़ुरआन शरीफ़ में आई हो दुआ की नीयत से पढ़ना भी ठीक है।

मस'ला ६– दुआए क़ुनूत का पढ़ना ठीक है।

मस'ला ७– अगर कोई औरत लड़कियों को क़ुरआन शरीफ़ पढ़ाती हो तो ऐसी हालत में हिज्जे कराना ठीक है। और बिना हिज्जे कराए पढ़ाते वक़्त पूरी आयत न पढ़े बल्कि एक-एक दो-दो लफ़्ज़ के बाद सांस छोड़ दे और काट-काट करके आयत रवां कहलाए।

मस'ला ८– कलिमा, दुरूद शरीफ़ पढ़ना और ख़ुदा का नाम लेना, 'इस्तिग़फ़ार' पढ़ना या और कोई वज़ीफ़ा पढ़ना जैसे:–

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط

लाहौल व ला क़ूव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम0

'नहीं है कोई ताक़त सिवाए बुज़ुर्ग व बरतर अल्लाह के'

मना नहीं है, यह सब ठीक है।

मस'ला ९– हैज़ के ज़माने में मुस्तहब है कि नमाज़ के वक़्त वुज़ू

करके किसी पाक जगह थोड़ी देर बैठकर अल्लाह अल्लाह कर लिया करे ताकि नमाज़ की आदत छूट न जाए और पाक होने के बाद नमाज़ से जी उचाट न हो।

मस'ला १०— किसी को नहाने की ज़रूरत थी और अभी नहाने न पाई थी कि हैज़ आ गया तो अब उस पर नहाना वाजिब नहीं बल्कि जब हैज़ से पाक हो तब नहाए। एक ही ग़ुस्ल काफी हो जायेगा।

21. नजासत कैसे पाक की जाए?

नजासत दो तरह की होती है— एक वह जिसकी गन्दगी ज़्यादा सख़्त है। थोड़ी-सी लग जाए तब भी धोने का हुक्म है उसे नजासत ग़लीज़ा (गाढ़ी नापाकी) कहते हैं और दूसरी वह जिसकी नजासत ज़रा कम और हल्की है उसे नजासत ख़फ़ीफ़ा (हल्की नापाकी) कहते हैं।

मस'ला १— ख़ून और आदमी का पाख़ाना, पेशाब, मनी और शराब, कुत्ते, बिल्ली का पाख़ाना, पेशाब, सूअर का गोश्त और उसके बाल व हड्डी, घोड़े, ख़च्चर की लीद और गाय, बैल, भैंस वग़ैरा का गोबर और बकरी भेड़ की मेंगनी वग़ैरा यहां तक कि सब जानवरों का पेशाब पाख़ाना मुर्ग़ी, बत्तख़, और मुर्ग़ाबी की बीट, गधे, ख़च्चर और सब जानवरों का पेशाब— ये सह चीज़ें गाढ़ी नजासत में आती हैं। इनका हुक्म वही है जो ऊपर ब्यान किया गया है।

मस'ला २— छोटे दूध पीते बच्चे का पेशाब, पाख़ाना भी गाढ़ी नजासतें हैं।

मस'ला ३— हराम परिन्दों की बीट और हलाल जानवरों का पेशाब जैसे बकरी, गाय, भैंस, वग़ैरह और घोड़े का पेशाब सब हल्की नजासतें हैं।

मस'ला ४— मुर्ग़ी, बतख़, मुर्ग़ाबी के सिवा और हलाल परिन्दों की बीट पाक है जैसे कबूतर, चिड़िया मैना वग़ैरा। चमगादड़ का पेशाब और बीट भी पाक है। गाढ़ी नजासतों में अगर पतली और बहने वाली चीज़ कपड़े या बदन पर लग जाए और वह अगर फैलाव में रुपये के बराबर या इससे कम हो तो माफ़ है। अगर इसको धोए बग़ैर नमाज़ पढ़ ले नमाज़ हो जाएगी। लेकिन न धोना और वैसे ही नमाज़ पढ़ते रहना मकरूह और बुरा है। अगर नजासत रुपये से ज़्यादा हो तो वह माफ़ नहीं, बिना उसके धोए नमाज़ न होगी। अगर उस गाढ़ी नजासत में से गाढ़ी चीज़ लग जाए जैसे मुर्ग़ी वग़ैरा,कुल बीट अगर वज़न में साढ़े चार माशे या इससे कम हो तो बग़ैर धोए नमाज़ ठीक है लेकिन अगर इससे ज़्यादा लग जाए तो बिना धोए नमाज़ ठीक नहीं।

मस'ला ५— अगर हल्की नजासत कपड़े या बदन में लग जाए तो जिस हिस्से में लगी है, अगर चौथाई से कम में लगा हो तो माफ़ है अगर पूरा चौथाई या इससे ज़्यादा हो तो माफ़ नहीं। उसका धोना वाजिब है। मतलब यह है कि बग़ैर धोए नमाज़ ठीक नहीं है।

मस'ला ६— गाढ़ी नजासत जिसमें पानी पड़ जाए वह भी गाढ़ी निजासत हो जाती है। अगर हल्की नजासत पड़ जाए तो वह पानी भी हल्का नजिस हो जाता है चाहे वह थोड़ी पड़े या ज़्यादा।

मस'ला ७— कपड़े में नजिस तेल लग गया और हथेली के गहराव यानी रुपये से कम भी है, लेकिन दो एक दिन में फैलकर ज़्यादा हो गया तो जब तक रुपये से ज्यादा न हो माफ़ है और जब बढ़ गया तो माफ़ नहीं रहा। अब उसका धोना वाजिब है। बग़ैर धोए हुए नमाज़ न होगी।

मस'ला ८— मछली का ख़ून नजिस नहीं है अगर लग जाए तो कुछ हरज नहीं। इसी तरह मक्खी, खटमल, मच्छर का ख़ून भी नजिस नहीं है।

मस'ला ९— अगर पेशाब की छींटें सूई की नोक के बराबर पड़

जाएं जो देखने से दिखाई न दें तो इसका कुछ हरज नहीं है। धोना वाजिब नहीं है।

मस'ला १०— अगर दलदार नजासत लग जाए जैसे पाख़ाना, पेशाब, ख़ून तो इतना धोए कि नजासत छूट जाए और धब्बा जाता रहे चाहे जितनी बार में छूटे। जब भी नजासत छूट जाए कपड़ा पाक हो जाएगा। और अगर बदन में लग गई हो तो उसके लिये भी यही हुक्म है। कम-से-कम तीन बार तो ज़रूर ही धोए।

मस'ला ११— अगर ऐसी नजासत है कि कई बार धोने और नजासत के छूट जाने पर बदबू नहीं गई या कुछ धब्बा रह गया तब भी कपड़ा पाक हो जाएगा। साबुन लगाकर धब्बा छुड़ाना और बदबू दूर करना ज़रूरी नहीं।

मस'ला १२— अगर पेशाब की तरह कोई नजासत लग गई जो दलदार नहीं है तो तीन बार धोए और हर बार निचोड़े और तीसरी बार पूरी ताक़त लगाकर ख़ूब ज़ोर से निचोड़े तब पाक होगा। अगर ख़ूब ज़ोर से न निचोड़ेगा तो कपड़ा पाक न होगा।

मस'ला १३— अगर नजासत ऐसी चीज़ में लगी है जिसे निचोड़ा न जा सके जैसे तख़्त, चटाई, ज़ेवर, बर्तन, जूता तो उसके पाक करने का यह तरीका है कि एक बार धोकर ठहर जाए जब पानी टपक कर बन्द हो जाए, फिर धोए। फिर जब टपकना बन्द हो जाए फिर धोए। इसी तरह तीन बार धोए तो वह चीज़ पाक हो जाएगी।

मस'ला १४— पानी की तरह जो चीज़ पतली और पाक हो उससे भी नजासत का धोना दुरुस्त है जैसे अर्क गुलाब, सिरका वग़ैरा, लेकिन घी, तेल और दूध जैसे चिकनी चीज़ से धोना दुरुस्त नहीं है। वह चीज़ नापाक रहेगी।

मस'ला १५— जूते और चमड़े के मोज़े में अगर दलदार नजासत लग जाए जैसे गोबर, पाख़ाना, ख़ून वग़ैरह तो ज़मीन पर इतना रगड़ डाले कि नजासत का नाम भी बाकी न रहे तो पाक हो जाएगा।

मस'ला १६– अगर पेशाब की तरह कोई पतली नजासत जूते या चमड़े के मोज़े में लग गई जो दलदार नहीं है तो पाक हो जाएगा।

मस'ला १७– कपड़ा और बदन सिर्फ़ धोने से ही पाक होता है चाहे दलदार नजासत लगे या बेदल वाली। किसी और तरह पाक नहीं होता।

मस'ला १८– आईने का शीशा, छुरी, चाक़ू, चांदी-सोने के ज़ेवर, फूल, तांबे, लोहे, गिलठ, सीसा वग़ैरह की चीज़ें अगर नजिस हो जायें तो खूब साफ़ कर लेने और रगड़ लेने या मिट्टी से मलने से पाक हो जाती हैं लेकिन अगर नक़्शीन चीज़ें हों तो धोए बिना पाक न होंगी।

मस'ला १९– ज़मीन पर नजासत पड़ गई और ऐसी सूख गई कि नजासत का निशान बिल्कुल जाता रहा। न तो नजासत का धब्बा है, न बदबू आती है तो इस तरह सूख जाने से ज़मीन पाक हो जाती है। लेकिन ऐसी ज़मीन पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता नमाज़ पढ़ना ठीक है। जो ईंटें या पत्थर, चूना या गारे से ज़मीन में खूब जमा दिए गए हों कि बग़ैर खोदे ज़मीन से जुदा न हो सकें उनका भी यही हुक्म है कि सूख जाने और नजासत का निशान न रहने से पाक हो जायेंगे।

मस'ला २०– जो ईंटें ज़मीन पर बिछा दी गई हों और चूने या गारे से उनकी गुड़ाई नहीं की गई है तो वे सूखने से पाक न होंगी। उनको धोना ही पड़ेगा।

मस'ला २१– ज़मीन पर जमी हुई घास भी सूखने और नजासत का निशान जाते रहने से पाक हो जाती है। अगर कटी हुई घास हो तो बिना धोए पाक न होगी।

मस'ला २२– नजिस चाक़ू, छुरी या मिट्टी और तांबे वग़ैरह के बर्तन अगर दहकती आग में डाल दिए जाएं जब भी पाक हो जाते हैं।

मस'ला २३– नजिस मिट्टी से जो बर्तन कुम्हार ने बनाए तो जब

तक ये कच्चे हैं नापाक हैं, मगर जब पका लिए गए तो पाक हो गए।

मस'ला २४— शहद, शीरा, घी, तेल नापाक हो गया तो जितना तेल वग़ैरह हो, उतना या उससे ज़्यादा पानी डालकर पकाए। जब पानी पक जाये तो फिर पानी डाल कर पकाये। इसी तरह तीन बार पकाने से पाक हो जाएगा।

मस'ला २५— नजिस रंग में कपड़ा रंगा तो फिर इतना धोये कि पानी साफ आने लगे तो पाक हो जायेगा। चाहे कपड़े से रंग छूटे या न छूटे।

मस'ला २६— गोबर के कंडे और लीद-जैसी नजिस चीज़ों की राख पाक है और उनका धुंआ भी पाक है। रोटी में लग जाए तो कुछ हरज नहीं।

मस'ला २७— बिछौने का एक कोना नजिस है और बाकी सब पाक है तो पाक कोने पर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है।

मस'ला २८— जिस ज़मीन को गोबर से लीपा हो वह नजिस है। उस पर बग़ैर कोई पाक चीज़ बिछाए नमाज़ दुरुस्त नहीं।

मस'ला २९— गोबर से लिपी हुई ज़मीन अगर सूख गई हो तो उस पर गीला कपड़ा बिछाकर भी नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है लेकिन वह इतना गीला न हो कि उस ज़मीन की कुछ मिट्टी छूटकर कपड़े में लग जाये।

मस'ला ३०— पैर धोकर नापाक ज़मीन पर चला और ज़मीन पर पैर का निशान बन गया तो उससे पैर नापाक न होगा। हां अगर पैर के पानी से ज़मीन इतनी भीग गई कि ज़मीन की कुछ मिट्टी या नजिस चीज़ पैर में लग जाए तो नजिस हो जाएगा।

मस'ला ३१— जिस बिछौने पर सोया और पसीने से वह कपड़ा तर हो गया तो इसका भी यही हुक्म है कि उसका कपड़ा और बदन नापाक न होगा।

मस'ला ३२– नजिस मेंहदी हाथों, पैरों में लगाई तो तीन बार खूब धो डालने से हाथ पैर पाक हो जाएंगे, रंग का छुड़ाना वाजिब नहीं।

22. पाकी और नापाकी

मस'ला १– ग़ल्ला उगाहने के वक़्त अगर बैल ग़ल्ले पर पेशाब कर दे तो ज़रूरत की वजह से यह माफ़ है यानी ग़ल्ला उससे नापाक न होगा। और अगर उस वक़्त के सिवा दूसरे वक़्त में पेशाब करे तो नापाक हो जाएगा।

मस'ला २– काफ़िर खाने की जो चीज़ें बनाते हैं उनको और इसी तरह उनके बर्तन और कपड़े वग़ैरह को नापाक न कहा जाएगा। जब तक कि उनका नापाक होना किसी दलील या तरीक़े से मालूम न हो।

मस'ला ३– कुछ लोग जो शेर वग़ैरह की चर्बी को काम में लाते हैं और इसे पाक जानते हैं, यह दुरुस्त नहीं। हां अगर किसी दीनदार हकीम की यह राय हो कि उस मर्ज़ का इलाज सिवाय चर्बी के और कुछ नहीं तो ऐसी हालत में कुछ आलिमों के नज़दीक दुरुस्त है लेकिन नमाज़ के वक़्त उसे पाक करना ज़रूरी होगा।

मस'ला ४– रास्तों की कीचड़ और नापाक पानी माफ़ है बशर्ते कि बदन या कपड़े में नजासत का असर मालूम न हो, फ़त्वा (धार्मिक आदेश) इसी पर है।

मस'ला ५– नजासतों से जो बुख़ारात (गैसें) उठें वे पाक हैं। फल वग़ैरह के कीड़े पाक हैं मगर उनका खाना दुरुस्त नहीं, अगर उनमें जान पड़ गई हो। गूलर वग़ैरह सब फलों के लिए यही हुक्म है।

मस'ला ६– खाने की चीज़ें अगर सड़ जायें और बू देने लगें तो नापक नहीं होतीं जैसे गोश्त, हलवा। मगर नुक़सान के ख़्याल से

उनका खाना दुरुस्त नहीं।

मस'ला ७— मुश्क और उसका नाफ़ा (नाभि) पाक है और इसी तरह अम्बर भी।

मस'ला ८— सोते में आदमी के मुह से जो पानी निकलता है वह पाक है।

मस'ला ९— हलाल जानवर का गन्दा अंडा पाक है मगर जब कि वह टूटा न हो।

मस'ला १0— जिस पानी से कोई नजिस चीज़ धोई जाए वह नापाक है।

मस'ला ११— मुर्दा इन्सान के मुंह का लुआब नापाक है।

मस'ला १२— सांप की कैंचुली पाक है लेकिन उसकी खाल नापाक है, यानी वह जो उसके बदन से लगी रहती है।

मस'ला १३— इकहरे कपड़े में एक तरफ माफी के काबिल नजासत लगे और दूसरी तरफ निकल जाये और हर तरह से कम हो लेकिन दोनों के योग उस मिक्दार से बढ़ जाएं तो वह कम ही समझी जायेगी और माफ होगी। अगर कपड़ा दोहरा हो और उस मिक्दार से बढ़ जाए तो वह ज़्यादा समझी जाएगी और माफ न होगी।

मस'ला १४— दूध दूहते वक़्त दो-एक मेंगनियां दूध में पड़ जाएं या थोड़ा-सा गोबर दो-एक मेंगनियों के बराबर गिर जाये तो माफ है बशर्ते कि गिरते ही निकाल डाला जाये।

मस'ला १५— अगर पांच साल का ऐसा लड़का जो वुज़ू को नहीं समझता वह अगर वुज़ू करे या दीवाना वुज़ू करे तो वह पानी काम में नहीं लाना चाहिए।

मस'ला १६— पाक कपड़ा बर्तन और दूसरी पाक चीज़ें भी जिस पानी से धोयी जायें उससे वुज़ू और गुस्ल दुरुस्त है बशर्ते कि पानी

की तीन ख़ूबियों में से दो ख़ूबियां बाकी हों अगरचे एक ख़ूबी बदल गई हो। अगर दो ख़ूबियां बदल जायें तो फ़िर मकरूह हैं।

मस'ला १७– काम में लाए हुए पानी का पीना और खाने की चीज़ों में लेना मकरूह है। वुज़ू और गुस्ल भी इससे ठीक नहीं है। हां ऐसे पानी से अगर नजासत धो ली जाए तो ठीक है।

मस'ला १८– ज़मज़म के पानी से बग़ैर वुज़ू करने वाले को वुज़ू न करना चाहिए। इसी तरह वह आदमी जिसको नहाने की ज़रूरत है उससे गुस्ल न करे। इससे नापाक चीज़ों का धोना और इस्तिंजा करना मकरूह है। हां! अगर मजबूरी हो और ज़रूरी पाकी किसी और तरह से हासिल न हो सकती हो तो ज़मज़म के पानी से गुस्ल करना चाहिए।मस'ला १९– औरत के वुज़ू और गुस्ल के बचे हुए पानी से मर्द को वुज़ू और गुस्ल न करना चाहिए।

मस'ला २०– तन्नूर अगर नापाक हो जाए तो उसमें आग जलाने से पाक हो जायेगा, बशर्ते कि गर्म होने के बाद नापाकी का असर न रहे।

मस'ला २१– नापाक ज़मीन पर मिट्टी वग़ैरह डालकर नजासत छिपा दी जाए। इस तरह की नजासत की बू न आए तो मिट्टी का ऊपर का हिस्सा पाक है।

मस'ला २२– नापाक तेल या चर्बी का साबुन लिया जाए तो पाक हो जाएगा।

मस'ला २३– फस्द के मकाम या किसी और हिस्से को जो ख़ून पीप के निकलने से नजिस हो गया हो और धोना नुक़सान करता हो तो उसे तर कपड़े से साफ़ कर ले तो काफ़ी है अगरचे रंग दूर न हो।

मस'ला २४– ऐसी नापाक चीज़, जो चिकनी हो जैसे तेल, घी, मुर्दार की चर्बी। अगर किसी चीज़ में लग जाए और इतनी धोई जाए कि पानी साफ़ निकलने लगे तो पाक हो जाएगी।

मस'ला २५— नापाक तेल सर में डाल लिया या बदन में लगा लिया तो कायदे के मुताबिक तीन बार धोने से पाक हो जाएगा।

मस'ला २६— कुत्ते ने आटे में मुंह डाल दिया या बन्दर ने जूठा कर दिया तो उतना गुंधा हुआ आटा निकाल दे। बाकी का खाना दुरुस्त है और अगर सूखा आटा हो तो जहां-जहां उसके मुंह का लुआब लगा हो निकाल दे। बाकी सब पाक है।

मस'ला २७— कुत्ते का लुआब नापाक है और खुद कुत्ता नजिस नहीं, सो अगर कुत्ता किसी के कपड़े या बदन से छू जाए तो नजिस नहीं होता। चाहे कुत्ते का बदन सूखा हो या गीला।

मस'ला २८— रूमाली भीगी होने के वक़्त पेट की हवा निकले तो उससे कपड़ा नापाक नहीं हुआ।

मस'ला २९— अगर लकड़ी का तख़्ता एक तरफ़ से नजिस है और दूसरी तरफ़ से पाक है तो अगर इतना मोटा है कि बीच से चिर सकता है तो उसको पलट कर दूसरी तरफ़ नमाज़ पढ़ना ठीक है और अगर इतना मोटा न हो तो ठीक नहीं।

मस'ला ३०— दो तहों का कोई कपड़ा है जिसकी एक तह पाक और दूसरी नापाक है तो अगर दोनों तहें सिली हुई हों तो एक तह पर भी नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं।

23. इस्तिंजा

मस'ला १— जब सो कर उठे तो जब तक पहुंचों तक हाथ न धो ले उस वक़्त तक पानी में हाथ न डाले। चाहे हाथ पाक हो या नापाक हो। अगर पानी छोटे बर्तन में रखा हो जैसे लोटा या आबख़ूरा तो उसे बाएं हाथ से उठा कर दाएं पर डाले और तीन बार धोए। फिर बर्तन दाहिने हाथ से लेकर बायां हाथ तीन बार धोए अगर छोटे बर्तन में पानी न हो बड़े मटके वग़ैरह में हो तो किसी आबख़ूरे या गिलास

वग़ैरह से निकाल ले लेकिन उंगलियां पानी में न डूबें।

मस'ला २– जो नजासत आगे या पीछे की जगह से निकले उसका पानी से इस्तिंजा करना सुन्नत है।

मस'ला ३– अगर नजासत बिल्कुल इधर-उधर न लगे और इस लिए पानी से इस्तिंजा न करे बल्कि पाक पत्थर या ढेले से इस्तिंजा कर ले और इतना साफ कर डाले कि नजासत बिल्कुल जाती रहे तो भी जायज़ है लेकिन यह बात सफाई के मिज़ाज के ख़िलाफ है अलबत्ता अगर पानी न हो या कम हो तो मजबूरी है।

मस'ला ४– ढेले से इस्तंजा करने का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है बस इतना ख़्याल रखे कि नजासत इधर-उधर न फैलने पाए और बदन ख़ूब साफ हो जाए।

मस'ला ५– ढेले से इस्तिंजा करने के बाद पानी से इस्तिंजा करना सुन्नत है लेकिन अगर नजासत हथेली के गहराव यानी रुपए से ज़्यादा फैल जाये तो ऐसे वक़्त में पानी से धोना वाजिब है। बग़ैर धोये नमाज़ न होगी।

मस'ला ६– पानी से इस्तिंजा करे तो पहले दोनों हाथ पहुंचों तक धो ले फिर तनहाई की जगह जाकर बदन ढीला करके बैठे और इतना धोए कि दिल कहने लगे कि अब बदन पाक हो गया।

मस'ला ७– हड्डी और नजासत जैसे गोबर, लीद, वग़ैरह और कोयला, कंकर, शीशा, पक्की ईंट, खाने की चीज़ और कागज़ से और दाहिने हाथ से इस्तिंजा करना बुरा और मना है। ऐसा नहीं करना चाहिए।

मस'ला ८– खड़े-खड़े पेशाब करना मना है।

मस'ला ९– पेशाब पाख़ाना करते वक़्त किबले की तरफ मुंह और पीठ करना मना है।

मस'ला १०– छोटे बच्चे को किबले की तरफ बिठा कर हगाना

और मुताना भी मकरूह है।

मस'ला ११– इस्तिंजे के बचे हुए पानी से वुज़ू करना ठीक है और वुज़ू के बचे हुए पानी से इस्तिंजा भी ठीक है लेकिन न करना ही अच्छा है।

मस'ला १२– जब पाख़ाना, पेशाब करने के लिए जाये तो पाख़ाने के दरवाज़े से बाहर बिस्मिल्लाह कहे और यह दुआ पढ़े :

اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُبِکَ مِنَ الۡخُبُثِ وَالۡخَبَآئِثِ

अल्लहुम्मम इन्नी अउज़ुबिक मिनल ख़ुब्सि वल ख़बाइस0

(ऐ अल्लाह ! मैं ख़राब मर्दों और औरतों से तेरी पनाह मांगता हूं।)

वहां नंगे सिर न जायें। अगर किसी अंगूठी पर अल्लाह, रसूल का नाम हो तो उसे उतार लें। पहले बायां पैर रखे और ख़ुदा का नाम न ले और अगर छींक आये तो बस दिल ही दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहे, ज़बान से कुछ न कहे; न वहां कुछ बोले; न बात करे। फिर जब निकले तो दाहिना पैर बाहर निकाले और दरवाज़े से निकल कर यह दुआ पढ़े :–

غُفۡرَانَکَ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ اَذۡھَبَ عَنِّیَ الۡاَذٰی وَعَافَانِیۡ

गुफ़रानक अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल् अज़ा व आफ़ानी0

(मैं तेरी क्षमा चाहता हूं। सब प्रशंसा उस अल्लाह की है जिसने मुझसे कष्ट दूर कर दिया और मुझे सुरक्षा दी।) इस्तिंजे के बाद बाएं हाथ को साबुन से मल कर धो लें।

24. पेशाब-पाख़ाने के वक़्त की एहतियातें

मस'ला १– बात करना बिना ज़रूरत खांसना, किसी आयत, हदीस या और किसी पाक चीज़ का पढ़ना जिस पर ख़ुदा, नबी या किसी फ़रिश्ते का नाम या कोई आयत, हदीस या दुआ लिखी हुई हो अपने साथ रखना। हां। अगर ऐसी चीज़ जेब में हो या तावीज़, कपड़े वग़ैरह में लिपटी हुई हो तो कराहियत (मकरूह होना) नहीं। बिना ज़रूरत खड़े हो कर या लेट कर पाख़ाना, पेशाब करना, सब कपड़े उतार कर नंगे होकर पाख़ाना पेशाब करना, चाँद, सूरज की तरफ़ पाख़ाना पेशाब के वक़्त मुंह या पीठ करना मकरूह है।

नहर या तालाब वग़ैरह के किनारे पाख़ाना पेशाब करना मकरूह है अगरचे उसमें नजासत न गिरे। इसी तरह ऐसे पेड़ के नीचे जिसके साये में लोग बैठते हों। और इसी तरह फल-फूल वाले पेड़ के नीचे और जाड़ों में जिस जगह धूप लेने को लोग बैठते हों। जानवरों के दर्मियान, मस्जिद और ईदगाह के इतना करीब जिसकी बदबू से नमाज़ियों को तकलीफ़ हो, क़ब्रिस्तान में या ऐसी जगह जहां लोग वुज़ू या गुस्ल करते हों। रास्ते में और हवा के रुख़ पर, सूराख़ में और क़ाफ़िला या किसी भीड़ के क़रीब मकरूह है। मतलब यह है कि ऐसी जगह जहां लोग बैठते हों और उनको तकलीफ़ हो। और ऐसी जगह भी जहां गन्दगी बहकर अपनी तरफ़ आए मकरूह है।

25. चीज़ें जिन से इस्तिंजा नहीं होता

मस'ला १– हड्डी, खाने की चीज़ें, लीद और सब नापाक चीज़ें, वह ढेला और पत्थर जिससे एक बार इस्तिंजा किया जा चुका हो,

पुख़्ता ईंट, ठीकरी, शीशा, कोयला, चूना, लोहा, वग़ैरह और ऐसी चीज़ों से इस्तिंजा करना जो नजासत को साफ़ न करें। जैसे सिर्का, वे चीज़ें जिनको जानवर वग़ैरह खाते हों। जैसे: भुस और घास वग़ैरह। और ऐसी चीज़ें जो क़ीमत वाली हों, चाहे थोड़ी क़ीमत हो या बहुत। जैसे: कपड़ा, अर्क़ वग़ैरह आदमी के बदन के हिस्से जैसे: बाल, हड्डी, गोश्त वग़ैरह मस्जिद की चटाई, कूड़ा या झाड़ू वग़ैरह। पेड़ों के पत्ते, काग़ज़, चाहे लिखा हो या सादा ज़मज़म का पानी, रुई और सब ऐसी चीज़ें जिनसे इन्सान या उसके जानवर फ़ायदा उठाएं– इन तमाम चीज़ों से इस्तिंजा मकरूह है।

26. चीज़ें जिनसे इस्तिंजा किया जाए

मस'ला १– पानी, मिट्टी का ढेला, पत्थर, बे-क़ीमत कपड़ा और वे सब चीज़ें जो पाक हों और नजासत को दूर कर दें, उनसे इस्तिंजा दुरुस्त है बशर्ते कि क़ीमती और एहतराम (आदर) वाली न हों।

2. सलात (नमाज़)

1. नमाज़ क्या है?

अल्लाह तआला के नज़दीक नमाज़ का बहुत बड़ा रुत्बा है। कोई इबादत अल्लाह के नज़दीक नमाज़ से ज़्यादा प्यारी नहीं है। अल्लाह ने अपने बन्दों पर पांच वक़्तों की नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी हैं जिनके पढ़ने का बड़ा सवाब है और छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह।

हदीस शरीफ में आया है कि जो कोई अच्छी तरह से वुज़ू किया करे और ख़ूब दिल लगा कर अच्छी तरह नमाज़ पढ़ा करे, क़ियामत के दिन अल्लाह उसके छोटे-बड़े सब गुनाह बख़्श देगा। रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि नमाज़ दीन का सुतून है। सो जिसने नमाज़ को अच्छी तरह पढ़ा उसने दीन ठीक रखा। जिसने उस सुतून को गिरा दिया यानी नमाज़ न पढ़ी.उसने दीन को बरबाद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया है कि क़ियामत में सबसे पहले नमाज़ों की ही पूछ होगी और नमाज़ियों के हाथ, पांव और मुंह क़ियामत में सूरज की तरह चमकते होंगे।

औलाद जब सात बरस की हो जाए तो मां-बाप को हुक्म है कि उसे नमाज़ पढ़वाएं और जब दस बरस की हो जाए तो मार कर पढ़वाएं। नमाज़ का छोड़ना किसी वक़्त दुरुस्त नहीं है।

2. नमाज़ का वक़्त

मस'ला १– पिछली रात को सुबह होते वक़्त पूरब की तरफ़ यानी जिधर से सूरज निकलता है आसमान की लम्बाई पर कुछ

सफेदी दिखाई देती है। फिर थोड़ी देर में आसमान के किनारे पर चौड़ाई में सफेदी मालूम होती है और पलक झपकते में बढ़ती जाती है और थोड़ी देर में उजाला हो जाता है तो जब थोड़ी सफेदी दिखाई दे तब से फज्र की नमाज़ का वक़्त शुरू हो जाता है और सूरज निकलने तक बाक़ी रहता है। जब सूरज का ज़रा सा किनारा निकल आता है तो फज्र का वक़्त ख़त्म हो जाता है।

मस'ला २— दोपहर ढल जाने से ज़ुहर का वक़्त शुरू हो जाता है। सूरज निकल कर जितना ऊंचा होता है, हर चीज़ का साया घटता जाता है। पर जब घटना रुक जाए उस वक़्त ठीक दोपहर का वक़्त है। फिर जब साया बढ़ना शुरू हो जाए तो समझो कि दिन ढल गया बस उसी वक़्त से ज़ुहर का वक़्त शुरू होता है। उसे छोड़ कर जब तक हर चीज़ का साया दूना न हो जाए उस वक़्त तक ज़ुहर का वक़्त रहता है। जब एक हाथ लकड़ी का साया ठीक दोपहर को चार अंगुल का था तो जब तक दो हाथ और चार अंगुल न हो तब तक ज़ुहर का वक़्त है और जब दो हाथ और चार अंगुल हो गया तो अस्र का वक़्त आ गया और अस्र का वक़्त सूर्य डूबने तक बाक़ी रहता है। लेकिन जब सूरज का रंग बदल जाए और धूप ज़र्द पड़ जाए उस वक़्त अस्र की नमाज़ पढ़ना मकरूह है। अगर किसी वजह से इतनी देर न करे और उस अस्र के सिवा और कोई नमाज़ ऐसे वक़्त दुरुस्त नहीं है। न क़ज़ा न नफ़्ल— कुछ भी न पढ़े।

मस'ला ३— जब सूरज डूब गया तो मग़रिब का वक़्त आ गया फिर जब तक पश्चिम की तरफ आसमान के किनारे पर सुर्ख़ी बाक़ी रहे तब तक मग़रिब का वक़्त रहता है, लेकिन मग़रिब की नमाज़ में देर न करे कि तारे ख़ूब चटक जायें, इतनी देर करना मकरूह है। फिर जब वह सुर्ख़ी जाती रहे तो इशा का वक़्त शुरू हो गया और सुबह होने तक बाक़ी रहता है लेकिन आधी रात के बाद इशा का वक़्त मकरूह हो जाता है और सवाब कम मिलता है, इसलिए इतनी देर करके नमाज़ न पढ़े और अच्छा यह है कि तिहाई रात जाने के पहले ही पढ़ ले।

मस'ला ४— गर्मी के मौसम में ज़ुहर की नमाज़ में जल्दी न करे। गर्मी की तेज़ी का वक़्त जाता रहे तब पढ़ना मुस्तहब है और जाड़ों में शुरू वक़्त में नमाज़ पढ़ लेना मुस्तहब है।

मस'ला ५— अस्र की नमाज़ ज़रा इतनी देर करके पढ़ना बेहतर है कि वक़्त आने के बाद अगर कुछ नफ़्ल पढ़ना चाहे तो पढ़ सके क्योंकि अस्र के बाद तो नफ़्ल पढ़ना दुरुस्त नहीं चाहे गर्मी का मौसम हो या जाड़े का—दोनों के लिए एक ही हुक्म है। लेकिन इतनी देर न करे कि सूरज में ज़र्दी आ जाए और धूप का रंग बदल जाए। मग़्रिब की नमाज़ में जल्दी करना और सूरज डूबते ही पढ़ लेना मुस्तहब है।

मस'ला ६— जो कोई तहज्जुद की नमाज़ पिछली रात को उठकर पढ़ा करता हो अगर पक्का भरोसा हो कि आँख ज़रूर खुलेगी तो उसे वित्र की नमाज़ तहज्जुद के वक़्त पढ़ना बेहतर है लेकिन अगर आँख खुलने का एतबार न हो और सो जाने का डर हो तो इशा के बाद सोने से पहले ही वित्र पढ़ लेना चाहिए।

मस'ला ७— बदली के दिन फ़ज्र, ज़ुहर, मग़्रिब की नमाज़ ज़रा देर करके पढ़ना बेहतर है और अस्र की नमाज़ में जल्दी करना मुस्तहब है।

मस'ला ८— सूरज निकलते वक़्त और ठीक दोपहर को और सूरज डूबते वक़्त कोई नमाज़ सही नहीं है। अलबत्ता अगर अस्र की नमाज़ अभी न पढ़ी हो तो वह सूरज डूबते वक़्त भी पढ़ ले और इन तीनों वक़्त में तिलावत का सज्दा करना भी मकरूह और मना है।

मस'ला ९— फ़ज्र की नमाज़ पढ़ लेने के बाद जब तक सूरज निकल कर ऊंचा न हो नफ़्ल नमाज़ पढ़ना मकरूह है। अलबत्ता सूरज निकलने से पहले क़ज़ा नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है और तिलावत का सज्दा भी दुरुस्त है। जब सूरज निकल गया तो जब तक ज़रा रौशनी न आ जाये क़ज़ा नमाज़ पढ़ना भी दुरुस्त नहीं। ऐसे ही अस्र की नमाज़ पढ़ लेने के बाद नफ़्ल नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं अलबत्ता क़ज़ा नमाज़ और सज्दे की आयत का सज्दा दुरुस्त है लेकिन जब

धूप फीकी पड़ जाये तो यह भी दुरुस्त नहीं।

मस'ला १०– फ़ज्र के वक़्त सूरज निकल आने के डर से जल्दी के मारे सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ ली तो अब जबतक सूरज ऊंचा और रौशन न हो जाये तब तक सुन्नत न पढ़े।

मस'ला ११– जब सुबह हो जाये और फ़ज्र का वक़्त आ जाये तो दो रकअत सुन्नत और दो रकअत फ़र्ज़ के सिवा और कोई नफ़्ल की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं यानी मकरूह है। अलबत्ता कज़ा नमाज़ें पढ़ना और सज्दे की आयत पर सज्दा करना दुरुस्त है।

मस'ला १२– अगर फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने में सूरज निकल आया तो नमाज़ नहीं हुई। सूरज में रौशनी आ जाने के बाद कज़ा पढ़े और अगर अस्र की नमाज़ पढ़ने में सूरज डूब गया तो नमाज़ हो गई, कज़ा न पढ़े।

मस'ला १३– इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले सोना मकरूह है। नमाज़ पढ़कर सोना चाहिए लेकिन कोई मरीज़ हो या सफ़र से थका-मांदा हो और किसी से कह दे कि उसको नमाज़ के वक़्त जगा दे और दूसरा वादा कर ले तो सोये रहना दुरुस्त है।

मस'ला १४– मर्दों के लिए मुस्तहब है कि फ़ज्र की नमाज़ ऐसे वक़्त शुरू करें कि रौशनी ख़ूब फैल जाये और इतना वक़्त बाकी हो कि अगर नमाज़ पढ़ी जाए तो उसमें चालीस पचास आयतों की तिलावत अच्छी तरह की जाये और बाद नमाज़ के अगर किसी वजह से नमाज़ का इरादा करना चाहें तो इसी तरह चालीस पचास आयतें उसमें पढ़ सकें। औरतों को तो हमेशा और मर्दों को हज की हालत में, मुज़दलफा में फ़ज्र की नमाज़ अंधेरे में पढ़ना मुस्तहब है।

मस'ला १५– जुमे की नमाज़ का भी यही वक़्त है जो ज़ुह्र की नमाज़ का है, लेकिन जुमे की नमाज़ हमेशा शुरू वक़्त में पढ़ना सुन्नत है।

मस'ला १६– ईदैन (दोनों ईदों अर्थात् ईदुल फ़ित्र व ईदुल

अज़हा) की नमाज़ का भी वक़्त सूरज के अच्छी तरह निकल आने के बाद शुरू होता है और दोपहर से पहले तक रहता है। सूरज के अच्छी तरह निकल आने से यह मतलब है कि सूरज की ज़र्दी जाती रहे और रौशनी इतनी तेज़ हो जाये कि नज़र न ठहर सके। सूरज एक नेज़े के क़रीब ऊंचा हो जाये। ईदैन की नमाज़ का जल्द पढ़ना मुस्तहब है। मगर ईदुल फ़ित्र की नमाज़ शुरू वक़्त से कुछ देर में पढ़नी चाहिये।

मस'ला १७– जब पेशइमाम ख़ुत्बे के लिए अपनी जगह से उठ खड़ा हो और ख़ुत्बा जुमे का हो या हज का तो इन वक़्तों में नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

मस'ला १८– जब फ़र्ज़ नमाज़ों की तकबीरें कही जायें तो उस वक़्त भी नमाज़ मकरूह है। हां, अगर फ़ज्र की सुन्नतें न पढ़ी हों और किसी तरह यह यक़ीन हो जाये कि एक रकअत जमाअत से मिल जायेगी तो फ़ज्र की सुन्नतों का पढ़ लेना मकरूह नहीं जो सुन्नत शुरू कर दी हो उसको पूरा कर ले।

मस'ला १९– ईदैन की नमाज़ से पहले– चाहे घर में हो या ईदगाह में– नमाज़ नफ़्ल मकरूह है और ईदैन की नमाज़ के बाद सिर्फ़ ईदगाह में मकरूह है।

3. अज़ान

मस'ला १– अगर किसी अदा नमाज़ के लिए अज़ान दी जाये तो इसके लिए उस नमाज़ के वक़्त का होना ज़रूरी है। अगर वक़्त आने से पहले अज़ान दी जाये तो ठीक न होगी। वक़्त आने के बाद फिर उसे कहना होगा। चाहे वह अज़ान फ़ज्र की हो या किसी और वक़्त की।

मस'ला २— अज़ान और इक़ामत (तकबीर) का अरबी ज़बान में उन्हीं ख़ास अल्फ़ाज़ में अदा करना ज़रूरी है जो नबी करीम सल्ल० से नकल किए गए हैं।

मस'ला ३— अज़ान देने वाले का मर्द होना ज़रूरी है। औरत का अज़ान देना दुरुस्त नहीं। अगर कोई औरत अज़ान दे तो फिर से अज़ान दी जाए। अगर ऐसा न किया तो गोया बग़ैर अज़ान कहे नमाज़ पढ़ी गई।

मस'ला ४— अज़ान देने वाले का साहिबे अक्ल होना भी ज़रूरी है। अगर कोई नासमझ बच्चा या मजनू मस्त अज़ान दे तो वह ठीक न होगी।

मस'ला ५— अज़ान का मसनून तरीक़ा यह है कि अज़ान देने वाला दोनों गंदगियों से पाक होकर किसी ऊंचे मकान पर मस्जिद से अलग क़िबले की तरफ़ मुंह करके खड़ा हो और अपने दोनों कानों के सुराखों को कलिमे की उंगली से बन्द करके अपनी ताक़त के मुवाफ़िक़ बुलन्द आवाज़ से इन कलिमात को कहे :

(अल्लाह बड़ा है) अल्लाहु अक्बर (४ बार) اَللّٰهُ اَكْبَر

अशहदु अल्ला इला ह इल्लल्लाह (२ बार) اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

(मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।)

अशहदु अन्न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह (२ बार) اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

मैं शहादत देता हूँ कि मुहम्मद (स) अल्लाह के रसूल हैं

हैय्य अलस्सला: *(आओ नमाज़ की तरफ़)* (२ बार) حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

हैय्य अलल फ़लाह *(आओ भलाई की तरफ़)* (२ बार) حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ **अल्लाहु अकबर** *(अल्लाह बड़ा है)* (२ बार)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ **ला इला ह इल्लल्लाहु** (२ बार)

(नहीं कोई माबूद सिवाए अल्लाह के)

और हैय्य अलस्सला : कहते वक़्त अपने मुंह को दाहिनी ओर और हैय्य अलल फलाह कहते वक़्त अपने मुंह को बायीं ओर फेर लिया करे, इस तरह कि सीना और क़दम क़िबले से न फिरने पाये और फज्र की अज़ान में हैय्य अलल् फलाह के बाद–

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

अस्सलातु ख़ूरुम मिनन्नौमि (२ बार)

(नमाज़ नींद से बेहतर है।)

भी दो बार कहना चाहिए। अज़ान को गाने के तौर पर न कहे बल्कि ठहर-ठहर कर कहे।

मस'ला ६– तकबीर का भी यही तरीक़ा है। बस फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि अज़ान मस्जिद से बाहर कही जाती है जबकि तकबीर मस्जिद के अन्दर हल्की आवाज़ से। तकबीर में–

قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ

कदकामतिस्सलात

(बेशक नमाज़ खड़ी हो गई) कहा जाता है।

तकबीर कहते वक़्त कानों के सूराखों को बन्द करना भी नहीं है और न दायें, बायें तरफ़ मुंह फेरना चाहिए।

4. अज़ान व तकबीर

मस'ला १– सब फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए एक बार अज़ान कहना मर्दों पर ताकीद वाली सुन्नत है। मुसाफ़िर हो या मुक़ीम (ठहरा हुआ) जमाअत की नमाज़ हो या अकेली, अदा नमाज़ या क़ज़ा। जुमे की नमाज़ के लिए दो बार अज़ान कहनी चाहिए।

मस'ला २– अगर नमाज़ किसी वजह से क़ज़ा हुई हो जिसमें आम लोग मुब्तला हों तो उसकी अज़ान ज़ोर से दी जाए।

मस'ला ३– मुसाफ़िर के लिए अगर उसके सब साथी मौजूद हों तो अज़ान मुस्तहब है, ताकीद वाली सुन्नत नहीं है।

मस'ला ४– जो शख़्स अपने घर में नमाज़ पढ़े—अकेले या जमाअत से उसके लिए अज़ान और तकबीर दोनों मुस्तहब नहीं बशर्ते कि मुहल्ले की मस्जिद में अज़ान और तकबीर हो चुकी हो। इसलिए कि मुहल्ले की अज़ान और तकबीर सब मुहल्ले वालों के लिए काफ़ी है।

मस'ला ५– जिस मस्जिद में अज़ान और तकबीर के साथ नमाज़ हो चुकी हो, उसमें अगर नमाज़ पढ़ी जाये तो अज़ान और तकबीर का कहना मकरूह है। हां, अगर उस मस्जिद में कोई अज़ान देने और नमाज़ पढ़ने वाला न हो तो मकरूह नहीं बल्कि अफ़्ज़ल है।

मस'ला ६– अगर कोई आदमी ऐसी जगह जहां जुमे की नमाज़ की शर्तें पाई जाती हों और जुमे की नमाज़ होती हो। ज़ुहर की नमाज़ पढ़े तो उसे अज़ान और तकबीर का कहना मकरूह है।

मस'ला ७– औरतों को अज़ान और तकबीर कहना मकरूह है। चाहे जमाअत से नमाज़ पढ़े या अकेले।

मस'ला ८– फ़र्ज़ नमाज़ों के सिवा और किसी नमाज़ के लिए अज़ान व तकबीर मसनून नहीं है। चाहे फ़र्ज़े किफ़ाया हो जैसे जनाज़े की नमाज़ या वाजिब जैसे वित्र और ईदैन की नमाज़ या नफ़्ल हो।

जैसे और नमाज़ें।

मस'ला ९– जो शख़्स अज़ान सुने–मर्द हो या औरत–पाक हो या नापाक, उस पर अज़ान का जवाब देना मुस्तहब है यानी जो लफ्ज़ मुअज़्ज़िन की जुबान से सुने, वही कहे। मगर हैय्य अलस्सला: *(आओ नमाज़ की तरफ)* और हैय्य अलल फ़लाह *(आओ भलाई की तरफ)* के जवाब में–

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

ला हौल व ला कुव्व त इल्ला बिल्लाह

(ताकत नहीं कोई अल्लाह के सिवा)

भी कहे और अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम *(नमाज़ नींद से बेहतर है)* के जवाब में– صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

सदक़त व बर्रत०

(तूने सच कहा और एहसान किया) कहे।

बाद अज़ान के दुरुद शरीफ पढ़कर यह दुआ पढ़े–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ

وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ

مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَارْزُقْنَا

شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

अल्लाहुम्म रब्बि हाज़िहिद्अवतित्ताम्मति वस्सलाति ल काइमति आति सैय्यिदिना मुहम्मद निल वसीले त वल फज़ीलत वद्द-र-ज-त-र्रफी अ त वबअ-स-हु मकामम् महमू द निल्लज़ी वअत्तहू इन्न क ला तुख़्लिफुल मीआद०

(ऐ इस पूरी दावत और खड़ी होने वाली नमाज़ के अल्लाह! हमारे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० को वसीला, उच्चता तथा

ऊंची श्रेणी प्रदान कर और मुहम्मद सल्ल० को उसी उच्च स्थान में उठा जिसका तूने वचन दिया। निस्सन्देह तू कभी अपनी बात से नहीं फिरता।

मस'ला १0— जुमे की पहली अज़ान सुनकर सब कामों को छोड़कर जुमे की नमाज़ के लिए मस्जिद जाना वाजिब है। ख़रीद व फ़रोख़्त या और किसी काम में लग जाना हराम है।

मस'ला ११— तकबीर का जवाब देना भी मुस्तहब है, वाजिब नहीं और क़द क़ामतिस्सलाति

(निस्सन्देह नमाज़ खड़ी हो गई।) के जवाब में कहे—

अक़ामहल्लाहु व अदामहा०

(अल्लाह उसे क़ायम और सुरक्षित रखे)

मस'ला १२— आठ सूरतों में अज़ान का जवाब नहीं देना चाहिए— (१) नमाज़, (२) ख़ुत्बा सुनते वक़्त—चाहे वह जुमे का हो या किसी और चीज़ का, (३) हैज़, (४) निफ़ास, (५) दीनी इल्म पढ़ने-पढ़ाने की हालत में, (६) सोहबत में, (७) पाख़ाने पेशाब की हालत में, (८) खाना खाने की हालत में हो। बाद इन चीज़ों की फ़राग़त के अगर अज़ान हुए ज़्यादा वक़्त न गुज़रा हो तो जवाब देना चाहिए, वरना नहीं।

5. अज़ान, तकबीर की सुन्नतें व मुस्तहब

अज़ान और तकबीर की सुन्नतें दो तरह की हैं— कुछ अज़ान देने वाले के सिलसिले में और कुछ अज़ान व तकबीर से मुतअल्लिक़ हैं। इसकी कुछ शर्तें हैं—

१– अज़ान देने वाला मर्द हो। औरत को अज़ान व तकबीर कहना मकरूह तहरीमी है।

२– मुअज़्ज़िन का आकिल होना जरूरी है। मजनूँ, मस्त और नासमझ बच्चे की अज़ान और इकामत (तकबीर) मकरूह है और उनकी अज़ानों और इक़ामतों को दोबारा अदा करना चाहिए।

३– मुअज़्ज़िन को ज़रूरी मसाइल और नमाज़ के औक़ात से वाकिफ होना चाहिए। अगर जाहिल आदमी अज़ान दे तो उसे मुअज़्ज़िन के बराबर सवाब नहीं मिल सकेगा।

४– मुअज़्ज़िन परहेज़गार और दीनदार होना चाहिए। उन लोगों के हाल से ख़बरदार होना चाहिए जो लोग जमाअ़त में न आते हों। उन्हें तम्बीह करना यानी उसे यह ख़ौफ न हो कि कोई सतायेगा।

५– मुअज़्ज़िन को चाहिए कि बुलन्द आवाज़ से अज़ान कहे।

६– अज़ान किसी ऊंची जगह पर मस्जिद से अलग होकर कहे और इक़ामत मस्जिद के अन्दर। मस्जिद के अन्दर अज़ान कहना मकरूह तन्ज़ीही है। हाँ, जुमे की दूसरी अज़ान का मस्जिद के अन्दर मिम्बर के सामने कहना मकरूह नहीं बल्कि सब इस्लामी शहरों में मामूल (स्वाभाविक) है।

७– अज़ान का खड़े होकर कहना। अगर कोई शख़्स बैठे-बैठे अज़ान कहे तो मकरूह है। अज़ान दोबारा कहना चाहिए। हाँ, अगर मुसाफिर सवार हो या मुक़ीम (ठहरा हुआ) अज़ान सिर्फ अपनी नमाज़ के लिए कहे तो फिर दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं।

८– अज़ान का बुलन्द आवाज़ से कहना। अगर सिर्फ अपनी नमाज़ के लिए कहे तो अख़्तियार है, मगर फिर भी ज़्यादा सवाब बुलन्द आवाज़ में होगा।

९– अज़ान कहते वक़्त कानों के सुराख़ों को उंगलियों से बन्द करना मुस्तहब है।

१०— अज़ान के अल्फ़ाज़ का ठहर-ठहर कर अदा करना और इकामत का जल्द कहना सुन्नत है यानी अज़ान की तकबीरों में हर दो तकबीर के बाद इतनी ख़ामोशी रखे कि सुनने वाला उसका जवाब दे सके और तकबीर के अलावा और अल्फ़ाज़ में हर एक लफ्ज़ के बाद इतनी ख़ामोशी करके अल्फ़ाज़ कहे।

१ - अज़ान में—

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ   حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

हैय्य अलस्सला: *(आओ नमाज़ की तरफ़)*

कहते वक़्त दायीं तरफ़ को मुंह फेरना और

हैय्य अल्लल् फ़लाह *(आओ भलाई की तरफ़)*

कहते वक़्त बायीं तरफ़ को मुंह फेरना सुन्नत है। मगर सीना और क़दम क़िबले से न फिरने पाये।

मस'ला १— अज़ान और तकबीर का क़िबले की तरफ़ मुंह करके कहना। बग़ैर क़िबले की तरफ़ मुंह किये अज़ान और तकबीर कहना मकरूह तन्ज़ीही (हल्का मकरूह) है।

मस'ला २— अज़ान कहते वक़्त एहतलाम से पाक होना सुन्नत है और गंदगियों से पाक होना मुस्तहब है। इक़ामत कहते वक़्त भी यही होना चाहिए। अगर एहतलाम की हालत में कोई शख़्स अज़ान कहे तो यह मकरूह तहरीमी है और उस अज़ान का दोबारा कहना मुस्तहब है। इसी तरह अगर कोई बड़ी नापाकी जैसे एहतलाम या पाख़ाना पेशाब दूसरी और छोटी नापाकी जैसे पेट की हवा निकलने की हालत में इक़ामत कहे तो यह मकरूह तहरीमी है, मगर इक़ामत का दोबारा कहना मुस्तहब नहीं।

—अज़ान और इक़ामत के अल्फ़ाज़ का तरतीबवार (क्रमानुसार) कहना सुन्नत है।

–अज़ान और इकामत की हालत में कोई दूसरा कलाम न करना चाहिए, ख़्वाह वह सलाम या सलाम का जवाब ही क्यों न हो।

मस'ला ३– अगर कोई शख़्स अज़ान का जवाब देना भूल जाये और अज़ान ख़त्म होने के बाद ख़्याल आये तो अगर ज़्यादा वक़्त न गुज़रा हो तो जवाब दे दे वरना नहीं।

मस'ला ४– इकामत कहने के बाद अगर ज़्यादा वक़्त गुज़र जाये और जमाअत कायम न हो तो इकामत दोबारा कहनी चाहिए। हाँ, अगर थोड़ी-सी देर हो जाये तो कुछ ज़रूरत नहीं। अगर इकामत हो जाये और इमाम ने फ़ज्र की सुन्नतें न पढ़ी हों और वह पढ़ने में लग जाये तो यह ज़माना ज़्यादा फ़सल (लम्बा) न समझा जायेगा और तकबीर दोबारा न कही जायेगी।

मस'ला ५– अगर मुअज़्ज़िन अज़ान देने की हालत में मर जाए या बेहोश हो जाये उसकी आवाज़ बन्द हो जाये या वह भूल जाये और कोई बताने वाला न हो या उसे नापाकी हो जाये और वह उसे दूर करने के लिए चला जाये तो अज़ान का नये सिरे से कहना ज़रूरी है।

मस'ला ६– अगर किसी को अज़ान या तकबीर कहने की हालत में गंदगी हो जाए तो अच्छा यह है कि अज़ान या तकबीर पूरी कर ले फिर उस नापाकी को दूर करने जाये।

मस'ला ७– एक मुअज़्ज़िन का दो मस्जिदों में अज़ान देना मकरूह है। वह जिस मस्जिद में फ़र्ज़ पढ़े वहीं अज़ान दे।

मस'ला ८– जो शख़्स अज़ान दे, तकबीर कहना भी उसी का हक़ है। हाँ, अगर वह अज़ान देकर कहीं चला जाए या किसी दूसरे को इजाज़त दे दे तो दूसरा भी कह सकता है।

मस'ला ९– कई मुअज़्ज़िनों का एक साथ अज़ान कहना जायज़ है।

मस'ला १०– मुअज़्ज़िनों को चाहिए कि जिस जगह इकामत कहना शुरू करे, वहीं ख़त्म करे।

मस'ला ११– अज़ान और इकामत के लिए नीयत शर्त नहीं। हाँ, सवाब बग़ैर नीयत से नहीं मिलता और नीयत यह है कि दिल में यह इरादा कर ले कि मैं यह अज़ान सिर्फ़ अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी और सवाब के लिए कहता हूँ और कुछ मक़सूद (इच्छित) नहीं।

6. नमाज़ की शर्तें

मस'ला १– नमाज़ के शुरू करने से पहले कई चीज़ें वाजिब हैं। अगर वुज़ू न हो तो वुज़ू करे। नहाने की ज़रूरत हो तो गुस्ल करे। बदन या कपड़े पर कोईनजासत ' लगी हो तो उसे पाक करे। जिस जगह नमाज़ पढ़ता है वह जगह पाक होनी चाहिए और फ़कत मुंह और दोनों हथेली और दोनों पैरों के सिवा सर से पैर तक सारा बदन ख़ूब ढक ले। क़िबले की तरफ़ मुंह करे। जिस नमाज़ को पढ़ना चाहता है उसकी नीयत यानी दिल से इरादा करे। वक़्त आने के बाद नमाज़ पढ़े। ये सब काम नमाज़ के लिए ज़रूरी है। अगर इनमें से एक काम भी छूट जाएगा तो नमाज़ न होगी।

मस'ला २– औरत को बारीक तनज़ेब या जाली वग़ैरह का बहुत बारीक दुपट्टा ओढ़कर नमाज़ पढ़ना ठीक नहीं।

मस'ला ३– अगर नमाज़ पढ़ते वक़्त औरत की चौथाई पिंडली या चौथाई रान या चौथाई बाज़ू खुल जाए और इतनी देर खुली रहे जितनी देर में तीन बार सुब्हानल्लाह कह सके तो नमाज़ जाती रही। फिर से पढ़े और अगर इतनी देर ही लगी बल्कि खुलते ही ढक लिया तो नमाज़ हो गयी। इसी तरह जितने बदन का वाजिब है, उसमें से चौथाई हिस्सा खुल जाये तो नमाज़ न होगी।

मस'ला ४– जो लड़की अभी जवान नहीं हुई अगर उसकी ओढ़नी सरक गयी और उसका सर खुल गया तो उसकी नमाज़ हो गयी।

मस'ला ५– अगर किसी कपड़े या बदन पर कुछ नजासत लगी है। लेकिन पानी नहीं मिलता तो इसी तरह नजासत के साथ ही नमाज़ पढ़ ले।

मस'ला ६– अगर किसी के पास बिल्कुल कपड़ा न हो तो नंगा नमाज़ पढ़े। लेकिन ऐसी जगह पढ़े कि कोई देख न सके और खड़े होकर न पढ़े। बलकि बैठ कर पढ़े और रुकू व सज्दे को इशारे से अदा करे।

मस'ला ७– सफर करने के दौरान किसी के पास थोड़ा-सा पानी है। अगर नजासत धोता है तो वुज़ू के लिये नहीं बचता और अगर वुज़ू करे तो नजासत पाक करने के लिये पानी न बचेगा तो उस पानी से गंदगी धो डाले। फिर वुज़ू के लिये तयम्मुम कर ले।

मस'ला ८– जुहर की नमाज़ पढ़ी। लेकिन जब पढ़ चुका तब मालूम हुआ कि जिस वक़्त नमाज़ पढ़ी थी उस वक़्त जुहर का वक़्त नहीं रहा था, बल्कि अस्र का वक़्त हो गया था अब फिर कज़ा पढ़ना वाजिब नहीं बल्कि यही नमाज़ जो पढ़ी है कज़ा में आ जायेगी।

मस'ला ९– अगर वक़्त आ जाने से पहले ही नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ नहीं हुई

मस'ला १०– ज़बान से नीयत करना ज़रूरी नहीं है। बल्कि दिल में जब इतना सोच ले कि जुहर के फर्ज़ पढ़ता हूँ और सुन्नत पढ़ता हो तो यह सोच ले कि जुहर की सुन्नत पढ़ता हूं। बस इतना ख़्याल करके अल्लाहु अकबर कह कर हाथ बांध ले तो नमाज़ हो जायेगी। जो लम्बी-चौड़ी नीयत लोगों में मशहूर है उस का कहना कुछ ज़रूरी नहीं है।

मस'ला ११– अगर ज़बान से नीयत कहना चाहे तो इतना कह

लेना काफी है– नीयत करता हूं आज के ज़ुहर के फर्ज़ की, अल्लाहु अकबर या नीयत करता हूँ, ज़ुहर की सुन्नतों की, अल्लाहु अकबर।

मस'ला १२– अगर दिल में यह ख़्याल है कि मैं ज़ुहर की नमाज़ पढ़ता हूं लेकिन ज़ुहर की जगह ज़बान से अस्र का वक़्त निकल गया, तब भी नमाज़ हो जाएगी।

मस'ला १३– अगर भूल से चार रकअत की छः रकअत या तीन रकअत ज़बान से निकल जाये तब भी नमाज़ हो जायेगी।

मस'ला १४– अगर कई नमाज़ें क़ज़ा हो गई और क़ज़ा पढ़ने का इरादा किया तो वक़्त मुक़र्रर करके नीयत करे, यानी यूँ नीयत करे कि मैं फ़ज्र के फर्ज़ की क़ज़ा पढ़ता हूँ। अगर ज़ुहर की क़ज़ा पढ़ना हो तो यूँ नीयत करे कि ज़ुहर के फर्ज़ की क़ज़ा पढ़ता हूँ। अगर बस इतनी नीयत कर ली कि मैं क़ज़ा नमाज़ पढ़ता हूं और ख़ास उस वक़्त की नीयत नहीं हो तो क़ज़ा ठीक न होगी। फिर से पढ़नी होगी।

मस'ला १५– अगर कई दिन की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो दिन तारीख़ भी कह कर नीयत करना चाहिए। जैसेः किसी की सनीचर, इतवार, पीर मंगल– चार दिन की नमाज़ें जाती रहीं तो अब बस इतनी नीयत करे कि फ़ज्र की नमाज़ पढ़ता हूं, दुरुस्त नहीं है। बल्कि यूँ नीयत करे कि सनीचर की फ़ज्र की क़ज़ा पढ़ता हूं। फिर ज़ुहर पढ़ते वक़्त कहे– सनीचर के ज़ुहर की क़ज़ा पढ़ता हूं। इसी तरह कहता जाए। अगर कई महीने या कई साल की नमाज़ें क़ज़ा हों तो महीने और साल का भी नाम ले और कहे कि फलां साल के फलां महीने की फलां तारीख़ की फ़ज्र की क़ज़ा पढ़ता हूं। बग़ैर इस तरह नीयत किये क़ज़ा नहीं होती।

मस'ला १६– अगर किसी को दिन, तारीख़, महीना, साल कुछ न याद हो तो नीयत करे कि फ़ज्र की नमाज़ें जितनी मेरे ज़िम्मे क़ज़ा हैं, उनमें जो सबसे पहले है उसकी क़ज़ा पढ़ता हूं। या ज़ुहर की जितनी नमाज़ें मेरे ज़िम्मे क़ज़ा हैं उनमें से जो सबसे पहली है, उस की क़ज़ा पढ़ता हूं। इसी तरह नीयत करके बराबर क़ज़ा पढ़ता रहे।

जब दिल गवाही दे दे कि अब सब नमाज़ें जितनी जाती रही थीं सबकी कज़ा पढ़ चुका हूं तो कज़ा पढ़ना छोड़ दे।

मस'ला १७— सुन्नत और नफ़्ल की नमाज़ में सिर्फ़ इतनी नीयत कर लेना कि मैं नमाज़ पढ़ता हूं। सुन्नत होने और नफ़्ल होने की कुछ नीयत नहीं की तो भी दुरुस्त है मगर सुन्नत तरावीह की नीयत कर लेना एहतियात की बात है।

मस'ला १८— अगर कोई चादर इतनी बड़ी हो कि उसका नजिस हिस्सा नमाज़ पढ़ने वाले के उठने-बैठने से जुंबिश न करे तो कुछ हरज नहीं। अगर नमाज़ पढ़ने वाले के जिस्म पर कोई ऐसी नजिस चीज़ हो जो अपनी पैदाइश की जगह में हो और बाहर उसका असर मौजूद न हो तो कुछ हर्ज नहीं, इसलिए कि उसका-ख़ून उसी जगह है जहां पैदा हुआ है बाहर निकलने में नहीं आया।

मस'ला १९— नमाज़ पढ़ने की जगह नजासत हकीका (पाख़ाना, पेशाब, और गोबर आदि गंदगियों) से पाक होना चाहिए। अगर नजासत माफ़ी के काबिल हो तो कोई हर्ज नहीं। नमाज़ पढ़ने की जगह से वह जगह मुराद है जहां नमाज़ वाले के पैर रहते हैं और इसी तरह सज्दा करने की हालत में जहां घुटने, हाथ, नाक या माथा रहते हैं।

मस'ला २०— अगर सिर्फ़ एक पैर की जगह पाक हो और दूसरे पैर को उठाए रहे तब भी काफ़ी है।

मस'ला २१— अगर किसी कपड़े पर नमाज़ पढ़ी जाये तब भी उसका उतना हिस्सा पाक होना ज़रूरी है। पूरे कपड़े का पाक होना ज़रूरी नहीं— चाहे वह कपड़ा छोटा हो या बड़ा।

मस'ला २२— अगर किसी नजिस जगह पर कोई पाक कपड़ा बिछा कर नमाज़ पढ़ी जाए तो उसके नीचे की चीज़ साफ़ तौर पर उसमें से नज़र न आए।

6

मस'ला २३— अगर नमाज़ पढ़ने की हालत में नमाज़ पढ़ने वाले का कपड़ा किसी नजिस जगह पर पड़ता है तो कुछ हर्ज नहीं।

मस'ला २४— अगर कपड़े के इस्तेमाल से आदमियों के काम की वजह से मजबूरी हो तो जब वह मजबूरी जाती रहे नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। जैसे: कोई शख़्स जेल में हो और जेल के मुलाज़िमों ने उसके कपड़े उतार लिए हों और अगर आदमियों की तरफ़ से न हो तो फिर नमाज़ लौटाने की ज़रूरत नहीं। जैसे किसी के पास कपड़े ही न हों।

मस'ला २५— अगर किसी के पास एक कपड़ा हो कि चाहे उससे जिस्म को छुपा ले चाहे उसको बिछाकर नमाज़ उसी नजिस जगह में पढ़ ले, तो उसको चाहिए कि अपने जिस्म को छुपा ले और नमाज़ उसी नजिस जगह पढ़ ले, अगर पाक जगह मयस्सर न हो।

7. जवान होना

मस'ला १— जब किसी लड़के की उम्र १६-१७ साल हो जाए, उसकी लबें निकल आयें या उसे ख़्वाब में एहतलाम हो जाए तो वह बालिग़ हो गया।

मस'ला २— जब किसी लड़की को हैज़ हो गया या उसके पेट रह गया या उसकी उम्र पूरे पन्द्रह बरस की हो चुकी तब भी वह जवान समझी जाएगी। नमाज़, रोज़ा व वग़ैरह शरीअत के सब अहकाम उस पर लगाए जाएंगे।

मस'ला ३— जवान होने को शरीअत में बालिग़ होना कहते हैं। नौ बरस से पहले कोई औरत जवान नहीं हो सकती। अगर उसे ख़ून भी आए तो वह हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है।

8. क़िबले की तरफ़ मुंह करना

मस'ला १– अगर कोई ऐसी जगह है कि क़िबला मालूम नहीं होता कि किस तरफ़ है और न वहां कोई आदमी है जिससे पूछ सके तो अपने दिल में सोचे। जिस तरफ़ दिल गवाही दे, उसी तरफ़ पढ़ लें। अगर बे सोचे-समझे पढ़ लेगा तो नमाज़ न होगी। अगर बाद में मालूम हो जाए कि ठीक क़िबले की ही तरफ़ पढ़ी है तब भी नमाज़ नहीं हुई वहां आदमी मौजूद हैं, लेकिन औरत ने पर्दे और शर्म की वजह से पूछा नहीं इसी तरह नमाज़ पढ़ ली तो भी नमाज़ नहीं हुई।

मस'ला २– अगर कोई बताने वाला न मिला और दिल की गवाही पर नमाज़ पढ़ ली तो फिर मालूम हुआ कि जिस तरफ़ नमाज़ पढ़ी है उस तरफ़ क़िबला नहीं है, तब भी नमाज़ हो गयी।

मस'ला ३– अगर बेरुख़ नमाज़ पढ़ता था और नमाज़ में ही मालूम हो गया कि क़िबला उस तरफ़ नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ़ है तो नमाज़ में ही क़िबले की तरफ़ घूम जाए। मालूम हो जाने पर अगर क़िबले की तरफ़ न फिरेगा तो नमाज़ न होगी।

मस'ला ४– का'बा शरीफ़ के अन्दर फ़र्ज़ नमाज़ भी ठीक है और नफ़्ल भी।

मस'ला ५– क़िबला मालूम न होने की सूरत में अगर जमाअत से नमाज़ पढ़ी जाये तो इमाम व उसके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले मुक़्तदी सब को अपने ग़ालिब (पूरा) गुमान पर अमल करना चाहिए लेकिन अगर किसी मुक़्तदी का पूरा यक़ीन इमाम के ख़िलाफ़ होगा तो उसकी नमाज़ उस इमाम के पीछे न होगी, क्योंकि वह इमाम उसके नज़दीक ग़लती पर है और ग़लती समझ कर किसी को वह काम करना जायज़ नहीं है।

9. फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना

मस'ला १– नमाज़ की नीयत करके अल्लाहु अकबर कहे और कहते वक़्त अपने दोनों हाथ कानों तक उठाए। फिर नाफ़ के नीचे हाथ बांधे और अपने दायें हाथ से बायां पहुंचा पकड़े फिर यह दुआ पढ़े–

سُبْحَانَکَ اللّٰھُمَّ وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارَکَ اسْمُکَ وَتَعَالٰی جَدُّکَ وَلَااِلٰہَ غَیْرُکَ

सुब्हान क ल्लाहुम्मम व बिहम्दि क व तबारकस्मु क व तआला जद्दु क व लाइला ह ग़ैरुक0

(ऐ अल्लाह! हम तेरी पवित्रता को स्वीकार करते हैं और तेरी ही प्रशंसा करते हैं। तेरा नाम बड़ा बरकत वाला है और तेरा बड़प्पन ऊंचा है। तेरे अतिरिक्त कोई उपासना योग्य नहीं।)

फिर अऊज़ु बिल्लाह *(पनाह लेता हूं ख़ुदा की शैतान से)* और बिस्मिल्लाह *(शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से)* पढ़कर 'अलहम्दु'

पढ़े और आख़िरी लफ्ज़ वलज़्ज़ाल्लीन *(गुमराह न हों)* के बाद आमीन *(ऐसा हो)* कहे। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरः पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर कह कर रुकू में जाये और

सुब्हान रब्बियल् अज़ीम0 *(अपने रब की पाकी वर्णित करता हूँ)* سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ

तीन या पांच या सात बार कहे और रुकू में दोनों हथेलियों से घुटने पकड़े और उंगलियां खुली रखे। फिर बाज़ू पहलू से अलग रखे और पैरों में थोड़ा सा फ़ासला रखे। उसके बाद :–

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ   رَبَّنَالَکَ الْحَمْدُ

समिअल्लाहु लिमन हमिदह। रब्बना लकल् हम्दु

(अल्लाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिसने उसकी प्रशंसा की। हमारे रब! तेरे ही लिए प्रशंसा है।)

कहता हुआ सर को उठाए, ख़ूब सीधा खड़ा हो जाये और अल्लाहु अकबर कहता हुआ सज्दे में जाये। ज़मीन पर पहले घुटने रखे, फिर कानों के बराबर हाथ रखे और दोनों हाथों के बीच में माथा रखे। सज्दे के वक़्त माथा और नाक दोनों ज़मीन पर रख दे। और हाथ पांव की उंगलियाँ क़िबले की तरफ़ रखे और सज्दे में कम-से-कम तीन बार

سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی

सुब्हा न रब्बियल आला (पाक है मेरा रब जो बड़ा है)

कहकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ उठे और ज़मीन पर हाथ टेककर न उठे फिर बिस्मिल्लाह कहकर 'अलहम्दु' और कोई सूरः पढ़े। इसी तरह दूसरी रकअत पूरी करे। जब दूसरा सज्दा कर चुके तो बायें पैर को बिछाकर उस पर बैठे। दाहिना पांव खड़ा करे। उंगलियां क़िबले की तरफ़ रखे, फिर पढ़े।

اَلتَّحِیَّاتُ لِلّٰہِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّیِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا

النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ

الصّٰلِحِیْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

अत्तहयीयातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तैय्यिबातु अस्सलामु अलैकि ऐय्युहन्नबाय्यु वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्लामु अलैना व अला इबादिल्ला हिस्सालिहीन। अश्हदु अल्लाइला ह इल्लल्लाहु व अशाहदुअन्न न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह0

(कही और की जाने वाली सब प्रार्थनाएं अल्लाह के लिए हैं। सलाम हो तुम पर, ऐ नबी! और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर। मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्ल0 अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं।)

और जब कलिमे पर पहुंचे तो बीच की (अंगूठे के बराबर की पहली) उंगली और अंगूठे से घेरा बनाकर लाइलाह इल्लल्लाह *(अल्लाह के सिवा कोई नहीं)* कहने के वक़्त कलिमे की उंगली उठाये और इल्लल्लाह *(अल्लाह के सिवा)* कहने के वक़्त झुका दे मगर उंगली के घेरे को आख़िरी नमाज़ तक रखे। अगर चार रकअत पढ़ना हो तो इससे ज़्यादा और कुछ न पढ़े बल्कि फौरन अल्लाहु अकबर कह कर उठ खड़ा हो और दो रकअत और पढ़ ले और फर्ज़ नमाज़ में पिछली दो रकअत में अलहम्दु के साथ और कोई सूर: न मिलाए। जब चौथी रकअत पर बैठे तो फिर 'अत्तहीयात' पढ़ कर यह दरूद पढ़े :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْد

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिंव्व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लै त अला इब्राही म व अला आलि इब्राही म, इन्न-क हमीदुम्मजीद0

अल्लाहुम्म् बारिक अला मुहम्मदिंव्व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारक त अला इब्राही म व अला आलि इब्राही म इन्न क हमीदुम्मजीद0

(ऐ अल्लाह अपनी रहमत की वर्षा मुहम्मद सल्ल0 और उनकी औलाद पर फरमा जैसे कि तूने हज़रत इब्राहीम अलैहि0 और उनकी औलाद पर रहमत फ़रमायी। निस्सन्देह तू सब प्रशंसा का पात्र और बड़ी बुजुर्गी वाला है।

(ऐ अल्लाह ! मुहम्मद पर और उनकी आल पर बरकत भेज जैसा कि तूने इब्राहीम पर और उनकी आल पर बरकत भेजी। तू बेशक तारीफ वाला बुजुर्ग है।

फिर यह दुआ पढे :-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط

रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया ह-स-न-तौंव फ़िल आख़िरति ह-स-न-तौंव किना अज़ाबन्नार0

(ऐ मेरे खुदा हमको दुनिया में भी अच्छाई दे और आख़िरत में भी हमें नेकी दे और हमें आग के अज़ाब से बचा।)

या यह दुआ पढे :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاۤءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ

अल्लाहुम्मग़्फिरली व लि वालिदैय्य व लिजमीइल मोमिनी न वल मोमिनाति वल् मुस्लिमी न वल् मुस्लिमातिल् अह्याई मिन्हुम वल् अम्वात0

(अल्लाह ! मुझे तथा मेरे माता-पिता को और तमाम ईमान वाले मर्दों और औरतों तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को, चाहे वे जिन्दा हों या मुर्दा, माफ कर)।

या कोई और दुआ पढ़े जो हदीस या कुरआन में आई हो। फिर अपनी दाहिनी तरफ सलाम फेरे और कहे अस्सल्लामु अलैकुम वरहमतुल्लाह (तुम पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत)। फिर यही कहकर बायीं तरफ सलाम फेरे और सलाम कहते वक्त इमाम, मुक्तदियों, फरिश्तों पर सलाम करने की नीयत करे। यह नमाज़ पढ़ने का तरीका है। लेकिन इनमें जो फराइज़ हैं, उनमें से अगर एक बात भी छूट जाये तो नमाज़ नहीं हुई चाहे जानकर छोड़ा हो या भूल से, दोनों के लिए एक ही हुक्म है और कुछ चीज़ें वाजिब हैं कि उनमें से अगर कोई चीज़ जानकर छोड़ दे तो नमाज़ निकम्मी और ख़राब हो जाती है और फिर से नमाज़ पढ़नी पड़ती है। अगर कोई फिर से नमाज़ न पढ़े तो ख़ैर. तब भी फर्ज़ सर से उतर जाता है। लेकिन गुनाह बहुत होता है। अगर भूले से कोई फर्ज़ छूट जाए तो भूल का सज्दा कर लेना चाहिए।

मस'ला २— नमाज़ में छः बातें फर्ज़ है :—

१. नीयत बांधते वक्त अल्लाहु अकबर कहना, २. खड़ा होना, ३. कुरआन मजीद में से कोई सूरः या आयत पढ़ना, ४. रुकूअ् करना, ५. दोनों सज्दे करना, ६. नमाज़ के आख़िर में जितनी देर अत्तहीयात पढ़ने में लगे, बैठना।

मस'ला ३— ये चीज़ें नमाज़ में वाजिब हैं, (१) 'अलहम्दु' का पढ़ना, (२) उसके साथ कोई सूरः मिलाना, (३) हर फर्ज़ को अपने-अपने मौके पर अदा करना और पहले खड़े होकर अलहम्दु पढ़ना, (४) सूरः मिलाना, (५) रुकूअ् करना, (६) सज्दा करना, (७) दो रकअत पर बैठना, (दोनों बैठकों में अत्तहीय्यात पढ़ना, (८) वित्र की नमाज़ में दुआए कुनूत पढ़ना, (हर चीज़ को इत्मीनान से अदा करना, (९) बहुत जल्दी न करना।

मस'ला ४– इनके सिवा और जितनी बातें हैं–वे सुन्नत हैं या मुस्तहब हैं।

मस'ला ५– अगर कोई नमाज़ में अलहम्दु न पढ़े, बल्कि कोई और आयत या कोई और सूर: पढ़े या बस अलहम्दु पढ़े उसके साथ कोई सूर: या कोई आयत न पढ़े या दो रकअत पढ़कर न बैठे, बिना बैठे और अत्तहीयात पढ़े तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो जाए या बैठ जाए लेकिन अत्तहीय्यात न पढ़े तो इन सब सूरतों में सर से फ़र्ज़ तो उतर जाएगा मगर नमाज़ बिल्कुल निकम्मी और ख़राब है, फिर से पढ़ना वाजिब है। न दोहराए तो बहुत गुनाह होगा।

मस'ला ६– अगर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते वक़्त सलाम नहीं फेरा बल्कि सलाम का वक़्त आया तो किसी से बोल पड़ा, बातें करने लगा या उठकर कहीं चला गया और कोई ऐसा काम किया जिससे नमाज़ टूट जाती है तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि फ़र्ज़ तो उतर जाएगा लेकिन नमाज़ का दोहराना वाजिब है। फिर से न पढ़ेगा तो बड़ा गुनाह होगा।

मस'ला ७– अगर पहले सूर: पढ़ो, फिर अलहम्दु पढ़ो तब भी नमाज़ दोहरानी पड़ेगी। अगर भूल कर ऐसा किया तो भूल का सज्दा करले।

मस'ला ८– अलहम्दु के बाद कम-से-कम तीन आयतें पढ़नी चाहिएं। अगर एक ही आयत इतनी बड़ी है कि छोटी-छोटी तीन आयतों के बराबर हो जाये, तब भी ठीक है।

मस'ला ९– अगर रुकू से खड़ा होकर

समिअल्लाहु लिमन हमिद: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

'अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी प्रशंसा की। ऐ अल्लाह! सब प्रशंसा तेरे ही लिए है।'

या रुकूअ् में

सुब्हान रब्बियल अज़ीम0

'पाकी ब्यान करता हूं अपने बड़े ख़ुदा की'

न पढ़े या सज्दे में

सुब्हान रब्बियल आला سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی

'पाकी ब्यान करता हूं अपने सर्वोच्च ख़ुदा की'

न पढ़े या आख़िर की बैठक में अत्तहीय्यात के बाद दुरूद शरीफ न पढ़े तो भी नमाज़ हो गयी। लेकिन यह सुन्नत के ख़िलाफ़ है। इसी तरह अगर दुरूद शरीफ के बाद कोई दुआ न पढ़ी फक़त दुरूद शरीफ पढ़कर सलाम फेर लिया तब भी नमाज़ दुरुस्त है लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ है।

मस'ला १०— नीयत बांधते वक़्त दोनों हाथों का उठाना सुन्नत है। अगर कोई न उठाए तब भी नमाज़ दुरुस्त है मगर यह सुन्नत के ख़िलाफ है।

मस'ला ११— हर रकअ़त में बिस्मिल्लाह पढ़कर अलहम्दु पढ़े।

मस'ला १२— सज्दे के वक़्त अगर नाक और माथा, दोनो ज़मीन पर न रखे, बल्कि सिर्फ माथा ज़मीन पर रखे और नाक न रखे तब भी नमाज़ दुरुस्त है और अगर माथा नहीं लगा या सिर्फ नाक ही ज़मीन पर लगायी तो नमाज़ नहीं हुई। अलबत्ता अगर कोई मजबूरी हो तो सिर्फ नाक लगाना भी दुरुस्त है।

मस'ला १३— अगर दोनों सज्दों के बीच में अच्छी तरह नहीं बैठा, ज़रा-सा सर उठाकर दूसरा सज्दा कर लिया तो अगर ज़रा ही सर उठाया हो तो एक ही सज्दा हुआ। दोनों सज्दे अदा नहीं हुए। और नमाज़ बिल्कुल नहीं हुई। अगर इतना उठा कि करीब-करीब बैठने के हो गया है तो ख़ैर नमाज़ तो सर से उतर गई लेकिन निकम्मी और ख़राब हुई। इसलिए फिर से पढ़नी चाहिए नहीं तो बड़ा गुनाह होगा।

मस'ला १४– अगर पुआल या रुई की चीज़ पर सज्दा करे तो सर को ख़ूब दबाकर सज्दा करे और इतना दबाए कि उससे ज़्यादा न दब सके। अगर ऊपर-ऊपर ज़रा ईशारे से सर रख दिया दबाया नहीं तो सज्दा नहीं हुआ।

मस'ला १५– फ़र्ज़ नमाज़ में पिछली दो रकअ़त अगर अलहम्दु के बाद कोई सूर: भी पढ़ गया तो नमाज़ में नुक़सान नहीं आया। नमाज़ बिल्कुल ठीक है।

मस'ला १६– अगर पिछली दो रकअ़त में अलहम्दु न पढ़े बल्कि तीन बार सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह कह ले तो भी दुरुस्त है लेकिन अलहम्दु पढ़ लेना बेहतर है और अगर कुछ न पढ़े चुप खड़ा रहे तो भी कुछ हर्ज नहीं, नमाज़ ठीक है।

मस'ला १७– पहली दो रकअ़त में अलहम्दु के साथ सूरत मिलाना वाजिब है। अगर कोई पहली रकअ़त में सिर्फ़ अलहम्दु के साथ सूरत न मिलाए तो अब पिछली रकअ़तों में अलहम्दु के साथ सूरत मिलाना चाहिए। फिर अगर जानकर ऐसा किया है तो नमाज़ फिर से पढ़े और अगर भूल से ऐसा हो गया है तो भूल का सज्दा कर ले।

मस'ला १८– नमाज़ में अलहम्दु और सूरत वग़ैरह सब आहिस्ता और चुपके से पढ़े लेकिन इस तरह पढ़ना चाहिए कि ख़ुद अपने कान में आवाज़ ज़रूर आए। अगर अपनी आवाज़ ख़ुद अपने को भी सुनाई न दे तो नमाज़ न होगी।

मस'ला १९– किसी नमाज़ के लिए कोई सूरत तय न करें बल्कि जो भी चाहे पढ़ा करे सूरत तय कर लेना मकरूह है।

मस'ला २०– दूसरी नमाज़ में पहली रकअ़त से ज़्यादा लम्बी सूरत न पढ़ें।

मस'ला २१– अगर नमाज़ पढ़ने में वुज़ू टूट जाए तो वुज़ू करके फिर नमाज़ पढ़े।

मस'ला २२– मुस्तहब यह है कि जब खड़ा हो तो अपनी निगाह सज्दे की जगह रखे और जब रुकूअ् में जाए तो पांव पर निगाह रखे और सज्दा करे तो नाक पर, सलाम करते वक़्त कन्धों पर निगाह रखे और जब कभी जमाही आए तो मुंह ख़ूब बंद कर ले और अगर किसी तरह न रुके तो हाथ को हथेली के ऊपर की तरफ से रोके और जब गला सहलाए तो जहां तक हो सके खांसी को रोके और ज़ब्त करे।

मस'ला २३– औरतें भी इसी तरह नमाज़ पढ़ें सिर्फ कुछ जगहों पर उनको इस के ख़िलाफ करना चाहिए जिसकी तफ़्सील नीचे दी हुई है :–

(१) तकबीरे तहरीमा (पहली तकबीर) के वक़्त मर्दों को चादर वग़ैरह से हाथ निकालकर कानों तक हाथ उठाने ा हियें।

(२) बग़ैर तकबीरे तहरीमा के मर्दों को ाफ के नीचे हाथ बांधने चाहिये और औरतों को सीने पर।

(३) मर्दों को छोटी उंगली और अंगूठे का घेरा बनाकर बायीं कलाई को पकड़ना और दाहिनी तीन उंगलियां बाईं कलाई पर बिछानी चाहिए और औरतों को दाहिनी हथेली बाईं हथेली की पुश्त पर रख देना चाहिए। घेरा बनाना और बाईं कलाई को न पकड़ना चाहिए।

(४) मर्दों को अच्छी तरह रुकूअ् में झुक जाना चाहिए कि सर और सुरीन और पुश्त बराबर हो जाये। औरतों को इतना नहीं झुकना चाहिए बल्कि सिर्फ इतना ही जिसमें उनके हाथ घुटनों तक पहुंच जाये।

(५) मर्दों को रुकूअ् में उंगलियां चौड़ी करके घुटनों पर रखनी चाहिये और औरतों को बिछी हुई।

(६) मर्दों को सज्दे में कोहनियां ज़मीन से उठी हुई रखनी चाहिये और औरतों को मिले हुए।

(७) मर्दों को सज्दे में पेट, रानों, बाज़ू और बग़लों से अलग रखने चाहियें और औरतों को मिले हुए।

(८) मर्दों को सज्दे में दोनों पैर उंगलियों के बल खड़े रखने चाहिये, औरतों को नहीं।

(९) मर्दों को बैठने की हालत में बायें पैर पर बैठना चाहिए और दाहिने पैर की उंगलियो के बल खड़ा रखना चाहिए। औरतों को बायें सुरीन के बल बैठना चाहिए और दोनों पैर दाहिनी तरफ निकाल देना चाहिए— इस तरह कि दाहिनी रान बाईं रान पर जाए और दाहिनी पिंडली बाईं पिंडली पर।

(१०) औरतों को किसी वक़्त बुलन्द आवाज़ से सूरत पढ़ने का इख़्तियार नहीं बल्कि उनको हर वक़्त आहिस्ता आवाज़ से सूरतें पढ़नी चाहियें।

10. कुरआन शरीफ़ पढ़ने का तरीक़ा

मस'ला १— कुरआन शरीफ को ठीक-ठीक पढ़ना वाजिब है। हर हर्फ को ठीक-ठीक पढ़े 'हमज़ा' और ऐन में तो फर्क है, इसी तरह बड़ी 'ह' छोटी 'ह', 'ज़ाल', 'ज़ो', 'ज़े', 'ज़्वाद' और 'सीन', 'से', 'स्वाद', को ठीक अपनी जगहों से निकाल कर पढ़े एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ न पढ़े।

मस'ला २— अगर किसी से कोई हर्फ नहीं निकला जैसे बड़ी 'ह' की जगह छोटी 'ह' पढ़ता है या 'ऐन' नहीं निकलता या 'से' 'सीन' 'स्वाद' सबको 'सीन' ही पढ़ता है तो सही पढ़ने की मश्क करना लाज़िम है। अगर सही पढ़ने की मश्क और मेहनत न करेगा तो गुनहगार होगा और उसकी कोई नमाज़ सही न होगी। अलबत्ता अगर मेहनत से भी दुरुस्ती न हो तो लाचारी है।

मस'ला ३— अगर बड़ी 'ह', 'ऐन' वग़ैरह सब हरूफ़ निकलते हैं मगर ऐसी बेपरवाही से पढ़ता है कि बड़ी 'ह' की जगह छोटी 'ह' और 'ऐन' की जगह 'हम्ज़ा' हमेशा पढ़ जाता है और कुछ ख़्याल करके नहीं पढ़ता तब भी गुनाहगार है और नमाज़ ठीक नहीं होती।

मस'ला ४— जो सूरत पहली रकअ़त में पढ़ी है वही सूरत दूसरी रकअत में फिर पढ़ ली तब भी कुछ हर्ज नहीं लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है।

मस'ला ५— जिस तरह कलाम मजीद में सूरतें आगे-पीछे लिखी हैं, नमाज़ में उसी तरह पढ़नी चाहिए, जिस तरह पहले सिपारे (अम्म का पारा) में लिखी है बेतरतीब न पढ़े।

मस'ला ६— जब कोई सूरत शुरू करे तो बेज़रूरत उसको छोड़कर दूसरी सूरत शुरू करना मकरूह है।

मस'ला ७— जिसको नमाज़ बिल्कुल न आती हो या नया-नया मुसलमान हुआ हो, वह सब जगह सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह वग़ैरा पढ़ता रहे तो फ़र्ज़ अदा हो जायेगा। लेकिन नमाज़ बराबर सीखता रहे। अगर नमाज़ सीखने में कमी करेगा तो गुनाहगार होगा।

11. जमाअ़त

जमाअत से नमाज़ पढ़ना वाजिब या सुन्नते मुअक्कदा है। जमाअत कम-से-कम दो आदमियों के मिलकर नमाज़ पढ़ने को कहते हैं। इस तरह कि एक शख़्स उनमें हुक्म देने वाला हो और दूसरा मानने वाला तो हुक्म देने वाले को इमाम और मानने वाले को मुक़्तदी कहते हैं।

मस'ला १— इमाम के सिवा एक आदमी के भी नमाज़ में शरीक हो जाने से जमाअ़त हो जाती है। चाहे वह आदमी मर्द हो या औरत, गुलाम या आज़ाद या बालिग़ हो या नासमझ, नाबालिग़ बच्चा। हाँ,

ईदैन व जुमे की नमाज़ों में इमाम के साथ कम-से-कम तीन आदमियों के बग़ैर जमाअ़त नहीं होती।

12. जमाअ़त की बड़ाई और ताकीद

जमाअ़त की बड़ाई और ताकीद में सही हदीसें काफी आई हैं। जमाअत नमाज़ के पूरा होने में एक बड़ी ऊंची शर्त है। नबी करीम सल्ल० ने कभी इसे तर्क नहीं फरमाया। यहां तक कि रोग की हालत में भी जब खुद चलने की ताकत न थी तो दो आदमियों के सहारे से मस्जिद में तश्रीफ ले गए और जमाअ़त से नमाज़ पढ़ी। जमाअ़त छोड़ने से आपको बहुत गुस्सा आता था और इस पर लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने को जी चाहता था।

हदीस १– नबी करीम सल्ल० ने फरमाया कि अकेले नमाज़ पढ़ने से एक आदमी के साथ नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छा है और दो आदमियों के साथ और भी बेहतर है। और जितनी बड़ी जमाअ़त हो, अल्लाह को उतनी ही ज़्यादा पसन्द है।

हदीस २– नबी करीम सल्ल० ने एक दिन इशा के वक़्त अपने उन असहाब (रज़ि०) से जो जमाअ़त में मश्गूल थे–फरमाया कि लोग नमाज़ पढ़कर सो रहे हैं और तुम्हारा वह वक़्त जो इन्तज़ार में गुज़रा सब नमाज़ में महसूब हुआ।

हदीस ३– नबी करीम सल्ल० से हज़रत बरीदा अस्लमी रज़ि० रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया : बशारत दो उन लोगों को जो अंधेरी रातों में जमाअ़त के लिए मस्जिद जाते हैं। इस बात की कि कियामत (महाप्रलय) में उनके लिए पूरी रौशनी होगी।

हदीस ४– हज़रत अबू हुरैर: रज़ि० ब्यान करते हैं कि एक दिन आपने फरमाया : 'बेशक मेरे दिल में यह इरादा हुआ कि किसी को हुक्म दूं कि लकड़ियाँ जमा करे, फिर अज़ान का हुक्म दूं और किसी

शख़्स से कहूं कि वह इमामत करे और मैं उन लोगों के घरों पर जाऊं जो जमाअ़त में नहीं आते और उनके घरों को जला दूं।

हदीस ५– इब्ने अब्बास रज़ि0 नबी करीम सल्ल0 बयान करते हैं कि जो शख़्स अज़ान सुनकर जमाअ़त में न आए और उसे कोई मजबूरी भी न हो तो उसकी वह नमाज़ जो उसने अकेले पढ़ी क़ुबूल न होगी। सहाबा रज़ि0 ने पूछा मजबूरी क्या है? हज़रत सल्ल0 ने फ़रमाया – डर या बीमारी।

13. जमाअ़त के वाजिब होने की शर्तें

१. मर्द होना– औरत पर जमाअ़त वाजिब नहीं।

२. बालिग़ होना– नाबालिग़ बच्चों पर जमाअत वाजिब नहीं।

३. आज़ाद होना– ग़ुलाम पर जमाअ़त वाजिब नहीं।

४. सब मजबूरियों से ख़ाली होना– ये सब बातें जिनमें जमाअ़त वाजिब नहीं मगर अदा करना बुरा भी नहीं।

जमाअ़त से नमाज़ न पढ़ सकने में १४ रुकावटें हो सकती हैं।

१. इतना कपड़ा न होना जितना औरत के छुपे हुए हिस्सों को छुपाने के लिए काफी होता है।

२. मस्जिद के रास्ते में इतनी कीचड़ हो कि चलने में परेशानी हो।

३. पानी ज़ोर से पड़ता हो।

४. सर्दी बहुत सख़्त हो जिससे बाहर निकलने या मस्जिद तक जाने में बीमारी पैदा होने या उससे बढ़ जाने का डर हो।

५. मस्जिद जाने में सामान की चोरी होने का डर हो।

६ मस्जिद जाने में किसी दुश्मन के मिल जाने का डर हो।

७ मस्जिद जाने में कर्ज़ख्वाह (साहूकार) के मिल जाने या उससे तकलीफ पहुंचाने का डर हो जबकि उसका कर्ज़ अदा करने की हालत में न हो।

८ अंधेरी रात के सबब रास्ता सुझाई न देता हो और अपने पास भी रौशनी करने का सामान न हो।

९ रात का वक्त हो और आंधी बहुत सख़्त चलती हो।

१० किसी मरीज की तीमारदारी (देखभाल) करता हो और जमाअत में जाने से उस रोग की तेजी या वहशत (जी घबराना) का डर हो।

११ खाना तैयार होने वाला हो और इतनी भूख लगी हो कि नमाज़ में दिल न लग सके।

१२ पेशाब या पाखाना ज़ोर का लग रहा हो।

१३ सफर का इरादा रखता हो और डर हो कि जमाअत से नमाज़ पढ़ने में देर हो जाने से काफिला निकल जाएगा। रेल का मामला भी इसी में आ सकता है।

१४ कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से चल फिर न सके। या अन्धा, लुंजा, पैर कटा हो। लेकिन जो नाबीना (अन्धा आदमी) बेतकल्लुफ (निस्संकोच) मस्जिद तक पहुंच सके उसे जमाअत नहीं छोड़नी चाहिए।

14. जमाअत का सही होना

जमाअत के लिए ये शर्तें जरूरी हैं :

१– मुसलमान होना– काफिर की जमाअत ठीक नहीं।

२– आकिल (बुद्धिमान) होना– मस्त, बेहोश या दीवाने की जमाअ़त ठीक नहीं।

३– मुक्तदी (इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले लोग) को नमाज़ की नीयत के साथ इमाम की इक्तदा (अनुसरण, देखादेखी) की भी नीयत करनी यानी दिल में इरादा करना कि इस इमाम के पीछे फलाँ नमाज़ पढ़ता हूँ।

४– इमाम और मुक्तदी दोनों की जगहों का साथ मिला होना जैसे: दोनों एक ही मस्जिद या एक ही घर में खड़े हों।

मस'ला १– अगर मुक्तदी मस्जिद की छत पर खड़ा हो और इमाम मस्जिद के अन्दर तो ठीक है, क्योंकि मस्जिद की छत मस्जिद में ही शामिल है और दोनों जगहें बराबर समझी जायेंगी। इसी तरह अगर किसी की छत मस्जिद से मिली हुई हो और बीच में कोई चीज़ या रुकावट न हो तो वह जगह भी मस्जिद से मिली हुई ही समझी जाएगी, और उस पर खड़े होकर उस इमाम की इक़्तदा करना जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहा है, ठीक है।

मस'ला २– अगर दो सफ़ों (पंक्तियां, लाइनें) के बीच कोई नहर या सड़क पड़ जाए तो उस सफ की इक्तदा ठीक न होगी जो उनके दूसरी तरफ है।

मस'ला ३– पैदल चलने वाले की घुड़सवार के या एक सवार की दूसरे सवार के पीछे इक्तदा ठीक नहीं क्योंकि दोनों की जगह बराबर नहीं है। लेकिन अगर दोनों एक ही सवारी पर हों तो दुरुस्त है।

मस'ला ४– नमाज़ी और इमाम दोनों की नमाज़ों में अलाहदगी न हो। अगर ऐसा हो तो सही जमाअ़त न होगी जैसे : इमाम ज़ुह्र की नमाज़ पढ़ता हो और पीछे वाला अस्र की नमाज़ की नीयत करे या इमाम एक दिन पहले के ज़ुह्र की। अलबत्ता अगर इमाम फ़र्ज़ पढ़ता हो और मुक्तदी नफ़्ल तो जमाअ़त ठीक है। क्योंकि इमाम

की नमाज़ मज़बूत है।

मस'ला ५– अगर मुक़तदी रमज़ान शरीफ़ में तरावीह पढ़ना चाहे और इमाम नफ़्ल पढ़ता हो तब भी जमाअत ठीक न होगी क्योंकि इमाम की नमाज़ कमज़ोर है।

मस'ला ६– इमाम की नमाज़ का हर तरह सही होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर इमाम की नमाज़ ख़ालिस न होगी तो सब मुक़तदियों की नमाज़ भी वैसी ही हो जाएगी, चाहे यह ख़राबी नमाज़ के ख़त्म होने से पहले मालूम हो जाए या ख़त्म होने के बाद, जैसे कि इमाम का वुज़ू न था और यह बात नमाज़ या उसके बाद याद आई।

मस'ला ७– अगर किसी वजह से इमाम की नमाज़ ग़लत हो जाए और मुक़तदियों को पता न चल सके तो इमाम के लिए यह ज़रूरी है कि वह जहां तक भी हो बता दे ताकि वे लोग अपनी नमाज़ों को फिर से पढ़ लें। यह इत्तिला आदमी के ज़रिए से की जाए या ख़त के ज़रिए से, दोनों तरह से बताई जा सकती है।

मस'ला ८– मुक़तदी का इमाम से आगे न खड़ा होना–चाहे वह बराबर खड़ा हो या पीछे अगर मुक़तदी इमाम से आगे खड़ा हो तो उसकी जमाअत न होगी। इमाम से आगे खड़ा होना उस वक़्त समझा जाएगा जब मुक़तदी की एड़ी इमाम की एड़ी से आगे हो जाए।

मस'ला ९– मुक़तदी को इमाम की हरकतों (जैसे रुकू, क़ौमा सज्दा, क़अ्दा वग़ैरह) का मालूम होना, चाहे इमाम को देखकर या किसी तकबीर कहने वाले की आवाज़ सुनकर या किसी मुक़तदी को देखकर। अगर मुक़तदी को इमाम की हरकतों का पता न लग सके, चाहे वह किसी चीज़ के बीच में हो, या कोई पर्दा या दीवार आ जाए मगर इमाम का हिलना-जुलना मालूम होता हो तो जमाअत सही है।

मस'ला १०– अगर इमाम का सफ़र या रुकना मालूम न हो लेकिन अन्दाज़े से उसके रुकने का ख़्याल हो बशर्ते कि वह शहर या गांव के अन्दर हो और मुसाफ़िर की-सी नमाज़ पढ़ाए यानी चार

रकअत वाली नमाज़ में दो रकअत पर सलाम फेर दे और मुकतदी का उस सलाम से इमाम के बारे में भूल का शुब्हा हो तो उस मुकतदी को अपनी चार रकअत (नमाज़) पूरी कर लेने के बाद इस बात का पता लगाना वाजिब है कि इमाम से कोई भूल हुई थी या वह मुसाफिर था। अगर पूछने पर वह मुसाफिर है तो नमाज़ हो गई लेकिन अगर नमाज़ में भूल का पता चला तो नमाज़ दोबारा पढ़ी जानी चाहिए।

मस'ला ११– अगर इमाम के बारे में यह ख़्याल है कि वह रुका हुआ है मगर वह नमाज़ शहर या गांव से बाहर पढ़ा रहा है और उसने चार रकअत वाली नमाज़ में मुसाफिर की-सी नमाज़ पढ़ाई और मुकतदी को इमाम के भूल लग जाने का शुब्हा हुआ तो इस सूरत में भी मुकतदी अपनी चार रकअत पूरी करे और बाद नमाज़ के इमाम का हाल मालूम करे तो अच्छा है।

मस'ला १२– मुकतदी को किरअत (नमाज़ की हालत में इमाम का कुरआन शरीफ पढ़ना) के सिवा सब अरकान (कामों) में इमाम का शरीक रहना, चाहे नमाज़ इमाम के साथ अदा करे, उसके बाद या पहले अदा करे बशर्ते कि इसी काम के पूरे होने तक इमाम उसका साथ दे पहली सूरत की मिसाल, इमाम रुकू करके खड़ा हो जाए, उसके बाद मुकतदी रुकू करे। दूसरी सूरत की मिसाल–इमाम से पहले रुकू में इतनी देर तक रहे कि इमाम का रुकू उससे मिल जाए।

मस'ला १३– बारह हालत में मुकतदी की हालत का इमाम से कम या बराबर होना ज़रूरी है जैसे–

(अ) रुकने वाले के पीछे नमाज़ पढ़ना रुकने से मजबूर इमाम के पीछे दुरुस्त है। शरीअत में मजबूर का रुकना मंज़िल पर ठहरने के बराबर है।

(आ) तयम्मुम करने वाले के पीछे चाहे वुज़ू का हो या गुस्ल का। गुस्ल करने वाले की इक़तदा ठीक है। क्योंकि तयम्मुम वुज़ू और गुस्ल का हुक्म पाकी में बराबर है। कोई किसी से कम या ज़्यादा नहीं।

(इ) मसह करने वाले के पीछे चाहे वह मोज़ों पर क़ाँम करता हो या पट्टी पर और धोने वाले के पीछे नमाज़ पढ़ी जा सकती है क्योंकि मसह करना और धोना एक ही दर्जे की पाकियां हैं।

(ई) मजबूर आदमी एक-दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं। बशर्ते कि दोनों को एक-सी मजबूरी हो, जैसे: दोनों की बीमारी हो या दोनों को पेट की हवा निकलने का रोग हो।

(उ) उम्मी (बिना पढ़ा-लिखा) की इक्तदा उम्मी के पीछे दुरुस्त है बशर्ते कि मुक्तदियों में क़ारी (क़ुरआन का, विद्वान) न हो।

(ऊ) औरत और नाबालिग़, बालिग़ मर्द के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं।

(ओ) औरत, औरत के पीछे नमाज़ पढ़ सकती है।

(औ) नाबालिग़ औरत या नाबालिग़ मर्द के पीछे नाबालिग़ मर्द पढ़ सकते हैं।

(अं) नफ्ल पढ़ने वाले की इक्तदा वाजिब पढ़ने वाले के पीछे दुरुस्त है। जैसे कोई ज़ुहर की नमाज़ पढ़ चुका हो और वह ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने वाले किसी आदमी के पीछे पढ़े।

(अ:) नफ्ल पढ़ने वाले की इक्तदा नफ्ल पढ़ने वाले के पीछे दुरुस्त है।

(क) कसम वाली नमाज़ पढ़ने की इक्तदा नफ्ल नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे दुरुस्त है क्योंकि कसम वाली नमाज़ भी असल में नफ्ल नमाज़ है यानी एक शख़्स ने कसम खाई कि वह दो रकअत नमाज़ पढ़ेगा और फिर किसी नफ्ल नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे उसने दो रकअत नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो जाएगी और कसम भी पूरी हो जाएगी।

(ख) नज़र की नमाज़ पढ़ने वाले की इक्तदा नज़र की नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे दुरुस्त है बशर्ते कि दोनों की नज़र एक हो। जैसे

कि एक शख़्स की नज़र के बाद दूसरा शख़्स कहे कि उसने भी इस चीज़ की नज़र की जिसकी फलां शख़्स ने की है और अगर यह सूरत न हो बल्कि एक ने दो रकअत की अलग नज़र की है और दूसरे ने अलग, तो उन में से किसी के लिए दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ना दुरुस्त न होगी। मतलब यह कि जब इमाम से मुक़तदी कम या बराबर होगा तो इक़तदा दुरुस्त हो जाएगी।

नीचे की १६ सूरतों में मुक़तदी इमाम से ज़्यादा हो तो किसी सूरत में भी उसके पीछे नमाज़ दुरुस्त नहीं।

(अ) बालिग़ की इक़तदा चाहे वह मर्द हो या औरत नाबालिग़ के पीछे दुरुस्त नहीं।

(आ) मर्द की इक़तदा चाहे बालिग़ हो या नाबालिग़, औरत के पीछे दुरुस्त नहीं।

(इ) जिस औरत को अपने हैज़ का ज़माना याद न हो उसकी इक़तदा उसी तरह की औरत के पीछे दुरुस्त नहीं। इन दोनों सूरतों में मुक़तदी को इमाम से ज़्यादा होना समझा गया है।

(ई) होश व हवास वाले की इक़तदा मजनूं, मस्त, बेहोश व बेअक़्ल के पीछे दुरुस्त नहीं।

(उ) ताहिर (पाक, पवित्र) की इक़तदा मा'ज़ूर के पीछे जैसे उस शख़्स के जिसको पथरी की बीमारी की शिकायत हो, दुरुस्त नहीं जैसे किसी को पेट की हवा निकलते रहने का रोग हो और वह ऐसे शख़्स की इक़तदा करे जिसको पथरी की बीमारी हो।

(ऊ) एक तरह की मजबूरी वाले की इक़तदा दूसरी तरह की मजबूरी वाले के पीछे दुरुस्त नहीं। जैसे: पथरी का बीमार आदमी ऐसे आदमी की इक़तदा करे जिसको नक्सीर बहने की शिकायत हो।

(ओ) एक मजबूरी वाले की इक़तदा दो मजबूरियों वाले के पीछे ठीक नहीं जैसे किसी को पेट की हवा निकलने का रोग हो और वह

ऐसे आदमी की इक़तदा करे जिसे पेट की हवा निकलने और पथरी के दो रोग हों।

(औ) पढ़े-लिखे आदमी की इक़तदा उम्मी के पीछे दुरुस्त नहीं। क़ारी वह कहलाता है जिसे इतना कुरआन शरीफ़ सही याद हो जिससे नमाज़ हो जाती हो और उम्मी वह, जिसे इतना भी याद न हो।

(अं) उम्मी की इक़तदा उम्मी के पीछे जब कि मुक़तदियों में कोई क़ारी मौजूद हो दुरुस्त नहीं क्योंकि इस सूरत में उस उम्मी इमाम की नमाज़ फ़ासिद हो गई तो सब मुक़तदियों की नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी जिनमें वह क़ारी भी मुक़तदी है।

(अः) उम्मी की इक़तदा गूंगे के पीछे दुरुस्त है क्योंकि उम्मी अगरचे कुरआन शरीफ़ नहीं पढ़ सकता लेकिन उसमें ऐसा करने की ताक़त तो है इसलिए वह पढ़ना सीख सकता है जबकि गूंगे में यह ताक़त बिल्कुल नहीं।

(क) जिस शख़्स का जिस्म जितना ढकना फ़र्ज़ है छुपा हुआ हो, उसकी इक़तदा नंगे आदमी के पीछे दुरुस्त नहीं।

(ख) रुकू व सुजूद करने वाले की इक़तदा इन दोनों से मजबूर के पीछे दुरुस्त नहीं और अगर कोई शख़्स सज्दे से मजबूर हो, उसके पीछे भी इक़तदा दुरुस्त नहीं।

(ग) फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने वाले की इक़तदा नफ़्ल पढ़ने वाले के पीछे दुरुस्त नहीं क्योंकि नफ़्ल की नमाज़ वाजिब है।

(घ) नज़्र की नमाज़ पढ़ने वाले की इक़तदा नफ़्ल पढ़ने वाले के पीछे दुरुस्त नहीं।

(ङ) नज़्र की नमाज़ पढ़ने वाले की इक़तदा क़सम की नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे दुरुस्त नहीं जैसे कि किसी ने क़सम खाई कि वह चार रकअ़त नमाज़ पढ़ेगा और किसी ने नज़्र की और नज़्र करने

वाला उसके पीछे नमाज़ पढ़े तो दुरुस्त न होगी क्योंकि नज़्र की नमाज़ वाजिब है और कसम की नफ्ल क्योंकि कसम से ही कफ्फारा (प्रायश्चित) वाजिब होता है और उसमें यह भी हो सकता है कफ्फारा दे दे और नमाज़ न पढ़े।

(च) जिस शख़्स से साफ हरुफ अदा न हो सकते हों या किसी हरुफ में तब्दीली होती हो तो उसके पीछे साफ और सही पढ़ने वाले की नमाज़ दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर पूरी क़िरअत में एक-दो हरुफ ऐसे आ जाएं तो इक्तदा दुरुस्त हो जाएगी।

(छ) इमाम का अकेला न होना यानी ऐसे शख़्स के पीछे इक्तदा दुरुस्त नहीं जिसका उस वक्त रहना ज़रूरी है। जैसे: जमाअ़त में देर से शामिल होने वालों की कि उस को इमाम की नमाज़ ख़त्म हो जाने के बाद अपनी छूटी हुई रकअ़त को अकेले पढ़ना ज़रूरी है। बस अगर कोई शख़्स किसी मस्बूक़ (जो व्यक्ति देर से नमाज़ में सम्मिलित हो और उसकी कुछ नमाज़ इमाम के साथ पढ़ने से छूट जाए) की इक्तदा करे तो दुरुस्त न होगी।

(ज) इमाम को किसी का मुक्तदी न होना यानी ऐसे शख़्स को इमाम न बनाना चाहिए जो खुद किसी का मुक्तदी हो ख़्वाह वह आदमी जिसे जमाअ़त की नमाज़ पूरी मिल जाए या जो जमाअ़त में शामिल हो मगर किसी मजबूरी से जमाअ़त से अलग होकर फिर जमाअ़त में शामिल हो। लाहिक़ (लगा हुआ, मिला हुआ) अपनी उस रकअ़त में जो इमाम के साथ उसको नहीं मिली मुक्तदी का हुक्म रखता है। इस लिए अगर कोई शख़्स लाहिक़ की इक्तदा करे तो दुरुस्त नहीं। इसी तरह अब किसी मस्बूक़ की या लाहिक़ मस्बूक़ की इक्तदा करे तो दुरुस्त नहीं।

ये सब शर्तें जमाअ़त के ही होने की हैं अगर इनमें से कोई शर्त किसी मुक्तदी में न पाई जाए तो उसकी इक्तदा ठीक नहीं होगी और जब किसी मुक्तदी की इक्तदा ठीक न होगी तो उसकी वह

नमाज़ भी न होगी जिसको उसने इक़तदा करने की हालत में अदा किया है।

15. जमाअ़त के अहकाम

जुमा और ईदैन की नमाज़ों में यह शर्त है कि ये नमाज़ें बग़ैर जमाअ़त के नहीं होतीं। यानी ये नमाज़ें अकेले नहीं होतीं। पांच वक़्ती नमाज़ों में भी जमाअ़त वाजिब है बशर्ते कि कोई मजबूरी न हो और तरावीह में ताकीद वाली सुन्नत है, अगरचे एक कुरआन जमाअ़त के साथ पढ़ा जा चुका हो। इसी तरह नमाज़ें कुसूफ़ (सूर्यग्रहण) के लिए और रमज़ान शरीफ़ के वित्रों में इससे बचना चाहिए यानी जबकि मवाज़िबत (हमेशा एक ही काम करना) की जाए और अगर हमेशा एक ही गिनती में लोग जमाअत न बनाएं बल्कि कभी-कभी दो-तीन आदमी जमाअ़त से पढ़ लें तो मकरूह नहीं और नमाज़ ख़ुसूफ़ (चन्द्रग्रहण) में और सब नफ़्लों में मकरूह तहरीमी (नापसन्दीदा) है बशर्ते कि इस तरीक़े से अदा की जाए जिस तरीक़े से फ़र्ज़ों की जमाअत होती है यानी अज़ान बे-इक़ामत के साथ या और किसी तरीक़े से लोगों को जमा करके हो। अगर बे-अज़ान बे इक़ामत के और बिना बुलाए हुए दो-तीन आदमी जमा होकर किसी नफ़्ल की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ लें तो कुछ हरज नहीं और फिर भी दवाम (एक ही बात हमेशा करना) न करें और इसी तरह मकरूह तहरीमी हैं। हर फ़र्ज़ की दूसरी जमाअ़त इन चार शर्तों के साथ अदा की जाए।

(१) मस्जिद मुहल्ले की हो और आम रास्ता न हो, मुहल्ले की मस्जिद वह है जिसमें वहां का इमाम और नमाज़ी गिने-चुने हों,

(२) पहली जमाअ़त ऊंची आवाज़ से अज़ान व इक़ामत कहकर पढ़ी गई हो,

(३) पहली जमाअ़त उन लोगों ने पढ़ी हो जो उस मुहल्ले में रहते हों और जिनको उस मस्जिद के इन्तज़ाम का एख़्तियार हासिल हो,

(४) दूसरी जमाअ़त उसी तरीक़े और इन्तज़ाम से अदा की जाए जिस तरह पहली जमाअ़त अदा की गई है। यह चौथी शर्त सिर्फ़ इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि0 के नज़दीक है और इमाम साहब रह0 के नज़दीक हालत बदल देने पर भी कराहियत (बुराई, ख़राबी, मकरूह होना) रहती है इसलिए अगर दूसरी जमाअ़त मस्जिद में अदा न करके घर में की जाए तो यह मकरूह नहीं है।

अगर इन चार शर्तों में से कोई शर्त न पाई जाए। जैसे: मस्जिद आम रास्ते पर हो मगर मुहल्ले की न हो तो उसमें दूसरी बल्कि तीसरी और चौथी जमाअ़त भी मकरूह नहीं या पहली जमाअ़त उन लोगों ने पढ़ी जो उस मुहल्ले में नहीं रहते, न उनको मस्जिद का इन्तज़ाम करने का एख़्तियार हासिल है या बक़ौल इमाम अबू यूसुफ रह0 दूसरी जमाअ़त उस तरीक़े से अदा न की जाए जिस तरीक़े से पहली जमाअ़त अदा की गई है। जिस जगह पहली जमाअ़त का इमाम खड़ा हुआ था दूसरी जमाअ़त का इमाम वहां से हटकर खड़ा हो तो हालत बदल जाएगी और जमाअ़त मकरूह न होगी।

16. मुक़तदी और इमाम

मस'ला १— मुक़तदियों को चाहिए कि मौजूद लोगों में इमाम बनने की ख़ूबियां जिस शख़्स में ज़्यादा से ज़्यादा हों उसी को इमाम बनाएं अगर कुछ लोग ऐसे हों जो इमाम की लियाक़त में बराबर हों तोज़िंयादा लोग जिसेचाहें उसी को इमाम बनाया जाए अगर इमाम से ज़्यादा लायक़ होने वाले शख़्स के होते हुए भी उससे कम लियाक़त वाले आदमी को इमाम बनाया तो सुन्नत छोड़ने की ख़राबी पैदा हो जाएगी।

मस'ला २— इमाम बनाने का सबसे ज़्यादा हक़ उस शख़्स को है जो नमाज़ के मसाइल खूब जानता हो बशर्ते कि ऊपरी तौर पर उसमें कोई ख़राबी न हो यानी वह मसनून क़िरअत पढ़ना जानता हो। कुरआन मजीद ठीक और अच्छ पढ़ता हो। वह सबसे ज़्यादा परहेज़गार, ज़्यादा उम्र वाला, मेहरबान, ख़ूबसूरत, शरीफ़, अच्छी आवाज़ वाला और अच्छे कपड़े पहनने वाला हो, वह शख़्स एक जगह रुका हुआ हो। मुसाफ़िरों के बनिस्बत उसमें दो ख़ूबियां पाई जायें— जैसे वह शख़्स नमाज़ के मसाइल भी जानता हो और कुरआन पाक भी अच्छा पढ़ता हो।

मस'ला ३— अगर किसी के घर जमाअत की जाए तो घर वाले को इमाम बनाना चाहिए। इसके बाद जिसे वह शख़्स कह दे।

मस'ला ४— जिस मस्जिद में कोई इमाम मौजूद हो वहां उसके होते हुए दूसरा इमाम नहीं हो सकता। लेकिन अगर वह किसी को इमाम बना दे तो कोई हर्ज नहीं है।

मस'ला ५— काज़ी यानी शरीअत के हाकिम या मुसलमान बादशाह के होते हुए दूसरे को इमाम बनाने का हक़ नहीं।

मस'ला ६— लोगों की मर्ज़ी के बग़ैर किसी को इमाम बनाना मकरूह तहरीमी है। हाँ, अगर वह शख़्स इमामत का सबसे ज़्यादा हक़दार हो यानी उसमें इमाम बनने की जितनी ख़ूबियां हों उनके बराबर किसी में न हों तो कुछ बुरा नहीं बल्कि जो उसकी इमामत से नाराज़ हो, वह ग़लती पर है।

मस'ला ७— फ़ासिक़ (गुनाहगार, बदकार) और बिदअती (नई बात निकालने वाला) को इमाम बनाना मकरूह तहरीमी है। हाँ, अगर ख़ुदा-न-ख़्वासता ऐसे लोगों के सिवा कोई दूसरा शख़्स वहां मौजूद न हो तो मकरूह नहीं। इसी तरह अगर बिदअती और फ़ासिक़ असर वाले हों और उन्हें हटाने की ताक़त न हो या झगड़ा होने का डर हो तब भी बुराई नहीं है।

मस'ला ८– फ़िक़ः (धार्मिक बातों वाली पुस्तक) के क़ायदे से गुलाम आदमी को इमाम बनाना, चाहे वह आज़ाद हो या गंवार यानी गांव का रहने वाला और अन्धा जो पानी की एहतियात न रखता हो या ऐसा आदमी जिसे रात को कम नज़र आता हो या हरामी को इमाम बनाना मकरूह तन्ज़ीही है। हाँ, अगर ये लोग पढ़े-लिखे हों और लोग उन्हें इमाम बनाना पसन्द करें तो कोई बात नहीं। इसी तरह से किसी नौजवान को इमाम बनाना जिसकी दाढ़ी न निकली और कोई पागल हो उसको इमाम बनाना मकरूह तन्ज़ीही है।

मस'ला ९– इमाम का नमाज़ में बड़ी-बड़ी सूरतें पढ़ना जो मसनून तरीक़े से बड़ी हों रुकू व सज्दे में बहुत ज़्यादा देर तक रहना, नापसंदीदा होने की वजह से मकरूह है, बल्कि इमाम को चाहिए कि अपने मुक़तदियों की हाजत (आवश्यकता, इच्छा) ज़रूरत और कमज़ोरी का ख़्याल रखे, बल्कि ज़्यादा ज़रूरत के वक़्त बताई हुई मिक़्दार से भी कम क़िरअत (लय से पढ़ाई) करना बेहतर है ताकि लोगों का हर्ज (हानि) न हो जो जमाअत की कमी का सबब बन जाए।

मस'ला १०– अगर एक ही मुक़तदी हो और वह मर्द हो या नाबालिग़ लड़का तो उसे इमाम के दाहिनी तरफ़ या इमाम के बराबर या उससे कुछ पीछे हटकर खड़ा होना चाहिए। अगर वह बायें जानिब या इमाम के पीछे खड़ा हो तो मकरूह है।

मस'ला ११– अगर एक से ज़्यादा मुक़तदी हों तो उनको इमाम के पीछे सफ़ बांधकर खड़ा होना चाहिए। अगर इमाम के दायें बायें जानिब खड़े हों और दो हों तो इससे बचना चाहिए। अगर दो से ज़्यादा हों तो हराम होने की वजह से नापसंदीदा है। इसलिए कि जब दो से ज़्यादा मुक़तदी हों तो इमाम का आगे खड़ा होना वाजिब है।

मस'ला १२– अगर नमाज़ शुरू करते वक़्त एक ही मर्द मुक़तदी था और वह इमाम की 'दाईं' जानिब खड़ा हुआ। उसके बाद और मुक़तदी आ गए तो पहले मुक़तदी को चाहिए कि पीछे हट जाए ताकि

सब मुकतदी मिलकर इमाम के पीछे खड़े हों। अगर वह न हटे तो उन मुकतदियों को चाहिए कि उसे खींच ले। अगर नाजानकारी से वे मुकतदी पीछे खड़े हो गये तो इमाम को चाहिए कि वह आगे बढ़ जाए ताकि सब मुकतदी मिल जायें और इमाम के पीछे हो जायें। इसी तरह अगर पीछे हटने की जगह से नावाकिफ़ हो। जैसा कि अकसर देखा जाता है तो उसे हटाना मुनासिब नहीं क्योंकि हो सकता है वह कभी कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिससे पूरी नमाज़ ख़राब हो जाये।

मस'ला १३— अगर मुकतदी औरत हो या नाबालिग़ लड़की, तो उसे चाहिए इमाम के पीछे खड़ी हो, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा।

मस'ला १४— अगर मुकतदियों में हर तरह के लोग हों— कुछ मर्द, कुछ औरतें, कुछ नाबालिग़— तो इमाम को चाहिए कि इस तरकीब से उनकी सफ़ें कायम करे। यानी पहले मर्दों की सफ़ें, फिर नाबालिग़ लड़कों की, फिर बालिग़ औरतों की और फिर नाबालिग़ लड़कियों की।

मस'ला १५— इमाम को चाहिए कि सफ़ें सीधी करे, यानी सफ़ में लोगों को आगे-पीछे होने से मना करे, सबको बराबर खड़े होने का हुक्म दे। सफ़ में एक-दूसरे से मिलकर खड़ा होना चाहिए यानी दर्मियान में जगह ख़ाली नहीं रखना चाहिए।

मस'ला १६— अकेले आदमी का सफ़ के पीछे खड़ा होना मकरूह है बल्कि ऐसी हालत में चाहिए कि अगली सफ़ से किसी आदमी को खींचकर अपने साथ खड़ा कर ले लेकिन अगर खींचने में यह डर हो कि अपनी नमाज़ ख़राब करेगा या बुरा मानेगा तो ऐसा न करे।

मस'ला १७— पहली सफ़ में जगह होते हुए दूसरी सफ़ में खड़ा होना मकरूह है। हाँ, जब सफ़ पूरी हो जाए तब दूसरी सफ़ में खड़ा होना चाहिए।

मस'ला १८— मर्द को सिर्फ़ औरतों की इमामत ऐसी जगह करनी ठीक नहीं जहां कोई मर्द न हो और न माँ या बहन-जैसी औरत हो।

अगर कोई मर्द या कोई जानकार औरत हो तो फिर मकरूह नहीं।

मस'ला १९– अगर कोई आदमी अकेले फ़ज्र, मग़्रिब या इशा के फ़र्ज़ आहिस्ता आवाज़ से पढ़ रहा हो और उसी बीच कोई आदमी उसके पीछे नमाज़ पढ़ने लगे तो इसमें दो सूरतें हैं– एक यह कि वह आदमी दिल में यह सोच ले कि अब वह इमाम बनता है ताकि नमाज़ जमाअत से हो जाए। दूसरी सूरत यह कि इरादा न करें, बल्कि पहले की तरह अपने को यह समझे कि अगर्चे वह आदमी उसके पीछे आ खड़ा हुआ लेकिन वह इमाम नहीं बनता बल्कि पहले की तरह अकेला ही नमाज़ पढ़ता है। अगर पहली सूरत है तो उस पर उसी जगह से ऊंची आवाज़ से क़िरअत करना वाजिब है। लेकिन अगर वह सूरः फ़ातिहा (सूरः अल्हम्द) या कुछ दूसरी सूरः भी आहिस्ता आवाज़ से पढ़ चुका हो तो उसे चाहिए कि उस जगह से बाक़ी फ़ातिहा या बकाया सूरः को ज़ोर से पढ़े। क्योंकि इमाम को फ़ज्र, मग़्रिब और इशा के वक़्त बुलंद आवाज़ से क़िरअत करना वाजिब है और उस मुक़तदी की नमाज़ भी ठीक रहेगी क्योंकि नमाज़ के ठीक-ठीक अदा हो जाने के लिए इमामत की नीयत करना ज़रूरी है।

मस'ला २०– इमाम और अकेले आदमी को घर या मैदान में नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है, मगर वह अपने सामने चाहे दायें या बायें, कोई ऐसी चीज़ खड़ी कर ले जो एक हाथ या उससे ज़्यादा ऊंची और एक उंगली के बराबर मोटी हो। अगर वह मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हो या ऐसी जगह हो जहां लोगों को नमाज़ी के सामने से गुज़रना हो तो कोई चीज़ खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है और इमाम का सुतरः (नमाज़ी के आगे जो आड़ या रुकावट बनाई जाए।) सब मुक़तदियों की तरफ़ से काफ़ी है और सुतरः क़ायम हो जाने के बाद उसके आगे से निकल जाने में कुछ गुनाह नहीं लेकिन अगर सुतरे के अन्दर से कोई निकले तो गुनाहगार होगा।

मस'ला २१– जिस मुक़तदी की कुछ रकअ़त नमाज़ या सब रकअ़त जमाअ़त में शरीक होने के बाद सो जाने या किसी और वजह

से छूट जायें या वह ज़्यादा लोगों की वजह से रुकू व सज्दे न कर सके या उसका वुज़ू टूट जाए और वह वुज़ू करने के लिए जाए और इस दर्मियान उसकी रकअत जाती रहे या एक जगह ठहरने वाले मुसाफिर की इकतदा करे और मुसाफिर कम नमाज़ पढ़े तो वह एक जगह ठहरने वाला, इमाम के नमाज़ ख़त्म करने के बाद लाहिक है। ऐसा भी हो सकता है कि वह इमाम से पहले किसी रकअत का रुकू व सज्दा अदा कर ले और इस वजह से वह रकअत उसकी ग़ायब समझी जाये तो उस रकअत की वजह से वह लाहिक समझा जायेगा। ऐसे आदमी को चाहिए कि वह पहले अपनी उन रकअतों को अदा करे जो छूट गई हैं और उनके अदा करने के बाद अगर जमाअत बाकी हो तो उसमें शरीक हो जाए वरना बाकी नमाज़ पढ़ ले।

मस'ला २२– लाहिक अपनी छूटी नमाज़ में भी मुकतदी समझा जायेगा। जैसे मुकतदी किरअत नहीं पढ़ता, वैसे ही लाहिक भी किरअत न करके ख़ामोश खड़ा रहे और जैसे मुकतदी को भूल हो जाने में भूल का सज्दा करने की ज़रूरत नहीं होती वैसे ही लाहिक का भी हाल है।

मस'ला २३– जिस आदमी की एक या दो रकअत रह गई हों तो उसे चाहिए कि पहले इमाम के साथ शरीक होकर जितनी नमाज़ बाकी हो जामअत से पढ़ ले और इमाम के नमाज़ ख़त्म करने के बाद खड़ा हो जाये और अपनी छूटी हुई रकअत पढ़े।

मस'ला २४– इमाम के साथ पूरी नमाज़ न पढ़ सकने वाले आदमी का अपनी छूटी हुई नमाज़ अकेले आदमी की तरह किरअत के साथ पढ़नी चाहिए और अगर उन रकअत में कोई भूल हो जाये तो उसे भूल का सज्दा करना भी ज़रूरी है।

मस'ला २५– इमाम के साथ पूरी नमाज़ न पढ़ने वाले आदमी को अपनी छूटी नमाज़ इस तरतीब से अदा करनी चाहिए कि पहले किरअत वाली, फिर बिना किरअत की और जो रकअत इमाम के साथ पढ़ चुका है, उसके हिसाब से काअ़दा (दूसरी रकअत के बाद

बैठ जाना) करे और जो तीसरी रकअ़त हो और नमाज़ तीन रकअ़त वाली हो तो उसमें आख़िर में क़अ़्दा करे, या जैसा भी मौका हो।

मिसाल– जुहर की नमाज़ में तीन रकअ़त हो जाने के बाद कोई आदमी जमाअत में शरीक हो तो उसे चाहिए कि इमाम के सलाम फेर लेने के बाद खड़ा हो जाए और छूटी हुई तीन रकअ़त नमाज़ इस तरतीब से पढ़े : पहली रकअत में सूर : फ़ातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत मिलाकर रुकू व सज्दा करके पहला क़अ़्दा करे, क्योंकि यह रकअ़त उस मिली हुई रकअ़त के हिसाब से दूसरी है फिर दूसरी रकअ़त में भी सूर : फ़ातिहा के साथ कोई सूरत मिलाये और उसके बाद क़अ़्दा न करे क्योंकि यह रकअ़त उस मिली हुई रकअत के हिसाब से तीसरी है। फिर तीसरी रकअ़त में सूर : फ़ातिहा के साथ कोई सूरत न मिलाए क्योंकि वह रकअ़त किरअ़त की न थी और उसमें क़अ़्दा करे क्योंकि वह आख़िरी क़अ़्दा है।

मसला २६– अगर कोई आदमी लाहिक़ भी हो और मस्बूक़ भी हो जैसे कुछ रकअ़त हो जाने के बाद वह जमाअ़त में शरीक हुआ हो और जमाअत में शरीक होने के बाद कुछ रकअत उसकी चली जायें तो उसे चाहिए कि पहले अपनी रकअ़त पढ़े जो जमाअत में शरीक होने के बाद गई हैं और जिनमें वह लाहिक़ है। मगर उन्हें पढ़ने में वह अपने आपको ऐसा समझे कि जैसे इमाम के पीछे ही नमाज़ पढ़ रहा है, यानी क़िरअत न करे और इमाम की तरतीब का लिहाज़ रखे। बाद में अगर जमाअ़त बाकी हो तो उसमें शरीक हो जाये वरना बाक़ी नमाज़ भी पढ़ ले। इसके बाद अपनी उन रकअ़त को अदा करे, जिनमें वह पूरी नमाज़ इमाम के साथ नहीं पढ़ सका।

मिसाल – अस्र की नमाज़ में एक रकअ़त हो जाने के बाद कोई आदमी शरीक हो और शरीक होने के बाद उसका वुज़ू टूट जाये। वह वुज़ू करने गया और इस दर्मियान नमाज़ ख़त्म हो गयीं तो उसे चाहिए कि पहले वह ये तीन रकअ़त पढ़े जो उसके जमाअत में शरीक होने के बाद जाती रहीं। फिर उस रकअ़त को पढ़े जो उसके

शरीक होने से पहले हो चुकी थीं और उन तीनों रकअत को मुक्तदी की तरह अदा करे यानी किरअत न पढ़े और उस तीन की पहली रकअत में क़अ्दा करे, क्योंकि वह इमाम की दूसरी रकअत है और इमाम ने उसमें क़ाअदा किया था। फिर दूसरी रकअत में क़ाअदा न करे क्योंकि वह इमाम की तीसरी रकअत है। फिर तीसरी रकअत में क़अ्दा करे क्योंकि वह इमाम की चौथी है और उसमें इमाम ने क़अ्दा किया था। फिर वह उस रकअत को पढ़े, जो उसके शरीक होने से पहले हो चुकी थी और उसमें भी क़अ्दा करे, क्योंकि वह उसकी चौथी रकअ्त है और उस रकअ्त में किरअत भी करनी होगी क्योंकि वह इस रकअ्त में मस्बूक़ है और मस्बूक़ अपनी छूटी हुई रकअ्त को अदा करने में अकेला आदमी-जैसा माना गया है।

मस'ला २७— मुक्तदियों को नमाज़ में हर रुक्न (शर्त, आवश्यक कार्य) का इमाम के साथ ही देर किए बग़ैर अदा करना सुन्नत है। तहरीमा (नमाज़ में नीयत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहना) भी इमाम के साथ करे। रुकू भी इमाम के रुकू के साथ, क़ौमा (रुकू से उठना) भी क़ौमे के साथ, सज्दा भी उसके सज्दे के साथ यहां तक कि हर काम इमाम के साथ-साथ हो। हाँ, अगर पहले क़अ्दे में इमाम उससे पहले इस तरह खड़ा हो जाये कि 'मुक्तदी अत्तहिय्यात' पूरी करे तो मुक्तदियों को चाहिए कि अत्तहिय्यात पूरी कर, सलाम फेर द तो मुक्तदियों को चाहिए कि अत्तहिय्यात पूरी करके सलाम फेर ले। हाँ, रुकू व सज्दे में अगर्चे मुक्तदियों ने तस्बीह न पढ़ी हो तो भी इमाम के साथ ही खड़ा होना चाहिए।

17. जमाअ्त में शामिल हो सकना

मस'ला १— अगर कोई आदमी अपने मुहल्ले या मकान के करीब मस्जिद में ऐसे वक्त पहुंचा कि वहां जमाअ्त हो चुकी थी तो

8

उसे मुस्तहब है कि वह दूसरी मस्जिद में जमाअत के लिए जाए। उसे यह भी एख़्तियार है कि अपने घर में वापस आकर घर के लोगों को जमा करके जमाअत करे।

मस'ला २– अगर कोई अपने घर में फ़र्ज़ नमाज़ अकेले पढ़ चुका हो और वह देखे कि वही फ़र्ज़ जमाअत से हो रही है, तो उसे चाहिए कि जमाअत में शरीक हो जाए मगर शर्त यह है कि वह ज़ुहर और इशा का वक़्त हो। फज्र की नमाज़ों के बाद नफ़्ल नमाज़ मकरूह है और मग़्रिब के बाद इसलिए कि यह दूसरी नमाज़ नफ़्ल होगी और नफ़्ल में तीन रकआत नही बताई गई।

मस'ला ३– अगर कोई आदमी फ़र्ज नमाज़ शुरू कर चुका हो और उसी हालत में फ़र्ज़ जमाअत से होने लगे तो अगर वह फ़र्ज़ दो रकअत वाली है। जैसे: फज्र की नमाज़, तो उसका यह हुक्म है कि अगर पहली रकअत का सजदा न किया हो तो उस नमाज़ को तोड़ दे और जमाअत में शामिल हो जाये। अगर पहली रकअत का सज्दा कर लिया हो और दूसरी रकअत का सज्दा न किया हो तब भी तोड़ दे और जमाअत में शामिल हो जाये। अगर दूसरी रकअत का सज्दा कर लिया हो तो दोनों रकअत पूरी कर ले। और अगर वह फ़र्ज़ तीन रकअत वाली है, जैसे मग़्रिब तो उसका यह हुक्म है कि अगर दूसरी रकअत का सजदा न किया हो तो छोड़ दे और अगर दूसरी रकअत का सज्दा कर लिया हो तो अपनी नमाज़ पूरी कर ले और बाद में जमाअत के अन्दर शरीक न हो, क्योंकि नफ़्ल तीन रकअत के साथ जायज़ नहीं। अगर फ़र्ज़ चार रकअत वाली हो जैसे ज़ुहर, अस्र, इशा तो अगर पहली रकअत का सजदा न किया हो तो उसे तोड़ दे और अगर सज्दा कर लिया हो तो रकअत का अत्तहियात और दुरूद शरीफ़ पढ़कर सलाम फेर दे और जमाअत में मिल जाये। और अगर तीसरी रकअत शुरू कर दी और उसका सज्दा न किया हो तो तोड़ दे और अगर सज्दा कर लिया हो तो नमाज़ पूरी कर ले और जिन शक्लों में नमाज़ पूरी कर ली जाये उन में से मग़्रिब फज्र और अस्र में तो दोबारा जमाअत में शरीक न हो और ज़ुहर और इशा में शरीक

हो जाये और जिन सूरतों में नमाज़ छोड़नी हो तो खड़े-खड़े एक सलाम फेर दे।

मस'ला ४— अगर कोई आदमी नफ्ल नमाज़ शुरू कर चुका हो और फ़र्ज़ जमाअत से होने लगे तो नफ्ल नमाज़ न तोड़े बल्कि उसे चाहिए कि दो रकअत पढ़कर सलाम फेर दे। अगर चार रकअत की नीयत हो।

मस'ला ५— जुह्र और जुमे की ज़रूरी सुन्नतें अगर शुरू कर चुका हो और फर्ज़ जमाअत से होने लगे तो दो रकअ्त पर सलाम फेरकर जमाअ़त में शामिल हो जाये। बहुत से लोग यह कहते हैं कि चार रकअ्त पूरी कर ले और अगर तीसरी रकअ्त शुरू कर दी अब चार रकअ्त पूरी करना ज़रूरी है।

मस'ला ६— अगर फर्ज़ नमाज़ हो रही हो तो फिर सुन्नत शुरू न की जाये बशर्ते कि किसी रकअ्त के चले जाने का डर हो। हाँ, अगर यह डर या यकीन हो कि कोई रकअत न जायेगी तो पढ़ ले। जैसे: ज़ुह्र के वक्त जब फर्ज़ शुरू हो जायें और डर हो कि सुन्नत पढ़ने से कोई रकअ्त जाती रहेगी तो फिर वे सुन्नतें जो फर्ज़ से पहले पढ़ी जाती है, छोड़ दे। फिर ज़ुह्र और जुमे में फ़र्ज़ के बाद। अच्छा यह है कि बाद वाली ज़रूरी सुन्नत पहले पढ़कर उन सुन्नतों को पढ़ ले। मगर फज्र की सुन्नतें चूंकि ज़रूरी होती हैं इसलिए उनके लिए यह हुक्म है कि अगर फर्ज़ शुरू हो चुका हो तब भी पढ़ ली जायें मगर शर्त यह है कि एक रकअ्त फर्ज़ मिल जाने की उम्मीद हो। अगर एक रकअ्त के भी मिल जाने की उम्मीद न हो तो फिर न पढ़े। फिर अगर चाहे तो सूरज निकलने के बाद पढ़े।

मस'ला ७— अगर यह डर हो कि फज्र की सुन्नत नमाज़ के सुनन (सुन्नतें) और मुस्तहब्बात पाबन्दी से अदा किये जायेंगे तो जमाअ़त न मिलेगी तो ऐसी हालत में चाहिए कि सिर्फ फर्ज़ और वाजिब नमाज़ें ही पढ़ें, सुन्नत छोड़ दे।

मस'ला ८— फर्ज़ शुरू होने की हालत में जो सुन्नतें पढ़ी जाये,

चाहे वे फ़र्ज़ की हों या किसी और वक़्त की, वे ऐसी जगह पढ़ी जाये जो मस्जिद से अलग हो। क्योंकि जहां फ़र्ज़ नमाज़ हुई हो फिर कोई दूसरी नमाज़ वहां पढ़ना हराम होने की वजह से अच्छा नहीं है। और अगर ऐसी कोई जगह न मिले तो सब से अलग होकर मस्जिद के किसी भी कोने में नमाज़ पढ़ ले।

मस'ला ९– अगर जमाअ़त का क़ाअ़्दा मिल जाये और रकअ़त न मिले तब भी जमाअत का सवाब मिल जायेगा।

मस'ला १०– जिस रकअ़त का रुकू इमाम के साथ मिल जाये तो समझना चाहिए कि वह रकअ़त मिल गई। हाँ, अगर रुकू न मिले तो फिर उस रकअत की गिनती न मिलने में होगी।

मस'ला ११– सब औरतें अपनी-अपनी नमाज़ अलग-अलग पढ़े, जमाअत से न पढ़ें और जमाअत के लिये मस्जिद में जाना और वहां जाकर मर्दों के साथ न पढ़ना चाहिए। अगर कोई औरत अपने शौहर या बाप के साथ जमाअत करके नमाज़ पढ़े तो किसी मर्द के बराबर खड़ी न हो, बिल्कुल पीछे रहे वरना उसकी नमाज़ ख़राब होगी, साथ ही उस मर्द की भी नमाज़ बरबाद हो जायेगी। वह इमाम के पीछे अलहम्द और कोई और सूर: वग़ैरा न पढ़े, बस ख़ामोश खड़ी रहे।

18. नीयत के मसायल

मस'ला १– मुक़तदी को अपने इमाम की इक़तदा की नीयत करना भी शर्त है।

मस'ला २– इमाम को सिर्फ़ अपनी नमाज़ की नीयत करना शर्त है, इमामत की नीयत करना शर्त नहीं। हाँ, अगर कोई औरत उसके पीछे नमाज़ पढ़ना चाहे और मर्दों के बराबर खड़ी हो और नमाज़े जनाज़ा, नमाज़े जुमा और ईदैन भी न हो तो उसकी इक़तदा सही

होने के लिए उसकी इमामत की नीयत करना शर्त है और अगर मर्दों के बराबर न खड़ी हो या नमाज़ जनाज़ा या जुमा ईदैन की हो तो फिर शर्त नहीं।

मस'ला ३— मुक्तदी को इमाम के बारे में यह खोज नहीं करनी चाहिए कि वह ज़ैद है या उमर बल्कि सिर्फ़ इतनी नीयत काफी है— 'मैं इस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता हूं।' हां अगर उसका नाम लेकर नीयत करेगा और फिर उसके ख़िलाफ़ होगा तो उसकी नमाज़ न होगी। जैसे किसी ने यह नीयत की कि वह ज़ैद के पीछे नमाज़ पढ़ता है, वह ख़ालिद है तो उसकी नमाज़ न होगी।

19. नमाज़ के ख़ास मसाइल

मस'ला १— कुछ नावाक़िफ़ लोग मस्जिद में आकर इमाम को रुकू में पाते हैं तो जल्दी के ख़्याल से आते ही झुक जाते हैं और उसी हालत में तकबीर तहरीमा कहते हैं। उनकी नमाज़ नहीं होती क्योंकि तकबीर तहरीमा के लिए क़ियाम खड़ा होना शर्त है। जब क़ियाम न किया वह ठीक न हुई और जब वह ठीक न हुई तो नमाज़ भी ठीक न होगी।

मस'ला २— 'आमीन' के शुरू के लफ्ज़ 'आ' को बढ़ाकर पढ़ना चाहिये, फिर कुरआन मजीद की कोई सूरत पढ़े।

मस'ला ३— अगर सफ़र की हालत में हो या कोई ज़रूरत आ पड़े तो एख़्तियार है कि सुर: फ़ातिहा के बाद जो सूरत चाहे पढ़े। अगर सफ़र और ज़रूरत की हालत न हो तो फ़ज्र और ज़ुहर की नमाज़ में सूर: हुजुरात और सूर: बुरुज और उनके दर्मियान की सूरतों में से जिस सूरत को चाहे पढ़े। फ़ज्र की पहली रकअ़त में दूसरी रकअ़त की निस्बत बड़ी सूरत होनी चाहिये। बाकी औक़ात में दोनों रकअ़त की सूरत बराबर होनी चाहिये। एक-दो आयत की कमी ज़्यादती का एतबार नहीं अस्र और इशा की नमाज़ में 'वस्समाई

वत्तारिक' और 'लम यकुनिल्लज़ीन' और इनके दर्मियान की सूरतों में से कोई सूरत पढ़नी चाहिए मग़रिब की नमाज़ में सूर: ज़िल ज़ाल से आख़िर तक पढ़े।

मस'ला ४– जब रुकू से उठकर सीधा खड़ा हो तो इमाम सिर्फ़ समिअल्लाहु लिमन हमिद: *अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की, वह इसके क़ाबिल है)* और मुक़तदी सिर्फ़ :–

रब्बना लकल्हम्द رَبَّنَالَکَ الْحَمْد

(ऐ हमारे ख़ुदा! तेरे ही लिए सब प्रशंसा है)

और अकेला दोनों कहे, फिर तकबीर कहता हुआ दोनों हाथों को घुटनों पर रखे हुए सज्दे मे जाये। तकबीर की इन्तहा और सज्दे की इब्तिदा साथ ही हो यानी सज्दे में पहुंचते ही तकबीर ख़त्म हो जाये।

मस'ला ५– सज्दे में पहले घुटनों, फिर हाथों फिर नाक और फिर माथे को ज़मीन पर रखना चाहिए। मुंह दोनों हाथों के दर्मियान, उंगलियां मिली हुई और क़िबले की तरफ़ दोनों पैर और उंगलियों के बल खड़े हुए हों और उंगलियों का रुख़ क़िबले की तरफ़ हो। पेट ज़ानू (घुटना, जांघ) से अलग और बाज़ू बग़ल से जुदा हों। पेट ज़मीन से इतना ऊंचा हो कि बकरी का बहुत छोटा बच्चा बीच से निकल सके।

मस'ला ६– फ़ज्र, मग़्रिब और इशा, के वक़्त पहली दो रकअत में सूर: फ़ातिहा और कोई दूसरी सूरत, समिअल्लाहुलिमन हमिद: *(जो अल्लाह की प्रशंसा करता है, अल्लाह उसकी सुनता है)* और सब तकबीरें इमाम बुलन्द आवाज़ से कहे। अगर आदमी अकेला है तो चाहे जैसे करे मगर समि अल्लाहु लिमन हमिद: और तकबीरें ज़ोर से कहे, जुह्र और अस्र के वक़्त इमाम सिर्फ़ समी अल्लाहु लिमन हमिदह और सब तकबीरें ज़ोर से कहे। अकेला आदमी आहिस्ता और इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाला हर बार तकबीर वग़ैरा आहिस्ता कहे।

मस'ला ७— नमाज़ ख़त्म कर चुकने के बाद दोनों हाथ सीने तक उठाकर फैलाये और अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगें अगर इमाम हो तो मुक्तदियों के लिए भी मांगे। दुआ मांगने के बाद दोनों हाथ मुंह पर फेर ले। मुक्तदी चाहे अपनी-अपनी दुआ मांगे या इमाम की दुआ उन्हें सुनाई दे, तब आमीन *(खुदा ऐसा ही करे)* कहते रहें।

मस'ला ८— जिन नमाज़ों के बाद सुन्नतें हैं जैसे ज़ुहर, मग़रिब व इशा इनके बाद बहुत देर तक दुआ न मांगे बल्कि थोड़ी दुआ मांग कर इन सुन्नतों को पढ़ने लगे, जिन नमाज़ों के बाद सुन्नत नहीं है जैसे फज्र और अस्र उनके बाद जितनी देर तक चाहे दुआ मांगे और इमाम हो तो मुक्तदियों की तरफ़ दायें या बायें रुख़ मुंह फेर कर बैठ जाए फिर दुआ मांगे बशर्ते कि कोई मस्बूक इसके सामने नमाज़ न पढ़ रहा हो।

मस'ला ९— फर्ज़ नमाज़ों के बाद बशर्ते कि उनके बाद सुन्नतें न हों वरना सुन्नत के बाद मुस्तहब है कि :—

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ

अस्तग़्फिरुल्लाहल्लज़ी लाइला ह इल्ला हुवल् हैय्युल् क़य्यूम0

(मैं उस अल्लाह से मुक्ति मांगता हूं कि वह ऐसी शक्ति है कि कोई और खुदा नहीं। बस वही खुदा है, वही ज़िन्दा है और हमेशा रहने वाला)

पढ़े। तीन बार आयतल कुर्सी, सूर: इख़लास, (११२) सूर: फ़लक़ (११३) और सूर: नास (११४) एक-एक बार पढ़कर तैंतीस-तैंतीस बार अल्हम्दु लिल्लाह सुब्हानल्लाह और चौंतीस बार अल्लाहु अकबर पढ़े।

20. फ़र्ज़ और वाजिब के मसाइल

मस'ला १– मुद्रिक (जिसे जमाअत की पूरी नमाज़ मिल जाये) पर किरअत नहीं। इमाम की किरअत सब मुक्तदियों की तरफ़ से काफ़ी है। इमाम अबू हनीफ़ा की नज़र में मुक्तदियों को इमाम के पीछे किरअत करना मकरूह है।

मस'ला २– मस्बूक को अपनी छूटी हुई रकअत से एक या दो रकअत में किरअत करना फ़र्ज़ है।

मस'ला ३– इमाम के होते हुए मुक्तदी को किरअत नहीं करना चाहिए। हाँ मस्बूक के लिए चूंकि उसकी गई हुई रकअत में इमाम नहीं होता उसे इसलिए किरअत करना चाहिए।

मस'ला ४– सज्दे की जगह, पैरों की जगह से एक बालिश्त से ज़्यादा ऊंची न होनी चाहिए। अगर एक बालिश्त से ज़्यादा ऊंची पर सज्दा किया जाए तो ठीक नहीं। हाँ, अगर कोई मजबूरी ही आ जाए तो जायज़ है।

मस'ला ५– इमाम को फ़ज्र की दोनों रकअत, मग़रिब व इशा की पहली दोनों रकअत, जुमा व ईदैन, तरावीह की नमाज़ और रमज़ान के वित्रों में बुलन्द आवाज़ से किरअत पढ़ना वाजिब है।

मस'ला ६– अकेले आदमी को फ़ज्र की दोनों रकअत और मग़रिब व इशा दोनों की पहली दो रकअत में एख़्तियार है, चाहे ज़ोर से किरअत करे या धीरे से। आवाज़ सुनाई देने की लोगों ने यह हद बताई कि कोई दूसरा आदमी सुन सके। आहिस्ता आवाज़ की यह हद लिखी है कि खुद सुने, कोई दूसरा नहीं।

मस'ला ७– इमाम और अकेले आदमी को ज़ुहर व अस्र की सब रकअत और मग़रिब व इशा की आख़िरी रकअत में आहिस्ता आवाज़ से किरअत करना वाजिब है।

मस'ला ८– जो नफ़्ल नमाजें दिन को पढ़ी जायें उनमें आहिस्ता आवाज़ से किरअत करना चाहिए और जो नफ़्ल रात को पढ़ी जाएं उनमें जैसे चाहे किया जाए।

मस'ला ९– अकेला आदमी अगर फज्र, मग़्रिब और इशा की कज़ा दिन में पढ़े तो उनमें भी आहिस्ता आवाज़ से किरअत करना वाजिब है। अगर रात को कज़ा पढ़े तो उसे एख़्तियार है।

मस'ला १०– अगर कोई आदमी मग़्रिब या इशा की पहली दूसरी रकअत में सूर: फ़ातिहा के बाद सूरत पढ़ना भूल जाए तो उसे तीसरी या चौथी रकअत में सूर: फ़ातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़नी चाहिए। इस रकअत में भी ऊंची आवाज़ से किरअत करना वाजिब है, और आख़िर में भूल का सज्दा करना भी वाजिब है।

21. नमाज़ की सुन्नतें

मस'ला १– तकबीरे तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथों का उठाना मर्दों को कानों तक और औरतों को कन्धों तक सुन्नत है। अगर कोई मजबूरी है तो मर्द भी कन्धों तक उठा सकते है।

मस'ला २– तकबीर तहरीमा के पूरा होते ही मर्दों को नाफ़ के नीचे और औरतों को सीने पर हाथ बांध लेना सुन्नत है।

मस'ला ३– इमाम और अकेले आदमी को सूर: फ़ातिहा के ख़त्म होने के बाद धीमी आवाज़ से 'आमीन' कहना और किरअत बुलन्द आवाज़ से हो तो सब मुक़तदियों को भी धीमी आवाज़ से आमीन कहना सुन्नत है।

मस'ला ४– रुकू में मर्दों को दोनों हाथों का पहलू से अलग रखना सुन्नत है।

मस'ला ५– क़अ्दे में दोनों हाथ ज़ानुओं पर हों, उंगलियों के सिरे घुटनों के करीब रखना सुन्नत है।

22. नमाज़ टूट जाना

मस'ला १— जान कर या भूल से नमाज़ में बोल उठने से नमाज़ चली जाती है।

मस'ला २— नमाज़ में आह, ओह, उफ़ या हाय कहे या ज़ोर से रोए तो नमाज़ जाती रहती है। लेकिन अगर जन्नत या दोज़ख़ को याद करने से दिल भर आया और ज़ोर से आवाज़ भी निकल पड़ी तो नमाज़ नहीं टूटी।

मस'ला ३— बिना ज़रूरत खंखारने और गला साफ़ करने से जिससे कि दो हरुफ़ भी सुनाई दे जाएं तो नमाज़ टूट जाती है। लेकिन लाचारी और मजबूरी के वक़्त खंखारना दुरुस्त है और नमाज़ नहीं जाती।

मस'ला ४— नमाज़ में छींक आई और उस पर **अलहम्दु लिल्लाह** *(सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है)* कहा तो नमाज़ नहीं जाती लेकिन ऐसा कहना न चाहिए और अगर किसी और को छींक आई और उसके जवाब में **यरहमुकल्लाह** *(अल्लाह तुम पर रहम करे)* कहा तो नमाज़ जाती रही।

मस'ला ५— कुरआन शरीफ़ देखकर पढ़ने से नमाज़ टूट जाती है।

मस'ला ६— नमाज़ में इतना मुड़ जाने से कि सीना किबले की तरफ़ से फिर जाये तो नमाज़ जाती रही।

मस'ला ७— किसी के सलाम के जवाब में **व अलैकुम अस्सलाम** *(तुम पर भी सलामती हो)* कहा तो नमाज़ जाती रही।

मस'ला ८– किसी औरत ने नमाज़ में जूड़ा बांधा तो नमाज़ जाती रही।

मस'ला ९– नमाज़ में कोई अच्छी चीज़ खा-पी ली तो नमाज़ जाती रही। यहां तक कि एक तिल या छाली का टुकड़ा उठाकर खा ले तब भी नमाज़ टूट जायेगी लेकिन अगर छाली का टुकड़ा या कोई और चीज़ दांतों में अटकी हुई थी, उसे निगल लिया तो अगर वह चने के दाने से कम हो तब तो नमाज़ हो गई और अगर चने के बराबर या ज़्यादा हो तो नमाज़ टूट गई।

मस'ला १०– अगर मुंह में पान दबा हुआ है और उसकी पीक हलक़ में जाती है तो नमाज़ नहीं होती।

मस'ला ११– कोई मीठी चीज़ खाई और कुल्ली करके नमाज़ पढ़ी जाने लगी लेकिन मुंह में उस चीज़ का मज़ा बाक़ी है और थूक के साथ हलक़ में जाता है तो नमाज़ ठीक है।

मस'ला १२– नमाज़ में कुछ खुशख़बरी सुनी उस पर अलहम्दुलिल्लाह (सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं) कहा या किसी की मौत की ख़बर सुनी उस पर–

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन

(हम सब अल्लाह के हैं और अल्लाह की ही तरफ़ लौटने वाले हैं) पढ़ा तो नमाज़ जाती रही।

मस'ला १३– कोई लड़का वगैरा गिर पड़ा, उसके गिरते वक़्त बिस्मिल्लाह (शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से) कह दिया तो नमाज़ जाती रही।

मस'ला १४— नमाज़ में बच्चे ने आकर अपनी माँ का दूध पी लिया तो नमाज़ जाती रही, लेकिन अगर दूध नहीं निकला तो नमाज़ नहीं गई।

मस'ला १५— अल्लाहु अकबर कहते वक़्त 'अल्लाह' के पहले हरुफ (अलिफ अर्थात् 'अ') को बढ़ा दिया और अल्लाहु आकबर कहा तो नमाज़ जाती रही। इसी तरह अकबर की 'बे' यानी 'ब' को बढ़ा कर अल्लाहु अकबार कहा तब भी नमाज़ जाती रही।

मस'ला १६— किसी ख़त या किसी किताब पर नज़र पड़ी और उसे अपनी ज़बान से नहीं पढ़ा, लेकिन दिल ही दिल में मतलब समझ लिया तो नमाज़ नहीं टूटी लेकिन अगर ज़बान से पढ़ लिया तो नमाज़ जाती रहेगी।

मस'ला १७— नमाज़ी के सामने से अगर कोई चला जाए या कुत्ता, बिल्ली, बकरी जैसे जानवरों में से कोई निकल जाये तो नमाज़ नहीं टूटी लेकिन सामने से जाने वाले को बड़ा गुनाह होगा, इसलिए ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना चाहिए जहां आगे से कोई न निकले और चलने-फिरने में लोगों को तकलीफ न हो। अगर ऐसी कोई अलग जगह न हो तो अपने सामने कोई लकड़ी गाड़ ले जो कम-से-कम एक हाथ लम्बी और एक अंगुल मोटी हो और उस लकड़ी के पास ही खड़ा हो और उसे बिल्कुल नाक के सामने न रखे बल्कि दाएं या बाएं आंख के सामने रखे। अगर कोई लकड़ी न गाड़े तो उतनी ही ऊंची कोई और चीज़ सामने रख ले। जैसे: मोढ़ा (या कुर्सी) तो अब सामने से जाना दुरुस्त है, कुछ गुनाह नहीं होगा।

मस'ला १८— किसी ज़रूरत की वजह से अगर किबले की तरफ एक कदम आगे बढ़ा या पीछे हटा लेकिन सीधा किबले की तरफ से नहीं फिरा तो नमाज़ दुरुस्त हो गई लेकिन सज्दे की जगह से आगे बढ़ गया तो नमाज़ न होगी।

23. नमाज़ का फ़ासिद हो जाना

मस'ला १– नमाज़ की हालत में अपने इमाम के सिवा किसी को टोकना यानी क़ुरआन मजीद के ग़लत पढ़ने पर आगाह करना नमाज़ को ख़राब करना है।

मस'ला २– अच्छा यह है कि मुक़तदी अगर अपने इमाम को टोके तो नमाज़ ख़राब न होगी, चाहे इमाम ज़रूरी क़िरअत कर चुका हो या नहीं।

मस'ला ३– अगर इमाम ज़रूरी क़िरअत कर चुका हो तो उसे चाहिये कि रुकू कर ले। मुक़तदियों को टोकने पर मजबूर न करे (ऐसा करना मकरूह है) और मुक़तदियों को चाहिये कि जब तक ख़ास ज़रूरत न पड़े इमाम को न टोकें (यह भी मकरूह है)। ख़ास ज़रूरत से यह मतलब है इमाम ग़लत पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हो या रुकू न करता हो या ख़ामोशी से खड़ा हो जाये। अगर ख़ास ज़रूरत के बग़ैर भी बता दिया तब भी नमाज़ फ़ासिद न होगी।

मस'ला ४– अगर कोई नमाज़ पढ़ने वाला किसी ऐसे आदमी को टोके जो उसका इमाम नहीं, चाहे वह भी नमाज़ में हो या नहीं। हर हाल में उस टोकने वाले की नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी।

मस'ला ५– मुक़तदी अगर किसी दूसरे आदमी का पढ़ना सुनकर या क़ुरआन मजीद में देखकर इमाम को टोके तो उसकी नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी और अगर इमाम उसे मान ले तो उसकी नमाज़ भी और अगर मुक़तदी को क़ुरआन में देखकर या दूसरे से सुनकर ख़ुद भी याद आ गया और फिर अपनी याद पर टोका तो नमाज़ फ़ासिद न होगी।

मस'ला ६– इसी तरह नमाज़ की हालत में क़ुरआन मजीद देखकर एक आयत क़िरअत की जाये तब भी नमाज़ फ़ासिद (बिगड़ी

हुई) हो जायेगी और अगर वह आयत जो देखकर पढ़ी है, उसे पहले से याद थी तो नमाज़ फ़ासिद न होगी। अगर एक आयत से कम देखकर पढ़ा हो तो नमाज़ फ़ासिद न होगी।

मस'ला ७– औरत का मर्द के साथ इस तरह खड़े हो जाना कि एक के बदन का कोई हिस्सा दूसरे के किसी हिस्से के सामने हो जाए यहां तक कि अगर सज्दे में जाने के वक़्त औरत का सर मर्द के पांव महाज़ी (नमाज़ में एक हिस्से का दूसरे हिस्से के सामने होना) हो जाये तब भी नमाज़ जाती रहेगी। बशर्ते कि (१) औरत बालिग़ हो चुकी हो या नाबालिग़ हो मगर उससे सोहबत की जा सके तो अगर कोई कमसिन या नाबालिग़ लड़की नमाज़ में बराबर खड़ी हो जाए तो नमाज़ फ़ासिद न होगी, (२) दोनों नमाज़ में हों, लेकिन अगर एक नमाज़ में हो और दूसरा न हो तो इस तरह नमाज़ फ़ासिद न होगी, (३) दर्मियान में कुछ आड़े आए। लेकिन अगर कोई पर्दा दर्मियान में हो या कोई आड़ या रुकावट आड़े न आए या बीच में इतनी जगह छूटी हुई हो जिसमें एक आदमी आसानी से खड़ा हो सके तब भी नमाज़ फ़ासिद न होगी, (४) औरत में नमाज़ के ठीक होने की शर्त पाई जाती हो, लेकिन अगर औरत पागल हो या हैज़ व निफ़ास में हो तो उसके बराबर खड़े होने से नमाज़ फ़ासिद न होगी क्योंकि इन सूरतों में वह ख़ुद नमाज़ में नहीं समझी जाएगी, (५) जनाज़े की नमाज़ न हो क्योंकि जनाज़े की नमाज़ में बराबरी ख़राब नहीं है, (६) बराबरी की एक शर्त बराबर भी बाक़ी रहे। अगर इससे कम शर्त रहे तो ख़राब नहीं जैसे इतनी देर तक बराबरी रहे कि जिसमें रुकू वग़ैरा नहीं हो सकता, इसके बाद जाती रहे तो उस थोड़ी-सी बराबरी से नमाज़ में ख़राबी न आएगी, (७) तहरीमा दोनों की एक हो यानी वह औरत उस मर्द की मुक़तदी हो या दोनों, किसी तीसरे के मुक़तदी हों, इमाम ने उस औरत की इमामत की नीयत नमाज़ शुरू करते वक़्त या दर्मियान में जब वह आकर मिली, की हो। अगर इमाम ने उसकी इमामत की नीयत न की हो तो फिर उस बराबरी से नमाज़ फ़ासिद न होगी, बल्कि उस

औरत की नमाज़ ठीक न होगी।

मस'ला ८– अगर इमाम गन्दगी के बाद अपनी जगह किसी को खड़ा किए बग़ैर ही मस्जिद से बाहर निकल गया तो मुक़तदियों की नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।

मस'ला ९– इमाम ने किसी ऐसे आदमी को ख़लीफ़ा (जानशीं, अपनी जगह दूसरे को दे देना) कर दिया जिसमें इमामत की सलाहियत (योग्यता) नहीं जैसे कोई पागल, नाबालिग़ बच्चा या औरत, तो सबकी नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।

मस'ला १०– अगर मर्द नमाज़ में हो और औरत उस मर्द का उसी हालत में बोसा (चुम्बन, प्यार) ले तो उस मर्द की नमाज़ फ़ासिद न होगी। हां, अगर उस औरत के बोसा लेते वक़्त मर्द को शहवत (कामेच्छा, सम्भोग करने की आकांक्षा) हो गई तब ज़रूर नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। अगर औरत नमाज़ में हो और कोई मर्द उसका बोसा ले ले तो औरत की नमाज़ जाती रहेगी चाहे मर्द ने शहवत से बोसा लिया हो या बिना शहवत और चाहे औरत को शहवत हुई हो या नहीं।

मस'ला ११– अगर कोई आदमी नमाज़ी के सामने से निकलना चाहे तो नमाज़ की हालत में उससे उलझना और उसे उस काम से रोके रखना जायज़ है, बशर्ते कि उसके रोकने में ज़्यादा काम न करना पड़े और अगर ज़्यादा काम करना पड़े तो नमाज़ फ़ासिद हो गई।

24. नमाज़ मकरूह करने वाली बातें

नमाज़ में मकरूह चीज़ या बातें वे हैं जिनसे नमाज़ तो नहीं टूटती मगर उसका सवाब कम हो जाता है।

मस'ला १— अपने कपड़े, बदन या ज़ेवर से खेलना, कंकरियों को उठाना मकरूह है। लेकिन अगर कंकरियों की वजह से सज्दा न कर सके तो एक बार हाथ से बराबर करना और हटाना ठीक है।

मस'ला २— नमाज़ में उंगलियां चटख़ाना, कूल्हे पर हाथ रखना और दायें बायें मुंह मोड़कर देखना— ये सह मकरूह बातें है।

मस'ला ३— नमाज़ में दोनों पैर खड़े रखकर बैठना या चारज़ानू (पालती मार कर बैठना) बैठना या कुत्ते की तरह बैठना मकरूह है। हाँ, दुःख और बीमारी की वजह से जिस तरह बैठ सके, कुछ मकरूह नहीं है।

मस'ला ४— सलाम के जवाब में हाथ उठाना और सलाम का जवाब हाथ से देना मकरूह है। अगर ज़ुबान से जवाब दिया तो नमाज़ टूट गई।

मस'ला ५— नमाज़ में इधर-उधर से अपने कपड़े को समेटना और सम्भालना ताकि मिट्टी न लगे, मकरूह है।

मस'ला ६— अगर किसी जगह यह डर हो कि कोई नमाज़ में हँसा देगा या ख़्याल बंट जाएगा और नमाज़ में भूल-चूक हो जाएगी तो ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

मस'ला ७— अगर कोई आगे बैठा बातें कर रहा हो या किसी और काम में लगा हुआ हो तो उसके पीछे उसकी पीठ की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ना मकरूह नहीं है। लेकिन अगर बैठने वाले को इससे तकलीफ हो और वह उस रुक जाने से घबराए तो ऐसी हालत में किसी के पीछे नमाज़ न पढ़े। अगर कोई आदमी इतनी ज़ोर-ज़ोर से बातें करता हो तो नमाज़ में भूल हो जाने का डर हो तो मकरूह है। वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए, किसी की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ना भी मकरूह है।

मस'ला ८— अगर नमाज़ी के सामने कुरआन शरीफ टंगा हो या तलवार लटकी हो तो कोई हरज नहीं है।

मस'ला ९— जिस फ़र्श पर तस्वीरें बनी हों उस पर नमाज़ हो जाती है लेकिन तस्वीर का सज्दा न करे। तस्वीर वाली जानमाज़ रखना मकरूह है। तस्वीर का घर में रखना बड़ा गुनाह है।

मस'ला १०— अगर तस्वीर सर के ऊपर हो यानी छत या छतगीरी में तस्वीर बनी हो या आगे, दाएं या बाएं तस्वीर हो तो नमाज़ मकरूह है। अगर वह पैर के नीचे है तो नमाज़ मकरूह नहीं लेकिन अगर बहुत छोटी तस्वीर हो कि वह खड़े होकर दिखाई न दे या पूरी तस्वीर न हो बल्कि सर कटा या मिटा हुआ हो तो उसका कुछ हर्ज नहीं है। ऐसी तस्वीर से किसी भी सूरत में नमाज़ मकरूह नहीं होती चाहे वह किसी भी तरफ़ बनी हो।

मस'ला ११— तस्वीर बने हुए कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

मस'ला १२— पेड़ (आजकल यह मान लिया गया है कि पेड़ों में भी जान होती है मगर यहां वह दृष्टिकोण लागू नहीं होता।) या मकान जैसी किसी बेजान चीज़ का नक़्शा बना हो तो मकरूह नहीं है।

मस'ला १३— नमाज़ के अन्दर आयतों या किसी और चीज़ का उंगलियों पर गिनना मकरूह है। हाँ, अगर उंगलियों को दबाकर गिनती याद रखी जाए तो कुछ हर्ज नहीं।

मस'ला १४— दूसरी रकअत में क़िरअत पहली रकअत से ज़्यादा लम्बी करना मकरूह है।

मस'ला १५— किसी नमाज़ में क़ुरआन की कोई सूरः तय कर लेना कि हमेशा वही पढ़ी जाए और दूसरी कोई और सूरत नहीं तो यह बात मकरूह है।

मस'ला १६— कन्धे पर रूमाल डालकर नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

मस'ला १७— बहुत बुरे और मैले-कुचैले कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। लेकिन अगर कपड़े न हों तो जायज़ है।

मस'ला १८— पैसा या कौड़ी मुंह में लेकर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि नमाज़ में कुरआन शरीफ़ वग़ैरा नहीं पढ़ सकता तो नमाज़ नहीं हुई, टूट गई।

मस'ला १९— पाख़ाना या पेशाब ज़ोर से लगा हो तो ऐसे वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

मस'ला २०— जब बहुत भूख लगी हो और खाना तैयार हो तो पहले खाना खा ले, तब नमाज़ पढ़े, बग़ैर खाना खाये नमाज़ पढ़ना मकरूह है। हाँ, अगर वक़्त तंग होने लगे तो पहले नमाज़ पढ़ ले।

मस'ला २१— आंखें बन्द कर के नमाज़ पढ़ना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आंखें बन्द करने से नमाज़ में दिल ख़ूब लगे तो बन्द करके पढ़ने में कोई बुराई नहीं है।

मस'ला २२— बिना ज़रूरत नमाज़ में थूकना और नाक साफ़ करना मकरूह है। अगर ज़रूरत पड़े तो ठीक है। जैसे: किसी को खाँसी उठी और मुंह में बलग़म आ गया तो अपने बाएं तरफ़ थूक दे या कपड़े में लेकर मल डाले। दाहिनी तरफ़ और किबले की तरफ़ न थूके।

मस'ला २३— नमाज़ में खटमल ने काट खाया, तो उसे पकड़कर छोड़ दे, नमाज़ पढ़ने में उसे मारना अच्छा नहीं है। अगर खटमल ने अभी काटा नहीं है, तो उसे न पकड़े यानी पकड़ना भी मकरूह है।

मस'ला २४— अभी सूर: पूरी नहीं पढ़ी गई और दो-एक बोल रह गए थे कि जल्दी की वजह से रुकू कर लिया और सूर: रुकू में ख़त्म की तो नमाज़ मकरूह हो गई।

मस'ला २५— अगर सज्दे की जगह पैर से ऊंचे हों जैसे कोई दहलीज़ पर सज्दा करे तो यह देखना चाहिए कि वह कितनी ऊंची है। अगर वह एक बालिश्त से ज़्यादा ऊंची है तो नमाज़ दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर वह एक बालिश्त या इससे कम है तो नमाज़ ठीक है। हाँ, बेज़रूरत ऐसा करना मकरूह है।

मस'ला २६– नमाज़ की हालत में दस्तूर के ख़िलाफ कपड़े पहनना यानी कपड़े पहनने का जो तरीक़ा हो उससे हटाना नापसन्दीदा होने की वजह से मकरूह है। जैसे: कोई आदमी चादर ओढ़े और उसका किनारा कन्धे पर न डाले या कुर्ता पहने और आस्तीनों में हाथ न डाले तो इससे नमाज़ मकरूह हो जाती है।

मस'ला २७– अगर किसी की टोपी या अमामा (सर पर बांधने वाला कपड़ा, पगड़ी) नमाज़ पढ़ने में गिर जाए तो अच्छा यह है कि उसी हालत में उसे उठाकर पहन ले, लेकिन अगर उसके पहनने में ज़्यादा काम करना पड़े तो न पहने।

मस'ला २८– नंगे सर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। हां, अगर आजिज़ी और अपने आपको भूल जाने की नीयत से ऐसा करे तो बुराई नहीं।

मस'ला २९– मर्दों को अपने दोनों हाथों की कोहनियों का सज्दे की हालत में बिछा देना मकरूह तहरीमी है।

मस'ला ३०– इमाम का मेहराब में खड़ा होना मकरूह है। हाँ, अगर मेहराब से बाहर खड़ा, मगर सज्दा मेहराब में होता हो तो मकरूह नहीं।

मस'ला ३१– सब मुक़तदियों का इमाम से बिना ज़रूरत किसी ऊंची जगह पर खड़े होना मकरूह है। अगर कुछ मुक़तदी इमाम के बराबर हों और कुछ ऊंची जगह, तब जायज़ है।

मस'ला ३२– मुक़तदी को जब कि इमाम क़ियाम (नीयत बांधने की हालत में खड़े होना) में किरअत कर रहा हो या कुरआन मजीद का किरअत करना चाहे वह सूर: फ़ातिहा हो या कोई और सूर: मकरूह तहरीमी है।

25. नमाज़ तोड़ देना

मस'ला १– अगर नमाज़ पढ़ने में रेल चल दे और उस में

सामान रखा हो या बीवी-बच्चे सवार हों तो नमाज़ तोड़कर बैठ जाना दुरुस्त है।

मस'ला २— सामने सांप आ गया तो उसके डर से नमाज़ तोड़ देना दुरुस्त है।

मस'ला ३— रात को मुर्ग़ी ख़ुली रह गई और बिल्ली उसके पास आ गई तो नमाज़ तोड़ देना ठीक है।

मस'ला ४— किसी ने जूता उठा लिया और यह डर है कि अगर नमाज़ न तोड़ी तो यह लेकर भाग जाएगा तो इसके लिए नीयत तोड़ देना ठीक है।

मस'ला ५— कोई औरत नमाज़ में है और हांडी उबलने लगी, जिसकी लागत पच्चीस-तीस पैसे है तो नमाज़ तोड़कर उसको दुरुस्त करना जायज़ है। कहने का मतलब यह है कि जब कभी कम क़ीमत वाली चीज़ के भी ख़राब हो जाने का डर हो तो उसे बचाने के लिए नीयत तोड़ देना ठीक है।

मस'ला ६— अगर नमाज़ में पेशाब या पाख़ाना ज़ोर से लगे तो नमाज़ तोड़ दे और उससे छुट्टी पाकर फिर नमाज़ पढ़ ले।

मस'ला ७— कोई अन्धी औरत या मर्द जा रहा है और उसके आगे कुंआ है जिसमें उसके गिर पड़ने का डर है तो उसे बचाने के लिए नमाज़ का तोड़ देना फ़र्ज़ है। अगर नहीं तोड़ी और वह गिर कर मर गया तो नमाज़ी गुनाहगार होगा।

मस'ला ८— किसी बच्चे के कपड़ों में आग लग गई और वह जलने लगा तो उसके लिए भी नमाज़ तोड़ देना फ़र्ज़ है।

मस'ला ९— मां-बाप, दादा-दादी, नाना-नानी किसी मुसीबत की वजह से पुकारें तो फ़र्ज़ को तोड़ देना वाजिब है। जैसे: किसी का बाप या मां वग़ैरा कोई बीमार है और पाख़ाना वग़ैरा किसी ज़रूरत से गए और आते-जाते पैर फिसल गया और गिर पड़े तो नमाज़

तोड़कर उसे उठा ले, लेकिन अगर कोई और उठाने वाला हो तो नमाज़ न तोड़े अगर कोई गिरा नहीं लेकिन गिरने का डर है और उसने नमाज़ी को पुकारा तो अगर कोई और पास न हो तब भी नमाज़ तोड़ी जा सकती है। लेकिन अगर उसने किसी ऐसी ज़रूरत के लिए न पुकार कर वैसे ही आवाज़ दी तो फ़र्ज़ नमाज़ का तोड़ देना ठीक नहीं है।

मस'ला १०– अगर नफ़्ल या सुन्नतें पढ़नी हों और उस वक़्त मां-बाप, दादा-दादी, नाना-नानी पुकारें लेकिन यह उनको पता नहीं है कि वह कौन-सी नमाज़ पढ़ रहा है तो ऐसे वक़्त भी नमाज़ तोड़कर उनकी बात का जवाब देना वाजिब है, चाहे कोई किसी मुसीबत से पुकारे या बिना ज़रूरत, तो दोनों के लिए एक ही हुक्म है। अगर नमाज़ तोड़कर न बोला तो गुनाह होगा। अगर वे जानते हैं कि जिसे पुकारा जा रहा है, वह नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ न तोड़े, लेकिन अगर कोई ज़रूरत हो और उन्हें तकलीफ़ का डर हो तो नमाज़ तोड़ दे।

26. नमाज़ में गंदगी हो जाना

मस'ला १– अगर नमाज़ में कुछ गंदगी हो जाए अगर बड़ी गंदगी हो जिससे गुस्ल करना वाजिब हो जाए तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। और अगर छोटी गंदगी हो यानी वुज़ू टूट जाए तो दो बातें होंगी यानी एख़्तियारी होगा या बे-एख़्तियारी यानी उसमें बन्दों के एख़्तियार (अधिकार) शामिल होंगे या नहीं। अगर एख़्तियारी (ऐच्छिक) होगा तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। जैसेः कोई आदमी नमाज़ में क़हक़हे के साथ हँसे या अपने बदन में कुछ मारकर खून निकाले या जान-बूझकर पेट की हवा निकाले या कोई आदमी छत के ऊपर चले और चलने से कोई पत्थर वग़ैरह छत से गिर कर किसी

नमाज़ी के सर में लग जाए और ख़ून निकल आए तो इन सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी, क्योंकि ये सब काम लोगों के इरादे और एख़्तियार से होते हैं।

अगर कोई ग़लत काम अपने आप क़ुदरती तौर पर हो गया इसकी भी दो सूरतें हैं, एक कभी-कभी होने वाली। जैसेः इमाम का पागल, बेहोश होना या मर जाना, दूसरे बहुत ज़्यादा होने वाली बातें। जैसे: पेट की हवा, पेशाब, पाख़ाना, एहतलाम। कभी-कभी होने वाली गंदगी में नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी, वरना नहीं, बल्कि उस आदमी को इजाज़त है कि उस गंदगी को दूर करने के बाद उस नमाज़ को पूरा कर ले लेकिन अगर पूरी नमाज़ पढ़ ले तो अच्छा है।

मस'ला २– अगर अकेले आदमी को गंदगी आ जाए तो उसे चाहिए कि उसी वक़्त वुज़ू करे और वहीं अपनी बाक़ी नमाज़ पूरी कर ले और यही अच्छा है और चाहे जहां पहले था वहां जाकर पढ़े और बेहतर यह है कि जानकर पहली नमाज़ को सलाम फेरकर तोड़े और वुज़ू के बाद दोबारा नमाज़ पढ़े।

मस'ला ३– इमाम को अगर गंदगी आ जाए अगर्चे नमाज़ ख़त्म करने के लिए आख़िरी क़ाअ्दे में हो तो उसे चाहिए कि उसी वक़्त वुज़ू करने चला जाए और बेहतर यह है कि अपने मुक़तदियों में जिसे इमाम के लायक़ समझता हो उसे अपनी जगह खड़ा कर दे। फिर जब ख़ुद वुज़ू कर चुके और अगर जमाअ़त बाक़ी हो तो जमाअ़त में आकर अपने ख़लीफ़ा का मुक़तदी बन जाए। अगर जमाअ़त हो चुकी हो तो अपनी नमाज़ पूरी कर ले चाहे जहां भी वुज़ू किया है, वहीं या जहां पहले था वहां पर।

मस'ला ४– ख़लीफ़ा कर देने के बाद इमाम नहीं रहता बल्कि अपने ख़लीफ़ा का मुक़्तदी हो जाता है। अगर इमाम किसी को ख़लीफ़ा न करे बल्कि ख़ुद मुक़तदी आगे बढ़कर इमाम की जगह पर खड़ा हो जाए और इमाम होने की नीयत कर ले, तब भी दुरुस्त है। बशर्ते कि उस वक़्त तक इमाम मस्जिद से बाहर न निकल चुका हो। अगर

नमाज़ मस्जिद में न होती हो तो सफ़ों या सुतरे से आगे न बढ़ा हो और अगर इन हदों से आगे बढ़ चुका हो तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी, अब कोई दूसरा इमाम नहीं बन सकता।

मस'ला ५— अगर मुक़तदी को गंदगी हो जाए तो उसे उसी वक़्त वुज़ू करना चाहिए। वुज़ू करने के बाद अगर जमाअ़त बाक़ी हो तो जमाअ़त में शरीक हो जाए वरना अपनी नमाज़ पूरी कर ले।

मस'ला ६— बेहतर यह है कि छूटी हुई नमाज़ ही न पढ़े बल्कि यह नमाज़ सलाम के साथ तोड़ दे और फिर नए सिरे से पढ़े।

27. वित्र नमाज़

मस'ला १— वित्र की नमाज़ वाजिब है और वाजिब का मर्तबा क़रीब-क़रीब फ़र्ज़ नमाज़ के बराबर है। इन्हें छोड़ देने से बड़ा गुनाह होता है। अगर कभी छूट जाए तो जब भी मौक़ा मिले उसी वक़्त इसकी क़ज़ा पढ़नी चाहिए।

मस'ला २— वित्र की तीन रकअतें हैं। दो रकअत पढ़ने के बाद बैठ जाए और अत्तहीय्यात पढ़े। दुरूद शरीफ़ बिल्कुल न पढ़े बल्कि अत्तहीयात पढ़ चुकने के बाद ही उठ खड़ा हो और सूरः अलहम्द और कोई सूरत पढ़ कर—

अल्लाहु अकबर

(अल्लाह बड़ा है)

कहे और कन्धे तक हाथ उठाए। फिर हाथ बांध ले और दुआए क़ुनूत पढ़कर रुकू करे और तीसरी रकअत पर बैठकर अत्तहीय्यात, दुरूद शरीफ़ और दुआ पढ़कर सलाम फेरे।

दुआए क़ुनूत यह है :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ

وَنُثْنِیْ عَلَیْکَ الْخَیْرَ وَنَشْکُرُکَ وَلَا نَکْفُرُکَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُکُ مَنْ یَّفْجُرُکَ اَللّٰھُمَّ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَلَکَ نُصَلِّیْ وَنَسْجُدُ وَاِلَیْکَ نَسْعٰی وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَکَ وَنَخْشٰی عَذَابَکَ اِنَّ عَذَابَکَ بِالْکُفَّارِ مُلْحِقٌ ط

अल्लाहुम्मम इन्ना नस्तइनु क व नस्तग़्फ़िरु क व नुअ्मिनु बि क व नतवक्कलु अलै क व नुस्नी अलैकल् ख़ैर व नश्कु रु क व ला नक्फ़ुरु क व नख़्लउ व नतरुकु मैंयफ्जुरुक। अल्लाहुम्म इय्याक नअ्बुदु व ल क नुसल्ली व नस्जुदु व इलै क नस्आ व नह्फ़िदु व नर्जू रहम-त-क व नख़्शा अज़ा ब-क इन्न अज़ा बक बिल कुफ्फ़ारि मुल्हिक़0

(ऐ अल्लाह ! हम तुझ से ही मदद मांगते हैं और तेरी ही बख़्शिश चाहते हैं। तुझ पर ही ईमान लाते हैं और तुझ पर ही भरोसा करते हैं हम तेरी ही ख़ूबियां ब्यान करते हैं और तेरा ही शुक्र अदा करते हैं। हम तेरी नाशुक्री नहीं करते। हम अलग होते व साथ छोड़ते हैं उसे जो तेरे साथ किसी और को सम्मिलित करे। ऐ अल्लाह! हम तेरी उपासना करते हैं। हम तेरी तरफ़ दौड़ते हैं और तेरे ही लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं। हम तेरी रहमत के इच्छुक हैं और तेरे प्रकोप से डरते हैं। निस्संदेह तेरा प्रकोप काफ़िरों पर आने वाला है।

मस'ला ३– वित्र की तीनों रकअत में अलहम्द के साथ कोई सूरः मिलानी चाहिए।

मस'ला ४– अगर तीसरी रकअत मे दुआए कुनूत न पढ़े तो नमाज़ के ख़त्म पर भूल का सज्दा कर ले। अगर रुकू छोड़कर उठ खड़ा हो और दुआए कुनूत पढ़ ले तब भी ख़ैर नमाज़ तो हो गई लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए और भूल का सज्दा इस सूरत में भी

करना वाजिब है।

मस'ला ५– अगर भूल से पहली या दूसरी रकअत में दुआए कुनूत पढ़ ले तो इसका कुछ एतबार नहीं है। तीसरी रकअत में फिर पढ़ना चाहिए और भूल का सज्दा भी करना पड़ेगा।

मस'ला ६– जिसे दुआए कुनूत याद न हो तो यह पढ़ लिया करे :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतौंवफ़िल आख़िरति ह-स-न-तौंव किना अज़ाबन्नार०

(ऐ हमारे ख़ुदा, हमें दुनिया में अच्छाई दे और आख़िरत में भी अच्छाई दे और आग के अज़ाब से बचा।)

या तीन बार यह कह ले :

अल्लाहुम्मग़्फ़िरली اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ

(ऐ अल्लाह! बख़्शिश कर)

या तीन बार यह कह ले तो नमाज़ हो जाएगी : या रब! या रब! या रब! *(ऐ ख़ुदा! ऐ ख़ुदा! ऐ ख़ुदा!)*

28. सुन्नत और नफ़्ल नमाज़ें

मस'ला १– फ़ज्र के वक़्त फ़र्ज़ से पहले दो रकअत नमाज़ सुन्नत है। हदीस शरीफ़ में इसकी बड़ी ताकीद आई है। कभी इसे न छोड़े। अगर किसी दिन देर हो गई और नमाज़ का वक़्त बिल्कुल आख़िर हो गया तो मजबूरी के वक़्त कुल दो रकअत नमाज़ पढ़ ले

लेकिन जब सूरज निकल आए और ऊंचा हो जाए तो सुन्नत की दो रकअत कज़ा पढ़ ले।

मस'ला २– ज़ुहर के वक़्त पहले चार सुन्नतें पढ़े। फिर चार रकअत फ़र्ज़, फिर दो रकअत सुन्नत। ज़ुहर के वक़्त ये छः रकअ़त भी ज़रूरी हैं। इनके पढ़ने की बहुत ताकीद है।

मस'ला ३– अस्र के वक़्त पहले चार सुन्नत पढ़े, फिर चार रकअ़त फ़र्ज़ पढ़े, लेकिन अस्र के वक़्त सुन्नतों की ताकीद नहीं है। अगर कोई पढ़े तो बहुत सवाब मिलता है।

मस'ला ४– मग़रिब के वक़्त पहले तीन रकअ़त फ़र्ज़ पढ़े फिर दो रकअत सुन्नत पढ़े। ये सुन्नतें भी ज़रूरी है। न पढ़ने से गुनाह होगा।

मस'ला ५– इशा के वक़्त बेहतर और मुस्तहब यह है कि पहले चार रकअ़त सुन्नत पढ़े फिर चार रकअ़त फ़र्ज़, फिर दो रकअ़त सुन्नत पढ़े। ये दो रकअ़त पढ़नी ज़रूरी हैं। न पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। फिर, अगर जी चाहे दो रकअ़त नफ़्ल भी पढ़ ले। इस हिसाब से इशा की ६ सुन्नतें हुईं। अगर इतनी रकअ़त न पढ़े तो पहले चार रकअ़त फ़र्ज़, फिर दो रकअ़त सुन्नत पढ़े और फिर वित्र पढ़े।

मस'ला ६– रमज़ान के महीने में तरावीह की नमाज़ पढ़ना भी सुन्नत है।

फ़ायदा– जिन सुन्नतों का पढ़ना ज़रूरी है, वे सुन्नते मुअक्कदा (हज़रत रसूले मकबूल सल्ल० ने जिस बात का आदेश दिया, ताकीद वाली) कहलाती हैं। और रात-दिन में ऐसी बारह सुन्नतें हैं– दो फ़ज्र की, चार ज़ुहर से पहले, दो ज़ुहर के बाद, दो मग़रिब के बाद, दो इशा के बाद और रमज़ान में तरावीह। कुछ लोगों ने तहज्जुद नमाज़ को भी इसी में गिना है।

मस'ला ७– इतनी नमाज़ें तो इस्लामी कानून से हैं। अगर इससे

ज़्यादा भी किसी का जी पढ़ने को चाहे तो जितना चाहे ज़्यादा पढ़े और जिस वक़्त भी चाहे पढ़े, बस इतना ख़्याल रखे कि जिन औक़ात में नमाज़ पढ़ना मकरूह है उस वक़्त न पढ़े। फ़र्ज़ और सुन्नत के सिवा जो कुछ पढ़ेगा उसको नफ़्ल कहते हैं। जितनी ज़्यादा नफ़्लें पढ़ेगा उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। इस की कोई हद नहीं है।

मस'ला ८— कुछ नफ़्लों का सवाब बहुत ज़्यादा होता है इसलिए और नफ़्लों से इनका पढ़ना बेहतर है कि थोड़ी-सी मेहनत में बहुत सवाब मिलता है। वे ये हैं—तहीय्यतुल वुज़ू, (वुज़ू के बाद दो सुन्नतें पढ़ना) तहीय्यतुल मस्जिद, (मस्जिद मे दाख़िल होकर दो सुन्नतें पढ़ना) इशराक़ (सूर्योदय के दस मिनट बाद दो सुन्नतें पढ़ना) चाश्त (सूर्योदय के ढाई घन्टे के बाद चार सुन्नतें पढ़ना) अव्वाबीन, (मग़रिब के बाद ६ सुन्नतें पढ़ना) तहज्जुद, (आधी रात के बाद की नमाज़) सलातुत्तस्बीह (चार रकअत में तीन सौ बार कलिमा पढ़ना)।

मस'ला ९— तहीयतुल वुज़ू उस नमाज़ को कहते हैं कि जब कभी वुज़ू करे तो वुज़ू के बाद दो रकअत नफ़्ल पढ़ लिया करे। हदीस में इस की बहुत फ़ज़ीलत (महत्व, श्रेष्ठता, बड़ाई) आई है।

मस'ला १०—तहीय्यतुल मस्जिद नमाज़ उस आदमी के लिए है जो मस्जिद में दाख़िल हो। इस नमाज़ का मतलब मस्जिद की ताज़ीम (आदर, सम्मान) है जो दर हक़ीक़त ख़ुदा की ही ताज़ीम है, क्योंकि मकान की इज़्ज़त मकान वाले के ख़्याल से होती है। मस्जिद में आने के बाद बैठने से पहले दो रकअत नमाज़ पढ़ ले।

मस'ला ११— अगर मकरूह वक़्त हो तो सिर्फ़ चार बार इन कलिमों को कह ले:

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

सुब्हानल्लाहि वलहम्दु लिल्लाहि व लाइला ह इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर0

(सब प्रशंसा और प्रार्थना अल्लाह के लिए है। अल्लाह के अतिरिक्त कोई खुदा नहीं। अल्लाह बड़ा है)।

और इसके बाद कोई दुरूद शरीफ पढ़ ले। इस नमाज़ की नीयत यह है :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ رَكْعَتَىْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدْ

नवैतु अन् उसल्लिय रकअ्ती तहिय्यतिल् मस्जिद0

(मैंने नीयत की है नमाज़ पढ़ने की दो रकअत, तहिय्यतुल मस्जिद के लिए)

या उर्दू में इस तरह कह ले – मैंने नीयत की कि दो रकअत नमाज़ तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ूं।

मस'ला १२- .. रकअत की कोई कैद नहीं। अगर चार रकअत पढ़ी जाए तब भी कुछ बुराई नहीं। अगर मस्जिद में आते ही कोई फर्ज़ नमाज़ पढ़ी जाए या और कोई सुन्नत अदा की जाए तो वही फर्ज़ या सुन्नत तहिय्यतुल मस्जिद के बराबर हो जाएगी, यानी इसके पढ़ने से तहिय्यतुल मस्जिद का सवाब मिल जायेगा।अगरचेतहिय्यतुल मस्जिद की नीयत नहीं की गई।

मस'ला १३– अगर मस्जिद मे जाकर कोई आदमी बैठ जाए और उसके बाद तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े, तब भी कुछ हर्ज नहीं। मगर अच्छा यही है कि बैठने से पहले पढ़ ले।

मस'ला १४– अगर मस्जिद में कई बार जाना पड़े तो बस एक ही बार तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ लेना काफी है।

मस'ला १५– इशराक़ की नमाज़ का तरीक़ा यह है कि जब फज्र

की नमाज़ पढ़ चुके तो जानमाज़ पर से न उठे और उसी जगह बैठे-बैठे दरूद शरीफ़ या कलिमा :

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ

ला इला ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह०

(अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, मुहम्मद सल्ल० अल्लाह के रसूल हैं)

या कोई और वज़ीफ़ा पढ़ता रहे, यानी अल्लाह की याद में लगा रहे और दुनिया की कोई भी बात न करे, न दुनिया को कोई काम करे। जब सूरज निकल आए और ऊंचा हो जाए, दो-चार रकअ़त नमाज़ पढ़ ले तो एक हज और एक उमरे का सवाब मिलता है। अगर फ़ज्र की नमाज़ के बाद दुनिया के किसी धन्धे में फंस गया फिर सूरज ऊंचा होने के बाद इशराक की नमाज़ पढ़ी तब भी दुरुस्त है, लेकिन सवाब कम हो जाएगा।

मस'ला १६– जब सूरज ख़ूब ऊंचा हो जाए और धूप तेज़ हो जाए तब कम-से-कम दो रकअ़त पढ़े या इससे ज़्यादा पढ़े यानी चार, आठ या बारह रकअ़त पढ़ ले उसको चाश्त कहते हैं। इसका भी बहुत सवाब है।

मस'ला १७– मग़्रिब के फ़र्ज़ और सुन्नतों के बाद कम-से-कम छः रकअ़त और ज़्यादा-से-ज़्यादा बीस रकअ़त पढ़े, इसे अव्वाबीन कहते हैं।

मस'ला १८– आधी रात के बाद उठकर नमाज़ पढ़ने का बड़ा ही सवाब है। इसे तहज्जुद कहते हैं। यह नमाज़ अल्लाह को बहुत पसन्द है और सबसे ज़्यादा इसका सवाब मिलता है। तहज्जुद की कम-से-कम चार रकअ़त और ज़्यादा-से-ज़्यादा बारह रकअ़तें ही पढ़ ली जाएं। अगर पिछली रात को हिम्मत न हो तो इशा के बाद ही पढ़

ले मगर वैसा सवाब न होगा।

मस'ला १९— सलातुत्तस्बीह का हदीस शरीफ में बड़ा सवाब आया है। इसके पढ़ने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। हज़रत सल्ल0 ने अपने चचा हज़रत अब्बास रजि0 को यह नमाज़ सिखाई थी और फरमाया था, इसके पढ़ने से तुम्हारे सब गुनाह अगले-पिछले, नए-पुराने और छोटे-बड़े माफ हो जायेंगे। फिर फरमाया था — अगर हो सके तो रोजाना यह नमाज़ पढ़ लिया करो। अगर रोज़ न हो सके तो आठ दिन में एक बार पढ़ लो। अगर यह भी न हो सके तो हर महीने पढ़ लिया करो। अगर यह भी न हो सके तो साल में एक बार पढ़ लो। इस नमाज़ के पढ़ने की तरकीब यह है कि चार रकअत की नीयत बांधे और *सुब्हान क ल्लाहुम्मम और अलहम्दु और सूर:* जब सब पढ़ चुके तो रुकू से पहले ही पन्द्रह बार यह दुआ पढ़े।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर

(अल्लाह पाक है और अल्लाह तारीफ के लायक है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा है।)

फिर रुकू में जाए सुब्हा न रब्बियल अज़ीम *(पाकी ब्यान करता हूं अपने परवर्दिगार बुजुर्ग की)* कहने के बाद दस बार फिर यह पढ़े। फिर रुकू से उठे और :

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

समिअल्लाहु लिमन् हमिद:

(अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी पाकी ब्यान की)

कहने के बाद फिर दस बार यही पढ़े तब सज्दे में जाए और सुब्हा न रब्बियल आला (पाकी ब्यान करता हूं अपने सब से अच्छे परवर्दिगार की) के बाद फिर दस बार ऊपर वाली दुआ पढ़े। सज्दे से उठकर दस बार फिर यही पढ़े फिर दूसरा सज्दा करे। उसमें भी दस बार यह पढ़े। फिर सज्दे से उठकर दस बार फिर यही पढ़े फिर सज्दे से उठकर बैठे और दस बार यही दुआ पढ़कर दूसरी रकअ़त के लिए खड़ा हो। इसी तरह दूसरी रकअत भी पढ़े। जब दूसरी रकअत में अत्तहीय्यात के लिए बैठे तो पहले वही दुआ दस बार पढ़े तब अत्तहीय्यात पढ़े। हर रकअत में ७५ बार और कुल तीन सौ बार यह दुआ पढ़े।

मस'ला २०– इन चार रकअ़त में जो सूर: चाहे पढ़े, कोई सूरत तय नहीं।

मस'ला २१– दिन को नफ़्लें पढ़े तो चाहे दो-दो रकअत की नीयत बांधे और चाहे चार-चार रकअ़त की नीयत बांधे और दिन को चार रकअ़त से ज़्यादा की नीयत बांधना मकरूह है। रात को एकदम छ:-छ: या आठ-आठ रकअत की नीयत बांध ले तब भी ठीक है अगर इससे ज़्यादा की नीयत बांध ले तब भी ठीक है, मगर इससे ज़्यादा की नीयत बांधना रात को भी मकरूह है।

मस'ला २२– अगर चार रकअत की नीयत बांधे और चारों पढ़नी चाहे तो जब दो रकअ़त पढ़कर बैठे उस वक़्त एख़्तियार है अत्तहीय्यात के बाद दुरूद शरीफ और दुआ भी पढ़े फिर बिना सलाम फेरे उठ खड़ा हो। तीसरी रकअत पर सुब्हानकल्लाहुम्मा वा बिहम्दि क व तबारकस्मु क व तआ़ला जद्दुक व लाइलाह ग़ैरुक पढ़े फिर अऊ़ज़ु व बिस्मिल्लाह के बाद अलहुम्द शुरू करे और चाहे बस अत्तहीय्यात पढ़कर खड़ा हो और तीसरी रकअ़त बिस्मिल्लाह और अलहम्द से शुरू करे फिर चौथी रकअत पर बैठ कर अत्तहीयात वग़ैरा सब पढ़कर सलाम फेरे। अगर आठ रकअ़त की नीयत बांधी और आठों रकअ़त एक सलाम में पूरी करना चाहे तो इसी तरह दोनों बात अब

भी दुरुस्त हैं– चाहे अत्तहीय्यात दरुद शरीफ़ और दुआ पढ़कर खड़ा हो जाए और फिर सुब्हान क ल्लाहुम्मम पढ़े और चाहे अत्ताहीय्यात पढ़कर खड़ा हो जाए और फिर सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़े और चाहे अत्तहीय्यात पढ़कर खड़ा हो कर बिस्मिल्लाह (शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से) और अलहम्द से शुरू कर दे और आठवीं रकअत पर बैठ कर तब कुछ पढ़ कर सलाम फेरे। इसी तरह हर दो-दो रकअत पर दोनों बातों का एख़्तियार है।

मस'ला २३– सुन्नत और नफ़्ल की सब रकअतों में अलहम्द के साथ सूर: मिलाना वाजिब है। अगर जानकर सूर: न मिलाई तो गुनाह होगा और अगर भूल गया तो भूल का सज्दा करना होगा।

मस'ला २४– नफ़्ल की नमाज़ की जब किसी ने नीयत बांध ली तो अब उसका पूरा करना वाजिब हो गया। अगर किसी ने नीयत तोड़ी तो गुनाह होगा और जो नमाज तोड़ी है उसकी क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन नफ़्ल की हर दो-दो रकअ़त अलग हो। अगर चार या छ: रकअ़त की नीयत बांधी तो बस दो ही रकअ़त का पूरा करना वाजिब होगा, चारों रकअ़त वाजिब नहीं। इसलिए अगर किसी ने चार रकअ़त नफ़्ल की नीयत की और दो रकअत पढ़कर सलाम फेर दिया तो कुछ गुनाह नहीं।

मस'ला २५– अगर किसी ने चार रकअ़त की नीयत बांधी और अभी दो रकअ़तें पूरी न हुई थीं कि नमाज़ तोड़ दी तो कुल दो रकअत की क़ज़ा पढ़े।

मस'ला २६– अगर चार रकअत की नीयत बांधी और दो रकअ़त पढ़ चुका, तीसरी या चौथी में नीयत तोड़ दी तो अगर दूसरी रकअ़त में बैठकर उसने अत्तहीय्यात पढ़ी है तो दो रकअ़त की क़ज़ा पढ़े और अगर दूसरी रकअ़त पर नहीं बैठा, बिना अत्तहीय्यात पढ़े भूल से या जान कर खड़ा हो गया तो पूरी चारों रकअ़त की क़ज़ा पढ़ेगा।

मस'ला २७– ज़ुह्र की चार रकअ़त सुन्नत की नीयत अगर टूट

जाए तो पूरी चार रकअ़त फिर से पढ़े चाहे दो रकअत पर बैठकर अत्तहीय्यात पढ़ी हो या न पढ़ी हो।

मस'ला २८– नफ़्ल बैठकर पढ़ना भी दुरुस्त है लेकिन बैठकर पढ़ने से आधा सवाब मिलता है। इसलिए खड़े होकर पढ़ना अच्छा है। हाँ, बीमारी की वजह से खड़ा न हो सके तो पूरा सवाब मिलेगा और फ़र्ज़ नमाज़ और सुन्नत जब तक मजबूरी न हो, बैठकर पढ़ना दुरुस्त नहीं।

मस'ला २९– अगर नफ़्ल नमाज़ बैठकर शुरू की या फिर कुछ बैठे-बैठे पढ़कर खड़ा हो गया तो यह भी ठीक है।

मस'ला ३०– नफ़्ल नमाज़ खड़े होकर शुरू की और पहली या दूसरी रकअ़त में बैठ गया तो यह भी ठीक है।

मस'ला ३१– नफ़्ल नमाज़ खड़े-खड़े पढ़ी लेकिन कमज़ोरी की वजह से थक गया तो किसी लाठी या दीवार की टेक लगा लेना और उसके सहारे खड़ा होना भी ठीक है, मकरूह नहीं है।

29. तरावीह की नमाज़

मस'ला १– रमज़ान के महीने में तरावीह की नमाज़ पढ़ना भी सुन्नत है। इसकी भी ताकीद आई है इसका छोड़ देना और न पढ़ना गुनाह है। इशा के फ़र्ज़ और सुन्नतों के बाद बीस रकअ़त तरावीह पढ़े। नीयत चाहे दो-दो की बांधे या चार-चार की मगर दो-दो रकअत पढ़ना बहुत अच्छा है। जब बीस रकअत पढ़ चुके तो वित्र पढ़े।

मस'ला २– वित्र को तरावीह की जमाअ़त से पढ़ना बेहतर है। अगर पहले पढ़ ले तब भी दुरुस्त है।

मस'ला ३– नमाज़ तरावीह में चार रकअ़त के बाद इतनी देर

10

तक बैठना जितनी देर में चार रकअतें पढ़ी गई, मुस्तहब है। हां, अगर इतनी देर तक बैठने से लोगों को तकलीफ हो और जमाअत के कम हो जाने का डर हो तो इससे कम बैठने में एख़्तियार है—चाहे अकेले नफ्ल पढ़े या तस्बीह पढ़े या चुप बैठा रहे।

मस'ला ४— अगर कोई आदमी इशा की नमाज़ के बाद तरावीह पढ़ चुका हो और पढ़ने के बाद यह मालूम हो कि इशा की नमाज़ में कोई ऐसी मजबूरी हो गई थी जिसकी वजह से इशा की नमाज़ नहीं हुई तो उसको इशा की नमाज़ लौटाने के बाद तरावीह दोबारा भी पढ़नी चाहिए।

मस'ला ५— अगर इशा की नमाज़ जमाअत सेनपढ़ी हो तो तरावीह भी जमाअत से न पढ़ी जाए क्योंकि तरावीह इशा के बाद होती है। हाँ, जो लोग जमाअत से इशा की नमाज़ पढ़कर तरावीह जमाअत से पढ़ रहे हों तो उनके साथ शरीक होकर उस आदमी को तरावीह का जमाअत से पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा जिसने इशा की नमाज़ बग़ैर जमाअत के पढ़ी है।

मस'ला ६— अगर कोई शख़्स मस्जिद में ऐसे वक़्त पहुंचे कि इशा की नमाज़ हो चुकी हो तो चाहिए कि पहले इशा की नमाज़ पढ़ ले, फिर तरावीह में शरीक हो। अगर इस दर्मियान में तरावीह की कुछ रकअतें हो जाएं तो उन्हें वित्र के बाद पढ़े और वित्र जमाअत से पढ़ ले।

मस'ला ७— महीने में एक बार कुरआन मजीद का तरतीबवार (क्रमानुसार, विधिवत रूप से) तरावीह में पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है और लोगों को काहिली या सुस्ती से इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हां अगर यह डर हो कि अगर पूरा कुरआन मजीद पढ़ा जाएगा तो लोग नमाज़ में न आएंगे और जमाअत टूट जाएगी या उनको बहुत नागवार होगा तो बेहतर है कि जितना लोगों को भारी न पड़े उतना ही पढ़ा जाए। सूर: फील (१०५) से आख़िर तक दस सूरतें पढ़ ली जाएं यानी हर रकअत में एक सूर:। फिर जब दस रकअतें हो जाएं तो उन्हीं सूरतों

को दोबारा पढ़ दे या और जो सूरतें चाहे पढ़े।

मस'ला ८– रमज़ान में एक कुरआन मजीद से ज़्यादा न पढ़े जब तक कि लोगों का शौक़ हो और उनको भारी न पड़े अगर नागवार हो तो मकरूह है।

मस'ला ९– तरावीह में किसी सूर: के शुरू पर एक बार ज़ोर से बिस्मिल्ला हिर्रहमानिर्रहीम *(शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है)* पढ़ देना चाहिए क्योंकि बिस्मिल्लाह भी कुरआन मजीद की एक आयत है और किसी सूरत का टुकड़ा नहीं। इसलिए अगर बिस्मिल्लाह बिल्कुल न पढ़ी जाए तो कुरआन मजीद के पूरा होने में एक आयत की कमी रह जाएगी और अगर आहिस्ता आवाज़ से पढ़ी जाए तो मुक्तदियों का कुरआन मजीद पूरा न होगा।

मस'ला १०– तरावीह का रमज़ान के पूरे महीने में पढ़ना सुन्नत है, अगर्चे क़ुरआन मजीद महीना होने से पहले ख़त्म हो जाए जैसे पन्द्रह दिन में तो बाक़ी दिनों में भी तरावीह का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है।

मस'ला ११– सही यह है कि क़ुलहुवल्लाह का तरावीह में तीन बार पढ़ना मकरूह है।

30. भूल का सज्दा

मस'ला १– नमाज़ में जितनी बातें वाजिब हैं उनमें से एक या कई वाजिब भूल से रह जाएं तो भूल का सज्दा वाजिब है और उसके कर लेने से नमाज़ दुरुस्त हो जाती है। अगर भूल का सज्दा न किया तो नमाज़ फिर से पढ़े।

मस'ला २– भूल का सज्दा करने का तरीक़ा यह है कि आख़िर रकअत में अत्तहीय्यात पढ़ने के बाद एक सलाम फेरकर दो सजदे कर

ले फिर बैठ कर अत्तहीय्यात, दुरूद शरीफ़ और दुआ पढ़कर दोनों तरफ़ से सलाम फेर ले और नमाज़ ख़त्म करे।

मस'ला ३– किसी ने भूलकर सलाम फेरने से पहले ही भूल का सज्दा कर लिया तब भी वह पूरा हो गया और नमाज़ ठीक हो गई।

मस'ला ४– अगर भूल से दो रुकूअ् कर लिए या तीन सज्दे तो भूल का सज्दा वाजिब है।

मस'ला ५– नमाज़ में अलहम्द पढ़ना भूल गया, बस सूर: पढ़ी और फिर अलहम्द पढ़ी तो भूल का सज्दा करना वाजिब है।

मस'ला ६– फ़र्ज़ की पहली दो रकअ़त में सूर: मिलाना भूल गया तो पिछली दोनों रकअ़त में सूर: मिलाए और भूल का सज्दा करे। अगर पहली दो रकअ़त में से एक रकअ़त में सूरत नहीं मिलाई तो पिछली एक रकअ़त में सूरत: मिलाए और भूल का सज्दा करे। अगर पहली रकअ़त में भी सूरत मिलाना याद न रहा यानी न पहली रकअ़त में अत्तहीय्यात पढ़ते वक़्त याद आया कि दोनों रकअ़त या एक रकअ़त में सूर: नहीं मिलाई तब भी भूल का सज्दा करने से नमाज़ हो जाएगी।

मस'ला ७– सुन्नत और नफ़्ल की सब रकआत में सूर: का मिलाना वाजिब है इसलिए अगर किसी रकअ़त में सूर: मिलाना भूल जाए तो सज्दा कर ले।

मस'ला ८– अलहम्द पढ़कर सोचने लगा कि कौन-सी सूरत पढ़ी जाए और इसी सोच-विचार में इतनी देर लग जाए कि जितनी देर में तीन बार सुब्हानल्लाह कह सकता है तब भी भूल का सज्दा करना वाजिब है।

मस'ला ९– अगर बिल्कुल आख़िरी रकअ़त में अत्तहीय्यात और दरूद शरीफ़ पढ़ने के बाद शक हुआ कि चार रकअ़त पढ़ी हुई है या तीन, और इसी सोच में सलाम फेरने में इतनी देर हो जितनी देर में तीन बार सुब्हानल्लाह कह सके फिर याद आ गया कि चार रकअतें

पढ़ लीं तो इस सूरत में भी भूल का सज्दा करना वाजिब है।

मस'ला १०— जब अलहम्द और सूर: पढ़ चुका और भूल से कुछ सोचने लगा और रुकू करने में इतनी देर हुई जितनी कि ऊपर ब्यान हुई तो भूल का सज्दा करना वाजिब है।

मस'ला ११— इसी तरह अगर पढ़ते-पढ़ते दर्मियान में रुक गया और कुछ सोचने लगा और सोचने में इतनी देर लग गई या जब दूसरी या चौथी रकअ़त पर अत्तहीय्यात के लिए बैठा तो फौरन अत्तहीय्यात शुरू नहीं की कुछ सोचने में इतनी देर लग गई या जब रुकू से उठा तो देर तक कुछ सोचा या दोनों सज्दों के बीच में जब बैठा तो कुछ सोचने में इतनी देर लगा दी तो इन सब सूरतों में भूल का सज्दा करना वाजिब है,गर्ज़ यह कि जब भूल से कोई बात करने में देर कर देगा या किसी बात के सोचने की वजह से देर लग जाएगी तो भूल का सज्दा वाजिब होगा।

मस'ला १२— तीन रकअ़त या चार रकअ़त वाली फर्ज़ नमाज़ में जब दो रकअ़त पर अत्तहीय्यात के लिए बैठा और दो बार अत्तहीय्यात पढ़ गया तो सज्दा वाजिब है। अगर अत्तहीय्यात के बाद इतना दुरूद शरीफ भी पढ़ गया : **अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद** *(ऐ अल्लाह ! हज़रत मुहम्मद सल्ल0 पर रहमत कर)* या इससे ज़्यादा पढ़ गया तब याद आया और उठ खड़ा हुआ, तब भी भूल का सज्दा वाजिब है और अगर इससे कम पढ़ा तो सज्दा वाजिब नहीं।

मस'ला १३— नफ्ल नमाज़ में दो रकअ़त पर बैठकर अत्तहीय्यात के साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ना वाजिब है क्योंकि नफ्ल में दुरूद शरीफ के पढ़ने से भूल का सज्दा नहीं होता, अलबत्ता अगर दो बार अत्तहीय्यात पढ़ लिया जाए तो नफ्ल में भी भूल का सज्दा वाजिब है।

मस'ला १४— अत्तहीय्यात पढ़ने बैठा मगर भूल से अत्तहीय्यात की जगह कुछ और पढ़ गया या अलहम्द पढ़ने लगा तब भी भूल का सज्दा वाजिब है।

मस'ला १५– नीयत बांधने के बाद सुब्हान कल्लाहुम्म (*ऐ अल्लाह! तेरी ज़ात पाक है*) की जगह दुआए कुनूत पढ़ने लगा तो भूल का सज्दा वाजिब नहीं। इसी तरह फ़र्ज़ की तीसरी या चौथी रकअत में अगर अलहम्द की जगह अत्तहीय्यात या कुछ और पढ़ने लगा तब भी भूल का सज्दा वाजिब नहीं है।

मस'ला १६– तीन या चार रकआत वाली नमाज़ में बीच में बैठना भूल गया और दो रकआत पढ़कर तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो गया तो अगर नीचे का आधा धड़ अभी सीधा न हुआ हो तो बैठ जाए और अत्तहीय्यात पढ़ ले तब खड़ा हो और ऐसी हालत में सज्दा करना वाजिब नहीं है। अगर आधा धड़ सीधा हो गया तो न बैठे बल्कि खड़े होकर चारों रकआत पढ़ ले, बस आख़िर में बैठे और सूर: में भूल का सज्दा वाजिब है। अगर सीधा खड़ा हो जाने के बाद फिर लौट आए और बैठ कर अत्तहीय्यात पढ़े तो गुनाहगार होगा और सजदा करना अब भी वाजिब होगा।

मस'ला १७– अगर चौथी रकआत पर बैठना भूल गया और ऊपर का धड़ अभी सीधा नहीं तो बैठ जाए और अत्तहीय्यात और दुरूद शरीफ़ पढ़कर सलाम फेरे और भूल का सज्दा न करे और अगर सीधा खड़ा हो गया जब भी बैठ जाए और अत्तहीय्यात पढ़कर भूल का सज्दा कर ले अलबत्ता रुकू के बाद भी याद न आया और पांचवीं रकआत का सज्दा कर लिया तो फ़र्ज़ नमाज़ फिर से पढ़े। यह नमाज़ नफ़्ल हो गई। एक रकअत और मिलाकर पूरी छ: रकआत पर सलाम फेर दिया तो चार रकआत नफ़्ल हो गई और एक रकअत अकारथ गई।

मस'ला १८– अगर चौथी रकअत पर बैठा और अत्तहीय्यात पढ़कर खड़ा हो गया तो सज्दा करने के पहले जब याद आए बैठ जाए और अत्तहीय्यात पढ़े बल्कि बैठ कर उसी वक़्त सलाम फेरकर सज्दा करे और अगर पांचवीं रकअत का सज्दा कर चुका तब याद आया तो एक रकअत और मिलाकर छ: रकअत कर ले। चार फ़र्ज़

हो गए और दो नफ्ल और छठी रकअ़त पर सज्दा भी कर ले अगर पांचवीं रकअ़त पर सलाम फेर दिया और भूल का सज्दा कर लिया तो बुरा किया। चार फ़र्ज़ हुए और एक रकअ़त अकारथ गई।

मस'ला १९— अगर चार रकअ़त नफ्ल नमाज़ पढ़ी और बीच में बैठना भूल गया तो जब तक तीसरी रकअ़त का सज्दा न किया हो तब तक याद आ जाने पर बैठ जाना चाहिए। अगर सज्दा कर लिया तो ख़ैर, तब भी नमाज़ हो गई और भूल का सज्दा इन दोनों सूरतों में वाजिब है।

मस'ला २०— अगर नमाज़ में शक हो गया कि तीन रकअत पढ़ी है या चार रकअ़त, तो अगर यह शक अचानक हो गया, ऐसा धोखा लगने की उसकी आदत नहीं है तो फिर से नमाज़ पढ़े और यह शक करने की आदत है और अक्सर ऐसा धोखा लग जाता है तो दिल में सोचकर देखे कि दिल ज़्यादा किधर जाता है। अगर ज़्यादा गुमान तीन रकअ़त पढ़ने का है तो एक और पढ़ ले और भूल का सज्दा करना वाजिब नहीं हैं अगर ज़्यादा गुमान यही हो कि चारों रकअ़तें पढ़ ली हैं तो और रकअ़त न पढ़े और भूल का सज्दा भी न करे। और अगर सोचने के बाद भी दोनों तरफ़ बराबर ख़्याल न रहे, न तीन रकअ़त की तरफ़ ज़्यादा गुमान जाता है न चार रकअ़त की तरफ़ तो तीन ही रकअ़त समझे और एक रकअत और पढ़ ले। लेकिन इस सूरत में तीसरी रकअत पर भी अत्तहीय्यात पढ़े या तब खड़ा होकर चौथी रकअत पढ़े और भूल का सज्दा भी करे।

मस'ला २१— अगर यह शक हुआ कि पहली रकअ़त है या दूसरी रकअ़त तो इसका भी यही हुक्म है। लेकिन इसमें सब रकअ़त पर पहुंचकर अत्तहीय्यात पढ़े और भूल का सज्दा करके सलाम फेरे।

मस'ला २२— अगर नमाज़ पढ़ चुकने के बाद यह शक हुआ कि न मालूम तीन रकअतें पढ़ीं या चार तो इस शक का कुछ नहीं, नमाज़ हो गई। हां, अगर ठीक याद आ जाए कि तीन हो गईं तो फिर खड़े होकर एक और रकअ़त पढ़ ले और भूल का सज्दा कर ले। अगर

पढ़कर बोल पड़ा हो या कोई ऐसी बात हो जिससे नमाज़ टूट जाती है तो फिर से पढ़े। इसी तरह अगर अत्तहीय्यात पढ़ चुकने के बाद यह शक हुआ तो उसका भी यही हुक्म है कि जब तक ठीक याद न आए उसका भरोसा न करे लेकिन अगर कोई अत्तहीय्यात की वजह से नमाज़ फिर से पढ़ ले तो अच्छा है कि दिल की खटक निकल जाए और शक बाक़ी न रहे।

मस'ला २३– अगर नमाज़ में कई बातें ऐसी हो गई जिनसे भूल का सज्दा वाजिब होता है तो एक ही सज्दा सब की तरफ़ से हो जाएगा। एक नमाज़ में दो बार भूल का सज्दा नहीं किया जाता।

मस'ला २४– भूल का सज्दा करने के बाद फिर से कोई ऐसी बात हो गई जिससे सज्दा वाजिब होता है तो वही पहला सज्दा काफ़ी है, अब फिर भूल का सज्दा न करे।

मस'ला २५– नमाज़ में कुछ भूल हो गई थी जिससे भूल का सज्दा वाजिब था लेकिन उसे करना भूल गया और दोनों तरफ़ सलाम फेर दिया लेकिन अभी उसी जगह बैठा है और सीना क़िबले की तरफ़ से नहीं फेरा; न किसी से कुछ बोला न कोई और ऐसी बात हुई जिससे नमाज़ टूट जाती है तो अब भूल का सज्दा कर ले बल्कि अगर उसी तरह बैठे-बैठे कलिमा, दुरूद शरीफ़ वग़ैरा कोई वज़ीफ़ा भी पढ़ने लगा हो तब भी कुछ हर्ज नहीं है। अब सज्दा कर ले तो नमाज़ हो जाएगी।

मस'ला २६– भूल का सज्दा वाजिब था और उसने जानते हुए दोनों तरफ़ सलाम फेर दिया और यह नीयत की : 'मैं भूल का सज्दा न करूंगा', तब तक जब तक कोई ऐसी बात न हो जिससे नमाज़ जाती रहती है तो भूल का सज्दा कर लेने का एख़्तियार है।

मस'ला २७– चार रकअत वाली या तीन रकअत वाली नमाज़ में भूले से दो रकअत पर सलाम फेर दिया तो अब उठकर उस नमाज़ को पूरा कर ले और भूल का सज्दा कर ले। अलबत्ता अगर

सलाम फेरने के बाद कोई ऐसी बात हो गई जिससे नमाज़ जाती रहती है तो फिर नमाज़ पढ़े।

मस'ला २८— भूल से वित्र की पहली या दूसरी रकअ़त में दुआए कुनूत पढ़ गया तो इसका कुछ भरोसा नहीं, तीसरी रकअ़त में फिर से पढ़े और भूल का सज्दा करे।

मस'ला २९— वित्र की नमाज़ में शक हुआ कि न मालूम दूसरी रकअ़त है या तीसरी रकअ़त और किसी बात की तरफ़ ज़्यादा गुमान नहीं है बल्कि दोनों तरफ बराबर दर्जे का गुमान है तो उसी रकअ़त में दुआए कुनूत पढ़े और बैठकर अत्तहीयात के बाद खड़ा होकर एक रकअत और पढ़े और उसमें भी दुआए कुनूत पढ़े और आख़िर में भूल का सज्दा कर ले।

मस'ला ३०— वित्र में दुआए कनूत की जगह 'सुब्हानकल्लाहुम्म व बिहम्दि क व तबारकस्मु क व तआ़ला जद्दु क वला इला ह ग़ैरु क पढ़ गया फिर जब याद आया तो दुआ़ए कुनूत पढ़ी तो भूल का सज्दा वाजिब नहीं।

मस'ला ३१— वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया सूर: पढ़कर रुकू में चला गया तो भूल का सज्दा वाजिब है।

मस'ला ३२— अलहम्द पढ़कर दो या तीन सूरतें पढ़ गया तो कोई डर नहीं और भूल का सज्दा वाजिब नहीं।

मस'ला ३३— फ़र्ज़ नमाज़ में पिछली दोनों रकअ़त में या एक रकअ़त में सूर: मिला ली तो भूल का सज्दा वाजिब नहीं।

मस'ला ३४— नमाज़ के शुरू में 'सुब्हानकल्लाहुम्म व बिहम्दि क व तबारकस्मु क व तआ़ला जद्दु क व ला इला ह ग़ैरु क' पढ़ना भूल गया या रुकअ़ में सुब्हा न रब्बियल अज़ीम *(पाकी ब्यान करता हूं अल्लाह की जो बुजुर्ग है)* नहीं पढ़ा या सज्दे में :

सुब्हा न रब्बियल आला

(पाकी ब्यान करता हूं अल्लाह की जो सबसे आला है) नहीं कहा या रुकू से उठकर—

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

समि अल्लाहु लिमन हमिदः

(अल्लाह ने उसकी सुनी जिसने उसकी तारीफ की)

कहना याद न रहा या नीयत बांधते वक्त कन्धों तक हाथ नहीं उठाए या आख़िरी रकअ़त में दरूद शरीफ या दुआ नहीं पढ़ी, यूँ ही सलाम फेर दिया तो इन सब हालतों में भूल का सज्दा वाजिब नहीं।

मस'ला ३५— फ़र्ज़ की दोनों पिछली रकअ़त में या एक रकअ़त में अलहम्द पढ़ना भूल गया, चुपका खड़ा रहकर रुकू में चला गया तब भी भूल का सज्दा वाजिब नहीं।

मस'ला ३६— जिन चीज़ों को भूलकर करने से भूल का सज्दा वाजिब है अगर जानकर न करे तो भूल का सज्दा वाजिब नहीं होता बल्कि नमाज़ फिर से पढ़े। अगर भूल का सजदा कर भी लिया तब भी नमाज़ नहीं हुई। जो चीज़ें नमाज़ में न फ़र्ज़ हैं, न वाजिब, उनके भूलकर छूट जाने से नमाज़ हो जाती है और भूल का सज्दा वाजिब नहीं होता।

मस'ला ३७— अगर धीमी आवाज़ कीनमाज़ में कोई आदमी चाहे इमाम हो या अकेला, बुलन्द आवाज़ से किरअ़त कर जाए या बुलन्द आवाज़ की नमाज़ में इमाम धीमी आवाज़ से क़िरअ़त करे तो उसको भूल का सज्दा करना चाहिए। हां, अगर धीमी आवाज़ की नमाज़ में बहुत थोड़ी किरअत ऊंची आवाज़ से की जाए जो नमाज़ सही होने के लिए काफी न हो जैसे दो-तीन लफ्ज़ ऊंची आवाज़ से निकल जाए या हल्की आवाज़ की नमाज़ इमाम बहुत धीरे से पढ़ दे तो भूल

का सज्दा लाज़िम नहीं और यही ठीक है।

31. तिलावत का सज्दा

मस'ला १– क़ुरआन शरीफ़ में तिलावत के चौदह सज्दे हैं जहां-जहां कलाम मजीद के किनारे पर 'सज्दा' लिखा रहता है उस आयत को पढ़कर सज्दा करना वाजिब हो जाता है और इसी को तिलावत का सज्दा कहते हैं।

मस'ला २– इस सज्दे के करने का यह तरीक़ा है कि अल्लाहु अकबर कहकर सज्दा करे और अल्लाहु अकबर कहते वक़्त हाथ न उठाये। सज्दे में कम-से-कम तीन बार (**सुब्हा न रब्बियल आला**) *(पाक है मेरा ख़ुदा जो बड़ा है।)*

कहे। फिर '**अल्लाहु अकबर**' कह कर सर उठा ले। बस तिलावत का सज्दा हो गया।

मस'ला ३– बेहतर यह है कि खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कहकर सज्दे में जाए, फिर अल्लाहु अकबर कह कर खड़ा हो जाए और अगर बैठकर अल्लाहु अकबर कहकर सज्दे में जाए फिर अल्लाहु अकबर कह कर उठ बैठे– खड़ा न हो तब भी दुरुस्त है।

मस'ला ४– सज्दे की आयत को जो आदमी पढ़े उस पर भी सज्दा करना वाजिब है और जो सुने उस पर भी वाजिब हो जाता है चाहे क़ुरआन शरीफ़ सुनने के इरादे से बैठा हो या किसी और काम में लगा हो और बिना इरादे के सज्दे की आयत सुन ली हो, इसलिए बेहतर है कि सज्दे की आयत को आहिस्ता से पढ़े ताकि किसी और पर सज्दा वाजिब न हो।

मस'ला ५– जो चीज़ें नमाज़ के लिए शर्त हैं वही तिलावत के सज्दे के लिए भी शर्त हैं यानी वुज़ू का होना, जगह का पाक होना,

बदन और कपड़े का पाक होना, किबले की तरफ सज्दा करना।

मस'ला ६– जिस तरह नमाज़ का सज्दा किया जाता है उसी तरह तिलावत का सज्दा भी करना चाहिए। कुछ आदमी कुरआन शरीफ पर सज्दा कर लेते हैं इससे सज्दा पूरा नहीं होता और वह फिर करना पड़ेगा।

मस'ला ७– अगर किसी का वुज़ू उस वक़्त न हो तो फिर किसी वक़्त वुज़ू करके तिलावत का सज्दा करे। उसी वक़्त सज्दा करना ज़रूरी नहीं। लेकिन बेहतर यह है कि उसी वक़्त सज्दा कर ले क्योंकि हो सकता है बाद में याद न रहे।

मस'ला ८– अगर किसी के ज़िम्मे बहुत से सज्दे बाकी हों और अब तक अदा न किए हों तो अब अदा कर ले। ये सज्दे उम्र भर में कभी-न-कभी ज़रूर अदा कर लेने चाहिएं। कभी अदा न करेगा तो गुनाहगार होगा।

मस'ला ९– अगर किसी औरत ने हैज़ या निफ़ास की हालत में किसी से सजदे की आयत सुन ली तो उस पर सज्दा वाजिब नहीं हुआ और ऐसी हालत में सुना जब उस पर नहाना वाजिब था तो नहाने के बाद सज्दा करना वाजिब है।

मस'ला १०– अगर बीमारी की हालत में सुने और सज्दा करने की ताकत न हो तो जिस तरह नमाज़ का सज्दा इशारे से अदा करता हो उसी तरह इसका सज्दा भी इशारे से कर ले।

मस'ला ११– अगर नमाज़ में सज्दे की आयत पढ़े तो वह आयत पढ़ने के बाद उसी वक़्त नमाज़ में ही सजदा कर ले, फिर बाकी सूरत पढ़कर रुकू में जाए। अगर उस आयत को पढ़कर उसी वक़्त सज्दा न किया, उसके बाद दो या तीन आयत पढ़ ली तब सज्दा किया तो यह भी ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा पढ़ गया तो सज्दा किया तो अदा हो गया लेकिन गुनाहगार हुआ।

मस'ला १२– सज्दे की आयत पढ़कर अगर उसी वक़्त रुकू में

चला जाए और रुकू में यह नीयत कर ले 'मैं तिलावत के सज्दे की तरफ़ से भी यह रुकू करता हूं तब भी सज्दा अदा हो जाएगा और रुकू में यह नीयत नहीं की तो रुकू के बाद जब सज्दा करेगा तो उसी सज्दे से तिलावत का सज्दा भी अदा हो जाएगा, चाहे कुछ नीयत करे या न करे।

मस'ला १३— नमाज़ पढ़ने में किसी और से सज्दे की आयत सुने तो नमाज़ में सज्दा न करे बल्कि नमाज़ के बाद कर ले। अगर नमाज़ में करेगा तो वह सज्दा अदा न होगा, उसे फिर करना पड़ेगा और गुनाह भी होगा।

मस'ला १४— एक ही जगह बैठे-बैठे सज्दे की आयत को कई बार दोहरा कर पढ़े तो एक ही सजदा वाजिब है चाहे सब हर बार पढ़कर आख़िर में सज्दा करे या पहली बार सज्दा कर ले। फिर उसी को बार-बार दोहराता रहे और अगर जगह बदल गई तब उस आयत को दोहराया, फिर तीसरी जगह जाकर वही आयत पढ़ी। इसी तरह बराबर जगह बदलता रहा तो जितनी बार दोहराए उतनी ही बार सज्दा करे।

मस'ला १५— अगर एक ही जगह बैठे-बैठे सज्दे की कई आयतें पढ़ीं तब भी जितनी आयतें पढ़े उतने ही सज्दे कर ले।

मस'ला १६— बैठे-बैठे सज्दे की कोई आयत पढ़ी, फिर उठ खड़ा हुआ लेकिन चला-फिरा नहीं— जहां बैठा था वहीं खड़े-खड़े वही आयत फिर दोहराई तो एक ही सज्दा वाजिब है।

मस'ला १७— एक ही जगह सज्दे की आयत पढ़ी और उठकर किसी काम को चला गया फिर उसी जगह आकर वही आयत पढ़ी तब भी दो सजदे करे।

मस'ला १८— एक जगह बैठे-बैठे सज्दे की कोई आयत पढ़ी फिर जब कुरआन मजीद की तिलावत कर चुका तो उसी जगह बैठे-बैठे किसी और काम में लग गया जैसे किताबत करने लगा या कपड़ा सीने

लगा उसके बाद फिर वही आयत पढ़ी तब भी दो सज्दे वाजिब हुए यानी जब कोई और काम करने लगे तो ऐसा समझेंगे कि जगह बदल गई।

मस'ला १९– एक कोठरी या दालान के एक कोने में सज्दे की कोई आयत पढ़ी और फिर दूसरे कोने में जाकर वही आयत पढ़ी तब भी एक ही सज्दा काफ़ी है चाहे जितनी बार पढ़े। अलबत्ता दूसरे काम में लग जाने के बाद वही आयत पढ़ेगा तो तीसरा सज्दा वाजिब हो जाएगा।

मस'ला २०– अगर बड़ा घर हो तो दूसरे कोने में जाकर दोहराने से दूसरा सज्दा वाजिब होगा और तीसरे कोनें में तीसरा सज्दा।

मस'ला २१– मस्जिद का भी वही हुक्म है जो एक कोठरी का हुक्म है। अगर सज्दे की आयत कंई बार पढ़े तो एक ही सज्दा वाजिब है चाहे एक ही जगह बैठे-बैठे दोहराया करे या मस्जिद में इधर-उधर टहलकर पढ़े।

मस'ला २२– अगर नमाज़ में सज्दे की एक ही आयत को कई बार पढ़े तब भी एक ही सज्दा वाजिब है चाहे सब दफ़ा पढ़कर आख़िर में सज्दा करे या एक बार पढ़कर सज्दा कर लिया फिर उसी रकअ़त या दूसरी रकअ़त में वही आयत पढ़े।

मस'ला २३– सज्दे की कोई आयत पढ़ी और सज्दा नहीं किया, फिर उसी जगह नीयत बांध ली और नमाज़ में फिर वही आयत पढ़ी और तिलावत का सज्दा कर लिया तो यही सज्दा काफ़ी है। दोनों सज्दे उसी आयत में अदा हो जाएंगे अलबत्ता अगर जगह बदल गई तो दूसरा सज्दा भी वाजिब है।

मस'ला २४– अगर सज्दे की आयत पढ़कर सज्दा कर लिया, फिर उसी जगह नमाज़ की नीयत बांध ली और वही आयत नमाज़ में दोहराई तो अब नमाज़ में फिर सज्दा करे।

मस'ला २५– पढ़ने वाले की जगह नहीं बदली– एक ही जगह बैठे-बैठे एक ही आयत को बार-बार पढ़ता रहा लेकिन सुनने वाले की जगह बदल गई यानी पहली बार और जगह सुना था, दूसरी बार और जगह, तीसरी बार तीसरी जगह तो पढ़ने वाले पर एक ही सज्दा वाजिब है और सुनने वाले पर कई सज्दे वाजिब हैं। जितनी बार सुने उतने ही सज्दे करे।

मस'ला २६– अगर सुनने वाले की जगह नहीं बदली बल्कि पढ़ने वाले की जगह बदल गई तो पढ़ने वाले पर कई सज्दे वाजिब होंगे जबकि सुनने वाले पर एक ही सज्दा वाजिब है।

मस'ला २७– पूरी सूरत पढ़ना और सज्दे की आयत को छोड़ देना मकरूह और मना है। सज्दे से बचने के लिए वह आयत न छोड़े वरना यह समझा जाएगा कि उसे उस सज्दे से इन्कार है।

मस'ला २८– अगर कोई आदमी किसी इमाम से सज्दे की आयत सुने और उसके बाद उसकी इक्तदा (अनुसरण) करे तो उसे इमाम के साथ वह सज्दा करना चाहिए। अगर इमाम सज्दा कर चुका हो तो इसमें दो सूरतें हैं– एक यह कि जिस रकअ़त में इमाम ने सज्दे की आयत की तिलावत की हो वही रकअ़त मिल जाए तो सज्दे की ज़रूरत नहीं। उस रकअत के मिल जाने से यह समझा जाएगा कि वह सज्दा भी मिल गया। दूसरे यह कि वह रकअ़त न मिले तो उसको नमाज़ पूरी करने के बाद अलग सज्दा करना वाजिब है।

मस'ला २९– मुक़तदी से अगर आयते सज्दा सुनी तो सज्दा वाजिब न होगा– न उस पर, न उसके इमाम पर और न उन लोगों पर जो उस नमाज़ में शरीक हैं। हाँ, जो उस नमाज़ में शरीक नहीं, चाहे वे नमाज़ ही न पढ़ते हों या कोई दूसरी नमाज़ पढ़ रहे हों तो उन पर सज्दा वाजिब होगा।

मस'ला ३०– तिलावत के सज्दे में क़हक़हे से वुज़ू नहीं जाता लेकिन सज्दा झूठा हो जाता है।

मस'ला ३१— औरत के बराबर में खड़ी होने से सज्दा तिलावत फासिद नहीं होता।

मस'ला ३२— तिलावत का सज्दा अगर नमाज़ में वाजिब हुआ हो तो उसका अदा करना उसी वक़्त वाजिब है देर की इजाज़त नहीं।

मस'ला ३३— नमाज़ से बाहर का सज्दा नमाज़ में और नमाज़ का सज्दा नमाज़ के बाद बल्कि दूसरी नमाज़ में भी अदा नहीं किया जा सकता इसलिए अगर कोई आदमी नमाज़ में सज्दे की आयत पढ़े और सज्दा न करे तो उसका गुनाह उसके ज़िम्मे होगा और इस के सिवा कोई रास्ता नहीं कि तौबा करे और कहे—

يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

या अर्हमर्राहिमीन *(खुदा रहम करने वाला है)*

मस'ला ३४— जुमा, ईदैन और धीमी आवाज़ की नमाज़ों में सज्दे की आयत नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि सज्दा करने में मुक़तदियों को शक में पड़ जाने का डर है।

32. बीमारी की नमाज़

मस'ला १— नमाज़ किसी भी हालत में न छोड़े। जब तक खड़ा होकर नमाज़ की ताक़त रहे खड़ा होकर नमाज़ पढ़ता रहे और जब खड़ा न हुआ जाए तो बैठ कर नमाज़ पढ़े। बैठे-बैठे रुकूअ कर ले और रुकू दोनों सज्दे करे और रुकूअ् के लिए इतना झुके कि माथा घुटनों के सामने हो जाए।

मस'ला २— रुकू व सज्दा करने की ताक़त न हो तो रुकूअ् व सज्दे को इशारों से अदा करे और सज्दे के लिए रुकूअ् से ज़्यादा

झुक जाया करे।

मस'ला ३– सज्दा करने के लिए तकिया वग़ैरह कोई ऊंची चीज़ रख लेना और उस पर सज्दा करना ठीक नहीं। जब सज्दे की हालत न हो तो बस इशारा कर लिया करे।

मस'ला ४– खड़ा होने की हालत तो है लेकिन खड़ा होने से तकलीफ होती है या बीमारी बढ़ जाने का डर है तब भी बैठकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है।

मस'ला ५– खड़ा तो हो सके मगर रुकूअ व सज्दा न कर सके तो चाहे खड़ा होकर पढ़े और रुकूअ व सज्दा इशारे से अदा करे और चाहे बैठकर नमाज़ पढ़े और रुकूअ् व सज्दा इशारे से अदा करे लेकिन बैठकर पढ़ना बेहतर है।

मस'ला ६– अगर बैठने की ताकत न रही पीछे कोई गाव तकिया वग़ैरह लगाकर इस तरह लेट जाए कि सर खूब ऊंचा रहे बल्कि करीब-करीब बैठने के रहे और पांव किबले की तरफ फैला ले और कुछ ताकत हो तो किबले की तरफ पैर न फैलाए बल्कि घुटने खड़े रखे। फिर सर के इशारे से नमाज़ पढ़े और सज्दे का इशारा ज़्यादा नीचा करे। अगर गाव तकिये से टेक लगाकर भी इस तरह न लेट सके कि सर और सीना वग़ैरा ऊंचा रहे तो किबले की तरफ पैर करके बिल्कुल चित्त लेट जाए लेकिन सर के नीचे कोई ऊंचा तकिया रख लें कि मुंह किबले की तरफ हो जाये, आसमान की तरफ न रहे। फिर सर के इशारे से नमाज़ पढ़े। रुकूअ् का इशारा कम करे और सज्दे का इशारा ज़्यादा करे।

मस'ला ७– अगर चित्त न लेटे बल्कि दाईं करवट पर किबले की तरफ मुंह करके लेटे और सर के इशारे से रुकू व सज्दा करे, यह भी जायज़ है लेकिन चित्त लेटकर पढ़ना ज़्यादा अच्छा है।

मस'ला ८– अगर सर का इशारा करने की भी ताकत नहीं तो नमाज़ बिल्कुल न पढ़े। फिर एक दिन रात से ज़्यादा यही हालत रहे

तो नमाज़ बिल्कुल माफ है। अच्छा होने के बाद कज़ा पढ़ना वाजिब नहीं है। अगर एक दिन रात से ज़्यादा यह हालत न रही बल्कि एक दिन रात में फिर इशारे से पढ़ने की ताकत आ गई तो इशारे से ही उनकी कज़ा पढ़े और इरादा न करे कि जब कि बिल्कुल अच्छा हो जाए तब पढ़ेगा क्योंकि अगर मर गया तो गुनाहगार मरेगा।

मस'ला ९— इसी तरह अच्छा-खासा आदमी बेहोश हो जाये तो अगर बेहोशी एक दिन-रात से ज़्यादा न हुई तो कज़ा पढ़ना वाजिब है और अगर एक दिन-रात से ज़्यादा हो गई तो कज़ा पढ़ना वाजिब नहीं।

मस'ला १०— जब नमाज़ शुरू की उस वक़्त भला-चंगा था मगर जब थोड़ी नमाज़ पढ़ चुका तो नमाज़ में ही कोई ऐसी रंग चढ़ गई कि खड़ा न हो सका तो बाकी नमाज़ बैठकर पढ़े। अगर रुकूअ़ व सज्दा कर सके तो करे, न कर सके तो रुकूअ़ व सज्दा सर के इशारे से अदा करे और अगर ऐसा हाल हो गया कि बैठने की भी ताकत नहीं तो उसी तरह लेटकर बाकी नमाज़ पूरी करे।

मस'ला ११— बीमारी की वजह से थोड़ी नमाज़ बैठकर पढ़ी और रुकूअ़ की जगह रुकूअ़ और सज्दे की जगह सज्दा किया फिर नमाज़ में ही अच्छा हो गया तो उसी नमाज़ को खड़ा होकर पूरा करे।

मस'ला १२— अगर बीमारी की वजह से रुकूअ़ व सज्दे की ताकत न थी इस लिए सर के इशारे से रुकू व सज्दा किया फिर जब कुछ नमाज़ पढ़ चुका तो ऐसा हो गया कि अब रुकूअ़ कर सकता है सो अब नमाज़ जाती रही, उसे पूरी करे बल्कि फिर से पढ़े।

मस'ला १३— फालिज गिरा और ऐसा बीमार हो गया कि पानी से इस्तिंजा नहीं कर सकता तो कपड़े या ढेले से साफ कर ले और उसी तरह नमाज़ पढ़े अगर खुद तयम्मुम न कर सके तो दूसरा कर दे। अगर ढेले या कपड़े से भी साफ करने की ताकत नहीं है तब भी

नमाज़ कज़ा न करे— उसी तरह नमाज़ पढ़े। किसी और को उसके बदन को देखना और साफ करना दुरुस्त नहीं। न मां को, न लड़का-लड़की को। अलबत्ता बीवी को अपने शौहर और शौहर को अपनी बीवी का बदन देखना दुरुस्त है उसके सिवा किसी को दुरुस्त नहीं।

मस'ला १४— तन्दुरुस्ती के ज़माने में कुछ नमाज़ें कज़ा हो गईं थीं, फिर बीमार हो गया तो बीमारी के ज़माने में जिस तरह नमाज़ पढ़ने की ताकत हो उनकी कज़ा पढ़े। यह इन्तज़ार न करे कि जब खड़ा होने की ताकत आए तब पढ़े या जब बैठने लगे और रुकूअ् व सज्दा करने की ताकत आए तब पढ़े बल्कि उसी वक़्त पढ़े, देर बिल्कुल न करे।

मस'ला १५— अगर बीमार का बिस्तर नापाक है और उसके बदलने में बहुत तकलीफ होगी तो उसी पर नमाज़ पढ़ लेना ठीक है।

मस'ला १६— हकीम ने किसी की आंख बनाई और हिलने-जुलने से मना कर दिया तो लेटे-लेटे नमाज़ पढ़ता रहे।

मस'ला १७— अगर कोई आदमी किरअत के लम्बा होने की वजह से खड़े-खड़े थक जाये और तकलीफ होने लगे तो उसको किसी दीवार या पेड़ या लकड़ी वगैरा से तकिया लगा लेना मकरूह नहीं। तरावीह की नमाज़ में कमज़ोर और बूढ़े लोगों को अक्सर इसकी ज़रूरत पेश आती है।

33. सफ़र की हालत में नमाज़

मस'ला १— अगर कोई एक मंज़िल या दो मंज़िल का सफर करे तो उस सफ़र से शरीअत का कोई हुक्म नहीं बदलता और शरीअत के कायदे से उसे मुसाफिर नहीं कहते। उसे सब बातें उसी तरह

करनी चाहिएं जैसे कि अपने घर करता था। चार रकअत वाली नमाज़ की चार रकअत पढ़े और मोज़ा पहने तो एक दिन-रात मसह करे, फिर उसके बाद मसह करना ठीक नहीं।

मस'ला २– जो कोई तीन मंज़िल सफ़र करने के इरादे से निकले वह शरीअत के क़ायदे से मुसाफ़िर है। अब अपने शहर की आबादी से बाहर हो गया तो शरीअत से मुसाफ़िर बन गया और जब तक आबादी के अन्दर-अन्दर चलता रहा तब तक मुसाफ़िर नहीं है और स्टेशन अगर आबादी के अन्दर है तो आबादी के हुक्म में है और अगर आबादी के बाहर हो तो वहां पहुंचकर मुसाफ़िर हो जाएगा।

मस'ला ३– तीन मंज़िल यह है कि अक्सर पैदल चलने वाले वहां तीन दिन में पहुंचा करते हैं। अन्दाज़ा इसका हमारे मुल्क में कि दरिया और पहाड़ में सफ़र नहीं करना पड़ता, अड़तालीस मील अंग्रेज़ी है।

मस'ला ४– अगर कोई जगह इतनी दूर है कि ऊंट और आदमी की चाल से तो तीन मंज़िल है लेकिन तेज़ इक्के और बहली पर सवार है इसलिए दो ही दिन में पहुंच जाएगा या रेल में सवार हो कर ज़रा-सी देर में पहुंच जाएगा तब भी वह शरीअत से मुसाफ़िर है।

मस'ला ५– जो कोई शरीअत से मुसाफ़िर हो वह ज़ुहर, अस्र और इशा की फ़र्ज़ नमाज़ दो-दो रकअत पढ़े और सुन्नतों का यह हुक्म है कि अगर जल्दी हो तो फ़ज्र की सुन्नतों के सिवा और सुन्नतें छोड़ देना दुरुस्त है। इस तरह नमाज़ छोड़ देने से कुछ गुनाह न होगा और अगर कुछ जल्दी न हो, न अपने साथियों से बिछड़ जाने का डर हो तो न छोड़े और सुन्नतें सफ़र में पूरी-पूरी पढ़े, उनमें कमी नहीं है।

मस'ला ६– फ़ज्र, मग़रिब और वित्र की नमाज़ में कोई कमी नहीं है जैसे हमेशा पढ़ता रहा वैसे ही पढ़े।

मस'ला ७– ज़ुहर, अस्र और इशा की नमाज़ दो रकअत से

ज़्यादा न पढ़े। पूरी चार रकअत पढ़ना गुनाह है।

मस'ला ८— अगर भूल से चार रकअतें पढ़ लीं तो अगर दूसरी रकअत पर अत्तहीय्यात पढ़ी है तो दो रकअतें फर्ज़ हो गईं और दो रकअत नफ्ल की हो जाएंगी और सज्दा (भूल का) करना पड़ेगा और अगर दो रकअत पर न बैठा तो चारों रकअतें नफ्ल हो गईं। फर्ज़ नमाज़ फिर से पढ़े।

मस'ला ९— अगर रास्ते में कहीं ठहर गया और पन्द्रह दिन से कम ठहरने की नीयत है तो वह आदमी लगातार मुसाफ़िर रहेगा। चार रकअत वाली फर्ज़ नमाज़ दो रकअत पढ़ता रहे और पन्द्रह दिन या इससे ज़्यादा ठहरने की नीयत कर ली है तो अब मुसाफिर नहीं रहा। फिर अगर नीयत बदल गई और पन्द्रह दिन से पहले चलने का इरादा हो गया तब भी मुसाफिर न बनेगा, नमाज़ें पूरी पढ़े फिर जब वहां से चले और वह जगह वहां से तीन मंज़िल हो जहां जाना है तो फिर मुसाफिर हो जाएगा और अगर इससे कम हो तो मुसाफिर नहीं हुआ।

मस'ला १0— अगर औरत चार मंज़िल जाने की नीयत से चली लेकिन पहली दो मंज़िल हैज़ की हालत में गुज़री तब भी मुसाफिर नहीं है। अब नहा-धोकर पूरी चार रकअतें पढ़े। अलबत्ता हैज़ से पाक होने के बाद वह जगह अगर तीन मंज़िल हो या चलते वक़्त पाक थी मगर रास्ते में माहवारी हो गयी तो वह मुसाफिर है। हैज़ से पाक होकर नमाज़ मुसाफिरों की तरह पढ़े।

मस'ला ११— नमाज़ पढ़ते-पढ़ते नमाज़ के अन्दर ही पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत हो गई तो मुसाफिर नहीं रहा। यह नमाज़ भी पूरी पढ़े।

मस'ला १२— दो-चार दिन के लिए रास्ते में कहीं ठहरना पड़ा लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जाना नहीं होता। रोज़ नीयत होती है कि वह कल-परसों चला जाएगा लेकिन जाना नहीं होता। इसी तरह पन्द्रह-बीस दिन, एक महीना या इससे भी ज़्यादा रहना हो

गया, लेकिन पूरे पन्द्रह दिन की नीयत कभी नहीं हुई तब भी वह मुसाफ़िर रहेगा चाहे जितने दिन इसी तरह गुज़र जाएं।

मस'ला १३— तीन मंज़िल का इरादा करके चला फिर कुछ दूर जाकर इरादा किसी वजह से बदल गया और घर लौट आया और जब से लौटने का इरादा हुआ तब ही से मुसाफ़िर नहीं रहा।

मस'ला १४— कोई औरत अपने शौहर के साथ है। रास्ते में वह जितना ठहरेगा वह भी उतना ठहरेगी, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसी हालत में शौहर की नीयत का भरोसा है। अगर शौहर का इरादा पन्द्रह दिन ठहरने का है तो औरत भी मुसाफ़िर नहीं रही, चाहे ठहरने की नीयत करे या न करे और मर्द का इरादा ठहरने का न हो तो औरत भी मुसाफ़िर है।

मस'ला १५— तीन मंज़िल चलकर कहीं पहुंचा तो अगर अपना घर है तो मुसाफ़िर नहीं रहा, चाहे वह कम रहे या ज़्यादा और अगर अपना घर नहीं है तो अगर पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत हो तब भी मुसाफ़िर नहीं रहा। अगर नमाज़ें पूरी-पूरी पढ़े और अगर न अपना घर है, न पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत है तो वहां पहुंचकर भी मुसाफ़िर होगा।

मस'ला १६— रास्ते में कई जगह ठहरने का इरादा है। दस दिन यहां, पांच दिन वहां, लेकिन पूरे पन्द्रह दिन ठहरने का इरादा नहीं तब भी मुसाफ़िर रहेगा।

मस'ला १७— किसी ने अपना शहर बिल्कुल छोड़ दिया और किसी दूसरी जगह घर बना लिया और वहां रहने लगा। अब पहले शहर से और पहले घर से कुछ मतलब नहीं रहा तो अब वह शहर और परदेस दोनों बराबर हैं। अगर सफ़र करते वक़्त रास्ते में वह पहला शहर पड़े और दो-चार दिन वहां ठहरना हो तो मुसाफ़िर रहेगा।

मस'ला १८— अगर किसी की नमाज़ें सफ़र में रह गईं तो घर

पहुंच कर भी ज़ुहर, अस्र, इशा की दो ही रकअ़त पढ़े और अगर सफ़र से पहले ज़ुह्र की नमाज़ कज़ा हो गई तो सफर की हालत में चार रकअ़त उसकी कज़ा पढ़े।

मस'ला १९— ब्याह के बाद अगर औरत हमेशा के लिए ससुराल में रहने लगी उसका असली घर ससुराल है। अगर वह तीन मंज़िल चलकर मायके गई और पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत नहीं है तो मुसाफ़िर रहेगी। मुसाफ़िर होने के कायदे से नमाज़ रोज़ा अदा करे और वहां का रहना हमेशा दिल में नहीं तो जो वतन पहले से असली था वह अब भी असली रहेगा।

मस'ला २०— दरिया में किश्ती चल रही है और नमाज़ का वक़्त आ गया तो उस किश्ती पर नमाज़ पढ़ ले। अगर खड़े होकर पढ़ने में सर घूमने लगे तो बैठकर पढ़े। रेल में नमाज़ पढ़ने का यही हुक्म है कि चलती रेल में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है और खड़े होकर पढ़ने से सर घूमे या गिरने का डर हो तो बैठकर पढ़े।

मस'ला २१— नमाज़ पढ़ते में रेल फिर गई और किबला दूसरी तरफ हो गया तो नमाज़ में ही घूम जाए और किबले की तरफ मुंह करे।

मस'ला २२— अगर किसी औरत को तीन मंज़िल जाना हो तो जब तक मर्दों में से कोई अपना महरम (ऐसा रिश्तेदार जिसके साथ औरत की शादी न हो सके जैसे सगा भाई, बापू, मामू, चचा, या शौहर) साथ न हो उस वक़्त तक सफर करना दुरुस्त नहीं है। नामहरम (ऐसा रिश्तेदार जिसमें दूसरा ख़ून हो उसके साथ शादी जायज़ हो जैसे चचाज़ाद, मामूज़ाद, फूफीज़ाद भाई) के साथ सफर करना बड़ा गुनाह है और अगर एक या दो मंज़िल जाना हो तब भी ठीक नहीं।

मस'ला २३— जिस रिश्तेदार को ख़ुदा और रसूल का डर न हो। शरीअ़त की पाबन्दी न करता हो, ऐसे आदमी के साथ भी सफर

करना दुरुस्त नहीं।

मस'ला २४– अगर कोई औरत बीमार है तो उसे बैठकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है मगर चलते इक्के पर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है जब तक घोड़ा खोलकर अलग न कर दिया जाये। यही हुक्म पालकी का भी है।

मस'ला २५– अगर ऊंट या बहली से उतरने में जान या माल का डर है तो बगैर उतरे भी नमाज़ दुरुस्त है।

मस'ला २६– ठहरे हुए आदमी की इकतदा (मुसाफिर) के पीछे हर हाल में दुरुस्त है चाहे (सूर्योदय, सूर्यास्त या निश्चित समय के अन्दर पढ़ी जाए) नमाज़ हो या कज़ा (जो वक़्त निकल जाने के बाद पढ़ी जाए) और मुसाफिर इमाम जब दो रकअत नमाज़ पढ़कर सलाम फेर दे तो मुकीम (एक जगह रहने वाला) मुकतदी को चाहिए कि नमाज़ पूरी करे और उसमें किरअत न करे बल्कि चुप खड़ा रहे क्योंकि वह (लाहिक) है और पहला काअ्दा उस मुकतदी पर भी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने की वजह से फर्ज होगा। मुसाफिर इमाम को मुस्तहब है कि अपने मुकतदियों को दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद अपने मुसाफिर होने की बात बता दे। ज़्यादा अच्छा यह है कि नमाज शुरू करने से पहले ही अपने मुसाफिर होने की बात कह दे।

मस'ला २७– मुसाफिर भी वक़्त के अन्दर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है। अगर वक़्त जाता रहा तो फज्र और मग्रिब में ऐसा कर सकता है और ज़ुहर, अस्र और इशा में नहीं।

मस'ला २८– अगर कोई मुसाफिर नमाज में इकामत की नीयत कर ले, चाहे शुरू, बीच या आखिर में मगर भूल कर सज्दा या सलाम से पहले, तो उसे वह नमाज़ पूरी पढ़नी चाहिए उसमें कस्र (कमी, चार रकअत वाली नमाज़ का कम करके दो करना) जायज़ है।

मस'ला २९– जब कोई आदमी अपने वतन से सफर करने लगे तो उसके लिए मुस्तहब है कि वह दो रकअत घर में पढ़कर सफर

करे। और जब सफ़र से आए तो मुस्तहब है कि पहले मस्जिद में जाकर दो रकअत नमाज़ पढ़ ले, बाद में घर जाए। हदीसों में इसका बहुत सवाब आया है।

34. क़ज़ा नमाज़ें

मस'ला १— जिसकी कोई नमाज़ छूट गई तो उसे वह जब भी याद आए उसी वक़्त उसकी क़ज़ा पढ़े। बग़ैर किसी मजबूरी के क़ज़ा नमाज़ में देर लगाई और वह उसी हालत में मर गया तो दोहरा गुनाह हुआ— एक नमाज़ के क़ज़ा होने का और दूसरा, क़ज़ा नमाज़ के जल्दी न पढ़ने का।

मस'ला २— अगर किसी की कई नमाज़ें क़ज़ा हो गईं तो जहां तक हो सके सब की क़ज़ा पढ़ ले। अगर बहुत-सी नमाज़ें कई महीने या कई बरस की क़ज़ा हों तो उसकी क़ज़ा भी जहां तक हो सके जल्दी पढ़ ले कोई मजबूरी हो तो बात दूसरी है। एक वक़्त में दो-दो चार-चार नमाज़ें क़ज़ा पढ़ लिया करे। मजबूरी में एक वक़्त में एक ही नमाज़ की क़ज़ा सही है यह बहुत कम दर्जा बात है।

मस'ला ३— क़ज़ा पढ़ने का वक़्त बंधा हुआ नहीं है। जब भी फ़ुर्सत मिले, वुज़ू करके पढ़ ले मगर इतना याद रखे कि वक़्त मकरूह न हो।

मस'ला ४— जिसकी एक ही नमाज़ क़ज़ा हुई हो—उसके पहले उसकी कोई नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई लेकिन सबकी क़ज़ा पढ़ चुका—बस उसी एक नमाज़ की क़ज़ा पढ़नी बाक़ी है पहले उसकी क़ज़ा पढ़ ले तब कोई और नमाज़ें पढ़े। अगर बग़ैर क़ज़ा नमाज़ पढ़े हुए अदा नमाज़ पढ़ी तो अदा दुरुस्त नहीं हुई। हाँ अगर क़ज़ा पढ़ना याद नहीं रहा तो अदा दुरुस्त हो गई। अब जब भी वह याद आए तो बस क़ज़ा पढ़ ले। अदा को न दोहराए।

मस'ला ५— अगर दो, तीन चार या पांचों नमाज़ें क़ज़ा हो गई

और उनके सिवा उसके ज़िम्मे किसी और नमाज़ की कज़ा बाकी नहीं है यानी उम्र भर जब से वह जवान हुआ है कभी कोई नमाज़ कज़ा नहीं हुई है या कज़ा हो गई है लेकिन सबकी कज़ा पढ़ चुकी है तो जब तक पांचों की कज़ा न पढ़ ले तब तक 'अदा नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। जब उन पांचों की क़ज़ा पढ़े तो इस तरह वाली। इस तरह पढ़े कि जो नमाज़ सबसे पहले छूटी है पहले उसकी क़ज़ा पढ़े, फिर उसके बाद वाली। इस तरह तरतीब से पांचों की कजा पढ़े अगर तरतीब के खिलाफ़ पढ़ी तो दुरुस्त नहीं हुई फिर से पढ़नी होगी।

मस'ला ६– अगर किसी की छ: नमाज़ें कज़ा हो गईं तो अब उन की कज़ा पढ़े बिना भी अदा नमाज़ पढ़नी जायज़ है और जब इन छ: नमाज़ों की कज़ा पढ़े तो जो नमाज़ सबसे पहले कज़ा हुई है पहले उसकी कज़ा पढ़ना वाजिब नहीं है बल्कि जो चाहे पहले पढ़े और चाहे पीछे पढ़े, सब जायज़ अब तरतीब से पढ़ना वाजिब नहीं है।

मस'ला ७– किसी के ज़िम्मे छ: नमाज़ें कज़ा थीं इस वजह से तरतीब से पढ़नी उस पर वाजिब नहीं थीं लेकिन एक-एक, दो-दो करके सब की कज़ा पढ़ ली, अब किसी नमाज़ की कज़ा पढ़ना बाकी नहीं रहा तो अब फिर एक नमाज या पांच नमाज़ें कज़ा हो जाएं तो तरतीब से कज़ा पढ़नी पड़ेगी और पांच की कज़ा पढ़े बग़ैर अदा पढ़ना दुरुस्त नहीं अलबत्ता अब फिर छ: नमाज़ें छूट जाएं तो फिर तरतीब हो जाएगी और इन छ: नमाज़ों की कज़ा पढ़े बग़ैर भी अदा पढ़ना दुरुस्त होगा।

मस'ला ८– अगर वित्र की नमाज़ कज़ा हो गई और वित्र के सिवा और कोई नमाज़ उसके ज़िम्मे कज़ा नहीं रही तो फिर बग़ैर वित्र के कज़ा पढ़े हुए फज्र की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं। अगर वित्र का कज़ा होना याद हो फिर भी पहले कज़ा पढ़े बल्कि फज्र की नमाज़ पढ़ ले तो अब कज़ा पढ़कर फज्र की नमाज़ फिर पढ़नी पड़ेगी।

मस'ला ९– बस इशा की नमाज़ पढ़कर सो रहा फिर तहज्जुद के वक़्त उठा और वुज़ू करके तहज्जुद और वित्र की नमाज़ पढ़ी फिर सुबह को याद आया कि इशा की नमाज़ भूल से बिना वुज़ू के पढ़ ली

तो अब सिर्फ इशा की कज़ा पढ़े और वित्र की कज़ा न पढ़े।

मस'ला १०— कज़ा सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों और वित्र की पढ़ी जाती है। सुन्नतों की कज़ा नहीं अलबत्ता अगर फज्र की नमाज़ कज़ा हो जाए तो अगर दोपहर से पहले-पहले कज़ा पढ़े तो सुन्नत और फर्ज़ दोनों की कज़ा पढ़े और अगर दोपहर के बाद कज़ा पढ़े तो सिर्फ दो रकअत फर्ज़ की कज़ा पढ़े।

मस'ला ११— फज्र का वक़्त तंग हो गया इसीलिए सिर्फ दो रकअत फर्ज़ पढ़ ली। सुन्नत छोड़ दी तो बेहतर यह है कि सूरज ऊंचा होने के बाद सुन्नत की कज़ा पढ़ ले लेकिन दोपहर से पहले ही पढ़ ले।

मस'ला १२— किसी बे-नमाज़ी ने तौबा की तो जितनी नमाज़ें उम्र भर में कज़ा हुई सब की सब कज़ा वाजिब है। तौबा से नमाज़ माफ नहीं होती, अलबत्ता न पढ़ने से जो गुनाह हुआ था वह तौबा से माफ हो गया। अब उनकी कज़ा न पढ़ेगा तो फिर गुनाहगार होगा।

मस'ला १३— अगर किसी की कुछ नमाज़ें कज़ा हो गई और उनकी कज़ा पढ़ने की अभी नौबत न आई तो मरते वक़्त नमाज़ों की तरफ से फिद्या देने की वसीयत कर जाना वाजिब नहीं है वरना गुनाह होगा और नमाज़ का 'फिद्या' देने का ब्यान रोज़े के फिद्ये के साथ आएगा।

मस'ला १४— अगर कुछ लोगों की नमाज़ किसी वक़्त की कज़ा हो गई तो उन्हें चाहिए कि उस नमाज़ को जमाअत से अदा करे। अगर बुलन्द आवाज़ की नमाज़ हो तो बुलन्द आवाज़ से किरअत की जाए और आहिस्ता आवाज़ की हो तो आहिस्ता आवाज़ से।

मस'ला १५— अगर कोई नाबालिग़ लड़का 'इशा' की नमाज़ पढ़कर सोए और फज्र होने के बाद जागकर देखे कि उसे एहतलाम हो गया है तो उसे चाहिए कि इशा की नमाज़ फिर से पढ़े और फज्र से पहले बेदार होकर मनी का असर देखे तो बिल–इत्तिफ़ाक सभी के

नज़दीक इशा की नमाज़ कज़ा पढ़े।

35. इस्तख़ारा

मस'ला १– जब कोई काम करने का इरादा करे तो अल्लाह से सलाह ले ले, इस सलाह लेने को इस्तख़ारा कहते हैं। हदीस शरीफ़ में इसकी बहुत तर्ग़ीब (पसंदीदा, महत्व) आयी है। नबी करीम सल्ल0 ने फरमाया है कि अल्लाह से सलाह न लेना और इस्तख़ारा न करना बदबख़्ती और कम नसीबी की बात है। कहीं मंगनी करे या विवाह करे या सफ़र करे या कोई और काम करे तो इस्तख़ारा किए बग़ैर न करे ख़ुदा ने चाहा तो अपने किए पर शर्मिन्दा न होगा।

मस'ला २– इस्तख़ारा की नमाज़ का तरीक़ा यह है कि पहले दो रकअत नफ़िल नमाज़ पढ़े, उसके बाद ख़ूब दिल लगाकर यह दुआ पढ़े :–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ
وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ
وَلَآ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ
هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ
فَاقْدِرْهُ لِیْ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ
فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَ وَاقْدِرْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ
كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ بِهٖ

''अल्लाहुम्म इन्नी अस्तख़ीरु क बि इल्मि क व असतक़विरु

क बि कुदरति क व असअलु क मिन फज़लिकल अज़ीमि फ इन्न क तक़दिरु वला उकदिरु वतालमु व ला-आलमु व अन त अल्लामुल गुयूब। अल्लाहुम्म इन कुन त तालमु अन्न न हाज़ल अम्र ख़ैरुल्ली फी दीनी व मआ'शी व आकिबति अमरी फक़दिरहु व यस्सिर हु ली सुम्म बारिक ली फीहि व इन कुन त ता'लमु अन्न न हाज़ल अम्र शर्रुल्ली फी दीनी व मआ'शी व आकिबति अमरी फसरिफ्हु अन्नी वसरिफनी अन्हु व वक़दिर लियल हैरु का न सुम्म अर्ज़िनी बिह0''

(ऐ अल्लाह! मैं तेरे ज्ञान के अनुसार तुझ से भलाई चाहता हूं और तेरी कुदरत में कुदरत चाहता हूं। मैं तुझ से तेरा फज़्ल चाहता हूं क्योंकि तू कादिर है मैं कादिर नहीं हूं। तू जानता है। मैं नहीं जानता। तू छिपी चीज़ों का बहुत जानने वाला है। ऐ अल्लाह अगर तुझे मालूम है कि यह काम मेरे लिए अच्छा है। मेरे दीन, मेरी ज़िन्दगी और मेरे काम के अन्जाम के लिए अच्छा है तो इसको मेरे लिए कर दे। मेरे वास्ते उसे आसान कर दे फिर मुझे इससे बरकत दे। अगर तुझे मालूम है कि यह काम मेरे लिए मेरे दीन, मेरी ज़िन्दगी और मेरे काम के अन्जाम के सिलसिले में बुरा है तो इसे मुझसे फेर दे और मुझको इससे फेर दे। मेरे लिए भलाई ही दे जहां भी हो मुझको इससे खुश कर दे।)

जब ''हाज़ल अम्र'' (इस काम के लिए) पर पहुंचे जिन लफ्ज़ों पर लकीरें बनी हैं तो उन्हें पढ़ते वक़्त उसी काम का ध्यान करे जिसके लिए इस्तख़ारा करना चाहता है। फिर पाक साफ बिछौने पर किबले की तरफ मुंह करके वुज़ू करके सो जाए। जब सोकर उठे उस वक़्त जो बात दिल में मजबूती से आए वही बेहतर है उसी को करना चाहिए।

मस'ला ३– अगर एक दिन में कुछ मालूम न हो और दिल की परेशानी और शक न जाए तो दूसरे दिन भी ऐसा ही करे। इस तरह सात दिन तक ऐसा ही करे। ख़ुदा ने चाहा तो उसकी अच्छाई-बुराई

ज़रूर मालूम हो जाएगी।

मस'ला ४– अगर हज के लिए जाना हो तो इस्तख़ारा न करे कि मैं जाऊं या न जाऊं बल्कि यूं इस्तख़ारा करे कि किस दिन जाऊं या न जाऊं।

36. डर की नमाज़

मस'ला १– जब दुश्मन का सामना हो चाहे दुश्मन इन्सान हो या कोई दरिन्दा या कोई अज़दहा तो ऐसी हालत में सब मुसलमान या कुछ लोग भी मिलकर जमाअत से नमाज़ पढ़ लें। अगर सवारियों से भी उतरने की मोहलत न हो तो सब लोगों को चाहिए कि सवारियों पर बैठे-बैठे इशारों से नमाज़ पढ़ लें। क़िबले की इज़्ज़त करना उस वक़्त शर्त नहीं है। हां, अगर इसका भी मौक़ा न हो तो मजबूरी है, उस वक़्त नमाज़ न पढ़े। इत्मीनान से उसकी क़ज़ा पढ़ लें। और अगर यह मुमकिन हो कि कुछ लोग जमाअत से नमाज़ पढ़ सकेंगे (अगरचे सब आदमी न पढ़ सकते हों) तो ऐसी हालत में उनकी जमाअत न छोड़नी चाहिए। नमाज़ पढ़ने के लिए लोगों की दो टुकड़ियां बना दें–एक टुकड़ी इमाम के साथ पूरी नमाज़ पढ़ ले और दूसरी टुकड़ी दुश्मन से लड़ने के लिए चली जाए फिर दूसरी टुकड़ी दूसरे आदमी को इमाम बनाकर पूरी नमाज़ पढ़ ले।

37. क़त्ल और तौबा की नमाज़ें

मस'ला १– अगर कोई बात शरीअत के ख़िलाफ़ हो जाए तो दो रकअत नफ़्ल पढ़कर अल्लाह के सामने ख़ूब गिड़गिड़ाकर तौबा करे और किए पर पछताए। अपनी उस ग़लती को अल्लाह से माफ़

कराए और आगे के लिए पक्का इरादा करे कि अब कभी वैसी ग़लती नहीं करेगा। इस तरह वह गुनाह माफ़ हो जाता है।

मस'ला २— जब कोई मुसलमान क़त्ल किया जाता हो तो मुस्तहब यह है कि दो रकअत नमाज़ पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह से दुआ करे ताकि वही नमाज़ और तौबा दुनिया में उसका आख़िरी अमल रहे।

हदीस – एक बार नबी करीम सल्ल0 ने अपने सहाबियों में से कुछ लोगों को क़ुरआन मजीद की तालीम हासिल करने के लिए कहीं भेजा था। रास्ते में मक्का के काफ़िरों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और हज़रत ख़ुबैब रज़ि0 के सिवा सबको क़त्ल कर दिया। फिर हज़रत ख़ुबैब रज़ि0 को बड़ी धूमधाम से मक्का ले जाकर शहीद कर दिया गया मगर उन्होंने क़त्ल होने से पहले दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी थी। उसी वक़्त से यह नमाज़ मुस्तहब हो गई।

38. इस्तिस्क़ा की नमाज़

मस'ला १— पानी की ज़रूरत हो और वह न बरसे तो उस वक़्त पानी बरसने के लिए अल्लाह से दुआ़ करना मसनून है। इस्तिस्क़ा (पानी तलब) के लिए दुआ करना इस तरीक़े से मुस्तहब है कि सब मुसलमान मिलकर अपने लड़कों, बूढ़ों, जानवरों के साथ पैदल साफ़दिली और आजिज़ी के साथ सादे कपड़े पहनकर जंगल की ओर जाएं और तौबा करें। जिन लोगों के हुक़ूक़ उनकी तरफ़ वाजिब हैं, उन्हें पूरा करें। अपने साथ किसी काफ़िर को न ले जाएं। फिर दो रकअ़त नमाज़ अज़ान व तकबीर के बग़ैर जमाअ़त से पढ़ें और ज़ोर से किरअत करे : फिर ख़ुत्बा पढ़े जैसे ईदैन में होता है। फिर इमाम किबले (जिसकी तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ी जाए) की तरफ़ मुंह करके खड़ा हो जाए और दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से पानी बरसने की दुआ करे और वहां मौजूद लोग भी दुआ करें। लगातार तीन दिन

तक ऐसा करें (तीन दिन के बाद हुक्म नहीं)। अगर घरों से निकलने से पहले या एक ही दिन नमाज़ पढ़ कर बारिश हो जाए तब भी दो दिन पूरे किए जाएं और तीनों दिन रोज़ा भी रखें तो मुस्तहब है और जाने से पहले सदका व ख़ैरात करना भी मुस्तहब है।

39. कुसूफ़ और ख़ुसूफ़ नमाज़ें

मस'ला १– कुसूफ़ के वक़्त दो रकअत मसनून हैं।

मस'ला २– कुसूफ़ नमाज़ जमाअत से अदा की जाए और उसमें जुमे की नमाज़ पढ़ने वाला इमाम, हाकिमे वक़्त या उसका नायब इमामत करे। एक रिवायत में यह भी कहा गया है कि हर इमाम अपनी मस्जिद में कुसूफ़ नमाज़ पढ़ सकता है।

मस'ला ३– कुसूफ़ नमाज़ के लिए अज़ान या तकबीर नहीं है। अगर लोगों को जमा करना हो तो ''अस्सलातुजामिअतुन'' (नमाज़ के लिए जमाअत) पुकार दिया जाए।

मस'ला ४– कुसूफ़ नमाज़ में बड़ी-बड़ी सूरतें जैसे सूरः बकरः पढ़ना और रुकू व सज्दों का बहुत देर तक अदा करना मसनून है मगर किरअत धीमी आवाज़ से पढ़ी जाए।

मस'ला ५– नमाज़ के बाद इमाम को चाहिए कि वह दुआ मांगे और सब मुक़तदी उस वक़्त तक 'आमीन' 'आमीन' कहते रहें जब तक ग्रहण न रुक जाए। अगर ऐसी हालत में सूरज छिप गया या किसी नमाज़ का वक़्त आ जाए तो दुआ रोक कर उसे नमाज़ पढ़ने लग जाना चाहिए।

मस'ला ६– ख़ुसूफ़ नमाज़ के वक़्त भी दो रकअत नमाज़ मसनून है मगर इसमें जमाअत मसनून नहीं। सब लोग अकेले अलग-अलग अपने घरों में नमाज़ पढ़ें।

मस'ला ७– इसी तरह जब कोई ख़तरा या मुसीबत आ पड़े तो

नमाज़ पढ़ना मसनून है जैसे तेज़ आंधी चले, भूंचाल आए, बिजली गिरे, सितारे टूटें, बर्फ गिरे, पानी बहुत ज़ोर से बरसे, हैज़ा जैसी कोई बीमारी फैल जाए या किसी दुश्मन के चढ़ाई करने का डर हो। लेकिन इन औक़ात में जो नमाज़ें पढ़ी जाएं उनमें जमाअत न की जाए। हर आदमी अपने घर में अकेला पढ़े। नबी करीम सल्ल0 को जब कोई मुसीबत या रंज होता नमाज़ पढ़ने लगते थे।

40. जुमे की नमाज़

अल्लाह तआला को नमाज़ से ज़्यादा कोई बात पसन्द नहीं है और इसीलिए किसी इबादत की इतनी सख़्त ताकीद और फ़ज़ीलत "शरीअते साबिका" में नहीं आई। शरीअत ने सात दिन में एक दिन ऐसा तय किया है जिसमें अलग-अलग मुहल्लों और गांवों के मुसलमान आपस में जमा होकर इस इबादत को अदा करें और चूंकि जुमा सब दिनों में अफ़ज़ल व अशरफ़ था इसीलिए इस दिन एक नमाज़ ख़ास कर दी गई।

नबी करीम सल्ल0 फ़रमाते हैं :

१. जुमा सब दिनों से अच्छा दिन है।

२. जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है कि उस वक़्त कोई भी मुसलमान अल्लाह से जो दुआ मांगे, वह ज़रूर कुबूल होती है। शेख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस रह0 ने अपनी किताब "सफ़रुस्सआदत" में दो बातों पर ज़ोर दिया है: (एक) यह कि वह घड़ी जुमे का ख़ुत्बा होने के वक़्त से नमाज़ ख़त्म तक है : (दो) यह है कि वह घड़ी आख़िर दिन में है। दूसरी बात को काफ़ी लोग मानते हैं और बहुत-सी हदीसों में भी ऐसा ही मिलता है। शेख़ देहलवी का कहना है कि यह बात ठीक है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ि0 जुमे के दिन किसी ख़ादिमा को हुक्म देती थीं कि जब दिन ख़त्म होने लगे तो वह उनको ख़बर दे ताकि वह उसी वक़्त इबादत करने लगें।

2

३. जुमे के दिन ज़्यादा-से-ज़्यादा दुरूद शरीफ़ पढ़ा करो कि वह उसी दिन उनके पास पहुंच जाता है। सहाबियों ने अर्ज़ किया: 'या रसूलुल्लाह (सल्ल0) आप पर कैसे पहुंच जाता है जबकि वफ़ात (मृत्यु) के बाद हड्डियां भी नहीं रहतीं? हज़रत सल्ल0 ने फ़रमाया, अल्लाह ने हमेशा के लिए ज़मीन पर नबियों का बदन हराम कर दिया है।'

41. जुमे के दिन किए जाने वाले काम

१. हर मुसलमान को चाहिए कि जुमे की तैयारी एक दिन पहले से करे। पंचशम्बा (बृहस्पतिवार, जुमेरात) के दिन अस्र की नमाज़ के बाद इस्तग़्फ़ार (तौबा) ज़्यादा करे और अपने पहनने के कपड़े साफ़ करके रखे। ख़ुश्बू अगर घर में न हो और मुमकिन हो तो उसी दिन लाकर रखे ताकि जुमे के दिन इन कामों में लगना न पड़े।

२. जुमे के दिन ग़ुस्ल करे। सर के बाल और बदन ख़ूब साफ़ करे। इस दिन मिस्वाक करने से भी बहुत सवाब मिलता है।

३. जुमे के दिन ग़ुस्ल के बाद अच्छे-से-अच्छे जो कपड़े मौजूद हों, पहने। मुमकिन हो तो ख़ुश्बू लगाए और नाख़ून वग़ैरा कटवाए।

४. जामा मस्जिद में बहुत सवेरे जाए। जो शख़्स जितनी जल्दी जाएगा उतना ज़्यादा सवाब उसे मिलेगा।

५. जुमे के दिन पैदल चलने में हर कदम पर साल भर तक रोज़ा रखने का सवाब मिलता है।

६. जुमे के दिन चाहे नमाज़ से पहले या बाद में सूर: कहफ़ पढ़ने से बहुत सवाब मिलता है।

42. जुमे की नमाज़ का सवाब

जुमे की नमाज़ क़ुरआन मजीद और हदीसों से साबित है। इसका न मानने वाला काफ़िर है और इसको बिना किसी वजह के छोड़ने वाला गुनाहगार है। रसूलुल्लाह सल्ल० का इर्शाद है कि जिसने बिना किसी शरई मजबूरी के तीन जुमे की नमाज़ न पढ़ी, वह मुझ से नहीं है।

१. "जब जुमे के लिए अज़ान कही जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो और ख़रीद बिक्री छोड़ दो। यह तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम जानो।"

—क़ुरआन

यहां ज़िक्र से मुराद जुमे की नमाज़ और उसका ख़ुत्बा है। दौड़ने से मतलब बहुत क़ायदे के साथ जाना है।

२. नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि जो शख़्स सुस्ती की वजह से तीन जुमों की नमाज़ नहीं पढ़ता, अल्लाह उसके दिल पर मुहर लगा देता है।

43. जुमे की नमाज़ कब वाजिब होती है?

१. एक जगह रहना। मुसाफ़िर पर जुमे की नमाज़ वाजिब नहीं है।

२. स्वस्थ होना। मरीज़ पर नमाज़े जुमा वाजिब नहीं। जिसका मर्ज़ जामा मस्जिद तक या पैदल चलने में रुकावट डाले, वही मरीज़

है। बुढ़ापे की वजह से अगर कोई आदमी कमजोर हो गया कि मस्जिद तक न जा सके या अन्धा हो वह भी मरीज समझा जाएगा।

३ आजाद होना। गुलाम पर जुमे की नमाज वाजिब नही है।

४ मर्द होना, औरत पर यह वाजिब नही।

अगर कोई आदमी जिस पर जुमे की नमाज वाजिब नहीं नमाज पढ़ता है तो नमाज हो जाएगी यानी जुहर का फर्ज पूरा हो जाएगा, जैसे कोई मुसाफिर या औरत।

44. जुमे की नमाज़ की शर्ते

१ शहर या कस्बे मे जुमे की नमाज हो सकती है, गाव मे नही। लेकिन गाव की आबादी कस्बे के बराबर (जैसे तीन-चार हजार आदमी) हों तो वहा जुमा दुरुस्त है।

२ जुहर का वक्त ही जुमे के लिए दुरुस्त है। इससे पहले या बाद में ठीक नही। वक्त निकल जाने के बाद जुमे की नमाज दुरुस्त नही। यहा तक कि अगर जुमे की नमाज पढ़ने की हालत मे वक्त जाता रहे तो नमाज फासिद हो जाएगी। अगर्चे पूरी अत्तहीयात पढ़ने पर नमाज पूरी हो जाती है, लेकिन अभी नमाज से निकला नही और इस हालत मे जुमे का वक्त खत्म हो गया तो नमाज फासिद हो जाएगी और नमाज जुमा कजा नहीं पढ़ी जाती।

३ खुत्बा पढ़ना यानी लोगो के सामने अल्लाह का जिक्र करना।

४ खुत्बा नमाज से पहले होना। अगर नमाज के बाद खुत्बा पढा जाए तो नमाज न होगी।

५ खुत्बा जुहर की नमाज के अन्दर होना। अगर वक्त आने से पहले खुत्बा पढ लिया जाए तो नमाज न होगी।

६. खुले बन्दों और बिना रोक-टोक जुमे की नमाज़ पढ़ना– किसी ख़ास जगह में घुसकर जुमे की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं अगर किसी ऐसी जगह जुमे की नमाज़ पढ़ी जाए जहां आम आदमियों को पहुंचने की इजाज़त न हो या जुमे के दिन मस्जिद के दरवाज़े बन्द कर लिए जाएं तो नमाज़ न होगी।

45. ख़ुत्बे के मसाइल

मस'ला १– जब सब लोग मस्जिद में आ जाएं तो इमाम को चाहिए कि वह मिम्बर पर बैठ जाए और मुअज़्ज़िन उसके सामने खड़ा होकर अज़ान दे। अज़ान के बाद ही इमाम खड़ा होकर ख़ुत्बा पढ़ना शुरू कर दे।

मस'ला २– ख़ुत्बे में बारह बातें मसनून हैं : १. ख़ुत्बा पढ़ने की हालत में ख़ुत्बा पढ़ने वाले का खड़ा रहना, २. दो ख़ुत्बे पढ़ना, ३. दोनों ख़ुत्बों के बीच में इतनी देर बैठना कि तीन बार 'सुब्हानल्लाह' कह सके, ४. हर तरह की गन्दगी से पाक हो, ५. ख़ुत्बा पढ़ने की हालत में मुंह लोगों की तरफ़ करना, ६. ख़ुत्बा शुरू करने से पहले अपने दिल में 'अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम' *(अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से)* कहना, ७. ख़ुत्बा इतने ज़ोर से पढ़ना कि लोग सुन सकें, ८. ख़ुत्बा ज़्यादा लम्बा न पढ़ना, यानी जितनी देर में नमाज़ पढ़ी जाए, ख़ुत्बा उससे कम वक़्त में पढ़ा जाना चाहिए, ९. ख़ुत्बा मिम्बर पर पढ़ना। अगर मिम्बर न हो तो किसी लाठी या लकड़ी पर हाथ रख कर खड़ा होना (हाथ का हाथ पर रखना ग़लत है), १०. दोनों ख़ुत्बों का अरबी ज़बान में पढ़ा जाना। किसी दूसरी ज़बान में ख़ुत्बा पढ़ना या उसके साथ किसी और ज़बान के बोल मिला देना मकरूह है ख़ुत्बा सुनने वालों का क़िब्ले की तरफ़ मुंह करके बैठना, ११. ख़ुत्बे में आठ मज़ामीन (विषय) का होना–

(एक) अल्लाह तआला का शुक्र, (दो) उसकी तारीफ़, (तीन) खुदावंद करीम की वहदत, (चार) नबी सल्ल0 की शहादत यानी गवाही, (पांच) नबी सल्ल0 पर दरूद, (छः) वाज़ व नसीहत, (सात) क़ुरआन मजीद की आयत या किसी सूरत का पढ़ना, (आठ) दूसरे खुत्बे में फिर इन्हीं बातों का दोहराना और वाज़ व नसीहत न करके मुसलमानों के लिए दुआ करना।

दूसरे खुत्बे में नबी सल्ल0 की औलाद, सहाबियों, बीवियों, खुलफ़ाए राशिदीन और हज़रत हम्ज़ा व अब्बास रज़ि0 के लिए ख़ास तौर पर दुआ करना मुस्तहब है। मुसलमान बादशाह या हाकिम के लिए भी दुआ करना जायज़ है।

मस'ला ३– जब इमाम ख़ुत्बे के लिए उठ खड़ा हो उस वक़्त से कोई नमाज़ पढ़ना या आपस में बातचीत करना मकरूह तहरीमी है। हां, कज़ा नमाज़ का पढ़ना नमाज़ी के लिए उस वक़्त भी जायज़ बल्कि वाजिब है।

मस'ला ४– जब खुत्बा शुरू हो जाए तो सब नमाज़ियों को उसका सुनना वाजिब है चाहे इमाम के करीब बैठे हों या दूर। और कोई ऐसा काम करना जो रुकावट डाले मकरूह तहरीमी है। खाना-पीना, बातचीत करना, चलना-फिरना, सलाम करना या सलाम का जवाब देना, तस्बीह पढ़ना या किसी को शरई मस'ला जैसा कि नमाज़ की हालत में मना है वैसा ही इस वक्त भी मना है। हाँ! ख़तीब को जायज़ है कि खुत्बा पढ़ने की हालत में किसी को शरई मस'ला बता दे।

मस'ला ५– अगर सुन्नत, नफ़्ल पढ़ने में ख़ुत्बा शुरू हो जाए तो सुन्नतें मुअक्कदा तो पूरी कर ले और नफ़्ल में दो रकअत पर सलाम फेर दे।

मस'ला ६– दोनों ख़ुत्बों के दर्मियानी बैठने की हालत में इमाम या मुक़तदियों को हाथ उठा कर दुआ मांगना मकरूह तहरीमी है।

रमज़ान के आख़िरी जुमा अलविदा में विदाई व जुदाई के मज़ामीन पढ़ना नबी सल्ल0 और उनके असहाब रज़ि0 से ब्यान किए गए हैं

46. नबी सल्ल० का जुमे वाला ख़ुत्बा

नबी करीम सल्ल0 का ख़ुत्बा नक़्ल करने से यह मतलब नहीं कि लोग उसी ख़ुत्बे पर इल्तिज़ाम (लाज़िम, अनुसरण) कर लें बल्कि कभी-कभी इसको तबर्रुक (बरकत) व इत्तबा (पैरवी, अनुसरण) के तौर पर पढ़ लिया जाए।

हुज़ूर सल्ल0 की यह आदत थी कि जब लोग जमा हो जाते तब आप (सल्ल0) तश्रीफ लाते और मौजूद लोगों को सलाम करते। हज़रत बिलाल रज़ि0 अज़ान कहते। जब अज़ान ख़त्म हो जाती तो नबी सल्ल0 उठते और एकदम ख़ुत्बा शुरू कर देते। जब तक मिम्बर न बना था, किसी लाठी या कमान से हाथ को सहारा दे लेते और कभी-कभी उस लकड़ी के सुतून से जो मेहराब के पास था ख़ुत्बा पढ़ा करते थे, तकिया लगा लेते थे। मिम्बर बन जाने के बाद फिर किसी लाठी या सुतून से सहारा न लिया आप (सल्ल0) दो ख़ुत्बे पढ़ते और दोनों के दर्मियान कुछ देर के लिए बैठ जाते। उस वक़्त न कुछ बात करते और न दुआ ही मांगते। जब दूसरा ख़ुत्बा पढ़ चुकते तब हज़रत बिलाल रज़ि0 इकामत कहते और हुज़ूर सल्ल0 नमाज़ शुरू कर देते।

आप (सल्ल0) अक्सर ख़ुत्बे में फ़रमाते थे :

बुइस्तु अन वस्साअतु कहातैन0

(मैं और क़ियामत इस तरह साथ भेजे गए हैं जैसे दो उंगलियां) और बीच की उंगली और शहादत की उंगली को मिला देते, उसके बाद फ़रमाते :

اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهُدٰى هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَفْسِهٖ مَنْ تَرَكَ مَا لًا فَلِاَهْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَعَلَيَّ

अम्मा बअ़्दु फ़-इन्न ख़ैरल हदीसि किताबुल्लाहि व ख़ैरुल हदयि हदयु मुहम्मदिन व शर्रल उमूरि मुहदिसातुहा व कुल्लु बिदअ़तिन ज़लालतुन अन औला बिकुल्लि मुअ़्मिनिम मिन नफ़्सिही मन त-र-क मालन फला अहलिही व मन त-र-क दैनन औ ज़ियाअन फअलय्या०

सबसे अच्छी बात किताबुल्लाह (कुरआन मजीद) और सबसे अच्छा तरीका मुहम्मद सल्ल० का है। दीन में सबसे बुरा काम दीन में नई बात पैदा करना है क्योंकि इससे लोग गुमराह होते हैं। मैं हर मोमिन के साथ उसकी ज़ात से ज़्यादा करीब हूं। मरते वक्त आदमी जो माल छोड़ेगा वह उसके घर वालों का है और जो कर्ज़ या औलाद छोड़ेगा वह मेरे ज़िम्मे है।

कभी यह खुत्बा भी पढ़ते थे :

يَاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا وَبَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَصِلُوا الَّذِيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهٗ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُوْجَدُوْا وَتُحْمَدُوْا وَتُرْزَقُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ مَكْتُوْبَةً فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا فِيْ شَهْرِيْ هٰذَا فِيْ عَامِيْ هٰذَا

اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ مَنْ وَجَدَ اِلَیْہِ سَبِیْلاً فَمَنْ تَرَکَہَا فِیْ حَیَاتِیْ اَوْبَعْدِیْ فَخُذُوْا بِہَا وَاسْتَخَفًا فَا بِہَا وَلَہٗ اِمَامٌ جَائِدٌ اَوْ عَامِلٌ فَلَا جَمَعَ اللّٰہُ شَمْلَہٗ وَلَا بَارَکَ لَہٗ فِیْ اَمْرِہٖ اَلَا وَلَا صَلٰوۃَ لَہٗ الاوۃ صوم لہٗ اَلَا ولاَ زَکٰوۃَ لَہٗ وَلَا حَجَّ لَہٗ اَلَا وَلَا بِرَّ لَہٗ حَتّٰی یَتُوْبَ فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰہُ اَلَا وَلَا تُؤْمَنْ اِمْرَاَۃٌ رَجُلاً اَلَا وَلَا یُؤْمَنْ اَعْرَابِیٌ مُّهَاجِرًا اَلَا وَلَا یُؤْمَنْ فَاجِدٌ مُؤْمِنًا اِلاَّ یَقْهَدَہٗ سُلْطَانٌ یُّخَافُ بَیِفْتُو سَوْطَہٗ (ابن ماجہ)

या ऐय्युहन्नासु तूबू कब्ल अन तमूतू व बादिरु बिल आमालिस्सालिहाति व सिलुल्लज़ी बै नकुम व बैन रब्बिकुम बकस्रति ज़िक्रिकुम लहू व कसरतिस्स-द-क़ति बिस्सिर्रि वल अलानिय्यति तूजदू व तुहमदू व तुर्ज़कू व अलमू अन्नल्लाह कद फ-र-ज़ अलैकुमुल जुम्अत मक्तूबतन फी मकामी हाज़ा फी शहरि हाज़ा फी आमी हाज़ा इला यौमिल कियामति मैं व-ज-द इलैहि सबीला फमन त र कहा फी हयाती औ बअ्दी फहूदम बिहा वस्तख़ फाफन बिहा व लहु इमामुन जाइदुन औ आमिलुन फला जमअल्लाहु शम्लहू वला बा र-क लहू फी अमरहू अला वला सलात लहू अला व ला सौ म लहू अला व ला ज़कात लहू व ला हज्ज लहू अला व ला बिर्रं लहू हत्ता यतू ब फइन्न ता ब ताबल्लाहु अला व ला तुअमन्न न इम्रअतुन रजुलन अला व ला युअमन्न अअ्राबिय्युन मुहाजिरन अला वला युअमन्न न फाजिदुन मुअ्मिनन इल्ला यकहदुहू सुल्तानुंय्युखाफु बयफ्तू सौतह०

ऐ लोगो, मरने से पहले तौबा करो और नेक कामों में जल्दी करो। अपने और खुदा के बीच कलाम पाक की पढ़ाई और पोशीदा व खुल्लम-खुल्ला सदके की कसरत (वृद्धि) पैदा करो। तुम्हें इसका फल मिलेगा और तुम्हारी तारीफ की जाएगी। तुमको रोज़ी दी जाएगी और

जान लो कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जुमा फ़र्ज़ किया है इस जगह पर इस महीने में, इस साल में क़ियामत तक जो आदमी रास्ता पाता है उस जुमे की तरफ़। फिर जो मेरी ज़िन्दगी में या मेरे बाद जुमे का इन्कार करते हुए और उसे ख़ास न समझ कर इसलिए छोड़ेगा कि उसका इमाम ज़ालिम है या आलिम तो अल्लाह उसके हाल को ठीक करे और उसके मामलात में बरकत दे। जुमा छोड़ने वाले की न नमाज़ होगी, न कोई रोज़ा, न ज़कात होगी और न उसका हज्ज, न उसकी कोई नेकी क़ुबूल होगी जब तक कि वह तौबा न करे। अगर फिर तौबा करेगा तो अल्लाह उसकी तौबा क़ुबूल करेगा। ख़बरदार! कोई औरत किसी मर्द की इमामत न करे। न कोई अ'राबी किसी मुहाजिर की और न कोई झूठा किसी सच्चे की। लेकिन अगर किसी बादशाह या हाकिम का डर हो तो दूसरी बात है।

कभी आप यह ख़ुत्बा पढ़ते थे :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدٰى وَمَنْ يَّعْصِهَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا(ابو داؤد)

अलहम्दु लिल्लाहि नह्मदुहु व नस्तग़्फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फ़ुसिना व मिन सैयिआति आ'मालिना मय्यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैयुज़लिलहु फला हादिय लहु वअश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअश्हदु अन न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अर्सलहु बिल्हक्कि

बशीरें व नज़ीरन बैन य-द-यिस्साअः मैंयुतिइल्लाह व रसूलहु फक़द रशद। वहतदा व मैंयअसिहा फइन्नहु ला यजुर्रु इल्ला नफ्सहु वला यजुर्रुल्लाह शैआ0

(अबूदाऊद)

सब तारीफें अल्लाह के लिए ही हैं जिसकी हम तारीफ करते हैं और मुक्ति चाहते हैं। हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं अपनी जातों की बुराई और बुरे कामों से। जिसे अल्लाह हिदायत देता है उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं है। मैं गवाही देता हूं कि एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं और जिसका कोई साझी नहीं। मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद (सल्ल0) उसके बन्दे और रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ने हक के साथ भेजा है, जो मानने वालों को खुशखबरी देने वाले हैं और न मानने वालों को डराने वाले हैं कियामत के डर से जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानेगा वह सीधे रास्ते पर लग गया और हिदायत पा गया और जो अल्लाह और उसके रसूल की बात न मानेगा वह अपना ही नुक्सान करेगा और अल्लाह को कुछ भी तकलीफ नहीं देगा। (अबूदाऊद)

एक सहाबी फरमाते हैं : हज़रत सल्ल0 खुत्बे में अक्सर सूरः काफ पढ़ा करते थे। यहां तक कि मैंने सूरः काफ हजरत सल्ल0 से ही सुनकर याद की। कभी-कभी आप सूरः अस्र और कभी :

لَا يَسْتَوِىٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ

ला यस्तवी अस्हाबुन्नारि व अस्हाबुल जन्नः, अस्हाबुल जन्नति हुमुल्फाइज़ून0

(दोज़ख की आग में जलने वाले और जन्नत में रहने वाले बराबर नहीं हो सकते, जन्नती ही कामयाब हैं।)

और कभी

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ

वनादौ या मालिकु लियक्ज़ि अलैना रब्बुक काल इन्नकुम माकिसून0

(दोज़ख़ी पुकारेंगे कि ऐ दोज़ख़ के मालिक ! तेरे पालनहार को चाहिए वह हमारे ऊपर मौत का फ़ैसला कर देता कि हम इस अज़ाब से नजात पा लें। यह जवाब में कहेंगे–निस्सन्देह तुम इसी में रहने वाले हो।)

पढ़ा करते थे।

47. जुमा की नमाज़ के मसाइल

मस'ला १– अच्छा यह है कि जो आदमी ख़ुत्बा पढ़े वही नमाज़ भी पढ़ाए। अगर दूसरा पढ़ाए तब भी जायज़ है।

मस'ला २– ख़ुत्बा ख़त्म होते ही इक़ामत कहकर नमाज़ शुरू कर देना सुन्नत है। ख़ुत्बा और नमाज़ के दर्मियान कोई दुनियावी काम मकरूह तहरीमी है। अगर वुज़ू न रहे और वुज़ू करने जाए या बाद ख़ुत्बे के उसको मालूम हो कि उसे नहाने की ज़रूरत थी और नहाने जाए तो कुछ कराहियत नहीं, न ख़ुत्बे को लौटाये।

मस'ला ३– नमाज़े जुमा इस नीयत के साथ पढ़ी जाए :–

नवैतु अन उसल्ली रक-अ-त-यिल फ़र्ज़ मिन सलातिल जुमअत:0

(मैंने इरादा किया कि दो रकअत फ़र्ज़ नमाज़ जुमा पढ़ूं)

मस'ला ४– अच्छा यह है कि जुमे की नमाज़ एक जगह, एक ही मस्जिद में सब लोग जमा होकर पढ़ें अगर्चे एक जगह की बहुत-सी मस्जिदों में जुमे की नमाज़ जायज़ है।

मस'ला ५– अगर कोई मस्बूक़ आख़िरी क़अ्दा में अत्तहीय्यात पढ़ते वक़्त या भूल का सज्दा करने के बाद आकर मिले तो उसका

शरीक हो जाना ठीक होगा और उसे जुमे की नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए—जुह्र नहीं पढ़नी पड़ेगी।

मस'ला ६— कुछ लोग जुमे के बाद जुह्र पढ़ा करते हैं यह ग़लत है क्योंकि इससे और लोग भी पढ़ने लगे हैं। उन्हें इससे मना करना चाहिए। अगर कोई आलिम शक की वजह से पढ़ना चाहे तो अपनी उस नमाज़ के बारे में किसी को न बताए।

48. ईदैन की नमाज़ें

मस'ला १— शव्वाल महीने की पहली तारीख़ को ईदुल फ़ित्र कहते हैं और ज़िलहिज्जः की दसवीं तारीख़ को ईदुल अज़्हा। ये दोनों दिन इस्लाम में ईद और ख़ुशी के दिन हैं। और दोनों दिनों में दो-दो रकअत नमाज़ बतौर शुक्राना पढ़ना वाजिब है। जुमे की नमाज़ ठीक तरह अदायगी के लिए जो शर्तें ब्यान की गई हैं वही ईदैन की नमाज़ों की भी हैं। ख़ुत्बे के सिवा कि जुमे की नमाज़ में ख़ुत्बा फ़र्ज़ और शर्त है और नमाज़ से पहले पढ़ा जाता है और ईदैन की नमाज़ में शर्त यानी फ़र्ज़ नहीं सुन्नत है और नमाज़ के बाद पढ़ा जाता है। मगर ईदैन के ख़ुत्बे का सुनना जुमे के ख़ुत्बे की तरह वाजिब है यानी उस वक़्त बोलना, चलना और नमाज़ पढ़ना सब हराम है :—

मस'ला २— ईदुल फ़ित्र के दिन तेरह बातें मसनून हैं : १. शरीअत के मुताबिक अपनी आराइश करना, २. गुस्ल करना, ३. मिस्वाक करना, ४. कपड़े पहनना, ५. ख़ुशबू लगाना, ६. सुबह को बहुत सवेरे उठना, ७. ईदगाह में बहुत जल्दी जाना, ८. ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज़ जैसे छुहारा खाना, ९. ईदगाह जाने से पहले सदक़ा-ए-फ़ित्र दे देना, १० ईद की नमाज़ ईदगाह में जाकर पढ़ना (यानी शहर की मस्जिद में किसी मजबूरी के बग़ैर न पढ़ना), ११. जिस रास्ते से जाना उसके सिवा दूसरे रास्ते से वापस आना, १२. पैदल जाना और १३. रास्ते में :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! ला इलाह इल्लल्लाहु! वल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! वलिल्लाहिल हम्द0

(अल्लाह बड़ा है। अल्लाह बड़ा है। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। अल्लाह बड़ा है और उसी के लिए सब तारीफें हैं)

आहिस्ता आवाज़ से पढ़ते जाना चाहिए।

मस'ला ३– ईदुल फित्र की नमाज़ पढ़ने का यह तरीका है कि नीयत करे कि :–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْوَاجِبِ صَلٰوةَ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَّاجِبَةٍ

नवैतु अन उसल्लिया रक्अतिल वाजिबि सलातईदिलुफित्र मअ्सित्त त तक्बीरातिवं वाजिब:0

(मैंने नीयत की कि दो रकअत वाजिब ईद की, छः वाजिब तकबीरों के साथ पढ़ूं)

यह नीयत करके हाथ बांध ले और 'अल्ला हुम्म म' आख़िर तक पढ़ कर तीन बर 'अल्लाहु अकबर' कहे और हर बार तकबीर तहरीमा की तरह दोनों कानों तक हाथ उठाए और तकबीर के बाद इतनी देर रुके कि तीन बार 'सुब्हानल्लाह' कह सके। तीसरी तकबीर के बाद हाथ न लटकाए बल्कि बांध ले और 'अ ऊ जु बिल्लाह' व 'बिस्मिल्लाह' पढ़ कर सूरहफातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़कर दस्तूर के मुवाफिक रुकू और सज्दे करके खड़ा हो जाए। दूसरी रकअत में सूरः फातिहा और कोई और सूरत पढ़ ले। उसके बाद फिर तीन तकबीरें उसी तरह कहे लेकिन अब तीसरी तकबीर के बाद हाथ न बांधे बल्कि लटकाए रखे और फिर तकबीर कहते हुए रुकू में जाए।

मस'ला ४– ईदैन की नमाज़ में अलावा मामूली तकबीरों के छः ज़ायद तकबीरें कहना वाजिब है।

मस'ला ५– बाद नमाज़ के दो ख़ुत्बे मिम्बर पर खड़े होकर पढ़े और दोनों ख़ुत्बों के दर्मियान उतनी देर बैठे जितनी देर जुमे के ख़ुत्बे में बैठा जाता है।

मस'ला ६– बाद नमाज़ ईदैन दुआ मांगना अगर्चे नबी करीम सल्ल0 उनके सहाबा और उनके मानने वालों के बारे में कहीं पता नहीं चलता लेकिन चूंकि हर नमाज़ के बाद दुआ मांगना मसनून है इसलिए ईदैन की नमाज़ के बाद भी दुआ मांगना मसनून होगा।

मस'ला ७– ईदैन के ख़ुत्बे को पहले तकबीर से शुरू करे। पहले ख़ुत्बे में नौ बार 'अल्लाहु अक्बर' कहे और दूसरे में सात बार।

मस'ला ८– ईदुल अज़हा की नमाज़ का भी यही तरीक़ा है और इसमें भी वे सब बातें मसनून हैं जो ईदुल फ़ित्र में है। फ़र्क़ इतना है कि ईदुल अज़हा का लफ़्ज़ कह लें। ईदुल फ़ित्र में रास्ते में चलते वक़्त आहिस्ता तकबीर कहना मसनून है और ईदुल अज़हा में ज़ोर से। और यहां सदका फ़ित्र नहीं बल्कि बाद में क़ुर्बानी है और अज़ान व इक़ामत न यहां पर है न वहां पर।

मस'ला ९– जहां ईद की नमाज़ पढ़ाई जाए वहां उस दिन और कोई नमाज़ पढ़ना मकरूह है। नमाज़ से पहले भी और पीछे भी। हाँ, बाद नमाज़ घर में आकर नमाज़ पढ़ना मकरूह नहीं और नमाज़ से पहले भी मकरूह है।

मस'ला १०– औरतें और वे लोग जो किसी वजह से ईद की नमाज़ न पढ़ें उन्हें ईद की नमाज़ से पहले कोई नफ़्ल वग़ैरा पढ़ना मकरूह है।

मस'ला ११– ईदुल फ़ित्र के ख़ुत्बे में सदका फ़ित्र के अहकाम और ईदुल अज़हा के ख़ुत्बे में क़ुर्बानी के मसायल और तकबीर तशरीक़ यानी हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद एक बार *'अल्लाहु अकबर'*

अल्लाहुअ अक्बर लाइलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द' के अहकाम ब्यान करने चाहिए जिसका कहना वाजिब है बशर्ते कि फर्ज़ जमाअत से पढ़ा गया और वह शहर हो। यह तकबीर औरत और मुसाफिर पर वाजिब नहीं है। अगर्चे आदमी किसी ऐसे शख़्स का मुक्तदी हो जिस पर तकबीर वाजिब है तो उन पर भी वाजिब हो जायेगी। लेकिन अकेला आदमी और मुसाफिर भी कह ले तो अच्छा है क्योंकि साहिबैन की नज़र में उन सब पर वाजिब है।

मस'ला १२– यह तकबीर अरफा यानी नवीं तारीख़ की फज्र से तेरहवीं तारीख़ की अस्र तक कहना चाहिए। इस तरह सब २३ नमाज़ें हुई जिनके बाद तकबीर वाजिब है।

मस'ला १३– इस तकबीर को बुलन्द आवाज़ से कहना वाजिब है। हाँ, औरतें आहिस्ता आवाज़ से कहें।

मस'ला १४– नमाज़ के बाद ही तकबीर कहनी चाहिए।

मस'ला १५– अगर इमाम तकबीर कहना भूल जाए तो मुक्तदियों को चाहिए कि उसी वक़्त तकबीर कह दे यानी यह इन्तज़ार न करे कि इमाम ही शुरू करे।

मस'ला १६– ईदुल अजहा की नमाज़ के बाद भी तकबीर कह लेना कुछ लोग बताते हैं।

मस'ला १७– इदैन की नमाज़ कई मस्जिदों में पढ़ी जा सकती है।

मस'ला १८– अगर किसी को ईद की नमाज़ न मिली और सब लोग पढ़ चुके हैं तो वह अकेला ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकता क्योंकि ईद की नमाज़ में जमाअत शर्त है। इसी तरह अगर कोई आदमी नमाज़ में शरीक हुआ हो और किसी वजह से उसकी नमाज़ फासिद हो गई तो वह उसकी क़ज़ा नहीं पढ़ सकता। न उसकी उस पर क़ज़ा ही वाजिब है। हां अगर कुछ लोग और भी उसके साथ शरीक हो जाएं तो पढ़ना वाजिब है।

मस'ला १९– अगर किसी मजबूरी की वजह से पहले दिन

नमाज़ न पढ़ी जा सके तो ईदुल फ़ित्र की नमाज़ दूसरे दिन और ईदुल अज़हा की बारहवीं तारीख़ तक पढ़ी जा सकती है।

मस'ला २०— ईदुल अज़हा की नमाज़ में बिना मजबूरी १२वीं तारीख़ तक देर करने से नमाज़ हो जाएगी मगर मकरूह है और ईदुल फ़ित्र में बिना किसी मजबूरी के देर करने से बिल्कुल नमाज़ न होगी।

मस'ला २१— अगर कोई ईद की नमाज़ में ऐसे वक़्त शरीक हुआ कि इमामतकबीरेंपूरी कर चुका हो तो उसी वक़्त नीयत बांधने के बादतकबीरेंकह ले अगर्चे इमाम किरअत शुरू कर चुका हो और अगर रुकू में आकर शरीक हुआ हो तो अगर यह ख़्याल हो कि पढ़ने के बाद इमाम का रुकू मिल जायेगा तो नीयत बांधकर तकबीरें कह ले फिर रुकू में जाए और अगर रुकू न मिलने का डर हो तो रुकू में शरीक हो जाए और रुकू में जाकर तस्बीह के बजाए तकबीरेंकह ले, मगर रुकू में तकबीरें कहते वक़्त हाथ न उठाए और इससे पहले कि पूरी तकबीरें कह चुके इमाम रुकू से सर उठा ले तो वह भी खड़ा हो जाए अब जितनी तकबीरें रह गयी हैं वे उससे माफ़ हैं।

मस'ला २२— अगर ईद की नमाज़ में किसी की एक रकअत चली जाए तो जब वह उसे पढ़ने लगे तो पहले किरअत करे, फिर तकबीरें कहे। अगर इमाम तकबीरें कहना भूल जाए और रुकू में उसे याद आए तो उसे चाहिए कि रुकू में जाकर तकबीर कह ले, फिर क़याम की तरफ़ न लौटे, अगर लौट जाए तब भी जायज़ है यानी नमाज़ फ़ासिद न होगी, लेकिन हर हालत में लोगों की भारी भीड़ के सबब भूल का सज्दा न करे।

49. काअ़बे में नमाज़ पढ़ना

मस'ला १— जैसे का'बा शरीफ़ के बाहर उसके रुख़ पर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है वैसा ही का'बे के अन्दर भी नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। इस्तक़बाल क़िबला हो जाएगा चाहे जिस तरफ़ पढ़े, क्योंकि वहां

चारों तरफ़ क़िबला है। जिस तरफ़ मुंह किया जाए का'बा ही का'बा है और जिस तरह नफ़्ल है उसी तरह फ़र्ज़ नमाज़ भी है।

मस'ला २– का'बे के अन्दर अकेले नमाज़ पढ़ना भी जायज़ है और जमाअत से भी और वहां यह भी शर्त नहीं कि इमाम और मुक़तदियों का मुंह एक तरफ़ हो क्योंकि वहां हर तरफ़ क़िबला है। मगर शर्त यह ज़रूर है कि मुक़तदी इमाम से आगे बढ़कर खड़े न हों। अगर मुक़तदी का मुंह इमाम के सामने हो तब भी ठीक है। मगर वहां उस सूरत में नमाज़ मकरूह होगी क्योंकि किसी आदमी की तरफ़ मुंह करके नमाज़ मकरूह है लेकिन अगर कोई चीज़ बीच में कर ली जाए तो फिर कराहियत न रहेगी।

मस'ला ३– अगर सब लोग का'बे के बाहर हों और एक तरफ़ इमाम हो, चारों तरफ़ मुक़तदी हलका बांधे हुए हों जैसा कि वहां आम तौर पर इसी तरह नमाज़ पढ़ी जाती है तब भी दुरुस्त है। लेकिन शर्त यह है कि जिस तरफ़ इमाम खड़ा है उस तरफ़ कोई मुक़तदी इमाम की निस्बत ख़ाना का'बा के क़रीब न हो क्योंकि इस सूरत में वह इमाम से आगे समझा जायेगा जो ठीक नहीं है। हाँ, अगर दूसरी तरफ़ के मुक़तदी ख़ाना का'बा से इमाम की निस्बत क़रीब भी हों तो कुछ बुराई नहीं और उसकी यह सूरत है।

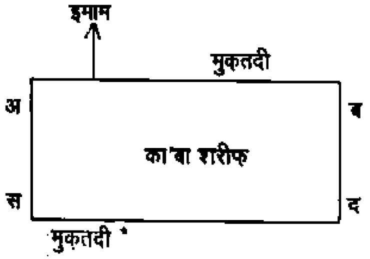

अ, ब, स, द का'बा है और तीर का निशान इमाम है जो का'बे से दो गज़ के फ़ासले पर खड़ा दिखाया गया है।

3. जनाज़ा (अन्त्येष्टि)

1. मर जाने पर क्या करें ?

मस'ला १— जब आदमी मरने लगे तो उसे चित्त लिटा दें। उसके पैर क़िबले की तरफ़ करके सर ऊंचा कर दें ताकि उसका मुंह क़िबले की तरफ़ हो जाये। उसके पास बैठकर कलिमा तैयबा

लाइलाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह

(नहीं है कोई ख़ुदा सिवा अल्लाह के, मुहम्मद सल्ल0 अल्लाह के रसूल हैं) لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

ज़ोर-ज़ोर से पढ़ें ताकि आपको पढ़ते सुनकर वह ख़ुद भी कलिमा पढ़ने लगे। उसे कलिमा पढ़ने का हुक्म न दिया जाये क्योंकि वह वक़्त बड़ा ही मुश्किल होता है और न मालूम उसके मुंह से क्या निकल जाये।

मस'ला २— जब वह एक बार कलिमा पढ़ ले तो आप चुप रहें। यह कोशिश न करें कि कलिमा बराबर पढ़ा जाता रहे और पढ़ते ही दम निकले क्योंकि मतलब तो बस इतना है कि सबसे आख़िरी बात जो उसके मुंह से निकले वह कलिमा होना चाहिए। हां! अगर मरने वाला कलिमा पढ़ लेने के बाद कोई और बात करे तो आप फिर से कलिमा पढ़ने लगें। जब वह भी कलिमा पढ़ ले तो आप चुप हो जाएं।

मस'ला ३— जब मरने वाले का सांस उखड़ जाये यानी सांस की धौंकनी जल्दी-जल्दी चलने लगे। टांगें इतनी ढीली पड़ जाएं कि खड़ी न हो सकें। नाक टेढ़ी हो जाए कनपटियां बैठ जाएं। तो समझना चाहिए कि मौत आ गई। उस वक़्त आप कलिमा ज़ोर से

पढ़ना शुरू कर दें।

मस'ला ४– सूरः यासीन (बाईसवां पारा कुरआन शरीफ) पढ़ने से मौत की सख़्ती कम हो जाती है। यह उसके सरहाने या और कहीं उसके पास बैठकर पढ़ें या किसी से पढ़वायें।

मस'ला ५– उस वक़्त कोई ऐसी बात न करें कि मरने वाले का दिल दुनिया की तरफ मायल (आकृष्ट) हो जाये क्योंकि वह वक़्त दुनिया से जुदाई और अल्लाह तआला की बारगाह (समक्ष) में हाज़िरी (उपस्थिति) का है। उस वक़्त ऐसे काम और ऐसी बातें की जाएं ताकि उसका दिल दुनिया से फिर कर अल्लाह की तरफ हो जाए क्योंकि मुर्दे की ख़ैरख़्वाही (भलाई) इसी में है। ऐसे वक़्त में बाल-बच्चों को सामने लाना और वह चीज़ जिससे उसको बहुत ज़्यादा रग़बत (मोह, लगाव, मुहब्बत) थी उसके सामने लाना ताकि उसका दिल उनकी तरफ लग जाये और उसका मोह उसके दिल में समा जाये–बड़ी बुरी बात है। अगर वह ख़ुदा-न-ख़्वास्ता दुनिया की मुहब्बत अपने दिल में लेकर मरा तो यह मौत ठीक नहीं।

मस'ला ६– जब वह मर जाए तो सब आ'ज़ा (अंग) ठीक कर दें। फिर किसी कपड़े से उसका मुंह इस तरह बांधे कि कपड़ा ठोड़ी के नीचे से निकाल कर उसके दोनों सिरे पर ले जाएं और गिरह दें ताकि मुंह न फैला सके। आंखें बन्द कर दें, पैर के दोनों अंगूठे मिलाकर बांध दें ताकि टांगें न फैल जाएं। फिर चादर उढ़ा दें और नहलाने-धुलाने में जितनी भी जल्दी हो सके करें।

मस'ला ७– मुंह वग़ैरा बन्द करते वक़्त बिस्मिल्लाहि वअ़ला मिल्लति रसूलिल्लाह0

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

(शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से और मुझे रसूलुल्लाह सल्ल0 की मिल्लत के लिए क़ायम रख) पढ़ें।

मस'ला ८– मर जाने के बाद उसके पास लोबान या अगरबत्ती जैसी ख़ुशबू सुलगा दी जाए और उसके पास हैज़ व निफ़ास वाली

कोई औरत न रहे।

मस'ला ९— मर जाने के बाद जब तक उसे नहला न दिया जाये उसके पास कुरआन शरीफ पढ़ना ठीक नहीं है।

2. नहलाना

मस'ला १— जब गोर व कफ़न (अन्त्येष्टि) का सामान हो जाए और नहलाया जाये पहले किसी तख़्त या बड़े तख़्ते को लोबान या अगरबत्ती वग़ैरा खुश्बूदार चीज़ की धुनी दी जाए। उस तख़्त या तख़्ते पर दो, तीन, पांच या सात बार चारों तरफ धुनी देकर मुर्दे को उस पर लिटा दें और उसके कपड़े उतार लें और कोई कपड़ा नाफ से लेकर घुटनों तक डाल दें कि उतना बदन छुपा रहे।

मस'ला २— अगर नहलाने की कोई जगह अलग है कि पानी अलग से बह जायेगा तो ख़ैर, वरना तख़्त या तख़्ते के नीचे गढ़ा खुदवा लें कि सारा पानी उसी में जमा हो जाए।

मस'ला ३— नहलाने का तरीका यह है कि पहले मुर्दे को इस्तिंजा (योनियों को गन्दगी से पाक करना) करा दें, लेकिन उसके घुटनों और इस्तिंजे की जगह अपना हाथ न लगाएं और उसे देखें भी नहीं। यह काम अपने हाथ में कोई कपड़ा लपेट कर करना चाहिए और जो कपड़ा नाफ से घुटनों तक पड़ा है उसके अन्दर तक धुलाएं। फिर उसे वुज़ू कराएं लेकिन कुल्ली न करायें और न नाक में पानी ही डालें और न पहुंचों तक हाथ धुलायें बल्कि पहले मुंह धुलाएं कोहनी समेत हाथ, फिर सर का मसह (फिर दोनों पैर) अगर तीन बार रुई पानी में भिगोकर दांतों और मसूढ़ों पर फेर दी जाए और नाक के दोनों सुराख़ों में फेर दी जाय तो भी जायज़ है। अगर मुर्दा नापाकी की हालत हैज़ या निफ़ास में मर जाए तो इस तरह से मुंह और नाक में पानी पहुंचाना ज़रूरी है और नाक, मुंह और कानों में रुई भर दें ताकि

वुजू कराते और नहलाते वक़्त पानी न जाने पाये। जब वुजू करा चुकें तो सर को गुलख़ैरू, बेसन या साबुन मलकर धोएं ताकि वह साफ़ हो जाये। मुर्दे को बायीं करवट लिटाकर बेरी के पत्ते डालकर पकाया हुआ हल्का गर्म पानी तीन बार सर से पैर तक डालें यहां तक कि बायीं करवट तक पहुंच जाए। फिर उसे दाहिनी करवट लिटायें और उसी तरह सर से पैर तक तीन बार इतना पानी डालें कि पानी दाहिनी करवट तक पहुंच जाए। उसके बाद मुर्दे को अपने बदन की टेक लगाकर ज़रा बिठायें और उसके पेट को आहिस्ता-आहिस्ता मलें और दबाएं। अगर पाख़ाना निकले तो साफ़ कर दें। उसके बाद उसे फिर बाईं करवट लिटा दें और काफ़ूर पड़ा हुआ पानी सर से पैर तक तीन बार डालें। फिर सारा बदन किसी कपड़े से साफ़ करके कफ़ना दें।

मस'ला ४– अगर बेरी के पत्ते डालकर पकाया हुआ पानी न हो तो सादा हल्का गर्म पानी भी काफ़ी है। उससे इसी तरह तीन बार नहला दें कभी भी मुर्दे को बहुत तेज़ गर्म पानी से नहलाना ठीक नहीं है। मुर्दे को इस तरह नहलाना सुन्नत है। अगर इस तरह तीन बार न नहला कर केवल एक बार ही सारे बदन को धो दिया तब भी फ़र्ज़ अदा हो जाएगा।

मस'ला ५– जब मुर्दे को कफ़न पर रखें तो उसके सर पर इत्र लगा दें। अगर मरने वाला मर्द है तो उसकी दाढ़ी पर भी इत्र लगाना चाहिए। फिर माथे, नाक, दोनों हथेलियों, घुटनों और दोनों पांव पर काफ़ूर मल दें। कफ़न में इत्र लगाना या कान में उसकी फुरैरियां रखना जायज़ नहीं है।

मस'ला ६– अगर मुर्दा मर्द है और कोई मर्द नहलाने वाला नहीं है तो जो औरत उसकी महरम है वही नहलाए। दूसरी को हाथ लगाना ठीक नहीं अगर कोई महरम औरत न हो तो मुर्दे को तयम्मुम करा दें लेकिन उसके बदन पर हाथ न लगाएं बल्कि वह औरत अपने हाथ में तयम्मुम करने से पहले दस्ताने पहन ले।

मस'ला ७– बालों की कंघी करें, न नाख़ुन काटें और न कहीं के

बाल ही काटें।

मस'ला ८– शौहर के मर जाने पर उसकी बीवी को उसे नहलाना और कफ़नाना दुरुस्त है। अगर बीवी मर जाये तो शौहर को उसका बदन छूना या हाथ लगाना दुरुस्त नहीं है। कपड़े के ऊपर से भी हाथ लगाना दुरुस्त नहीं। हाँ! देख सकता है।

मस'ला ९– हैज़ या निफ़ास वाली औरत मुर्दे को न नहलाए कि यह मकरूह और मना है।

मस'ला १0– अच्छा यह है कि जिस औरत का रिश्ता मुर्दे से ज़्यादा क़रीब हो वही नहलाए और वह न नहला सके तो कोई दीन दार (ईमानदार, नेक) औरत नहला सकती है।

मस'ला ११– अगर नहलाने में कोई बुराई देखी जाये तो किसी से उसके बारे में न कहा जाये। हां, अगर कोई खुल्लम-खुल्ला कोई गुनाह करता हो। जैसे: शराबी या ज़ानी (ज़िना करने वाला, भ्रष्ट) हो या औरत नाचती या गाने-बजाने का काम करती या रंडी (वेश्या) थी तो ऐसी बातें कह देना दुरुस्त है ताकि और लोग ऐसी बातों से बचें और तौबा करें।

मस'ला १२– अगर कोई आदमी दरिया में डूब कर मर गया हो तो जिस वक़्त उसे निकाला जाये उस वक़्त उसको गुस्ल देना वाजिब है।

मस'ला १३– अगर किसी आदमी का सर ही कहीं देखा जाये तो उसे गुस्ल न दिया जायेगा। वैसे-ही दफ़न कर दिया जाये। अगर किसी का आधा या उससे ज़्यादा बदन कहीं मिले तो उसे नहलाना ज़रूरी है। चाहे वह सर के साथ मिले या बिना सर के। और अगर आधे बदन से ज़्यादा न हो बल्कि आधा ही हो तो अगर सर के साथ मिले तो गुस्ल नहीं कराया जायेगा—चाहे सर के साथ मिले या बिना सर के मिले।

मस'ला १४– अगर कोई अज़ीज़ काफ़िर हो और वह मर जाये

तो उसकी लाश उसके हम-मज़हब (सहधर्मी) को दे दी जाये। अगर उसका कोई हममज़हब न हो या हो मगर वह उसे लेना न चाहे तो मजबूरी में मुसलमान उस काफ़िर को नहलाये मगर मसनून तरीके से नहीं यानी उसे वुज़ू न कराये। सर साफ नहीं कराया जाये। बदन में काफ़ूर वग़ैरा न मला जाये बल्कि जिस तरह किसी नापाक चीज़ को धोया जाता है, उसी तरह उसे भी धोया जाये क्योंकि काफ़िर धोने से पाक न होगा।

मस'ला १५– बाग़ी लोग या डाकू अगर मारे जाएं तो उनकी लाशों को गुस्ल न दिया जाये, बशर्ते कि वे ठीक लड़ाई के वक़्त मारे गये हों।

मस'ला १६– मुरतद (काफ़िर, वह जो मुसलमान होकर दूसरा धर्म अपना ले) अगर मर जाये तो भी गुस्ल न दिया जाये और अगर उसके हम-मज़हब उसकी लाश मांगें तो उन्हें भी उसे न दिया जाए।

मस'ला १७– अगर पानी न होने की वजह से किसी मैयत (लाश, मुर्दा) को तयम्मुम कराया गया हो और बाद में पानी मिल जाये तो उसे नहला देना चाहिए।

3. कफ़न

मस'ला १– मर्द का कफ़न तीन कपड़े हैं–एक चादर, एक इज़ार (तहमद, लुंगी, धोती) और एक कुर्ता।

मस'ला २– मर्द के कफ़न में अगर दो कपड़े–चादर और इज़ार ही हों, तब भी कुछ हर्ज नहीं है। मगर दो से कम कपड़े देना मकरूह है। लेकिन अगर कोई मजबूरी और लाचारी हो तो दूसरी बात है।

मस'ला ३– औरत का पांच कपड़ों में कफ़नाना सुन्नत है–एक कुर्ता, दूसरे इज़ार, तीसरे सीना बन्द, चौथे चादर, पांचवें सरबन्द।

इज़ार सर से लेकर पांव तक होना चाहिए और चादर उससे एक हाथ बड़ी हो, कुर्ता गले से पांव तक होना चाहिए। मगर उसमें कलियां और आस्तीनें न हों सरबन्द तीन हाथ लम्बा हो। सीना बन्द छातियों से रानों तक चौड़ा और इतना लम्बा हो कि बंध जाये।

मस'ला ४– अगर कोई पांच कपड़ों में न कफ़नाये बल्कि तीन कपड़ों–एक इज़ार, दूसरा चादर, तीसरे सरबन्द–में कफ़नाये तो यह भी दुरुस्त है। और इतना कफ़न भी काफ़ी है मगर तीन कपड़ों से कम देना मकरूह है। हां अगर कोई मजबूरी व लाचारी हो तो कम भी दुरुस्त है।

मस'ला ५– सीना बन्द अगर छातियों से नाफ़ तक हो तब भी दुरुस्त है लेकिन ज़ानुओं तक होना ज़्यादा अच्छा है।

मस'ला ६– पहले कफ़न को तीन, पांच या सात बार लोबान की धुनी दी जाये तब इसमें मुर्दा कफ़नाया जाये।

मस'ला ७– कफ़नाने का तरीक़ा यह है कि पहले चादर बिछाएं फिर इज़ार, उसके ऊपर कुर्ता। फिर मुर्दे को उसके ऊपर ले जाकर पहले कुर्ता पहनाएं और सर के बालों को दो हिस्से करके कुर्ते के ऊपर सीने पर डाल दें। एक हिस्सा दाहिनी तरफ़ और दूसरा बायीं तरफ़। उसके बाद सरबन्द और बालों पर लपेट दें। मगर न उसे बांधें और न लपेटें। फिर इज़ार लपेट दें। पहले बायीं तरफ़, फिर दायीं तरफ़। फिर किसी धज्जी से पैर और सर की तरफ़ कफ़न बांधे और एक बन्द से कमर के पास भी बांध दें ताकि रास्ते में कहीं खुल न जाये।

मस'ला ८– सीनाबन्द को अगर सरबन्द के बाद इज़ार लपेटने से पहले ही बांध दिया तो यह भी जायज़ है और अगर सब कफ़नों के ऊपर से बांधे तब भी दुरुस्त है।

मस'ला ९– जब मुर्दे को कफ़ना चुकें तो रुख़सत करें ताकि मर्द नमाज़ पढ़कर दफ़ना दें।

मस'ला १०— औरतें अगर जनाज़े में नमाज़ पढ़ें तो जायज़ है।

मस'ला ११— कफ़न या क़ब्र में इक़रारनामा, अपने पीर का शज़रा या कोई दुआ वग़ैरा रखना दुरुस्त नहीं। इसी तरह कफ़न या सीने पर काफ़ूर या रोशनाई से कलिमा लिखना भी दुरुस्त नहीं। अलबत्ता का'बा शरीफ़ का गिलाफ़ या अपने पीर का रूमाल वग़ैरा कोई कपड़ा तबर्रुक (बरकत, प्रसाद) के तौर पर रख देना दुरुस्त है।

मस'ला १२— जो बच्चा ज़िन्दा पैदा हुआ मगर थोड़ी ही देर के बाद मर गया या पैदा होने के बाद ही मर गया तो यह भी इस क़ायदे से नहलाया जाये और कफ़नाने के बाद नमाज़ पढ़ी जाये फिर दफ़्न कर दिया जाये और उसका कुछ नाम भी रख दिया जाये।

मस'ला १३— मां के पेट से बच्चा (लड़का) मरा हुआ पैदा हुआ और पैदा होते वक़्त ज़िन्दगी की कोई अलामत नहीं पाई गई उसे भी इसी तरह नहलाओ लेकिन क़ायदे के मुताबिक़ कफ़न न दो बल्कि किसी एक कपड़े में लपेट कर दफ़्न कर दो और नाम उसका ज़रूर रख देना चाहिए।

मस'ला १४— अगर छोटी लड़की जो अभी जवान नहीं हुई लेकिन जवानी के क़रीब पहुंच गई, मर जाए तो भी वही पांच कपड़े सुन्नत हैं जो जवान औरत के लिए हैं। अगर पांच कपड़े न दें तो तीन देने ही काफ़ी हैं। मतलब यह है कि जो हुक्म जवान औरत का है वही कुंवारी और छोटी लड़की का भी है। मगर जवान के लिए वह हुक्म ताकीदी है और कम उम्र के लिए बेहतर है।

मस'ला १५— जो लड़की बहुत छोटी हो और जवानी के क़रीब भी न हुई हो, उसके लिए अच्छा यही है कि पांच कपड़े—इज़ार और चादर देना भी दुरुस्त है।

मस'ला १६— जो चादर जनाज़े के ऊपर यानी चारपाई पर डाली जाती है वह कफ़न में शामिल नहीं है। कफ़न बस इतना ही है

जो बताया गया है।

मस'ला १७– जिस शहर में कोई मरे वहीं उसे दफ़न किया जाये। दूसरी जगह ले जाना ठीक नहीं है। अलबत्ता कोई जगह ज़्यादा दूर न हो तो वहां ले जाने में कोई हर्ज भी नहीं है।

मस'ला १८– अगर हमल गिर जाये तो बच्चे के हाथ, पांव, मुंह, नाक वग़ैरा कुछ न बनें हों तो न नहलाए और न कफ़नायें बल्कि किसी कपड़े में लपेट कर एक गढ़ा खोद कर गाड़ दे अगर उस बच्चे के कुछ हिस्से बन गए हों तो उसका वही हुक्म है जो मुर्दा बच्चा होने का है यानी नाम रखा जाए और नहलाया जाये लेकिन क़ायदे के मुताबिक़ कफ़न न दिया जाये। और न नमाज़ ही पढ़ी जाये बल्कि कपड़े में लपेट कर दफ़न कर दिया जाये।

मस'ला १९– लड़के का सर बाहर निकला उस वक़्त वह ज़िन्दा था, फिर मर गया तो उसका वही हुक्म है जो मुर्दा पैदा होने का है। अलबत्ता अगर ज़्यादा हिस्सा निकल आया फिर उसके बाद मरा तो यह समझा जाएगा कि ज़िन्दा पैदा हुआ। अगर सर की तरफ़ से पैदा हुआ तो सीने तक निकलने से समझेंगे कि ज़्यादा हिस्सा निकल आया और अगर उल्टा पैदा हुआ तो नाफ़ तक निकलना चाहिए।

मस'ला २०– अगर इन्सान का कोई हिस्सा या आधा जिस्म बग़ैर सर के पाया जाये तो उसको भी किसी-न-किसी कपड़े में लपेट देना काफ़ी है। हां! अगर आधे जिस्म के साथ सर भी हो या आधे से ज़्यादा हिस्सा जिस्म का हो अगरचे सर न हो, फिर मसनून कफ़न देना होगा।

मस'ला २१– किसी इन्सान की क़ब्र खुल जाये और किसी वजह से उसकी लाश बाहर निकल आये और उस पर कफ़न न हो तो उसे भी मसनून कफ़न देना चाहिए, बशर्ते कि वह लाश फटी न हो और अगर फट गई हो तो सिर्फ़ कपड़े में लपेट देना काफ़ी है।

4. जनाज़े की नमाज़

मस'ला १– नमाज़े जनाज़ा वाजिब होने की वही सब शर्तें हैं जो और सब नमाज़ों की ब्यान की जा चुकी हैं। हां! इसमें एक और शर्त और ज़्यादा है और वह यह है कि उस आदमी की मौत का पता भी हो। इसलिए जिसको यह ख़बर न होगी वह मजबूरी है। नमाज़े जनाज़ा उस पर फ़र्ज़ नहीं है।

मस'ला २– नमाज़े जनाज़ा के सही होने के लिए दो किस्म की शर्तें हैं–एक किस्म की वे शर्तें जो नमाज़ पढ़ने वालों से ताल्लुक रखती हैं। वे वही हैं जो और नमाज़ों के लिए ब्यान हो चुकी हैं। यानी पाकी, औरत का पर्दा, किबले की तरफ मुंह करना और नीयत। हां वक़्त उसके लिए शर्त नहीं और उसके लिए तयम्मुम नमाज़ न मिलने के ख़्याल से जायज़ है। जैसे: नमाज़े जनाज़ा हो रही हो और वुज़ू करने में यह ख़्याल हो कि नमाज़ ख़त्म हो जायेगी तो तयम्मुम कर ले मगर और नमाज़ों में जिनमें वक़्त चले जाने का डर हो तो तयम्मुम जायज़ नहीं।

मस'ला ३– आजकल कुछ आदमी जनाज़े की नमाज़ जूता पहने हुए पढ़ते हैं। उनके लिए यह बात ज़रूरी है कि वे जहां खड़े हों और दोनों जूते पाक हों और जूता पैर से निकाल दिया जाये और उस पर खड़े हों तो सिर्फ़ जूतों का पाक होना ज़रूरी है। दूसरी किस्म की शर्तें वे हैं जिनका मैयत से ताल्लुक है, वे यह हैं–

शर्त नं0–१ मैयत का मुसलमान होना। काफ़िर और मुरतद की नमाज़ ठीक नहीं। मुसलमान अगरचे फ़ासिक और बिदअती हो उसकी नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है।

मस'ला ४– जिस लड़के का बाप या माँ मुसलमान हो वह लड़का मुसलमान समझा जायेगा और उसकी नमाज़ पढ़ी जाएगी।

मस'ला ५– मैयत से मुराद वह शख़्स है जो ज़िन्दा पैदा होकर मर गया हो और अगर मरा हुआ लड़का पैदा हुआ हो तो उसकी नमाज़ दुरुस्त नहीं।

शर्त नं0–२ मैयत का बदन हर तरह की नापाकी से पाक होना। हां! अगर हक़ीक़ी नापाकी (पाख़ाना, पेशाब या मनी) उसके बदन से निकली और इससे उसका बदन नापाक हो जाये तो कुछ बुराई नहीं, नमाज़ दुरुस्त है।

मस'ला ६– अगर कोई मुसलमान बग़ैर नमाज़ पढ़ाये हुए दफ़न कर दिया गया हो तो उसकी नमाज़ उसके क़ब्र पर पढ़ी जायेगी जब तक उसकी लाश के फट जाने का अंदेशा न हो। यह ख़्याल हो कि अब लाश फट गयी होगी तो फिर नमाज़ न पढ़ी जाये। लाश फटने की मुद्दत हर जगह के लिए अलग-अलग है। कुछ लोगों ने इसे तीन दिन और कुछ ने एक महीना बताया है।

मस'ला ७– जहां मैयत रखी हो उस जगह का पाक होना शर्त नहीं। अगर मैयत पाक पलंग या तख़्त पर हो तो ठीक है। अगर पलंग या तख़्त भी नापाक हो या पलंग या तख़्त के बजाए नापाक ज़मीन पर रख दी जाये तो इस सूरत में एक राय नहीं है। कुछ कहते हैं कि जगह की पाकी शर्त है इसलिए नमाज़ नहीं होगी और कुछ के लिए यह शर्त नहीं इसलिए नमाज़ सही हो जायेगी।

शर्त नं0–३ मैयत के जिस्म पर ज़रूरी कपड़ों का होना। अगर मैयत बिल्कुल नंगी हो तो उसकी नमाज़ दुरुस्त न होगी।

शर्त नं0–४ मैयत को नमाज़ पढ़ने वाले के आगे होना। अगर मैयत नमाज़ी के पीछे हो तो दुरुस्त नहीं है।

शर्त नं0–५ मैयत या जिस चीज़ पर मैयत हो–उसका ज़मीन पर रखा हुआ होना। अगर मैयत को लोग अपने हाथों पर उठाये हुए हों या वह किसी गाड़ी या जानवर पर हो और इसी हालत में उसकी नमाज़ पढ़ी जाये तो सही न होगी।

शर्त नं0–६ मैयत का वहां मौजूद होना। अगर मैयत नमाज़ के वक़्त मौजूद नहीं तो नमाज़ सही न होगी।

मस'ला ७– नमाज़ जनाज़ा में दो बातें फ़र्ज़ हैं : १– चार बार अल्लाहु अक्बर कहना। हर तकबीर एक रकअ्त के बराबर समझी जायेगी। २–क़्याम यानी खड़े होकर नमाज़ जनाज़ा पढ़ना। जिस तरह फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ों में खड़ा होना फ़र्ज़ है और बिना किसी मजबूरी या उज्र के इसका छोड़ देना जायज़ नहीं

मस'ला ८– रुकू, सज्दा, क़ौमा वग़ैरा इस नमाज़ में नहीं होता।

मस'ला ९– नमाज़ जनाज़ा में तीन बातें मसनून हैं १– अल्लाह तआला की हम्द करना। २– नबी सल्ल0 पर दुरूद पढ़ना। ३– मैयत के लिए दुआ करना। जमाअत इसमें शर्त नहीं है। इसलिए अग़र एक आदमी भी जनाज़े की नमाज़ अदा करे तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। चाहे वह मर्द हो या औरत, बालिग़ हो या नाबालिग़।

मस'ला १0– यहां जमाअ़त की ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए कि यह मैयत के लिए दुआ है और कुछ मुसलमानों का जमा होकर बारगाहे इलाही में किसी बात के लिए दुआ करना बहुत ख़ूबियां रखता है–मक़बूल होने और रहमत के नाज़िल होने के लिए।

मस'ला ११– नमाज़ जनाज़ा का मसनून व मुस्तहब तरीक़ा यह है कि मैयत को आगे रखकर इमाम उसके सीने के सामने खड़ा हो जाये और सब लोग यह नीयत करें–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّیَ صَلٰوةَ الْجَنَازَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰی وَدُعَاءً لِّلْمَيِّتِ

नवैतु अ्न उसल्लिय सलातिल जना-ज़-ति लिल्लाहि तआला व दुअत्लिलमय्यिति

यह नीयत करके दोनों हाथ, तकबीर तहरीमा की तरह कानों तक उठाकर एक बार 'अल्लाहु अकबर' कहकर दोनों हाथ नमाज़

की तरह बांध ले। फिर 'सुब्हानकल्ला' आख़िर तक पढ़ें। इसके बाद फिर एक बार अल्लाहु अकबर कहें। मगर इस बार हाथ न उठाये। बाद इसके दुरूद शरीफ़ पढ़ा जाये जो नमाज़ में पढ़ा जाता है। फिर एक बार 'अल्लाहु अकबर' कहे। अगर वह बालिग़ हो, चाहे वह मर्द हो या औरत, यह दुआ पढ़े :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ

अल्लाहुम्मग़्फ़िर लिहय्यना व मैयतिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व उन्साना। अल्लाहुम्मम मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लामि व मन तवफ़्फ़ैतहू मिन्ना फ़त-वफ़्फ़हू अलल ईमानि0

(ऐ अल्लाह ! हमारे जिन्दों, मुर्दों, उपस्थित, अनुपस्थित, छोटों-बड़ों तथा मर्दों औरतों को बख़्श दे। ऐ अल्लाह ! हम में से जिसे तू ज़िन्दा रखे, उसे इस्लाम पर ज़िन्दा रख और हम में से जिसे मौत दे उसे ईमान पर मौत दे)।

और अगर मैयत नाबालिग़ हो तो यह दुआ पढ़े।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

अल्लाहुम्मजअ़ल्हु लना फ़रतौं व जअ़लहु लना अज्रैं व ज़ुख़रैं वज्अ़ल्हु लना शाफ़िऔं वमुशफ़्फ़अः।

(ऐ अल्लाह ! इस बच्चे को हमारी मुक्ति के लिए आगे जाने वाला बना और इसकी जुदाई की मुसीबत को सवाब का हेतु बना, इसे हमारी मुक्ति कराने वाला बना और इसको मुक्ति प्रदान कर)

और अगर नाबालिग़ लड़की हो तो भी यही दुआ है। बस फ़र्क़ इतना है कि—

इजअल्हा اِجْعَلْهَا

(बना दे) की जगह :

'अज्अलहा' (बना दे) और

'शाफ़िअँ व मुशफ्फअः'

(बख़्शा हुआ और बख़्शने वाला)

की जगह :

'शाफ़िअतों व मुशफ्फिअः' شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

पढ़े। जब यह दुआ पढ़ चुके तो फिर एक बार अल्लाहु अकबर कहे और इस बार भी हाथ न उठाये। फिर इस तकबीर के बाद सलाम फेर दे। जिस तरह नमाज़ में सलाम फेरते हैं। इस नमाज़ में अत्तहीय्यात और कुरआन मजीद की किरअत वग़ैरा नहीं है।

मस'ला १३— नमाज़े जनाज़ा इमाम और मुक़्तदी दोनों के लिए बराबर है। सिर्फ इतना फर्क है कि इमाम तकबीरें और सलाम ऊंची आवाज़ से कहेगा और मुक़तदी आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेगा।

मस'ला १४— जनाज़े की नमाज़ में मुस्तहब है कि हाज़िरीन की तीन सफ़ें कर दी जाएं। यहां तक कि अगर सिर्फ सात आदमी हों तो एक आदमी उन में से इमाम बना दिया जाये और पहली सफ़ में दो और तीसरी में एक।

मस'ला १५— जनाज़े की नमाज़ भी उन चीज़ों से फ़ासिद हो जाती है जिनमें दूसरी नमाज़ों में ख़राबी आ जाती है। बस इतना फर्क है कि जनाज़े की नमाज़ में कहकहे से वुज़ू नहीं जाता औरत के बराबर में खड़े होने से भी ख़राबी नहीं पड़ती।

मस'ला १६– जनाज़े की नमाज़ उस मस्जिद में पढ़ना मकरूह तहरीमी है जो पांच वक़्त नमाज़ों, जुमा या ईदैन की नमाज़ों के लिए बनाई गई हो। चाहे जनाज़ा मस्जिद के अन्दर हो या मस्जिद से बाहर हो और नमाज़ पढ़ने वाले अन्दर हों।

मस'ला १७– मैयत की नमाज़ में इस वजह से देर करना, ताकि जमाअत ज़्यादा हो जाये मकरूह है।

मस'ला १८– जनाज़े की नमाज़ बैठकर या सवारी की हालत में पढ़ना जायज़ नहीं जबकि कोई मजबूरी न हो।

मस'ला १९– अगर एक ही वक़्त में कई जनाज़ें जमा हो जाएं तो बेहतर यह है कि हर जनाज़े की नमाज़ अलग पढ़ी जाए और अगर सब जनाज़ों की एक ही नमाज़ पढ़ी जाए तब भी जायज़ है और उस वक़्त चाहिए कि सब जनाज़ों की सफ़ कायम कर दी जाये जिसकी बेहतर सूरत यह है कि एक जनाज़े के आगे दूसरा जनाज़ा रख दिया जाये कि सबके पैर और सर एक तरफ़ हों और यह सूरत इसलिए बेहतर है कि इसमें सबका सीना इमाम के सामने हो जाये तो मसनून है।

मस'ला २०– अगर जनाज़े मर्द, लड़के और औरत के हों तो इस तरतीब से उन की सफ़ कायम कर दी जाये कि इमाम के करीब मर्दों के जनाज़े, उनके बाद लड़कों के और उनके बाद बालिग़ औरतों के और उसके बाद नाबालिग़ लड़कियों के।

मस'ला २१– अगर कोई आदमी जनाज़े की नमाज़ में ऐसे वक़्त पहुंचे कि कुछ तकबीरें उसके आने से पहले हो चुकी हों तो जितनी तकबीरें हो चुकी हों उनके हिसाब से वह आदमी मस्बूक समझा जायेगा। उसे चाहिए कि आते ही और नमाज़ों की तरह तकबीरे तहरीमा कहकर शरीक हो जाये बल्कि इमाम की तकबीर का इन्तज़ार करे। जब इमाम तकबीर कहे तो यह भी उसके साथ तकबीर कहे। यह तकबीर उसके लिए तकबीरे तहरीमा होगी। फिर जब इमाम सलाम फेर दे तो यह आदमी अपनी गई हुई तकबीरों को अदा कर

ले और उसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई आदमी ऐसे वक़्त पहुंचे कि इमाम चौथी तकबीर कह चुका हो तो वह आदमी उस तकबीर के लिए मस्बूक़ न समझा जायेगा उसे चाहिए कि उसी वक़्त तकबीर कहकर इमाम के सलाम से पहले शरीक हो जाए और नमाज़ ख़त्म करने के बाद अपनी गई हुई तकबीरों को फिर से दोहरा ले।

मस'ला २२— अगर कोई आदमी पहली तकबीर या किसी और तकबीर के वक़्त मौजूद था और नमाज़ में शरीक होने के लिए तैयार था मगर सुस्ती की वजह से शरीक न हो सका तो उसको फ़ौरन तकबीर कह कर नमाज़ में शरीक होना चाहिए। इमाम की दूसरी तकबीर का उसे इन्तज़ार न करना चाहिए।

मस'ला २३— जनाज़े की नमाज़ का मस्बूक़ जब अपनी छूटी हुई तकबीरों को करे और डर हो कि अगर दुआ पढ़ेगा तो देर हो जायेगी और जनाज़ा उसके सामने से उठा लिया जायेगा, तो दुआ न पढ़े।

मस'ला २४— जनाज़े की नमाज़ में इमामत का हक़ सबसे ज़्यादा बादशाह को है अगर्चे परहेज़गारी में उससे बेहतर लोग भी वहां मौजूद हों। अगर बादशाह वहां मौजूद न हो तो उसका नायब यानी जो आदमी उसकी तरफ़ से हाकिमे शहर हो वह इमामत करने का हक़दार है। अगर वह भी न हो तो क़ाज़ी-ए-शहर। वह भी न हो तो उसका नायब इन लोगों के होते हुए दूसरे को इमाम बनाए बिना उनके हुक्म से जायज़ नहीं। इन्हीं का इमाम बनाना वाजिब है। अगर इनमें से कोई वहां मौजूद न हो तो उस मुहल्ले का इमाम हक़ रखता है। बशर्ते कि मैयत के रिश्तेदारों में से कोई आदमी उससे बड़ा न हो वरना मैयत के रिश्तेदार जो उसके वली होने का हक़ रखते हों, इमामत का हक़ रखते हैं या वह जिसे वे इजाज़त दे। अगर बिना इजाज़त मैयत के वली के किसी ऐसे आदमी ने नमाज़ पढ़ा दी हो जिसे इमामत का हक़ नहीं है तो वली को एख़्तियार है कि फिर दोबारा नमाज़ पढ़े। यहाँ तक कि अगर मैयत दफ़्न हो चुकी हो तो उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ सकता है जब कि लाश फट जाने का ख़्याल न हो।

5. मैयत का दफ़्नाना

मस'ला १– मैयत का दफ़्न इसी तरह फ़र्ज़ किफ़ाया है जिस तरह उसका गुस्ल और नमाज़ है।

मस'ला २– जब मैयत की नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाए तो उसी वक़्त उसे दफ़्न करने ले जाए, जहां क़ब्र खुदी हुई है।

मस'ला ३– अगर मैयत कोई दूध पीता बच्चा या उससे कुछ बड़ा हो तो लोगों को चाहिए कि उसको हाथों में ले जाएं यानी एक उसे अपने दोनों हाथों पर उठा ले फिर उसे दूसरा आदमी ले ले इसी तरह बदलते हुए ले जाएं। अगर मैयत कोई बड़ा आदमी हो तो उसको किसी चारपाई वग़ैरा पर रखकर ले जाएं और उसके चारों पायों को एक-एक आदमी उठाये। मैयत की चारपाई हाथों से उठा कर कन्धों पर रखना चाहिए। माल असबाब की तरह कन्धों पर लादना मकरूह है। इसी तरह बिना मजबूरी के उसका किसी जानवर या गाड़ी वग़ैरा पर रखकर ले जाना मकरूह है और मजबूरी हो तो कराहियत के साथ जायज़ है जैसे क़ब्रिस्तान बहुत दूर हो।

मस'ला ४– मैयत को उठाने का मुस्तहब तरीक़ा यह है कि पहले उसका अगला दाहिना पाया अपने दाहिने कन्धे पर रखकर कम-से-कम दस क़दम चले। उसके बाद पिछला दाहिना पाया दाहिने कन्धे पर रख कर कम-से-कम दस क़दम चले। बाद इसके अगला बायां पाया बायें कन्धे पर रखकर कम से कम दस क़दम चले, फिर पिछला बायां पाया बायें कन्धे पर रखकर कम-से-कम दस कदम चले ताकि चारों पायों को मिलाकर चालीस कदम हो जाएं।

मस'ला ५– जनाज़े का तेज़ क़दम ले जाना मसनून है। मगर इतना तेज़ नहीं कि लाश हिल जाये।

मस'ला ६– जो लोग जनाज़े से साथ जाएं उनको इससे पहले

कि जनाज़ा कन्धों से उतारा जाये बैठना मकरूह है। हां, अगर कोई ज़रूरत बैठने की हो तो कोई हर्ज भी नहीं है।

मस'ला ७— जो लोग जनाज़े के साथ हों उनको जनाज़े के पीछे चलना मुस्तहब है, अगर्चे जनाज़े के आगे चलना भी जायज़ है। हां! अगर सब लोग जनाज़े के आगे हो जाएं तो मकरूह है। इसी तरह जनाज़े के आगे किसी सवारी पर चलना भी मकरूह है।

मस'ला ८— जनाज़े के साथ पैदल चलना मुस्तहब है और अगर किसी सवारी पर हो तो जनाज़े के पीछे चले।

मस'ला ९— जनाज़े के साथ जो लोग हों उनको कोई दुआ या ज़िक्र ज़ोर से पढ़ना मकरूह है।

मस'ला १0— मैयत की क़ब्र कम-से-कम उसके आधे क़द के बराबर गहरी खोदी जाये और क़द से ज़्यादा न होनी चाहिए और उसके क़द के मुताबिक़ लम्बी हो। बग़ली क़ब्र संदूकी के बराबर होनी चाहिए। हां, अगर ज़मीन बहुत नर्म हो कि बग़ली खोदने में क़ब्र के बैठ जाने का डर हो तो बग़ली न खोदी जाए।

मस'ला ११— जब क़ब्र तैयार हो चुके तो मैयत को क़िबले की तरफ़ से क़ब्र में उतारे। इसकी यह सूरत है कि जनाज़ा क़ब्र में एक तरफ़ रखा जाये और उतारने वाले क़िबले की तरफ़ मुंह करके खड़े होकर मैयत को उठा कर क़ब्र में रख दे।

मस'ला १२— क़ब्र में उतारने वालों का अकेला या दो होना मसनून नहीं। नबी करीम सल्ल० को आपकी क़ब्र मुक़द्दस में चार आदमियों ने उतारा था।

मस'ला १३— मैयत को क़ब्र में रखते वक़्त :

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

'बिस्मिल्लाहि व अ़ला मिल्लति रसूलिल्लाह'

(शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से और मुझे रसूल सल्ल० की उम्मत के लिए कायम रख)

कहना मुस्तहब है।

मस'ला १४– कब्र में रख देने के बाद कफ़न की वह गिरह जो कफ़न के खुल जाने के डर से दी गई थी खोल दी जाए।

मस'ला १५– बाद इसके कच्ची ईंटों या नरकुल से बन्द कर दे। पक्की ईंटों या लकड़ी के तख़्तों से बन्द करना मकरूह है। हां! जहां ज़मीन बहुत नर्म हो कब्र के बैठ जाने का डर हो तो पक्की ईंटों या लकड़ी के तख़्ते रख देना या सन्दूक में रखना भी जायज़ है।

मस'ला १६– औरत को कब्र में रखते वक़्त पर्दा करके रखना मुस्तहब है और मैयत के बदन के ज़ाहिर हो जाने का डर हो तो पर्दा करना वाजिब है।

मस'ला १७– जब मैयत को रख चुके तो जितनी मिट्टी उसकी कब्र से निकली हो वह सब उस पर डाल दें। उससे ज़्यादा मिट्टी डालना मकरूह है।

मस'ला १८– कब्र में मिट्टी डालते वक़्त मुस्तहब है कि सरहाने की तरफ़ से शुरूआत की जाए और हर आदमी अपने दोनों हाथों से भर-भरकर कब्र में डाल दे। पहली बार मिट्टी डालते वक़्त पढ़ें :

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ मिन्हा ख़लक़्नाकुम

(हमने इसमें अर्थात् ज़मीन में तुम्हें पैदा किया)

दूसरी बार :

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ 'वफीहा नुईदुकुम'

(और इसमें तुमको लौटा देंगे)

और तीसरी बार :

وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى व मिन्हा नुख़्रिजुकुम तारतन उख़रा

(और इसमें से फिर तमुको निकालेंगे)

मस'ला १९— दफ्न के बाद थोड़ी देर तक क़ब्र पर ठहरना और मैयत के लिए बख़्शे जाने की दुआ करना या क़ुरआन मजीद पढ़कर उसका सवाब पहुंचाना मुस्तहब है।

मस'ला २०— मिट्टी डालने के बाद क़ब्र पर पानी छिड़कना मुस्तहब है।

मस'ला २१— किसी मैयत को—छोटी हो या बड़ी—मकान के अन्दर दफ्न नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बात अम्बिया अलैहि० के साथ ख़ास है।

मस'ला २२— क़ब्र का चार मुरब्बा (वर्गाकार, चार बराबर भागों में बांटना) बनाना मकरूह है। मुस्तहब यह है कि क़ब्र ऊंट के कुहान की तरह उठी हुई बनाई जाए। उसकी ऊंचाई एक बालिश्त या इससे ज़्यादा होनी चाहिए।

मस'ला २३— क़ब्र का एक बालिश्त से ज़्यादा ऊंचा करना मकरूहे तहरीमी है। क़ब्र पर गच (चूना) करना मकरूह है।

मस'ला २४— कफ्न कर चुकने के बाद क़ब्र पर गुम्बद की तरह कोई इमारत सजावट के लिए बनाना हराम और मजबूरी की नीयत से मकरूह है। क़ब्र पर कोई चीज़ बतौर याददाश्त रखना जायज़ है बशर्ते कि कोई ज़रूरत हो वरना जायज़ नहीं। लेकिन इस ज़माने में चूंकि लोगों ने अपने अक़ायद और आमाल को बहुत ख़राब कर लिया है और इन ख़राबियों से जायज़ भी नाजायज़ हो जाता है। इसलिए ऐसे काम बिल्कुल नाजायज़ होंगे।

मस'ला २५— अगर मैयत को क़ब्र में किबले की तरफ लिटाना

याद नहीं रहा और बाद दफ़न या मिट्टी डाल देने के बाद ख़्याल आए तो उसे क़िबलारू करने के लिए उसकी क़ब्र खोलना जायज़ नहीं। हां अगर सिर्फ़ तख़्ते रखे गए हों मिट्टी न डाली गई हो तो तख़्ते हटाकर उसको क़िबलारू कर देना चाहिये।

मस'ला २६— रोने वाली औरत और बैन करने वालियों का जनाज़े के साथ जाना मना है।

मस'ला २७— मैयत को क़ब्र में रखते वक़्त अज़ान कहना बिदअ़त है।

मस'ला २८— अगर इमाम जनाज़े की नमाज़ में चार तकबीरों से ज़्यादा कहे तो हनफ़ी मुक़्तदियों को चाहिए कि उन ज़ायद तकबीरों में इमाम का साथ न दें बल्कि ख़ामोशी से खड़े रहें। जब इमाम सलाम फेरे तो ख़ुद भी सलाम फेर दें।

मस'ला २९— अगर कोई आदमी किश्ती या जहाज़ पर जाए और वहां से ज़मीन इतनी दूर हो कि लाश के ख़राब होने का डर हो तो उस वक़्त चाहिए कि गुस्ल तक्फ़ीन और नमाज़ के बाद उसे दरिया में डाल दे। लेकिन अगर किनारा इतनी दूर न हो और वहां जल्दी उतरने की उम्मीद हो तो लाश को रख छोड़ें और ज़मीन में ही दफ़्न कर दें।

मस'ला ३०— अगर किसी शख़्स को नमाज़े जनाज़ा की ख़ास दुआ याद न हो तो उसे सिर्फ़

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

"अल्लाहुम्म ग़फ़िर लिल्मुअमिनीन वलमुअमिनाति"

(ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दे और मोमिन मर्दों और औरतों को बख़्श दे)

कह देना काफ़ी है।

मस'ला ३१— जब क़ब्र पर मिट्टी पड़ चुके तो उसके बाद मैयत का क़ब्र से निकालना जायज़ नहीं है। हां, अगर किसी आदमी के पूरे हुकूक़ अदा न किए गए हों तो जायज़ है।

मस'ला १. जिस ज़मीन में उसे दफ़्न किया हो वह किसी दूसरे की जायदाद है और वह उसके दफ़्न कर देने पर तैयार न हो।

मस'ला २. किसी शख़्स का माल क़ब्र में गिर गया हो।

मस'ला ३२— अगर कोई औरत मर जाए और उसके पेट में जिन्दा बच्चा हो तो उसका पेट चाक करके बच्चा निकाल लिया जाये। इसी तरह अगर कोई आदमी का माल निगलकर मर जाए और माल वाला मांगे तो वह माल उसका पेट चाक करके निकाल लिया जाये। लेकिन अगर मुर्दा माल छोड़कर मरा है तो उसके तर्के में से वह माल अदा कर दिया जाए और पेट चाक न किया जाये।

मस'ला ३३— दफ़्न से पहले लाश का एक जगह से दूसरी जगह दफ़्न करने के लिये ले जाना ग़लत है जबकि वह दूसरी जगह एक या दो मील से ज़्यादा न हो। अगर इससे ज़्यादा हो तो जायज़ नहीं और कफ़्न के बाद लाश को खोदकर ले जाना तो हर हालत में नाजायज़ है।

मस'ला ३४— मैयत की तारीफ़, नज़्म या नस्र (गद्य या पद्य) में करना जायज़ है बशर्ते कि तारीफ़ में किसी तरह झूठ न हो। ये तारीफ़ बयान न की जाए जो मरने वाले में न हो।

मस'ला ३५— मैयत के रिश्तेदारों को तसल्ली व दिलासा देना और सब्र के फ़ज़ायल और उसका सवाब उनको सुनाकर सब्र करने की सीख देना और उनके व मैयत के लिये दुआ करना जायज़ है, यही मातमपुर्सी है, तीन दिन के बाद ऐसा करना मकरूहे तन्ज़ीही है लेकिन अगर मातमपुर्सी करने वाला उस वक़्त पहुंचे जबकि मैयत के रिश्तेदार सफ़र में हों और तीन दिन के बाद आएं तो इस सूरत में तीन दिन के बाद मातमपुर्सी मकरूह नहीं। जो आदमी एक बार

मातमपुर्सी कर चुका हो उसे दोबारा ऐसा करना मकरूह है।

मस'ला ३६– अपने लिये कफ़न तैयार रखना मकरूह नहीं। मगर क़ब्र का तैयार रखना मकरूह है।

मस'ला ३७– मैयत के कफ़न पर बग़ैर रोशनाई के वैसे ही उंगली की हरकत से कोई दुआ लिखना या सीने पर बिस्मिल्लाह और माथे पर कलिमा

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

''ला इलाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह0

(अल्लाह के सिवा कोई ख़ुदा नहीं। मुहम्मद सल्ल0 अल्लाह के रसूल हैं)

लिखना जायज़ है। मगर किसी सही हदीस से इसका सबूत नहीं है इसलिये इसके मसनून या मुस्तहब होने का ख़्याल न रखना चाहिये।

मस'ला ३८– क़ब्र पर कोई हरी शाख़ रख देना मुस्तहब है और इसके क़रीब कोई पेड़ वग़ैरा निकल आया हो तो उसका काट डालना मकरूह है।

मस'ला ३९– एक क़ब्र में एक-से ज़्यादा लाशों को दफ़्न नहीं करना चाहिए मगर ज़रूरत के वक़्त जायज़ है। फिर अगर सब मुर्दे मर्द ही हों तो जो उन सबमें सबसे अफ़्ज़ल हो उसे आगे रखें। बाक़ी सबको उसके पीछे दर्जा बदर्जा रख दें और कुछ मर्द हों और कुछ औरतें तो मर्दों को आगे रखें और उनके पीछे औरतों को।

मस'ला ४०– क़ब्रों की ज़ियारत करना यानी उनको ज़ाकर देखना मर्दों के लिए मुस्तहब है। बेहतर यह है कि हर जुमे को क़ब्रों की ज़ियारत की जाये। बुज़ुर्गों की ज़ियारत के लिए सफ़र करके जाना भी जायज़ है जब कि कोई अक़ीदा और अमल शरीअ़त के ख़िलाफ़ न हो जैसा कि आजकल उर्सों में बुराइयां पाई जाती हैं।

6. शहीद की मौत

ऊपरी तौर से शहीद भी मैयत है मगर आम मौत के सब अहकाम इसमें जारी नहीं हो सकते और इसके फज़ायल भी बहुत हैं, इसलिए इसके अहकाम अलग ही ब्यान किए जाते हैं।

शहीद होने के लिए ये शर्तें होनी चाहिए :

मस'ला १– मुसलमान होना– ग़ैर इस्लाम के लिए किसी तरह की शहादत साबित नहीं हो सकती।

मस'ला २– 'आकिल बालिग़ होना– जो आदमी पागलपन में मारा जाए या नाबालिग़ हो तो उसके लिए शहादत के अहकाम साबित नहीं होंगे।

मस'ला ३– बड़ी नापाकी से पाक होना– अगर कोई जनाबत (सम्भोग की नापाकी) या कोई औरत हैज़ या निफ़ास में शहीद हो जाए तो उसके लिए भी शहीद के अहकाम साबित न होंगे।

मस'ला ४– बेगुनाह मकतूल होना– अगर कोई आदमी बेगुनाह मकतूल नहीं हुआ बल्कि शरई जुर्म की सज़ा में मारा गया तो उस के लिए शहीद के अहकाम साबित न होंगे।

मस'ला ५– अगर किसी मुसलमान या कोढ़ी के हाथ से मारा गया हो तो यह भी शर्त है कि किसी सख़्त आले से मारा गया हो। जैसे किसी पत्थर वग़ैरा से मारा जाए तो उस पर शहीद के अहकाम जारी न होंगे लेकिन लोहा पूरी तरह सख़्त आले के हुक्म में है अगर्चे उसमें धार न हो। अगर कोई आदमी लड़ाकू काफ़िरों, बाग़ियों या डाकुओं के हाथ से मारा गया हो या उन की लड़ाई के मारके में मकतूल मिले तो उसमें सख़्त आले से मकतूल होने की शर्त नहीं। यहां तक कि किसी पत्थर वग़ैरा से भी वे लोग मारे और वह मर जाए तो शहीद के अहकाम उस पर जारी हो जाएंगे।

मस'ला ६– क़त्ल की सज़ा में शुरू में शरीअत की तरफ़ से कोई माली बदला ठहरा हो बल्कि ख़ून बहाने का बदला वाजिब हो, इसलिए अगर माली बदला ठहर जाएगा तब भी जैसे मक़तूल पर शहीद के अहकाम जारी न होंगे, अगर वह ज़ुल्म से मारा जाये।

मिसाल नं० १– कोई मुसलमान किसी मुसलमान को सख़्त आले से क़त्ल कर दे।

मिसाल नं० २– कोई मुसलमान किसी मुसलमान को सख़्त आले से क़त्ल करे, मगर किसी क़ुसूर पर जैसे वह किसी जानवर या निशाने पर हमला कर रहा हो और वह किसी इन्सान के लग जाए।

मिसाल नं० ३– कोई शख़्स किसी जगह जंगी मार के अलावा किसी जगह मक़तूल पाया जाए और उसका क़ातिल मालूम न हो।

इस सब सूरतों में चूंकि उस क़त्ल के बदले में माल वाजिब होता है ख़ून का बदला वाजिब नहीं होता इसलिए यहां शहीद के अहकाम जारी न होंगे।

मस'ला ७– ज़ख़्म लगने के बाद फिर कोई काम जैसे खाना-पीना, सोना, दवा और बिक्री व ख़रीद न हो सके और एक वक़्त नमाज़ भी पढ़ने के क़ाबिल न रहे और न उसको होश की हालत में लड़ाई की जगह से उठाकर लाये। हां! अगर जानवरों के पामाल करने के डर से उठा लायें तो कुछ हर्ज न होगा। अगर कोई आदमी ज़ख़्म लगने के बाद ज़्यादा बातें करे तो वह भी शहीद के अहकाम में दाख़िल न होगा। इसलिए कि ज़्यादा क़लाम करना ज़िन्दों की शान है। इसी तरह अगर कोई शख़्स वसीयत करे तो वह वसीयत अगर किसी दुनियावी मामले में हो तो शहीद के हुक्म से ख़ारिज न होगा। अगर कोई शख़्स किसी लड़ाई में शहीद हुआ हो और उस में ये बातें पाई जायें तो शहीद के अहकाम से ख़ारिज हो जाएगा वरना नहीं, लेकिन अगर यह शख़्स लड़ाई में शहीद हुआ और लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई तो वह भी शहीद है।

मस'ला ८– जिस शहीद में ये सब बातें हों उसके लिए एक हुक्म यह है कि उसको ग़ुस्ल न दिया जाये और उसका ख़ून उसके जिस्म से न निकाला जाये उसे वैसे ही दफ़्न कर दिया जाये। दूसरा हुक्म यह है कि वह जो कपड़े पहने हुए हो, उन्हें भी उसके जिस्म से न उतारा जाए। हां! अगर उसके कपड़े मसनून तादाद से कम हों तो इन्हें पूरा करने के लिए और ज़्यादा हों तो उन्हें उतार लिया जाये। और उसके जिस्म पर ऐसे कपड़े हों जिनमें कफ़न होने की सलाहियत न हो जैसे पोस्तीन (बनियान नीचे पहनने की जगह) तो उसे उतार लिया जाये। टोपी, जूता, हथियार, वग़ैरा, वे सब इनके लिए भी जारी होंगी। अगर किसी शहीद में इन शरायत में से कोई शर्त न पाई जाए तो उसे ग़ुस्ल भी दिया जाएगा और दूसरे मुर्दों की तरह उसे कफ़न भी पहनाया जाएगा।

7. मस्जिद के अहकाम

मस'ला १– मस्जिद के दरवाज़े का बन्द करना मकरूह तहरीमी है। हां अगर नमाज़ का वक़्त न हो और माल व असबाब की हिफाज़त के लिए दरवाज़ा बन्द कराया जाए तो जायज़ है।

मस'ला २– जिस घर में मस्जिद हो वह पूरा घर मस्जिद नहीं हो सकता। उसी तरह उस जगह भी मस्जिद नहीं हो सकती जहां ईदैन व जनाज़े की नमाज़ होती है।

मस'ला ३– मस्जिद के दर व दीवार की अपने ख़ास माल से नक़्क़ाशी कराने में कुछ बुराई नहीं है, मगर मेहराब और मेहराब वाली दीवार पर मकरूह है और अगर मस्जिद की आमदनी से हो तो नाजायज़ है।

मस'ला ४– मस्जिद के दर व दीवार पर क़ुरआन मजीद की आयतों या सूरतों का लिखना अच्छा नहीं।

मस'ला ५— मस्जिद के अन्दर या मस्जिद की दीवारों पर थूकना या नाक साफ करना बहुत बुरी बात है। और अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो अपने रूमाल या कुर्ते वग़ैरा में थूक ले और नाक साफ कर ले।

मस'ला ६— मस्जिद के अन्दर वुज़ू या कुल्ली करना मकरूह तहरीमी है।

मस'ला ७— नापाक आदमी और हैज़ वाली औरत को मस्जिद के अन्दर जाना गुनाह है।

मस'ला ८— मस्जिद के अन्दर ख़रीद व बिक्री करना मकरूह तहरीमी है। हां एतकाफ (गोशा नशीन होना जैसा कि रमज़ान के महीने में लोग मस्जिद के एक कोने में बैठ कर इबादत करते हैं) की हालत में ज़रूरत के मुताबिक मस्जिद के अन्दर ख़रीद व बिक्री करना जायज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा उस वक़्त भी जायज़ नहीं मगर वह चीज़ मस्जिद के अन्दर मौजूद न होनी चाहिए।

मस'ला ९— अगर किसी के पैर में मिट्टी वग़ैरा भर जाए तो उसको मस्जिद की दीवार या सतून से साफ करना मकरूह है।

मस'ला १०— मस्जिद के अन्दर पेड़ों का लाना मकरूह है, क्योंकि यह अहले किताब (उन उसूलों के मानने वाले जिन पर कोई ईश्वरीय ग्रन्थ अवतरित हुए हों जैसे यहूदी, ईसाई आदि) का दस्तूर है।

मस'ला ११— मस्जिद का रास्ता बना लेना जायज़ नहीं। हां अगर सख़्त ज़रूरत पड़े तो कभी-कभी ऐसी हालत में मस्जिद से हो कर निकल जाना जायज़ है।

मस'ला १२— मस्जिद में किसी पेशेवर को अपना पेशा करना जायज़ नहीं इस लिए कि मस्जिद दीन के कामों ख़ास तौर से नमाज़ के लिए बनाई जाती है। उसमें दुनिया के काम न होने चाहिएं यहां तक कि जो आदमी कुरआन वग़ैरा तनख़्वाह लेकर पढ़ाता हो वह भी

पेशे वालों में दाखिल है। उसको मस्जिद से अलग बैठकर पढ़ाना चाहिए।

हदीस १— नबी करीम सल्ल0 ने फरमाया कि जो शख़्स अल्लाह तआला के लिए मस्जिद बनाता है तो उसका घर जन्नत में होगा।

हदीस २— नबी करीम सल्ल0 ने फरमाया कि मस्जिद में झाड़ू देना, मस्जिद को पाक साफ रखना, मस्जिद का कूड़ा-करकट फेंक देना, उसमें खुश्बू सुलगाना, ख़ास तौर से जुमे के दिन मस्जिद में खुश्बू सुलगाना ये सब काम जन्नत में ले जाने वाले हैं।

हदीस ३— नबी करीम सल्ल0 ने फरमाया कि मस्जिद बनाने वाले के लिए मस्जिद की तरह जन्नत में घर बना दिया जाता है।

हदीस ४— नबी करीम सल्ल0 ने फरमाया कि मस्जिद बनाना सदा बाकी रहने वाला नेक अमल है।

हदीस ५— नबी करीम सल्ल0 ने फरमाया कि दुनिया में ज़मीन का सबसे अच्छा टुकड़ा अल्लाह की नज़र में वह है जिस पर मस्जिद बनाई जाये और सबसे बुरा ज़मीन का वह हिस्सा है जिस पर बाज़ार बनाया जाये।

किताबुस्सौम

रोज़ा का बयान

हदीस शरीफ़ में रोज़ा का बड़ा सवाब आया है और अल्लाह तआ़ला के नज़दीक रोज़ादार का बड़ा रुत्बा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जिस शख़्स ने रमज़ान के रोज़े महज़ अल्लाह के वास्ते सवाब समझ कर रखे तो उस के सब अगले गुनाह बख़्श दिए जाएंगे और ये भी फ़रमाया है की रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह तआ़ला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़ियादा प्यारी है। क़ियामत के दिन रोज़े का बेहद सवाब मिलेगा।

मस'ला – रमज़ान शरीफ़ के रोज़े हर मुसलमान पर 'मजनून और नाबालिग़ न हो फ़र्ज़ है जब तक कोई उज़्र न हो रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं और अगर कोई रोज़े की नज़्र करे तो नज़्र कर लेने से रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है, और क़ज़ा और कफ़्फ़ारे के रोज़े भी फ़र्ज़ हैं और इसके सिवा और रोज़े नफ़्ल हैं रखे तो सवाब है और न रखे तो कोई गुनाह नहीं अलबत्ता ईद और बकरईद के दिन से तीन दिन बाद तक रोज़ा रखना हराम है।

मस'ला – जब से फज्र का वक़्त आता है, उस वक़्त से लेकर सूरज डूबने तक रोज़ा की नीयत से सबकुछ खाना पीना छोड़ देना और जमअ् न करना शरीयत में उस रोजा कहते है।

मस'ला – ज़बान से नीयत करना और कुछ कहना जरूरी नहीं है बल्कि जब दिल में यह ध्यान है कि आज मेरा

रोज़ा है और दिन भर न कुछ खाया न पीया न जमअ् किया तो उसका रोज़ा हो गया और अगर कोई ज़बान से भी यह कह दे या अल्लाह मैं कल तेरा रोज़ा रखूंगा या अरबी में ये कह दे कि 'बिसौमि ग़दिन नवैतु' तो भी कुछ हरज नहीं यह भी बेहतर है।

मस'ला – अगर किसी ने न दिन भर कुछ खाया न पीया, सुब्ह से शाम तक भूखा पियासा रहा लेकिन दिल में रोज़े का इरादा न था बल्कि भूख नहीं लगी या किसी वजह से कुछ खाने पीने की नौबत न आई तो उसका रोज़ा नहीं हुआ अगर दिल में रोज़े का इरादा कर लेता तो रोज़ा हो जाता।

मस'ला – शरीअत में रोज़े का वक़्त सुबहे सादिक़ से शुरू होता है इसलिए जब तक सुबहे सादिक न हो खाना, पीना वग़ैरह सब कुछ जाइज है। कुछ औरतें पिछले पहर ही को सेहरी खाकर रोज़ा की नीयत की दुआ पढ़कर लेट रहती हैं और यह समझती हैं कि अब नीयत कर लेने के बाद कुछ खाना पीना न चाहिए, ये ख़्याल ग़लत है जबतक सुबह न हो बराबर खाती पीती रहें चाहे नीयत कर चुकी हो या अभी न की हो।

रमज़ान शरीफ़ के रोज़े का बयान

मस'ला – रमज़ान शरीफ़ के रोज़े की अगर रात से नीयत करले तो भी फर्ज़ अदा हो जाएगा और रात को रोज़ा रखने का इरादा न था बल्कि सुब्ह हो गई तबभी यही ख़्याल रहा कि मैं आज का रोज़ा न रखूंगा फिर दिन चढ़े ख़्याल आया कि फ़र्ज़ छोड़ देना बुरी बात है इसलिए अब रोज़े की नीयत कर ली तब भी रोज़ा हो गया लेकिन अगर सुब्ह को कुछ खा पी लीया हो तो अब नीयत नहीं कर सकता

मस'ला २— अगर कुछ खाया-पीया न हो तो दिन को ठीक दोपहर से एक घंटा पहले-पहले रमज़ान के रोज़े की नीयत कर लेना दुरुस्त है।

मस'ला ३— रमज़ान शरीफ़ के रोज़े में इतनी नीयत कर लेना काफ़ी है कि आज मेरा रोज़ा है या रात को इतना सोच ले कि कल मेरा रोज़ा है। बस इतनी ही नीयत से रमज़ान का रोज़ा अदा हो जाएगा।

मस'ला ४— किसी ने नज़र मानी थी कि उसका कोई काम हो जाये तो वह अल्लाह के लिए एक या दो रोज़े रखेगा। फिर जब रमज़ान आया तो उसने इसी नज़र के रोज़े रखने की नीयत की रमज़ान के रोज़े की नहीं, तब भी रमज़ान का ही रोज़ा हुआ नज़र का रोज़ा अदा नहीं हुआ। नज़र के रोज़े रमज़ान के बाद फिर रखे। मतलब यह कि रमज़ान के महीने में जब किसी रोज़े की नीयत की जाएगी तो रमज़ान का ही रोज़ा होगा कोई और रोज़ा सही न होगा।

मस'ला ५— शबा'न की २९वीं तारीख़ को रमज़ान शरीफ का चांद निकल आए तो सुबह को रोज़ा रखे और अगर चांद न दिखाई दे तो सुबह को रोज़ा न रखे। हदीस शरीफ़ में इसके लिए मना फ़रमाया गया है बल्कि शाबा'न के तीस दिन पूरे करके रमज़ान शरीफ़ के रोज़े शुरू करे।

मस'ला ६— २९वीं तारीख़ को अब्र की वजह से रमज़ान शरीफ़ का चांद नहीं दिखाई दिया तो सुबह को नफ़्ली रोज़ा भी न रखे। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि हमेशा पीर और जुमेरात या किसी और दिन का रोज़ा रखा करते और अगले दिन वही दिन है तो नफ़्ल की नीयत से सुबह का रोज़ा रख लेना बेहतर है। अगर कहीं से चांद की ख़बर आ गई तो उसी नफ़्ली रोज़े से रमज़ान का फ़र्ज़ अदा हो गया। अब उसकी क़ज़ा न रखें।

मस'ला ७— बदली की वजह से २९ का चांद नहीं दिखाई दिया

तो दोपहर से एक घंटे पहले कुछ खाये न पीये। अगर कहीं से ख़बर आ जाए तो अब रोज़े की नीयत कर ले और अगर ख़बर न आए तो खाये-पीये।

मस'ला ८– २९ तारीख़ को चांद नहीं हुआ तो यह ख़्याल न करें कि कल का दिन रमज़ान का तो नहीं, लाओ मेरे ज़िम्मे पार साल का एक रोज़ा कज़ा है, उसकी कज़ा कफ़्फ़ारे और नज़र का रोज़ा भी मकरूह है। कोई भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अगर कज़ा या नज़र का रोज़ा रख लिया तो फिर चांद की ख़बर कहीं से आ गई तब भी रमज़ान का ही रोज़ा अदा हो गया। कज़ा और नज़र का रोज़ा फिर रखें और अगर ख़बर नहीं आई तो जिस रोज़े की नीयत की थी वही अदा हो गया।

3. चाँद देखना

मस'ला १– अगर आसमान पर गुबार या बादल है और रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया लेकिन एक दीनदार और परहेज़गार सच्चे आदमी ने गवाही दी कि उसने रमज़ान का चांद देखा है तो चांद का सुबूत हो गया चाहे वह मर्द हो या औरत।

मस'ला २– अगर बदली की वजह से ईद का चांद दिखाई न दिया तो एक आदमी की गवाही का एतबार नहीं है। चाहे जितना बड़ा भरोसे का आदमी हो बल्कि जब दो भरोसे वाले और परहेज़गार या एक दीनदार मर्द और दो दीनदार औरतें अपने चांद देखने की गवाही दें तब चांद का सबूत होगा और यदि चार औरतें गवाही दें तब भी कुबूल नहीं।

मस'ला ३– जो आदमी दीन का पाबन्द नहीं और बराबर गुनाह करनता रहता है। जैसे: नमाज़ नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, झूठ

बोला करता है या कोई और गुनाह करता है शरीअत की पाबन्दी नहीं करता तो शरअ् में उसकी बात का कुछ एतबार नहीं है। चाहे वह जितनी कस्में खाकर बयान करे बल्कि अगर दो, तीन आदमी हों तो उनका भी कोई ऐतबार नहीं।

मस'ला ४— अगर आसमान बिल्कुल साफ हो तो दो-चार आदमियों के कहने और गवाही देने से चाँद साबित न होगा, चाहे रमज़ान का चाँद हो या ईद का। अलबत्ता इतने ज़्यादा लोग अपना चांद देखना ब्यान करें कि दिल गवाही देने लगे कि वे सब बात बनाकर नहीं आये तो उतने लोगों का झूठा होना किसी भी तरह नहीं हो सकता तब चांद साबित होगा।

मस'ला ५— शहर भीर में यह ख़बर मशहूर हो कि कल चांद हुआ और बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन ढूंढ़ा तलाश किया फिर भी कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता जिसने खुद चांद देखा हो तो ऐसी ख़बर का कुछ ऐतबार नहीं है।

मस'ला ६— एक शहर वालों का चांद देखना दूसरे शहर वालों पर भी गवाही है। उन दोनों शहर वालों में कितना ही फ़ासला क्यों न हो, यहां तक कि शुरू मग़रिब (पश्चिम वासी) में चांद देखा जाए और इसकी ख़बर यकीन के साथ मशरिक (पूर्व वासी) के आख़िर में रहने वालों को पहुंच जाए तो उन पर उस दिन का रोज़ा ज़रूरी होगा।

मस'ला ७— अगर दो भरोसे वाले आदमियों की शहादत से चांद का देखा जाना साबित हो जाए और उसी हिसाब से लोग रोज़ा रखें। तीस रोज़े पूरे हो जाने के बाद ईदुल फित्र का चांद न देखा जाए—चाहे आसमान साफ हो या न हो तो ३१वें दिन इफ्तार कर लिया जाए और वह दिन शव्वाल की पहली तारीख़ समझी जाये।

मस'ला ८— अगर तीस तारीख़ को दिन के वक़्त चांद दिखाई दे तो वह अगली रात का समझा जाएगा चाहे चांद ज़वाल से पहले दिखाई दे या बाद में।

मस'ला ९— जो आदमी रमज़ान या ईद का चांद देखे और किसी वजह से उसकी शहादत शरई तौर पर भरोसे वाली न हो तो उस पर उन दोनों दिनों का रोज़ा रखना वाजिब है।

4. सह्‌री और इफ़्तार

मस'ला १— सह्‌री खाना सुन्नत है अगर्चे भूख न हो और खाना न खाये तो कम-से-कम तीन छुहारे ही खा ले या कोई और थोड़ी-बहुत चीज़ खा ले। अगर कुछ नहीं तो थोड़ा-सा पानी ही पी ले।

मस'ला २— अगर किसी ने सह्‌री न खाई और उठकर पान खा लिया तब भी सह्‌री खाने का सवाब मिल गया।

मस'ला ३— सह्‌री में जहां तक हो सके, देर करके खाना अच्छा है लेकिन इतनी देर न हो कि सुबह होने लगे और रोज़े में शक पड़ जाए।

मस'ला ४— अगर सह्‌री बड़ी जल्दी खा ली मगर उसके बाद पान, तम्बाकू, चाय या पानी देर तक खाता रहा। जब सुबह होने में थोड़ी देर रह गई तब कुल्ली कर डाली, तब भी देर करके खाने का सवाब मिल गया और उसके लिए भी वही हुक्म है जो देर करके खाने का है।

मस'ला ५— अगर रात को सह्‌री खाने के लिए आंख न खुली और सब सोते रहे तो सुबह को बिना सह्‌री का रोज़ा रखे। सह्‌री छूट जाने से रोज़ा छोड़ देना बड़ी कम-हिम्मती की बात है और बड़ा गुनाह है।

मस'ला ६— किसी की आंख देर में खुली और यह ख़्याल हुआ कि अभी रात बाकी है। इस गुमान पर सह्‌री खा ली। फिर मालूम हुआ कि सुबह हो जाने के बाद सह्‌री खाई थी तो रोज़ा नहीं हुआ।

कज़ा रोज़ा रखे और कफ्फारा वाजिब नहीं। लेकिन फिर भी कुछ खाए-पीए नहीं। रोज़ेदारों की तरह रहे। इसी तरह अगर सूरज डूबने के गुमान से रोज़ा खोल लिया, फिर सूरज निकल आया तो रोज़ा जाता रहा, उसकी कज़ा करे। कफ्फारा वाजिब नहीं और जब तक सूरज डूब न जाए कुछ खाना-पीना दुरुस्त नहीं।

मस'ला ७– अगर इतनी देर हो गई कि सुबह हो जाने का शक पड़ गया तो अब कुछ खाना-पीना मकरूह है, अगर ऐसे वक़्त कुछ खा-पी लिया तो बुरा किया और गुनाह हुआ। फिर अगर मालूम हुआ कि उस वक़्त सुबह हो गई थी तो उस रोज़े की कज़ा रखे। अगर कुछ न मालूम हो और शक ही शक रह जाए तो कज़ा रखना वाजिब नहीं है, लेकिन एहतियात की बात यह है कि उसकी कज़ा रख ले।

मस'ला ८– मुस्तहब यह है कि सूरज वाकई डूब जाए तो उसी वक़्त रोज़ा खोल ले। देर करके रोज़ा खोलना मकरूह है।

मस'ला ९– बदली के दिन थोड़ी देर करके रोज़ा खोल ले, जब खूब यकीन हो जाए कि सूरज डूब गया होगा तब इफ़्तार करें और सिर्फ घड़ी घंटे पर कुछ यकीन न करे जब तक दिल गवाही न दे क्योंकि घड़ी शायद कुछ ग़लत हो गई हो बल्कि अगर कोई अज़ान भी कह दे, लेकिन अभी वक़्त होने में कुछ शक है तब भी रोज़ा खोलना दुरुस्त नहीं।

मस'ला १०– छुआरे से रोज़ा खोलना बेहतर है या और कोई मीठी चीज़ हो उससे खोले। वह भी न हो तो पानी से इफ़्तार कर ले। कुछ औरतें और कुछ मर्द नमक की कंकरी से इफ़्तार करते हैं और इसमें सवाब समझते हैं, यह सोचना ग़लत है।

मस'ला ११– जब तक सूरज डूबने में शक रहे, तब तक इफ़्तार जायज़ नहीं है।

5. क़ज़ा रोज़े रखना

मस'ला १— जो रोज़े किसी वजह से जाते रहे हों, रमज़ान के बाद जहां तक जल्दी हो सके उनकी कज़ा रख ले, देर न करे। बेवजह कज़ा रखने में देर लगाना गुनाह है।

मस'ला २— रोज़े की कज़ा में दिन तारीख़ ठहरा कर कज़ा की नीयत करना कि फलां तारीख़ के रोज़े की कज़ा रखता हूं, यह ज़रूरी नहीं है, बल्कि जितने भी रोज़े कज़ा हों उतने ही रख लेना चाहिए अलबत्ता दो रमज़ानों के कुछ रोज़े कज़ा हो गए, इसलिए दोनों साल के रोज़ों की कज़ा रखना है तो साल का ठहराना ज़रूरी है, यानी इस तरह नीयत करे कि फलां साल के रोज़ों की कज़ा रखता हूं।

मस'ला ३— कज़ा रोज़े में रात से नीयत करना ज़रूरी है। अगर सुबह हो जाने के बाद नीयत की तो कज़ा सही नहीं हुई बल्कि वह रोज़ा नफ़्ल हो गया। कज़ा का रोज़ा फिर से रखे।

मस'ला ४— कफ़्फ़ारे के रोज़े का भी यही हुक्म है कि रात से नीयत करना चाहिए। अगर सुबह होने के बाद नीयत की तो कफ़्फ़ारे का रोज़ा सही नहीं हुआ।

मस'ला ५— जितने रोज़े कज़ा हो गए हों उन सबके चाहे एक दम रखे या थोड़े-थोड़े करके रखे, दोनों बातें ठीक हैं।

मस'ला ६— अगर रमज़ान के रोज़े अभी कज़ा नहीं रखे और दूसरा रमज़ान आ गया तो अब रमज़ान के अदा रोज़े रखे और ईद के बाद कज़ा रोज़े रखे, लेकिन इतनी देर करना बुरी बात है।

मस'ला ७— रमज़ान के महीने में दिन को बेहोश हो गया और तीन दिन तक बराबर बेहोश रहा तो कुल दो दिन रोज़े कज़ा रखे। जिस दिन बेहोश हुआ उस एक दिन की कज़ा वाजिब नहीं, क्योंकि उस दिन का रोज़ा नीयत की वजह से दुरुस्त हो गया। हां अगर उस

दिन रोज़े से था या उस दिन हलक में कोई दवा डाली और वह हलक से उतर गई तो उस दिन की कज़ा भी वाजिब है।

मस'ला ८– अगर रात को बेहोश हुआ तो तब भी जिस रात को बेहोश हुआ उस एक दिन की कज़ा वाजिब नहीं है, बाकी और जितने दिन बेहोश रहा सबकी कज़ा वाजिब है। हाँ, अगर उस रात को सुबह का रोज़ा रखने की नीयत न थी या सुबह को कोई दवा हलक में डाली गई तो उस दिन का रोज़ा भी कज़ा रखें।

मस'ला ९– अगर पूरे रमज़ान बेहोश रहे तब भी कज़ा रखना चाहिए। यह न समझे कि सब रोज़े माफ हो गये। अलबत्ता अगर पागलपन हो गया और पूरे रमज़ान दीवाना रहा तो उस रमज़ान के किसी रोज़े की कज़ा वाजिब नहीं और अगर रमज़ान शरीफ के महीने में किसी दिन पागलपन जाता रहा और अक्ल ठिकाने हो गई तो तब ही रोज़े रखना शुरू करे और जितने दिन पागलपन में गए उनकी कज़ा भी रखे।

6. नज़र का रोज़ा

मस'ला १– जब कोई नज़र माने तो उसका पूरा करना वाजिब है, अगर पूरा न करेगा तो गुनाहगार होगा।

मस'ला २– नज़र दो तरह की होती है– एक तो यह कि दिन तारीख़ तय करे नज़र मानी कि या अल्लाह! आज अगर फलां काम हो जाये तो कल ही तेरा रोज़ा रखूंगा या यूं कहा कि या अल्लाह! मेरी फलां मुराद पूरी हो जाये तो परसों जुमे के दिन रोज़ा रखूंगा। ऐसी नज़र में अगर रात से नीयत कर लें तब भी दुरुस्त है और अगर रात से रोज़े की नीयत न की तो दोपहर से एक घंटा पहले नीयत कर ले तो यह भी दुरुस्त है। नज़र अदा हो जायेगी।

मस'ला ३– जुमे के दिन रोज़ा रखने की नज़र मानी और जब जुमा आया तो बस इतनी नीयत कर ली कि आज मेरा रोज़ा है। यह तय नहीं किया कि यह नज़र का रोज़ा है या नफ़्ल मगर नीयत कर ली कि आज मेरा रोज़ा है, तब भी नज़र का रोज़ा अदा हो गया अलबत्ता उस जुमे को क़ज़ा रोज़ा रख लिया और नज़र का रोज़ा याद न रहा या याद था मगर जानकर क़ज़ा का रोज़ा रखा तो नज़र का रोज़ा अदा न होगा बल्कि क़ज़ा का रोज़ा हो जाएगा। नज़र का रोज़ा फिर रखें।

मस'ला ४– दूसरी नज़र यह है कि दिन तारीख़ तय करके नज़र नहीं मानी बस इतना ही कह दिया कि अल्लाह मेरा फ़लां काम हो जाये तो एक रोज़ा रखूंगा या किसी काम का नाम नहीं लिया वैसे ही कह दिया कि पांच रोज़े रखूंगा। ऐसी नज़र में रात से नीयत करना शर्त है। अगर सुबह हो जाने के बाद नीयत की तो नज़र का रोज़ा नहीं हुआ बल्कि रोज़ा नफ़्ल हो गया।

7. नफ़्ली रोज़ा

मस'ला १– नफ़्ली रोज़े की नीयत अगर यह करके करे कि मैं नफ़्ल का रोज़ा रखता हूं तब भी ठीक है अगर इतनी ही नीयत कर ले कि मैं रोज़ा रखता हूं तब भी ठीक है।

मस'ला २– दोपहर से एक घंटा पहले तक नफ़्ली रोज़े की नीयत कर लेना दुरुस्त है। जैसे अगर दस बजे दिन तक रोज़ा रखने का इरादा न था लेकिन अभी तक कुछ खाया-पीया नहीं और जी में आ गया और रोज़ा रख लिया तो भी दुरुस्त है।

मस'ला 3– रमज़ान शरीफ़ के महीने के सिवा जिस दिन चाहे नफ़्ल का रोज़ा रखे। जितने रोज़े रखे जायेंगे उतना ही सवाब पायेगा।

अलबत्ता ईद के दिन और बकरईद की दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं तारीख़ के यानी साल भर में कुल पांच रोज़े हराम हैं। इसके सिवा बाकी सब रोज़े दुरुस्त हैं।

मस'ला ४– अगर कोई आदमी ईद के दिन रोज़ा रखने की मिन्नत माने तब भी उस दिन का रोज़ा दुरुस्त नहीं, इसके बदले किसी और दिन रख ले।

मस'ला ५– नफ्ल का रोज़ा नीयत करने से वाजिब हो जाता है तो अगर सुबह को यह नीयत की कि आज मेरा रोज़ा है। फिर उसके बाद तोड़ दिया तो अब उसकी कज़ा रखे।

मस'ला ६– शौहर की बग़ैर इजाज़त के औरत का नफ्ली रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं। अगर बग़ैर उसकी इजाज़त लिए रोज़ा रख लिया तो उसके तुड़वाने से तोड़ देना दुरुस्त है। फिर जब वह कहे तो उसकी कज़ा रखे।

मस'ला ७– किसी के यहां मेहमान गया या किसी ने दावत कर दी और खाना न खाने से उसका दिल बुरा होगा, कि दिल शिक्नी होगी तो उसकी ख़ातिर नफ्ली रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है।

मस'ला ८– किसी ने ईद को दिन नफ्ली रोज़ा रख लिया और नीयत कर ली तब भी तोड़ देना चाहिए और उसकी कज़ा भी रखना वाजिब नहीं।

मस'ला ९– मुहर्रम की दसवीं तारीख़ को रोज़ा रखना मुस्तहब है। हदीस शरीफ में आया है कि जो कोई यह रोज़ा रखे उसके गुज़रे हुए एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं।

मस'ला १०– इसी तरह बकरईद की नवीं तारीख़ को रखने का भी बड़ा सवाब है। इससे एक साल के अगले और एक साल के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं और अगर शुरु चांद से ९वीं तक बराबर रोज़े रखे तो बहुत ही बेहतर है।

मस'ला ११– शा'बान की पन्द्रहवीं और ईद के महीने में छः

दिन नफ़्ली रोज़े रखने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है।

मस'ला १२— अगर हर महीने की तेरवहीं, पन्द्रहवीं तारीख़ को तीन दिन रोज़े रख लिया करे तो यह ऐसा है जैसे साल भर बराबर रोज़े रखे। हुज़ूर अक़दस सल्ल0 तीनों दिन रोज़े रखा करते थे। ऐसे ही हर दोशम्बा (पीर, सोमवार) व जुमेरात के दिन भी रोज़ा रखा करते थे अगर कोई हिम्मत करे तो इनका भी बहुत सवाब है।

8. रोज़े की क़ज़ा और कफ़्फ़ारा

मस'ला १— अगर रोज़ादार भूलकर कुछ खा पी ले, भूल से सोहबत कर ले तो रोज़ा नहीं जाता, चाहे पेट भर कर ही खाए।

मस'ला २— एक आदमी को भूल कर कुछ खाते-पीते देखा तो वह अगर इतना ताक़तवर है कि रोज़े से ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी तो रोज़ा याद दिलाना वाजिब है और अगर कोई कमज़ोर है कि रोज़े से तकलीफ होगी तो उसको याद न दिलाए, खाने दे।

मस'ला ३— दिन को सो जाने पर ऐसा ख़्वाब देखा जिससे नहाने की ज़रूरत हो गई। तो रोज़ा नहीं टूटा।

मस'ला ४— दिन को सुर्मा लगाना, तेल लगाना या खुशबू सूंघना दुरुस्त है इससे रोज़े में कुछ नुक़सान नहीं होता, चाहे जिस वक़्त भी हो। बल्कि अगर सुर्मा लगाने के बाद थूक या नाक रेंठ में सुर्मे का रंग दिखाई दे तो भी रोज़ा नहीं गया और न मकरूह हुआ।

मस'ला ५— मर्द औरत का साथ लेटना, हाथ लगाना, प्यार करना, ये सब दुरुस्त है, लेकिन अगर जवानी का जोश इतना हो कि बातों से सोहबत करने का डर हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यह मकरूह है।

मस'ला ६— हलक के अन्दर मक्खी चली गई या आप ही आप धुआं, गर्द व मिट्टी चली गई तो रोज़ा नहीं गया अलबत्ता अगर जानकर ऐसा किया तो रोज़ा जाता रहा।

मस'ला ७— लोबान वग़ैरा की कोई धुनी सुलगाई। फिर उसको अपने पास रखकर सूंघा तो रोज़ा जाता रहा। इसी तरह हुक्का पीने से भी रोज़ा जाता रहता है। अलबत्ता उस धुएं के सिवा इत्र, केवड़ा, गुलाब, फूल या ख़ुश्बू सूंघना जिसमें धुआं न हो, दुरुस्त है।

मस'ला ८— दांतों में गोश्त का रेशा अटका हुआ था या छाली का टुकड़ा वग़ैरा कोई और चीज़ थी उसको ख़िलाल से निकालकर खा लिया, लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकला, आप ही आप हलक में चला गया। अगर वह चने से कम है तब रोज़ा नहीं गया लेकिन अगर चने के बराबर या उससे ज़्यादा है तो रोज़ा जाता रहा। हां, अगर मुंह से बाहर निकाल लिया था और फिर उसे निगला तो हर हालत में रोज़ा टूट जायेगा चाहे वह चने के बराबर हो या उस से कम—दोनों के लिए एक ही हुक्म है।

मस'ला ९— अगर पान खाकर कुल्ली की और ग़रारे करके अपना मुंह साफ़ कर लिया लेकिन थूक की सुर्ख़ी नहीं गई तो इसका कुछ हर्ज नहीं, रोज़ा हो गया।

मस'ला १०— रोज़े में थूक निगलने से रोज़ा नहीं जाता चाहे जितना हो।

मस'ला ११— रात को नहाने की ज़रूरत हुई मगर गुस्ल न किया और दिन को नहा लिया था तब रोज़ा हो गया बल्कि अगर दिन भर न नहाए तब भी रोज़ा नहीं जाता अलबत्ता उसका गुनाह अलग होगा।

मस'ला १२— नाक को इस ज़ोर से सुड़का कि वह हलक में चली गई तो रोज़ा नहीं टूटा। इसी तरह मुंह की राल सुड़क कर निगल जाने से भी रोज़ा नहीं जाता।

मस'ला १३— मुंह में पान दबाकर सोए और सुबह हो जाने के

बाद आंख खुली, रोज़ा नहीं रहा। इसकी कज़ा रखे, कफ्फारा वाजिब नहीं।

मस'ला १४— आप ही आप क़य हो गई तो रोज़ा नहीं गया। चाहे थोड़ी-सी हुई हो या ज़्यादा। हां! जानकर की हो और मुंह भरकर हुई हो तो रोज़ा जाता रहा। और अगर इससे कम हो तो खुद करने से भी रोज़ा नहीं गया।

मस'ला १५— थोड़ी-सी क़य आई। फिर आप ही आप हलक में गई तब भी रोज़ा नहीं टूटा अलबत्ता अगर जानकर उसे लौटा लिया तो टूट जायेगा।

मस'ला १६— किसी ने कंकरी या लोहे का टुकड़ा वग़ैरा कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसको नहीं खाया जाता और न उसे कोई दवा के तौर पर ही खाता है तो उसका रोज़ा जाता रहा लेकिन उस पर कफ्फारा वाजिब नहीं। अगर ऐसी चीज़ा खाई या पी जिसको लोग खाते-पीते हैं या बतौर दवा इस्तेमाल करते हैं तब भी रोज़ा जाता रहा। इस हालत में कज़ा और कफ्फारा दोनों वाजिब है।

मस'ला १७— अगर मर्द ने सोहबत की तब भी रोज़ा जाता रहा। उसकी कज़ा भी रखें और कफ्फारा भी दें। जब कि पेशाब की जगह वाली सुपारी औरत की पेशाबगाह के अन्दर चली गई तो रोज़ा टूट गया। तब कज़ा व कफ्फारा दोनों वाजिब हो गये—चाहे मनी निकली या नहीं निकली।

मस'ला १८— अगर मर्द ने औरत के पाख़ाने की जगह अपने पेशाब वाला हिस्सा कर दिया और सुपारी अन्दर चली गई तब भी औरत और मर्द दोनों का रोज़ा जाता रहा। कज़ा व कफ्फारा दोनों वाजिब हैं।

मस'ला १९— रोज़े तोड़ने से कफ्फारा तब ही लाज़िम है जबकि रमज़ान शरीफ में रोज़ा तोड़ डाले और रमज़ान शरीफ के अलावा और किसी रोज़े के तोड़ने से कफ्फारा वाजिब नहीं होता। चाहे जिस

तरह तोड़े अगरचे वह रमज़ान की कज़ा ही क्यों न हो।

मस'ला २०— औरत को रोज़े में पेशाब की जगह कोई दवा रखना या तेल वग़ैरा कोई चीज़ डालना दुरुस्त नहीं। अगर किसी ने दवा रख ली तो रोज़ा जाता रहा। उसकी कज़ा वाजिब है, कफ्फ़ारा वाजिब नहीं।

मस'ला २१— अगर किसी ज़रूरत से दाई ने पेशाब की जगह उंगली डाली खुद उसने अपनी उंगली डाली फिर पूरी उंगली या थोड़ी-सी उंगली निकालने के बाद अन्दर कर दी तो रोज़ा जाता रहा। लेकिन कफ्फ़ारा वाजिब नहीं। अगर निकाल लेने के बाद फिर नहीं की तो रोज़ा नहीं गया हां, अगर पहले से पानी वग़ैरा किसी चीज़ में उंगली भीगी हुई हो तो पहली बार करने से भी रोज़ा जाता रहा।

मस'ला २२— मुंह से खून निकलता है, उसे थूक के साथ निगल लिया तो रोज़ा टूट गया अलबत्ता अगर खून थूक से कम हो और खून का मज़ा हलक में हो तो रोज़ा नहीं टूटा।

मस'ला २३— अगर ज़बा से कोई चीज़ चखकर थूक दी तो रोज़ा नहीं टूटा लेकिन बिना ज़रूरत ऐसा करना मकरूह है। हां, अगर किसी औरत का शौहर बड़ा ही बदमिज़ाज है और उसे यह डर हो कि सालन में नमक पानी दुरुस्त न हो तो नाक में दम कर देगा तो उसे नमक चख लेना दुरुस्त है और मकरूह नहीं है।

मस'ला २४— अपने मुंह से चबाकर छोटे बच्चे को कोई चीज़ खिलाना मकरूह है। अलबत्ता अगर इसकी ज़रूरत पड़े और मजबूरी व लाचारी हो जाए तो मकरूह नहीं।

मस'ला २५— कोयला चबाकर दांत साफ करना और मंजन से उन्हें साफ करना मकरूह है और इसमें से कुछ हलक में उतर जाएगा तो रोज़ा जाता रहेगा। मिस्वाक से दांत साफ करना दुरुस्त है चाहे सूखी मिस्वाक हो या तर हो—उसी वक़्त की तोड़ी हुई हो। अगर नीम की है और उसका कड़वापन मुंह में मालूम होता है तब भी मकरूह नहीं।

मस'ला २६— कोई औरत बेख़बर सो रही थी या बेहोश थी और उसके शौहर ने उससे ज़बरदस्ती सोहबत की तो रोज़ा जाता रहा। बस कज़ा वाजिब है। कफ्फारा वाजिब नहीं और मर्द पर कफ्फारा भी वाजिब है।

मस'ला २७— किसी ने भूले से कुछ खा लिया और यों समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया इस वजह से जान-बूझकर कुछ खा लिया, तो अब रोज़ा जाता रहा, सिर्फ कज़ा वाजिब है, कफ्फारा वाजिब नहीं और अगर मस'ला जानता हो और फिर भूलकर ऐसा करने के बाद जानकर इफ्तार कर दे, तो सोहबत की सूरत में कफ्फारा भी होगा और खाने की सूरत में उस वक्त भी सिर्फ कज़ा ही है।

मस'ला २८— अगर किसी को एकदम क़य हुई या एहतलाम हो गया और वह यह समझा कि उसका रोज़ा टूट गया। इस गुमान पर फिर जानकर खा लिया और रोज़ा तोड़ दिया तब भी कज़ा वाजिब है, कफ्फारा वाजिब नहीं और अगर मस'ला मालूम हो कि इससे रोज़ा नहीं जाता और जानकर इफ्तार कर लिया तो कफ्फारा भी लाज़िम हुआ।

मस'ला २९— अगर सुर्मा लगाया, फस्द ली या तेल डाला और समझा कि रोज़ा टूट गया फिर जानकर खा लिया तो कज़ा व कफ्फारा दोनों लाज़िम है।

मस'ला ३०— मर्द अगर अपने ख़ास हिस्से के सुराख़ में कोई चीज़ डाले तो वह पेट तक नहीं पहुंचती इसलिए रोज़ा फासिद न होगा।

मस'ला ३१— किसी मुर्दा औरत या किसी ऐसी कमसिन लड़की के साथ जिससे सोहबत करने की ख़्वाहिश नहीं होती या किसी जानवर से सोहबत की, उसे लिपटाया या बोसा लिया या हाथ से मनी निकाली और इन सब सूरतों में मनी निकली तो रोज़ा फासिद हो जाएगा और कफ्फारा वाजिब न होगा।

मस'ला ३२– वह आदमी जिसमें रोज़े वाजिब होने की सब शर्तें पाई जाती हों रमज़ान के उस रोज़े में जिसकी नीयत सुबह सादिक से पहले कर चुका हो जानकर मुंह के रास्ते से पेट में कोई ऐसी चीज़ पहुंच जाए जो इन्सान की दवा या गिज़ा में इस्तेमाल की जाती है अगरचे वह बहुत-ही थोड़ी हो, यहां तक कि एक तिल के बराबर ही हो या सोहबत करे या कराए। नर बाज़ी भी इसी हुक्म में है। सोहबत में ख़ास हिस्से के सर का दाख़िल हो जाना काफी है मनी का ख़ारिज होना भी शर्त नहीं। इन सब सूरतों में कज़ा और कफ्फारा दोनों ही वाजिब होंगे।

मस'ला ३३– जो लोग हुक्का पीने के आदी हों या किसी फ़ायदे की वजह से पीयें तो रोज़े की हालत में उन पर भी कफ्फारा और कज़ा दोनों वाजिब होंगे।

मस'ला ३४– अगर कोई औरत किसी नाबालिग़ बच्चे या मजनूं से सोहबत कराए तब भी उसको कज़ा व कफ्फारा दोनों लाज़िम होंगे।

मस'ला ३५– सोहबत करने में औरत और मर्द दोनों का आकिल होना शर्त नहीं। यहां तक कि अगर एक मजनूं और दूसरा आकिल तो आकिल पर कफ्फारा लाज़िम होगा।

मस'ला ३६– सोने की हालत में मनी ख़ारिज होने से जिसको एहतलाम कहते हैं अगरचे बग़ैर नहाए हुए रोज़ा रखे तो रोज़ा फ़ासिद न होगा। इसी तरह अगर किसी औरत को देखने या उसका ख़ास हिस्सा देखने या सिर्फ़ किसी बात का ख़्याल दिल में करने से मनी ख़ारिज हो जाए तब भी रोज़ा फ़ासिद न होगा।

मस'ला ३७– औरत का बोसा लेना और उससे चिपटना मकरूह है जब कि मनी निकलने का ख़ौफ हो या अपने नफ्स के बेक़ाबू हो जाने का और उस हालत में सोहबत कर लेने का डर हो। अगर यह डर न हो तो फिर मकरूह नहीं।

मस'ला ३८— किसी औरत के होंठ का मुंह में लेना और ख़ास बदन का नंगा मिलाना, ख़ास हिस्से को अन्दर दाख़िल करने के सिवा हर हाल में मकरूह है चाहे मनी ख़ारिज होने और सोहबत करने का ख़ौफ हो।

मस'ला ३९— अगर कोई मुक़ीम रोज़े की नीयत करने के बाद मुसाफिर बन जाए और थोड़ी दूर जाकर किसी भूली हुई चीज़ लेने के लिए अपने मकान वापस आए और वहां पहुंच कर रोज़े को फ़ासिद कर दे तो उसको कफ्फ़ारा देना होगा क्योंकि वह उस वक़्त मुसाफिर न था अगरचे वह ठहरने की नीयत से न गया था और न वहां ठहरा।

मस'ला ४०— सोहबत के सिवा और किसी वजह से अगर कफ्फ़ारा वाजिब हुआ हो और एक कफ्फ़ारा अदा न करने पाया हो कि दूसरा वाजिब हो जाये तो उन दोनों के लिए एक ही कफ्फ़ारा काफी है। अगरचे दोनों कफ्फ़ारे दो रमज़ानों के हों। हां सोहबत की वजह से जितने रोज़े फ़ासिद हुए हों तो अगर वे एक ही रमज़ान के रोज़े हैं तो एक ही कफ्फ़ारा काफी है और दो रमज़ानों के हैं तो हर एक रमज़ान का कफ्फ़ारा अलग देना होगा अगरचे पहला कफ्फ़ारा न अदा किया हो।

मस'ला ४१— रमज़ान के महीने में अगर किसी का रोज़ा अचानक ही टूट गया तो रोज़ा टूटने के बाद भी दिन में कुछ खाना-पीना दुरुस्त नहीं। सारे दिन रोज़ेदार की तरह रहना वाजिब है।

मस'ला ४२— किसी ने रमज़ान के रोज़े की नीयत ही नहीं की इसलिए खाता-पीता रहा उस पर कफ्फ़ारा उसी वक़्त वाजिब होता है जब नीयत करके तोड़े।

मस'ला ४३— रमज़ान शरीफ़ के रोज़े तोड़ डालने का कफ्फ़ारा यह है कि दो महीने तक बराबर रोज़े रखे। थोड़े-थोड़े करके रोज़े रखना दुरुस्त नहीं। अगर किसी वजह से बीच में दो-एक रोज़े नहीं रखे तो अब फिर से दो महीने के रोज़े रखे। हां जितने रोज़े औरत

के हैज़ की वजह से जाते रहें, वे माफ हैं। उनके टूट जाने से कफ्फारे में कुछ नुकसान नहीं आया लेकिन पाक होते ही फिर रोज़े रखना शुरू करे और साठ रोज़े पूरा कर ले।

मस'ला ४४— अगर बीच में रमज़ान का महीना आ गया तब भी कफ्फारा सही नहीं हुआ।

मस'ला ४५— अगर किसी को रोज़े रखने की ताक़त न हो तो साठ मिस्कीनों को सुबह व शाम पेट भरकर खाना खिलाए यानी जितनी उनके पेट में आये खूब तनकर खाएं।

मस'ला ४६— उन मिस्कीनों में अगर कुछ बिल्कुल छोटे बच्चे हों तो जायज़ नहीं। उन बच्चों के बदले और मिस्कीनों को फिर खिलाएं।

मस'ला ४७— अगर गेहूं की रोटी हो तो यह रूखी रोटी खिलाना भी दुरुस्त है। और जौ, बाजरा, जुआर वग़ैरा की रोटी हो तो उसके साथ कुछ दाल वग़ैरा देना चाहिए जिसके साथ रोटी खाएं।

मस'ला ४८— अगर खाना ना खिलाए बल्कि साठ मिस्कीनों को कच्चा अनाज दे दे तो भी जायज़ है। हरेक मिस्कीन को इतना दे दे कि जितना सदका फित्र दिया जाता है।

मस'ला ४९— अगर उतने अनाज की कीमत दे दे तो भी जायज़ है।

मस'ला ५०— अगर किसी और से कह दिया कि तुम मेरी तरफ से कफ्फारा अदा कर दो और साठ मिस्कीनों को खाना खिला दो और उसने उस की तरफ से खिला दिया या कच्चा अनाज दे दिया तब भी कफ्फारा अदा हो गया और उसके कहे बग़ैर किसी ने उस की तरफ से दे दिया तो कफ्फारा सही अदा नहीं हुआ।

मस'ला ५१— अगर एक ही मिस्कीन को साठ दिन तक सुबह-शाम खाना खिला दिया या साठ दिन तक कच्चा अनाज या कीमत देता रहा तब भी कफ्फारा सही हो गया।

16

मस'ला ५२— अगर साठ दिन तक लगातार खाना नहीं खिलाया बल्कि बीच में कुछ दिन नाग़ा हो गए तो कुछ हर्ज नहीं। यह दुरुस्त है।

मस'ला ५३— अगर साठ दिन का अनाज हिसाब करके एक फ़कीर को एक ही दिन दे दिया तो दुरुस्त नहीं। इसी तरह एक ही फ़कीर को एक ही दिन अगर साठ बार करके दे दिया तब भी एक ही दिन का अदा हुआ। एक कम साठ मिस्कीनों को फिर देना चाहिए इसी तरह कीमत देने का भी हुक्म है। यानी एक दिन में एक मिस्कीन को एक रोज़े के बदले से ज़्यादा देना दुरुस्त नहीं।

मस'ला ५४— अगर किसी फ़कीर को सदका -ए-फ़ित्र की मिक्दार से कम दिया तो कफ़्फ़ारा सही नहीं हुआ।

मस'ला ५५— अगर एक ही रमज़ान के दो या तीन रोज़े तोड़ डाले तो एक ही कफ़्फ़ारा वाजिब है अलबत्ता अगर ये दोनों रोज़े एक रमज़ान में न हों तो अलग-अलग कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा।

9. रोज़ा तोड़ना

मस'ला १— अचानक ऐसा बीमार पड़ गया कि अगर रोज़ा न तोड़ा तो जान पर बन आएगी या बीमारी बहुत बढ़ जाएगी तो रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है। जैसे: अचानक पेट में ऐसा दर्द उठा कि बेताब हो गया या सांप ने काट लिया तो दवा पी ले और रोज़ा तोड़ डालना दुरुस्त है। ऐसे ही अगर ऐसी प्यास लगी कि मरने का डर है तो भी रोज़ा तोड़ डालना दुरुस्त है।

मस'ला २— हामला औरत को कोई ऐसी बात हो गई जिससे उसे अपनी या बच्चे की जान का डर है तो रोज़ा तोड़ डालना दुरुस्त है।

मस'ला ३– खाना पकाने की वजह से बहुत -ही ज़्यादा प्यास लग आई और इतनी ज़्यादा बेचैनी हुई कि अब जान का ख़ौफ़ है तो रोज़ा खोल डालना दुरुस्त है लेकिन अगर खुद उसने जानकर इतना काम किया जिससे ऐसी हालत हो गई तो गुनाहगार होगी।

मस'ला ४– अगर ऐसा बीमार है कि रोज़ा नुक़सान करता है और यह डर है कि अगर रोज़ा रखा तो बीमारी बढ़ जाएगी या देर में अच्छा होगा या जान जाती रहेगी तो रोज़ा न रखें। जब अच्छा हो जाये तो उस की कज़ा रख ले। लेकिन अपने दिल से ही ऐसा ख़्याल कर लेने से रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त नहीं है बल्कि जब कोई मुसलमान दीनदार हकीम तबीब (डॉक्टर) कह दे कि रोज़ा तुमको नुकसान करेगा तब छोड़ देना चाहिए।

मस'ला ५– अगर हकीम या डॉक्टर काफ़िर है या शरअ् का पाबंद नहीं है तो उसकी बात का यक़ीन नहीं है। उसके कहने से रोज़ा न छोड़ें।

मस'ला ६– अगर हकीम ने कुछ नहीं कहा लेकिन ख़ुद अपना तजुर्बा है और कुछ ऐसी निशानियां मालूम हैं जिनकी वजह से दिल गवाही देता है कि रोज़ा नुकसान करेगा तब भी रोज़ा न रखें और ख़ुद तजुर्बेकार न हों और उस बीमारी का कुछ मालूम न हो तो ख़्याल का एतबार नहीं। अगर दीनदार हकीम के बग़ैर बताए और बिना तजुर्बे के अपने ख़्याल से ही रमज़ान का रोज़ा तोड़ा तो कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा और अगर रोज़ा न रखा तो गुनाह होगा।

मस'ला ७– अगर बीमारी दूर हो गई लेकिन कमज़ोरी बाकी है और पूरा यक़ीन है कि अगर रोज़ा रखा तो बीमारी फिर आ दबोचेगी तब भी रोज़ा न रखना जायज़ है।

मस'ला ८– अगर कोई मुसाफ़िरत में हो तो उसको भी दुरुस्त है कि रोज़ा न रखे। फिर कभी उसकी कज़ा रख ले।

मस'ला ९– मुसाफ़िरत में अगर रोज़े से कोई तकलीफ़ न हो

जैसे रेल पर सवार है और यह ख़्याल है कि शाम तक घर पहुंच जाना होगा या अपने साथ राहत व आराम का सामान मौजूद है तो ऐसे वक़्त में सफ़र में भी रोज़ा रख लेना बेहतर है और अगर रोज़ा न रखें बल्कि कज़ा रख ले तब भी कोई गुनाह नहीं। हां रमज़ान शरीफ़ के रोज़े की जो फ़ज़ीलत है वह न मिल सकेगी और अगर रास्ते में रोज़े की वजह से तकलीफ़ और परेशानी हो तो ऐसे वक़्त रोज़ा न रखना बेहतर है।

मस'ला १०— अगर बीमारी न गई और उसी में मौत हो गई या अभी घर नहीं आया और मुसाफ़िरत में मौत हो गई तो जितने रोज़े बीमारी या सफ़र की वजह से छूटे हैं आख़िरत में उनकी पूछगुछ न होगी क्योंकि कज़ा रखने की अभी मोहलत नहीं मिल सकी थी।

मस'ला ११— अगर बीमारी में दस रोज़े गए, फिर पांच दिन ठीक हालत रही लेकिन कज़ा रोज़े नहीं रखे तो पांच रोज़े माफ़ हैं। सिर्फ़ पांच रोज़ों की कज़ा न रखने पर पकड़ होगी इसलिए ज़रूरी है कि जितने रोज़ों की पकड़ होने वाले है उतने रोज़ों का फ़िदया देने के लिए कह मरे जब कि पास माल हो।

मस'ला १२— अगर रास्ते में पन्द्रह दिन रहने की नीयत से ठहराव हो गया तो अब रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता पन्द्रह दिन से कम ठहरने की नीयत हो तो रोज़ा न रखना दुरुस्त है।

मस'ला १३— हामला और दूध पिलाने वाली औरत को जब अपनी या बच्चे की जान का कुछ डर हो तो रोज़ा न रखे। फिर कभी रोज़ा रख ले लेकिन अगर अपना शौहर मालदार है कि कोई अन्ना रख कर दूध पिलवा सकता है तो दूध पिलाने की वजह से माँ को रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर वह ऐसा लड़का है कि सिवाए अपनी माँ के किसी और का दूध नहीं पीता तो ऐसे वक़्त माँ का रोज़ा न रखना दुरुस्त है।

मस'ला १४— किसी अन्ना ने दूध पिलाने की नौकरी की फिर रमज़ान शरीफ़ के रोज़े से बच्चे की जान जाने का डर है, तो अन्ना

को भी रोज़ा न रखना दुरुस्त है।

मस'ला १५— अगर किसी औरत को हैज़ आ गया या बच्चा पैदा हुआ और निफ़ास हो गया तो हैज़ व निफ़ास रहने तक रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं।

मस'ला १६— अगर कोई औरत रात को पाक हो गई तो अब सुबह रोज़ा न छोड़े। अगर रात को न नहाई हो तब भी रोज़ा रख ले और अगर सुबह होने के बाद पाक हुई तो अब पाक होने के बाद रोज़े की नीयत करना दुरुस्त नहीं। लेकिन कुछ खाना-पीना भी दुरुस्त नहीं है। अब दिन भर रोज़ेदार की तरह रहना चाहिए।

मस'ला १७— अगर कोई दिन को मुसलमान हुआ या दिन को जवान हुआ तो अब दिन भर कुछ खाना-पीना दुरुस्त नहीं है और अगर कुछ खा पी लिया तो उस रोज़े की कज़ा भी नये मुसलमान और नये जवान के ज़िम्मे वाजिब नहीं है।

10. फ़िद्या

मस'ला १— किसी कैदी के बदले कुछ माल देकर उसे सरकार से ख़रीद लिया जाता है। ऐसे माल को फ़िद्या कहते हैं। इसी तरह जिसको इतना बुढ़ापा हो गया कि रोज़ा रखने की ताक़त नहीं रही या ऐसा बीमारर है कि अब अच्छा होने की उम्मीद नहीं। न रोज़ा रखने की ताक़त है तो वह रोज़ा न रखे और हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को सद्क़ा-फ़ित्र के बराबर ग़ल्ला दे दे या सुबह व शाम पेट भर के उनको खाना खिला दे। शरअ् में यही चीज़ फ़िद्या है। अगर वह ग़ल्ले के बदले में उतने ही ग़ल्ले की क़ीमत दे दे, तब भी दुरुस्त है।

मस'ला २— वह ग़ल्ला अगर थोड़ा-थोड़ा करके कई मिस्कीनों

को बांट दे तब भी ठीक है।

मस'ला ३– फिर अगर कभी ताक़त आ गई या बीमारी से अच्छा हो गया तो सब रोज़े रखने पड़ेंगे और जो फ़िद्या दिया है उसका सवाब अलग मिलेगा।

मस'ला ४– किसी के ज़िम्मे कई रोज़े क़ज़ा थे और वह मरते वक़्त यह वसीयत कर गया कि उसके रोज़ों के बदले फ़िद्या दे दिया जाए तो उसके माल में से उसका वली यह फ़िदया दे दे और कफ़न दफ़न और क़र्ज़ अदा करके जितना माल बचे उसकी तिहाई में से अगर सब फ़िद्या निकल आए तो दे देना वाजिब है।

मस'ला ५– अगर उसने वसीयत नहीं की मगर वली ने अपने माल में से फ़िद्या दे दिया तब खुदा से उम्मीद रखे कि शायद क़ुबूल कर ले और अब रोज़ों की पकड़ न होगी। बग़ैर वसीयत किए ख़ुद मुर्दे के माल में से फ़िद्या देना जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर तिहाई माल से ज़्यादा हो जाए तो बावजूद वसीयत के भी ज़्यादा दे देना सब वारिसों की रज़ामन्दी के बग़ैर जायज़ नहीं। हां अगर सब वारिस ख़ुशी से राज़ी हो जाएं तो दोनों सूरतों में फ़िद्या देना दुरुस्त है। लेकिन नाबालिग़ वारिस की इजाज़त का शरअ् में कुछ एतबार नहीं है। बालिग़ वारिस अपना हिस्सा अलग करके उसमें से दे दे तो दुरुस्त है।

मस'ला ६– अगर किसी की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हों और वह यह वसीयत कर के मर गया कि उसकी नमाज़ों के बदले वह फ़िद्या दे दिया जाए तो उसका भी यही हुक्म है।

मस'ला ७– हर वक़्त की नमाज़ों का उतना ही फ़िद्या है जितना एक रोज़े का फ़िद्या है। इस हिसाब से दिन-रात की पांच फ़र्ज़ और एक वित्र, छः नमाज़ों की तरफ़ से एक छटांक कम पौने ग्यारह सेर गेहूं ८० रुपए के सेर से दे, मगर एहतियात के लिए पूरे बारह सेर दे।

मस'ला ८– किसी के ज़िम्मे ज़कात बाक़ी है और अभी अदा

नहीं की, तो वसीयत कर जाने से उसका भी अदा कर देना वारिसों पर वाजिब है। अगर वसीयत नहीं की और वारिसों ने अपनी ख़ुशी से दे दी तो ज़कात अदा नहीं हुई।

मस'ला ९— अगर वली मुर्दे की तरफ़ से क़ज़ा रख ले या उसकी तरफ़ से क़ज़ा नमाज़ें पढ़ ले तो यह दुरुस्त नहीं यानी उसके ज़िम्मे से न उतरेगी।

मस'ला १०— बे-वजह रमज़ान का रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त नहीं और बड़ा ही गुनाह है। यह न समझे कि उसके बदले एक रोज़ा रख लिया जायेगा क्योंकि हदीस शरीफ़ में आया है कि रमज़ान के एक रोज़े के बदले में अगर साल भर बराबर रोज़ा रखता रहे तब भी उतना सवाब न मिलेगा जितना कि रमज़ान में एक रोज़े का सवाब मिलता है।

मस'ला ११— अगर किसी ने अपने बुरे कामों की वजह से रोज़ा नहीं रखा और लोगों के सामने कुछ न खाए पीए और न ज़ाहिर करे कि उस दिन उसका रोज़ा नहीं है, क्योंकि गुनाह करके उसे ज़ाहिर करना भी गुनाह है। अगर सबसे कह दिया तो दोहरा गुनाह होगा एक तो रोज़ा न रखने का, दूसरे ज़ाहिर करने का।

मस'ला १२— जब लड़का या लड़की रोज़ा रखने के लायक़ हो जाये और जब दस बरस की उम्र हो जाये तो मार कर रोज़ा रखवाया जाये। और सब रोज़े न रखे जा सके तो जितने भी रख सके तो ठीक है।

मस'ला १३— अगर नाबालिग़ लड़का लड़की रोज़ा रख कर तोड़ डाले तो उसको क़ज़ा न रखाए अलबत्ता अगर नमाज़ की नीयत करके तोड़ दे तो उसे दोहराए।

11. ए'तकाफ़

रमज़ान शरीफ़ की बीसवीं तारीख़ (२०वीं) को दिन छुपने से ज़रा

पहले से रमज़ान की २९ या ३० तारीख़ यानी जिस दिन ईद का चांद नज़र आए उस तारीख़ तक सूरज छुपने तक मस्जिद में बैठने को ऐतकाफ कहते हैं। इसका बड़ा सवाब है।

एतकाफ के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें होनी चाहिए :–

(१) जमाअत वाली मस्जिद में ठहरना।

(२) एतिकाफ की नीयत से ठहरना। क्योंकि बिना ऐसा किये ठहर जाने को एतिकाफ नहीं कहते। नीयत के सही होने के लिए नीयत करने वाले का मुसलमान और आकिल होना शर्त है। इसलिए अक्ल और इस्लाम का शर्त होना भी नीयत के साथ आ गया।

(३) जबनात, हैज़ व निफास और हर तरह की गन्दगी से पाक होना।

मस'ला १– सबसे अच्छा वह एतिकाफ है जो मस्जिदे हराम यानी काबा मुकर्रमा में किया जाये। इसके बाद मस्जिद नबी का, बाद में मस्जिद बैतुल मुकद्दस का और सबके बाद उस 'जामा मस्जिद' का जिसमें जमाअत का इंतज़ाम हो। अगर जामा मस्जिद में जमाअत का इंतज़ाम न हो तो मुहल्ले की मस्जिद। उसके बाद वह मस्जिद जिसमें ज़्यादा जमाअत होती हो।

मस'ला २– एतिकाफ की तीन किस्में हैं– वाजिब, सुन्नते मुअक्कदा, और मुस्तहब। वाजिब एतकाफ वह है जो नज़र की जाये। नज़र चाहे ग़ैर मुअल्लक (बिना किसी ख़ास बात के लटका हुआ न हो)। जैसे: कोई आदमी बिना शर्त के एतकाफ की नज़र करे या मुअल्लक बिना (किसी ख़ास वजह से) जैसे कोई यह शर्त कर ले कि अगर उसका वह काम हो गया तो एतकाफ करेगा। सुन्नते मुअक्कदा वाला एतिकाफ वह है कि जब रमज़ान शरीफ के आख़िरी दस दिनों में नबी करीम सल्ल० से लाज़िम मानकर एतकाफ करना जैसा कि सही हदीस में है। अगर वह सुन्नते मुअक्कदा एतकाफ कुछ के करने से सब के ज़िम्मे से उतर जायेगा। मुतहब एतकाफ वह है जिसमें

रमज़ान शरीफ़ के आख़िरी दस दिनों के सिवा और किसी वक़्त जैसे रमज़ान के पहले दूसरे दस-दस दिन हों या कोई और महीना हो।

मस'ला ३–एतकाफ़ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है। जब कोई शख़्स एतिकाफ़ करे तो उसको रोज़ा रखना भी ज़रूरी होगा बल्कि अगर यह भी नीयत करे कि मैं रोज़ा न रखूंगा, तब भी उसको रोज़ा रखना लाज़िम होगा। इसी वजह से अगर कोई शख़्स रात के एतिकाफ़ की नीयत करे तो वह लग्व समझी जाएगी। क्योंकि रात रोज़े का महल नहीं। हां अगर रात दिन दोनों की नीयत करे या सिर्फ़ कई दिनों की, तो फिर रात ज़मनन दाख़िल हो जाएगी और रात को भी एतिकाफ़ करना ज़रूरी होगा। रोज़ा का ख़ास एतिकाफ़ के लिए रखना ज़रूरी नहीं। ख़्वाह किसी ग़रज़ से रोज़ा रखा जाए। एतिकाफ़ के लिए काफ़ी हैं। मसलन कोई शख़्स रमज़ान में एतिकाफ़ की नज़्र करे तो रमज़ान का रोज़ा उस एतिकाफ़ के लिए भी काफ़ी है। हां उस रोज़ा का वाजिब होना ज़रूरी है। नफ़िल रोज़ा इसके लिए काफ़ी नहीं। मसलन कोई शख़्स नफ़िल रोज़ा रखे और बाद उसके इसी दिन एतिकाफ़ की नज़्र करे तो सहीह नहीं। अगर कोई शख़्स पूरे रमज़ान के एतिकाफ़ की नज़्र करे और इत्तिफ़ाक़ से रमज़ान में न कर सके तो किसी और महीने में उसके बदले कर लेने से उसकी नज़्र पूरी हो जाएगी मगर अलल इसताल रोज़ा रखना और उनमें एतिकाफ़ करना ज़रूरी होगा।

मस'ला ४– मसनून एतकाफ़ में रोज़ा भी होता ही है, इसके वास्ते शर्त नहीं करनी चाहिए।

मस'ला ५– मुस्तहब एतकाफ़ में भी एहतियात यही है कि रोज़ा शर्त है और यक़ीनी बात यह है कि शर्त नहीं।

मस'ला ६– मुस्तहब एतकाफ़ कम-से-कम एक दिन हो सकता है और ज़्यादा जितनी नीयत की जाये। मसनून एतकाफ़ दस दिन इसलिए कि मसनून एतकाफ़ रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में होता है और मुस्तहब एतकाफ़ के लिए कोई मिक़दार मुद्दत तय नहीं है। यह एक मिनट या इससे भी कम हो सकता है।

मस'ला ७— एतकाफ की हालत में दो काम हराम हैं। यानी उनके करने से अगर वाजिब या मसनून एतकाफ है तो फासिद हो जायेगा और उसकी कज़ा करनी पड़ेगी और अगर मुस्तहब एतकाफ है तो ख़त्म हो जायेगा।

पहला काम एतकाफ की जगह से बिना ज़रूरत बाहर निकलना ज़रूरत आम है चाहे तबई (प्राकृतिक) हो या शरई। कुदरती ज़रूरत जैसे। पाख़ाना, पेशाब, सोहबत का गुस्ल। खाना खाना भी इसी में आता है जबकि खाना लाने वाला कोई न हो और शरई ज़रूरत जैसे जुमे की नमाज़ पढ़ना।

मस'ला ८— जिस ज़रूरत के लिए अपने एतकाफ की मस्जिद से जाये तो उससे फारिग़ हाने के बाद वहां न रुके। और जहां तक हो ऐसी जगह पाख़ाना पेशाब को जाये जो उस मस्जिद से ज़्यादा करीब हो।

हदीस १— नबी करीम सल्ल0 का इर्शाद है कि जिस किसी ने अल्लाह तआला के लिये एक दिन का भीए तकाफ किया तो अल्लाह तआला उसको जहन्नम से तीन खंदकों के बराबर दूर कर देगा।

—तबरानी

हदीस २— नबी करीम सल्ल0 ने फरमाया किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी करना या उसमें कोशिश करना दस साल केए तिकाफ से भी ज़्याद सवाब वाला है। — तबरानी

हदीस ३— नबी करीम सल्ल0 ने फरमाया कि रमज़ान के दिनों में एतिकाफ करने का सवाब दो हज और दो उमरा के बराबर है

—बैहकी

मस'ला ९— अगर जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए किसी मस्जिद में जाये और नमाज़ के बाद वहीं ठहर जाये और वहीं एतकाफ पूरा करे तब भी जायज़ है मगर यह मकरूह है।

मस'ला १०— भूले से भी अपने एतकाफ की मस्जिद को एक मिनट बल्कि उस से भी कम छोड़ देना जायज़ नहीं।

मस'ला ११— जो काम ज़्यादा न होने वाला हो उसके लिए अपनी मस्जिद को छोड़ देना एतकाफ़ के ख़िलाफ़ है जैसे किसी मरीज़ को देखने के लिए जाना, डूबते हुए को बचाना, आग बुझाना या मस्जिद के गिर जाने का डर होना। अगरचे इन सूरतों में मस्जिद से निकल जाना गुनाह नहीं बल्कि जान बचाने के लिए ज़रूरी है मगर एतकाफ़ टूट जायेगा। अगर किसी शरई या कुदरती ज़रूरत के लिए निकले और दर्मियान में चाहे ज़रूरत पूरी हो जाने से पहले या बाद में किसी मरीज़ को देखे या नमाज़ जनाज़ा में शरीक हो जाये तो कुछ बुराई नहीं।

मस'ला १२— जुमे की नमाज़ के लिए जाये और इतना वक़्त मिल जाए कि मस्जिद की नमाज़ और जुमे की नमाज़ और सुन्नतें वहां पढ़ सके और बाद नमाज़ के भी सुन्नतें पढ़ने के लिए ठहरना जायज़ है। इस वक़्त का अन्दाज़ा एतकाफ़ करने वाले पर छोड़ा गया है। अगर अन्दाज़ा ग़लत हो जाए यानी कुछ पहले भी पहुंच जाए तो कुछ बुराई नहीं है।

मस'ला १३— अगर कोई आदमी ज़बरदस्ती मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाए तब भी उसका एतकाफ़ रहेगा। जैसे: किसी जुर्म में सरकार की तरफ़ से वारंट जारी हुआ और सिपाही उसे गिरफ्तार करे ले जाएं या किसी का क़र्ज़ हो वह उसको बाहर निकालें।

मस'ला १४— इसी तरह अगर किसी शरई या कुदरती ज़रूरत से निकले और रास्ते में रोक ले या बीमार हो जाए और मस्जिद तक पहुंचने में देर हो जाए तब भी एतकाफ़ काफ़ी रहेगा।

दूसरा काम— ये वे काम हैं जो एतकाफ़ की हालत में नाजायज़ हैं। जैसे सोहबत करना चाहे जानकर या भूल से यानी एतकाफ़ का ख़्याल न रहने की वजह से मस्जिद में हो या मस्जिद से बाहर हर हाल में एतकाफ़ झूठा पड़ जायेगा। इसी तरह जो काम सोहबत करने के लिए उकसाते हैं। जैसे बोसा लेना, चिपटाना—ये भी एतकाफ़ में नाजायज़ हैं मगर इनसे एतकाफ़ झूठा नहीं होता जब तक कि मनी

ख़ारिज न हो। हाँ! सिर्फ़ ख़्याल और फ़िक्र से अगर मनी ख़ारिज हो तो एतिकाफ़ फ़ासिद न होगा।

मस'ला १५– एतकाफ़ की हालत में बिना ज़रूरत किसी दुनियावी काम में लग जाना मकरूह तहरीमी है। जैसे: ज़रूरत बग़ैर ख़रीद-बिक्री या तिजारत का कोई काम करना। मगर जो काम बहुत ही ज़रूरी हों जैसे घर में खाने को कुछ न हो ऐसी हालत में ख़रीद-फ़रोख़्त करना जायज़ है। मगर उन चीज़ों का मस्जिद में लाना किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। बशर्ते कि उनके मस्जिद में लाने से मस्जिद ख़राब हो जाने या जगह हो जाने का डर न हो तो कुछ लोग इसे जायज़ बताते हैं।

मस'ला १६– एतकाफ़ की हालत में बिल्कुल चुप बैठना भी मकरूह तहरीमी है। हाँ बुरी बातें ज़बान से न निकाले। झूठ न बोले। बुराई न करे बल्कि कुरआन मजीद की तिलावत या कोई वज़ीफ़ा पढ़े या किसी और इबादत में अपना वक़्त लगाये।

मस'ला १७– अगर कोई औरत एतकाफ़ करे अपने घर में जहां नमाज़ पढ़ने के लिए जगह तय कर रखी है वहां पाबन्दी से जाकर बैठे। बस पेशाब पाख़ाने की मजबूरी से वहां से उठना दुरुस्त है। अगर कोई खाना- पानी देने वाला हो तो खाने के लिए भी न उठे। हर वक़्त उसी जगह बैठी रहे और वहीं पर सोये।

मस'ला १८– अगर औरत को एतकाफ़ की हालत में हैज़ या निफास आ जाए तो एतकाफ़ छोड़ दे क्योंकि इस हालत में एतकाफ़ दुरुस्त नहीं।

मस'ला १९– एतकाफ़ में मर्द के साथ सोना, लिपटना या चिपटना भी ठीक नहीं।

5. ज़कात

1. ज़कात क्या है ?

जिसके पास माल हो और वह उसकी ज़कात न निकालता हो वह अल्लाह तआला के नज़दीक बड़ा गुनाहगार है। कियामत के दिन उस पर बड़ा अज़ाब होगा।

मस'ला १– जिसके पास साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोना हो और एक साल तक बाकी रहे तो साल गुज़र जाने पर उसकी ज़कात देना वाजिब है और अगर इससे कम हो तो उस पर ज़कात देना वाजिब नहीं।

मस'ला २– किसी के पास आठ तोला सोना चार छः महीने तक रहा फिर वह गुम हो गया और तीन महीने बाद फिर मिल गया तब भी ज़कात देना वाजिब है। मतलब यह कि जब साल के शुरू और आख़िर में मालदार हो जाये और साल के बीच में थोड़े दिन कम हो जाने से ज़कात माफ नहीं होती।

मस'ला ३– किसी के पास आठ-नौ तोला सोना था लेकिन साल गुज़रने से पहले जाता रहा। पूरा साल नहीं गुज़रने पाया तो ज़कात वाजिब नहीं।

मस'ला ४– अगर दो सौ रुपया पास है और एक सौ रुपये का कर्ज़दार है तो एक सौ रुपए की ज़कात वाजिब है।

मस'ला ५– चांदी के ज़ेवर, बर्तन और सच्चा गोटा, ठप्पा, सब पर ज़कात वाजिब है चाहे पहनती रहती हो या बन्द रखे हो या कभी-कभी पहनती हो। मतलब यह कि चांदी सोने की हर चीज़ पर

ज़कात वाजिब है अलबत्ता अगर इस वज़न से कम हो जो ऊपर ब्यान हुई है तो ज़कात वाजिब न होगी।

मस'ला ६– सोना चांदी अगर खरा न हो बल्कि उसमें कुछ मैल हो जैसे चांदी में रांग मिला हुआ है तो देखें चांदी ज़्यादा है या रांग। अगर चांदी ज़्यादा हो तो उसका वही हुक्म है और अगर रांग ज़्यादा है तो उसको चांदी न समझेंगे। इसलिए जो हुक्म पीतल, तांबे, लोहे, रांग वग़ैरा असबाब का वही हुक्म है।

मस'ला ७– किसी के पास न तो पूरी मिक़्दार सोने की है, न पूरी मिक़्दार चांदी की बल्कि थोड़ा सोना है और थोड़ी चांदी तो अगर दोनों की क़ीमत मिलाकर साढ़े बावन तोले चांदी के बराबर हो जाए या साढ़े सात तोले सोने के बराबर हो जाए तो ज़कात वाजिब है और अगर दोनों चीज़ें इतनी थोड़ी हैं कि दोनों की क़ीमत उतनी चांदी के बराबर है, न उतने सोने के बराबर तो ज़कात वाजिब नहीं और सोने चांदी दोनों की पूरी-पूरी मिक़्दार हो तो क़ीमत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं।

मस'ला ८– किसी के पास सौ रुपये ज़रूरत से ज़्यादा रखे थे फिर पूरा साल होने से पहले पचास रुपए और मिल गए तो उन पचास रुपयों का हिसाब अलग न करेंगे बल्कि उसी सौ रुपये के साथ उसको मिला देंगे और जब उन सौ रुपयों का साल पूरा होगा तो पूरे डेढ़ सौ की ज़कात वाजिब होगी और ऐसा समझेंगे कि पूरे डेढ़ सौ रुपये को साल गुज़र गया।

मस'ला ९– किसी के पास सौ तोले चांदी रखीथी। फिर साल गुज़रने से पहले दो-चार तोले सोना आ गया या दस तोले सोना मिल गया तब भी उसका हिसाब अलग न होगा बल्कि उसे चांदी के साथ मिलाकर ज़कात का हिसाब होगा। इसीलिए उस चांदी का हिसाब पूरा हो जाएगा तो उस सब माल की ज़कात वाजिब होगी।

मस'ला १०– सोने चांदी के सिवा और चीज़ें जितनी हैं जैसे लोहा, पीतल, तांबा, गिलट, रांग वग़ैरा और कपड़े, जूते और

उसके सिवा जो असबाब हो उसका हुक्म यह है कि अगर उसको बेचता और सौदागरी करता है तो देखें वह असबाब कितना है। अगर इतना है कि उसकी कीमत साढ़े बावन तोले चांदी या साढ़े सात तोले सोने के बराबर है तो जब साल गुज़र जाये तो उस सौदागरी के असबाब में ज़कात वाजिब है और इतना न हो तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं है चाहे जितना माल हो अगर हज़ारों रुपये का माल हो

तब भी ज़कात वाजिब नहीं।

मस'ला ११– घर के असबाब जैसे पतीली, देगचा, बड़ी देग, सेनी, लगन, खाने-पीने के बर्तन, रहने-सहने का मकान, पहनने के कपड़े, सच्चे मोतियों के हार वगैरा इन चीज़ों पर ज़कात वाजिब नहीं। मतलब यह कि सोने चांदी के सिवा और जितना माल असबाब हो अगर वह सौदागरी का है तो ज़कात वाजिब है नहीं तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं।

मस'ला १२– किसी के पास पांच या दस घर हैं उन्हें किराये पर चलाता है तो उन मकानों पर भी ज़कात नहीं है चाहे जितनी कीमत के हों। ऐसे ही अगर किसी ने दो चार सौ रुपये के बर्तन ख़रीद लिए और उनको किराए पर चलाता रहता है तो उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती।

मस'ला १३– औरत के पहनने के घरेलू जोड़े चाहे जितनी कीमत के हों उन पर ज़कात वाजिब नहीं। लेकिन अगर उनमें सच्चा काम है और इतना काम है कि अगर चांदी छुड़ाई जाए तो साढ़े बावन तोले या इससे ज़्यादा निकलेगी तो इस चांदी पर ज़कात वाजिब है और अगर इतना न हो तो ज़कात वाजिब नहीं।

मस'ला १४– किसी के पास कुछ सोना चांदी है और सौदागरी का माल है तो सब को मिलाकर अगर उसकी कीमत साढ़े बावन तोले चांदी या साढ़े सात तोले सोने के बराबर हो जाए तो ज़कात वाजिब है और अगर इतना न हो तो वाजिब नहीं।

मस'ला १५— सौदागरी का माल वह कहलाएगा जिसको इसी इरादे से लिया हो कि उसकी सौदागरी की जाएगी। अगर किसी ने अपने घर ख़र्च के लिए या शादी वग़ैरा से ख़र्च के लिए चावल मोल लिए फिर इरादा हो गया कि उसकी सौदागरी की जाए तो वह माल सौदागरी का नहीं है और इस पर ज़कात भी वाजिब नहीं है।

मस'ला १६— अगर किसी पर आपका कर्ज़ आता है तो उस कर्ज़ पर भी ज़कात वाजिब है लेकिन कर्ज़ की तीन क़िस्में हैं— एक यह कि नक़द रुपया या सोना, या चांदी किसी को कर्ज़ दिया या सौदागरी का असबाब बेचा उसकी कीमत बाक़ी है और एक साल के बाद या दो तीन साल के बाद वसूल हुआ तो अगर इतनी मिक़दार हो कि जिस पर ज़कात वाजिब होती है तो उन सब बरसों की ज़कात देना वाजिब है और अगर एकमुश्त न वसूल हो तो जब उसमें से ग्यारह रुपये मिलें तब उतने की ज़कात वाजिब है और अगर इससे कम मिले तो वाजिब नहीं। फिर जब ग्यारह रुपये मिलें तो उसकी ज़कात दे और उसी तरह देता रहे और जब दे तो सब बरसों की दे और अगर कर्ज़ इससे कम हो तो ज़कात वाजिब न होगी। हां अगर उसके पास कुछ और माल भी हो और दोनों को मिलाकर मिक़दार पूरी हो जाए तो ज़कात वाजिब होगी।

मस'ला १७— अगर नक़द नहीं दिया और न सौदागरी का माल बेचा बल्कि कोई और चीज़ बेची थी जो सौदागरी की न थी। जैसे पहनने के कपड़े बेच डाले या घर का असबाब बेच डाला। उसकी कीमत बाक़ी और इतनी है जितनी ज़कात वाजिब होती है। फिर वह कीमत कई बरस बाद वसूल हो तो सब बरसों की ज़कात देना वाजिब है और अगर सब एक बार करके वसूल न हों बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके मिले जब तक चौवन रुपये बारह आने मिल जाएं तो सब बरसों की ज़कात देना वाजिब है।

मस'ला १८— शौहर के ज़िम्मे महर है। वह कई बरस के बाद मिला तो उस की ज़कात का हिसाब मिलने के दिन से है। पिछले

बरसों की ज़कात वाजिब नहीं बल्कि अगर उसके पास रखा रहे और उस पर साल गुज़र जाए तो ज़कात वाजिब होगी, नहीं तो नहीं।

मस'ला १९– अगर कोई मालदार आदमी जिस पर ज़कात वाजिब है साल गुज़रने से पहले ही ज़कात दे दे और साल के पूरा होने का इन्तज़ार न करे तो यह भी जायज़ है और ज़कात अदा हो जाती है।

मस'ला २०– किसी के माल पर पूरा साल गुज़र गया लेकिन अभी ज़कात नहीं निकाली थी कि माल चोरी हो गया या और किसी तरह जाता रहा तो ज़कात भी माफ़ हो गई। अगर ख़ुद अपना माल किसी को दे दिया या किसी तरह अपने इख़्तियार से हलाक कर डाला तो जितनी ज़कात वाजिब हुई थी वह माफ़ नहीं हुई बल्कि देनी पड़ेगी।

मस'ला २१– साल पूरा होने के बाद किसी ने अपना सारा माल ख़ैरात कर दिया तब भी ज़कात माफ़ हो गई।

मस'ला २२– किसी के पास दो सौ रुपये थे। एक साल के बाद उसमें से एक सौ रुपये चोरी हो गए या एक सौ रुपये ख़ैरात कर दिए तो एक सौ की ज़कात माफ़ हो गई बस एक सौ की ज़कात देनी पड़ेगी।

मस'ला २३– जब माल पर पूरा साल गुज़र जाए, फ़ौरन ज़कात अदा कर दे। नेक काम में देर लगाना अच्छा नहीं कि शायद अचानक मौत आ जाए और उसका देना गर्दन पर रह जाए। अगर साल गुज़रने पर ज़कात अदा नहीं की यहां तक कि दूसरा साल भी गुज़र गया तो गुनाहगार हुआ। अब भी तौबा करके दोनों साल की ज़कात दे दे।

मतलब यह है कि उम्र में कभी-न-कभी ज़रूर दे दे बाक़ी न रखे।

मस'ला २४– जितना माल है उसका चालीसवां हिस्सा ज़कात में देना वाजिब है यानी सौ रुपये पर ढाई रुपया।

मस'ला २५— एक ही फ़कीर को इतना माल दे देना जितने माल के होने से ज़कात वाजिब होती है मकरूह है। अगर दे दिया तो ज़कात अदा हो गई उससे कम देना जायज़ है, मकरूह भी नहीं।

मस'ला २६— कोई कर्ज़ मांगने आया और यह मालूम है कि वह इतना तंगदस्त और मुफ़्लिस है कि कभी अदा न कर सकेगा तो ऐसा नादहन्द है कि कर्ज़ लेकर कभी अदा नहीं करता। उसे कर्ज़ के नाम से ज़कात का रुपया दिया और अपने दिल में सोच लिया कि ज़कात दी, तो ज़कात अदा हो गई अगरचे वह अपने दिल में यही समझे कि मुझे कर्ज़ दिया है।

मस'ला २७— किसी गरीब आदमी पर आपके १० रुपये कर्ज़ हैं और आपके माल की ज़कात भी १० रुपए या १० से ज़्यादा है उसने अपना कर्ज़ ज़कात की नीयत से माफ कर दिया तो ज़कात अदा नहीं हुई। अलबत्ता उसको १० रुपए ज़कात की नीयत से दे दें तो ज़कात अदा हो गई अब यही रुपये अपने कर्ज़ में उससे ले लेना दुरुस्त नहीं।

मस'ला २८— ज़कात का रुपया खुद नहीं दिया बल्कि किसी और को दे दिया कि किसी को दे दे, यह भी जायज़ है। अब वह आदमी देते वक़्त ज़कात की नीयत भी न करे तब भी ज़कात अदा हो जायेगी।

मस'ला २९— अगर आपने किसी को इतना कह दिया कि वह आपकी तरफ से ज़कात दे दे, इसलिए उसकी तरफ से ज़कात दे दी तो ज़कात अदा हो गई और जितना उसने आपकी तरफ से दे दिया है, आप से ले ले।

2. पैदावार की ज़कात

मस'ला १— कोई शहर काफ़िरों के कब्ज़े में था वही लोग वहां रहते थे। फिर मुसलामनों ने लड़कर वह शहर उनसे छीन लिया और

वहां इस्लाम फैला दिया और मुसलमान बादशाह ने काफ़िरों से लेकर शहर की सारी ज़मीन उन्हीं मुसलमानों को बांट दी, ऐसी ज़मीन को शरअ् (शरीअत) में उशरी कहते हैं। इस तरह अरब मुल्क की सारी ज़मीन उशरी है।

मस'ला २– अगर किसी के बाप-दादा से यही उशरी ज़मीन बराबर चला आ रही हो या किसी ऐसे मुसलमान से ख़रीदी जिसके पास उसी तरह चली आती हो तो ऐसी ज़मीन में जो कुछ पैदा हो उसमें भी ज़कात वाजिब है। और इसका तरीक़ा यह है कि अगर खेत सींचना न पड़े और बारिश के पानी से पैदावार हो गई या नदी या दरिया के किनारे पर तराई में कोई चीज़ बोई गई और बिना सींचे पैदा हो गई तो ऐसे खेत में जितना पैदा हुआ है उसका दसवां हिस्सा ख़ैरात कर देना वाजिब है यानी दस मन में एक मन और अगर खेत चरस या रहट या किसी और तरीक़े से सींचा है तो पैदावार का बीसवां हिस्सा ख़ैरात कर दे यानी बीस मन में एक मन और यही हुक्म है बाग़ का। ऐसी ज़मीन में चाहे कितनी ही थोड़ी चीज़ पैदा हुई हो बहरहाल यह सदक़ा ख़ैरात करना वाजिब है। कम और ज़्यादा होने में कोई फ़र्क़ नहीं है।

मस'ला ३– अनाज, साग, तरकारी, मेवा, फल-फूल वग़ैरा जो कुछ पैदा हो सब का यही हुक्म है।

मस'ला ४– उशरी ज़मीन, पहाड़ या जंगल से अगर शहद निकाला जाए तो उसमें भी यह सदक़ा वाजिब है।

मस'ला ५– अगर उशरी ज़मीन कोई काफ़िर ख़रीद ले तो वह उशरी नहीं रहती। फिर अगर उसे मुसलमान भी ख़रीद ले या और तरीक़े से उसको मिल जाए तब भी उशरी न होगी।

मस'ला ६– यह दसवां या बीसवां हिस्सा पैदावार वाले के ज़िम्मे है सो अगर खेत बटाई पर हो तो ज़मींदार और किसान अपने-अपने हिस्से का दें।

3. ज़कात किस पर जायज़ है ?

मस'ला १– जिसके पास साढ़े बावन तोले चांदी या साढ़े सात तोले सोना या इतनी ही क़ीमत की सौदागरी का माल हो, उसे शरीअ़त में मालदार कहते हैं। ऐसे आदमी को ज़कात का पैसा लेना और खाना हलाल नहीं। इसी तरह जिसके पास उतनी ही क़ीमत का कोई माल हो जो सौदागरी का तो नहीं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा है तो वह भी मालदार है। ऐसे शख़्स को भी ज़कात का पैसा लेना और खाना हलाल नहीं है।

मस'ला २– जिसके पास इतना माल नहीं बल्कि थोड़ा माल है या कुछ भी नहीं यानी एक दिन के गुज़ारे के लिए भी नहीं उसे ग़रीब कहते हैं। ऐसे लोगों को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है और इन लोगों को लेना भी दुरुस्त है।

मस'ला ३– बड़ी-बड़ी देगों और बड़े-बड़े फ़रूश व शामियाने जिनकी बरसों में एक दो बार कहीं शादी (विवाह) में ज़रूरत पड़ती है, रोज़ाना नहीं, वह ज़रूरी सामान नहीं है।

मस'ला ४– रहने का घर, पहनने के कपड़े, काम-काज के लिए नौकर-चाकर और घर का सामान जो अक्सर काम में रहता है, सब ज़रूरी असबाब में दाख़िल है। इनके होने से मालदार नहीं होगा। चाहे जितनी क़ीमत का हो इसलिए इसको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। इसी तरह पढ़े-लिखे आदमी के पास उसकी समझ और बर्ताव की किताबें ज़रूरी असबाब में दाख़िल हैं।

मस'ला ५– किसी के पांच-दस मकान हैं, जिनको किराये पर चलाता है और उसकी आमदनी से गुज़र करता है या एक-दो गांव हैं जिनकी आमदनी आती है, लेकिन बाल-बच्चे और घर में खाने-पीने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं कि अच्छी तरह बसर नहीं हो सकती और तंगी रहती है और उसके पास कोई ऐसा माल भी नहीं जिसमें ज़कात

वाजिब हो तो ऐसे शख़्स को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है।

मस'ला ६— किसी के पास हज़ार रुपये मौजूद हैं, लेकिन वह पूरे हज़ार रुपये या इससे भी ज़्यादा का कर्ज़दार है तो उसको भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है और अगर कर्ज़ा हज़ार रुपये से कम हो तो यह देखा जाए कि कर्ज़ दे कर कितने रुपये बचते हैं। अगर इतने बचें जितने में ज़कात वाजिब होती है तो उस को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं और अगर इससे कम बचें तो देना दुरुस्त है।

मस'ला ७— एक शख़्स अपने घर का बड़ा मालदार है, लेकिन कहीं सफ़र में ऐसा मौक़ा हुआ कि उस के पास कुछ ख़र्च नहीं रहा। सारा माल चोरी हो गया या और कोई वजह ऐसी हुई कि अब घर तक पहुंचने का भी ख़र्च नहीं है, ऐसे शख़्स को भी ज़कात का पैसा देना ठीक है। ऐसे ही अगर हाजी के पास रास्ते में पैसा ख़त्म हो गया और उस के घर में बहुत माल व दौलत है, उसको भी ज़कात देना ठीक है।

मस'ला ८— ज़कात का पैसा किसी काफ़िर को देना ठीक नहीं। मुसलमान को ही दे और ज़कात, सदक़ा, फ़ित्र, नज़र और कफ़्फ़ारे के सिवा और ख़ैर ख़ैरात को काफ़िर को भी देना ठीक है।

मस'ला ९— ज़कात के पैसे से मस्जिद बनवाना या किसी लावारिस मुर्दे का गोर व कफ़न कर देना या मुर्दे की तरफ़ से उनका कर्ज़ा अदा कर देना या किसी और नेक काम में लगा देना ठीक नहीं है। जब तक किसी मुस्तहिक़ को न दिया जाए ज़कात अदा न होगी।

मस'ला १०— अपनी ज़कात का पैसा अपने माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, परदादा वग़ैरा जिन लोगों से वह पैदा हुआ है, उनको देना ठीक नहीं है। हां! भाई, बहन, भतीजी, भांजी, चचा, फूफी, ख़ाला, मामू, सौतेली मां, सौतेला बाप, दादा, सास, सुसर वग़ैरा सबको देना ठीक है।

मस'ला ११— अगर नाबालिग़ लड़के का बाप मालदार हो तो

उसको ज़कात देना ठीक नहीं और अगर लड़का, लड़की बालिग़ हो गए और ख़ुद वह मालदार नहीं लेकिन उनका बाप मालदार है तो उनको ज़कात का पैसा देना ठीक है।

मस'ला १२– अगर छोटे बच्चे का बाप तो मालदार नहीं लेकिन माँ मालदार है तो उस बच्चे को ज़कात का पैसा देना ठीक है।

मस'ला १३– सैयदों और अल्वियों को, इसी तरह जो हज़रत अब्बास रज़ि0, हज़रत जाफ़र रज़ि0, हज़रत अक़ील रज़ि0, या हज़रत हारिस रज़ि0, बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ि0 की औलाद में हों, उनको ज़कात का पैसा देना ठीक नहीं। जैसे: नज़र, कफ्फ़ारा, उश्र, सदका, फ़ित्र और किसी सदका, ख़ैरात का देना ठीक है।

मस'ला १४– घर के नौकर-चाकर, ख़िदमतगार, मामा, दाई वग़ैरा को ज़कात का पैसा देना ठीक है, लेकिन उनकी तनख़्वाह में हिसाब न करे बल्कि तनख़्वाह से ज़्यादा बतौर इनाम इकराम दे दे और दिल में ज़कात देने की नीयत रखे तो ठीक है।

मस'ला १५– किसी औरत ने जिस लड़के को दूध पिलाया उस को और जिस औरत ने बचपन में आपको दूध पिलाया है, उसको भी ज़कात का पैसा देना ठीक है।

मस'ला १६– एक औरत की मह्र एक हज़ार रुपये है लेकिन उस औरत का शौहर बहुत ग़रीब है कि अदा नहीं कर सकता तो ऐसी औरत को भी ज़कात का पैसा देना ठीक है और अगर उसका शौहर अमीर है लेकिन मह्र नहीं देता या उसने अपना मह्र माफ़ कर दिया तो भी ज़कात का पैसा देना ठीक है और अगर उम्मीद है कि जब मांगेगी वह अदा कर देगा, कुछ देर न करेगा तो ऐसी औरत को ज़कात का पैसा देना ठीक नहीं।

मस'ला १७– एक आदमी को मुस्तहिक़ समझकर ज़कात दे दी। फिर मालूम हुआ कि वह तो मालदार है या सैयद है या अंधेरी रात में किसी को दे दी। फिर मालूम हुआ कि वह तो ऐसा रिश्तेदार है

जिसको ज़कात देना ठीक नहीं तो इन सब सूरतों में ज़कात अदा हो गई दोबारा अदा करना वाजिब नहीं लेकिन अगर लेने वाले को मालूम हो जाये कि यह ज़कात का पैसा है और यह ज़कात लेने का मुस्तहिक नहीं है तो न ले और फेर दे। और अगर देने के बाद मालूम हुआ कि जिसको दिया है वह काफ़िर है तो ज़कात अदा नहीं हुई फिर अदा करे।

मस'ला १८— अगर किसी पर शक हो कि मालूम नहीं मालदार है या मोहताज तो जब तक यह मालूम न हो जाए उसको ज़कात न दे और अगर बिना मालूम किए दी तो देखे दिल ज़्यादा किधर जाता है। अगर दिल यह गवाही देता है कि वह फ़कीर है तो ज़कात अदा हो गई और अगर दिल यह कहे कि वह मालदार है तो ज़कात अदा नहीं हुई, फिर दे, लेकि देने के बाद मालूम हो कि वह ग़रीब ही है तो फिर न दे। ज़कात अदा हो गई।

मस'ला १९— ज़कात के देने में और ज़कात के सिवा और सदक़ा, ख़ैरात में सबसे ज़्यादा अपने रिश्ते-नाते के लोगों का ख़्याल रखें कि पहले उन्हीं लोगों को दें, लेकिन उन्हें यह न बताएं कि यह सदक़ा व ख़ैरात की चीज़ है ताकि ये बुरा न मानें। हदीस शरीफ में आया है कि रिश्तेदारों को ख़ैरात देने से दोहरा सवाब मिलता है। एक तो ख़ैरात का, दूसरे अपने अज़ीज़ों के साथ सुलूक व एहसान करने का। फिर जो कुछ उनसे बचे वह और लोगों को दे दें।

मस'ला २०— एक शहर की ज़कात दूसरे शहर में भेजना मकरूह है। लेकिन दूसरे शहर में रिश्तेदार रहते हैं, उनको भेज दिया या यहाँ वालों को हिसाब से वहां के लोग ज़्यादा मोहताज हैं या वे लोग दीन के काम में लगे हुए हैं, उनको भेज दिया तो मकरूह नहीं क्योंकि पढ़ने वालों और दीनी आलिमों को देना बड़ा ही सवाब है।

4. जानवरों की ज़कात

मस'ला १— जानवरों की एक किस्म जिसमें ज़कात फ़र्ज़ है—साइमा है। साइमा वे जानवर हैं, जिनमें ये बातें पाई जाएं— १ साल के अक्सर हिस्से में अपने मुंह से चरकर पेट भरते हैं और घर में उनको खड़ा करके नहीं खिलाया जाता। अगर आधे साल अपने मुंह से चरते हों और आधा साल उनको घर में खड़े होकर खिलाया जाता हो तो फिर ये साइमा हैं। २. दूध, नस्ल के ज़्यादा होने या फर्बा करने के लिए रखे गए हों। अगर सिर्फ़ गोश्त खाने या सवारी के लिए पाले गए हों तो ये साइमा न कहलाएंगे।

मस'ला २— साइमा जानवरों की ज़कात में यह शर्त है कि वह ऊंट, ऊंटनी, गाय, भैंस, भैंसा, बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा हो। जंगली जानवरों जैसे हिरन वग़ैरा पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। हाँ, अगर तिजारत की नीयत से ख़रीद कर रखे जाएं तो उन पर तिजारत की ज़कात फ़र्ज़ होगी। जो जानवर किसी देसी और जंगली जानवर से मिल कर पैदा हो तो अगर उसकी माँ देसी है तो वह भी देसी समझा जाएगा।

मिसाल :— बकरी और हिरन से कोई जानवर पैदा हो तो वह बकरी के हुक्म में है और नील गाय और गाय से कोई जानवर पैदा हो तो वह गाय के हुक्म में है।

मस'ला ३— जानवरों और बच्चों में, अगर वे अकेले हों तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं। हां, अगर उनके साथ बड़ा जानवर भी है तो फिर उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी और ज़कात में वही बड़ा जानवर दिया जाएगा और साल पूरा होने के बाद अगर वह जानवर मर जाए तो ज़कात टूट जाएगी।

मस'ला ४— वक़्फ़ के जानवरों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं।

मस'ला ५— घोड़ों पर जब वे साइमा हों और नर व मादा

मिले-जुले हों तो ज़कात है। या तो एक घोड़े के हिसाब से १ दीनार यानी पौने तीन रुपए दे दे या सब की कीमत लगाकर उसकी कीमत का चालीसवां हिस्सा दे दे।

मस'ला ६— गधे और ख़च्चर पर जबकि वे तिजारत के लिए न हों, ज़कात फर्ज़ नहीं है।

5. ऊंट की ज़कात

मस'ला १— पांचों ऊंटों में ज़कात फर्ज़ है, इससे कम पर नहीं। पांच ऊंटों में एक बकरी, दस में दो, पन्द्रह में चार बकरियां देना फर्ज़ है चाहे वह नर हो या मादा एक साल से कम उम्र न हो।

मस'ला २— ऊंट की ज़कात में अगर ऊंट दिया जाए तो मादा होना चाहिए। अलबत्ता अगर नर कीमत में मादा के बराबर हो तो ठीक है।

6. गाय और भैंस का हिसाब

मस'ला १— गाय और भैंस दोनों एक ही क़िस्म में हैं। दोनों का हिसाब भी एक है और अगर दोनों के मिलाने से हिसाब पूरा होता हो तो दोनों को मिला लें। जैसे: बीस गायें हों और दस भैंसें तो दोनों को मिला कर तीस का हिसाब पूरा कर लें। मगर ज़कात में वही जानवर दिया जाएगा जिसकी तादाद ज़्यादा हो। अगर गायें ज़्यादा हों तो ज़कात में गाय दी जाएगी और अगर भैंसें हों तो ज़कात में भैंस दी जाएगी।

मस'ला २— अगर दोनों बराबर-बराबर हों तो अच्छी क़िस्म में जो जानवर कम कीमत का हो या घटिया क़िस्म में जो जानवर ज़्यादा कीमत का हो, वही दिया जाएगा, अगर तीस गायों या भैंसों में गाय या भैंस का १ बच्चा जो पूरे एक बरस का हो नर हो या मादा, तीस

से कम में कुछ नहीं होगा। चालीस गायों या भैंस में पूरे दो बरस का नर हो या मादा जब साठ हो जाएं तो एक-एक बरस के दो बच्चे दिए जाएंगे। फिर जब साठ से ज़्यादा हो जाएं तो हर तीस में एक बरस का बच्चा और हर चालीस में दो बरस का बच्चा।

7. बकरी और भेड़ की ज़कात

मस'ला १— ज़कात के मामले में भेड़-बकरी बराबर हैं चाहे भेड़ दुमदार हो जिसको दुम्बा कहते हैं या मांमूली हो। अगर दोनों की ज़कात अलग-अलग पूरी हो तो दोनों की ज़कात साथ दी जाएगी और जोड़ एक ज़कात होगी। अगर हर एक ज़कात का हिसाब पूरा न हो मगर दोनों को मिलाने से पूरा हो जाता है तब भी दोनों को मिला लेंगे और जो ज़्यादा होगा, ज़कात में वही दिया जाएगा। अगर दोनों बराबर हों तो इख़्तियार है। चालीस बकरियों या भेड़ों में एक बकरी या भेड़ फिर एक सौ इक्कीस में दो भेड़ें या बकरियाँ। फिर दो सौ एक में तीन भेड़ें या बकरियां और अगर सौ में चार भेड़ें या बकरियां और अगर चार सौ से ज़्यादा हैं तो हर सौ में एक बकरी के हिसाब से ज़कात देनी होगी।

मस'ला २— भेड़, या बकरी की ज़कात में नर या मादा की क़ैद नहीं। हां १ साल से कम का बच्चा नहीं होना चाहिए चाहे भेड़ हो या बकरी।

8. ज़कात के ख़ास मसाइल

मस'ला १— साल गुज़रना सब में शर्त है।

मस'ला २— अगर कोई आदमी हराम माल को हलाल के साथ मिला दे तो उसे सबकी ज़कात देनी होगी।

मस'ला ३– अगर कोई आदमी ज़कात वाजिब होने के बाद मर जाए तो उसके माल की ज़कात ली जाएगी। हां, अगर वसीयत कर गया हो तो उसका तिहाई माल ज़कात में लिया जाएगा। अगर्चे यह तिहाई पूरी ज़कात को काफी न हो और उसके वारिस तिहाई से ज़्यादा देने पर राज़ी हों तो जितना ये अपनी ख़ुशी से दे दें, ले लिया जाए।

मस'ला ४– फ़र्ज़ व वाजिब सदक़ों के अलावा सदक़ा देना उसी वक़्त मुस्तहब है जबकि माल अपनी ज़रूरतों और अपने रिश्तेदारों की ज़रूरतों से ज़्यादा हो वरना मकरूह है। इसी तरह अपने कुल माल का सदक़े में देना भी मकरूह है। हां, अगर वह नफ़्स में तवक्कुल और सब्र रखता है और अपने रिश्तेदरों को भी तक़लीफ़ होने का डर न हो तो मकरूह नहीं बल्कि बेहतर है।

9. सदक़ -ए-फ़ित्र क्या है ?

मस'ला १– जो मुसलमान इतना मालदार हो कि उस पर ज़कात वाजिब हो या उस पर ज़कात तो वाजिब नहीं लेकिन ज़रूरी असबाब से ज़्यादा इतनी क़ीमत का माल असबाब है जितनी क़ीमत पर ज़कात वाजिब हो उस पर ईद के दिन सदक़ा देना वाजिब है। चाहे वह सौदागरी का माल हो या न हो और चाहे साल पूरा गुज़र चुका हो या नहीं। इस सदक़े को शरअ् में सदक़-ए-फ़ित्र कहते है।

मस'ला २– किसी के दो घर हैं। एक में ख़ुद रहता है एक ख़ाली पड़ा है या किराए पर दे दिया है तो दूसरा मकान ज़रूरत से ज़्यादा है। अगर उसकी क़ीमत इतनी हो कि जिस पर ज़कात वाजिब होती हो तो उस पर सदक़-ए-फ़ित्र वाजिब है और ऐसे को ज़कात का पैसा देना भी जायज़ नहीं अलबत्ता अगर इसी पर उसका गुज़ारा हो तो यह मकान भी ज़रूरी असबाब में दाख़िल हो जाएगा और उस पर

सदक -ए-फ़ित्र वाजिब न होगा। और ज़कात का पैसा देना और लेना भी ठीक होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिसको ज़कात व सदके का पैसा लेना ठीक है उस पर सदका और फ़ित्र वाजिब नहीं और जिसको सदका और ज़कात लेना भी ठीक नहीं उस पर सदका फ़ित्र वाजिब है।

मस'ला ३– किसी के पास ज़रूरी असबाब से ज़्यादा माल व असबाब है लेकिन वह क़र्ज़दार भी है तो कर्ज़ा मुजरा करके देखें, क्या बचता है? अगर इतनी क़ीमत का सामान बचा रहे जितने में ज़कात वाजिब होती है तो सदक -ए-फ़ित्र वाजिब है और अगर इससे कम बचे तो वाजिब नहीं।

मस'ला ४– ईद के दिन जिस वक़्त फज्र का वक़्त आता है उसी वक़्त यह सदका वाजिब होता है। अगर कोई फज्र का वक़्त आने से पहले ही मर गया, उसपर सदका फ़ित्र वाजिब नहीं। उसके माल में से नहीं दिया जाएगा।

मस'ला ५– बेहतर यह है कि नमाज़ के लिए ईदगाह जाने से पहले ही सदक -ए-फ़ित्र दे दे। अगर पहले न दिया हो तो बाद में दे देना चाहिए।

मस'ला ६– अगर किसी ने सदक -ए-फ़ित्र ईद के दिन से पहले ही रमज़ान में दे दिया तब भी अदा हो गया। अब दोबारा देना वाजिब नहीं।

मस'ला ७– अगर किसी ने ईद के दिन सदक -ए-फ़ित्र न दिया तो माफ़ न हुआ। अब किसी दिन दे देना चाहिए।

मस'ला ८– सदक -ए-फ़ित्र अपनी तरफ़ से देना वाजिब है और नाबालिग़ औलाद की तरफ़ से भी वाजिब है मगर बालिग़ औलाद की तरफ़ से देना वाजिब नहीं।

अलबत्ता अगर कोई लड़का मजनूं हो तो उसकी तरफ़ से भी दे दें।

मस'ला ९— जिसने किसी वजह से रोज़े नहीं रखे उस पर भी यह सदका वाजिब है और जिसने रोज़े रखे उस पर भी वाजिब है।

मस'ला १०— सदक़-ए-फ़ित्र में गेहूं या गेहूं का सत्तू दे तो अस्सी रुपए के सेर यानी अंग्रेज़ी तौल से आधी छटांक ऊपर पौने दो सेर बल्कि एहतियात के लिए पूरे दो सेर या कुछ और ज़्यादा दे देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा होने में कुछ हरज नहीं है बल्कि बेहतर है और अगर जौ का आटा दे तो उसका दूना देना चाहिए।

मस'ला ११— अगर गेहूं और जौ के सिवा कोई और अनाज दिया जैसे चना, ज्वार तो इतना कि उसकी कीमत उतने गेहूं या उतने जौ के बराबर हो जाये जितने ऊपर ब्यान हुए हैं।

मस'ला १२— अगर गेहूं और जौ नहीं दिए बल्कि इतने गेहूं और जौ की कीमत दे दे तो बेहतर है।

मस'ला १३— एक आदमी का सदक़-ए-फ़ित्र एक ही फकीर को दे दे या थोड़ा-थोड़ा करके कई फकीरों को दे दे, दोनों बातें जायज़ हैं।

मस'ला १४— अगर कई आदमियों का फितरा एक ही फकीर को दे दिया तो यह दुरुस्त है।

10. क़ुर्बानी

क़ुर्बानी करने का बड़ा सवाब है। रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया है कि क़ुर्बानी के दिनों से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह तआला को पसन्द नहीं। इन दिनों में यह नेक काम सब नेकियों में बढ़-चढ़कर है। क़ुर्बानी करते वक़्त यानी ज़िब्ह करते वक़्त ख़ून का जो क़तरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह तआला के पास मक़बूल हो जाता है। हज़रत सल्ल0 ने फ़रमाया है कि क़ुर्बानी

के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है। इसलिए अगर किसी पर क़ुर्बानी करना वाजिब भी न हो तब भी इतने बे-हिसाब सवाब के लालच में क़ुर्बानी कर देना चाहिए और अगर अल्लाह तआ़ला ने मालदार और अमीर बनाया हो तो मुनासिब है कि जहां अपनी तरफ से क़ुर्बानी करे तो जो रिश्तेदार मर गए हों जैसे माँ बाप वग़ैरा उनकी तरफ से भी क़ुर्बानी कर दे कि उनकी रूह को इतना बड़ा सवाब पहुंच जाए। हज़रत रसूले ख़ुदा सल्ल0 की तरफ से, आपकी बीवियों की तरफ़ से कर दे, नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर कर दे कि अपनी तरफ से क़ुर्बानी करे क्योंकि मालदार पर तो यह वाजिब है। अगर उसने क़ुर्बानी नहीं की तो उससे बढ़कर बदनसीब और महरूम कौन होगा और गुनाह रहा सो अलग।

जब क़ुर्बानी का जानवर क़िबला रुख़ लिटा दें तो पहले यह दुआ पढ़ें :-

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

حَنِیْفًا وَّمَااَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلٰوتِیْ وَنُسُکِیْ

وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَاشَرِیْکَ لَهٗ وَبِذَالِکَ

اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْکَ وَلَکَ

इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ-त-रस्समावाति वल अर्ज़ हनीफौं व मा अन मिनल मुश्रिकीन0 इ न न सलाती वनुसुकी व मह्याय व ममाती ल्लिाहि रब्बिल आ़लमीन0 ला शरीक लहू व बिज़ालि क उमिर्तु व अन अव्वलुल मुस्लिमीन0 अल्ला हुम्म मिन क व लक0

(मैंने अपना ध्यान सब तरफ से हटाकर सिर्फ उसी ज़ात के लिए

कर दिया है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है और मेरा शिर्क करने वालों से कोई संबंध नहीं। बेशक मेरी नमाज़, मेरी क़ुर्बानी, मेरी ज़िन्दगी और मौत केवल अल्लाह ही के लिए है। वह सारे जहानों का पालने वाला है, जिसका कोई साझी नहीं। मुझको उसी का आदेश दिया गया है और मैं आज्ञाकारियों में से पहला आज्ञाकारी हूँ। ऐ अल्लाह! यह क़ुर्बानी आपकी ही तरफ़ से है और आपके ही लिए है।)

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह कर ज़िब्ह करे और ज़िब्ह करके यह दुआ पढ़े :—

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّى كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّخَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

अल्लाहुम्म तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बल त मिन हबीबि क मुहम्मदिंव व ख़लीलि क इब्राही म अलैहिमस्सलातु वस्सलामु0

(ऐ अल्लाह! इस क़ुर्बानी को मेरी तरफ़ से उसी तरह कबूल कर जिस तरह तूने अपने प्रिय हज़रत मुहम्मद सल्ल0 और अपने अंतरंग हज़रत इब्राहीम अलैहि0 से कबूल की थी)

मस'ला १— जिस पर सदक़एफ़ित्र वाजिब है, उसी पर बकरईद के दिनों में क़ुर्बानी करना भी वाजिब है और अगर इतना माल न हो जितने के होने से सदका वाजिब होता है तो उस पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं है। फिर भी अगर कर दे तो बहुत सवाब होगा।

मस'ला २— मुसाफ़िर पर क़ुर्बानी करना वाजिब नहीं।

मस'ला ३— बकरईद की दसवीं तारीख़ से बारहवीं तारीख़ की शाम तक क़ुर्बानी करने का वक़्त है चाहे जिस दिन क़ुर्बानी करे लेकिन क़ुर्बानी करने का सबसे बेहतर दिन बकरईद का दिन है, फिर ग्यारवहीं तारीख़।

मस'ला ४– बकरईद की नमाज़ होने से पहले क़ुर्बानी करना ठीक नहीं है। जब लोग नमाज़ पढ़ चुकें तब करे अलबत्ता अगर कोई किसी गांव में रहता हो वहां फ़ज्र की नमाज़ के बाद भी क़ुर्बानी करना ठीक है। शहर और क़स्बे के रहने वाले नमाज़ के बाद क़ुर्बानी करें।

मस'ला ५– अगर कोई शहर का रहने वाला अपनी क़ुर्बानी का जानवर किसी गांव में भेज दे तो उसकी क़ुर्बानी नमाज़ से पहले भी दुरुस्त है अगर्चे वह खुद शहर में मौजूद हो लेकिन जब क़ुर्बानी देहात में भेज दी तो नमाज़ से पहले क़ुर्बानी करना दुरुस्त हो गया। ज़िबह हो जाने के बाद उसको मंगवा ले और गोश्त खाए।

मस'ला ६– बारहवीं तारीख़ के सूरज डूबने से पहले-पहले क़ुर्बानी करना दुरुस्त है अगर सूरज डूब गया तो अब क़ुर्बानी करना दुरुस्त नहीं।

मस'ला ७– दसवीं बारहवीं तक जब भी चाहे क़ुर्बानी करे चाहे दिन में चाहे रात में, लेकिन रात को ज़िबह करना बेहतर नहीं है। शायद कोई रग कट जाए और क़ुर्बानी ठीक न हो।

मस'ला ८– दसवीं ग्यारहवीं तारीख़ को सफ़र में था बारहवीं तारीख़ में सूरज डूबने से पहले घर पहुंच गया या पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत कर ली तो अब क़ुर्बानी करना वाजिब हो गया। इसी तरह पहले इतना माल न था इसलिए क़ुर्बानी वाजिब न थी। फिर बारहवीं तारीख़ के सूरज डूबने से पहले कहीं से माल मिल गया तो क़ुर्बानी करना वाजिब है।

मस'ला ९– अपनी क़ुर्बानी को अपने हाथ से ज़िबह करना बेहतर है। अगर कोई औरत ज़िबह करना न जानती हो तो किसी और से ज़िबह करा ले और ज़िबह के वक़्त वहां जानवर के सामने खड़े हो जाना बेहतर है और अगर ऐसी जगह है कि परदे क़ी वजह से सामने नहीं खड़ी हो सकती तो न खड़ी हो इस में कुछ हरज नहीं।

मस'ला १०– क़ुर्बानी करते वक़्त ज़बान से नीयत पढ़ना और

दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर दिल में ख़्याल कर लिया कि मैं क़ुर्बानी करता हूं और ज़बान से कुछ नहीं पढ़ा बस बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िब्ह कर दिया तो भी क़ुर्बानी दुरुस्त हो गई लेकिन अगर याद हो तो क़ुर्बानी की दुआ पढ़ लेना बेहतर है।

मस'ला ११— क़ुर्बानी अपनी तरफ़ से करना वाजिब है। औलाद की तरफ़ से वाजिब नहीं। बल्कि अगर नाबालिग़ औलाद मालदार हो तब भी उसकी तरफ़ से करना वाजिब नहीं न तो अपने माल में से, न उसके माल में से।

मस'ला १२— बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊंट, ऊंटनी—इतने जानवरों की क़ुर्बानी दुरुस्त है। इसके अलावा किसी जानवर की क़ुर्बानी करना दुरुस्त नहीं।

मस'ला १३— गाय, भैंस, ऊंट में अगर सात आदमी शरीक होकर क़ुर्बानी करें तो भी दुरुस्त है लेकिन शर्त यह है कि किसी का हिस्सा सातवें हिस्से से कम न हो। अगर किसी का हिस्सा सातवें हिस्से से कम होगा तो किसी की भी क़ुर्बानी दुरुस्त न होगी।

मस'ला १४— क़ुर्बानी के लिए किसी ने भैंस ख़रीदी और ख़रीदते वक़्त यह नीयत की कि अगर कोई और मिल गया तो उसको भी उस भैंस में शरीक कर लेंगे और क़ुर्बानी करेंगे। इसके बाद कुछ और लोग भैंस में शरीक हो गए तो यह दुरुस्त है और अगर ख़रीदते वक़्त उसकी नीयत शरीक करने की न थी बल्कि पूरी भैंस अपनी तरफ़ से क़ुर्बानी करने का इरादा था तो अब उसमें किसी को भी शरीक करना बेहतर तो नहीं है लेकिन अगर किसी को शरीक कर लिया तो देखना चाहिए कि जिसको शरीक किया है वह अमीर है कि उस पर क़ुर्बानी वाजिब है या ग़रीब है कि जिस पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं। अगर अमीर है तो दुरुस्त है और अगर ग़रीब है तो क़ुर्बानी दुरुस्त नहीं।

मस'ला १५— अगर क़ुर्बानी का जानवर कहीं गुम हो गया और दूसरा ख़रीद लिया, फिर वह पहला मिल गया तो अगर ग़रीब आदमी को ऐसा इत्तिफ़ाक़ पड़ा तो एक ही जानवर की क़ुर्बानी उस पर

वाजिब है और अगर अमीर आदमी को ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ तो दोनों जानवरों की क़ुर्बानी वाजिब होगी।

मस'ला १६— सात आदमी भैंस में शरीक हुए तो गोश्त बांटते वक़्त अटकल से न बांटे बल्कि ख़ूब ठीक-ठीक तौल कर बांटे। यदि कोई हिस्सा कम ज़्यादा रहेगा तो सूद हो जाएगा और गुनाह होगा।

मस'ला १७— बकरी साल भर से कम की दुरुस्त नहीं। जब पूरे साल भर की हो तब क़ुर्बानी दुरुस्त है और गाय भैंस दो बरस से कम की दुरुस्त नहीं। पूरे दो बरस की हो चुकें तब क़ुर्बानी दुरुस्त है। ऊंट पांच बरस से कम का दुरुस्त नहीं और दुम्बा या भेड़ अगर इतना मोटा-ताज़ा हो कि साल भर का मालूम होता हो तो साल भर से कम के दुम्बे या भेड़ की क़ुर्बानी भी दुरुस्त है और अगर ऐसा न हो तो साल भर का होना चाहिए।

मस'ला १८— जो जानवर अंधा या काना हो। एक आंख की तिहाई रोशनी या उससे ज़्यादा जाती रही हो या एक कान का तिहाई या तिहाई से ज़्यादा हिस्सा कट गया हो या तिहाई से ज़्यादा दुम कट गयी हो तो उस जानवर की क़ुर्बानी ठीक नहीं।

मस'ला १९— जो जानवर इतना लंगड़ा है कि बस तीन पांव से चलता है चौथा पांव रखा ही नहीं जाता या चौथा पांव रखता तो है लेकिन उससे चल नहीं सकता उसकी भी क़ुर्बानी ठीक नहीं और अगर चलते वक़्त पाँव ज़मीन पर टेक कर चलता हो और चलने में उससे सहारा लेता है लेकिन लंगड़ा कर चलता है तो उसकी क़ुर्बानी ठीक है।

मस'ला २०— इतना दुबला, बिल्कुल मरियल जानवर जिसकी हड्डियों में बिल्कुल गूदा न हो उसकी क़ुर्बानी ठीक नहीं है और इतना दुबला न हो तो दुबला होने से कुछ कम नहीं। उसकी क़ुर्बानी ठीक है। लेकिन मोटे जानवर की क़ुर्बानी करना ज़्यादा बेहतर है।

मस'ला २१— जिस जानवर के दांत बिल्कुल न हों उसकी क़ुर्बानी

भी ठीक नहीं और अगर कुछ दांत गिर गए लेकिन जितने गिर गए हैं उन से ज़्यादा बाकी हैं तो उसकी क़ुर्बानी दुरुस्त है।

मस'ला २२– जिस जानवर के पैदाइश से ही कान नहीं हैं उसकी भी क़ुर्बानी ठीक नहीं है और अगर कान तो हैं लेकिन बिल्कुल ज़रा-ज़रा से छोटे-छोटे हैं तो उसकी क़ुर्बानी ठीक है।

मस'ला २३– जिस जानवर के पैदाइश से ही सींग नहीं या सींग तो थे लेकिन टूट गए उसकी क़ुर्बानी ठीक है अलबत्ता अगर बिल्कुल जड़ से टूट गए हों तो क़ुर्बानी ठीक नहीं।

मस'ला २४– खस्सी यानी बधिया बकरे और मेंढे की क़ुर्बानी ठीक है।

मस'ला २५– अगर जानवर क़ुर्बानी के लिए ख़रीद लिया तब कोई ऐसा ऐब पैदा हो गया जिससे क़ुर्बानी ठीक नहीं तो उसके बदले दूसरा जानवर ख़रीद कर क़ुर्बानी करे। हां! अगर ग़रीब आदमी हो जिस पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं तो उसके वास्ते ठीक है कि उसी जानवर की क़ुर्बानी कर दे।

मस'ला २६– क़ुर्बानी का गोश्त आप खाए अपने रिश्ते-नाते के लोगों को दे और फ़कीरों और मुहताजों को ख़ैरात करे बल्कि बेहतर यह है कि कम से कम तिहाई हिस्सा ख़ैरात करे। ख़ैरात में तिहाई से कम न करे लेकिन अगर किसी ने थोड़ा ही गोश्त ख़ैरात किया तो भी कोई गुनाह नहीं है।

मस'ला २७– क़ुर्बानी की खाल या तो यूं ही ख़ैरात कर दे या बेच कर उसकी क़ीमत ख़ैरात कर दे। वह क़ीमत ऐसे लोगों को दें जिनको ज़कात का पैसा देना ठीक है और क़ीमत में जो पैसे मिले हैं बिल्कुल वही पैसे ख़ैरात करना चाहिए। अगर वह पैसे किसी काम में ख़र्च कर डाले और उतने ही पैसे और अपने पास से दे दिए तो बुरी बात है मगर अदा हो जाएंगे।

मस'ला २८– उस खाल की क़ीमत को मस्जिद की मरम्मत और

किसी नेक काम में लगाना ठीक नहीं। ख़ैरात ही करना चाहिए।

मस'ला २९— अगर खाल को अपने काम में लाये जैसे किसी ने उसकी मशक या डोल या जानमाज़ बनवा ली यह भी ठीक है।

मस'ला ३०—गोश्त, चर्बी या छिछड़े कसाई को मज़दूरी में न दें बल्कि मज़दूरी अलग से अपने पास से दें।

मस'ला ३१— क़ुर्बानी की रस्सी, झूल वग़ैरा सब चीज़ें ख़ैरात कर दें।

मस'ला ३२— किसी पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं थी लेकिन उसने क़ुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लिया तो अब उस जानवर की क़ुर्बानी वाजिब होगी।

मस'ला ३३— किसी पर क़ुर्बानी वाजिब थी लेकिन क़ुर्बानी के तीनों दिन गुज़र गए और उसने क़ुर्बानी न की तो एक बकरी या भेड़ की कीमत ख़ैरात कर दे। और जानवर ख़रीद लिया तो जानवर ख़ैरात कर दे।

मस'ला ३४— जिसने क़ुर्बानी करने की मन्नत मानी और वह काम हो गया जिसके लिए मन्नत मानी थी तो अब क़ुर्बानी करना वाजिब है चाहे मालदार हो या न हो और मन्नत की क़ुर्बानी का सारा गोश्त फ़क़ीरों में ख़ैरात कर दे। न आप खाए, न अमीरों को दे। जितना आपने खाया हो, अमीरों को दिया हो, उतना ख़ैरात करना पड़ेगा।

मस'ला ३५— अपनी ख़ुशी से किसी मुर्दे को सवाब पहुंचाने के लिए क़ुर्बानी करें तो उसके गोश्त में से ख़ुद खाना, खिलाना, बांटना सब इसी तरह ठीक है जिस तरह अपनी क़ुर्बानी का हुक्म है।

मस'ला ३६— अगर कोई मुर्दा वसीयत कर गया हो कि उसके तर्के में से उसकी तरफ़ से क़ुर्बानी की जाए और उसकी वसीयत पर उसी के माल से क़ुर्बानी की गई तो उस क़ुर्बानी के सब गोश्त वग़ैरा को ख़ैरात करना वाजिब है।

मस'ला ३७— अगर कोई आदमी वहां मौजूद नहीं और एक दूसरे आदमी ने उसकी तरफ़ से बग़ैर उसके कहे क़ुर्बानी कर दी तो यह क़ुर्बानी सही नहीं हुई अगर किसी जानवर में किसी ग़ायब आदमी का हिस्सा बग़ैर उसके कहे डाल लिया तो हिस्सेदारों की क़ुर्बानी भी सही नहीं होगी।

मस'ला ३८— अगर एक जानवर में कई आदमी शरीक है। और वे सब गोश्त को आपस में तक़सीम नहीं बल्कि एक ही जगह फ़कीरों व जानकारों को तक़सीम करना या पकाकर खाना चाहें तो यह भी जायज़ है, अगर तक़सीम करें तो उसमें बराबरी ज़रूरी है।

मस'ला ३९— क़ुर्बानी की खाल की कीमत किसी को उजरत में देना जायज़ नहीं क्योंकि उसको ख़ैरात करना ज़रूरी है।

मस'ला ४०— क़ुर्बानी का गोश्त काफ़िर को भी देना जायज़ है बशर्ते कि उजरत में न दिया जाए।

मस'ला ४१— अगर कोई जानवर गाभिन हो तो उसकी क़ुर्बानी जायज़ है। अगर बच्चा ज़िन्दा निकले तो उसको भी ज़बह कर दें।

11. अक़ीक़ा

मस'ला १— जिसके कोई लड़का या लड़की पैदा हो तो बेहतर है कि सातवें दिन उसका नाम रख दे और अक़ीक़ा कर दे। अक़ीक़ा कर देने से बच्चे की सब अला-बला दूर हो जाती है, और आफ़तों से हिफ़ाज़त रहती है।

मस'ला २— अक़ीके का क़ायदा यह है कि अगर लड़का हो तो दो बकरियां या दो भेड़ और लड़की हो तो एक बकरी या एक भेड़ ज़िबह करें या क़ुर्बानी के जानवर में लड़के के वास्ते दो हिस्से और लड़की के लिए एक हिस्सा लें और सर के बाल मुंडवा दें और बालों

के बराबर चांदी या सोना तौलकर ख़ैरात कर दें और सर में जाफ़रान लगा दें।

मस'ला ३– अगर सातवें दिन अक़ीक़ा न करें तो जब भी करें सातवें दिन होने का ख़्याल करना बेहतर है। तरीक़ा यह है कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ हो उससे एक दिन पहले अक़ीक़ा कर दें। यानी अगर जुमे को पैदा हुआ तो जुमेरात को अक़ीक़ा कर दें या जब चाहें करें वह हिसाब से सातवां दिन पड़ेगा।

मस'ला ४– यह दस्तूर कि जिस वक़्त बच्चे के सर पर उस्तरा रखा जाए और नाई सर मूंडना शुरू करे उसी वक़्त बकरी ज़िबह हो, एक ग़लत रस्म है। शरीअ़त से सब जायज़ है– चाहे सर मूंडने के बाद ज़िबह करे या पहले ज़िबह करे।

मस'ला ५– जिस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं, उसका अक़ीक़ा भी दुरुस्त नहीं और जिस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है उसका अक़ीक़ा भी दुरुस्त है।

मस'ला ६– अक़ीक़ा का गोश्त चाहे कच्चा तक़सीम करें पकाकर बांटे या दावत करके खिलाए सब दुरुस्त है।

मस'ला ७– अक़ीक़ा का गोश्त मां, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी सब को खाना ठीक है।

मस'ला ८– किसी में ज़्यादा गुंजाइश नहीं इसलिए उसने लड़के की तरफ़ से एक बकरी का अक़ीक़ा किया तब भी कुछ हर्ज नहीं। यह जायज़ है और अगर बिल्कुल अक़ीक़ा ही न करे तो भी हर्ज नहीं।

मस'ला ९– जब अक़ीक़े का जानवर ज़िबह करना चाहे तो पहले यह दुआ पढ़े :–

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ بْنِيْ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ

وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ

اجْعَلْهَا فِدَآءً لِابْنِىْ مِنَ النَّارِ . اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ

अल्लाहुम्म हाज़िही अक़ीक़तुब्नी फुलानि दमुहा बिदमिही व लहमुहा बिलहमिही व अज़्मुहा बिअज़्मीही व जिल्दुहा बिजिल्दिही व शअ्रुहा बिशअ्रिही। अल्लाहुम्म-जअ्लहा फ़िदामिमबिही इबनि मिनन्नार०

इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ-त-रस्समावाति वलअर्ज़ा हनीफ़ों वमा अन मिनलमुश्रिकीन इन्ना सलाती वनुसुकी व महयाय व ममाति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला शरीक लहु वबिज़ालिक उमिर्तु व अन मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मम मिनक वलक०

(ऐ अल्लाह! मैं अपने इस बच्चे के सदके में यह जानवर तेरे नाम ज़िब्ह करता हूं जिस का ख़ून इस बच्चे के ख़ून के बदले में, इसका गोश्त इस बच्चे के गोश्त के बदले में, इस जानवर की हड्डियां इस बच्चे की हड्डियों के बदले में, इसकी खाल इस बच्चे की खाल के बदले में और इसके बाल इस बच्चे के बालों के बदले में हैं। ऐ अल्लाह! इस जानवर को मेरे बेटे के लिए दोज़ख़ की आंच से बचने के लिए फ़िद्या बना। मैंने अपना पूरा ध्यान सब तरफ़ से हटाकर सिर्फ़ उसी ज़ात के लिए कर दिया है जिसने धरती और आकाश को बनाया है। अल्लाह के साथ उसका सिलसिला मानने वालों के साथ मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है। निस्संदेह मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िन्दगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। वह सारे जहानों का पालने वाला है। उसका कोई साझी नहीं है। मुझको उसी का हुक्म दिया गया है। मैं हुक्म मानने वालों में पहला आदमी हूं। ऐ अल्लाह! यह कुर्बानी तेरी ही तरफ़ से है और तेरे ही लिए है।)

6. हज

1. हज क्या है?

जिस आदमी के पास ज़रूरत से ज़्यादा इतना ख़र्च हो कि सवारी पर औसत गुज़रान से खाता-पीता चला जाए और हज करके वापस आ जाए, उसके ज़िम्मे हज फर्ज़ हो जाता है। हज की बड़ी बुज़ुर्गी ब्यान की गई है। चुनांचे हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया है कि हज और उमरा दोनों गुनाहों को इस तरह दूर करते हैं जैसे कि भट्टी लोहे के मैल को दूर कर देती है।

जिसके ज़िम्मे हज फर्ज़ हो गया और वह हज न करे उसके लिए बड़ी सख़्त सज़ा बताई गई है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया है कि जिस शख़्स के पास खाने-पीने और सवारी का इतना इन्तज़ाम हो जिससे वह बैतुल्लाह शरीफ़ तक जा सके और फिर वह हज न करे तो कुछ अजीब नहीं कि वह यहूदी या नसरानी होकर मरे और यह भी फ़रमाया कि हज को छोड़ना इस्लाम का तरीक़ा नहीं है।

हज के मसाइल समझने से पहले कुछ ख़ास लफ़्ज़ों का जानना ज़रूरी है।

मीक़ात— वह जगह जहां से हज करने वाले को बिना एहराम के जाने की रुकावट है।

एहराम— मीक़ात से गुज़रते वक़्त नहाने के बाद एक-एक चादर बांधना, दूसरी ओढ़ना और हज की नीयत करना।

तल्बीह— एक ख़ास दुआ।

हरम— ख़ाना का'बा के चारों तरफ़ ज़मीन का एक हदबंद

हिस्सा यहां शिकार करना, पेड़ व हरी घास काटना हराम है।

हज्रे असवद— ख़ाना का'बा के पूर्वी कोने पर लगा एक काला पत्थर।

रुकने यमानी— ख़ाना का'बा के पश्चिमी कोने पर लगा सफ़ेद पत्थर।

मुलतज़िम— ख़ाना का'बा के दरवाज़े और संगे असवद के बीच का हिस्सा।

हतीम— ख़ाना का'बा के शुमाल (उत्तर) में चारों तरफ़ से दीवार से घिरी हुई ज़मीन।

मीज़ाबे रहमत— ख़ाना का'बा का परनाला।

मकामे इब्राहीम— बैतुल्लाह के दरवाज़े के सामने बना एक कुब्बा जिसके नीचे तीन-चार आदमी नमाज़ पढ़ सकते हैं।

इस्तलाम— संगे असवद पर दोनों हाथ रख कर बीच में संगे असवद को चूमना।

तवाफ़— ख़ाना का'बा के गिर्द सात बार घूमना और मकामे इब्राहीम में दो रकअ़त नफ़्ल नमाज़ पढ़ना।

शौत— ख़ाना का'बा के गिर्द चक्कर लगाना।

मस्जिदे हराम— ख़ाना का'बा के चारों तरफ़ बनी एक बड़ी इमारत।

ज़मज़म— मकामे इब्राहीम के करीब एक कुंआ।

सफ़ा व मर्वा— मस्जिदे हराम के बाहर वाली दो पहाड़ियों पर सात बार आना-जाना।

मिना— मक्का से तीन मील दूर एक जगह जहां आठवीं ज़िलहिज्जा को मक्का से सुबह की नमाज़ पढ़कर ठहरा जाता है। यहां से नवीं तारीख़ की सुबह की नमाज़ के बाद अरफ़ात की तरफ़ जाया जाता है।

मस्जिदे ख़ैफ़– मिना की एक मस्जिद जहां सत्तर नबियों ने नमाज़ें पढ़ीं।

जब– मस्जिदे ख़ौफ के पास वाली पहाड़ी जिससे अरफ़ात जाया जाता है।

अरफ़ात– मिना से आठ मील दूर एक बड़ा मैदान जहां नवीं जिलहिज्ज: को ठहरा जाता है।

मस्जिदे नमरा– अरफ़ात के मैदान की मस्जिद जहां जुह्र और अस्र की नमाज़ें एक साथ पढ़ी जाएं। अज़ान एक और तकबीरें दो हों। इसे मस्जिदे इब्राहीम भी कहा जाता है।

जबले रहमत– अरफ़ात के मैदान का पहाड़ जिस पर खड़े होकर इमाम एक ख़ुत्बा पढ़ता, हज के मसायल बताता और तस्बीह कहता है। यहां खड़े होकर दुआ मांगी जाती है।

मुज़दल्फ़ा– मिना और अरफ़ात के दर्मियान एक जगह जहां मग़्रिब और इशा की नमाज़ें एक अज़ान और एक तकबीर से पढ़ी जाती हैं।

जबले कज़ह– मुज़दल्फ़ा की एक पहाड़ी।

जमरा उक़बा– मिना के किनारे पर एक लम्बा पत्थर। इसे बड़ा शैतान भी कहा जाता है। दसवीं तारीख़ को मिना पहुंचते ही पहले इसी जमरे पर कंकरियाँ मारी जाती हैं।

रमी– कंकरियाँ फेंकना

नह्र– कुर्बानी करना

हलक़– सर मुंडाना

महस्सब– मक्का के पास का मैदान जहां तेरहवीं तारीख़ को मिना से लौटते वक़्त दुआ की जाती है और थोड़ी देर आराम किया जाता है।

तवाफ़े सदर– जब हाजी घरों को वापस होते हैं तो उल्टे पांव बैतुल्लाह का चक्कर लगाते हैं।

उमरा– मीक़ात से एहराम बांधकर बैतुल्लाह में तवाफ़ करना

अशहरे हज– जिन महीनों में हज किया जाता है। शव्वाल ज़ीक़अ़द और ज़िल्हि के दस दिन।

हदी– हरम में क़ुर्बानी किया जाने वाला जानवर जैसे बकरी, भेड़ या गाय।

आफ़ाक़ी– मीक़ात की हद से बाहर रहने वाला

अय्यामे तशरीक़– नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं ज़िलहिज्जा की तारीख़

जज़ा– हज या उमरा में हुई भूल का कफ्फ़ारा

जनायत– हज में न करने वाले कामों को कर लेना

हिल्ली– मीक़ात और हरम के अन्दर वाली हद में रहने वाला

हलाल– सर मुंडवाकर एहराम से बाहर आना

दम– जनायत की क़ज़ा में की जाने वाली क़ुर्बानी

मो'तमिर– उमरा करने वाला

मुताफ़– ख़ाना का'बा के गिर्द लगे संगेमरमर के फ़र्श पर घूमना

मुअ़ल्लिम– हज कराने वाला

यलम्लम– कामरान और जद्दा के बीच समुद्र के पूर्वी किनारे पर तहामा की एक पहाड़ी

जन्नतुल मुअ़ल्ला– मक्का का क़ब्रिस्तान

का'बा– मस्जिदे हराम के बीच चौकोर शक्ल का मकाम जिसे सबसे पहले हज़रत आदम अलैहि0 ने हज़रत जिब्राईल अलैहि0 की पहचान के लिए बनाया था।

मस'ला १– उम्र भर में एक बार हज करना फ़र्ज़ है। अगर फ़र्ज़ कई हज किए तो एक फ़र्ज़ हुआ और सब नफ़्ल है। उसका भी बड़ा सवाब है।

मस'ला २– जवानी से पहले लड़कपन में अगर कोई हज किया है, उसका कुछ एतबार नहीं है। अगर मालदार है तो फिर जवान होने के बाद हज करना फ़र्ज़ है और जो हज लड़कपन में किया वह नफ़्ल है।

मस'ला ३– अंधे पर हज फ़र्ज़ नहीं चाहे जितना मालदार हो।

मस'ला ४– जब किसी पर हज फ़र्ज़ हो गया तो उसे उसी साल हज करना वाजिब है। बिना किसी वजह से देर करना और यह ख़्याल करना कि अभी उम्र पड़ी है फिर किसी साल हज कर लेंगे दुरुस्त नहीं है। फिर दो-चार बरसों के बाद भी अगर हज कर लिया तो अदा हो गया लेकिन गुनाहगार हुआ।

मस'ला ५– अगर कोई औरत हज करने जाए तो रास्ते में उसके शौहर या किसी महरम का साथ होना भी ज़रूरी है। बग़ैर उसके हज के लिए जाना दुरुस्त नहीं है।

मस'ला ६– अगर वह महरम नाबालिग़ हो या ऐसा ग़लत आदमी हो कि माँ, बहन वग़ैरा से भी उस पर इत्मीनान नहीं तो उसके साथ जाना दुरुस्त नहीं।

मस'ला ७– जब कोई भरोसे वाला महरम साथ जाने के लिए मिल जाए तो अब हज को जाने से शौहर का रोकना ठीक नहीं है और अगर शौहर रोके भी तो औरत उसकी बात न माने और चली जाए।

मस'ला ८– जो लड़की अभी जवान नहीं हुई लेकिन जवानी के करीब हो चुकी है उसको भी बिना शरई महरम के जाना ठीक नहीं और नामहरम के साथ जाना ठीक नहीं है।

मस'ला ९– जो महरम उसको हज कराने के लिए जाए उसका

सारा ख़र्च उसी पर वाजिब है कि कुछ भी ख़र्च हो ले जाने वाला दे।

मस'ला १०— अगर सारी उम्र ऐसा महरम नहीं मिला जिसके साथ सफ़र करे तो हज करने का गुनाह न होगा। लेकिन मरते वक़्त यह वसीयत कर जाना वाजिब है कि उसकी तरफ़ से हज करा दिया जाए। उसके मर जाने के बाद उसके वारिस उसके माल में से किसी आदमी को ख़र्च देकर भेजें कि वह जाकर मुर्दे की तरफ़ से हज कर आएं। इससे उसके ज़िम्मे हज उतर जाएगा। उस हज को जो दूसरे की तरफ़ से किया जाता है हज्जे बदल कहते हैं।

मस'ला ११— अगर किसी के ज़िम्मे हज फ़र्ज़ था और उसने सुस्ती से देर कर दी, फिर वह अंधा हो गया या ऐसा बीमार पड़ा कि सफ़र करने के क़ाबिल न रहा तो उसको भी हज्जे बदल की वसीयत करनी चाहिए।

मस'ला १२— अगर वह इतना माल छोड़कर मरा कि ख़र्च वग़ैरा देकर तिहाई माल से हज्जे बदल करा सकता है तब तो वारिस का पूरा करना वाजिब है और अगर माल थोड़ा है कि एक-तिहाई में से हज्जे बदल नहीं हो सकता है तो उसका वली हज न कराए।

मस'ला १३— अगर वह हज्जे बदल की वसीयत करके मर गया। लेकिन माल कम है इसलिए तिहाई माल में हज्जे बदल न हो सका और तिहाई से ज़्यादा लगाने को वारिस ने ख़ुशी से मंज़ूर नहीं किया इसलिए हज नहीं कराया गया तो उस बेचारे पर कोई गुनाह नहीं।

मस'ला १४— बग़ैर वसीयत किए उसके माल में से हज्जे बदल कराना ठीक नहीं है। हां, अगर सब वारिस ख़ुशी से मंज़ूर कर लें तो जायज़ है। मगर, नाबालिग़ की इजाज़त का कोई एतबार नहीं है।

मस'ला १५— अगर कोई औरत इद्दत में हो तो इद्दत छोड़कर हज को जाना ठीक नहीं।

मस'ला १६— जिसके पास मक्का के आने-जाने के लायक़ ख़र्च हो और मदीना का ख़र्च न हो तो उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ होगा। कुछ

लोग समझते हैं कि जब तक मदीने का भी ख़र्च न हो जाना फ़र्ज़ नहीं है, बिल्कुल ग़लत ख़्याल है।

2. हज करने का तरीक़ा

उमरा— ख़ाना का'बा की ज़ियारत और सफ़ा मरवा के दर्मियान दौड़ना जो एहराम बांधकर हो।

हज— अरफ़ात व मौक़ूफ़ करना और तवाफ़े ज़ियारत करना जो एहराम के साथ हो, ठीक एक वक़्त पर हो।

किरान— उमरा और हज का जोड़ जो एक ही एहराम से लगातार अदा किया जाए।

तमत्तुअ़— उमरा और हज का जोड़ जो दो एहरामों से अलग-अलग अदा किया जाए। इमाम आज़म रह0 के नज़दीक सबसे अफ़ज़ल किरान है फिर तमत्तुअ़ और फिर इफ़राद।

हज की शर्तें—

(१) एहराम यानी एहराम बांधे बग़ैर हज का कोई काम दुरुस्त नहीं

(२) ज़मान— हज के सब काम हज के दौरान अदा हों

(३) मकान— मस्जिदे हराम, सफ़ा व मरवा, अरफ़ात

हज के फ़रायज़—

(१) मीक़ात से एहराम का बांधना

(२) सफ़ा व मरवा के दर्मियान दौड़ लगाना

(३) ज़वाल के सूरज डूबने के थोड़ी देर बाद अरफ़ात में ठहरना

(४) मुज़दल्फ़ा में ठहरना

(५) सर मुंडवाना

(६) रमी जिमार करना (तीन शैतानों को कंकरियां मारना)

(७) विदा का चक्कर लगाना

(८) ज़ियारत का तवाफ़ करना

(९) रमी जमार ज़िब्ह से पहले करना

(१०) हदी (काबे में ले जाने वाला क़ुर्बानी का जानवर) के ज़िब्ह को हलक़ (बाल मूंडना) पर मुक़द्दम करना

(११) हदी (ऊंट) को नह्र के दिनों (दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, ज़िल्हिज्जा) में ज़िब्ह करना

हज की सुन्नतें—

(१) तवाफ़े क़दूम

(२) इमाम का ख़ुत्बा पढ़ना, सातवीं तारीख़ को मक्का में, नवीं को ज़वाल के बाद अरफ़ात में, ग्यारहवीं को मस्जिद नमरा में

(३) मक्का से मिना की तरफ़ आठवीं तारीख़ को बाद फ़ज्र निकलना

(४) पांच नमाज़ें मिना में पढ़ना

(५) अरफ़ा की रात में मिना में रहना

(६) अरफ़ा के दिन सूरज निकलने के बाद मिना से अरफ़ात जाना

(७) मिना से मक्का वापस होते हुए मुहस्सब में ज़रा ठहरना

मुस्तहब्बात—

(१) एक हज की एक क़ुर्बानी करना

(२) मक्का में दाख़िल होने के वक़्त गुस्ल करना

(३) मुज़दल्फ़ा में जाने के वक़्त गुस्ल करना

एहराम बांधना– जब मीक़ात पर पहुंचे तो एहराम बांध ले यानी नहा-धोकर एक चादर और एक तहमद पहनकर दो रकअ़त नफ़्ल पढ़े। जानमाज़ पर बैठें, सर खोले और हज बैतुल्लाह की नीयत कर लें। फिर तलबीह कहे–

لَبَّیْکَ اَللّٰھُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَاشَرِیْکَ لَکَ لَبَّیْکَ اِنَّ الْحَمْدَ

وَالنِّعْمَۃَ لَکَ وَالْمُلْکَ لَاشَرِیْکَ لَکَ

लब्बैक अल्लाहुम्म **लब्बैक ला शरीक ल क लब्बैक। इन्नलहम्द वन्निअ्‌म त ल क व लक मुल्क ला शरी क ल क।**

(उपस्थित हूं ऐ अल्लाह! उपस्थित हूं! उपस्थित हूं। तेरा कोई शरीक नहीं उपस्थित हूं तेरे लिए सारी प्रशंसा है और तेरी ही सब नेमते हैं और तेरा कोई शरीक नहीं)

बस एहराम बंध गया।

मस'ला १– घर से एहराम बांधकर चलना अफ़ज़ल है, हिन्दुस्तानियों के लिए मीक़ात यलमलम (कामरान और जिद्दा के दर्मियान समुद्र के पूर्वी छोर पर स्थित का'बा की पहाड़ियों में से एक पहाड़ी) है।

मस'ला २– अगर कोई आदमी बेहोश हो तो दूसरा उसकी तरफ़ से एहराम बांध सकता है।

मस'ला ३– तलबीह के अल्फ़ाज़ पूरी तरह वैसे ही अदा होने चाहिएं। उनमें कमी व ज़्यादती न की जाए। तलबीह के औक़ात ये हैं :

(१) हर नमाज़ के बाद

(२) जब एक-दूसरे से मुलाक़ात करें

(३) जब ऊपर चढ़ें या नीचे उतरें

(४) जब ऊंट सवारों को आते-जाते देखें

(५) जब सवारी पर चढ़ें या उतरें

(६) हर दिन सुबह के वक़्त

मस'ला ४— एहराम बांधने के बाद :—

(१) रफ़स, फ़ुसूक़ और जिदाल से बचे

(२) जानवर का शिकार न करे

(३) कुर्ता, पाजामा, क़बा (एक कपड़ा जो और कपड़ों पर पहना जाता है) अमामा (पगड़ी, कपड़े का वह हिस्सा जो सर के बराबर टोपी के ऊपर पहना जाता है) टोपी और मोज़े न पहने।

(४) कोई कपड़ा जो ज़ाफ़रान-जैसी किसी खुश्बूदार चीज़ से रंगा हुआ हो, न पहने

(५) मर्द सर और मुंह को न ढांपे। लेकिन औरतें सिर्फ़ मुंह न ढकें

(६) खुश्बूदार तेल न लगाएं

(७) बदन के बाल साफ़ न करें और नाख़ून न कुतरें

मस'ला ५— अगर मुम्किन हो तो हरम की ज़मीन में पैदल चलें और बहुत आजिज़ी से कदम उठाए। इस तरह चले कि जैसे कोई आजिज़ और मिस्कीन आदमी बादशाह के दरबार में हाज़िर होता है।

मस'ला ६— मस्जिदे हराम में बाबुस्सलाम से दाख़िल होना बेहतर है। बहुत आजिज़ी से लब्बैक कहते हुए दाखिल हो और उस जगह की अज़मत और जलाल दिल में क़ायम कर लें। अगर कोई रोके तो उससे बहुत नर्मी से पेश आए। बेहतर यह है कि नंगे पैर दाख़िल हो।

मस'ला ७— जब ख़ाना का'बा देखे तो दुआ मांगे और फिर

तवाफ करे

मस'ला ८– जब हज़्रे असवद की तरफ जाए तो दोनों हाथ कानों तक उठाए और तहलील कहे। फिर हाथ छोड़ दे, जिस तरह नमाज़ में तकबीर तहरीमा करते हैं।

मस'ला ९– हज़्रे असवद को इस तरह बोसा दे कि दोनों हाथ हज़्रे असवद पर रखकर दोनों होंठों को हज़्रे असवद पर लगाए।

मस'ला १०– अगर भीड़ ज़्यादा हो तो औरत के वास्ते हज़्रे असवद को बोसा देना ज़रूरी नहीं।

मस'ला ११– ख़ाना का'बा के गिर्द चक्कर करने को तवाफ कहते हैं। पहले नीयत करे। हर चक्कर हज़्रे असवद से शुरू करके हज़्रे असवद पर ही ख़त्म करे।

मस'ला १२– अपने सीधे हाथ की तरफ से तवाफ़ शुरू करे कि हतीम (ख़ाना का'बा के पूर्व में एक भू-भाग है, इसके चारों ओर दीवार खिंची हुई है) और ख़ाना का'बा के बीच में रहे।

मस'ला १३– तवाफ के पहले तीन चक्करों में इज़्तबा (एहराम की चादर को दोनों हाथों की बग़ल के नीचे से निकाल कर बायें हाथ से मुंह पर डालना।) और रमल (दोनों कंधे मिलाकर दौड़ते हुए चलना) करें।

मस'ला १४– तवाफ से फारिग़ होकर मकामे इब्राहीम पर दो रकअत नमाज़ पढ़कर दुआ मांगे।

मस'ला १५– सफा जाने से पहले ज़मज़म के पास जाए और उसका पानी पेट भर कर पियें। बाकी पानी कुएं में डाल दें और दुआ मांगे। फिर मुल्तज़िम (ख़ाना का'बा और संगे-असवद (काला पत्थर) के बीच वाला भाग) के पास जाएं और उसे बोसा दें। उसके बाद सफा व मरवा की दौड़ लगायें।

मस'ला १६– सफा पहाड़ पर चढ़ें तो दौड़ने की नीयत कर लें।

सफा पर इतना ऊंचा चढ़ें कि ख़ना का'बा दिखाई देने लगे।

मस'ला १७— सफा पहाड़ पर मुंह किबले की तरफ कर लें और तकबीर व तहलील कहें फिर हज़रत सल्ल० पर दुरूद शरीफ भेजे और दोनों हाथ उठाकर ख़ुदा से अपनी हाजत चाहें।

मस'ला १८— दौड़ना सफा से शुरू करे ताकि सात फेरों के बाद दौड़ मरवा पर ख़त्म हो।

मस'ला १९— मीलीन और अख्ज़बीन के दर्मियान दौड़कर चलें।

मस'ला २०— मरवा पर भी इतना ऊंचा चढ़ें कि ख़ाना का'बा को देख सकें और ख़ाना का'बा की तरफ मुंह करें। दौड़ में तल्बीह कहते रहें।

मस'ला २१— दौड़ के बाद चाहिए कि मस्जिद में जाएं और दो रकअत नमाज़ पढ़ें।

मस'ला २२— मक्का में ठहरने के दौरान जितनी नेकी हो सके करें। क्योंकि वहां एक नेकी का सवाब एक लाख गुना होता है और गुनाहों से बचें।

मस'ला २३— मक्का के क़ियाम में मस्जिदे हराम में बैठकर कम -से-कम एक कुरआन शरीफ ख़त्म करें।

मस'ला २४— आठवीं तारीख़ को हज के लिए एहराम बांधें। सुबह की नमाज़ मक्का मुअज़्ज़मा में पढ़कर सूरज निकलने के बाद मिना की तरफ चलें।

मस'ला २५— नवीं तारीख़ को बाद नमाज़े फज्र सब हाजी मिना से अरफात को जायें।

मस'ला २६— मस्जिदे नमरा में इमाम मिम्बर पर आ जाए और अज़ान के बाद खड़े होकर दो ख़ुत्बे पढ़े। उस ख़ुत्बे में लोगों को वकूफ, रमी जमार, कुर्बानी, हलक़, और तवाफ के अहकाम सुनाए।

मस'ला २७— जब इमाम ख़ुत्बे से फारिग हो तो मुअज़्ज़िन इक़ामत कहे और जुह्र और अस्र की नमाज़ मिलाकर जुह्र के वक़्त

में पढ़े।

मस'ला २८– इन दोनों नमाज़ों में फासला न देना चाहिए। दर्मियान में नफ्ल भी न पढ़े। इन दोनों नमाज़ों को जमा करना सुन्नत है।

मस'ला २९– नमाज़ अस्र के बाद सब मौकिफ की तरफ रवाना हो। जबले रहमत के पास वकूफ करना बेहतर है। मौक़िफ में तस्बीह बराबर कहते रहे।

मस'ला ३०– इमाम को चाहिए कि जबले रहमत के करीब किबले की तरफ मुंह करके ऊंट पर खड़ा हो और दुआ मांगे और सब आदमी भी अपने लिए और अपने अज़ीज़ों और करीब वालों के लिए दुआ मांगे और दिल में तय करें कि आइन्दा गुनाह न करेंगे।

मस'ला ३१– गुरूब आफताब के बाद इमाम सब आदमियों को लेकर मुज़्दलफा की तरफ चले। मुज़्दलफा में जबले कज़ह के पास उतरना अफज़ल है। वादिए मुहस्सिर में न ठहरें।

मस'ला ३२– इशा के वक्त अज़ान व इकामत के बाद इमाम दोनों नमाज़ें मग़रिब और इशा की जमा करके पढ़ाए। इन दोनों नमाज़ों के दर्मियान में न नफ्ल पढ़े और न फासला ही करे।

मस'ला ३३– इशा के बाद पूरी रात जागते रहे। नमाज़ और तिलावत कुरआन और दुआ में वक्त लगाते रहे क्योंकि वह रात शबे-कद्र से भी अफज़ल है।

मस'ला ३४– इमाम को चाहिए कि ईद के दिन मुज़दलफा से सुबह के वक्त सूरजनिकलनेसे पहले हाजियों के साथ मिना की तरफ कूच करे।

मस'ला ३५– मिना में उस दिन पहले रमी जमार अक़बा करें। उसके बाद क़ुर्बानी करे। कुर्बानी के बाद सर मुंडवाए या बाल कटवाए लेकिन सर मुंडवाना ही बेहतर है। औरत को सिर्फ उंगली के एक पोरे के बराबर बाल कुतरवाने चाहिए।

मस'ला ४— ग़ैर की तरफ से हज करने वाले को उस आदमी की जानिब से इतना ख़र्च मिलना चाहिए कि मक्का तक जाने और वापस आने तक को काफ़ी हो।

मस'ला ५— मैयत के तिहाई माल से हज कराया जाए।

4. औरतें हज में क्या करें ?

मस'ला १— अगर औरत को एहराम की हालत में हैज़ हो जाए तो गुस्ल कर ले और फिर एहराम बांधे। वह तवाफ के सिवा सब काम करे।

मस'ला २— वकूफ अरफात से पहले अगर औरत को हैज़ हो जाए तो चाहिए कि नहा कर हज का एहराम बांधे और हज के सब काम करे मगर तवाफ नहीं। वह नहाने के बाद करे।

मस'ला ३— ज़ियारत के तवाफ के मौके पर अगर हैज़ या निफास हो जाए या बीमार हो जाए तो पाक होने के बाद तवाफ करे।

मस'ला ४— तवाफे विदा के मौके पर अगर औरत को हैज़ हो जाए और घर वापस जाना ज़रूरी हो तो तवाफे-विदा करने की ज़रूरत नहीं।

मस'ला ५— औरत को एहराम में सिला और रंगा हुआ लिबास पहनना जायज़ है मगर वह खुश्बू से रंगा हुआ न हो। मोज़े, दस्ताने, कमीज़, ओढ़नी, हरीर, कपड़े और ज़ेवर पहनना भी जायज़ है।

मस'ला ६— औरत एहराम में सर ढांके और मुंह खुला रखे।

मस'ला ७— सफा व मरवा के बीच औरत न दौड़े। अगर भीड़ ज़्यादा हो तो वह सफा और मरवा पर भी न चढ़े।

मस'ला ८— औरत के वास्ते सर मुंडवाना हराम है कस्र कराए।

5. हज करने से रुक जाना

मस'ला १– महरम अगर बीमार हो जाए या दुश्मन का ख़ौफ़ हो, औरत का शौहर रास्ते में मर जाए, रास्ते में ख़र्च जाता रहे या किराए का जानवर मर जाए तो वह आदमी मुहस्सर है।

मस'ला २– मुहस्सर एहराम से इस तरह बाहर हो कि एक हदी का जानवर किसी शख़्स के हाथ भेज दे कि हरम में ज़िब्ह करे या कीमत भेज दे ताकि वहां हदी ख़रीद कर ज़िबह की जाए। ज़िब्ह का दिन और वक़्त तय करे ताकि उसके बाद घर बैठे ही एहराम उतार दे। हलक़ या क़स्र की ज़रूरत नहीं।

मस'ला ३– आइन्दा साल मुहस्सर को उसके बदले एक हज और एक उमरा करना चाहिए।

मस'ला ४– अगर महरम ईद की सुबह तक वकूफ़ अरफ़ात न कर सके तो हज फ़ौत हो जाता है।

मस'ला ५– जब हज फ़ौत हो जाए तो लाज़िम है कि तवाफ़ ख़ाना का'बा व सफ़ा व मरवा की दौड़ लगाकर एहराम उतार दे और वह हज अगले साल करे मगर क़ुर्बानी वाजिब नहीं।

मस'ला ६– हदी के तीन जानवर हैं। सबसे अफ़्ज़ल ऊंट है। फिर गाय, बैल, फिर भेड़, बकरी है।

मस'ला ७–हदी पर सवारी न करनी चाहिए, न उसकी कोई चीज़ काम में लाई जाए।

मस'ला ८– हदी का दूध न निकालना चाहिए। अगर निकाले तो उस को ख़ैरात कर दे।

मस'ला ९— हदी के अगर बच्चा पैदा हो तो उसको ख़ैरात कर दे या साथ ही ज़िबह कर दे।

मस'ला १०— ऊंट को नह्र करना अफ़ज़ल है और गाय, बकरी को ज़बह करना अफ़्ज़ल।

मस'ला ११— हज की कुर्बानी बकरईद की कुर्बानी से न करे।

मस'ला १२— हदी का गोश्त खाना मालिक को दुरुस्त है। हदी के गोश्त को मिस्कीनों में ऐसे ही बांटनी चाहिए जैसे कुर्बानी का बांटते हैं।

6. जज़ा और कफ़्फ़ारा

मस'ला १— एहराम या हज में जो काम नहीं करने चाहिए, मगर कोई अचानक हो जाए तो जज़ा लाज़िम होगी और शरई मजबूरी में किया जाए तो कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा।

मस'ला २— जज़ा में तय किया हुआ सदका दिया जाएगा। कुर्बानी और कफ़्फ़ारे में तय की हुई क़ुर्बानी, सदका या रोज़ा—जो चाहे पसन्द करे।

मस'ला ३— जो जानवर शिकार किया है उसके बदले हदी ख़रीदकर ख़ैरात करे वरना उसकी क़ीमत ख़ैरात करे।

मस'ला ४— जो जानवर शिकार किया है उसकी जज़ा में रोज़ा रखे।

मस'ला ५— जूं या टिड्डी मारने की जज़ा में सदका दे चाहे थोड़ी ही हो जैसे एक हाथ यानी मुट्ठी भर खाना।

मस'ला ६— एहराम वाला अगर बिना एहराम किसी महरम का

सर मूंडे तो मूंडने वाले को सदका देना होगा और मुंडवाने वाले को क़ुर्बानी करनी होगी।

मस'ला ७– बाल उखाड़ने या काटने या किसी चादर से साफ़ करने का हुक्म मूंडने के बराबर है।

मस'ला ८– अगर हाथ पैर के नाख़ून काटे तो क़ुर्बानी करनी होगी।

मस'ला ९– अगर सिले हुए कपड़े बिना किसी मजबूरी एक दिन पहने तो कुर्बानी देनी होगी।

मस'ला १०– अगर सिला हुआ या ख़ुश्बू में रंगा हुआ कपड़ा मर्द पहने तो दो कुर्बानियां देनी होंगी। लेकिन अगर औरत पहने तो एक, क्योंकि वह सिला हुआ कपड़ा पहन सकती है।

मस'ला ११– अगर ख़ुश्बू लगाई या ख़ुश्बूदार तेल, तो कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा चाहे वह दवा के तौर पर ही हो।

मस'ला १२– ख़ुश्बू लगाने से जो जज़ा लाज़िम हुई है अगर वह दे दी गई तो उस ख़ुश्बू की चीज़ को अलग कर देना चाहिए।

मस'ला १३– फूल जैसे ख़ुश्बू की चीज़ें सूंघने से कुछ जज़ा नहीं पड़ती लेकिन उसका सूंघना मकरूह है।

मस'ला १४– अगर एहराम बांधने के बाद से वक़ूफ़ अरफ़ात तक किसी वक़्त सोहबत की तो उमरा फ़ासिद हो गया। अगर उस के बाद किया तो फ़ासिद न होगा।

मस'ला १५– अगर किसी को एहराम की हालत में एहतलाम हो जाए तो ग़ुस्ल कर ले।

मस'ला १६– अगर औरत का बोसा लिया या उसको शहवत से हाथ लगाया तो क़ुर्बानी लाज़िम आएगी।

मस'ला १७– मुहरिम (एहराम बांधने वाला) हरम की हद में या हरम से बाहर शिकार करे तो जज़ा देनी होगी और बग़ैर एहराम सिर्फ हरम की हद में शिकार करे तो तावान लाज़िम है।

मस'ला १८– खुश्की के जानवरों का शिकार हराम है, दरियाई जानवरों का हलाल है।

मस'ला १९– अगर मुहरिम खुद शिकार करे चाहे जानकर या भूलकर तो उस की जज़ा देनी होगी।

मस'ला २०– अगर मुहरिम भूख की वजह से शिकार करने पर मजबूर हो जाए और शिकार कर ले तब भी उसको जज़ा देनी होगी।

मस'ला २१– दरिन्दा जानवर के शिकार में एक बकरी जज़ा में दी जाती है।

मस'ला २२– अगर कोई दरिन्दा जानवर मुहरिम पर हमला करे और बचाव में मुहरिम उसको मार डाले तो कुछ जज़ा लाज़िम नहीं।

मस'ला २३– अगर हरम के जानवर का दूध निकाले तो उसकी कीमत के हिसाब से जज़ा देनी होगी।

मस'ला २४– अगर शिकारी किसी जानवर के अंडे को तोड़े तो उसकी कीमत भी देनी लाज़िम होगी।

मस'ला २५– अगर मुहरिम शिकार ख़रीदे या बेचे तो यह ख़रीद बातिल (झूठी) है।

7. मदीने की ज़ियारत

मस'ला १– अगर गुंजाइश हो तो हज से पहले या हज के बाद मदीना मुनव्वरा हाज़िर होकर हज़रत रसूल मक़बूल सल्ल0 के मुबारक रौज़े और मस्जिद नबवी की ज़ियारत से बरकत हासिल करें। इसकी बाबत रसूल मक़बूल सल्ल0 ने फ़रमाया है कि जिस आदमी ने आपकी वफ़ात के बाद आपकी ज़ियारत की उसको वही बरकत मिलेगी जैसे आपकी ज़िन्दगी में किसी ने आपका दीदार किया। और यह भी फ़रमाया है कि जो आदमी ख़ाली हज करे और आपकी ज़ियारत को न जाए तो उसने रसूल मकबूल सल्ल0 के साथ बड़ी बेवफ़ाई की। मस्जिद नबवी के लिए रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया कि जो शख़्स उसमें नमाज़ पढ़े उसको पचास हज़ार नमाज़ों के बराबर सवाब मिलेगा।

हदीस १. हुज़ूर अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया, जिस शख़्स ने मेरी मस्जिद में चालीस नमाज़ें पढ़ीं और कोई नमाज़ क़ज़ा न की तो वह निफ़ाक़ (फूट) और दोज़ख़ के अज़ाब से बरी कर दिया गया।

हदीस २. रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया है : मस्जिदों में सिर्फ़ तीन मस्जिदें ही ऐसी हैं जिनकी ज़ियारत के लिए सफ़र किया जा सकता है : एक मस्जिदे हराम, दूसरी मेरी मस्जिद यानी मस्जिदे नबवी और तीसरी मस्जिदे अक़्सा यानी बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद।

हदीस ३. हुज़ूर अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया, अगर कोई मदीने में मर सकता है तो उसे मदीने में ही मरना चाहिए। क़ियामत के दिन मैं मदीने में मरने वालों को बख़्शवाऊंगा।

7. निकाह

1. निकाह का मतलब

मस'ला १— निकाह अल्लाह तआला की बड़ी नेमत है। दीन और दुनिया दोनों के काम इससे दुरुस्त हो जाते हैं। आदमी गुनाह से बचता है। उसका दिल ठिकाने हो जाता है और नीयत ख़राब व डावांडोल नहीं हो पाती।

मस'ला २— निकाह सिर्फ़ दो लफ़्ज़ों से बंध जाता है जैसे किसी ने गवाहों के रू-ब-रू कहा: मैंने अपनी लड़की का निकाह तुम्हारे साथ किया। उसने कहा, मैंने कुबूल किया। बस निकाह बंध गया और दोनों मियां-बीवी हो गए।

मस'ला ३— किसी ने कहा—अपनी फलां लड़की का निकाह मेरे साथ कर दो। उसने कहा, मैंने अपनी लड़की का निकाह तुम्हारे साथ कर दिया तो निकाह हो गया। चाहे फिर वह यूँ कहे कि उसने कुबूल किया या कुछ न कहे, बहरहाल निकाह हो गया।

मस'ला ४— अगर खुद औरत वहां मौजूद हो और इशारा कर के यूं कह दे कि मैंने उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दिया। वह कहे कि मैंने कुबूल किया तब भी निकाह हो गया। नाम लेने की ज़रूरत नहीं। और अगर वह खुद मौजूद न हो तो उस का भी नाम ले और उस के बाप का नाम भी इतने ज़ोर से ले कि गवाह सुन लें।

मस'ला ५— निकाह होने के लिए यह भी शर्त है कि यह कम-से-कम दो मर्दों या एक मर्द और दो औरतों के सामने किया जाए और वे लोग अपने कानों से निकाह होने और ईजाब व कुबूल के दोनों

लफ़्ज़ कहते सुनें, तब निकाह होगा। साथ ही ये मर्द और औरत दोनों मुसलमान हों और बालिग़ भी हों।

मस'ला ६— अगर कोई मर्द न हो, सिर्फ़ औरतें ही औरतें हैं तब भी निकाह दुरुस्त नहीं है चाहे दस-बारह औरतें क्यों न हों। दो औरतों के साथ एक मर्द होना ही चाहिए।

मस'ला ७— बेहतर यह है कि बड़े मजमे में निकाह किया जाए। जैसे: नमाज़ जुमा के बाद जामा मस्जिद में या और कहीं ताकि निकाह की ख़ूब शोहरत हो जाए। छुपछुपाकर निकाह न करे। लेकिन अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि बहुत-से आदमी जमा न हो सके तो कम-से-कम दो या एक मर्द और दो औरतें ज़रूर ही मौजूद हों जो अपने कानों से निकाह होते सुनें।

मस'ला ८— अगर मर्द भी जवान है और औरत भी जवान है तो वे दोनों अपना निकाह खुद कर सकते हैं। दो गवाहों के सामने एक कह दे कि मैंने अपना निकाह तेरे साथ किया। दूसरा कहे मैंने क़ुबूल किया। बस निकाह हो गया।

मस'ला ९— अगर किसी ने अपना निकाह खुद नहीं किया बल्कि किसी से कह दिया कि तुम मेरा निकाह किसी से कर दो या यूं कहा कि मेरा निकाह फ़लाँ से कर दो और उसने दो गवाहों के सामने कर दिया तब भी निकाह हो गया। अब अगर वह इन्कार करे तब भी कुछ नहीं हो सकता।

2. जिन लोगों से निकाह हराम है

मस'ला १— अपनी औलाद, पोती, पड़पोती और नवासी वग़ैरा के साथ निकाह दुरुस्त नहीं और बाप, दादा, परदादा वग़ैरा से दुरुस्त नहीं।

मस'ला २— अपने भाई, मामू, चचा, भतीजे और भांजे के साथ निकाह दुरुस्त नहीं। शरअ् में भाई वह है जो एक मां-बाप से हो या दोनों का बाप एक और मां दो हैं या दोनों की मां एक हो और बाप दो हों। जिसका बाप भी अलग हो और मां भी अलग हो, वह भाई नहीं, उससे निकाह दुरुस्त है।

मस'ला ३— दामाद के साथ भी निकाह दुरुस्त नहीं है चाहे लड़की की रुख़्सती हो चुकी हो और दोनों मियां बीवी एक साथ रह रहे हों या अभी रुख़्सती न हुई हो, हर तरह हराम है।

मस'ला ४— किसी का बाप मर गया और मां ने दूसरा निकाह किया लेकिन अभी औरत उसके घर न रहने पाई थी कि मर गई या आदमी ने उसे तलाक़ दे दी तो उस सौतेले बाप से निकाह करना दुरुस्त है। हां, अगर माँ उसके पास रह चुकी हो तो उससे निकाह दुरुस्त नहीं।

मस'ला ५— सौतेली औलाद से निकाह करना दुरुस्त नहीं। यानी एक मर्द की कई बीवियां हों तो सौत की औलाद से निकाह दुरुस्त नहीं। चाहे अपने मियां के पास रह चुकी हो या न रही हो— हर तरह निकाह हराम है।

मस'ला ६— सुसर और सुसर के बाप व दादा के साथ भी निकाह दुरुस्त नहीं।

मस'ला ७— जब अपनी बहन निकाह में रहे तब तक बहनोई से निकाह दुरुस्त नहीं अलबत्ता अगर बहन मर गई या उस ने छोड़ दिया और इद्दत पूरी हो चुकी तो अब बहनोई से निकाह दुरुस्त है मगर तलाक की इद्दत पूरी होने से पहले निकाह दुरुस्त नहीं।

मस'ला ८— एक मर्द का निकाह एक औरत से हुआ तो अब जब तक वह औरत उसके निकाह में रहे उसकी फूफी और उसकी ख़ाला और भतीजी का निकाह उस मर्द से नहीं हो सकता।

मस'ला ९— जिन दो औरतों में ऐसा रिश्ता हो कि अगर उन दोनों औरतों में से कोई मर्द होती तो आपस में दोनों का निकाह न हो सकता ऐसी दो औरतें एक साथ एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकतीं। जब एक मर जाए या तलाक़ मिल जाए तो इद्दत गुज़र जाए तब दूसरी औरत उस मर्द से निकाह करे।

मस'ला १०— एक औरत है और उसकी सौतेली लड़की है, ये दोनों एक साथ किसी मर्द से निकाह कर लें तो दुरुस्त है।

मस'ला ११— सगा मामूँ न होकर रिश्ते के मामू से निकाह दुरुस्त है। इसी तरह अगर किसी दूर के रिश्ते से चाचा, भांजा या भतीजा होता है उससे भी निकाह दुरुस्त है। ऐसे ही अगर भाई नहीं है बल्कि चचाज़ाद या ख़लाज़ाद भाई है उससे भी निकाह दुरुस्त है।

मस'ला १२— लयपालक का शरअ़ में कुछ एतबार नहीं, लड़का बनाने से सचमुच वह लड़का नहीं हो जाता इसलिए बनाए हुए बेटे से निकाह दुरुस्त है।

मस'ला १३— दो बहनें अगरी सगी न हों, मामूंज़ाद, चचा ज़ाद, फूफी या ख़ालाज़ाद बहनें हों तो वे दोनों एक साथ ही एक मर्द से निकाह कर सकती हैं, ऐसी बहन के रहते हुए भी बहनोई से निकाह दुरुस्त है। यही हाल फूफी और ख़ाला वग़ैरा का है। अगर कोई दूर का रिश्ता निकलता हो तो फूफी, भतीजा और ख़ाला, भांजी का एक साथ ही एक मर्द से निकाह दुरुस्त है।

मस'ला १४— जितने लोग ख़ानदानी रिश्ते के एतबार से हराम हैं। वे रिश्ते दूध पीने के एतबार से भी हराम हैं। दूध पिलाने वाली माँ के शौहर से निकाह दुरुस्त नहीं क्योंकि वह उसका बाप हुआ और दूध शरीक भाई से निकाह दुरुस्त नहीं जिसको उसने दूध पिलाया है उससे उसकी औलाद से निकाह दुरुस्त नहीं क्योंकि वह उसकी औलाद हुई। दूध के हिसाब से मामूं, भांजा, चाचा, भतीजा सबसे निकाह हराम है।

मस'ला १५– दूध शरीक दो बहनें हों तो वे दोनों बहनें एक साथ एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकतीं। मतलब यह है कि जो हुक्म ऊपर ब्यान हो चुका, दूध के रिश्तों में भी वही हुक्म है।

मस'ला १६– मुसलमान औरत का निकाह मुसलमान के सिवा और मज़हब वाले मर्द से दुरुस्त नहीं।

मस'ला १७– किसी औरत के मियां ने तलाक़ दे दिया या मर गया तो जब तक तलाक़ की इद्दत या मरने की इद्दत पूरी न हो चुके तब तक दूसरे मर्द से निकाह करना दुरुस्त नहीं।

मस'ला १८– जिस औरत का निकाह दूसरे किसी मर्द से हो चुका हो तो अब बिना तलाक़ लिए और इद्दत पूरी किए किसी दूसरे से निकाह करना दुरुस्त नहीं।

मस'ला १९– जिस मर्द के निकाह में चार औरतें हों अब उससे पांचवीं औरत का निकाह दुरुस्त नहीं और उन चारों में से अगर एक को तलाक़ दे दी तो जब तक तलाक़ की इद्दत पूरी न हो चुके कोई औरत उस से निकाह नहीं कर सकती।

मस'ला २०– सुन्नी लड़की का निकाह शीआ मर्द के साथ बहुत से आलिमों के फ़त्वे में ठीक नहीं।

मस'ला २१– किसी मर्द ने किसी औरत के साथ ज़िना किया तो अब उस औरत की मां और उस औरत की औलाद को उस मर्द से निकाह करना ठीक नहीं।

मस'ला २२– किसी औरत ने जवानी की ख़्वाहिश के साथ बदनीयती से किसी मर्द को हाथ लगाया तो अब उस औरत की मां और औलाद को उस मर्द से निकाह करना जायज़ नहीं। इसी तरह अगर किसी मर्द ने किसी औरत पर हाथ डाला तो वह मर्द उसकी मां और औलाद पर हराम हो गया।

मस'ला २३— रात को अपनी बीवी को जगाने के लिए उठा मगर ग़लती से लड़की या सास पर हाथ पड़ गया और बीवी समझकर जवानी की ख़्वाहिश के साथ उसको हाथ लगाया तो अब वह मर्द अपनी बीवी पर हमेशा के लिए हराम हो गया। अब कोई सूरत जायज़ होने की नहीं है और लाज़िम है कि वह मर्द अपनी औरत को तलाक़ दे दे।

मस'ला २४— किसी लड़के ने अपनी सौतेली मां पर बदनीयती से हाथ डाल दिया तो अब वह औरत अपने शौहर पर बिल्कुल हराम हो गई। अब वह किसी सूरत से हलाल नहीं हो सकती और अगर सौतेली मां ने सौतेले लड़के के साथ ऐसा किया तब भी यही हुक्म है।

मस'ला २५— जिस औरत का शौहर न हो और उसको बदकारी से हमल हुआ, उसका निकाह भी दुरुस्त है लेकिन बच्चा पैदा होने से पहले सोहबत करना ठीक नहीं अलबत्ता जिस ने ज़िना किया था अगर उसी से निकाह हुआ तो सोहबत भी ठीक है।

3. वली या मालिक

लड़के और लड़की से निकाह करने का हक़ रखने वाले को वली कहा जाता है।

मस'ला १— लड़की और लड़के का वली सबसे पहले उसका बाप है। अगर बाप न हो तो दादा। वह न हो तो परदादा। अगर उनमें से कोई न हो तो सगा भाई, वह न हो तो सौतेला यानी बाप शरीक भाई, फिर भतीजा, फिर भतीजे का लड़का और उसके बाद भतीजे का पोता। ये भी न हो तो सगा चचा, फिर सौतेला चचा, यानी बाप का भाई, फिर सगे चाचा का लड़का, फिर उसका पोता फिर सौतेले चचा का लड़का और पोता। ये कोई न हों तो बाप का चचा वली है। फिर

उसकी औलाद, अगर बाप का चचा और उसके लड़के, पोते परपोते कोई न हों तो माँ वली है फिर दादी, फिर नानी, फिर नाना फिर हकीकी बहन जो बाप शरीक हो फिर जो भाई बहन मां शरीक हों, फिर फूफी, फिर मामूं, फिर ख़ला वग़ैरा।

मस'ला २– नाबलिग़ शख़्स किसी का वली नहीं हो सकता और काफ़िर किसी मुसलमान का वली नहीं हो सकता और मजनूं, पागल भी किसी का वली नहीं हो सकता।

मस'ला ३– बालिग़ यानी जवान औरत ख़ुदमुख़्तार है चाहे निकाह करे या न करे और जिसके साथ जी चाहे करे कोई शख़्स उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर वह ख़ुद अपना निकाह किसी से कर ले तो निकाह हो जाएगा चाहे वली को ख़बर हो या न हो; चाहे वली ख़ुश हो या चाहे नाख़ुश–हर तरह निकाह दुरुस्त है। हाँ, अगर अपने मेल में निकाह नहीं किया, अपने से कम ज़ात वाले से निकाह कर लिया और वली नाख़ुश है तो फ़त्वा उस पर है कि निकाह दुरुस्त न होगा। और अगर अपने मेल में ही किया लेकिन जितना मह्र उसके दर्मियान ख़ानदान में बांधा जाता है जिसको शरअ् में मह्रे मिस्ल कहते हैं उससे बहुत कम पर निकाह कर लिया तो इन सूरतों में निकाह तो हो गया लेकिन उसका वली उस निकाह को तुड़वा सकता है। मुसलमान हाकिम से फ़रियाद करे वह निकाह तोड़ दे लेकिन उस फ़रियाद का हक़ उस वली को है जिसका ज़िक्र मां से पहले आया है, यानी बाप से लेकर दादा व चचा के बेटों पोतों तक।

मस'ला ४– किसी वली ने जवान लड़की का निकाह बिना उससे पूछे और बिना इजाज़त लिए कर दिया तो वह निकाह उसकी इजाज़त पर है। अगर वह लड़की इजाज़त दे तो निकाह हो गया और अगर वह राज़ी न हो और इजाज़त न दे तो नहीं हुआ।

मस'ला ५– जवान कुंवारी लड़की से वली ने आकर कहा कि वह उसका निकाह फ़लां-फ़लां के साथ किए देता है या उसने कह

दिया है। इस पर वह लड़की चुप हो गई। या मुस्कुरा दी या रोने लगी तो बस यही इजाज़त है। अब वह वली निकाह कर दे तो ठीक हो जाएगा या कर चुका था तो दुरुस्त हो गया। यह बात नहीं है कि जब ज़बान से कहे तब ही इजाज़त समझी जाए। जो लोग ज़बरदस्ती करके ज़बान से क़बूल कराते हैं, बुरा करते हैं।

मस'ला ६– वली ने इजाज़त लेते वक़्त शौहर का नाम नहीं लिया, न उसको पहले से मालूम है तो ऐसे वक़्त चुप रहने से रज़ामन्दी साबित न होगी और इजाज़त न समझेंगे बल्कि नाम व निशान बताना ज़रूरी है जिससे लड़की इतना समझ जाए कि फ़लाँ शख़्स है। इसी तरह अगर मह्र नहीं बतलाया और महर मिस्ल से बहुत कम पर निकाह पढ़ दिया तो औरत की इजाज़त के बिना निकाह न होगा। इसके लिए क़ायदे के मुताबिक़ फिर इजाज़त लेनी चाहिए।

मस'ला ७– अगर लड़की कुंवारी है बल्कि एक निकाह पहले हो चुका है अब दूसरा निकाह है और उससे उसके वली ने इजाज़त ली और पूछा तो बस चुप रहने से इजाज़त न होगी बल्कि ज़बान से कहना चाहिए। अगर उसने ज़बान से नहीं कहा सिर्फ़ चुप रहने से निकाह कर दिया तो निकाह मौकूफ़ रहा। बाद में अगर ज़बान से मंज़ूर करे तो निकाह हो गया और मंज़ूर न करे तो नहीं हुआ।

मस'ला ८– बाप के होते हुए चचा भाई वग़ैरा किसी और वली ने कुंवारी लड़की से इजाज़त मांगी तो अब सिर्फ़ चुप रहने से इजाज़त न होगी बल्कि ज़बान से इजाज़त होगी। हां अगर बाप ने ही उनको इजाज़त लेने के लिए भेजा था तो सिर्फ़ चुप रहने से इजाज़त हो जाएगी। मतलब यह है कि जो वली सबसे पहला आदमी इजाज़त ले तब चुप रहने से इजाज़त होगी और अगर हक़ था दादा का और पूछा भाई ने तो ऐसे वक़्त चुप रहने से इजाज़त न होगी।

मस'ला ९– यही हुक्म लड़के का है। अगर जवान हो तो उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और वली उसकी इजाज़त के बग़ैर

निकाह नहीं कर सकता। अगर बिना पूछे निकाह कर देगा तो इजाज़त पर रुका रहेगा और अगर इजाज़त दे दी तो हो गया। नहीं तो नहीं हुआ। अलबत्ता इतना फर्क है कि लड़के के सिर्फ चुप रहने से इजाज़त नहीं होती ज़बान से कहना और बोलना चाहिए।

मस'ला १०— अगर लड़की या लड़का नाबालिग़ हो तो खुदमुख़्तार नहीं है, बग़ैर वली के उनका निकाह नहीं होता। अगर उसने वली के बिना निकाह कर लिया या किसी और ने निकाह कर दिया तो वली की इजाज़त पर मौकूफ है। अगर वली इजाज़त देगा तो निकाह होगा वरना नहीं होगी और वली को उससे निकाह करने, न करने का पूरा हक है, जिससे चाहे कर दे। नाबालिग़ लड़के और लड़कियां इस निकाह को उस वक़्त रद्द नहीं कर सकते चाहे वह नाबालिग़ लड़की कुंवारी हो या पहले और कोई निकाह हो चुका हो और रुख़्सती भी हो चुकी हो—दोनों का एक हुक्म है।

मस'ला ११— नाबालिग़ लड़की या लड़के का निकाह अगर बाप या दादा ने किया है तो जवान होने के बाद भी उस निकाह को रद्द नहीं कर सकते चाहे अपने मेल में किया हो या बेमेल, कम ज़ात वाले से कर दिया हो और चाहे मह्‌र मिस्ल पर निकाह किया हो या उससे बहुत कम पर निकाह कर दिया हो, हर तरह निकाह सही है और जवान होने के बाद भी वह कुछ नहीं कर सकते।

मस'ला १२— कायदे से जिस वली को नाबालिग़ लड़की का निकाह करने का हक है वह परदेस में है और इतनी दूर है कि अगर उसका इन्तज़ार करें और उससे मशवरा लें तो वह मौका हाथ से जाता रहेगा और पैग़ाम देने वाला इतना इन्तज़ार न करेगा या फिर ऐसी जगह मुश्किल से मिलेगी तो ऐसी सूरत में उसके बाद वाला वली भी निकाह कर सकता है। अगर उसने बिना उससे पूछे निकाह कर दिया तो निकाह हो गया और अगर इतनी दूर न हो तो बग़ैर उसकी राय लिए दूसरे वली को निकाह न कराना चाहिए। अगर करेगा तो उस वली की इजाज़त पर मौकूफ रहेगा जब यह इजाज़त देगा तब सही होगा।

4. मेल और बेमेल आदमी

मस'ला १— शरअ् में इसका बड़ा ख़्याल किया गया है कि बेमेल और बेजोड़ निकाह न किया जाए यानी लड़की का निकाह किसी ऐसे मर्द से न करो जो उसके बराबर दर्जे और उसकी टक्कर का नहीं है।

मस'ला २— बराबरी कई तरह की होती है एक तो नसब में बराबर होना दूसरे मुसलमान होने में, तीसरे दीनदारी में, चौथे उमर में, पांचवें पेशे में।

मस'ला ३— नसब में बराबरी तो यह है कि शैख़ सैयद, अन्सारी और अलवी ये सब एक-दूसरे के बराबर हैं, यानी अगरचे सैयदों का रुतबा औरों से बढ़कर है लेकिन अगर सैयद की लड़की शेख़ के यहां ब्याही गई तो यह न कहेंगे कि अपने मेल में निकाह नहीं हुआ बल्कि यह भी मेल ही है।

मस'ला ४— नसब में एतबार बाप का है मां का नहीं। और बाप सैयद है तो लड़का भी सैयद है अगर बाप शैख़ है तो लड़का भी शैख़ है, मां चाहे जैसी हो। अगर किसी सैयद ने बाहर की कोई औरत घर में डाल ली और उससे निकाह कर लिया तो लड़के सैयद हुए और शरअ् के एतबार से सब एक ही मेल के कहलाएंगे।

मस'ला ५— मुग़ल पठान सब एक क़ौम हैं मगर शेख़ों व सैयद की टक्कर के नहीं। अगर शेख़ या सैयद की लड़की उनके यहां ब्याही गई तो कहेंगे कि बेमेल और घटकर निकाह हुआ।

मस'ला ६— मुसलमान होने में बराबरी का एतबार सिर्फ़ मुग़ल पठान वग़ैरा और क़ौमों में है। शेख़ों, सैयदों, अलवियों और अन्सारियों में उसका कुछ एतबार नहीं है तो जो शख़्स खुद मुसलमान हो गया और उसका बाप काफ़िर था वह शख़्स उस औरत के बराबर का नहीं

जो खुद भी मुसलमान है और उसका बाप भी मुसलमान था और जो आदमी खुद भी मुसलमान है और उसका बाप भी मुसलमान है लेकिन उसका दादा मुसलमान नहीं वह उस औरत के बराबर का नहीं जिसका दादा भी मुसलमान है।

मस'ला ७— दीनदारी का यह मतलब है कि ऐसा शख़्स जो दीन का पाबन्द नहीं लुच्चा, शोहदा, शराबी, बदकार आदमी नेकबख़्त, पारसा, दीनदार औरत के बराबर न समझा जाएगा।

मस'ला ८— माल में बराबरी के ये मायने हैं कि बिल्कुल मुफ़लिस, मुहताज मालदार औरत के बराबर का नहीं है और अगर वह बिल्कुल मुफ़लिस नहीं, बल्कि जितना मह्र पहली रात को देने का दस्तूर है उतना मह्र दे सकता है तो अपने मेल और बराबरी का है अगरचे सारा मह्र न दे सके और यह ज़रूरी नहीं है कि जितने मालदार लड़की वाले हैं लड़का भी उतना ही मालदार हो या उसके क़रीब-क़रीब मालदार हो।

मस'ला ९— पेशे में बराबरी यह है कि जुलाहे दर्ज़ी के मेल के और जोड़ के नहीं। इसी तरह नाई, धोबी वग़ैरा भी दर्ज़ी के बराबर नहीं।

मस'ला १0— दीवाना, पागल आदमी होशियार, समझदार औरत के मेल का नहीं।

5. मह्र

मस'ला १— निकाह में चाहे मह्र का कुछ ज़िक्र करें या न करें हर हाल में निकाह हो जाएगा लेकिन मह्र देना पड़ेगा बल्कि अगर कोई यह शर्त कर ले कि वह मह्र न देगा और बे-मह्र निकाह करेगा तब भी मह्र देना पड़ेगा।

मस'ला २— मह्र की कम-से-कम मिक़दार पौने तीन रुपये भर

चाँदी है और ज़्यादा की कोई हद नहीं चाहे जितना बांधे। लेकिन महर का ज़्यादा बढ़ना अच्छा नहीं है। सो अगर किसी ने सिर्फ़ एक रुपया भर चांदी या एक रुपया या अठन्नी बांध कर निकाह किया तब भी पौने तीन रुपये चांदी देनी पड़ेगी। शरीअत में इस से कम मह्र नहीं हो सकता और अगर रुख़्सती से पहले ही तलाक़ दे दी तो सिर्फ़ उसका आधा दे।

मस'ला ३– अगर निकाह के वक़्त मह्र का बिल्कुल ज़िक्र ही नहीं किया गया कि कितना है या इस शर्त पर निकाह किया जाता है, कुछ मह्र न देंगे, फिर दोनों में से कोई मर गया या ऐसी तन्हाई व यकजाई हो गई जो शरअ् में मोतबर है तब भी मह्र दिलाया जाएगा। और इस सूरत में मह्र मिस्ल देना होगा। और अगर उस सूरत में उस तरह की तन्हाई से पहले मर्द ने तलाक़ दे दी तो मह्र पाने की मुस्तहिक नहीं है बल्कि सिर्फ़ एक जोड़ा कपड़ा पाएगी और यह जोड़ा देना मर्द पर वाजिब है, न देगा तो गुनाहगार होगा।

मस'ला ४– जोड़े में सिर्फ़ चार कपड़े मर्द पर वाजिब हैं, एक कुर्ता, एक सरबन्द यानी ओढ़नी, एक पायजामा या साड़ी (जिस चीज़ का दस्तूर हो) और एक बड़ी चादर जिसमें सर से पैर तक सिमट सके। इसके सिवा और कोई कपड़ा वाजिब नहीं।

मस'ला ५– मर्द की जैसी हैसियत हो वैसे ही कपड़े देने चाहिए। अगर मामूली व ग़रीब आदमी हो तो सूती कपड़े और बहुत ग़रीब आदमी नहीं लेकिन बहुत अमीर भी नहीं तो टसर के और जो बहुत मालदार हो तो उम्दा रेशमी कपड़े देने चाहिएं। लेकिन हर हाल में यह ख़्याल रहे कि जोड़े की क़ीमत मह्र मिस्ल के आधे से न बढ़े और एक रुपया छः आने भर चांदी के जितने दाम हों उससे कम क़ीमत भी।

मस'ला ६– निकाह के वक़्त तो कुछ मह्र नहीं माना गया लेकिन निकाह के बाद मियां बीवी, दोनों ने अपनी ख़ुशी से कुछ तय कर लिया तो वही दिलाया जाएगा। अलबत्ता अगर तन्हाई व यकजाई

मिलने से पहले ही तलाक मिल गई तो इस सूरत में मह्र पाने की मुस्तहिक नहीं है बल्कि सिर्फ वही एक जोड़ा कपड़ा मिलेगा।

मस'ला ७– सौ या हज़ार रुपये अपनी हैसियत के मुताबिक मह्र तय किया फिर शौहर ने अपनी ख़ुशी से कुछ मह्र और बढ़ा दिया और कहा कि वह सौ रुपये की जगह डेढ़ सौ रुपये देगा तो जितने ज़्यादा देने को कहे वे भी वाजिब हो गए। न देगा तो गुनाहगार होगा और अगर तन्हाई व यकजाई होने से पहले तलाक मिल गई तो जितना असल मह्र था उसी का आधा दिया जाएगा जितना बाद में बढ़ाया था उसको न गिना जाएगा। इसी तरह औरत ने अपनी ख़ुशी व रज़ामन्दी से अगर कुछ माफ कर दिया तो जितना माफ किया है उतना माफ हो गया अब उसके पाने की मुस्तहिक नहीं है।

मस'ला ८– अगर शौहर ने कुछ दबाव डालकर, धमका कर, दिक करके मह्र माफ करा लिया तो उसके माफ कराने से माफ नहीं हुआ। अब भी उसके ज़िम्मे अदा करना वाजिब है।

मस'ला ९– मह्र में रुपये पैसे, सोना, चांदी कुछ तय नहीं किया बल्कि कोई गांव, बाग़ या कुछ ज़मीन तय हुई तो यह भी दुरुस्त है। जो कुछ तय किया है वही देना पड़ेगा।

मस'ला १०– जहां कहीं पहली ही रात को सब मह्र देने का दस्तूर हो वहां पहली रात ही सारा मह्र ले लेने का औरत को हक़ है अगर पहली रात न मांगा तो जब मांगे तब मर्द को देना वाजिब है। देर नहीं कर सकता।

मस'ला ११– हिन्दुस्तान में दस्तूर है कि मह्र का लेन-देन तलाक या मर जाने के बाद होता है कि जब तलाक मिल जाती है तब औरत मह्र का दावा करती है या मर्द मर गया तो कुछ माल छोड़ गया तो उस माल में से लेती है और अगर औरत मर गई तो उसके वारिस मह्र के दावेदार होते हैं और जब तक मियां बीवी साथ रहते

हैं तब तक न कोई देता है न वह मांगती है तो ऐसी जगह इस दस्तूर की वजह से तलाक़ मिलने से पहले मह्र का दावा नहीं कर सकती।

मस'ला १२– मह्र की नीयत से शौहर ने जो कुछ दिया तो जितना दिया उतना मह्र अदा हो गया। देते वक़्त औरत से यह बताना ज़रूरी नहीं है कि उसे मह्र दे रहा है।

मस'ला १३– मर्द ने कुछ दिया मगर औरत कहती है कि वह चीज़ शौहर ने उसे यूं ही दी, मह्र में नहीं। लेकिन मर्द कहता है कि यह मैंने मह्र दिया है तो मर्द की बात का एतबार किया जाएगा। अलबत्ता अगर खाने-पीने की चीज़ थी तो उसको न समझेंगे।

मस'ला १४– किसी ने दस, बीस, सौ या हज़ार रुपए अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ मह्र तय किया और बीवी को रुख़्सत करा लिया और उससे सोहबत की या सोहबत नहीं की मगर तन्हाई में मियां बीवी किसी ऐसी जगह रहे जहां सोहबत करने से रोकने और मना करने वाली कोई बात न थी तो पूरा मह्र जितना तय किया अदा करना वाजिब है और अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि लड़की या लड़का मर जाए तब भी पूरा मह्र देना वाजिब है और अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई और मर्द ने तलाक़ दे दी तो आधा मह्र देना वाजिब है।

मस'ला १५– शौहर नामर्द है लेकिन दोनों मियां बीवी में वैसी तन्हाई हो चुकी तब भी पूरा मह्र पाएगी।

मस'ला १६– किसी ने बीवी समझकर ग़लती से किसी ग़ैर औरत से सोहबत कर ली उसको मह्रे मिस्ल देना पड़ेगा और उस सोहबत को ज़िना नहीं कहेंगे, न कुछ गुनाह होगा बल्कि अगर पेट रह गया तो उस लड़के का नसब भी ठीक है। उसके नसब में कोई धब्बा नहीं और उसको हरामी कहना दुरुस्त नहीं और जब मालूम हो गया कि वह अपनी औरत न थी तो अब उस औरत से अलग रहे अब सोहबत करना दुरुस्त नहीं और उस औरत को भी इद्दत में बैठना

वाजिब है। अब बग़ैर इद्दत पूरी किए अपने मियां के पास रहना और मियां से सोहबत करना दुरुस्त नहीं।

मस'ला १७– जितना मह्र पेशगी देने का दस्तूर है, अगर उतना मह्र पेशगी न दिया तो औरत का हक है कि जब तक उतना न पाए तब तक मर्द को हमबिस्तर न होने दे और अगर एक बार सोहबत कर चुका है तब भी इख़्तियार है कि अब दूसरी या तीसरी बार काबू न पाने दे और अगर वह अपने साथ परदेस ले जाना चाहे तो उतना मह्र लिए बिना परदेस न जाए।

6. मह्रे मिस्ल

मस'ला १– मह्रे मिस्ल या ख़ानदानी मह्र का यह मतलब है कि उस औरत के बाप के घराने में कोई दूसरी औरत देखे जो उसके मिस्ल हो यानी वह अगर कम उम्र है तो वह भी निकाह के वक़्त कम उम्र हो। अगर यह ख़ूबसूरत है तो वह भी ख़ूबसूरत हो, इसका निकाह कुंवारेपन में हुआ और उसका निकाह भी कुंवारेपन में हुआ हो। निकाह के वक़्त जितना मालदार यह है उतना ही मालदार वह भी थी। जिस देश की यह रहने वाली है उसी देश की वह भी हो। अगर यह दीनदार, होशियार, सलीकादार, पढ़ी-लिखी हो तो वह भी ऐसी ही हो। मतलब जिस वक़्त उसका निकाह हुआ है उस वक़्त उन बातों में वह भी उसके मिस्ल थी जिससे अब निकाह हुआ तो जो मह्र उसका तय हुआ था वही इसका मह्रे मिस्ल है।

7. काफ़िरों का निकाह

मस'ला १– काफिर लोग अपने मज़हब के एतबार से जिस तरीके से निकाह करते हों, शरीअत उसे भी मोतबर रखती है और अगर वे दोनों एक साथ मुसलमान हो जाएं तो अब निकाह दोहराने

की ज़रूरत नहीं यही निकाह अब भी बाकी है।

मस'ला २– अगर दोनों में से एक मुसलमान हो गया, दूसरा नहीं हुआ तो निकाह जाता रहा। अब मियां-बीवी की तरह रहना-सहना दुरुस्त नहीं है।

8. बीवियों में बराबरी करना

मस'ला १– जिस आदमी की कई बीवियां हों तो मर्द पर वाजिब है कि सबको बराबर रखे। जितना एक औरत को दिया है दूसरी भी उतने की ही दावेदार हो सकती है। अगर वह एक के पास एक रात रहा तो दूसरी के पास भी एक रात रहे। उस के पास दो या तीन रातें रहा तो दूसरी के पास भी दो या तीन रातें रहे। जितना माल, ज़ेवर, कपड़े उसको दिए उतने ही की दूसरी औरत भी हकदार है।

मस'ला २– जिसका नया निकाह हुआ और जो पुरानी हो चुकी दोनों का हक बराबर है, कुछ फर्क नहीं।

मस'ला ३– बराबरी सिर्फ रात के रहने में है दिन के रहने में बराबरी होना ज़रूरी नहीं। अगर दिन में एक के पास ज़्यादा रहा और दूसरी के पास कम रहा तो कुछ हर्ज नहीं और रात में बराबरी वाजिब है अगर एक के पास मग़रिब के वक़्त हो आया और दूसरी के पास इशा के बाद आया तो गुनाह हुआ अलबत्ता जो शख़्स रात को नौकरी में लगा रहता हो और दिन में घर में रहता हो जैसे चौकीदार, पहरेदार, उसके लिए दिन को बराबरी का हुक्म है।

मस'ला ४– एक औरत से ज़्यादा मुहब्बत है और दूसरी से कम तो इसमें कुछ गुनाह नहीं क्योंकि दिल अपने इख़्तियार में नहीं होता।

मस'ला ५– सफ़र में जाते वक़्त बराबरी वाजिब नहीं जिसको जी चाहे साथ ले जाए और बेहतर यह है कि पांसा डाल ले जिसका

नाम निकले उसे ले जाए ताकि कोई अपने दिल में नाखुश न हो।

मस'ला ६– सोहबत करने में बराबरी करना वाजिब नहीं है यानी अगर एक की बारी सोहबत की है तो दूसरी की बारी में भी सोहबत करे, यह ज़रूरी नहीं।

9. दूध पीना और पिलाना

मस'ला १– जब बच्चा पैदा हो तो मां पर दूध पिलाना वाजिब है अलबत्ता अगर मालदार हो और कोई अन्ना तलाश कर सके तो माँ का दूध न पिलाने में कुछ भी गुनाह नहीं।

मस'ला २– किसी लड़की को बिना मियां की इजाज़त लिए दूध पिलाना ठीक नहीं हां अगर कोई बच्चा भूख के मारे तड़पता हो और उसके मर जाने का डर हो तो ऐसे वक़्त बिना इजाज़त भी दूध पिला दें।

मस'ला ३– ज़्यादा-से-ज़्यादा दूध पिलाने की मुद्दत दो बरस है। दो बरस के बाद दूध पिलाना हराम है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं।

मस'ला ४– अगर बच्चा कुछ खाने-पीने लगा और इस वजह से दो बरस से पहले दूध छुड़ा दिया तब भी कुछ हर्ज नहीं।

मस'ला ५– जब बच्चे ने किसी और औरत का दूध पीया तो वह औरत उसकी मां बन गई और उस अन्ना का शौहर जिसके बच्चे का वह दूध है उस बच्चे का बाप हो गया और उसकी औलाद उसके दूध शरीक भाई बहन हो गए और निकाह हराम हो गया तो जो रिश्ते नसब के एतबार से हराम हैं वे रिश्ते दूध के एतबार से भी हराम हो जाते हैं। अगर ढाई बरस के बाद दूध पिया हो तो इसका बिल्कुल एतबार नहीं, सबके नज़दीक निकाह दुरुस्त है।

मस'ला ६— जब बच्चे के गले में दूध चला गया तो सब रिश्ते हराम हो गए चाहे दूध थोड़ा गया हो या बहुत।

मस'ला ७— अगर बच्चे ने छाती से दूध नहीं पीया बल्कि उसने अपना दूध निकाल कर उसके मुंह में डाल दिया तो उससे भी सब रिश्ते हराम हो गए। इसी तरह अगर बच्चे की नाक में दूध डाल दिया तब भी सब रिश्ते हराम हो गए और अगर कान में डाल दिया तो इसका कोई एतबार नहीं है।

मस'ला ८— अगर औरत का दूध पानी या दवा में मिलाकर पिलाया तो देखना चाहिए कि दूध ज़्यादा पिया है या पानी या दोनों बराबर। अगर दूध ज़्यादा हो या दोनों बराबर हों तो जिस औरत का दूध है, वह मां हो गई। और सब रिश्ते हराम हो गए और अगर दवा या पानी ज़्यादा है तो इसका कुछ एतबार नहीं, वह औरत मां नहीं बनी।

मस'ला ९— औरत का दूध बकरी या गाय के दूध में मिल गया और बच्चे ने भी पी लिया तो देखे ज़्यादा कौन है। अगर औरत का दूध ज़्यादा हो या दोनों बराबर हों तो सब रिश्ते हराम हो गए और जिस औरत का दूध है, वह बच्चा उसकी औलाद बन गया। अगर बकरी या गाय का दूध ज़्यादा है तो इसका कुछ एतबार नहीं, यह समझा जाएगा कि जैसे उसने पीया ही नहीं।

मस'ला १०— मुर्दा औरत का दूध दूहकर किसी बच्चे को पिला दिया तो इससे भी सब रिश्ते हराम हो गए।

मस'ला ११— दो लड़कों ने एक बकरी या एक गाय का दूध पीया तो इससे कुछ नहीं होता, वह भाई-बहन नहीं हुए।

मस'ला १२— जवान मर्द ने अपनी बीवी का दूध पी लिया तो वह हराम नहीं हुई अलबत्ता बहुत गुनाह हुआ क्योंकि दो बरस के बाद दूध पीना बिल्कुल हराम है।

मस'ला १३– एक लड़का, एक लड़की है, दोनों ने एक ही औरत का दूध पीया है तो निकाह नहीं हो सकता। चाहे वह एक ही ज़माने में पीया हो या एक ने पहले, या दूसरे ने कई बरस बाद, दोनों का एक हुक्म है।

मस'ला १४– एक लड़की ने किसी की बीवी का दूध पीया तो उस लड़की का निकाह न तो उस आदमी से हो सकता है न उसके बाप-दादा के साथ और न उस आदमी की औलाद के साथ बल्कि उस आदमी की जो औलाद दूसरी बीवी से है उससे ठीक नहीं है।

मस'ला १५– अब्बास नामी एक शख़्स ने ख़दीजा का दूध पीया और ख़दीजा के शौहर क़ासिम की एक दूसरी बीवी ज़ैनब थी जिसको तलाक मिल चुकी है तो अब ज़ैनब भी अब्बास से निकाह नहीं कर सकती क्योंकि अब्बास ज़ैनब के मियां की औलाद है और मियां की औलाद से निकाह दुरुस्त नहीं। इसी तरह अगर अब्बास अपनी औरत को छोड़ दे तो वह औरत क़ासिम के साथ निकाह कर सकती है क्योंकि वह उस का सुसर है। क़ासिम की बहन और अब्बास का निकाह नहीं हो सकता क्योंकि वे दोनों फूफी भतीजे हुए चाहे वह क़ासिम की सगी बहन हो या दूध शरीक बहन, दोनों का एक हुक्म है अलबत्ता अब्बास की बहन से क़ासिम निकाह कर सकता है।

मस'ला १६– अब्बास की एक बहन साजिदा है और साजिदा ने एक औरत का दूध पीया लेकिन अब्बास ने नहीं पिया तो उस दूध पिलाने वाली औरत का निकाह अब्बास से हो सकता है।

मस'ला १७– अब्बास के लड़के ने ज़ाहिदा का दूध पीया तो ज़ाहिदा का निकाह अब्बास से हो सकता है।

मस'ला १८– क़ासिम और ज़ाकिर दो भाई हैं और ज़ाकिर की एक दूध शरीक बहन है तो क़ासिम के साथ उसका निकाह हो सकता है अलबत्ता ज़ाकिर के साथ नहीं हो सकता है।

मस'ला १९— औरत का दूध किसी दवा में डालना जायज़ नहीं। अगर डाल दिया तो अब उसका खाना और लगाना जायज़ नहीं बल्कि हराम है। इसी तरह दवा के लिए आंख या कान में दूध डालना भी जायज़ नहीं। मतलब यह कि औरत के दूध से किसी तरह का नफ़ा उठाना और उसको अपने काम में लाना दुरुस्त नहीं।

10. तलाक़

मस'ला १— जो शौहर जवान हो चुका हो और वह दीवाना व पागल न हो तो उस के तलाक़ देने से तलाक़ हो जाएगी और जो लड़का अभी जवान नहीं हुआ और दीवाना व पागल, जिसकी अक़्ल ठीक नहीं इन दोनों के तलाक़ देने से तलाक़ नहीं हो जाती।

मस'ला २— सोते हुए आदमी के मुंह से निकला कि तुझको तलाक़ है या यूं कह दिया कि 'मेरी बीवी को तलाक़' तो इस बड़बड़ाने से तलाक़ न पड़ेगी।

मस'ला ३— किसी ने ज़बरदस्ती किसी से तलाक़ दिला दी। बहुत मारा कूटा, धमकाया कि तलाक़ दे दे नहीं तो उसे मार दिया जाएगा और इस मजबूरी से तलाक़ देने से भी तलाक़ हो जाती है।

मस'ला ४— शौहर के सिवा किसी और को तलाक़ देने का हक़ नहीं है अलबत्ता अगर शौहर ने किसी से कह दिया कि वह तलाक़ दे तो वह भी तलाक़ दे सकता है।

मस'ला ५— तलाक़ देने का हक़ सिर्फ़ मर्द को ही है। जब मर्द ने तलाक़ दे दी, तो हो गई। औरत का इसमें कुछ बस नहीं चाहे मंज़ूर करे या न करे, हर तरह तलाक़ हो गई। औरत अपने मर्द को तलाक़ नहीं दे सकती।

मस'ला ६— मर्द को सिर्फ़ तीन तलाक़ें देने का इख़्तियार है, ज़्यादा का नहीं अगर चार-पांच बार दे दे तब भी तीन तलाक़ें हुईं।

मस'ला ७– जब मर्द ने जबान से कह दिया कि उसने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी और इतने ज़ोर से कहा कि ख़ुद उन लफ़्ज़ों को सुन लिया। बस इतना कहते ही तलाक़ पड़ गई चाहे किसी के सामने कहे या अकेले में और चाहे बीवी सुने या न सुने हर हाल में तलाक़ हो गई।

मस'ला ८– तलाक़ तीन तरह की है : एक तो ऐसी तलाक़ जिसमें निकाह बिल्कुल टूट जाता है और अब बग़ैर निकाह किए उस मर्द के पास रहना जायज़ नहीं। अगर फिर उसी के पास रहना चाहे और मर्द भी उसको रखने पर राज़ी हो तो फिर निकाह करना पड़ेगा। ऐसी तलाक़ को बाइन तलाक़ कहते हैं।

दूसरी तलाक़ वह है जिसमें निकाह ऐसा टूटा कि दोबारा निकाह भी करना चाहे तो पहले औरत को किसी दूसरे से निकाह करना होगा और जब वहां तलाक़ हो जाए तब बाद इद्दत उससे निकाह हो सकेगा। ऐसी तलाक़ को मुग़ल्लिज़ा कहते हैं।

तीसरी तलाक़ वह होती है जिसमें निकाह अभी नहीं टूटा, साफ़ लफ़्ज़ों में एक या दो तलाक़ दे देने के बाद अगर मर्द पशेमान हुआ तो फिर से निकाह करना ज़रूरी नहीं, बग़ैर निकाह किए भी उसे रख सकता है। फिर मियां-बीवी की तरह रहने लगा तो दुरुस्त है अलबत्ता अगर मर्द तलाक़ देने के बाद भी बात पर जमा रहा और उससे नहीं फिरा तो जब तलाक़ की इद्दत गुज़र जायेगी तब नकाह टूट जायेगी और जुदा हो जायेगी। जब तक इद्दत न गुज़रे तब तक रखने न रखने दोनों बातों का इख़्तियार है, ऐसी तलाक़ को रजई तलाक़ कहते हैं। अलबत्ता अगर तीन तलाक़ें दे दी तो अब इख़्तियार नहीं।

मस'ला ९– तलाक़ देने के दो तरीक़े हैं : मैंने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी। मतलब यह कि ऐसी साफ़ बात कह दी जिसमें तलाक़ देने के सिवा कोई और मानी नहीं निकल सकते, ऐसी तलाक़ को सरीह (प्रकट) तलाक़ कहते हैं।

दूसरा तरीका यह है कि साफ-साफ नहीं कहे और ऐसे गोलमोल कहा जिन में तलाक का मतलब भी निकल सकता है और तलाक के सिवा दूसरे मानी भी निकल सकते हैं। जैसे: कोई कहे कि मैंने तुझको दूर कर दिया तो इसका एक मतलब तो यह कि मैंने तुझको तलाक दे दी। दूसरा मतलब यह हो सकता है कि तलाक नहीं दी लेकिन अब तुझको अपने पास नहीं रखूंगा। हमेशा अपने मायके में ही पड़ी रहे। तेरी ख़बर न लूंगा या यूं कहा कि मुझे तुझ से कोई मतलब नहीं। तू मुझ से जुदा हो गई, मैंने तुझको अलग कर दिया, जुदा कर दिया। मेरे घर से चली जा, निकल जा हट दूर हो। अपने मां-बाप के घर जाकर बैठ, अपने घर जा, मेरा तेरा निबाह न होगा या इसी तरह के और लफ़्ज़ जिनमें दोनों मतलब निकल सकते हैं। ऐसी तलाक को किनाया (इशारा, प्रतीकात्मक) कहते हैं।

मस'ला १०— अगर साफ़-साफ लफ़्ज़ों में तलाक दी तो ज़बान से निकलते ही तलाक हो गई। चाहे तलाक देने की नीयत हो या न हो बल्कि हँसी और दिल्लगी में कहा हो, हर तरह हो गई साफ लफ़्ज़ों में तलाक देने में तीसरी तरह की तलाक पड़ती है यानी इद्दत के ख़त्म होने तक उसके रखने न रखने का इख़्तियार है और एक बार कहने से एक ही तलाक पड़ेगी। न दो पड़ेंगी, न तीन। अलबत्ता अगर तीन बार कहे या यूँ कहे कि तुझको तीन तलाकें दे दी तो तीन तलाकें हो गई।

मस'ला ११— किसी ने एक तलाक दी तो जब तक औरत इद्दत में न रहे तब तक दूसरी और तीसरी तलाक देने का इख़्तियार रहता है। अगर देगा तो हो जाएगी।

मस'ला १२— किसी ने यूँ कहा कि तुझको तलाक दे दूँगा तो इस तरह कहने से तलाक नहीं हुई। इसी तरह अगर किसी बात पर यूँ कहा कि अगर फलां काम करेगी तो तलाक दे दूंगा तब भी तलाक नहीं हुई चाहे वह काम करे या न करे। हाँ, अगर यूँ कह दे कि फलां काम

करे तो तलाक़ है तो उसके कर लेने से तलाक़ पड़ जाएगी।

मस'ला १३— किसी ने अपनी बीवी को तलाक़न (तलाक़ पाने वाली) कह कर पुकारा तब भी तलाक़ पड़ गई अगरचे हँसी में ही कहा हो।

मस'ला १४— किसी ने कहा कि जब तू लखनऊ जाए तो तुझको तलाक़ है तो जब तक लखनऊ न जाएगी तलाक़ न पड़ेगी। जब वहां जाएगी तब पड़ जाएगी।

मस'ला १५— अगर साफ़-साफ़ तलाक़ नहीं दी बल्कि गोल-मोल लफ़्ज़ कहे और इशारे किनाए से तलाक़ दी तो इन लफ़्ज़ों के कहने के वक़्त अगर देने की नीयत की तो तलाक़ हो गई और पहली तरह की यानी बाइन तलाक़ हुई अब बग़ैर निकाह किए नहीं रख सकता। और अगर तलाक़ की नीयत न थी बल्कि दूसरे मायनों से कहा था तो तलाक़ नहीं हुई अलबत्ता अगर क़रीने से मालूम हो जाए कि तलाक़ देने की ही नीयत थी तो अब वह झूठ कहता है तो अब औरत उसके पास न रहे और यही समझे कि उसे तलाक़ मिल गई। जैसे: बीवी ने गुस्से में कहा कि मेरा तेरा निबाह न होगा, मुझको तलाक़ दे दे। उसने कहा—अच्छा मैंने छोड़ दिया तो यहां औरत यह समझे कि उसे तलाक़ दे दी।

मस'ला १६— किसी ने तीन बार कहा—तुझे तलाक़! तलाक़! तलाक़! तो तीनों तलाक़ें हो गईं या गोल-मोल अल्फ़ाज़ में तीन बार कहा तब भी तीन तलाक़ें हो गईं।

11. रुख़्सती से पहले तलाक़

मस'ला १— अभी मियां के पास न जाने पाई कि उसने तलाक़ दे दी या रुख़्सती तो हो गई लेकिन अभी मियाँ-बीवी में तन्हाई न होने पाई थी कि उससे पहले ही तलाक़ दे दी तो तलाक़ बाइन पड़ी चाहे

साफ लफ़्ज़ों में दी या गोल-मोल लफ़्ज़ों में। ऐसी औरत को जब तलाक़ दी जाए तो तलाक़ बाइन ही पड़ती है और ऐसी औरत के लिए तलाक़ की इद्दत भी कुछ नहीं है। तलाक़ मिलने के बाद ही दूसरे मर्द से निकाह कर सकती है और ऐसी औरत को तलाक़ देने के बाद अब दूसरी तीसरी तलाक़ देने का भी इख़्तियार नहीं। अगर देगा तो न पड़ेगी अलबत्ता अगर पहली बार ही यह कह दे कि तुझको दो या तीन तलाकें दीं तो जितनी दी हैं सब पड़ गईं अगर यूँ कहा कि तुझको दो तलाक़ हैं, तब भी ऐसी औरत को एक ही तलाक़ पड़ेगी।

मस'ला २– अगर मियाँ बीवी में तन्हाई या एकजाई हो चुकी हो या अभी न हुई हो तो ऐसी औरत को साफ़-साफ़ लफ़्ज़ों में तलाक़ देने से तलाक़ रजई पड़ती है जिसमें बिना निकाह किए भी रख लेने का इख़्तियार होता है और गोल-मोल लफ़्ज़ों से बाइन तलाक़ पड़ती है और इद्दत में भी बैठना पड़ेगा बिना इद्दत पूरी किए किसी दूसरे शख़्स से निकाह नहीं कर सकती और इद्दत के अन्दर उसका मर्द दूसरी और तीसरी तलाक़ भी दे सकता है।

12. तीन बार तलाक़ देना

मस'ला १– अगर किसी ने अपनी औरत को तीन तलाकें दे दीं तो अब वह औरत उस मर्द के लिए हराम हो गई। अब अगर फिर से निकाह कर लिया तब भी औरत का उस मर्द के पास रहना हराम है और यह निकाह नहीं हुआ। साफ़ लफ़्ज़ों में तीन तलाकें दी हों या गोल-मोल लफ़्ज़ों में सब का एक हुक्म है।

मस'ला २– तीन तलाकें एकदम दे दीं जैसे यूं कह दिया तुझ को तलाक़ है। तलाक़ है या अलग कर के तीन तलाकें दीं जैसे आज एक दी, एक कल, एक परसों या एक इस महीने में, एक दूसरे महीने में एक तीसरे महीने में यानी इद्दत के अन्दर-अन्दर तीनों तलाकें दे

दीं—सब का एक हुक्म है साफ़ लफ़्ज़ों में तलाक़ देकर फिर रोक रखने का इख़्तियार उस वक़्त होता है जब तीन तलाक़ें न दे बस एक या दो दें। जब तलाक़ें दे दीं तो अब कुछ नहीं कर सकता।

मस'ला ३— किसी ने अपनी औरत को तलाक़ रजई दी। फिर मियाँ राज़ी हो गया और रोक रखा। फिर दो-चार बरस में किसी बात पर गुस्सा आया तो एक तलाक़ रजई और दे दी जिसमें रोक रखने का इख़्तियार होता है। फिर जब गुस्सा उतरा तो रोक रखा और नहीं छोड़ा। ये दो तलाक़ें हो चुकीं। अब उसके बाद अगर कभी एक तलाक़ और दे देगा तो तीन पूरी हो जाएंगी और उसका वही हुक्म होगा कि बिना दूसरा शौहर किए उस मर्द से निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह अगर किसी ने तलाक़ बाइन दी जिसमें रोक रखने का इख़्तियार नहीं होता निकाह टूट जाता है। फिर पशेमान हुआ और मियां-बीवी ने राज़ी होकर फिर से निकाह पढ़वा लिया। कुछ ज़माने के बाद फिर गुस्सा आया और एक तलाक़ बाइन दे दी और गुस्सा उतरने के बाद निकाह पढ़वा लिया। ये दो तलाक़ें हुईं। अब तीसरी बार अगर तलाक़ देगा तो फिर वही हुक्म है कि दूसरा शौहर किए बग़ैर उससे निकाह नहीं कर सकती।

मस'ला ४— तीन तलाक़ें देने के बाद अगर फिर उसी मर्द के साथ रहना चाहे और निकाह करना चाहे तो इसकी सिर्फ़ एक सूरत है। वह यह कि पहले किसी और मर्द से निकाह करके हमबिस्तर हो। फिर वह दूसरा मर्द मर जाए या तलाक़ दे दे तो इद्दत पूरी करके पहले शौहर से निकाह कर सकती है। अगर दूसरा ख़ाविन्द तो किया लेकिन अभी वह सोहबत न करने पाया था कि मर गया या सोहबत करने से पहले ही तलाक़ दे दी तो इसका कुछ एतबार नहीं। पहले मर्द से जब ही निकाह हो सकता है कि दूसरे मर्द ने सोहबत भी की हो, बिना उसके पहले मर्द से निकाह दुरुस्त नहीं।

मस'ला ५— अगर दूसरे मर्द से इस शर्त पर निकाह हुआ कि सोहबत करके औरत को छोड़ देगा तो इस तरह इक़रार लेने का

एतबार नहीं। उसको इख़्तियार है कि उसको छोड़े या न छोड़े और जब भी चाहे छोड़ दे और यह इकरार कर के निकाह करना बहुत गुनाह है और हराम है अगर इस निकाह के बाद दूसरे ख़ाविन्द ने सोहबत कर के छोड़ दिया या मर गया तो पहले ख़ाविन्द के लिए हलाल हो गई।

मस'ला ६– निकाह करने से पहले किसी औरत को कहा– अगर मैं तुझ से निकाह करूं तो तुझको तलाक़ है जब उस औरत से निकाह करेगा तो निकाह करते ही तलाक़ बाइन पड़ जाएगी। अब बिना निकाह किए उसे नहीं रख सकता और अगर यूं कहा कि अगर तुझ से निकाह करूं तो तुझ पर दो बाइन तलाक़ें पड़ गईं और अगर तीन तलाक़ों को कहा था तो तीनों हो गईं और अब तलाक़ मुग़ल्लिज़ा हो गई।

मस'ला ७– निकाह होते ही जब तलाक़ उस पर पड़ गई तो उसने उसी औरत से फिर से निकाह कर लिया तो अब दूसरे निकाह करने से तलाक़ पड़ेगी। हां, अगर यूँ कहा कि जितनी बार तुझ से निकाह करूंगा हर बार तुझको तलाक़ है तो जब निकाह करेगा, हर बार तलाक़ पड़ जाया करेगी। अब उसी औरत को रखने की कोई सूरत नहीं। दूसरा शौहर करके अगर उस मर्द से निकाह करेगी तब भी तलाक़ पड़ जाएगी।

मस'ला ८– किसी ने कहा : जिस औरत से निकाह करूं उसे तलाक़, जिस औरत से निकाह करेगा उस पर तलाक़ पड़ जाएगी अलबत्ता तलाक़ पड़ने के बाद अगर फिर उसी औरत से निकाह कर लिया तो तलाक़ नहीं पड़ी।

मस'ला ९– अगर बीवी से कहा : अगर तू फलां काम करे तो तुझको तलाक़। अगर तू मेरे पास से जाए तो तुझको तलाक़ और अगर तू उस घर में जाए तो तुझको तलाक़ या किसी बात के होने पर तलाक़ दी तो जब वह उस काम को करेगी तब तलाक़ हो जाएगी। अगर न करेगी तो नहीं होगी और तलाक़ रजई पड़ेगी जिसमें बग़ैर निकाह के

भी रोक रखने का इख़्तियार होता है। अलबत्ता अगर कोई गोल-मोल लफ़्ज़ कहता है जैसा अगर फलां काम करेगी तो तुझ से मेरा कोई वास्ता नहीं तो जब वह उस काम को करेगी तब तलाक़ बाइन पड़ेगी बशर्ते कि मर्द ने उस लफ़्ज़ को कहते वक़्त तलाक़ की नीयत की हो।

मस'ला १०— अगर यूं कहा कि फलां काम करे तो तुझ को दो तलाकें या तीन तलाकें, तो जितनी तलाकें कही उतनी ही हो गईं।

मस'ला ११— औरत ने घर से बाहर जाने का इरादा किया। मर्द ने कहा कि अभी न जा। औरत न मानी तब मर्द ने कहा अगर तू बाहर जाएगी तो तुझ पर तलाक़ तो इसका हुक्म यह है कि अभी बाहर जाएगी तो तलाक़ पड़ेगी और अभी न गई, कुछ देर में गई तो तलाक़ न रहेगी। क्योंकि इसका यही मतलब था कि अभी न जाए फिर कभी जाए ये मतलब नहीं कि उम्र भर न जाए।

13. बीमार आदमी का तलाक़ देना

मस'ला १— बीमारी की हालत में किसी ने औरत को तलाक़ दे दी। फिर औरत की इद्दत अभी ख़त्म न हो पाई थी कि उसी बीमारी में मर गया तो शौहर के माल में से जितना बीवी का हिस्सा होता है उतना ही औरत को भी मिलेगा चाहे एक तलाक़ दी हो या दो तीन और चाहे तलाक़ रजई दी हो या बाइन, सबका एक ही हुक्म है। अगर इद्दत ख़त्म हो चुकी तब वह मरा तो हिस्सा न पाएगी। इसी तरह अगर मर्द उसी बीमारी में नहीं बल्कि उससे अच्छा हो गया था फिर बीमार हो गया और मर गया—तब भी हिस्सा पाएगी चाहे इद्दत ख़त्म हो चुकी हो या न हुई हो।

मस'ला २— औरत ने तलाक़ मांगी थी इसलिए मर्द ने तलाक़

दी थी औरत हिस्सा पाने की हक़दार नहीं चाहे इद्दत के अन्दर मरे या इद्दत के बाद, दोनों का एक ही हुक्म है।

मस'ला ३– बीमारी की हालत में औरत से कहा कि अगर तू घर से बाहर जाए तो तुझ पर तलाक़ बाइन है और फिर औरत बाहर गई और तलाक़ बाइन हो गई तो इस सूरत में हिस्सा न पाएगी कि उसने ऐसा काम क्यों किया जिससे तलाक़ पड़ी और अगर यूं कहा कि अगर तू खाना खाए तो तुझको तलाक़ बाइन है। या यूं कहा कि अगर तू नमाज़ पढ़े तो तुझको तलाक़ बाइन है। ऐसी सूरत में अगर वह इद्दत के अन्दर मर जाएगा तो औरत को हिस्सा मिलेगा क्योंकि औरत के इख़्तियार से तलाक़ नहीं पड़ी क्योंकि खाना खाना और नमाज़ पढ़ना तो ज़रूरी है।

मस'ला ४– किसी भले-चंगे आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि जब वह घर से बाहर निकले तो उसे तलाक़ बाइन है फिर जिस वक़्त वह घर से बाहर निकली उस वक़्त वह बीमार था और उसी बीमारी में इद्दत के अन्दर मर गया तब भी हिस्सा न पाएगी।

मस'ला ५– तन्दुरुस्ती के ज़माने में कहा : जब तेरा बाप परदेस से आए तो तुझको तलाक़ है। जब वह परदेस से आया उस वक़्त मर्द बीमार था और उसी बीमारी की हालत में यह कहा और उसी बीमारी में मर गया तो हिस्सा पाएगी।

14. तलाक़ के बाद बीवी को रोक लेना

मस'ला १– जब किसी ने एक या दो रज़ई तलाक़ दी तो इद्दत ख़त्म होने से पहले मर्द को इख़्तियार है कि उसको रोक रखे। फिर से निकाह करने की ज़रूरत नहीं है और चाहे राज़ी हो या न हो, उसको

कुछ इख़्तियार नहीं है और अगर तीन तलाक़ दे दी तो इसमें यह इख़्तियार नहीं।

मस'ला २— रजअत कर लेने यानी रोक रखने का तरीका यह है कि या तो साफ़-साफ़- ज़बान से कह दे कि मैं तुझको फिर से रख लेता हूं, तुझे न छोड़ूंगा या यूं कह दे कि मैं अपने निकाह में तुझको रोकता हूं या औरत से नहीं कहा, किसी और से कहा कि मैंने अपनी बीवी को फिर से रख लिया और तलाक़ न दी। बस इतना कहने से वह फिर उसकी बीवी हो गई।

मस'ला ३— जब औरत को रोक रखना मंजूर हो तो बेहतर है कि दो-चार लोगों को गवाह बना ले कि शायद कुछ झगड़ा पड़े तो कोई मुकर न सके। अगर किसी को गवाह न बनाया तो अकेले में ऐसा कर लिया तब भी ठीक है। मतलब तो हासिल हो ही गया।

मस'ला ४— अगर औरत की इद्दत गुज़र चुकी तब ऐसा करना चाहा तो कुछ नहीं हो सकता। अब अगर औरत मंजूर करे और ख़ुश हो तो फिर से निकाह करना पड़ेगा। बिना किए नहीं रह सकती। अगर वह रखे भी तो औरत को उसके पास रहना दुरुस्त नहीं।

मस'ला ५— जिस औरत को एक या दो रजई तलाक मिली हों जिसमें मर्द को तलाक़ से रोकने का हक होता है तो ऐसी औरत को मुनासिब है कि ख़ूब बनाव-सिंगार करके रहे ताकि मर्द का दिल उसकी तरफ झुक जाए और वह उसे रोक ले। और अगर मर्द तलाक देने से मानता न हो तो मर्द को मुनासिब है कि जब घर में आए खांस-खांसकर आए ताकि औरत अगर उसका बदन खुला हो ढक ले और उसकी किसी बेमौक़ा निगाह न पड़े। जब इद्दत पूरी हो चुके तो किसी और जगह जाकर रहे।

मस'ला ६— अगर अभी रोका न हो तो उस औरत को अपने साथ सफर में ले जाना जायज़ नहीं और औरत को उस मर्द के साथ

जाना भी दुरुस्त नहीं।

मस'ला ७– जिस औरत को एक या दो तलाक़ बाइन दे दी जिसमें रोक रखने का एख़्तियार नहीं होती तो इसका हुक्म यह है कि अगर किसी और मर्द से निकाह करना चाहे तो इद्दत के अन्दर निकाह दुरुस्त नहीं और ख़ुद उसी से निकाह मंज़ूर हो तो अन्दर भी हो सकता है।

मस'ला ८– औरत को रोकने का एक तरीक़ा यह भी है कि ज़बान से तो कुछ कहा नहीं लेकिन उससे सोहबत कर ली या उसका बोसा लिया, प्यार किया, या जवानी की ख़्वाहिश के साथ उसको हाथ लगाया तो इन सब सूरतों में वह फिर उसकी बीवी हो गई। दोबारा निकाह नहीं करना पड़ेगा।

मस'ला ९– जिस औरत को हैज़ आता हो उसके लिए तलाक़ इद्दत तीन हैज़ है। जब तीन हैज़ पूरे हो चुके तो इद्दत गुज़र चुकी। जब यह बात मालूम हो गई तो अब समझना चाहिए कि अगर तीसरा हैज़ पूरे दस दिन आया है तब तो जिस वक़्त ख़ून बन्द हुआ और दस दिन पूरे हो गए उस वक़्त इद्दत ख़त्म हो गई और रोक रखने का जो एख़्तियार मर्द को था, जाता रहा। चाहे औरत नहा चुकी हो या अभी नहीं नहाई हो, इस का कुछ एतबार नहीं। अगर तीसरा हैज़ दस दिन से कम आया और ख़ून बन्द हो गया लेकिन अभी औरत ने ग़ुस्ल नहीं किया और न कोई नमाज़ उसके ऊपर वाजिब हुई तो अब भी मर्द का एख़्तियार बाक़ी है। अब भी अपने इरादे से रोकेगा तो फिर उसकी बीवी बन जाएगी अलबत्ता अगर उसने ख़ून बन्द होने पर ग़ुस्ल कर लिया या ग़ुस्ल तो नहीं किया लेकिन एक नमाज़ का वक़्त गुज़र गया यानी एक नमाज़ की क़ज़ा उस पर वाजिब हो गई–इन दोनों सूरतों में मर्द का एख़्तियार जाता रहा। अब वह औरत को बग़ैर निकाह किए नहीं रख सकता।

मस'ला १०– जिस औरत से अभी सोहबत न की हो, चाहे

तन्हाई हो चुकी हो उसको तलाक़ देने से रोक रखने का एख़्तियार नहीं रहता क्योंकि उसको जो तलाक़ दी जाए वह बाइन पड़ती है।

मस'ला ११– अगर दोनों एक जगह अकेले में तो रहे लेकिन मर्द कहता है कि उसने सोहबत नहीं की। फिर इस इकरार के बाद तलाक़ दे दी तो अब तलाक़ का एख़्तियार उसको नहीं है।

15. बीवी के पास न जाने की क़सम

मस'ला १– जिसने कसम खा ली और यूं कह दिया कि खुदा की कसम! अब सोहबत न करूंगा या खुदा की कसम! तुझ से कभी सोहबत न करूंगा या कसम खाता हूं कि तुझसे सोहबत न करूंगा या किसी और तरह कहा तो उसका हुक्म यह है कि अगर सोहबत न की तो चार महीने गुज़रने के बाद औरत पर तलाक़ बाइन पड़ जाएगी। अब बग़ैर निकाह किए मियां-बीवी की तरह नहीं रह सकते और अगर चार महीने के अन्दर ही अन्दर उसने कसम तोड़ डाली और सोहबत कर ली तो तलाक़ न पड़ेगी अलबत्ता क़सम तोड़ने का कफ्फ़ारा देना पड़ेगा। ऐसी कसम खाने को शरीअ़त में 'ईला' कहते हैं।

मस'ला २– हमेशा क लिए सोहबत न करने की कसम नहीं खाई बल्कि चार महीने के लिए कसम खाई और यूं कहा खुदा की कसम चार महीने तक तुझ से सोहबत न करूंगा तो इससे ईला हो गया। इसका भी यही हुक्म है कि अगर चार महीने तक सोहबत न करे तो कसम का कफ्फ़ारा दे।

मस'ला ३– अगर चार महीने से कम के लिए कसम खाई तो इसका कुछ एतबार नहीं, इससे 'ईला' न होगा। चार महीने से एक दिन भी कम करके कसम खाए तब भी 'ईला' न होगा। अलबत्ता जितने दिनों की कसम खाई है उतने दिन से पहले सोहबत करे तो कसम

तोड़ने का कफ्फारा देना पड़ेगा और अगर सोहबत न की तो औरत को तलाक़ न पड़ेगी और कसम भी पूरी रहेगी।

मस'ला ४— किसी ने सिर्फ़ चार महीने की कसम खाई फिर अपनी कसम नहीं तोड़ी इसलिए चार महीने के बाद तलाक़ पड़ गई और तलाक़ के बाद फिर उसी मर्द से निकाह हो गया तो अब उस निकाह के बाद अगर चार महीने तक सोहबत न करे तो कुछ हर्ज नहीं, अब कुछ न होगा।

मस'ला ५— अगर औरत को तलाक़ बाइन दे दी, फिर उसने सोहबत न करने की कसम खा ली तो 'ईला' नहीं हुआ। अब फिर से निकाह करने के बाद अगर सोहबत न करे तो तलाक़ न होगी लेकिन जब सोहबत करेगा तो कसम तोड़ने का कफ्फारा देना पड़ेगा। अगर तलाक़ रजई दे देने के बाद इद्दत के अन्दर ऐसी कसम खाई तो 'ईला' हो गया। अब अगर रोक रखे और सोहबत न करे तो चार महीने के बाद तलाक़ पड़ जाएगी और अगर सोहबत करे तो कसम का कफ्फारा दे।

मस'ला ६— ख़ुदा की कसम नहीं खाई बल्कि यूं कहा कि अगर तुझ से सोहबत करूं तो तुझको तलाक़ है तब भी 'ईला' हो गया। सोहबत करेगा तो रजई तलाक़ पड़ जाएगी और कसम का कफ्फारा देना पड़ेगा। अगर सोहबत न की तो चार महीने के बाद तलाक़ बाइन पड़ जाएगी।

16. बीवी को मां के बराबर कह देना

मस'ला १— किसी ने अपनी बीवी से कहा कि तू मेरी मां के बराबर है। तू मेरे हिसाब से मां के बराबर है। अब तू मेरे लिए मां के बराबर है। मां की तरह है—तो इसका मतलब देखना चाहिए अगर यह

मतलब लिया कि ताज़ीम और बुज़ुर्गी में मां के बराबर है, या यह मतलब लिया कि वह बिल्कुल बुढ़िया है उम्र में उसकी मां के बराबर है तब तो यह कहने से कुछ नहीं हुआ।

इस तरह अगर उसने कहते वक़्त कुछ नीयत नहीं कि और कुछ मतलब नहीं लिया। यूं ही बक दिया तब भी कुछ नहीं हुआ। अगर इस तरह कहने से तलाक़ देने और छोड़ देने की नीयत है तो उसको तलाक़ बाइन पड़ गई। और तलाक़ देने की भी नीयत थी और औरत का छोड़ना भी मकसूद नहीं था बल्कि सिर्फ़ इतना कहा कि अगरचे तू मेरी बीवी है, अपने निकाह से तुझ को अलग नहीं करता लेकिन अब तुझ से कभी सोहबत न करूंगा। तुझ से सोहबत करने को अपने ऊपर हराम कर लिया, बस रोटी कपड़ा ले और पड़ी रहे। इसको शरअ् में ज़िहार कहते हैं।

इसका हुक्म यह है कि वह औरत रहेगी तो उसी के निकाह में लेकिन मर्द जब तक कफ़्फ़ारा अदा न करे तब तक सोहबत करना या जवानी की ख़्वाहिश के साथ हाथ लगाना, मुंह चूमना, प्यार करना हराम है। जब तक कफ़्फ़ारा न देगा तब तक वह औरत हराम रहेगी चाहे जितने बरस गुज़र जाएं। जब मर्द कफ़्फ़ारा दे दे तो दोनों मियां बीवी की तरह रहें। फिर से निकाह करने की ज़रूरत नहीं। इसका कफ़्फ़ारा दिया जाता है।

मस'ला २– अगर कफ़्फ़ारा देने से पहले ही सोहबत कर ली तो बड़ा गुनाह हुआ : अल्लाह तआला से तौबा इस्तिग़्फ़ार करे और आगे पक्का इरादा करे कि अब बिना कफ़्फ़ारा दिए फिर कभी सोहबत न करेगा। औरत को चाहिए कि जब तक मर्द कफ़्फ़ारा न दे तब तक उसको अपने पास न आने दे।

मस'ला ३– अगर बहन के बराबर या बेटी या फूफी या और किसी के बराबर जिसके साथ निकाह हमेशा हराम होता है कहा इसका भी यही हुक्म है।

मस'ला ४– किसी ने कहा कि तू मेरे लिए सूअर के बराबर है तो अगर तलाक़ देने या छोड़ने की नीयत की थी तब तो तलाक़ पड़ गई और अगर ज़िहार की नीयत की तो कुछ नहीं हुआ। इसी तरह अगर कुछ नीयत नहीं की हो तब भी कुछ नहीं हुआ।

मस'ला ५– अगर ज़िहार में चार महीने या इससे ज़्यादा मुद्दत सोहबत न की और कफ्फ़ारा न दिया तो तलाक़ नहीं पड़ी। इससे 'ईला' नहीं होता।

मस'ला ६– जब तक कफ्फ़ारा न दे तब तक मुंह देखना, बातचीत करना हराम नहीं अलबत्ता पेशाब की जगह को देखना दुरुस्त नहीं।

मस'ला ७– अगर हमेशा के लिए ज़िहार नहीं किया बल्कि कुछ मुद्दत तय कर दी। जैसे यह कहा साल भर या चार महीने के लिए तू मेरी मां के बराबर है तो जितनी मुद्दत तय की है उतनी मुद्दत तक ज़िहार रहेगा और अगर इस मुद्दत के अन्दर सोहबत करना चाहे तो कफ्फ़ारा दे और अगर इस मुद्दत के बाद सोहबत करे तो कुछ न देना पड़ेगा और बीवी हलाल हो जाएगी।

मस'ला ८– ज़िहार का लफ्ज़ अगर कई बार कहे जैसे दो या तीन बार यही कहा कि तू मेरे लिए मां के बराबर है तो जितनी बार कहा उतने कफ्फ़ारे देने पड़ेंगे अलबत्ता अगर दूसरी और तीसरी बार कहने से ख़ूब मज़बूत और पक्के हो जाने की नीयत हो। नए सिरे से ज़िहार करना मक़सूद न हो तो एक ही कफ्फ़ारा दे।

मस'ला ९– अगर कई औरतों से ऐसा कहा तो जितनी बीवियां हों उतने ही कफ्फ़ारे दे।

मस'ला १०– अगर बराबर का लफ्ज़ नहीं कहा न मिस्ल और तरह का लफ्ज़ कहा बल्कि यूं कहा कि तू मेरी बहन है तो इससे कुछ नहीं हुआ औरत हराम नहीं हुई लेकिन ऐसा कहना बुरा और गुनाह है।

मस'ला ११– अगर यूं कहा कि तू मेरे लिए मां की तरह हराम है या अगर तलाक देने की नीयत हो तो तलाक पड़ेगी और ज़िहार की नीयत की हो या कुछ नीयत न की हो तो ज़िहार हो जाएगा। कफ्फारा देकर सोहबत करना दुरुस्त है।

17. कफ़्फ़ारा अदा करना

मस'ला १– ज़िहार का कफ्फारा उसी तरह है जिस तरह रोज़ा तोड़ने का कफ्फारा है। दोनों में कुछ फर्क नहीं।

मस'ला २– अगर ताकत हो तो साठ रोज़े लगातार रखे। कोई रोज़ा टूटने न पाए और जब तक रोज़े ख़त्म न हो चुकें तब तक औरत से सोहबत न करे। अगर रोज़े ख़त्म होने से पहले उसी औरत से सोहबत कर ली तो अब रोज़े फिर से रखे चाहे दिन को उस औरत से सोहबत की हो या रात को और चाहे जानकर ऐसा किया हो या भूल से–सबका एक ही हुक्म है।

मस'ला ३– अगर शुरु महीने यानी पहली तारीख़ से रोज़े रखने शुरू किए तो पूरे दो महीने रोज़े रख ले चाहे पूरे साठ दिन हों और तीस दिन का महीना हो या इससे कम दिन हों, दोनों तरह कफ्फारा अदा हो जाएगा और अगर पहली तारीख़ से रोज़े रखना शुरू नहीं किए तो पूरे साठ रोज़े रखे।

मस'ला ४– अगर रोज़े रखने की ताक़त न हो तो साठ मिस्कीनों को दो वक़्त खाना खिलाए या कच्चा अनाज दे दे। अगर सब फकीरों को अभी नहीं खिला चुका था कि बीच में सोहबत कर ली गुनाह तो हुआ मगर इस सूरत में कफ्फारा दोहराना न पड़ेगा।

मस'ला ५– किसी के ज़िहार के कफ्फारे थे उसने साठ मिस्कीनों

को चार-चार सेर गेहूं दे दिए और यह समझा कि कफ़्फ़ारे से दो-दो सेर देता है इसलिए दोनों कफ़्फ़ारा अदा हो गया तब भी एक ही कफ़्फ़ारा अदा हुआ। दूसरा कफ़्फ़ारा फिर दे और अगर एक कफ़्फ़ारा रोज़ा तोड़ने का था ज़िहार का इसमें ऐसा हो तो दोनों अदा हो गए।

18. बीवी को बदचलन कहना

मस'ला १– जब कोई अपनी बीवी को ज़िना की तोहमत लगाए या जो लड़का पैदा हुआ उसको यह कहे कि मेरा लड़का नहीं है, नामालूम किस का है तो उसका हुक्म यह है कि औरत क़ाज़ी और शरई हाकिम के पास जाए और फ़रियाद करे तो हाकिम दोनों से क़सम ले। पहले वह शौहर से इस तरह कहलाए—मैं ख़ुदा को गवाह कर के कहता हूं कि जो तोहमत मैंने इसको (बीवी को) लगाई है उसमें मैं सच्चा हूं। चार बार शौहर इस तरह कहे। फिर पांचवीं बार कहे—अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर ख़ुदा की लानत हो। जब मर्द पांचवीं बार कह चुके तो औरत चार बार इस तरह कहे—मैं ख़ुदा को गवाह करके कहती हूं कि शौहर ने जो तोहमत लगाई है उस तोहमत में यह झूठा है अगर पांचवीं बार कहे—अगर इस तोहमत को लगाने में यह सच्चा हो तो मुझ पर ख़ुदा का ग़ज़ब टूटे। जब दोनों क़सम खा चुकें तो हाकिम दोनों में जुदाई करा दे। इस तरह एक तलाक़ बाइन पड़ जाएगी और यह लड़का बाप का न कहा जाएगा, बल्कि उसको मां के हवाले कर दिया जाएगा। इसी कस्माकस्मी को शरअ् में लिआन कहते हैं।

19. मह्र के बदले तलाक़ देना

मस'ला १– अगर मियां बीवी में किसी तरह का निबाह न हो सके और मर्द तलाक़ भी न देता हो तो औरत को जायज़ है कि कुछ माल देकर या अपना मह्र देकर अपने मर्द से कहे कि इतना रुपया लेकर मेरी जान छोड़ दे या यूं कहे कि जो मेरा मह्र तेरे ज़िम्मे है उसके बदले में मेरी जान छोड़ दे। उसके जवाब में मर्द कहे–मैंने छोड़ दिया तो इससे औरत पर एक तलाक़ बाइन पड़ गई। रोके रखने का इख़्तियार मर्द को नहीं है अलबत्ता अगर मर्द ने उसी जगह बैठे-बैठे जवाब नहीं दिया बल्कि उठ खड़ा हुआ या मर्द तो नहीं उठा औरत उठ खड़ी हुई तब मर्द ने कहा--अच्छा मैंने छोड़ दिया तो इससे कुछ नहीं हुआ। सवाल-जवाब दोनों एक जगह होने चाहिएं। इस तरह जान छुड़ाने को शरअ में खुलअ् कहते हैं।

मस'ला २– मर्द ने औरत से कहा : मैंने तुझ को तलाक दी। औरत ने कहा : मैंने क़बूल किया तो तलाक हो गई। अलबत्ता अगर औरत ने क़बूल नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ लेकिन औरत अगर अपनी जगह बैठी रही और मर्द यह कहकर उठ खड़ा हुआ और औरत ने उसके उठने के बाद क़बूल किया तब भी तलाक़ हो गई।

मस'ला ३– मर्द ने सिर्फ़ इतना कहा मैंने तुझे तलाक़ दी और औरत ने क़बूल कर लिया। रुपये पैसे का ज़िक्र न मर्द ने किया न औरत ने। तब भी जो हक़ मर्द का औरत पर है सब माफ़ हो गया। अगर मर्द के ज़िम्मे मह्र बाक़ी है तो वह भी माफ़ हो गया लेकिन अगर पा चुकी है तो अब उसको फेरना वाजिब नहीं। अलबत्ता इद्दत ख़त्म होने तक रोटी, कपड़ा और घर भी देना पड़ेगा। हां, अगर औरत ने कह दिया हो कि इद्दत की रोटी, कपड़ा और रहने को घर भी शौहर से न लेगी तो वह भी माफ़ हो गया।

मस'ला ४– अगर तलाक़ देते वक़्त कुछ माल का भी ज़िक्र कर दिया जैसे यूं कहा–सौ रुपये के बदले मैंने तुझे तलाक़ दी, फिर औरत ने क़बूल कर लिया तो तलाक़ हो गई। अब औरत के ज़िम्मे सौ रुपये देने वाजिब हो गए। वह अगर अपना मह्र पा चुकी हो तब भी सौ रुपये देने पड़ेंगे। उसने अगर मह्र अभी न पाया हो तब भी देने पड़ेंगे और मह्र भी न मिलेगा क्योंकि वह तलाक़ की वजह से माफ़ हो गया।

मस'ला ५– तलाक़ में अगर मर्द का क़ुसूर हो तो मर्द का रुपया और माल जो महर मर्द के ज़िम्मे है उसके बदले में तलाक़ देना बड़ा गुनाह और हराम है अगर औरत का ही क़ुसूर हो तो जितना महर दिया है उससे ज़्यादा न लेना चाहिए। बस मह्र के ही एवज़ में तलाक़ दे। अगर मह्र से ज़्यादा ले लिया तो भी ख़ैर। बेजा तो हुआ लेकिन गुनाह नहीं।

मस'ला ६– औरत तलाक़ लेने पर राज़ी न थी मर्द ने उस पर ज़बर्दस्ती की और तलाक़ लेने पर मजबूर किया यानी मार-पीट कर धमका कर तलाक़ दी तो तलाक़ पड़ गई लेकिन माल औरत पर वाजिब नहीं। अगर मर्द के ज़िम्मे महर बाक़ी हो तो वह भी माफ़ नहीं हुआ।

मस'ला ७– मर्द ने कहा–मैंने सौ रुपये के एवज़ में तलाक़ दे दी तो औरत के क़बूल करने पर मौक़ूफ़ है। अगर क़बूल न करे तो न पड़ेगी। अगर वह क़बूल कर ले तो एक तलाक़ बाइन पड़ गई लेकिन अगर जगह बदल जाने के बाद क़बूल किया तो तलाक़ नहीं पड़ी।

मस'ला ८– औरत ने कहा कि तीन सौ रुपये के एवज़ में मुझ को तीन तलाक़ दे दे। इस पर मर्द ने एक ही तलाक़ दी तो सिर्फ़ एक सौ रुपया मर्द को मिलेगा। और अगर दो तलाक़ें दीं तो दो सौ रुपये, अगर तीन दे दीं तो पूरे तीन सौ रुपये तो औरत से दिला दिए जाएंगे और सब सूरतों में तलाक़ बाइन पड़ेगी क्योंकि यह माल का बदला है।

22

20. शौहर का लापता हो जाना

जिस औरत का शौहर लापता हो गया हो, मालूम नहीं कि ज़िन्दा है या मर गया तो औरत अपना दूसरा निकाह नहीं कर सकती बल्कि इन्तज़ार करती रहे कि शायद आ जाए। जब इन्तज़ार करते-करते इतनी मुद्दत गुज़र जाए कि शौहर की उम्र नव्वे बरस की हो जाए तो अब हुक्म लगा देंगे कि वह मर गया होगा। सो औरत अगर अभी जवान हो और निकाह करना चाहे तो शौहर की उम्र नव्वे बरस की होने के बाद इद्दत पूरी कर के निकाह कर सकती है मगर शर्त यह है कि उसके मरने का हुक्म किसी शरई हाकिम ने लगाया हो।

21. इद्दत

मस'ला १– जब किसी का मियां तलाक़ दे दे या तलाक़ व 'ईला' वग़ैरा या किसी और तरह निकाह टूट जाए या शौहर मर जाए तो इन सब सूरतों में थोड़ी मुद्दत तक एक घर में रहना पड़ता है। जब तक यह मुद्दत ख़त्म न हो जाए तब तक औरत कहीं भी नहीं जा सकती। न किसी और मर्द से अपना निकाह कर सकती है। जब वह मुद्दत पूरी हो जाए तो जो जी चाहे करे, इस मुद्दत के गुज़रने को 'इद्दत' कहते हैं।

मस'ला २– अगर मियां ने तलाक़ दे दी तो तीन हैज़ आने तक शौहर के ही घर में, जिसमें तलाक़ मिली वहीं बैठी रहे। उस घर से बाहर न निकले। न दिन को, न रात को, न किसी दूसरे से निकाह करे। जब पूरे तीन हैज़ ख़त्म हो जाएं तो इद्दत ख़त्म हो गई। अब जहां जी चाहे जाए। मर्द ने ख़्वाह एक तलाक़ दी हो या दो तीन तलाक़ें दी

हों और तलाक़ बाइन दी हो या तलाक़ रजई–सबका एक हुक्म है।

मस'ला ३– अगर छोटी लड़की को तलाक़ मिल गई जिसको अभी हैज़ नहीं आता या इतनी बुढ़िया है कि अब हैज़ आना बन्द हो गया है, उन दोनों की इद्दत तीन महीने है। वह तीन महीने बैठी रहे। इसके बाद एख़्तियार है जो जी चाहे करे।

मस'ला ४– किसी लड़की को तलाक़ मिल गई। उसने महीनों के हिसाब से इद्दत शुरू की। इद्दत के अन्दर ही एक या दो महीने के बाद हैज़ आ गया तो अब पूरे तीन हैज़ आने तक बैठी रहे। जब तक तीन हैज़ पूरे न हों इद्दत ख़त्म न होगी।

मस'ला ५– अगर किसी को पेट है उसी ज़माने में तलाक़ मिल गई हो तो बच्चा पैदा होने तक बैठी रहे, यही उसकी इद्दत है। जब बच्चा पैदा हो गया तब इद्दत ख़त्म हो गई।

मस'ला ६– अगर किसी ने हैज़ के ज़माने में तलाक़ दे दी तो जिस हैज़ में तलाक़ दी है उस हैज़ का कुछ एतबार नहीं, उसको छोड़कर तीन हैज़ और पूरे करे।

मस'ला ७– तलाक़ की इद्दत उस औरत पर है जिसको सोहबत के बाद तलाक़ मिली हो या सोहबत तो अभी नहीं हुई मगर मियां बीवी में तन्हाई व एकजाई हो चुकी है तब तलाक़ मिली हो।

मस'ला ८– इद्दत के अन्दर खाना, कपड़ा उसी मर्द के ज़िम्मे वाजिब है जिस ने तलाक़ दी है।

मस'ला ९– किसी ने अपनी औरत को तलाक़ बाइन दी या तीन तलाक़ें दे दीं फिर इद्दत के अन्दर धोखे में उससे सोहबत कर ली तो अब धोखे की सोहबत की वजह से एक इद्दत और वाजिब हो गई। अब तीन हैज़ और करे। जब तीन हैज़ और गुज़र जाएंगे तो दोनों इद्दतें ख़त्म हो जाएंगी।

मस'ला १०— मर्द ने तलाक़ बाइन दे दी और जिस घर में इद्दत के लिए बैठी है उसी में वह भी रहता है तो ख़ूब अच्छी तरह पर्दा बांधकर आड़ कर लें।

22. मौत की इद्दत

मस'ला १— किसी का शौहर मर गया तो वह चार महीने और दस दिन तक इद्दत में बैठे। शौहर के मरते वक़्त वह जिस घर में रहा करती थी उसी घर में रहना चाहिए। बाहर निकलना दुरुस्त नहीं अलबत्ता अगर कोई ग़रीब औरत है जिसके पास गुज़ारे के लिए ख़र्च नहीं। उसने पकाने की नौकरी कर ली तो उसको बाहर जाना और निकलना दुरुस्त है लेकिन रात को अपने घर में ही रहा करे, चाहे सोहबत हो चुकी हो या नहीं हो चुकी हो और चाहे हैज़ आता हो या न आता हो—सबका एक हुक्म है। अलबत्ता अगर वह औरत पेट से थी इस हालत में शौहर मरा तो बच्चा होने तक इद्दत में बैठे। अब महीनों का कुछ एतबार नहीं है। अगर मरने से दो-चार घड़ी बाद पैदा हो गया तब भी इद्दत ख़त्म हो गई घर भर में जहां जी चाहे, वहां रहे।

मस'ला २— अगर किसी का शौहर चांद की पहली तारीख़ में मरा और औरत को हमल नहीं तो चांद के हिसाब से चार महीने दस दिन पूरे करे और पहली तारीख़ को नहीं मरा है तो हर महीना तीस-तीस दिन का लगातार चार महीने दस दिन पूरे करना चाहिए। तलाक़ की इद्दत का भी यही हुक्म है कि अगर हैज़ नहीं आता, न पेट आता है और चांद की पहली तारीख़ को तलाक़ मिल गई तो चांद के हिसाब से तीन महीने पूरे कर ले। चाहे उन्तीस का चांद हो या तीस का। अगर उसे पहली तारीख़ को तलाक़ नहीं मिली है तो हर महीना तीस दिन का लगाकर तीन महीने पूरे करे।

मस'ला ३— किसी ने अपनी बीमारी में तलाक़ बाइन दे दी और तलाक़ की इद्दत अभी पूरी न होने पाई थी कि वह मर गया तो देखना चाहिए कि तलाक़ की इद्दत में बैठने में ज़्यादा दिन लगेंगे या मौत की इद्दत पूरी करने में। जिस इद्दत में ज़्यादा दिन लगेंगे वह इद्दत पूरी करे और अगर बीमारी में तलाक़ रजई दी है और अभी तलाक़ की इद्दत न गुज़री थी कि शौहर मर गया तो उस औरत पर वफ़ात की इद्दत लाज़िम है।

मस'ला ४— किसी का शौहर मर गया मगर उसकी ख़बर नहीं मिली। चार महीने दस दिन गुज़र चुकने के बाद ख़बर आई तो उसकी इद्दत पूरी हो चुकी। जब से ख़बर मिली है तब से उसे इद्दत में बैठना ज़रूरी नहीं। इसी तरह अगर शौहर ने तलाक़ दे दी मगर उसे मालूम नहीं हुआ। बहुत दिन बाद ख़बर मिली और जितनी इद्दत उसके ज़िम्मे थी वह ख़बर मिलने से पहले ही गुज़र चुकी तो उसकी भी इद्दत पूरी हो गई। अब इद्दत में बैठना वाजिब नहीं है।

मस'ला ५— औरत किसी क़ाम के लिए घर से बारह कहीं गई थी या अपनी पड़ोसन के घर गई थी कि इतने में उसका शौहर मर गया तो अब उसी वक़्त वहां से चली आए और जिस घर में रहती थी वहीं रहे।

मस'ला ६— कुछ जगह दस्तूर है कि शौहर के मरने के बाद साल भर तक इद्दत के तौर पर बैठी रहे, यह बिल्कुल हराम है।

23. सोग करना

औरत जब तक इद्दत में रहे तब तक न तो घर से बाहर निकले, न अपना दूसरा निकाह करे। न कुछ बनाव-सिंगार करे—ये सब बातें उस पर हराम हैं। इस सिंगार न करने और मैले-कुचैले रहने को सोग कहते हैं।

मस'ला १– जब तक इद्दत ख़त्म न हो तब तक ख़ुश्बू लगाना, कपड़े बसाना, ज़ेवर पहनना, फूल पहनना, सुर्मा लगाना, पान खाकर मुंह लाल करना, मिस्सी मलना, सर में तेल डालना, कंघी करना, मेहंदी लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, रेशमी और रंगे हुए भड़कदार कपड़े पहनना ये सब बातें हराम हैं।

मस'ला २– सर में दर्द होने की वजह से तेल डालने की ज़रूरत पड़े तो जिस तेल में ख़ुश्बू न हो वह तेल डालना दुरुस्त है। इसी तरह दवा के लिए सुर्मा लगाना भी ज़रूरत के वक़्त दुरुस्त है। लेकिन रात को लगाये और दिन को साफ़ कर डाले और सर मलना और नहाना भी दुरुस्त है। ज़रूरत के वक़्त कंघी करना भी दुरुस्त है जैसे किसी ने सर मला या जुएं पड़ गईं। लेकिन न पट्टी जमाये न बारीक कंघी से कंघी करे जिससे बाल चिकने हो जाते हैं बल्कि मोटे दनदाने वाली कंघी करे ताकि ख़ूबसूरती न आने पाए।

मस'ला ३– सोग करना ऐसी औरत पर वाजिब है जो बालिग़ हो। नाबालिग़ लड़की पर वाजिब नहीं। उसको ये सब बातें दुरुस्त हैं अलबत्ता घर से बाहर निकलना और दूसरा निकाह करना उसे भी दुरुस्त नहीं।

मस'ला ४– शौहर के अलावा किसी और के मरने पर सोग करना दुरुस्त नहीं अलबत्ता अगर शौहर मना न करे तो अपनी अज़ीज़ और रिश्तेदार के मरने पर भी तीन दिन तक बनाव-सिंगार छोड़ देना दुरुस्त है। इससे ज़्यादा करना बिल्कुल हराम है।

24. रोटी कपड़ा

मस'ला १– बीवी का रोटी कपड़ा मर्द के ज़िम्मे वाजिब है। औरत चाहे कितनी ही मालदार हो मगर ख़र्च मर्द के ही ज़िम्मे है।

मस'ला २— जितने ज़माने तक शौहर की इजाज़त से अपने मां-बाप के घर रहे वह उतने ज़माने का रोटी कपड़ा भी मर्द से ले सकती है।

मस'ला ३— औरत बीमार पड़े तो बीमारी के ज़माने का रोटी कपड़ा पाने की हक़दार है चाहे मर्द के घर बीमार पड़े या अपने मैके में। लेकिन अगर बीमारी की हालत में मर्द ने बुलाया और वह नहीं आई तो अब उसके पाने की हक़दार नहीं रही। बीमारी की हालत में रोटी कपड़े का ख़र्च मिलेगा। दवा, इलाज, हकीम, तबीब का ख़र्च मर्द के ज़िम्मे नहीं—अपने पास से ख़र्च करे। अगर मर्द दे दे तो उसका एहसान है।

मस'ला ४— औरत हज करने गई तो इतने ज़माने का रोटी कपड़ा मर्द के ज़िम्मे नहीं। अलबत्ता अगर मर्द भी साथ हो तो उस ज़माने का ख़र्च भी मिलेगा। लेकिन रोटी कपड़े का जितना ख़र्च घर में मिलता था उतना ही पाने की हक़दार है। ज़्यादा जो कुछ लगे अपने पास से लगाए और रेल व जहाज़ का ख़र्च भी मर्द के ज़िम्मे नहीं है।

मस'ला ५— रोटी कपड़े में दोनों की रिआयत की जाएगी। अगर दोनों मालदार हों तो अमीरों की तरह रोटी कपड़ा मिलेगा और दोनों ग़रीब हों तो ग़रीबों की तरह। अगर मर्द ग़रीब हो और औरत अमीर हो या औरत ग़रीब हो और मर्द अमीर तो ऐसा रोटी कपड़ा दे कि अमीरों से कम हो और ग़रीबों से बढ़ा हुआ हो।

मस'ला ६— अगर औरत बीमार है कि घर का काम-काज नहीं कर सकती बल्कि ऐब समझती है तो पका-पकाया खाना दिया जाएगा। और अगर दोनों बातों में से कोई बात न हो तो घर का सब काम-काज अपने हाथ से वाजिब है। यह सब काम वह ख़ुद करे। मर्द के ज़िम्मे सिर्फ़ इतना है कि चूल्हा, चक्की, कच्चा अनाज, लकड़ी, खाने-पीने के बर्तन वग़ैरा ला दे। औरत अपने हाथ से पकाए और खाए।

24. रहने का घर

मस'ला १– मर्द के ज़िम्मे यह भी वाजिब है कि बीवी के रहने के लिए कोई ऐसी जगह दे जिसमें शौहर का कोई रिश्तेदार न रहता हो। यह बिल्कुल ख़ाली हो ताकि मियां बीवी बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी से रह सकें। अलबत्ता अगर औरत खुद सब के साथ रहना गवारा करे तो साझे के घर में रहना दुरुस्त है।

मस'ला २– घर में से एक जगह मर्द को अलग दे दे ताकि वह अपना माल व असबाब हिफ़ाज़त से रखे और ख़ुद उसमें रहे-सहे और उसका ताला कुंजी अपने पास रखे। किसी और को उसमें दख़ल न हो। बस औरत के ही कब्ज़े में रहे तो यह हक अदा हो गया।

मस'ला ३– जिस तरह औरत को इख़्तियार है कि अपने लिए कोई अलग घर मांगे जिसमें मर्द का कोई रिश्तेदार न रहने पाए सिर्फ़ औरत के कब्ज़े में रहे, इसी तरह मर्द को इख़्तियार है कि जिस घर में औरत रहती है वहां उसके रिश्तेदारों को न आने दे, न मां को न बाप को, न भाई को, न किसी रिश्तेदार को।

मस'ला ४– औरत अपने मां-बाप को देखने के लिए हफ़्ते में एक बार जा सकती है और मां-बाप के सिवा और महरम रिश्तेदारों से मिलने के लिए साल भर में एक बार जा सकती है इससे ज़्यादा का इख़्तियार नहीं। इसी तरह उनके मां-बाप भी हफ़्ते में एक बार यहाँ आ सकते हैं।

मस'ला ५– अगर बाप बहुत बीमार है और उसका कोई ख़बर लेने वाला नहीं तो ज़रूरत के मुताबिक वहां रोज़ जाया करे। अगर बाप बेदीन काफ़िर हो तो भी यह हुक्म है बल्कि अगर शौहर मना भी करे तब भी जाना चाहिए। लेकिन शौहर के मना करने पर जाने से रोटी कपड़े का हक न रहेगा।

मस'ला ६– जिस औरत को तलाक मिल गई वह भी इद्दत तक रोटी कपड़ा, रहने का घर पाने की हक़दार है अलबत्ता जिसका शौहर मर गया उसका रोटी कपड़ा और घर मिलने का हक नहीं। उसको मीरास सब चीज़ों में मिलेगी।

26. हलाली लड़का

मस'ला १– जब किसी शौहर वाली औरत के औलाद होगी तो वह उसी शौहर की औलाद कहलाएगी। किसी पर यह शक करना कि वह लड़का उसके शौहर का नहीं है, बल्कि फलाने का है, दुरुस्त नहीं। उस लड़के को हरामी कहना भी दुरुस्त नहीं। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो ऐसा कहने वाले को कोड़े लगाए जाएं।

मस'ला २– हमल की मुद्दत कम-से-कम छः महीने और ज़्यादा-से-ज़्यादा दो बरस है। छः महीने से पहले बच्चा पैदा नहीं होता और ज़्यादा से ज़्यादा दो बरस पेट में रह सकता है, उससे ज़्यादा पेट में नहीं रह सकता।

मस'ला ३– शरीअ़त का कायदा है कि जब तक हो सके तब तक लड़के को हरामी न कहें। जब बिल्कुल मजबूर हो जाए तो हरामी होने का हुक्म लगाएं और औरत को गुनाहगार ठहराएं।

मस'ला ४– किसी का शौहर मर गया तो मरने के वक़्त से अगर दो बरस के अन्दर लड़का पैदा हुआ तो तो वह हरामी नहीं बल्कि शौहर का लड़का है।

मस'ला ५– निकाह के बाद छः महीने से कम में लड़का पैदा हुआ तो वह हरामी है और पूरे छः महीने या इससे ज़्यादा मुद्दत में हुआ तो वह शौहर का है। उस पर भी शक करना गुनाह है। अलबत्ता अगर

शौहर इन्कार करे और कहे कि मेरा नहीं है तो लिआन का हुक्म होगा।

मस'ला ६– निकाह हो गया लेकिन अभी रुख़्सती नहीं हुई थी कि लड़का पैदा हो गया तो वह लड़का शौहर से ही है, हरामी नहीं है। और उसको हरामी कहना दुरुस्त नहीं। अगर शौहर का न हो तो इन्कार करे और इन्कार करने पर लिआन का हुक्म होगा।

27 . औलाद का पालना

मस'ला १– मियां-बीवी में जुदाई हो गई और तलाक मिल गई मगर गोद में बच्चा है तो उसके पालने का हुक्म माँ को है, बाप उसको नहीं छीन सकता। लेकिन लड़के का सारा ख़र्च बाप को ही देना पड़ेगा। अगर माँ ख़ुद न पाले बल्कि बाप के हवाले कर दे तो बाप को लेना पड़ेगा और ज़बरदस्ती औरत को नहीं दे सकता।

मस'ला २– अगर माँ हो या न हो लेकिन मर्द ने बच्चे को लेने से इन्कार कर दिया तो पालने का हक़ ताई और नानी को है उसके बाद दादी को। यह भी न हो तो सगी बहनों को हक़ है कि वह अपने भाई की परवरिश करें। सगी बहनें न हों तो सौतेली बहनें। मगर जो बहनें ऐसी हों कि उनकी और उस बच्चे की मां एक हो, वह पहले हैं और जो बहनें ऐसी हों कि उनका और बच्चे का बाप एक है, वे पीछे हैं। फिर ख़ाला और फूफी है।

मस'ला ३– बच्चे के रिश्तेदारों में से अगर कोई औरत बच्चे की परवरिश के लिए न मिले तो अब बाप ज़्यादा हक़दार है, फिर दादा वग़ैरा–उसी तरतीब से जो निकाह के मौके पर वली के ब्यान में बताया जा चुका है।

मस'ला ४– लड़का जब तक सात बरस का न हो तब तक

परवरिश का हक़ मां का रहता है जब सात बरस का हो गया तो बाप अब उसको ज़बरदस्ती ले सकता है। अब उसको रोकने का हक़ नहीं है।

28. क़सम खाना

मस'ला १– किसी ने क़सम खाई कि कभी तेरे घर न जाऊंगा। फिर उसके दरवाज़े की दहलीज़ पर खड़ा हुआ या दरवाज़े के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया, अन्दर नहीं गया तो क़सम नहीं टूटी और अगर दरवाज़े के अन्दर चला गया तो क़सम टूट गई।

मस'ला २– किसी ने क़सम खाई कि उस घर में न जाऊंगा। फिर जब वह गिर कर खंडहर हो गया तब उसमें गया तो क़सम टूट गई और बिल्कुल मैदान हो गया ज़मीन बराबर हो गई और घर का निशान बिल्कुल मिट गया या उसका खेत बन गया या मस्जिद बनाई गई या बाग़ बनाया गया तब उसमें गया तो क़सम नहीं टूटी।

मस'ला ३– क़सम खाई कि उस घर में न जाऊंगा फिर जब वह घर गिर गया और फिर से बनवा लिया गया तब उस में गया तो क़सम टूट गई।

मस'ला ४– क़सम खाई कि उस घर में न रहूंगा उसके बाद फ़ौरन उस घर से सामान उठा ले जाने का बन्दोबस्त करना शुरू कर दिया तो क़सम नहीं टूटी और अगर फ़ौरन शुरू नहीं किया, कुछ देर ठहर गया तो क़सम टूट गई।

मस'ला ५– क़सम खाई कि यह दूध न पीयूंगा। फिर वही दूध जमा कर दही बना लिया तो उसके खाने से क़सम न टूटेगी।

मस'ला ६– क़सम खाई कि गोश्त न खाऊंगा फिर मछली खाई

या कलेजी या ओझड़ी तो कसम नहीं टूटी।

मस'ला ७– कसम खाई कि रोटी न खाऊंगा तो उस देश में जिन चीज़ों की रोटी खाई जाती है कभी न खाना चाहिए, नहीं तो कसम टूट जाएगी।

मस'ला ८– किसी लड़की ने कसम खाई कि उस लड़की से कभी न बोलूंगी फिर वह जवान हो गई या बुढ़िया हो गई तब बोली तो कसम टूट गई।

मस'ला ९– किसी औरत ने कसम खाई कि कभी तेरा मुंह न देखूंगी, तेरी सूरत न देखूंगी तो मतलब यह है कि तुझ से मेल-जोल न रखूंगी। अगर कहीं दूर से सूरत देख ली तो कसम नहीं टूटी।

मस'ला १०– कसम खाई कि उस चारपाई या उस तख़्त पर न बैठूंगा फिर उस पर दरी या कालीन बिछा कर बैठ गया तो कसम टूट गई।

29. दीन से फिर जाना

मस'ला १– अगर ख़ुदा-न-ख़्वास्ता कोई औरत अपने दीन व ईमान से फिर गई तो तीन दिन की मोहलत दी जायेगी और जो उसको शक पड़ा हो तो उस शक का जवाब दे दिया जाएगा। अगर इतनी मुद्दत में मुसलमान हो गई तो ख़ैर, नहीं तो हमेशा के लिए कैद कर देंगे। जब तौबा करेगी तब छोड़ेंगे। अगर मर्द काफ़िर हो जाता है तो तीन दिन के बाद कत्ल कर देंगे।

मस'ला २– जब किसी ने कुफ़्र का कलिमा ज़बान से निकाला तो ईमान जाता रहा और जितनी नेकियां और इबादत उसने की थीं सब अकारथ गयीं, निकाह टूट गया। अगर फ़र्ज़ हज कर चुका तो वह

भी अकारथ गया अब अगर तौबा करके फिर मुसलमान हुआ तो अपना निकाह फिर से पढ़वाये और फिर दूसरा हज करे।

मस'ला ३– इसी तरह अगर किसी औरत का शौहर बेदीन हो जाए तो भी निकाह जाता रहा। अब जब तक वह तौबा करके फिर से निकाह न करे औरत उससे कोई वास्ता न रखे।

मस'ला ४– जब कुफ़्र का कलिमा ज़बान से निकाला तो ईमान जाता रहा। हँसी दिल्लगी में कुफ़्र की कोई बात कहे और दिल में न हो तब भी यह हुक्म है। जैसे: किसी ने कहा कि क्या ख़ुदा को इतनी कुदरत नहीं जो फलाँ काम कर दे। इसका जवाब दिया–हाँ, नहीं है तो इसके कहने से काफ़िर हो गया।

मस'ला ५– किसी ने कहा–उठो नमाज़ पढ़ो। जवाब दिया–कौन उठक-बैठक करे। रोज़े रखने को किसी ने कहा तो जवाब दिया–कौन भूखा मरे या वह रोज़ा रखे जिसके घर खाना न हो–यह सब कुफ़्र है।

मस'ला ६– किसी को कोई गुनाह करते देखकर किसी ने कहा–ख़ुदा से नहीं डरता। जवाब दिया–हाँ, नहीं डरता, तो काफ़िर हो गया।

मस'ला ७– किसी ने नमाज़ पढ़ना शुरू की। इत्तिफ़ाक़ से उस पर कोई मुसीबत पड़ गई। उस ने कहा कि सब नमाज़ की वजह से है तो काफ़िर हो गया।

मस'ला ८– किसी का लड़का मर गया उस ने यूँ कहा या अल्लाह यह ज़ुल्म मुझ पर क्यों किया? मुझे क्यों सताया? तो इस तरह कहने से काफ़िर हो गया।

मस'ला ९– किसी ने यूँ कहा–अगर ख़ुदा भी मुझ से कहे तो यह काम न करूँ या यूँ कहा–जिब्राईल भी उतर आए तो उन का कहना न करूँ तो काफ़िर हो गया।

30. ज़िबह करना

मस'ला १– ज़िबह करने का तरीका यह है कि जानवर का मुंह किबले की तरफ करके तेज़ छुरी हाथ में लेकर 'बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर' कहकर उसके गले को काटे यहाँ तक कि चार रग कट जाएं'–एक नरख़रा जिससे सांस लेता है। दूसरी वह रग जिससे दाना-पानी जाता है और दो वह रग जो नरख़रे के दायें-बायें होती हैं। अगर इन चारों में से तीन रगें कट गईं तब भी दुरुस्त है। उसका खाना हलाल है। और अगर जानवर मुर्दार है तो उसका खाना दुरुस्त नहीं।

मस'ला २– ज़िबह करते वक़्त जान कर बिस्मिल्लाह नहीं कहा तो वह मुर्दार है और उस का खाना हराम है। और अगर भूल जाए तो उस का खाना दुरुस्त है।

मस'ला ३– कुन्द छुरी से ज़िबह करना मकरूह और मना है। इसी तरह ठंडा होने से पहले उसकी खाल खींचना, हाथ-पांव तोड़ना और काटना भी मकरूह है।

मस'ला ४– ज़िबह करने में मुर्गी का गला कट गया तो उसका खाना दुरुस्त है। मकरूह भी नहीं, अलबत्ता इतना ज़िबह कर देना मकरूह है। मुर्गी मकरूह नहीं है।

मस'ला ५– मुसलमान का ज़िबह करना बहरहाल दुरुस्त है, चाहे औरत ज़िबह करे या मर्द। चाहे पाक हो या नापाक। मगर काफ़िर का ज़िबह किया हुआ जानकर खाना हराम है।

31. हलाल और हराम चीज़ें

मस'ला १– शिकार करके जो जानवर परिन्दे खाते हैं या उनकी गिज़ा सिर्फ गन्दगी है तो उनका खाना जायज़ नहीं है। जैसेः शेर, भेड़िया, गीदड़, बिल्ली, कुत्ता, बन्दर, शिकार, बाज़, गिद्ध

वग़ैरा। जो जानवर ऐसे न हों जैसे: मैना, फ़ाख़्ता, चिड़िया, बटेर, तोता, मुर्ग़ाबी, नील गाय, हिरन, बत्तख़, खरगोश वग़ैरा—वे सब जायज़ हैं।

मस'ला २— बिज्जु, गोह, कछुआ, भिड़, गधा व गधी का गोश्त खाना और गधी का दूध पीना दुरुस्त नहीं। घोड़ा खाना जायज़ है लेकिन बेहतर नहीं। दरिया के जानवरों में से बस मछली हलाल है। बाक़ी सब हराम है।

मस'ला ३— मछली और टिड्डी को बग़ैर ज़िबह किए हुए खाना दुरुस्त है। इसके सिवा और कोई जानदार चीज़ ज़िबह किए बग़ैर खाना दुरुस्त नहीं। जब कोई चीज़ मर गई तो हराम हो गई।

मस'ला ४— जो मछली मर कर पानी के ऊपर उल्टी तैरने लगे उसका खाना दुरुस्त नहीं।

मस'ला ५— ओझड़ी खाना हलाल है। हराम और मकरूह नहीं है।

मस'ला ६— किसी चीज़ में चींटियां मर गई तो निकाले बग़ैर खाना जायज़ नहीं। अगर एक-आध चींटी मुंह में चली गई तो मुर्दार खाने का गुनाह हुआ। कुछ बच्चे बल्कि बड़े भी गूलर के अन्दर के भुंगें समेत गूलर खा जाते हैं और यूं समझते हैं कि उनके खाने से आंख नहीं दुखती तो यह हराम है। इस तरह मुर्दार खाने का गुनाह होता है।

मस'ला ७— जो मुर्गी गन्दी पलीद चीजें खाती फिरती हो उसको तीन दिन रख कर ज़िबह करना चाहिए। बग़ैर बन्द किए हुए खाना मकरूह है।

32. नशे की चीज़ें

मस'ला १— शराब सब पर हराम और नजिस है। ताड़ी का भी यही हुक्म है। दवा के लिए भी इसका पीना दुरुस्त नहीं। बल्कि जिस

दवा में ऐसी चीज़ें पड़ी हों उसका लगाना भी ठीक नहीं।

मस'ला २– शराब के सिवा और जितने नशे हैं जैसे अफ़ीम, जायफल, ज़ाफरान वग़ैरह इनका यह हुक्म है कि दवा के लिए इतनी मिक्दार खा लेना ठीक है कि बिल्कुल नशा न आए और उस दवा का लगाना ठीक है कि बिल्कुल नशा न आए। उस दवा का लगाना भी ठीक है जिसमें ये चीज़ें पड़ी हों मगर इतना खाना कि नशा हो जाए तो हराम है।

मस'ला ३– ताड़ी और शराब के सिरके का खाना ठीक है।

मस'ला ४– कुछ औरतें बच्चों को अफ़ीम देकर लिटा देती हैं कि वे नशे में पड़े रहें, रोएं-धोएं नहीं, यह हराम है।

33. चांदी सोने के बर्तन

मस'ला १– मर्द और औरत को सोने-चांदी के बर्तनों में खाना-पीना जायज़ नहीं बल्कि इन चीज़ों का किसी तरह से इस्तेमाल करना ठीक नहीं। जैसेः सोने के चमचे से खाना-पीना, ख़िलाल से दांत साफ़ करना, गुलाब छिड़कना, सुर्मेदानी या सलाई से सुर्मा लगाना, इत्रदान से इत्र लगाना, ख़ासदान में पान रखना, चांदी की प्याली से तेल लगाना, चांदी के पायों वाले पलंग पर लेटना-बैठना, चांदी सोने की आर्सी में मुंह देखना—ये सब हराम हैं। अलबत्ता औरत को आर्सी की ज़ीनत के लिए पहने रहना ठीक है मगर मुंह बिल्कुल न देखे। मतलब यह है कि सोने चांदी की चीज़ों का इस्तेमाल करना किसी तरह ठीक नहीं है।

34. लिबास और पर्दा

मस'ला १– छोटे लड़कों को कड़े हंसली वग़ैरा कोई ज़ेवर और

रेशमी कपड़ा या मख़मल पहनाना जायज़ नहीं। इसी तरह रेशम और सोने चांदी का तावीज़ बनाकर पहनाना और कुसुम व ज़ाफ़रान का रंगा हुआ कपड़ा पहनाना भी ठीक नहीं। गर्ज़ जो चीज़ें मर्दों को हराम हैं वह लड़कों को भी नहीं पहननी चाहिए। अलबत्ता बाना अगर सूत का हो और ताना रेशमी तो ऐसा कपड़ा लड़कों को पहनाना जायज़ है। इसी तरह अगर किसी मख़मल का रुआं रेशम का न हो तो वह भी ठीक है। और यह सब मर्दों को भी ठीक है। गोटा, लचका लगाकर कपड़े पहनना भी ठीक है लेकिन वह लचका चार अंगुल से ज़्यादा चौड़ा न होना चाहिए।

मस'ला २— सच्ची कामदार टोपी या कोई और कपड़ा लड़कों को ऐसे वक़्त जायज़ है जब उस पर घना काम न हो। अगर इतना ज़्यादा काम है कि ज़रा दूर से देखने से काम ही काम मालूम होता है कपड़ा बिल्कुल दिखाई नहीं देता तो उसका पहनाना जायज़ नहीं है। यही हाल रेशमी काम का है कि अगर इतना घना हो तो लड़कों को पहनाना जायज़ नहीं।

मस'ला ३— बहुत बारीक कपड़ा जैसे: मलमल, जाली, आबे रवां, वग़ैरा का पहनना और नंगे रहना दोनों बराबर हैं। हदीस शरीफ में आया है कि ऐसे कपड़े पहनने वाली औरतें कियामत के दिन नंगी समझी जाएंगी और कुर्ता और दुपट्टा दोनों बारीक हों तो और भी गज़ब है।

मस'ला ४— औरत को मर्दाना जूता पहनना और मर्दाना सूरत बनाना जायज़ नहीं। हजरत रसूल मकबूल सल्ल0 ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है।

मस'ला ५— औरतों को ज़ेवर पहनना जायज़ है लेकिन ज़्यादा न पहनना बेहतर है। जिसने दुनिया में न पहना उसको आख़िरत में बहुत मिलेगा। बजता हुआ ज़ेवर पहनना ठीक नहीं। ऐसा ज़ेवर छोटी लड़की को भी पहनना जायज़ नहीं। सोने चांदी के अलावा और किसी

23

भी चीज़ का ज़ेवर पहनना ठीक है। जैसे: पीतल, गिलट, रांग वग़ैरा। मगर अंगूठी सोने चांदी के अलावा और किसी भी चीज़ की ठीक नहीं।

मस'ला ६— औरत को सारा बदन सर से पैर तक छुपा रखने का हुक्म है। ग़ैर महरम के सामने खोलना ठीक नहीं अलबत्ता बूढ़ी औरत को मुंह, हथेली और टख़ने से नीचे पैर खोलना ठीक है। बाकी और बदन का खोलना ठीक नहीं। माथे पर से दुपट्टा अक्सर सरक जाता है और वे उसी तरह ग़ैर महरम के सामने आ जाती हैं यह जायज़ नहीं। ग़ैरमहरम के सामने एक बाल भी नहीं खोलना चाहिए बल्कि जो बाल कंघी में टूटते हैं वे और कटे हुए नाख़ून भी किसी ऐसी जगह डालें कि किसी ग़ैरमहरम की निगाह न पड़े वरना गुनाहगार होगी। इसी तरह अपने बदन यानी हाथ पैर वग़ैरा किसी हिस्से को भी ना महरम मर्द के बदन से लगाना ठीक नहीं।

मस'ला ७— औरत का अपने शौहर से किसी जगह का पर्दा नहीं है और मर्द को उसके सामने और औरत को मर्द के सामने सारे बदन का खोलना ठीक है। मगर बिना ज़रूरत ऐसा करना अच्छा नहीं।

मस'ला ८— अपने पीर के सामने आना ऐसा ही है कि जैसे किसी ग़ैरमहरम के सामने आना—इसलिए यह भी जायज़ नहीं। इसी तरह नामहरम रिश्ते जैसे: देवर, जेठ, बहनोई, नन्दोई, चचाज़ाद, मामू ज़ाद वग़ैरा शरअ् में ग़ैर हैं। इन सब से गहरा पर्दा होना चाहिए।

मस'ला ९— मनिहार से चूड़ियां पहनना बड़ी बेहूदा बात है।

मस'ला १०— हर हफ्ते नहा-धोकर नाफ़ से नीचे और बग़लों वग़ैरा के बाल दूर करके बदन को साफ़ करना मुस्तहब है और हफ़्ते में न हो तो पन्द्रहवें दिन सही। ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दिन। इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं। अगर चालीस दिन गुज़र गए और बाल साफ़ नहीं किए तो गुनाह होगा।

मस'ला ११— किसी जानदार चीज़ को आग में जलाना ठीक

नहीं। जैसे: भिड़ों का फूंकना, खटमल वग़ैरा पकड़कर आग में डाल देना–यह सब नाजायज़ है। मिश्कात शरीफ़ में है–कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने इस बात से मना फ़रमाया है। अगर मजबूरी हो कि बिना फूंके काम न चले तो फिर भिड़ों का फूंक देना या चारपाई में खौलता हुआ पानी डाल देना ठीक है।

मस'ला १२– किसी बात की शर्त लगाना जायज़ नहीं अलबत्ता एक ही तरफ़ से हो तो ठीक है।

मस'ला १३– जब दो आदमी चुपके-चुपके बातें करते हों तो उनके पास नहीं जाना चाहिए। छुपकर उनकी बातें सुनना बड़ा गुनाह है। हदीस शरीफ़ में आया है कि जो कोई दूसरों की तरफ़ कान लगाए और उनको नागवार हो तो क़ियामत के दिन उस के कान में गर्म-गर्म सीसा डाला जाएगा।

मस'ला १४– शौहर के साथ जो बातें हुई हों जो कुछ मसला पेश आया हो, किसी और से उसका कहना बड़ा गुनाह है।

मस'ला १५– किसी के साथ हँसी-मज़ाक़ करना कि उसको नागवार हो या तकलीफ़ हो, ठीक नहीं।

मस'ला १६– पच्चीसी, चौसर, ताश खेल खेलना ठीक नहीं और अगर बाज़ी बढ़कर खेले तो पूरा जुआ है और हराम है।

मस'ला १७– जब लड़का लड़की दस बरस के हो जाएं तो लड़कों को मां, बहन के पास और लड़कियों को बाप के पास लिटाना ठीक नहीं अलबत्ता अगर लड़का बाप के पास और लड़की मां के पास लेटे तो जायज़ है।

मस'ला १८– जब किसी को छींक आए तो 'अलहम्दु लिल्लाह' कहना चाहिए। और जब अलहम्दु लिल्लाह कह लिया तो सुनने वाले पर इसके जवाब में :

''यरहमुकल्लाह''

(खुदा तुझ पर रहम करे)

कहना वाजिब है; न कहेगा तो गुनाहगार होगा। यह ख़्याल रखना चाहिए कि अगर छींकने वाली औरत और लड़की हो तो उसे 'यरहमकिल्लाह' कहना चाहिए। फिर छींकने वाला इसके जवाब में :

'यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम'

(ख़ुदा हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत करे)

कहे। लेकिन यह छींकने वाले के ज़िम्मे नहीं बल्कि बेहतर है।

मस'ला १९— छींक के बाद 'अलहम्दु लिल्लाहि' कहते कई लोगों ने सुना तो सब को 'यरहमुकल्लाह' कहना वाजिब नहीं। अगर उनमें से एक कह दे तो सब की तरफ़ से अदा हो जाएगा लेकिन अगर किसी ने जवाब न दिया तो सब गुनाहगार होंगे।

मस'ला २०— अगर कोई बार-बार छींके और 'अलहम्दु लिल्लाह' कहे तो सिर्फ़ तीन बार 'यरहमुकल्लाह' कहना वाजिब है। इसके बाद कहना वाजिब नहीं।

मस'ला २१— जब हुजूर सल्ल० का नामे मुबारक ले, पढ़े या सुनें तो दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो जाता है। अगर न पढ़ा तो गुनाह हुआ। लेकिन अगर एक जगह कई बार नाम लिया तो हर बार दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब नहीं एक ही बार पढ़ लेना काफी है। अलबत्ता अगर जगह बदल जाने के बाद फिर नाम सुना तो फिर दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो गया।

मस'ला २२— बच्चों की बाबरी वग़ैरा बनवाना दुरुस्त और जायज़ नहीं। या तो सारा सर मुंडवा दें या पूरे सर पर बाल रखें।

मस'ला २३— औरतों को भी 'अस्सलामु अलैकुम' कहना और

हाथ मिलाना सवाब है। इसको रियाज देना चाहिए कि वे आपस में हाथ मिलाया करें। मर्द औरत सबके लिए इसका हुक्म है।

मस'ला २४— जहां आप मेहमान हों, किसी फकीर वगै़रा को रोटी खाना न दें। मेज़बान से पूछे बगै़र देना गुनाह है।

मस'ला २५— कहीं रास्ते, गली या बगल में कोई मेहमानदारी हुई या वाज कह दिया गया और सब के जाने के बाद कुछ मिला या और कहीं कोई चीज़ पड़ी हुई पाई तो उसको खुद ले लेना दुरुस्त नहीं, हराम है। अगर उठाएं तो इस नीयत से उठाएं कि उसके मालिक को तलाश करके दे देंगे।

मस'ला २६— अगर कोई चीज़ पाई और उसे न उठाया तो गुनाह नहीं। लेकिन अगर यह डर हो कि अगर उस को न उठाएंगे तो कोई और ले लेगा और जिस की वह चीज़ है उसे न मिलेगी तो उसका उठा लेना और मालिक को पहुंचाना वाजिब है।

मस'ला २७— जब किसी ने कोई पड़ी हुई चीज़ उठा ली तो अब मालिक का तलाश करना और तलाश करके उसे दे देना उसके ज़िम्मे हो गया। अगर उस चीज़ को वहीं डाल दिया या उठाकर अपने घर ले आया लेकिन मालिक को तलाश न किया तो गुनाहगार हुआ।

मस'ला २८— बहुत तलाश करने और मशहूर करने के बाद जब बिल्कुल मायूसी हो जाए कि अब उसका कोई वली-वारिस नहीं मिलेगा तो उस चीज़ को ख़ैरात कर दे— अपने पास न रखें। अलबत्ता अगर वह खुद मोहताज हो तो खुद रख ले और अपने काम में ले आये।

मस'ला २९— पालतू कबूतर, तोता, मैना या कोई और चिड़िया उसके घर में आ गई और उसने उसे पकड़ लिया तो मालिक को तलाश करके पहुंचाना वाजिब हो गया। खुद ले लेना हराम है।

मस'ला ३०— बाग़ में अमरूद, आम वग़ैरा पड़े हों तो उनको

बिना इजाज़त उठाना और खाना हराम है।

मस'ला ३१— किसी मकान या जंगल में कुछ ख़ज़ाना यानी गड़ा हुआ माल निकल आया तो इसका भी वही हुक्म है, जो पड़ी हुई चीज़ का है। खुद ले लेना जायज़ नहीं। तलाश और कोशिश के बाद अगर पता न लगे तो उसको ख़ैरात कर दे और ग़रीब हो तो खुद ले सकता है।

35. ख़ुदा के लिए देना

मस'ला १— अपनी कोई जायदाद जैसे मकान, बाग़, गांव, वग़ैरा को खुदा की राह में फ़कीरों और ग़रीबों मिस्कीनों के लिए वक़्फ़ कर दिया कि उस गाँव की सब आमदनी फ़कीरों और मुहताजों पर सर्फ़ कर दी जाए या बाग़ के सब फल-फूल ग़रीबों को दे दिए जाएं। उस मकान में मिस्कीन लोग रहा करें , किसी और के काम न आए तो इसका बड़ा सवाब है। मरने से सब नेक काम ख़त्म हो जाते हैं लेकिन यह ऐसा नेक काम है कि जब तक वह जायदाद रहेगी कियामत तक इसका बराबर सवाब मिलता रहेगा। जब तक फ़कीरों को नफ़ा मिलता रहेगा उसके आमालनामे में सवाब लिखा जाएगा।

मस'ला २— जिस चीज़ को वक़्फ़ किया अब यह चीज़ उसकी नहीं रही, अल्लाह की हो गई। अब उसको बेचना या किसी को देना दुरुस्त नहीं। अब उसमें कोई भी शख़्स दख़ल नहीं दे सकता। वह जिस बात के लिए वक़्फ़ है उससे वही काम लिया जाएगा, और कुछ नहीं हो सकता।

मस'ला ३— मस्जिद की कोई चीज़ जैसे ईंट, गारा, चूना, लकड़ी, पत्थर वग़ैरा कोई चीज़ अपने काम में लाना दुरुस्त नहीं चाहे

कितनी ही निकम्मी हो गई हो। घर के काम में नहीं लानी चाहिए, बल्कि उसे बेचकर मस्जिद के ख़र्च में लगा देना चाहिए।

मस'ला ४– वक़्फ़ में यह शर्त ठहरा लेना भी दुरुस्त है कि जब तक मैं ज़िन्दा हूं, उस वक़्फ़ की आमदनी चाहे पूरी की पूरी या आधी, तिहाई अपने ख़र्च में लाई जाएगी। फिर मेरे मरने के बाद फ़लां नेक जगह ख़र्च हुआ करे या पहले मेरी औलाद को इतना दिया जाया करे फिर जो बचे वह उस नेक जगह में ख़र्च हो जाए यह भी दुरुस्त है।

36. बदन के बाल

मस'ला १– पूरे सर पर बाल रखना, कानों की लौ तक या उससे कुछ नीचे सुन्नत है और कतरवाना भी दुरुस्त है। मगर सब कतरवाना और आगे की तरफ़ कुछ हद तक बड़े रखना जो आजकल का फैशन है, जायज़ नहीं और इसी तरह कुछ हिस्सा मुंडवाना, कुछ रहने देना दुरुस्त नहीं।

मस'ला २– औरत को सर मुंडवाना और बाल कतरवाना हराम है। हदीस शरीफ़ में इसके लिए लानत आई है।

मस'ला ३– लबों का इतना कतरवाना कि होठों के बराबर हो जाएं सुन्नत है और न मुंडवाने में एहतियात है।

मस'ला ४– मूंछ दोनों तरफ़ दराज़ रहने देना सुन्नत है बशर्ते कि लबें बड़ी न हों।

मस'ला ५– दाढ़ी मुंडवाना और कतरवाना हराम है अलबत्ता एक मुट्ठी से जो ज़्यादा हो उसे कतरवा देना दुरुस्त है और चारों तरफ़ से सुडौल और बराबर करा लेना भी दुरुस्त है।

मस'ला ६– रुख़्सार की तरफ़ जो बाल बढ़ जाएं उनका ख़त बनवाना दुरुस्त है।

मस'ला ७– गले के बाल मुंडवाने न चाहिए, मगर इमाम अबू यूसुफ़ की नज़र में इनमें कुछ ख़राबी नहीं है।

मस'ला ८– लबों के नीचे के बाल मुंडवाने को कुछ लोगों ने बिदअत कहा है इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। गुद्दी के बाल बनवाना भी मकरूह है।

मस'ला ९– ज़ीनत के लिए सफ़ेद बाल का चुनना मना है।

मस'ला १०– नाक के बाल उखाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कैंची से कतर डालने चाहिए।

मस'ला ११– सीने और कमर के बाल बनाना जायज़ है मगर वह आदाब के ख़िलाफ़ है।

मस'ला १२– नाफ़ के नीचे के बाल मर्द के लिए उस्तरे से दूर करना बेहतर है। मूंडते वक़्त शुरूआत नाफ़ के नीचे से करे। दवा लगाकर साफ़ करना भी जायज़ है। औरत के लिए सुन्नत यह है कि चुटकी या चिमटी से दूर करे, उस्तरा न लगे।

मस'ला १३– बग़ल के बाल नोचने से दूर किए जाएं मगर उस्तरे से मुंडवाना भी जायज़ है।

मस'ला १४– पैर के नाख़ून दूर करना सुन्नत है।

मस'ला १५– हाथ के नाख़ून इस तरतीब से कतरवाना बेहतर है कि दायें हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करें और छंगुलिया तक कटवाए। फिर बायें हाथ की छंगुलिया से शुरू करें और दायें हाथ के अंगूठे पर ख़त्म करे। पैर की उंगलियों में दायीं छंगुली से शुरू करें और बायीं छंगुली पर ख़त्म करें। इसके ख़िलाफ़ भी दुरुस्त है।

मस'ला १६— कटे हुए नाख़ुन और बाल दफ़्न कर देना चाहिए, या किसी महफ़ूज़ जगह डाल दें मगर नजिस और गन्दी जगह न डालें।

मस'ला १७— नाख़ून का दांत से काटना मकरूह है। इससे कोढ़ की बीमारी हो जाती है।

मस'ला १८— जनाबत की हालत में बाल बनाना, नाख़ुन या नाफ़ से नीचे के बाल दूर करना मकरूह है।

मस'ला १९— बाल, लब और नाख़ुन कतरवाने के लिए जुमे का दिन सब से अफ़ज़ल है।

8. लेन-देन

1. बेचना और मोल लेना

जब एक आदमी ने कहा कि मैंने यह चीज़ इतने दामों पर बेच दी है और दूसरे ने कहा—मैंने ली तो वह चीज़ बिक गई। जिसने मोल ली वही उसका मालिक हो गया।

मस'ला १— बेचने और मोल लेने के लिए हुक्म उस वक़्त है कि दोनों तरफ़ से यह बातचीत एक ही जगह बैठे-बैठे हुई हो और अगर दर्मियान में जगह बदल गई तो ख़रीद व बिक्री सही न होगी।

मस'ला २— किसी ने कहा यह चीज़ आठ आने में दे दो। उसने कहा मैंने दे दी। इससे ख़रीद व फ़रोख़्त नहीं हुई अलबत्ता उसके बाद अगर ख़रीदने वाले ने फिर कह दिया कि मैंने ले ली तो बिक गई।

मस'ला ३– किसी ने बिना पूछगुछ किए चार अमरूद टोकरी से निकाले और मालिक के हाथ पर पैसे रख दिए। उसने ख़ुशी से दाम लिए तो ख़रीद व बिक्री हो गई। चाहे किसी ने ज़बान से कुछ न कहा हो।

मस'ला ४– किसी ने कहा कि यह चीज़ मैं इतने दामों में ले रहा हूं। माल वाले ने कहा–ले लो तो ख़रीद बिक्री हो गई।

मस'ला ५– किसी ने कहा कि कुछ चीज़ें पच्चीस पैसे में बेचो तो ख़रीदार को हक़ नहीं कि बिना उसकी इजाज़त के उनमें से कुछ चीज़ें ले ले और कुछ छोड़ दे। हां अगर हर चीज़ की क़ीमत अलग-अलग बता दे तो जो चीज़ चाहे ख़रीद सकता है।

मस'ला ६– बेचने और मोल लेने में यह भी ज़रूरी है कि जो सौदा ख़रीदे हर तरह से मामला साफ़ कर ले। कोई बात ऐसी गोल-मोल न रखे जिससे झगड़ा हो और क़ीमत भी साफ़ तय हो जानी चाहिए। अगर दोनों में एक बात भी अच्छी तरह मालूम और तय न होगी तो ख़रीद और बिक्री ठीक न होगी।

मस'ला ७– किसी ने एक रुपये की कोई चीज़ ख़रीदी। ख़रीदार कहता है कि पहले चीज़ दो तब रुपया मिलेगा और मालिक कहता है कि तुम पहले रुपया दो तब चीज़ दूंगा तो पहले दाम दिलवाए जाएंगे तब वह चीज़ उसको दिलवाएंगे।

2. क़ीमत का मालूम करना

मस'ला १– किसी ने मुट्ठी बन्द करके कहा कि जितने दाम मेरे हाथ में हैं उतने की फलानी चीज़ दे दी और मालूम नहीं कि हाथ में क्या है तो ऐसी ख़रीद व बिक्री दुरुस्त नहीं।

मस'ला २– किसी शहर में दो क़िस्म के रुपए चलते हैं तो यह भी बता दे कि फलां रुपए के बदले में यह चीज़ लेता हूं अगर यह न

बतलाया तो जिस रुपए का ज़्यादा रिवाज है वही देना पड़ेगा। अगर दोनों का रिवाज बराबर है तो ख़रीद बिक्री फ़ासिद होगी।

मस'ला ३— किसी ने कहा कि आप यह चीज़ ले लें जो दाम होंगे आप से वाजिबी ले लिए जाएंगे। भला आप से ज़्यादा लूंगा या यह कहा कि मैं क़ीमत फिर बता दूंगा या इस तरह कहा कि जो आप चाहें दे देना, मैं इन्कार न करूंगा। तो इन सब सूरतों में लेन-देन फ़ासिद है।

मस'ला ४— किसी दुकानदार से लेन-देन चलता है। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसी की दुकान से आ जाती है। क़ीमत मालूम नहीं की जाती और महीने पर हिसाब कर दिया जाता है यह भी दुरुस्त है।

मस'ला ५— किसी ने एक रुपए का कुछ ख़रीदा तो इख़्तियार है कि रुपया दे या अठन्नियां या चवन्नियां। हाँ! अगर एक रुपए के पैसे दे तो बेचने वाले को एख़्तियार है कि चाहे पैसे ले या न ले।

3. मोल भाव करना

मस'ला १— अनाज, ग़ल्ला वग़ैरा सब चीज़ों में एख़्तियार है चाहे तौल के हिसाब से ले या यूं मोल कर के ले। जैसे: गेहूं की एक ढेरी एक रुपए में ख़रीदी। ढेरी में चाहे जितने गेहूं निकलें सब उसी के हैं।

मस'ला २— उपले, आम, अमरूद, नारंगी वग़ैरा में भी एख़्तियार है गिनती के हिसाब से ले या वैसे ढेर का मोल कर ले।

मस'ला ३— अगर आम का एक टोकरा एक रुपए में इस शर्त पर ख़रीदा कि उसमें चार सौ आम हैं। फिर जब गिने गए तो तीन सौ

ही निकले तो ख़रीदार को एख़्तियार है कि ले या न ले, अगर लेना है, तो एक रुपया पूरा न देना पड़ेगा बल्कि पच्चीस पैसे सैकड़ा के हिसाब से दाम देने होंगे।

मस'ला ४– अगर कोई दुपट्टा या कोई और ऐसा कपड़ा ख़रीदा कि उसमें से कुछ फाड़ डालें तो बेकार और ख़राब हो जाएगा और ख़रीदते वक़्त यह शर्त की थी कि ढाई मीटर का है। मगर जब वह नापा तो कम निकला तो दाम कम न होंगे, पूरे देने पड़ेंगे। हां ख़रीदार को एख़्तियार है, चाहे ले या न ले। अगर कपड़ा कुछ ज़्यादा निकला तो उसी का है। उसके बदले में ज़्यादा दाम न देने पड़ेंगे।

मस'ला ५– अगर रात को दो रेशमी कमरबन्द एक रुपए के लिए, मगर जब सुबह को देखा तो मालूम हुआ कि उनमें एक सूती है तो दोनों का लेन-देन ठीक नहीं हुआ। दोबारा फिर से बातचीत करके लेन-देन हो।

4. उधार लेना

मस'ला १– अगर किसी ने कोई सौदा ख़रीदा और कहा कि दाम फिर दूंगा तो ठीक। और अगर यूं कहा कि मैं इस शर्त पर ख़रीदता हूं कि दाम फिर दूंगा तो लेन-देन फ़ासिद हो गया।

मस'ला २– किसी ने ख़रीदते वक़्त यूं कहा कि फलां चीज़ हमको दे दो, जब ख़र्च आएगा तब दाम ले लेना। या यूं कहा कि जब मेरा भाई आएगा तब दे दूंगा तो यह लेन-देन ख़राब हो गया। कुछ-न-कुछ वक़्त तय कर लेना चाहिए।

मस'ला ३– नक़द रुपयों पर पन्द्रह रुपये के बीस किलोग्राम गेहूं बिकते हैं मगर किसी को उधार लेने की वजह से पन्द्रह किलो गेहूं दिए

तो यह लेन-देन ठीक है मगर उसी वक़्त मालूम हो जाना चाहिए कि उधार लेगा।

मस'ला ४– अगर दुकानदार ने ख़रीदार से यूं कहा कि अगर नक़्द लोगे तो पन्द्रह रुपए के बीस किलो गेहूं होंगे और उधार लोगे तो पन्द्रह किलो होंगे तो यह जायज़ नहीं।

5. फेर देने की शर्त

मस'ला १– ख़रीदते वक़्त कि एक दिन या दो-तीन दिन हमको लेने न लेने का एख़्तियार है। जी चाहेगा तो लेंगे, नहीं तो फेर देंगे। तो यह दुरुस्त है।

मस'ला २– किसी ने कहा कि तीन दिन तक मुझको लेने न लेने का एख़्तियार है फिर तीन दिन गुजर गए और उसने कुछ जवाब नहीं दिया न वह चीज़ फेरी तो अब उसे फेरने का एख़्तियार नहीं रहा। वो चीज़ लेनी पड़ेगी।

मस'ला ३– तीन दिन से ज़्यादा की वापसी की शर्त करना ठीक नहीं है।

6. बिना देखे चीज़ लेना

मस'ला १– किसी ने कोई चीज़ बिना देखे ख़रीद ली तो यह लेन-देन ठीक है लेकिन जब देखे तो उसको एख़्तियार है–पसन्द हो तो रखे वरना फेर दे चाहे उसमें कुछ भी ख़राबी न हो।

मस'ला २— किसी ने बिना देखे चीज़ बेच डाली तो उस बेचने वाले को देखने के बाद लेने का एख़्तियार नहीं है।

मस'ला ३— अगर कोई चीज़ खाने-पीने की खरीदी हो तो उसमें सिर्फ देख लेने से एख़्तियार न जाएगा बल्कि चख लेना चाहिए।

7. चीज़ ख़राब निकलना

मस'ला १— जब कोई चीज़ बेचे तो वाजिब है कि जो कुछ उसमें बुराई व ख़राबी हो सब बता दे। न बताना और धोखा देकर बेच डालना हराम है।

मस'ला २— जब ख़रीद चुका तो देखा उस चीज़ में कोई ऐब है तो अब उसे ख़रीदने वाले को एख़्तियार है चाहे रख ले या फेर दे। लेकिन अगर रख ले तो पूरे दाम देने पड़ेंगे। उस ख़राबी के बदले में कुछ दाम काट लेना ठीक नहीं। हां अगर बेचने वाला राज़ी हो जाए तो कम करके दाम देना ठीक है।

मस'ला ३— अगर कपड़ा ख़रीदने के बाद काट लिया तब ऐब मालूम हुआ तो अब फेर नहीं सकता। अलबत्ता दाम कम कर दिए जाएंगे लेकिन अगर बेचने वाला कहे कि उसे कटा हुआ कपड़ा दे दिया जाए वह दाम कम नहीं करता और पैसा लौटा देता है तो ख़रीदार मना नहीं कर सकता। अगर कपड़ा काट कर सी भी लिया था और फिर ख़राबी मालूम हुई तो अब उस ख़राबी के बदले दाम कम दिए जाएंगे। बेचने वाला इस सूरत में अपना कपड़ा नहीं ले सकता।

मस'ला ४— किसी ने अंडे खरीदे। जब उन्हें तोड़ा तो सब गन्दे निकले तो सब दाम फेर सकता है और अगर कुछ गन्दे निकले, कुछ अच्छे तो सिर्फ गन्दे अंडों के दाम फेर सकता है।

मस'ला ५– अगर ख़रीदने के बाद ऐब मालूम हुआ लेकिन फिर उससे काम लेने लगे और इस्तेमाल करने लगे तो फेरने का एख़्तियार नहीं रहता।

मस'ला ६– बेचते वक़्त, उसने कह दिया कि ख़ूब देख-भाल लो। अगर चीज़ में कुछ ऐब निकले या ख़राब हो तो चीज़ वाला जिम्मेदार नहीं। इस कहने पर जिसने लिया तो अब चीज़ में चाहे जितने ऐब निकलें ख़रीदार को फेरने का एख़्तियार नहीं है इस तरह बेचना भी दुरुस्त है।

8. ग़लत लेन-देन

मस'ला १– जो लेन-देन शरअ् में बिल्कुल गलत हो और यह समझे कि ख़रीदा और बेचा ही नहीं उसे झूठ लेन-देन कहते हैं। इसका हुक्म यह कि ख़रीदने वाला उसका मालिक नहीं हुआ। इसलिए ख़रीदने वाले को न तो ख़ुद इस्तेमाल करना जायज़ है न किसी को देना जायज़ है और जो लेन-देन तय हो गया मगर उसमें कुछ खराबी आ गई है तो उसको ख़राब लेन-देन कहते हैं। इसका हुक्म यह है कि जब तक चीज़ ख़रीदने वाले के कब्ज़े में न जाए तब तक वह उसकी मिल्कियत में नहीं है। और जब कब्ज़ा कर लिया तो मिल्कियत तो हो गई लेकिन वह हलाल नहीं है इसलिए उसको अपने इस्तेमाल में लाना ठीक नहीं बल्कि ऐसे लेन-देन को तोड़ देना वाजिब है और अगर लेन-देन नहीं तोड़ा बल्कि किसी और के हाथ सब चीज़ बेच डाली तो गुनाह हुआ लेकिन उस दूसरे ख़रीदने वाले के लिए उसका खाना-पीना और इस्तेमाल करना जायज़ है।

मस'ला २– ज़मींदार लोग जो दस्तूर के मुताबिक़ अपने तालाब की मछलियां बेच देते हैं, तो झूठा लेन-देन है। जब तक शिकार करके

मछलियां न पकड़ी जाएं तब तक उनका कोई मालिक नहीं है और जो कोई पकड़े वही उनका मालिक बन जाता है।

मस'ला ३– किसी की ज़मीन में ख़ुद-ब-ख़ुद घास आ गई तो वह घास भी किसी की मिल्कियत नहीं–जिसका जी चाहे काट ले जाए। न इसका बेचना ठीक है और न काटने से मना करना ठीक है। अलबत्ता अगर बोया हो या पानी देकर सींचा हो तो उसकी मिल्कियत हो जाएगी। अब बेचना भी जायज़ है और लोगों को मना करना भी ठीक है।

मस'ला ४– जानवर के पेट में जो बच्चा है, पैदा होने से पहले उस बच्चे का बेचना ग़लत है और अगर पूरा जानवर बेच दिया तो दुरुस्त है। लेकिन अगर कह दिया कि बच्चा जब पैदा हो तो वह मेरा है तो यह सौदा ख़राब है।

मस'ला ५– जानवर के थन में जो दूध भरा हुआ है। दूहने से पहले उसे बेचना ग़लत है इसी तरह भैंस, दुम्बा वग़ैरा के बाल जब तक काट न लें तब तक बालों को बेचना नाजायज़ है।

मस'ला ६– किसी ने इस शर्त पर मकान बेचा एक महीने तक वह ख़ुद उसमें रहेगा या शर्त ठहरा दी कि इतने महीने तक उसे कर्ज़ दे दिया जाए या यह शर्त की कि वह चीज़ उसके घर तक पहुंचा दी जाए तो ये सब ख़राब सौदे हैं।

मस'ला ७– अगर कुछ अनाज, घी, तेल वग़ैरा भाव तय करके ख़रीदा तो देखिए कि उस लेन-देन के बाद उसने आपके सामने चीज़ की तौल की है या सामने नहीं तौला बल्कि आपसे यह कह दिया कि आप घर जाएं वह चीज़ तौल कर उसके घर भेज देगा। या पहले से तौला तो तीन सूरतें हुईं। पहली सूरत का यह हुक्म है कि जब तक ख़ुद न तौल ले तब तक उसका खाना वग़ैरा कुछ ठीक नहीं। अगर बिना तौले बेच दिया तो लेन-देन फ़ासिद हो गया।

मस'ला ८— बेचने से पहले उसने आपको तौल कर दिखाया उसके बाद आपने ख़रीद लिया फिर उसने दोबारा नहीं तौला तो इस सूरत में भी ख़रीदने वाले को फिर तौलना ज़रूरी है।

मस'ला ९— कोई मुर्ग़ी, बकरी या गाय वग़ैरा मरे तो उसकी बिक्री व ख़रीद झूठी है बल्कि उस मरे हुए जानवर को भंगी या चमार को खाने के लिए देना भी जायज़ नहीं। वैसे ही फेंक देने के लिए उठवा देना चाहिए।

मस'ला १०— जिसके घर में शहद का छत्ता लगा हो वही उसका मालिक है। किसी दूसरे को उसका तोड़ना और लेना ठीक नहीं।

9. नफ़ा लेना या दाम के दाम बेच देना

मस'ला १— एक चीज़ हमने एक रुपये में ख़रीदी थी तो अब अपनी चीज़ का हम को एख़्तियार है चाहे एक ही रुपये में बेच डालें और चाहे दस बीस रुपये में बेचें, इसमें कुछ गुनाह नहीं है। लेकिन अगर मामला इस तरह हुआ कि उसने कहा—छः पैसे रुपया मुनाफ़ा लेकर हमारे हाथ बेच डालो। इस पर आपने कहा—अच्छा हमने रुपये पर छः पैसे नफ़ा लेकर बेचा। अब छः पैसे रुपये से ज़्यादा नफ़ा लेना जायज़ नहीं। इसी तरह अगर आपने यह कहा कि यह चीज़ हम आपको ख़रीद के दाम पर देंगे कुछ नफ़ा न लेंगे तो अब कुछ नफ़ा लेना ठीक नहीं।

मस'ला २— किसी सौदे को यूं मोल किया कि छः पैसे रुपये के नफ़े पर बेच डालो। उसने कहा—अच्छा आप यही दे दें। लेकिन अभी

उसने नहीं बताया कि चीज़ कितने की ख़रीदी है तो देखिए अगर उसी जगह उठने से पहले यह अपनी ख़रीद के दाम बता दे तो वह लेन-देन ठीक है और अगर उसी जगह न बताए बल्कि यह कहे कि आप ले जाएं हिसाब देखकर बता दिया जाएगा या कुछ कहे तो यह झूठा सौदा है।

मस'ला ३— लेने के बाद मालूम हुआ कि चीज़ बेचने वाले ने चालाकी की है और अपनी ख़रीद ग़लत बताई है और नफ़ा वादे से ज़्यादा लिया है तो ख़रीदने वाले को दाम देने का एख़्तियार नहीं है अलबत्ता यह एख़्तियार है कि अगर लेना मंज़ूर न हो तो वापस कर दे।

मस'ला ४— कोई चीज़ आपने उधार ख़रीदी तो अब जब तक दूसरे ख़रीदने वाले को यह न बता दें कि भाई हमने यह चीज़ उधार ली है। बिना ख़बर किए हुए उस को नफ़े पर बेचना या ख़रीद के दाम पर बेचना नाजायज़ है।

मस'ला ५— एक कपड़ा एक रुपये का ख़रीदा, फिर पच्चीस पैसे देकर रंगवाया, धुलवाया या सिलवाया तो यह समझा जाएगा कि एक रुपया पच्चीस पैसे का मोल लिया। इसलिए अब एक रुपये पच्चीस पैसे उसकी क़ीमत बताकर नफ़ा लेना ठीक है। मगर यह न कहें कि एक रुपया पच्चीस पैसे का मैंने लिया है बल्कि यूं कहें कि एक रुपया पच्चीस पैसे में यह मुझ को पड़ी है ताकि झूठ न होने पाए।

10. सूद वाला लेन-देन

सूदी लेन-देन बड़ा गुनाह है। क़ुरआन मजीद और हदीस शरीफ़ में इसकी बड़ी बुराई आयी है और इससे बचने की बड़ी ज़बरदस्त ताकीद की गई है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्ल० ने सूद लेने-देने वाले

और बीच में पड़कर सूद दिलाने वाले, सूदी दस्तावेज़ लिखने वाले गवाह, शाहिद, सब पर लानत फरमाई है कि सब ही गुनाह में बराबर हैं।

हिन्दुस्तान में चार तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो खुद सोना, चांदी या इनकी बनी हुई चीज़। दूसरे इसके सिवा वे चीज़ें जो तौल कर बिकती हैं। जैसे: अनाज, गल्ला, लोहा, तांबा, रुई, तरकारी वगैरा, तीसरे वे चीजें जो नापकर बिकती हैं। जैसे: कपड़ा। चौथे वे जो गिनती के हिसाब से बिकती हैं जैसे अंडे, आम, अमरूद, नारंगी, बकरी, गाय, घोड़ा वगैरा। इन सब चीज़ों का हुक्म अलग-अलग है।

मस'ला १– चांदी सोना ख़रीदने की कई सूरतें हैं—एक तो यह कि चांदी को चांदी से और सोने को सोने से ख़रीदा जैसे एक रुपये की चांदी ख़रीदनी है या अशरफी से सोना ख़रीदा। ग़र्ज़ कि दोनों तरफ एक ही तरह की चीज़ है। तो ऐसे वक़्त दो बातें वाजिब हैं एक तो यह कि दोनों तरफ की चांदी या दोनों तरफ का सोना बराबर हो। दूसरे यह कि जुदा होने से पहले ही पहले दोनों तरफ से लेन-देन हो जाए, कुछ उधार बाक़ी न रहे। अगर दोनों बातों में से किसी बात के ख़िलाफ हुआ तो सूद हो गया जैसे एक रुपये की चांदी आपने ली तो वज़न में एक रुपये के बराबर लेना चाहिए, अगर रुपये भर से कम या ज़्यादा ली तो यह सूद हो गया। इसी तरह अगर आपने रुपया तो दे दिया लेकिन उसने अभी चांदी नहीं दी। थोड़ी देर में आप से अलग होकर देने का वादा किया। इसी तरह आपने भी रुपया नहीं दिया। चांदी उधारले ली तो यह भी सूद है।

मस'ला २– दूसरी सूरत यह है कि दोनों तरफ एक तरह की चीज़ नहीं बल्कि एक तरफ चांदी और दूसरी तरफ सोना है तो इसका हुक्म यह है कि वज़न के बराबर होना ज़रूरी नहीं है। एक रुपये का चाहे जितना सोना मिला जायज़ है। लेकिन जुदा होने से पहले ही लेन-देन हो जाना और कुछ उधार न रहना यहां भी वाजिब है।

मस'ला ३— सबसे आसान बात यह है कि दोनों आदमी जितने चाहे रुपये रखें और जितनी चाहें चांदी रखें मगर दोनों आदमी एक-एक पैसा भी शामिल करें और यह कह दें कि हम उस चांदी और उस पैसे को इस रुपये और इस पैसे के बदले लेते हैं, सारे बखेड़े ख़त्म हो जाएंगे।

मस'ला ४— अनाज, गोश्त, लोहा, तांबा, तरकारी, नमक वग़ैरा चीज़ों में से अगर एक चीज़ को उसी तरह की चीज़ से बेचना और बदलना चाहे जैसे गेहूं देकर दूसरे गेहूं लिए या आटे के बदले आटा। मतलब यह कि दोनों तरफ़ एक ही तरह की चीज़ हो तो इसमें भी इन दो बातों का ख़्याल रखना वाजिब है—एक तो यह कि दोनों तरफ़ बिल्कुल बराबर हो। थोड़ी भी किसी तरफ़ कमी बेशी न हो वरना सूद हो जाएगा। दूसरी तरफ़ यह कि उसी वक़्त हाथों हाथ लेन-देन और कब्ज़ा हो जाएगा वरना सूद हो जाएगा।

मस'ला ५— अगर ऐसी चीज़ें जो तौल कर बिकती हैं एक तरह की चीज़ न हो। जैसे: गेहूं देकर धान लिए या जौ, चना, ज्वार, गोश्त तरकारी वग़ैरा कई चीजें लीं ग़र्ज कि इधर और चीज़ है उधर और चीज़ है। दोनों तरफ़ एक चीज़ नहीं तो इस सूरत में दोनों का वज़न बराबर होना वाजिब नहीं। सेर भर गेहूं देकर चाहे आठ सेर धान वग़ैरा ले लें सब जायज़ है अलबत्ता वह दूसरी बात यहां भी वाजिब है कि सामने रहते दोनों तरफ़ से लेन-देन हो जाए। अगर ऐसा न किया तो सूद का गुनाह होगा।

मस'ला ६— अगर इस तरह की चीज़ जो तौलकर बिकती है। रुपये पैसे से ख़रीदी या कपड़े वग़ैरा किसी ऐसी चीज़ से बदली हैं जो तौलकर नहीं बिकती बल्कि नपने से नापकर बिकती है। जैसे: एक थान कपड़ा देकर गेहूं वग़ैरा ले लिए या गेहूं चने देकर अमरूद, नारंगी, नाशपाती, अंडे ऐसी चीजें लीं जो गिनकर बिकती हैं तो इस सूरत में इन दोनों बातों में से कोई बात भी वाजिब नहीं। एक पैसे के

बदले जितने गेहूं, आटा, तरकारी ख़रीदे। गेहूं, चने देकर चाहे जितने अमरूद, नारंगी वग़ैरा ले और चाहे उसी वक़्त उस जगह रहते हुए लेन-देन हो जाए चाहे अलग होने के बाद, हर तरह ठीक है।

11. चीज़ की तैयारी से पहले ख़रीद

फ़सल के कटने से पहले या कटने के बाद किसी को दस रुपये दिए और कहा कि दो महीने बाद फलां महीने की तारीख़ में हम तुम से इन दस रुपये के गेहूं लेंगे और भाव उसी वक़्त तय कर लिया कि दस रुपये के पन्द्रह किलो या दस रुपये के बीस किलो गेहूं के हिसाब से लेंगे तो यह लेन-देन दुरुस्त है। जिस महीने का वादा हुआ है उस महीने में उसे इसी भाव पर गेहूं देने पड़ेंगे। चाहे बाज़ार में तेज़ बिकें या सस्ते। बाज़ार के भाव का कुछ एतबार नहीं। यह भी एक तरह का लेन-देन होता है।

इस लेन-देन के जायज़ होने की कई शर्तें हैं। पहली यह है कि गेहूं वग़ैरा की कैफ़ियत ख़ूब साफ़-साफ़ इस तरह बता दे कि लेते वक़्त दोनों में झगड़ा न हो। जैसे: यह कह दे कि फलां क़िस्म का गेहूं का दाना, बहुत पतला न हो पाला मारा हुआ न हो। उम्दा हो, ख़राब न हो। उसमें कोई चीज़, जौ, चना, मटर, वग़ैरा न मिली हो। ख़ूब सूखे हों, गीले न हों। अगर उस वक़्त इतना कह दिया कि दस रुपये के गेहूं दे देना तो नाजायज़ हुआ। यूं कहा कि दस रुपये के धान दे देना या चावल दे देना। उसे क़िस्म कुछ न बताई। यह सब नाजायज़ है।

दूसरी शर्त यह है कि भाव तय करें कि दस रुपये के पन्द्रह या बीस किलो के हिसाब से लेंगे। अगर यूं कहा कि उस वक़्त बाज़ार का भाव हो उस हिसाब से हमको दे देना या उससे दो किलो ज़्यादा दे देना तो जायज़ है।

तीसरी शर्त यह है कि जितने रुपयों के गेहूं लेने हों उसी वक़्त बता दें कि दस रुपये या बीस रुपये के लेंगे। अगर यह नहीं बताया और यूं ही गोल मोल कह दिया कि थोड़े रुपए के हम भी ले लेंगे तो यह ठीक नहीं है।

चौथी शर्त यह है कि उसी वक़्त उसी जगह रहते-रहते सब रुपए दे दें। अगर मामला करने के बाद अलग होकर फिर रुपए दिए तो वह मामला ख़त्म हो गया। अब फिर से तय करना चाहिए।

पांचवीं शर्त यह है कि अपने लेने की मुद्दत कम-से-कम एक महीना तय करें ताकि बाद में झगड़ा न हो अगर दिन, तारीख़ और महीना तय न किया बल्कि यूं कहा कि जब फ़सल कटेगी तब दे देना तो ठीक नहीं।

छठी शर्त यह है कि यह भी तय करें कि फलां जगह वह गेहूं दे देना यानी उसी शहर में या किसी दूसरे शहर में लेना हो वहां पहुंचाने के लिए कह दें कि हमारे घर पहुंचा देना। ग़र्ज़ यह कि जो मंज़ूर हो साफ़ बता दें। अगर यह नहीं बताया तो सही नहीं। अगर इन शर्तों के मुताबिक किया तो यह लेन-देन ठीक है वरना नहीं।

मस'ला १– गेहूं वग़ैरा ग़ल्ले के अलावा और जो चीज़ें ऐसी हों कि उनकी कैफ़ियत ब्यान करके तय कर दी जाएं ताकि लेते वक़्त कुछ झगड़ा होने का डर न हो उनका लेन-देन भी ठीक है। जैसे: अंडे, ईंटें, कपड़ा।

मस'ला २– इस तरह के लेन-देन होने की शर्त यह है कि जिस वक़्त मामला किया है उस वक़्त से लेकर लेने और वसूल पाने के ज़माने तक वह चीज़ बाज़ार में मिलती रहे। नायाब न हो अगर इस दर्मियान में वह चीज़ बिल्कुल नायाब हो जाए कि उस शहर और मुल्क के बाज़ारों में न मिले चाहे दूसरी जगह से बहुत मुसीबत झेल कर मंगवा सके तो यह लेन-देन झूठा हो गया।

12. शिफ़आ (मिल्कियत)

मस'ला १– जिस वक़्त शफ़ी को लेन-देन की ख़बर पहुंची अगर उसी वक़्त मुंह से न कहा कि मैं शिफ़आ न लूंगा तो शिफ़आ झूठा पड़ जायेगा फिर उस शख़्स को दावा करना जायज़ नहीं यहां तक कि शफ़ी के पास ख़त पहुंचा और उसके शुरू में यह ख़बर लिखी है कि फलां मकान बेचा गया और उस वक़्त ज़बान से न कहा कि मैं शिफ़आ न लूंगा तो उसका शिफ़आ झूठा हो गया।

मस'ला २– अगर शफ़ी ने कहा कि मुझ को इतना रुपया दो तो मैं अपने हक़्के शिफ़आ से दस्तबर्दार हो जाऊं – इस सूरत में चूंकि अपना हक़ ख़त्म करने पर रज़ामंद हो गया इसलिए शिफ़आ ख़त्म हो गया लेकिन चूंकि यह रिश्वत है इसलिए रुपया लेना हराम है।

मस'ला ३– अगर अभी हाकिम ने शिफ़आ नहीं दिलाया था कि शफ़ी मर गया तो उसके वारिसों को शिफ़आ न पहुंचेगा और अगर ख़रीदार मर गया तो शिफ़आ बाक़ी रहेगा।

मस'ला ४– शफ़ी को ख़बर पहुंची कि इतनी क़ीमत का मकान बिका है। उसने दस्तबर्दारी की। फिर मालूम हुआ कि कम क़ीमत का बिका है, उस वक़्त शिफ़आ ले सकता है। इसी तरह पहले सुना था कि फलां शख़्स ख़रीदार है। फिर सुना कि नहीं दूसरा शख़्स भी ख़रीदार है। या पहले सुना था कि आधा ही बिका है। और फिर मालूम हुआ कि पूरा बिका है। इन सूरतों में पहली दस्तबर्दारी से शिफ़आ झूठा न होगा।

13. क़र्ज़ लेना

मस'ला १– जो चीज़ ऐसी हो कि उसी तरह की चीज़ आप दे

सकते हैं उसका कर्ज़ लेना ठीक है। जैसे अनाज, अंडे, गोश्त वग़ैरा। मगर जो चीज़ ऐसी हो कि उस तरह की चीज़ देना मुश्किल है तो उसका कर्ज़ लेना ठीक नहीं। जैसे: अमरूद, नारंगी, बकरी, मुर्गी वग़ैरा।

मस'ला २– जिस ज़माने में रुपये के दस सेर गेहूं मिलते थे उस वक़्त किसी ने पांच सेर गेहूं कर्ज़ लिए फिर गेहूं सस्ते हो गये और रुपए के बीस सेर मिलने लगे तो उसको वही पांच सेर देने पड़ेंगे। इसी तरह तेज़ हो गए हैं तो भी वही गेहूं देने पड़ेंगे जितने दिए गए थे।

मस'ला ३– जैसे गेहूं आपने दिए थे उसने अच्छे गेहूं अदा किए तो उसका लेना जायज़ है, यह सूद नहीं है। मगर कर्ज़ देने के वक़्त यह कहना ठीक नहीं कि उनसे अच्छे लेंगे अलबत्ता वज़न में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ख़ूब ठीक-ठीक तौल कर लेना-देना चाहिए। अगर कुछ झुकता तौल दिया तो कुछ डर नहीं।

मस'ला ४– किसी से कुछ रुपया या ग़ल्ला इस वादे पर कर्ज़ लिया कि एक महीने या पन्द्रह दिन के बाद अदा कर देंगे और उसने मंजूर कर लिया तब मुद्दत का यह ब्यान नाजायज़ है। अगर उसको उस मुद्दत से पहले ज़रूरत पड़े और आप से मांगे या बग़ैर ज़रूरत के मांगे आपको उसी वक़्त अदा करना पड़ेगा।

14. किसी की ज़िम्मेदारी लेना

मस'ला १– नईम के ज़िम्मे किसी के रुपये पैसे वाजिब थे आपने इसकी ज़िम्मेदारी ले ली कि अगर न देगा तो हम से ले लेना या यूं कहा कि हम उसके ज़िम्मेदार हैं और हक़दार ने आपकी ज़िम्मेदारी

कबूल कर ली तो अब उसकी अदायगी की ज़िम्मेदारी आपके ज़िम्मे हो गई। अगर नईम ने वह रकम न दी तो आपको देनी पड़ेगी और उस हकदार को हक है कि जिससे चाहे तकाज़ा करे चाहे आप से या नईम से। अब जब तक नईम अपना कर्ज़ अदा न करे या माफ न कराए तब तक बराबर आप ज़िम्मेदार रहेंगे अलबत्ता अगर वह हकदार आपकी ज़िम्मेदारी पर माफ कर दे और कह दे कि अब आपसे कुछ मतलब नहीं, यह आपसे तकाज़ा न करेगा तो अब आपकी ज़िम्मेदारी न रही। अगर आपकी ज़िममेदारी के वक़्त ही उस हकदार ने मंज़ूर न किया और कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी का भरोसा न रहा या कुछ और कहा तो आप ज़िम्मेदार नहीं।

मस'ला २— नाबालिग लड़का या लड़की अगर किसी की ज़िम्मेदारी ले तो वह ठीक नहीं।

15. वकील बना देना

मस'ला १— जिस काम को आदमी खुद कर सकता है उसमें यह भी इख़्तियार है कि किसी और से कह दे कि वह आपका काम कर दे। जैसे: बेचना, मोल लेना, किराया लेना, निकाह करना, नौकर को बाज़ार सौदा लेने भेजना। या नौकर से कोई चीज़ बिकवाई या तांगा, रिक्शा किराये पर मंगवाया। जिससे वह काम कराया गया है शरीअत में उसको वकील कहते हैं।

मस'ला २— आपने नौकर से गोश्त मंगवाया। वह उधार ले आया तो गोश्त वाला आपसे तकाज़ा नहीं करेगा बल्कि उसी नौकर से तकाज़ा करे और नौकर आपसे तकाज़ा करेगा। इसी तरह अगर कोई चीज़ आपने बिकवाई तो ख़रीदने वाले से आपको तकाजा करने और दाम वसूल करने का हक नहीं है। उसने जिससे चीज़ पाई है उसी को

दाम भी देगा। अगर वह खुद आपको दाम दे दे तब भी जायज़ है।

मस'ला ३– वकील को हटाने का आपको हर तरह इख़्तियार है। जैसे आपने किसी से कहा था कि आपको एक बकरी की ज़रूरत है। कहीं मिल जाए तो ले लें। फिर कह दिया अब न लें। तो उसे अब लेने का एख़्तियार नहीं। अगर वह आदमी अब भी ले तो वह उसी के ज़िम्मे रहेगी।

मस'ला ४– अगर खुद उसको मना नहीं किया बल्कि ख़त भेजकर मना कर दिया कि अब न ले तब भी वह बरतरफ हो गया।

16. कारोबार में साझेदारी

आपने तिजारत के लिए किसी को रुपये दिये कि उनसे वह तिजारत करे जो कुछ नफा होगा, वह और आप बांट लेंगे। यह जायज़ है इसको मुज़ारबत कहते हैं। इसकी कई शर्तें हैं :

मस'ला १– जितना रुपया देना हो बता दें और उसे तिजारत के लिए भी दें। अपने पास न रखें। अगर रुपये उसके हवाले न किए और अपने पास ही रखे तो यह बिगड़ा हुआ मामला है।

(२) नफा बांटने की सूरत में तय कर लें और बता दें कि आपको कितना मिलेगा और उसे कितना। अगर यह बात तय न हुई बस इतना ही कहा आप और व नफ़ा बांट लेंगे तो यह अच्छा मामला नहीं है।

(३) नफा बांटने का तरीक़ा यह है कि जितना भी नफा हो उसमें यह करें कि दस रुपये आपके बाकी उसके, या दस रुपए उसके और बाकी आपके। या इस तरह तय करें कि आधा आपका या एक हिस्सा उसका बाक़ी हिस्से आपके। या एक हिस्सा एक का बाकी तीन हिस्से दूसरे के। ग़र्ज़ यह कि नफ़े की तक़सीम हिस्सों के एक हिसाब से

करना चाहिए। जो कुछ नुक़सान होगा वह मालिक के ज़िम्मे है। रुपया उसी का गया।

साझेदारी दो तरह की होती है—एक शिर्कते इमलाक कहलाती है। जैसे: एक आदमी मर गया और उसके तर्के में कुछ वारिसान शरीक हैं या रुपया मिलाकर दो आदमियों ने एक चीज़ ख़रीदी या एक आदमी ने दो आदमियों को कोई चीज़ हिबा यानी बख़्शिशकर दी.इसका हुक्म यह है कि किसी को उसके इस्तेमाल का हक़ दूसरे की इजाज़त लिए बग़ैर नहीं।

दूसरी शर्त उक़ूद है। यानी दो आदमियों ने आपस में तय किया कि दोनों आपस में साझेदारी में तिजारत करेंगे। यह साझेदारी दो तरह की होती है।

पहली शिर्कत मनान है। जैसे: दो आदमियों ने थोड़ा-थोड़ा करके जमा किया कि उसका कपड़ा या ग़ल्ला ख़रीदकर तिजारत करें। इस में यह शर्त है कि दोनों के हिस्से का माल नक़्द हो। अगर एक का नक़्द और दूसरे का उधार है तो यह साझेदारी ठीक नहीं होगी।

दूसरी तरह की शिर्कत सनाय या कारीगरी भी है। जैसे: दो दर्ज़ी या रंगरेज़ आपस में तय कर लें कि जिसके पास जो काम आये उसे कबूल करें और जो मज़दूरी मिले आपस में आधी-आधी, तिहाई या चौथाई के हिसाब से बांट लें।

जो काम एक ने लिया दोनों पर लाज़िम हो गया। जैसे: एक साझीदार ने सीने के लिए एक कपड़ा लिया तो कपड़े वाला जिस तरह उससे तक़ाज़ा कर सकता है। दूसरे साझीदार से भी सिलवा सकता है। इसी तरह जैसे वह कपड़ा सीने वाला मज़दूरी मांग सकता है दूसरा भी मज़दूरी ले सकता है। और जिस तरह उसे मज़दूरी देने से मालिक सुब्कदोश हो जाता है उसी तरह अगर दूसरे शरीक को दे दी तो

ज़िम्मेदारी से बरी हो गया।

दो आदमियों ने मिलकर बाज़ार से गेहूं मंगवाए तो बांटते वक़्त दोनों का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। दूसरा हिस्सेदार मौजूद न हो तब भी ठीक-ठीक तौलकर उसका हिस्सा अलग करके अपना हिस्सा अलग कर लेना ठीक है। जब अपना हिस्सा अलग कर लिया तो खायें पीयें या किसी को दे दें। जो जी चाहे करें, सब जायज़ है। इसी तरह घी, तेल, अंडे का हुक्म है। ग़र्ज़ यह कि जो चीज़ ऐसी है कि उसमें फ़र्क़ न होता हो जैसे कि अंडे—अंडे सब बराबर हैं या गेहूं के दो हिस्से किए तो जैसे एक हिस्सा वैसे दूसरा हिस्सा दोनों बराबर हैं। ऐसी सब चीज़ों का यही हुक्म है कि दूसरे के मौजूद न होने पर भी हिस्सा बांट लेना ठीक है। लेकिन दूसरे ने भी अपना हिस्सा न लिया था कि किसी तरह जाता रहा तो फिर वह दोनों का नुक़्सान होगा। जिस चीज़ में फ़र्क़ होता है। जैसे: अमरूद, नारंगी वग़ैरा। इनका हुक्म यह है कि जब तक दोनों हिस्सेदार मौजूद न हों हिस्सा बांट लेना ठीक नहीं है।

17. अमानत

मस'ला १— किसी ने आपके पास कोई चीज़ अमानत के तौर पर रखी और वह आपने ले ली तो अब उसकी हिफ़ाज़त करना आप पर वाजिब हो गया। अगर हिफ़ाज़त में कमी और लापरवाही की और वह चीज़ ख़राब हो गई तो उसका तावान देना पड़ेगा अलबत्ता अगर हिफ़ाज़त में कोई कमी नहीं हुई मगर किसी और वजह से वह जाती रही जैसे चोरी हो गई या घर में आग लग गई और उसमें वह चीज़ जल गई तो उसका तावान नहीं ले सकता बल्कि अमानत रखने के वक़्त यह इक़रार कर लिया कि अगर चीज़ जाती रही तो अमानत रखने वाला ज़िम्मेदार है, उससे दाम ले लिए जाएं। तब भी उसे तावान लेने का हक़ नहीं। वैसे आप अपनी ख़ुशी से दे दें तो दूसरी बात है।

मस'ला २— किसी ने कहा—मैं ज़रा काम से जाता हूं। मेरी चीज़

रख लें। आपने कहा–अच्छा रख दो। या आप कुछ नहीं बोले। वह आपके पास रख कर चला गया तो अमानत हो गई। अलबत्ता अगर आपने कह दिया कि आप नहीं जानते और किसी के पास रख दो या और कुछ कहकर मना कर दिया। फिर भी रखकर चला गया तो अब वह चीज़ आपकी अमानत में नहीं है। अलबत्ता अगर उसके चले जाने के बाद आप ने उठाकर रख ली तो अमानत हो जाएगी।

मस'ला ३– जिसके पास कोई अमानत हो उसे एख़्तियार है कि खुद अपनी हिफ़ाज़त में रखे या अपने किसी रिश्तेदार के पास रख दे जो एक ही घर में एक साथ रहते हों। जिनके पास अपनी चीज़ भी ज़रूरत के वक़्त रख देता हो लेकिन अगर कोई दयानतदार न हो तो उसके पास रखना ठीक नहीं। ख़त्म हो जाने पर तावान देना पड़ेगा और रिश्तेदार के सिवा और किसी के पास भी पराई अमानत का रखना बग़ैर मालिक की इजाज़त के ठीक नहीं।

मस'ला ४– घर में आग लग गई तो ऐसे वक़्त ग़ैर के पास भी अमानत रख देना जायज़ है। लेकिन जब वह बात ख़त्म हो जाए तो उसी वक़्त ले लेना चाहिए। अगर अब वापस नहीं लेगा तो तावान देना पड़ेगा। इसी तरह मरते वक़्त अगर कोई अपने घर का आदमी मौजूद न हो तो पड़ोसी के सुपुर्द कर देना ठीक है।

मस'ला ५– अगर किसी के कुछ रुपये पैसे अमानत रखे तो उन्हीं रुपये पैसों को हिफ़ाज़त से रखना वाजिब है। न तो अपने रुपयों में उनका मिलाना जायज़ है और न उनका ख़र्च करना ही जायज़ है। यह न समझें कि रुपया-रुपया सब बराबर है। उसे ख़र्च कर दें। जब मांगे तो अपना रुपया दे देंगे। अलबत्ता अगर उसने इजाज़त दे दी ऐसी सूरत में ख़र्च करना ठीक है लेकिन इसका यह हुक्म है कि अगर वही रुपया अलग रहने दें तब वह रुपया अमानत समझा जाएगा। अगर जाता रहा, आप के ज़िम्मे कर्ज़ हो गया, अमानत नहीं रही। इसलिए अब बहरहाल आपको देना पड़ेगा।

मस'ला ६– किसी ने रखने को रुपया दिया। आपने पर्स में रख लिया, कमरबन्द में बांध लिया लेकिन डालते वक़्त वह रुपया कमरबन्द या पर्स में नहीं पड़ा बल्कि नीचे गिर गया। मगर आप यही समझे कि आपने पर्स में रख लिया तो तावान न देना पड़ेगा।

मस'ला ७– जब वह अमानत मांगे तो उसी वक़्त दे देना वाजिब है। बिला उज्र न देना और देर करना जायज़ नहीं। किसी ने अपनी अमानत मांगी तो आपने कहा–भाई इस वक़्त हाथ ख़ाली नहीं है। कल ले लेना। उसने कहा–अच्छा कल ही सही। तब तो कुछ हर्ज नहीं और अगर कल लेने पर राज़ी न हुआ और न देने से नाराज़ होकर चला गया तो अब वह चीज़ अमानत नहीं रही। अब अगर वह जाती रही तो तावान देना पड़ेगा।

मस'ला ८– किसी से कोई कपड़ा, ज़ेवर, चारपाई या बर्तन वग़ैरा कोई चीज़ कुछ दिन के लिए मांग ली कि ज़रूरत है। और ज़रूरत निकल जाने पर दे देंगे तो इसका यह हुक्म भी अमानत की तरह है। अब उसको अच्छी तरह हिफ़ाज़त से रखना वाजिब है। अगर हिफ़ाज़त के बावजूद भी यह जाती रहे तो जिसकी चीज़ है उसको तावान लेने का हक़ नहीं है बल्कि अगर आपने इक़रार भी कर लिया है कि अगर जाएगी तो हम से ले लेना, तब भी तावान देना ठीक नहीं। अलबत्ता अगर हिफ़ाज़त न की और इस वजह से जाती रही तो तावान देना पड़ेगा। मालिक को हर वक़्त एख़्तियार है कि जब चाहे अपनी चीज़ ले ले आपको इन्कार करना ठीक नहीं। अगर मांगने पर चीज़ न दी तो फिर ख़त्म हो जाने पर तावान देना पड़ेगा।

18. किसी को कुछ देना

मस'ला १– आपने किसी को कोई चीज दी और उसने उसे मंज़ूर कर लिया। मुंह से कुछ नहीं कहा बल्कि आपने उसके हाथ पर

रख दी और उसने ले ली तो अब वह चीज़ उसकी हो गई आपकी नहीं रही बल्कि वही उसका मालिक है। इसको शरअ् में हिबा कहते हैं। इसकी कई शर्तें हैं। जैसे: एक तो उसके हवाले कर देना और उसका क़ब्ज़ा कर लेना है अगर आपने यह कहा कि यह चीज़ हमने आपको दे दी। उसने कहा–हमने ले ली। लेकिन अभी आपने उसके हवाले नहीं की तो यह देना ठीक नहीं हुआ। अभी तक वह चीज़ आप की ही मिल्कियत है। अलबत्ता अगर उसने उस चीज़ पर अपना क़ब्ज़ा कर लिया तो अब क़ब्ज़ा कर लेने के बाद उसका मालिक बनेगा।

मस'ला २– बन्द सन्दूक में कुछ कपड़े दे दिए लेकिन उसकी ताली नहीं दी तो क़ब्ज़ा नहीं हुआ। जब कुंजी देंगे तब क़ब्ज़ा होगा। उस वक़्त उसका मालिक बनेगा।

मस'ला ३– अगर किसी को आधी, तिहाई या चौथाई चीज़ दें, पूरी न दें तो इसका हुक्म यह है कि देखें कि वह चीज़ किस तरह की है। आधी बांट देने के बाद भी काम की रहेगी या नहीं। अगर बांट देने के बाद काम की न रहे कि जैसे: चक्की, चौकी, पलंग, पतीली, लोटा, कटोरा, प्याला, सन्दूक, जानवर वग़ैरा; ऐसी चीज़ों को बग़ैर बांटे भी आधी, तिहाई जो कुछ देना मंज़ूर हो, देना जायज़ है अगर वह क़ब्ज़ा कर ले तो जितना हिस्सा आपने दिया है वह उसका मालिक बन गया और वह चीज़ साझे में हो गई और अगर वह चीज़ ऐसी है कि बांटने के बाद भी काम की रहेगी। जैसे: ज़मीन, घर, कपड़े का थान, जलाने की लकड़ी, अनाज, दूध, दही वग़ैरा तक़सीम किये उनका देना ठीक नहीं है। अगर आपने उस बर्तन का आधा घी उसको दे दिया और वह कहे कि हमने ले लिया तो यह देना ठीक नहीं हुआ बल्कि अगर वह बर्तन पर भी क़ब्ज़ा कर ले तब भी उसका मालिक नहीं हुआ। अभी भी सारा घी आपका ही है। हाँ, अगर उसके बाद उसमें का आधा घी कर के उसके हवाले कर दे तो अब अलबत्ता वह उसका मालिक हो जाएगा।

मस'ला ४– एक थान कपड़ा, मकान या बाग वग़ैरा दो आदमियों

ने मिल कर आधा ख़रीदा तो जब तक तक़्सीम न कर ले तब तक अपना आधा हिस्सा किसी को देना ठीक नहीं।

मस'ला ५– नाबालिग़ लड़का या लड़की अपनी किसी चीज़ को दे दे तो उसका देना ठीक नहीं है और उसका लेना भी नाजायज़ है।

19. बच्चों को चीज़ देना

मस'ला १– किसी तक़रीब में छोटे बच्चों को जो कुछ दिया जाता है उससे बच्चे को देना मक़सद नहीं होता बल्कि मां-बाप को देना मक़सद होता है इसलिए वह सब नेवता बच्चे की मिल्कियत नहीं बल्कि मां-बाप उसके मालिक हैं जो चाहे सो करें। अलबत्ता अगर कोई आदमी ख़ास बच्चे को ही कोई चीज़ दे तो फिर वही बच्चा उसका मालिक है। अगर बच्चा क़ब्ज़ा न करे या क़ब्ज़ा करने के लायक़ न हो तो अगर बाप हो तो उसका क़ब्ज़ा कर लेने से और अगर बाप न हो तो दादा के क़ब्ज़ा कर लेने से बच्चा मालिक हो जाएगा। अगर बाप दादा मौजूद न हों तो बच्चा जिसकी परवरिश में है उसको क़ब्ज़ा करना चाहिए। बाप-दादा के होते मां, नानी, दादी वग़ैरा और किसी का क़ब्ज़ा करना ठीक नहीं है।

मस'ला २– जो चीज़ हो अपनी सब औलाद को बराबर देना चाहिए। लड़का-लड़की सबको बराबर दें। अगर कभी किसी को ज़्यादा दे दिया तो भी कुछ हर्ज़ नहीं। लेकिन जिसे कम दिया उसे नुक़्सान देना मक़सूद न हो, नहीं तो कम देना ठीक नहीं।

मस'ला ३– जो चीज़ नाबालिग़ की मिल्कियत हो उसका हुक्म यह है कि उसी बच्चे के काम में लगाना चाहिए। किसी को अपने काम में लगाना जायज़ नहीं। ख़ुद मां-बाप भी अपने काम में न लाएं। न किसी बच्चे के काम में लाएं।

मस'ला ४— कुछ देकर फेर लेना बड़ा गुनाह है लेकिन कोई वापस ले ले और जिसको दी थी वह अपनी ख़ुशी से दे भी दे तो अब वह उसका मालिक बन जाएगा। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जिन से फेर लेने का एख़्तियार बिल्कुल आपको नहीं रहता। जैसे आपने किसी को बकरी दी। उस आदमी ने उसको खिला-खिलाकर ख़ूब मोटा-ताज़ा किया तो अब उसे फेर लेने का एख़्तियार नहीं है। या किसी को ज़मीन दी, उसने घर बनाया या बाग़ लगाया तो फेर लेने का एख़्तियार बाकी नहीं है। अगर फेरे तो सिर्फ बकरी फेर सकता है उसके बच्चे नहीं ले सकता।

20. किराये पर लेना

मस'ला १— आपने महीने भर के लिए घर किराये पर लिया और अपने कब्ज़े में कर लिया तो महीने के बाद किराया देना पड़ेगा चाहे उसमें रहना हुआ हो या ख़ाली पड़ा रहा हो। किराया बहरहाल वाजिब है।

मस'ला २— दर्ज़ी कपड़ा सीकर या रंगरेज़ रंग कर, धोबी कपड़ा धोकर लाया तो उसको एख़्तियार है कि जब तक आपसे उसकी मज़दूरी न ले तब तक आपको कपड़ा न दे। बग़ैर मज़दूरी दिये उससे ज़बरदस्ती लेना ठीक नहीं। अगर किसी मज़दूर से ग़ल्ले की एक बोरी दस पैसे पर उठवाई तो वह अपनी मज़दूरी मांगने के लिए आपका ग़ल्ला नहीं रोक सकता। क्योंकि वहां से लाने की वजह से ग़ल्ले में कोई बात पैदा नहीं हुई और पहली सूरत में एक नई बात कपड़े में पैदा हो गई।

मस'ला ३— अगर किसी ने यह शर्त कर ली कि उसका कपड़ा आप ही सीयें, आप ही धोएं तो आप दूसरे को नहीं दे सकते, ख़ुद ही

करें। अगर यह शर्त नहीं तो किसी और से वह काम कराया जा सकता है।

मस'ला ४– अगर मकान किराये पर लेते वक़्त कुछ मुद्दत बयान की कि कितने दिन के लिए रुपया दिया है या किराया तय नहीं किया, यूं ही ले लिया या शर्त कर ली कि जो कुछ उसमें गिर जाएगा यह भी आप अपने पास से ही बनवा दिया करेंगे या किसी को घर इस वादे पर दिया कि वह उसकी मरम्मत करा दिया करे और उसका यही किराया है तो यह सब झूठा इजारा है। अगर यूं कह दे कि आप इस घर में रहो और मरम्मत करा दिया करो। किराया कुछ नहीं तो यह रिआयत है और जायज़ है।

मस'ला ५– किसी ने यह कहकर मकान किराये पर लिया कि दो रुपये माहवार दिया करेंगे तो एक महीने के लिए इजारा हुआ। महीने के बाद उसमें से उठा देने का एख़्तियार है। फिर जब दूसरे महीने में आप रहे तो एक ही महीने का इजारा अब ठीक हो गया। इसी तरह हर महीने में नया इजारा होता रहेगा अलबत्ता अगर यह भी कह दे कि चार महीने या पांच महीने रहूंगा तो जितनी मुद्दत बताई है उतनी मुद्दत तक इजारा ठीक हुआ। उससे पहले मालिक आपको नहीं उठा सकता।

मस'ला ६– कोई घर किराये पर लिया वह बहुत टपकता है या कुछ हिस्सा उसका गिर पड़ा या कोई और ऐसी बात निकल आई जिससे अब रहना मुश्किल है तो अब इजारे का तोड़ देना ठीक है और अगर बिल्कुल ही गिर पड़ा तो ख़ुद ही इजारा टूट गया। आपके तोड़ने या मालिक के राज़ी होने की ज़रूरत नहीं रही।

मस'ला ७– जब किराये पर लेने और देने वाला कोई मर जाए तो इजारा टूट जाता है।

मस'ला ८– अगर कोई ऐसी मजबूरी पैदा हो जाए कि इजारे

को तोड़ना पड़े तो मजबूरी के वक़्त तोड़ देना ठीक है। जैसे: कहीं जाने के लिए तांगा किराये पर लिया। फिर ख़्याल बदल गया। अब जाने का इरादा नहीं रहा तो इजारा तोड़ना ठीक है।

मस'ला ९— यह भी एक दस्तूर है कि किराया तय करके उसको ब्याना दे देते हैं। अगर जाना हुआ तो फिर उसको पूरा किराया दे देते हैं। अगर जाना है तो उस किराये में से मुजरा हो जाता है और जाना न हुआ तो वह बयाना हज़्म कर लेता है, वापस नहीं करता। यह ठीक नहीं बल्कि उसको वापस दे देना चाहिए।

21. तावान लेना

मस'ला १— रंगरेज़, धोबी, दर्ज़ी वग़ैरा किसी पेशेवर से कोई काम कराया तो वह चीज़ जो उसको दी है उसके पास अमानत है। अगर चोरी हो जाए या किसी और तरह बिना इरादा मजबूरी से ख़त्म हो जाए तो उससे तावान लेना ठीक नहीं। अलबत्ता अगर उसने वह चीज़ इस तरह ख़राब की कि कपड़ा फट गया या बढ़िया रेशमी कपड़ा भट्टी पर चढ़ा दिया और ख़राब हो गया तो उसका तावान लेना दुरुस्त है। अगर कपड़ा खो गया और वह कहता है कि मालूम नहीं क्यों कर गया और क्या हुआ उसका लेना भी ठीक है। और अगर वह कहे कि यहां चोरी हो गई उसमें जाता रहा तो तावान लेना ठीक नहीं।

मस'ला २— किसी मज़दूर को घी, वग़ैरा पहुंचाने को कहा। उससे वह रास्ते में गिर पड़ा तो उसका तावान लेना जायज़ है।

मस'ला ३— बच्चा खिलाने वाले नौकर की लापरवाही से बच्चे का ज़ेवर या कुछ और चीज़ जाती रही तो उसका तावान लेना ठीक है।

22. बिना इजाज़त चीज़ लेना

मस'ला १– किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ले लेना या पीठ पीछे उसकी बग़ैर इजाज़त ले लेना बड़ा गुनाह है। कुछ औरतें अपने शौहर या किसी और अज़ीज़ की कोई चीज़ बिना इजाज़त ले लेती हैं—यह ठीक नहीं है। अगर कोई चीज़ बिना इजाज़त ले ली है तो अगर वह चीज़ अभी मौजूद हो तो वही चीज़ फेर देनी चाहिए और अगर ख़र्च हो गई हो तो उसका हुक्म यह है कि अगर ऐसी चीज़ थी कि उसकी जैसी बाज़ार में मिल सकती है। जैसे: ग़ल्ला, घी, तेल, रुपया-पैसा -जैसी चीज़ ली वैसी ही चीज़ मंगाकर देना वाजिब है और ऐसी चीज़ लेकर ख़त्म कर दी कि उस जैसी मिलना मुश्किल है तो उसकी क़ीमत देनी पड़ेगी। जैसे: मुर्ग़ी, बकरी, अमरूद, नारंगी वग़ैरा।

मस'ला २– चारपाई का एक आधा पाया टूट गया या पट्टी या चूल टूट गई या और कोई चीज़ ली थी वह ख़राब हो गई तो ख़राब होने से जितना नुक़सान हुआ हो, देना पड़ेगा।

मस'ला ३– पराये रुपये से बिना इजाज़त तिजारत की तो उससे जो नफ़ा हो उसका लेना दुरुस्त नहीं बल्कि असली रुपये मालिक को वापस दे और जो कुछ नफ़ा हो उसको ऐसे लोगों में ख़ैरात कर दे जो बहुत मुहताज हों।

मस'ला ४– किसी का नगीना लेकर अंगूठी पर रख लिया तो अब उसकी क़ीमत देनी पड़ेगी। अंगूठी तोड़कर नगीना निकलवाकर देना वाजिब नहीं।

मस'ला ५– सुई, धागा, पान, तम्बाकू, कत्था, छालिया वग़ैरा किसी की चीज़ बग़ैर इजाज़त लेना दुरुस्त नहीं है और कुछ लिया है उसके दाम देना वाजिब है या फिर उससे कह कर माफ़ करा ले।

23. गिरवी रखना

मस'ला १– आपने किसी से दस रुपए कर्ज़ लिए और भरोसे के लिए अपनी कोई चीज़ उसके पास गिरवी रख दी कि आपको एतबार न हो तो उसकी वह चीज़ अपने पास रख लें,। जब रुपया अदा कर देगा तो वह अपनी चीज़ वापस ले लेगा, यह जायज़ है।

मस'ला २– जब आपने कोई चीज़ गिरवी रख दी तो अब बग़ैर कर्ज़ अदा किए अपनी चीज़ मांगने और वापस लेने का हक़ नहीं है।

मस'ला ३– जो चीज़ आपके पास किसी ने गिरवी रखी तो अब उस चीज़ का काम में लाना उससे किसी तरह का नफ़ा उठाना, ऐसे बाग़ के फल खाना ऐसी ज़मीन का ग़ल्ला या रुपया लेकर खाना या ऐसे घर में रहना ठीक नहीं है।

मस'ला ४– अगर बकरी, गाय बग़ैरा रखी हो तो उसका दूध बच्चा बग़ैरा जो कुछ हो जिसके पास गिरवी है उसे लेना दुरुस्त नहीं। वह भी मालिक ही का है। दूध को बेच कर गिरवी में शामिल कर लें। जब वह आपका कर्ज़ अदा कर दे तो गिरवी की चीज़ और दाम सब वापस कर दें मगर खिलाई के दाम काट लें।

24. मन्नत मानना

मस'ला १– किसी काम पर इबादत की बात की कोई मन्नत मानी फिर वह काम हो गया जिसके लिए मन्नत मानी थी तो अब मन्नत का करना वाजिब है। मन्नत पूरी न करेंगे तो बहुत गुनाह होगा। लेकिन अगर कोई वाहियात मन्नत हो जिसका शरअ् में कुछ एतबार

नहीं तो उसका पूरा करना वाजिब नहीं।

मस'ला २– किसी ने कहा–या अल्लाह! मेरा फलां काम हो जाए तो पांच रोजे रखूंगा। तो जब काम हो जाएगा पांच रोज़े रखने पड़ेंगे। लगातार या एक-एक दो-दो करके पूरे करें और अगर यह कहा कि पांचों रोज़े लगातार रखूंगा तो सब लगातार रखने पड़ेंगे।

मस'ला ३– अगर यूं कहा कि जुमे का रोज़ा रखूंगा या मुहर्रम की पहली तारीख़ दसवीं तारीख़ तक रोजे रखूंगा तो ख़ास जुमे के दिन रोज़ा रखना वाजिब नहीं और मुहर्रम की उन्हीं तारीख़ों में रोज़ा रखना वाजिब नहीं। जब चाहे दस रोज़े रख ले लेकिन दसों लगातार रखने पड़ेंगे चाहे मुहर्रम या किसी और महीने में–सब जायज़ हैं। इसी तरह अगर यह कहा कि मेरा यह काम हो जाएगा तो कम रोज़ा रखूंगा तब भी एख़्तियार है, जब चाहे रखे।

मस'ला ४– किसी ने मन्नत मानी कि उसकी खोई हुई चीज़ मिल जाए तो उसके मिल जाने पर आठ रकअ्त नमाज़ पढ़ेगा चाहे एक दम आठों रकअ्त की नीयत बांध ले या चार रकअत की नीयत बांधे या दो-दो की, पूरा एख़्तियार है।

मस'ला ५– अगर यूं मन्नत मानी कि दस मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगा। अगर दिल में कुछ ख़्याल किया कि एक-दो वक़्त खिलाएगा तब तो इसी तरह खिलाए और कुछ ख़्याल नहीं तो दो वक़्त दस मिस्कीनों को खिलाए और अगर कच्चा अनाज दे तो उसमें भी यही बात है कि अगर दिल में कुछ ख़्याल था कि इतना हर एक को देगा तो उतना ही दे। और अगर कुछ ख़्याल न था तो हर एक को उतना ही दे कि जितना फित्र के सदके में बताया गया है।

मस'ला ६– इसी तरह मन्नत मानी कि जामा मस्जिद या मक्का में नमाज़ पढ़ेगा तो एख़्तियार है जहां, चाहे पढ़े।

मस'ला ७– किसी औरत ने यह मन्नत मानी कि अगर फलां

काम हो जाएगा तो मीलाद पढ़वा देगी या फलाने मज़ार पर चादर चढ़ायेगी, तो यह दोनों मन्नतें नहीं हैं। इसी तरह मस्जिद में गुलगुले चढ़ाने और अल्लाह मियां का ताक़ भरने की मन्नत मानी या बड़े पीर की ग्यारहवीं की मन्नत मानी तो यह मन्नत भी ठीक नहीं हुई। इसका पूरा करना वाजिब नहीं।

मस'ला ८– यह मन्नत मांनी कि फलां मस्जिद टूटी पड़ी है उसको बनवा देगा या फलांना पुल बंधया देगा तो यह मन्नत भी ठीक नहीं है। उसके ज़िम्मे कुछ वाजिब नहीं हुआ।

25. क़सम खाना

मस'ला १– बिना जरूरत बात-बात में कसम खाना बुरी बात है। सच्ची बात पर भी कसम नहीं खानी चाहिए।

मस'ला २– जिसने अल्लाह की क़सम खाई और कहा अल्लाह की कसम, ख़ुदा की कसम, इज़्ज़त व जलाल की कसम, ख़ुदा की बुज़ुर्गी और बड़ाई की कसम तो कसम हो गई। अब उसके ख़िलाफ करना ठीक नहीं। अगर ख़ुदा का नाम नहीं लिया बस इतना कह दिया—मैं कसम खाता हूं कि फलाँ काम न करूंगा तब भी क़सम खाई गई।

मस'ला ३– अगर इस तरह कहा कि ख़ुदा गवाह है, ख़ुदा को गवाह करके कहता हूं, या ख़ुदा को हाज़िर नाज़िर जान कर कहता हूं—तब भी कसम हो गई।

मस'ला ४– क़ुरआन की क़सम या कलाम मजीद की कसम खाकर कोई बात कही तो क़सम पूरी हो गई और कलाम मजीद को हाथ में लेकर या उस पर हाथ रख कर कोई बात कही लेकिन कसम

नहीं खाई तो कसम नहीं हुई।

मस'ला ५– यह कहा कि अगर फलाँ काम करूं तो बेईमान होकर मरूं, मरते वक्त ईमान नसीब न हो, बेईमान हो जाऊं या इस तरह कहा कि फलाँ काम करूं तो मुसलमान नहीं, तो कसम हो गई। इसके ख़िलाफ़ करने से कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा मगर ईमान न जाएगा।

मस'ला ६– ख़ुदा के सिवा किसी और की कसम खाने से कसम नहीं होती। जैसे: रसूलुल्लाह की कसम, काबे की कसम, अपनी आंख की कसम, अपनी जवानी की कसम, अपने हाथ-पैरों की कसम, अपने बाप की कसम, तुम्हारी जान की कसम, तुम्हारी कसम, अपनी कसम इस तरह की कसम खाकर इसके ख़िलाफ़ करेगा तो कफ़्फ़ारा नहीं देना पड़ेगा।

मस'ला ७– किसी दूसरे की क़सम दिलाने से कसम नहीं होती। जैसे: किसी ने आपसे कहा कि आपको ख़ुदा की कसम! यह काम ज़रूर करो तो यह क़सम नहीं हुई। इसके ख़िलाफ़ करना ठीक है।

मस'ला ८– कसम खाकर उसके साथ ही इंशाअल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा) लफ्ज़ कह दिया। ख़ुदा की कसम इंशाअल्लाह नहीं करूंगा तो कसम नहीं हुई।

मस'ला ९– अगर ऐसी बात पर कसम खाई जो अभी नहीं हुई बल्कि आइन्दा होगी। जैसे: ख़ुदा की कसम! आज पानी बरसेगा, ख़ुदा की कसम आज मेरा भाई आएगा। फिर वह नहीं आया और पानी नहीं बरसा तो कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा।

मस'ला १०– किसी ने गुनाह करने की कसम खाई कि ख़ुदा की कसम! आज फलाने की चीज़ चुराकर लाऊंगा, ख़ुदा की कसम आज न पढ़ूंगा, ख़ुदा की कसम अपने मां-बाप से कभी न बोलूंगा तो ऐसी कसम का तोड़ देना वाजिब है और कसम तोड़ने का कफ़्फ़ारा दे दे, नहीं तो गुनाह होगा।

मस'ला ११– अगर किसी ने कसम तोड़ डाली तो इसका कफ्फारा यह है कि दस मुहताजों को दो वक़्त का खाना खिला दे। कच्चा अनाज दे दे और हर फ़कीर को अंग्रेज़ी तौल से छटांक ऊपर पौने दो सेर गेहूं देना चाहिए बल्कि एहतियात के लिए पूरे दो सेर दे दे। अगर जौ दे तो उसके दुगने दे। बाक़ी और सब तरकीब फ़कीरों को खिलाने की वही हैं जो रोज़े के कफ्फारे में ब्यान हो चुकी है। फ़कीरों को कपड़े पहना दे। हर फ़कीर को इतना कपड़ा दे जिससे बदन का हिस्सा ढक जाए। जैसे: चादर या बड़ा लम्बा कुर्ता दे दिया तो कफ्फारा अदा हो गया, लेकिन वह कपड़ा बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। अगर हर फ़कीर को सिर्फ़ एक लुंगी या एक जामा दे दिया तो कफ्फारा अदा नहीं हुआ। अगर लुंगी के साथ कुर्ता भी हो तो अदा हो गया। उन दोनों में एख़्तियार है चाहे कपड़ा दे या खाना खिलाए, हर तरह कफ्फारा अदा हो गया। यह हुक्म उसी वक़्त है जबकि मर्द को कपड़ा दे और अगर किसी ग़रीब औरत को कपड़ा दिया तो इतना होना चाहिए कि सारा बदन ढक जाए और उससे नमाज़ पढ़ सके। इससे कम हो तो कफ्फारा अदा नहीं होगा।

मस'ला १२– किसी ने कई बार कसम खाई। जैसे: एक बार कहा कि खुदा की कसम फलानां काम न करूंगा। फिर उसी दिन या उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन ग़र्ज़ इसी तरह तीन बार कहा या यूं कहा कि खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, कलाम मजीद की कसम फलाना काम करूंगा फिर वह कसम तोड़ दी तो इन सब कसमों का एक ही कफ्फारा दे दे।

मस'ला १३– किसी के ज़िम्मे कसमों के बहुत कफ्फारे जमा हो गए तो हरएकका अलग-अलग कफ्फारा देना चाहिए।

26. वसीयत

मस'ला १– यह कहना कि मेरे मरने के बाद मेरा इतना माल फलां आदमी को दें या फलां काम में दे दें, वसीयत है–चाहे यह तन्दुरुस्ती में कहे या बीमारी में। फिर चाहे उस बीमारी में मर जाए या तन्दुरुस्त हो जाए और इसी तरह जिस बीमारी में आराम हो जाए उसमें भी ठीक है। बीमारी में मर जाए तो वसीयत है।

मस'ला २– अगर किसी के ज़िम्मे नमाज़ें, रोज़े या कसम वगैरा का कफ्फारा बाकी रह गया और इतना माल भी मौजूद हो तो मरते वक़्त उसके लिए वसीयत करना ज़रूरी और वाजिब है। इसी तरह किसी पर कुछ कर्ज़ हो या उसके पास कुछ अमानत रखी हो उसकी वसीयत करना भी वाजिब है। न करेगा तो गुनाहगार होगा। कुछ रिश्तेदार अगर गरीब हों जिनको शरअ् से कुछ मीरास पहुंचती हो और उसके पास बहुत माल व दौलत है तो उनको कुछ दिला देना और वसीयत कर ज़ाना मुस्तहब है। और बाकी लोगों के लिए वसीयत करने न करने का एख़्तियार है।

मस'ला ३– मरने के बाद मुर्दे के माल से पहले तो उसके कफन दफन का सामान करें। फिर जो कुछ हो उससे कर्ज़ अदा करें। अगर मुर्दे का सब माल कर्ज़ अदा करने में लगे तो सारा कर्ज़ में लगा दें। वारिसों को कुछ न मिलेगा। इसलिए कर्ज़ अदा करने की वसीयत पर बहरहाल अमल करें। अगर सब माल उस वसीयत की वजह से ख़र्च हो जाए तब भी कुछ परवाह न करें बल्कि अगर वसीयत भी कर जाए तब भी कर्ज पहले अदा कर देंगे और कर्ज़ के सिवा और चीज़ों की वसीयत का एख़्तियार सिर्फ माल में होता है यानी जितना माल छोड़ा है उसकी तिहाई में से अगर वसीयत पूरी हो जाए तो वसीयत पूरी करेंगे लेकिन तिहाई माल से ज़्यादा वारिसों के ज़िम्मे वाजिब नहीं।

मस'ला ४– जिस शख़्स को मीरास में माल मिलने वाला हो।

जैसे: मां-बाप, शौहर बेटा वग़ैरा तो इनके लिए वसीयत करना सही नहीं और जिस रिश्तेदार का उसके माल में कुछ हिस्सा न हो या रिश्तेदार ही न हो कोई ग़ैर हो उसके लिए वसीयत करना ठीक है। लेकिन तिहाई माल से ज़्यादा दिलाने का हक नहीं।

मस'ला ५– नाबालिग़ लड़की की वसीयत ठीक नही।

मस'ला ६– सख़्त बीमारी की हालत (जिसमें बीमार मर जाए) में अपना क़र्ज़ माफ कराने का एख़्तियार नहीं है। अगर किसी वारिस पर क़र्ज़ आता था, उसको माफ कर दिया तो वह माफ नहीं हुआ। लेकिन अगर सब वारिस यह माफी मंजूर करें और बालिग हों तब माफ होगा और किसी ने माफ नहीं किया तो तिहाई से जितना भी ज़्यादा होगा माफ होगा। अक्सर दस्तूर चला आता है कि बीवी मरते वक्त अपना मह्रमाफ करदेती हैयह माफ करना सही नहीं।

मस'ला ७– मर जाने के बाद उसके माल में से गोर व कफन से जो बचे तो सबसे पहले उसका कर्ज़ा अदा करना चाहिए। बीवी का मह्र भी क़र्ज़ में शामिल है। इसी तरह लड़कियों का हिस्सा भी ज़रूर देना चाहिए क्योंकि शरअ् में उनका भी हक है।

मस'ला ८– मुर्दे के माल से लोगों की मेहमानदारी, आने वालों की ख़ातिर मदारात खिलाना-पिलाना, सदका ख़ैरात वग़ैरा कुछ करना जायज़ नहीं। इसी तरह मरने के बाद दफन करने तक जो कुछ अनाज वग़ैरा फकीरों को दिया जाता है। मुर्दे के माल में उसको देना भी हराम है। मुर्दे को हरगिज़ सवाब नहीं पहुंचता बल्कि सवाब समझना सख़्त गुनाह है। इसका बांट देना ऐसा ही है जैसे ग़ैर का माल चुराकर दे देना। सब माल वारिस को बांट देना चाहिए।

27. मौत के बारे में

फ़रमाया रसूले खुदा सल्ल0 ने—मौत को याद करो इसलिए मौत को याद करना गुनाहों को दूर करता और दुनिया से बेज़ार करता है। जब आख़िरत की तलब और वहां नेमतों की ख़्वाहिश और यहां के दर्दनाक अज़ाब का ख़ौफ़ होगा तो यह ज़रूरी होगा नेक कामों में तरक़्क़ी करेगा। गुनाहों से बचेगा।

जिस दुनिया की मज़म्मत की जाती है उससे वे चीज़ें मुराद हैं। जो ख़ुदा से ग़ाफ़िल करें। बस मालूम हुआ कि मौत की याद और उसका ध्यान रखना और आख़िरत के सफ़र के लिए तैयार करना लाज़िम है।

हदीस शरीफ़ में है कि हर जुमे को मां-बाप (अगर वह मर गये हों) की क़ब्र का चक्कर लगाना या उसे चूमना मना है चाहे किसी नबी की क़ब्र हो या वली की।

क़ब्र के क़रीब जाकर पहले कहें :—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ

يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ وَاَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاٰثَارِ.

''अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरि मिनल मोमीनीन वल मुस्लिमीन यग़्फ़िरुल्लाहु लना व लकुम- व अन्तुम स-ल-फ़ुना व नहनु बिल आसार

(ऐ क़ब्र में रहने वाले सब मोमिनों और मुसलमानों की तरफ़ से तुम पर सलामती हो। अल्लाह हमारी और तुम्हारी बख़्शिश करे। तुम हमसे पहले जा चुके हो और हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं)

फिर किबले की तरफ पीठ करे और मैय्यत की तरफ मुंह करके जितना हो सके कुरआन शरीफ पढ़े।

हदीस में आया है कि जो शख़्स कब्रों पर गुजरे और सूरः इख़्लास (सूरः ११२ पारा ३०) ग्यारह बार पढ़कर मुर्दे को बख़्शे या अलहम्दु शरीफ सूरः इख़्लास और सूरः तकासुर पढ़कर उसका सवाब क़ब्रिस्तान वालों को बख़्शे या सूरः यासीन (सूर : ३६ : पारा २२) क़ब्रिस्तान में पढ़े तो मुर्दों के अज़ाब में ख़ुदा कमी करेगा और पढ़ने वालों को उन मुर्दों के हिसाब से सवाब मिलेगा। ख़ुदा हम सब को ख़ैर की तौफीक अता करे। और ईमान पर ख़ात्मा करे आमीन।

28. नाच रंग की महफ़िलें

शादियों में दो तरह के नाच होते हैं। एक तो रंडी वग़ैरा का नाच जो मर्दाने में कराया जाता है। दूसरा वह जो ख़ास तौर पर औरतों की महफिल में होता है कि कोई डोमन, मीरासन नाचती है और कूल्हे वग़ैरा मटका-चटका कर तमाशा करती है। ये दोनों हराम और नाजायज़ है।

रंडी के नाच में जो-जो गुनाह और ख़राबियां हैं उनको सब जानते हैं कि नामहरम औरत को सब मर्द देखते हैं। यह आंख का ज़िना है। उनके बोलने और गाने की आवाज़ सुनते हैं, उससे बातें करते हैं यह ज़ुबान का ज़िना है। उसकी ओर मन का झुकाव होता है। यह दिल का ज़िना है। जो ज़्यादा बे-हया हैं उसको हाथ भी लगाते हैं। यह हाथ का ज़िना है। उसकी ओर चलकर जाते हैं। यह पांव का ज़िना है। कुछ बदकारी भी करते हैं तो यह असल ज़िना है।

हदीस शरीफ में यह मज़मून साफ-साफ आ गया है कि जिस

तरह बदकारीज़िनाहैउसी तरह आंख से देखना, कान से सुनना, पांव से चलना वग़ैरह। इन सब बातों से ज़िना का गुनाह होता है। फिर गुनाह को खुल्लम खुल्ला करना, शरीअत में और भी बुरा है।

हदीस शरीफ़ में यह मज़मून आया है कि जब किसी क़ौम में बे-हयाई और गंदगी इतनी फैल जाए कि लोग खुल्लम खुल्ला करने लगें तो ज़रूर उनमें प्लेग और ऐसी बीमारियां फैल पड़ती हैं कि उनके बुज़ुर्गों में कभी नहीं हुई।

अब समझो कि जब यह नाच ऐसी बुरी चीज़ है तो कुछ आदमी, जो शादी के मौक़े पर इसका सामान करते हैं या दूसरी तरफ़ वालों पर तकाज़ा करते हैं—ये लोग कितने गुनाहगार होते हैं। बल्कि यह महफ़िल कराने वाला, जितने आदमियों को गुनाह की तरफ़ बुलाता है, जितना अलग-अलग सबको गुनाह होता है, वह सब मिलाकर उस अकेले को उतना ही होग। जैसे मान लो मज्लिस में सौ आदमी आए, तो जितना गुनाह हर-हर आदमी को हुआ, वह सब उस अकेले को हुआ यानी मज्लिस को पूरे सौ आदमियों का गुनाह हुआ, बल्कि उसकी देखा-देखी, जो कोई जब कभी ऐसा जल्सा करेगा उसका गुनाह भी उसको होगा, बल्कि उसके मरने के बाद भी, जब तक उसकी बुनियाद डाला हुआ सिलसिला चलेगा, उस वक़्त तक बराबर उसके नाम -ए-आमाल में गुनाह बढ़ता रहेगा। फिर उस मज्लिस में बाजा-गाजा भी बे-धड़क बजाया जाता है। जैसे तबला, सारंगी वग़ैरह। यह भी एक गुनाह हुआ।

प्यारे नबी सल्ल0 ने फ़रमाया है कि मुझको मेरे पालनहार ने इन बाजों को मिटाने का हुक्म दिया है। ख़्याल करने की बात है कि ज़िसके मिटाने के लिए प्यारे नबी सल्ल0 तशरीफ लायें उसको रौनक देने वाले के गुनाह का क्या ठिकाना।

दुनिया का नुक़सान इसमें औरतों के लिए यह है कि कभी उनके शौहर या दुल्हा की तबीयत नाचने वाली पर आ जाती है और अपनी

बीवी से दिल हट जाता है। यह सारी उम्र रोती हैं फिर ग़ज़ब यह है कि इसको नाम व इज़्ज़त बढ़ाने की वजह समझती है और इसके न होने को ज़िल्लत और शादी की बेरौनक़ी जानती है और गुनाह पर घमंड करना और गुनाह न करने को बे-इज़्ज़ती समझना—इससे ईमान चला जाता है तो यह देखो कितना बड़ा गुनाह है।

कुछ लोग कहते हैं कि लड़की वाला नहीं मानता, बहुत मजबूर करता है उनसे पूछना चाहिए कि लड़की वाला अगर यह ज़ोर डाले कि ज़नाना लिबास पहन कर तुम ख़ुद नाचो तो क्या लड़की लेने के लिए तुम ख़ुद नाचोगे या गुस्से से भर कर मरने-मारने को तैयार हो जाओगे और लड़की न मिलने की कुछ परवाह न करेंगे।

मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि शरीअत ने जिसको हराम किया है, उससे उतनी ही नफ़रत होनी चाहिए जितनी अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ कामों से होती है। तो जैसे इसमें शादी होने की कुछ परवाह नहीं होती, उसी तरह शरीअत के ख़िलाफ़ कामों से साफ़ जवाब दे देना चाहिए कि चाहे शादी करो चाहे न करो, हम हरगिज़ नाच न होने देंगे। इसी तरह उसमें शरीक भी नहीं होना चाहिए, न देखना चाहिए।

अब रह गया वह नाच जो औरतों में होता है, उसको भी ऐसा ही समझना चाहिए। चाहे उसमें ढोल वग़ैरह किसी किस्म का बाजा हो या न हो, हर तरह का नाजायज़ है। किताबों में बंदरों के नाच-तमाशों तक को मना लिखा है तो आदमियों का नाचना किस तरह बुरा न होगा। फिर यह कि कभी घर के मर्दों की भी नज़र पड़ती है और उसमें वही ख़राबियां होती हैं, जिनका अभी ब्यान हुआ और कभी यह नाचने वाली गाती भी हैं और घर के बाहर मर्दों के कानों में आवाज़ पहुंचती है। जब मर्दों को औरतों का गाना सुनना गुनाह है, तो औरत इस गुनाह की वजह बनी, वह भी गुनाहगार होगी।

कुछ औरतें उस नाचने वाली के सिर पर टोपी रख देती हैं और मर्दों की शक्ल या रूप बनाना हराम है, तो इस गुनाह की तजवीज़

करने वाली भी गुनाहगार होगी और अगर बाजा उसके साथ हो तो बाजे की भी बुराई अभी लिख चुके हैं।

इसी तरह गाना है। चूंकि अक्सर गाने वाली जवान, अच्छी आवाज़ वाली, इश्क और मुहब्बत के मज़मून याद रखने वाली खोजी जाती हैं और अक्सर उसकी आवाज़ ग़ैर मर्दों के कानों में पहुंचती है और इस गुनाह की वजह घर की औरतें होती हैं और कभी-कभी ऐसे मज़मूनों के शे'रों से कुछ औरतों के दिल भी ख़राब हो जाते हैं। फिर रात-रात भर यह सिलसिला रहता है। बहुत-सी औरतों की नमाज़ें सुबह की रह जाती हैं, इसलिए यह भी मना है। मतलब यह है कि हर किस्म का नाच और राग बाजा जो आजकल हुआ करता है, सब गुनाह है।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ
وَاَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۔

(और हमारी तरफ से आख़िरी दावत है कि बेशक सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो सब आलमों का पालने वाला है। दरूद व सलाम नाज़िल हो ऊपर रसूले करीम सल्ल0 और उनकी सब औलाद और असहाब पर अल्लाह की रहमतों के साथ। ऐ सब रहमत करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले।)